राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सोलहवां [दिवस संख्या : 11

शुक्रवार,
12 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आज तो अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिला ही देना। (व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष : मदन मोहन जी। (व्यवधान) —

श्री रामस्वरूप मीणा : क्वेश्चन वही है आज।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें अभी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., सबके साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सबके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह सदन एकमत है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आदिवासी, हर जिले के साथ न्याय हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराज जायं। बिराजें, बिराजें, अभी बोलने तो दें उन्हें।

श्री रामनारायण मीणा : सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराइये आप।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता की बात तो सुनें। कृपया शांति बनायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उनका असर आप पर है या आप का असर उन पर है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे ऊपर नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनो, सुनो।

अन्य पिछड़ा वर्गों का राज्य सेवा में आरक्षण

1. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मामले में रोस्टर प्रणाली में नम्बर छः पर रखा गया है?

(श्री मदन मोहन)

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नियुक्तियां नहीं देने की नीयत से बहुत से विभागों द्वारा पांच-पांच पदों की रिक्तियां ही निकाली जा रही हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह इस देश में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों के लिये लड़ाई लड़ने वाला इस हिन्दुस्तान का मसीहा शरद यादव, शरद यादव ने इस देश में मण्डल आयोग की रिपोर्ट को जिस तरह लागू कराया और उस पर भी, उस रिपोर्ट के लागू होने के बाद हमारे ही वर्ग के लोग इसमें मरे। उनको दूसरा रास्ता दिखा कर उनको प्रेरित किया गया कि आप जल-जल कर मरिये, उनको गुमराह किया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उसका राजस्थान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है और उनके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर करीब 700 कर्मचारियों का स्टाफ है जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनमें से मात्र एस.सी. के 4, एस.टी. के दो...

श्री अध्यक्ष : कृपया सवाल करें।

श्री मदन मोहन : और ओ.बी.सी. के 10 या 12 के करीब हैं। और जाट वर्ग के भी करीब 4 हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जिस तरह बीकानेर विश्वविद्यालय के अन्दर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार करके वेकेंसीज निकाली गयीं, उनके निकालने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ओ.बी.सी. के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिले और उनके साथ अन्याय किया गया और न एस.सी. और एस.टी. के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया और उसके आधार पर अभी करीब तीन या चार दिन पहले दुबारा से उसके लिये नोटिफिकेशन जारी किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया सवाल करें।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायक महोदय, सवाल करें आप।

श्री मदन मोहन : हां, मैं सवाल ही कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह उप शासन सचिव ने एक फैसला किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर वी.सी. ने 166 उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जिसका कि वी.सी. को कोई अधिकार नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से पहले तो यही निवेदन करूंगा कि वी.सी. को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाय।

(श्री मदन मोहन)

अध्यक्ष महोदय, मैं और भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह उच्च शिक्षा विभाग के अन्दर यह सारा खेल हुआ है और उप शासन सचिव ने जो अमेंडमेंट किया है उसके आधार पर तत्कालीन उप शासन सचिव के निलम्बन की भी मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जब ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन की बात की जाती है और जब इनको शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन ही नहीं दिया जाता तो इनके लोग, कहां से आयेगा आपके पास डॉक्टर, कहां से आयेगा इंजीनियर? तो मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इनका रिजर्वेशन शिक्षण संस्थाओं में भी किया जाना चाहिये। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिये अलग से यह प्रावधान किया जाना चाहिये कि इनको प्राइवेट संस्थाओं के अन्दर भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह टोंक जिले के अन्दर जिला परिषद की जो लिस्ट आउट हुई–

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आप से निवेदन है कि आप प्रश्न पूछें।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं सारे।

अध्यक्ष महोदय, टोंक जिला परिषद के अन्दर जो अध्यापकों की लिस्ट आउट हुई, 202 अध्यापकों की नियुक्ति हुई लेकिन उनके अन्दर ओ.बी.सी. के लोगों को, ओ.बी.सी. के जो लोग जनरल मैरिट को पार कर रहे थे, जो एस.सी. के लोग जनरल मैरिट को पार कर रहे थे उनको रिजर्वेशन के आधार पर लिया गया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जो जनरल मैरिट के अन्दर आ रहे हैं उनको जनरल मैरिट में लिया जाना चाहिये।

राजस्थान में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के जितने भी पद रिक्त पड़े हैं उनको राज्य सरकार कब तक भरेगी? यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

मेरा जो मूल प्रश्न है जिसके आधार पर, उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैं यही पूछना चाहूंगा कि बीकानेर विश्वविद्यालय के अन्दर जो सारी गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, जिस अधिकारी ने यह किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पोस्ट को उन्होंने डिपार्टमेंट में बांट कर जो किया, यह सेंटर गवर्नमेंट के रेगुलेशन में, संविधान में है कि जितनी भी पोस्टें निकाली जाएं उनको डिपार्टमेंट में न बांट कर के और उनको सीधा ही, जितनी पोस्टें निकाली हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें अब।

श्री मदन मोहन : जिस तरह से बीकानेर विश्वविद्यालय के अन्दर 283 पद

(श्री मदन मोहन)

निकाले लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसमें इतनी गड़बड़ियां की गयीं कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह का...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने तो दो।

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न पूछने का है।

श्री मदन मोहन : प्रश्न ही तो किया है मैंने।

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछें। ...(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : ओ.बी.सी. के एक-दो सवाल हैं सुन लो पूरा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, हां आपको भी बोलना है।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहले तो यही निवेदन है कि जिस तरह से यह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वेकेंसीज निकाली जा रही हैं, इनके पीछे आप की क्या धारणा रही है? और जिन लोगों ने इस तरह का बरताव किया है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? एक तो मेरा सब से पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप अब।

श्री मदन मोहन : यह तो जवाब दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, पहले मूल प्रश्न का आ जावे फिर करना।

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन लें, एक मिनट।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : साथ ही ले लीजियेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, ऐसा नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक साथ सारा आ जायेगा, काफी लम्बा वक्तव्य देना है आप को। ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सुन लो फिर दे देना एक साथ ही जवाब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का जवाब आ जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस सवाल की भूमिका यह है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो रोस्टर प्रणाली है उससे सम्बन्धित सवाल किया है। इसीलिये मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि सलेक्शन में जो रोस्टर प्रणाली अपनायी गयी है उसके विषय में सवाल किये जायं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है यह दूसरे सम्बन्ध से है।

"क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नियुक्तियां नहीं देने की नीयत से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बहुत से विभागों द्वारा पांच-पांच पदों की रिक्तियां ही निकाली जा रही हैं?" माननीय सदस्य ने बीकानेर विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रोस्टर प्रणाली बनी हुई है यह 100 अंक की है। रोस्टर में पहला शिड्यूल्ड कास्ट का है, और दूसरा-तीसरा जनरल है, और चौथा अनुसूचित जनजाति का है और पांचवां जनरल है, छठा ओ.बी.सी. का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्णय है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इसके कारण क्या हुआ है कि पहले जो पांच हुआ करते थे, उसमें भी इस बात की चिंता की गयी। पहला शिड्यूल्ड कास्ट का हो गया, दूसरा-तीसरा, अगर तीन पोस्ट होंगी तो डेढ़ बनता है। 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये इसीलिये उसमें दो न हो, इसकी चिंता की गयी। चौथा अनुसूचित जनजाति का इसलिये दो जनरल और दो, 50 प्रतिशत आरक्षण हो गया। अगर पांचवां पिछड़ी जाति रख देते और पांच ही पोस्ट होतीं तो तीन आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता इसीलिये जान करके क्योंकि पांच पहले से थी, छठी जगह पर इसलिये रखा गया उस 50 पर्सेंट को ध्यान में रखकर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मन में जो शंका है, इसका निवारण करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि पांच पोस्ट एक बार घोषित हो गयीं दुबारा पांच हुई तो फिर वन से शुरू की जायेगी। नहीं, रोस्टर 100 का है अगर पांच पोस्ट विज्ञापित हो गयीं और सलेक्शन हो गया उसके बाद पांच पोस्ट विज्ञापित हुई तो पहली पोस्ट ओ.बी.सी. के लिये जायेगी। ऐसा नहीं है कि वह जनरल के लिये जायेगी। इसलिये माननीय सदस्य के मन में यह शंका हो तो इसको दूर कर लें कि 100 की रोस्टर प्रणाली बनी हुई है और पांच अगर हो गयीं, पोस्ट भर गयीं दुबारा पांच की गयीं तो पहली ओ.बी.सी. होगी, दूसरी अनुसूचित जाति की होगी, तीसरी दो जनरल की होगी। इसलिये अगर बीकानेर विश्वविद्यालय ने या राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस नियम का कहीं उल्लंघन किया होगा तो सचमुच सरकार इसका काग्निजेंस लेगी और महामहिम से निवेदन करेगी, क्योंकि वह स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसमें हस्तक्षेप करें। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस प्रश्न को बहुत सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रश्न राजस्थान में ...(व्यवधान) अन्याय का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह पूरे राजस्थान के साथ में अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : रोस्टर प्रणाली में भारी अनियमितता हुई है और रोस्टर प्रणाली में भी जोधपुर विश्वविद्यालय में रोस्टर प्रणाली होने के बाद भी एक भी ओ.बी.सी. का केंडिडेट नहीं लिया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंह जी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आई.टी.आई. के अन्दर (व्यवधान) क्या सरकार सभी शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान करती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को सीमित करना चाहते हैं, यह सीमित करने जैसा प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह सीमित करने जैसा प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप पैरों पर खड़े हो जाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितना घोर अन्याय किया गया है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल लोगों से भर रहे हैं, बाकी को छोड़ा जा रहा है और दूसरे लोगों से भरी जा रही है। वहां मौजूद हैं लोग, बिलकुल असत्य है। गलत काम है यह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 700 वेकेन्सी के अन्दर चार एस.सी. के एक एस.टी. का और दस ओ.बी.सी. के लिए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कितना घोर अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बैठ जाइये। एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री रामनारायण मीणा : सदन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना देखिये।

श्री अध्यक्ष : इससे तो किसी बात का कोई रिजल्ट नहीं निकल पायेगा और न किसी की आवाज सुनी जायेगी। इसलिए मैं एक-एक माननीय सदस्य को बुला रहा हूं तो आप इतना व्यवधान क्यों कर रहे हैं? माननीय लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने किया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक मिनट। आप मेरा नाम बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी बिराज जायें। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे कुछ कह लेने दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हो गया न आपका तो। हो गया इनका।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दूंगा कहने का।

श्री मदन मोहन : नहीं, पहले मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई एम्बीग्युटी हो तो बाद में पूछ लें आप। एक मिनट।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेरा नाम काल कर लिया है, मदन मोहन जी। एक मिनट, नाम काल कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने लक्ष्मण सिंहजी का नाम बोल दिया है, उसके बाद में आप बोल लें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को बहुत सीमित करना चाहती है। प्रश्न सीमित नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान के अन्दर अन्य पिछड़ी जाति के साथ अन्याय हो रहा है। सम्भवतः भारत वर्ष में जितना अन्याय राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ी जाति के साथ कर रही है, वह कहीं नहीं होता। 21 प्रतिशत का रिजर्वेशन राष्ट्रपति काल में हुआ था। उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? मैं पाइंटेडली आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप राजस्थान के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को और उनके अभ्यर्थियों को एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस में जैसे–मेडिकल कालेज, बी.एड. और आई.टी.आई. वगैरह में रिजर्वेशन देंगे?

श्री अध्यक्ष : कृपा करके लिमिटेड प्रश्न है। यह अन्य पिछड़े वर्ग ~~के आरक्षण~~ के मामले में रोस्टर प्रणाली में नम्बर-6 पर है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है। रिजर्वेशन से सम्बन्धित है। हां, रोस्टर प्रणाली से सम्बन्धित है लेकिन इसको व्यापक दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन को आप क्यों नहीं स्थापित करते हैं? इसमें केन्द्र सरकार से 80 प्रतिशत पैसा आता है, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ता है। आप अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये कोई भी सुविधा क्यों नहीं प्रदान करते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, इसको स्थगित करके बहस करा लो।

श्री अध्यक्ष : माननीय, यह दूसरा विषय है। बिराजें आप। यह दूसरा सवाल है। इससे रिलेटेड नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दूसरा सवाल नहीं है। आप इसको सीमित करना चाहते हैं। छोटे से प्रश्न के साथ में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसको सीमित करना चाहें तो यह नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदन मोहन जी मूल प्रश्नकर्ता हैं। यह वापस कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि रोस्टर प्रणाली के तहत कहीं भी अवहेलना नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोंक जिला परिषद् के अध्यापकों की लिस्ट है, जो चयन सूची है, वह मेरे पास है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से टोंक जिला परिषद में रोस्टर प्रणाली की अवहेलना करके जो नम्बर एक पर जनरल मैरिट का जो लड़का पार कर रहा था उसमें एक नम्बर पर जनरल का आना चाहिये उसमें एस.सी. के लड़के को रिजर्वेशन दिया गया है और मैरिट को टॉप कर रहा था। इस तरह से राजस्थान के गरीब एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग पिछड़ गये। रोस्टर प्रणाली के बारे में नम्बर एक तो यह निवेदन था।

दूसरा, जिस तरह से जो मैंने मुपिंग आफ द पोस्ट डिपार्टमेंट के लिये कहा कि इसमें बीकानेर विश्वविद्यालय में 33 प्रोफेसरों की जगह निकली थी और उसमें एक भी ओ.बी.सी. का विद्यार्थी नहीं लिया गया और इसी तरह जो एसोसिएट प्रोफेसरों की जो वेकेन्सी निकली 42 की, उनमें भी ओ.बी.सी. का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया और जिस तरह से इस रिक्रूटमेंट (व्यवधान)... का है उसमें यह सीधा लिखा हुआ है कि —

"Where recruitment is made to one category of post but is split up into several groups of the specialized posts, the reservation should be for the whole category and not for each group of specialized posts. For example, if recruitment is to be made of 16 lecturers of whom 2 are in Hindi, 3 in English, 6 in Mathematics and 5 in Chemistry, the reservation should be to post of lecturers irrespective of subject so that if two SC/ST candidates are available in Hindi only, but both of them should be appointed .... mentioning the number of reserved posts ...."

यह तो राजस्थान सरकार का है। इसी आधार पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। इस राजस्थान के गरीब, दलित और पिछड़े लोगों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। "Government of Rajasthan. Higher Education Department. Regularisation of the services of Rajasthan....."

(श्री मदन मोहन)

इसमें सीधा वी.सी. ने यह माना है, राजस्थान के उच्च शिक्षा सेक्रेटरी ने यह माना है कि provisions relating to reservation have been ignored. यह राज्य सरकार स्वयं स्वीकार करती है। उसके बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय में 166 कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जा रहा है। जबकि वी.सी. को इस तरह का कोई अधिकार ही नहीं है और इसके अन्दर टोटल उच्च कम्युनिटी के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का जब अधिकार ही नहीं है, जब वाइस चांसलर को यह अधिकार ही नहीं था इस तरह के रिक्रूटमेंट के लिये तो आप उनकी भर्ती को तुरन्त प्रभाव से रद्द करें और वी.सी. के खिलाफ कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वह भी मैं पढ़कर आपको सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी। ..(व्यवधान) अगर आप इतना करेंगे तो बात ही चली जायेगी।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी तरह से संविधान में संशोधन करके जो नियम बनाये हैं उसका भी यही है कि पोस्टों को आप डिपार्टमेंट में नहीं बांटकर उनको टोटल जो पोस्ट निकली हैं, उनके ऊपर आप आरक्षण दीजिये। यह कहा जाता है कि 50 प्रतिशत से आगे नहीं जा सकता। जब तमिलनाडु में जयललिता की सरकार के अन्दर जब उन्होंने 85 प्रतिशत रिजर्वेशन देकर संविधान की नवीं अनुसूची में डाल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ाया जाये। इसमें जाट, विश्नोई और मेवों को शामिल करें चाहे इनको 85 प्रतिशत रिजर्वेशन देना पड़े। मैं मांग करता हूं पुरजोर शब्दों में कि..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया अब बिराजें।

श्री मदन मोहन : रिजर्वेशन में खूब अनियमितताएं बरती गयी हैं। इन अनियमितताओं के अन्दर जो संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

आज इस सदन के माध्यम से मैं उस मण्डल आयोग के मसीहा को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। शरद यादव जब राजस्थान के अन्दर आये उस समय जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो मण्डल आयोग की रिपोर्ट का मसीहा जब राजस्थान में आया तो उसके मंच में आग लगा दी गयी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पिछड़ों के साथ जो अन्याय होगा, गरीब और दलितों के साथ अन्याय होगा उसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें, यह भाषण नहीं है। राजेन्द्र जी। कृपया विराजें।

श्री मदन मोहन : मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इनको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री राजेन्द्र जी गहलोत। पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : हां, पाइंटेड ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आपने यह कहा कि रोस्टर प्रणाली में 6 नम्बर पर ओ.बी.सी. है। 6 नम्बर में पहले नम्बर पर एस.सी., दूसरे और तीसरे पर जनरल, चौथे पर एस.टी.। उसमें जब एस.सी. और एस.टी. के केंडिडेट नहीं मिलते हैं तो गिनती वहां से छोड़कर आगे शुरू कर देते हैं उससे ओ.बी.सी. का 6 नम्बर आ नहीं पाता है जिसके कारण आज सभी विश्वविद्यालयों के अन्दर जहां-जहां पर इंटरव्यू हुए हैं वहां इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, इसको आप दुरूस्त करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा न्यायिक सेवा के अन्दर रोस्टर प्रणाली और आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है। इसलिए अभी सत्र न्यायालय और सिविल न्यायाधीशों के लिये वकीलों में से पैनल मांगे गये थे। उस पैनल के अन्दर ओ.बी.सी. का पैनल होना चाहिये। यह प्रकाशन उस एडवरटाइजमेंट में नहीं किया गया जिसके कारण न्यायालय के अन्दर वह आज विवादित मामला पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप मेरी बात को सही समझें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंटेड बात कर रहा हूं कि न्यायालय में इस तरह की बात हो रही है।

दूसरा, जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर अभी जो व्याख्याताओं के इन्टरव्यू हुए थे और नियुक्तियां हुई थीं उस समय मैंने माननीय मंत्री जी को फोन भी किया था कि ओ.बी.सी. का एक भी व्यक्ति इस सूची के अन्दर नहीं लिया जा रहा है उनको एडवरटाइज नहीं किया गया है, एक भी ओ.बी.सी. की नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कृपया सवाल करें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ही है। यह रोस्टर में भी नहीं आ रहे हैं और ऐसे भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा यह हो रहा है कि रोस्टर के नाम पर जहां ओ.बी.सी. का...

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न है, एक सप्लीमेंट्री, एक माननीय सदस्य...पांच बात नहीं। बिराजें आप। माननीय हरिसिंहजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : रोस्टर में अनियमितता हुई है उसके बारे में मंत्रीजी से पूछा है। जोधपुर विश्वविद्यालय का, न्यायिक सेवा में पूछा है। दूसरा, एक और निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : कृपया ऐसा नहीं। पाइंटेडली एक प्रश्न एक सप्लीमेंट्री। बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पांच नम्बर को रोस्टर में रखा है तो यहां राजस्थान में कौनसी मजबूरी थी...

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर मत करो। अंकित नहीं करने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कि पांच नम्बर पर रखा गया है, छः नम्बर पर रखा गया है। जब यह निर्णय हो गया था कि इसको पांच नम्बर पर रखा जाय। इसके आदेश निकलने के बाद किसी कारण से षडयंत्र रचकर छः नम्बर पर रखा गया है इसकी जांच की जाय। ओ.बी.सी. के साथ सरासर अन्याय किया गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आपने एक पर तो पाबन्द कर दिया। इसके दो खण्ड हैं मैं दोनों पर एक-एक सप्लीमेंट्री दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण लागू हुआ है...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : श्री हरिसिंहजी बोलें उससे पहले मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि छठे नम्बर पर रखने से 21 प्रतिशत रिजर्वेशन किस प्रकार है, यह हमें समझा दीजिये। यह तो 18-19 भी नहीं आता। ओ.बी.सी. को 21 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया आपने और छठे नम्बर पर रखा गया उसको जैसा कि अभी राजेन्द्रजी गहलोत कह रहे थे। ऐसा जानबूझकर साजिश के तौर पर किया गया है, चौथे नम्बर पर होना चाहिए, पांचवें पर तो निश्चित तौर पर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप उसको छठे पर क्यों लेंगे यह बात पहले बता दीजिये ताकि आगे जो बहस होगी उसमें अपनी बात को रख सकें। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये न एक मिनट। एक-एक बोलें। श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. का जो रिजर्वेशन हुआ है, इसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है और उसकी लाइट में यह पूरा रिजर्वेशन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा है कि ओ.बी.सी. के मैरिटोरियस प्रत्याशी पहले जनरल में काउन्ट किये जायेंगे। जनरल की मैरिट के हिसाब से उनकी काउन्ट होगी और उसके

(श्री हरिसिंह)

बाद जनरल का जो अन्तिम प्रत्याशी है उसकी मैरिट जहां भी टिकती है उसके बाद में ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन, 21 प्रतिशत का लागू किया जायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस लाइट में आप जितने भी भर्ती कर रहे हैं, आप ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के मैरिटोरियस स्टूडेंट्स को आप पहले जनरल की भर्ती में ले रहे हैं और उसके बाद रिजर्वेशन क्लास में ले रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो जो आपने यह छठा नम्बर तय किया हुआ है जैसा कि अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इससे 21 प्रतिशत पर जाकर ओ.बी.सी. का प्रत्याशी नहीं टिकता है। इससे मात्र 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन बैठता है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अनुपालना राजस्थान पुलिस विभाग में आर.ए.सी. में भर्ती किये गये प्रत्याशियों के लिए की गयी? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? और क्या पुलिस और आर.ए.सी. में यह रोस्टर प्रणाली लागू है? अगर नहीं है तो कब करवायी जायेगी। पुलिस और आर.ए.सी. की भर्ती...

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री कालूलालजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं पाइंटेडली प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आपने रिजर्वेशन प्रणाली लागू करवायी है? अगर नहीं करवायी तो अब कब तक करवा रहे हैं और क्या अब तक लागू की?

नम्बर दो, चूंकि आप स्वयं से सम्बन्धित विभाग है, राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना विज्ञप्ति निकाले 78 प्राध्यापक भिन्न-भिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर चयनित किये गये और कुल मिलाकर 166 प्राध्यापक टेम्परेरी काम कर रहे हैं जिनमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का एक भी नहीं है। भाभड़ाजी की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी गठित की। आपकी और भाभड़ाजी की मिली हुई साजिश से आप अभी सरकारी विज्ञप्ति निकालकर के उन पदों को रेगुलराइज करना चाह रहे हैं ताकि ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के जो लोग हैं उनके हितों पर कुठाराघात हो जाय। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इन 166 अध्यापकों को हटाकर, विज्ञप्ति निकालकर नियमानुसार रिजर्वेशन देते हुए भर्ती करेंगे? धन्यवाद (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। सबको मौका दे रहा हूं ठहरो अभी।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. के यहां पर जो रिजर्वेशंस लागू हैं उनमें अभी तक इतनी कमियां हैं कि उनको लागू करना और नहीं करना बराबर हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो आयु सीमा में छूट दी है वह उत्तर प्रदेश में पांच साल की छूट दे रखी है, बिहार में

(श्री कालूलाल गूजर)

पांच साल की दे रखी है। हिमाचल में तीन से पांच की दे रखी है। राजस्थान में केवल दो साल की छूट दी और वह भी केवल आर.ए.एस. की परीक्षाओं के लिए, बाकी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा की छूट जिस तरह से देनी चाहिए वह नहीं दी गयी तो माननीय मंत्री महोदय बतायें कि कब तक इसमें छूट दे देंगे और अन्य परीक्षाओं में काम्पीटीशन एक्जामिनेशंस, आई.ए.एस., वगैरह में।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

श्री कालूलाल गूजर : नम्बर दो, यह है कि आप उच्च शिक्षा एवं टेक्निकल एजूकेशन के भी मंत्री हैं। यह बतायें कि तकनीकी शिक्षा में ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, न्यायिक सेवाओं में क्यों नहीं दिया गया? और, माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.एड. का जो काम्पीटीशन होता है, एस.टी.सी. का काम्पीटीशन होता है, इन सारे काम्पीटीशंस में गरीब आदमियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए ओ.बी.सी. का वह नहीं मिल रहा है। न्यायिक सेवा में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो डायरेक्शंस उन्होंने दे रखे हैं कि न्यायिक सेवा के अन्दर ओ.बी.सी. का जो रिजर्वेशन हुआ है उसको माना जाना चाहिए लेकिन बार-बार यही है कि हमने हाई कोर्ट को लिख रखा है, हाई कोर्ट ने इनको लिख रखा है। इस तरह कह कर सरकार बात को टाल रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सबमें ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन होना चाहिए। उसका फायदा तभी मिलेगा जब सारी बातें इसमें लागू की जायं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, हां, मैं सबको दे रहा हूं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : भारत की अन्य यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कालेजों में मंत्री महोदय, मेरे पास यह पूरा रिकार्ड है। This is a hand book of Engineering Education. भारत की कम से कम बीस यूनवर्सिटीज में उन्होंने आरक्षण दे रखा है और यहां आप पूछ ही नहीं रहे हो इस सम्बन्ध में आप सरासर अन्याय कर रहे हो। पी.एम.टी. के अन्दर एस.सी. और एस.टी. के लिए 16 और 12 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना चाहिए जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आठ और छः दे रहे हैं। आपको 600 स्टूडेंट को लेना होता है। सी.पी.एम.टी. के

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

122 काटकर उनका रिजर्वेशन एस.सी., एस.टी. का सिर्फ चार और छः है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा क्यों?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, न्यायिक सेवाओं के अन्दर उत्तर प्रदेश और बिहार में रिजर्वेशन है। राजस्थान में क्यों नहीं है? महोदय, यह सरासर अन्याय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. जो दबा हुआ वर्ग है उसका उच्च वर्ग वाले ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? महोदय, मैं आपके माध्यम से पुरजोर अपील करता हूं कि न्याय होना चाहिए और सदियों से चली आ रही इस परम्परा को दूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान) एक मिनट जवाब सुन लें बहुत देर हो गयी ...(व्यवधान) मैं आपको भी सुनूंगा और सबको दूंगा थोड़ा ठहरो तो सही। पेशेंस रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा होता अगर आरक्षण पर कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ जाता या कोई ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आया हुआ है, हाउस में लगवा लीजिये ...(व्यवधान) यह सरकार का रिप्लाई आ गया है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) इसको आप डिस्कस में लेना।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कोई बात कही है। ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की जगह रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन केस में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की बात सुन लें। एक मिनट बिराजें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा के लिए आगे ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ...पालना करायेंगे क्या आप?

श्री अध्यक्ष : पहले बात पूरी सुन लें आप। ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसीलिये चाहता था कि इस सवाल को आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। नियुक्तियों के लिये रोस्टर प्रणाली के विषय में यह प्रश्न स्पेसिफिक किया हुआ है। मैं पहले उसका जवाब दूंगा बाकी और बातों का जवाब दूंगा।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय की चर्चा की है, राजस्थान की विधान सभा ने ही उन जगह नियुक्तियों के विषय में अपना बिल पास किया है। वह कानून बन गया है। इसलिये अगर इस अनुसार वह जो भी बात बतायेंगे कि यह-यह गड़बड़ हुई है निश्चित रूप से उनकी जांच करके उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : गड़बड़ ही गड़बड़ है उसमें मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक जगह तो बताया है आपने ...(व्यवधान) एक फोर्थ क्लास ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें। नहीं तो मैं दूसरा प्रश्न बोल रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वी.सी. आपका कहना नहीं मानता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर मैं दूसरा प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हमारे बताने पर ही एक्शन लेंगे क्या? हमारे बताये बिना कोई एक्शन नहीं लेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात तो पूरी होने दें।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, ढ़ेर सारी गड़बड़ियां हैं।

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान) पूरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं नैक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। आप नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या यह सम्भव था कि इस दो प्रश्न को किये जाने पर राजस्थान भर के प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक उन इन्स्टीट्यूशंस की जानकारी मैं यहां लेकर आता, सम्भव ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां न्यायिक सेवा की भी चर्चा कीं। न्यायिक सेवा में आरक्षण संविधान के तहत न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है और इसीलिये राजस्थान सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) बात तो सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : ...(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्मनाक जवाब आज तक नहीं आया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है जवाब आपको नहीं सुनना है। श्री शिवकिशोर जी, नैक्स्ट प्रश्न।

श्री रामनारायण मीणा : इससे ज्यादा शर्मनाक ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखवा दीजिये, आधा घण्टे की चर्चा ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप ...(व्यवधान) यूनिवर्सिटी के अन्दर उन लोगों की ...(व्यवधान)

(16)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें आप। अब आप मंत्री जी को बोलने नहीं देते हैं। बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप चर्चा करा दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने फिर प्रश्न ही क्यों लगाया है? ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा एस.टी., एस.सी. का मामला है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ...(व्यवधान) आप चर्चा के लिये समय निर्धारित कर दीजिये ...(व्यवधान) इसका समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हमको कह रहे हैं हम तो बैठ जायेंगे...

श्री रामस्वरूप मीणा : एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. इनके रिजर्वेशन में जो गड़बड़ियां की जा रही हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करायी जाय...

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान) एक-एक तो बोलें हरिसिंह जी, एक एक बोलें। बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ध्यानाकर्षण रखवा दीजिये हम बैठ जाऐंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह ...(व्यवधान)... मंत्रियों की सरकार है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप कार्यवाही करें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो। श्री शिव किशोर जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक-एक प्रश्न पूछें एक-एक का जवाब मिलेगा। ...(व्यवधान)... बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आपका तो अपमान नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : नाम छपना होगा तो वैसे ही छप जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें आप बिराजें। _(व्यवधान)_ मैं जो कह रहा हूं उसको पूरा सुनें। एक-एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया _(व्यवधान)_ श्री शिव किशोर जी सनाढ्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। _(व्यवधान)_ आप मंत्री जी की बात पूरी सुनेंगे कि नहीं ? बिराजें आप।

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य धरने पर बैठे तथा सदन कूप में नारे लगाते रहे)

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनें। _(व्यवधान)_ मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं। रोज अपने को साथ रहना है। मेरी बात तो सुन लीजिये। _(व्यवधान)_ मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं उसे सुनें।

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

श्री अध्यक्ष : किसकी तानाशाही चल रही है, बैठिये आप।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को सुनें आप पहले। _(व्यवधान)_ बात सुनें, पूरी बात सुनें। कृपया बात सुनें। _(व्यवधान)_

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुन तो लें। सुनने में क्या हो रहा है।_

श्री अध्यक्ष : _(व्यवधान)_ अच्छा, मिनिस्टर जवाब नहीं देंगे तो आप दोगे क्या _(व्यवधान)_ मिस्टर रामचन्द्र जी, बात सुनें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है निश्चित रूप से _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनें। _(व्यवधान)_ एक बार जवाब आने दें। _(व्यवधान)_ एक मिनट वह जो कह रहे हैं उनको सुनें तो सही आप ही ज्यादा अपनी बात कहेंगे _(व्यवधान)_ आप सुनेंगे तब देंगे ना। क्या करें आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। _(व्यवधान)_ आपको हमेशा इतनी तो सहिष्णुता रखनी चाहिये कि पूरी बात सुनें उनकी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी बात तो सुनें आप। _(व्यवधान)_

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं। मैं लगा दूंगा। आप पहले बात सुनें फिर हल्ला करने लग गये। आप तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे आज के आज सब कुछ हो जायेगा। ..(व्यवधान)..

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनें पहले। आपको क्या हो गया। कृपया पूरी बात सुनें पहले। मंत्रीजी की बात सुनें। मैं सभी माननीय सदस्यों से एक बात कह रहा हूं। दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मंत्रीजी की बात सुनें।

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की पूरी बात सुनें। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मंत्रीजी की बात सुनें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : सरकार का पक्ष माननीय मंत्रीजी रख रहे हैं। किसी माननीय विधायक ने कोई बात कह दी है तो उसमें आपको इतना एजिटेट होने की जरूरत नहीं है। मंत्रीजी कहें उसको पूरा सुनें पहले ..(व्यवधान).. आप बैठें तो सही क्यों समय जाया कर रहे हो आप ..(व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया यह ..(व्यवधान).. जुबेरजी, कृपया शांति बनायें। मंत्रीजी को सुनें। कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई नहीं बोलेगा अब। ..(व्यवधान).. पहले पूरी बात सुन लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जिस गम्भीर और संवेदन इश्यु पर हमारा सारा सदन एजिटेट है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से जैसा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मूव किया, कुछ सदस्यों ने कहा आधे घंटे की चर्चा करा लीजिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से इस पूरे विषय पर अपनी राय यहां पर रखने के लिये कटिबद्ध है, तैयार है। किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है। मैं तो इतनी ही बात कहना चाहता था कि यह जो सवाल आया था, किसके लिये अनुमति देंगे आप। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसके लिये, अगर आधे घंटे की चर्चा मूव करेंगे इसके लिये। राज्य सरकार निश्चित रूप से सदन में इस बारे में अपने विचार रखेगी। हम ओ.बी.सी. के बारे में किसी प्रकार से वह नहीं है।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का रिप्लाई आपकी टेबल पर है कृपया उसको लगवा दो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घंटे की चर्चा करवा लें। इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। ..(व्यवधान).. एक घंटे की चर्चा करवा लें। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा से काम नहीं चलेगा। ध्यानाकर्षण हमारा है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मैं 131 में ध्यानाकर्षण लगाऊंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सोमवार को लगवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ना। वार में क्या हो गया आपको यह ..(व्यवधान)..

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण पर जिन लोगों ने नाम नहीं दिये हैं, वह भी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, सबको अलाउ करूंगा मैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको सबको बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष : सबको, पक्ष और विपक्ष जो ओ.बी.सी. में नहीं हैं। मेरे जैसे भी हैं, कोई बोलना चाहे सब बोलेंगे। माननीय शिव किशोरजी।

श्री टीकम चन्द कान्त : आपका राजनैतिक नाटक नहीं चलने देंगे हम।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया।

श्री मदन मोहन : चर्चा की बात पर तो आपसे सहमति लेकर बोलेंगे लेकिन एक मिनट सुनें। अध्यक्ष महोदय, पहले जो प्रश्न पूछे हैं और उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं और जिस तरह की भर्तियां हुई है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : वह सारी बातें ध्यान में आ गयी हैं जो आपने कही हैं। बिराजें आप। और कोई आपको एम्बिग्युटी रह गयी हो तो मुझसे चैम्बर में बाद में बात कर लेना। शिव किशोरजी।

डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

2. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेयरी फैडरेशन में विगत 5 वर्षों में अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग से किस-किस पद पर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को लगाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

20

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(2) क्या प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों में से कई व्यक्तियों ने अपने मूल विभाग से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं, तथा उन द्वारा किस विभाग से सेवानिवृत्ति ली गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन कर्मचारियों ने अपने मूल विभाग से सेवानिवृत्ति लेने की सूचना सरकार/डेयरी फैडरेशन को दी है ? यदि हां, तो यह सूचना कब दी गयी तथा प्रतिनियुक्ति पर लगने की तिथि क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्ति पर लगने के बाद सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को डेयरी फैडरेशन में वेतन एवं अन्य लाभ किस अनुपात में देय हैं ?

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) जी हां, फैडरेशन में विगत 5 वर्षों में अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने प्रश्न नम्बर 2 में जो उत्तर दिया है और इन्होंने जो सूची दी है उसमें तीन नाम डॉ. हरिलाल, डॉक्टर एम.एल. गुप्ता और डॉक्टर जे.के. पटेल। यह तीनों लोग पशुपालन विभाग से यहां पर नियुक्ति में थे। क्योंकि अगर यह स्वीकार करते हैं कि नियुक्ति में थे तो इनका तो नाम ही छोड़ दिया इन्होंने। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह पशुपालन विभाग से जब फैडरेशन में प्रतिनियुक्ति पर आये थे तो उनका लियन अपने मूल विभाग में रहा और उसकी वजह से जब यह सेवानिवृत्त हुए तो इन्होंने पेंशन, ग्रेच्युटी और जो लाभ पशुपालन विभाग से मिल सकते थे वह सारे लाभ इन्होंने प्राप्त किये और उसके बाद जो लाभ उनको इस विभाग से मिल सकते थे, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी विभाग को, डेयरी फैडरेशन को कि हम वहां से यह सब लाभ ले चुके हैं। यहां पर इनको जो लाभ दिये गये, पी.एफ. का लाभ दिया गया, इनको यहां से वेतन दिया गया, इनको यहां से ग्रेच्युटी का पैसा दिया गया तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इस तरीके का आचरण क्या उचित है? आप इसकी जांच करवायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : जैसा कि प्रश्न से साफ जाहिर है कि पिछले 5 सालों में कौन-कौन व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर आये और इसमें न तो डॉक्टर हरिलाल, जे.के. पटेल और गुप्ताजी का नाम बताया है यह पहले कभी आये होंगे। पिछले पांच सालों

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)
में तो, अध्यक्ष महोदय, जो आये इनमें कुल 22 अधिकारी थे जिनमें से 10 तो वापस मूल विभाग में चले गये। 12 आदमी आज भी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं जिनमें इनका नाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनमें से 12 व्यक्ति हैं उनमें से किसी ने भी कोई सेवा निवृत्ति नहीं ली है और ना ही विभाग ने इनको कोई पेंशन दी है। अभी माननीय सदस्य ने जो नाम लिये हैं यह पूर्व के वर्षों के हैं। जिनका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यदि यह बात मुझे पूर्व में बता दी होती तो _(व्यवधान)_ मैं भी यह चाह रहा था कि मैं वह उत्तर दूं। यह पूर्व का मामला है और माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, मैं उसको अगर पेंशन विभाग से लिया है तो उसकी जानकारी करके उत्तर दे दूंगा। इसमें सिर्फ पांच साल का ही सवाल उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

प्रश्न संख्या : 3

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

जिला मुख्यालयों पर गठित मेडिकेयर सोसायटीज

4. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों पर मेडिकेयर सोसाइटीज का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इन मेडिकेयर सोसाइटीज के सदस्य कौन-कौन हैं एवं इनका कार्यक्षेत्र क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन मेडिकेयर सोसाइटीज द्वारा स्त्रियों एवं बच्चों की आम तौर पर होने वाली जांचों जैसे टी.एल.सी., डी.एल.सी., इ.एस.आर., एच.बी., बी.टी.सी.टी., एस.जी.ओ.टी., एस.जी.पी.टी., सी.एस.एफ., एस. कोलेस्ट्रोल, एस. बीलीरूबीन की राशि भी चार्ज की जायेगी ? क्या राज्य सरकार इन साधारण एवं आवश्यक जाँचों को शुल्क से मुक्त कर प्रदेश की स्त्रियों एवं बच्चों को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन मेडिकेयर सोसाइटीज द्वारा किन-किन जांचों हेतु कितना-कितना शुल्क चार्ज किया जायेगा ? जांचवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला मुख्यालयों के अस्पतालों पर जिले के विभिन्न अस्पतालों से रैफर किये जाने वाले केसेज में शुल्क का क्या प्रावधान होगा ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां, समस्त जिला मुख्यालयों पर व ब्यावर शहर में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन किया है। मेडिकल रिलीफ सोसायटी की सदस्यता व इसके कार्यक्षेत्र के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(22)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) सामान्य तौर पर होने वाली जांच (डायग्नोस्टिक टेस्ट) जैसे टी.एल.सी., डीएलसी, टी.आर.बी.सी., ई.एस.आर., हिमोग्लोबिन, पी.बी.एफ., बी.सी.-सी.टी., सिरम, कोलेस्ट्रोल, सीरम विलिरूबिन आदि के लिये कोई शुल्क सोसाइटी द्वारा अभी नहीं लिया जा रहा है। साथ ही पेंशनर्स, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी, विधवाओं व अनाथों को सभी तरह की निदान सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(3) शुल्क निर्धारण परिस्थितियों, जांच पर होने वाले खर्च, उपकरणों की लागत तथा बिना शुल्क दिये जाने वाली सेवाओं पर होने वाले खर्च के आधार पर सोसाइटी द्वारा स्वयं ही निर्धारित किया जायेगा।

(4) इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

(दिशा-निर्देश विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रश्न का जो जवाब दिया है उसमें जयपुर स्तर पर, संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों को कहीं भी इसमें जो समितियां बनायी गयी हैं, महत्व नहीं दिया गया है। कहीं भी इनका सदस्य नहीं बनाया गया है। इसका क्या कारण है कि जन प्रतिनिधियों को क्यों नेग्लेक्ट किया गया है ? दूसरा आपके प्रश्न और उत्तर में ही कंट्राडिक्शन है। प्रश्न के भाग संख्या 2 में आप कहते हैं कि कोई शुल्क सोसाइटी द्वारा अभी नहीं लिया जा रहा है। खण्ड संख्या 3 में आप कहते हैं कि शुल्क निर्धारण परिस्थितियों, जांच पर होने वाले खर्च, उपकरण की लागत पर है। फिर आगे आप कहते हैं कि बिना शुल्क दिये जाने वाली सेवाओं पर खर्च के आधार पर सोसाइटी द्वारा स्वयं ही निर्धारित किया जायेगा। एक तरफ तो आप खण्ड 2 में कहते हैं कि कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा और खण्ड-3 में आप कहते हैं कि खर्च पर और इस तरह की सेवाओं का निर्धारण सोसाइटी द्वारा स्वयं ही किया जायेगा। यह जो निःशुल्क सेवाएं आप प्रदान करने जा रहे हैं, उसमें खण्ड-2 में आप कह रहे हैं कि शुल्क नहीं लिया जायेगा और गरीबों के लिए बिलकुल निःशुल्क है। अदरवाइज भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। खण्ड संख्या 3 में आप कहते हैं कि इस पर खर्च होने वाले उपकरणों पर उसके अनुमान_

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, खण्ड संख्या 2 में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि टी.एल.सी., डी.एल.सी., इ.एस.आर., एच.बी., बी.टी.-सी.टी. इन कई टेस्टों के और नाम लिखे हैं कि इनका शुल्क लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। जिन चीजों की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उनका शुल्क नहीं लिया जा रहा है परन्तु यह जो रिलीफ सोसाइटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बनायी गयी है, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी। उनके पीछे सरकार का मन्तव्य यह है कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और जितने भी चिकित्सालय हैं उनमें जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है वह सारे आधुनिक उपकरण भी नहीं दे सकती। इसलिए एक नई अवधारणा के तहत हमने एक आटोनोमस सोसाइटी बनायी है। राजस्थान का जो सोसाइटी एक्ट है, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इन्हें हमने रजिस्टर्ड कराया है। जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर हमने सरकार की तरफ से इनको मार्जिनल मनी भी दी है। जयपुर के मेडिकल कॉलेज को साढ़े 12 लाख, सवा 6-6 लाख बाकी के सारे मेडिकल कालेजेज को और ढाई-ढाई लाख रुपये जिला स्तर के चिकित्सालयों को दिये हैं। सोसाइटी का आटोनोमस संविधान भी बनाया है। उसमें दानदाताओं को भी लिया गया है। उसमें दूसरे लोगों को भी लिया गया है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य जब कह रहे हैं तो उसमें जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह त्रुटि रह गयी है इन आटोरिलीफ सोसाइटी में एम.एल.ए. को भी सम्मिलित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसका मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी इसके पीछे मान्यता है कि गरीब व्यक्ति को चिकित्सालय में उपकरण नहीं रहने के कारण बाहर टेस्ट कराने पड़ते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इस सोसाइटी ने काम प्रारम्भ किया है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में सोसाइटी द्वारा जो दर तय की है वह है एक हजार रुपये और बाजार दर उसकी आज की तारीख में साढ़े सात हजार और दस हजार है। इस तरह से इतने बड़े अन्तर हैं कई टेस्टों में जो गरीब को बाजार में और निजी क्लिनिक पर जाकर कराने पड़ते हैं। यह एक नई अवधारणा है। मैं समझता हूं कि इसमें तो सारे सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें जो रचनात्मक सुझाव हैं उनको सम्मिलित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि किन-किन टेस्टों के ऊपर (व्यवधान) मैंने जो मेंशन की है उन जांचों के ऊपर तो इन्होंने ऐसे ही कर दिया कि इनके ऊपर शुल्क नहीं लिया जायेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाकी फिर पूछ लें। बहुत लम्बा-चौड़ा करना है। बिराजें (व्यवधान) अब सफिशिएन्ट आ गया है। अब आप बिराजें (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसी कौनसी जांच है जिसमें कि शुल्क लिया जायेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेडिकल डिपार्टमेंट वालों से ले लें। सोसाइटी बनी है (व्यवधान)

श्रीमती कमला : नहीं, यह तो पता चलना चाहिए कि कौन-कौन सी जांचों को शुल्कित किया जायेगा। आपने विधान सभा क्षेत्रों पर या तहसील स्तर पर कोई ऐसी कमेटियां बनाई हैं क्या ? आज तक किसी भी एस.डी.ओ. ने या कलेक्टर ने किसी भी तहसील स्तर पर कोई भी निरीक्षण समितियां चलायी नहीं हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आपने तहसील या विधान सभा क्षेत्रों में अभी भी इस तरह की समितियां गठित नहीं कर रखी हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि सरकार की यह मंशा थी कि जितने भी चिकित्सालय हैं। इनके सुधार के लिये कि यह अच्छी तरह कार्य करें...

श्री रामनारायण मीणा : चन्दा इकट्ठा करो। कमेटियां तो यही काम करती हैं और क्या करती हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके लिए जन-प्रतिनिधियों का सहयोग मिले। हमने चिकित्सा सलाहकार समिति बनायी है। अभी माननीय कमला जी ने जो सवाल उठाया है निश्चित रूप से जिस तरह सलाहकार समितियों की बैठक होनी चाहिए। कई स्थानों पर नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से कि जहां बैठक नहीं होती वहां वह सम्बन्धित कलेक्टर को भी लिखें और सी.एम.एच.ओ. को भी लिखें और मुझे भी पत्र लिखें। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने, इससे पहले एक सवाल आया था उस सवाल के दौरान भी कहा था और निर्देश जारी भी किये हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चिकित्सा सलाहकार समितियों की बैठक हों। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह किया कि यह जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी बनेंगी इनका नियंत्रण किसके पास होगा। एक संविधान बना है। उसमें उनका अध्यक्ष कौन होगा, उनका सदस्य सचिव कौन होगा। उनमें सदस्यगण कौन-कौन होंगे। इन सोसाइटियों के माध्यम से जो धन आयेगा, जो पैसा आयेगा वह पैसा भी उसी मेडिकल कालेज से जुड़े हुए चिकित्सालय या दूसरे चिकित्सालयों में खर्च किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय की मेडिकल सोसायटी ने अपने धन से एक करोड़ रुपया अर्जित कर लिया। जिसको उन्होंने सी.टी. स्केन या दूसरी चीजें खरीदने के लिए आदेश भी जारी कर दिये। यह एक नई बात है। हम यह भी प्रयास करेंगे कि इन सारी सोसाइटीज का आडिट हो जाए ताकि सारी बातें समझ में आ जाएं और उसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हो। इसके लिए सरकार भी ध्यान रखेगी और सम्बन्धित लोगों को निर्देश भी जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

खजूरा एवं धानुगांव (नैनवां) में पटवार घर निर्माण

5. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवार मुख्यालय खजूरा एवं धानुगांव (तहसील नैनवां) के लिए अभी पटवार घर निर्मित नहीं है ? यदि हां, तो पटवार घर निर्माण के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पटवार घरों के निर्माण हेतु राजस्व मंडल से बजट राशि की मांग की गयी है ? यदि हां तो, कितनी मर्तबा ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना तथा अकाल राहत के अन्तर्गत उक्त पटवार भवन का कार्य प्रारम्भ करवाया गया है ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त पटवार भवन कब तक पूर्ण करवा लिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। तहसील नैनवां के धानुगांव में पटवार घर निर्माण की अकाल राहत के अन्तर्गत जिला कलक्टर, बूंदी ने स्वीकृति दिनांक 11.5.90 को दी थी। यह कार्य दिनांक 7.7.90 तक करना था किन्तु वर्षा की अधिकता एवं मार्ग अवरुद्ध हो जाने तथा स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के कारण नींव की खुदाई का कार्य ही हो सका। वर्ष 1996-97 में जिला कलक्टर द्वारा पटवार मुख्यालय धानुगांव एवं खजूरा के लिए प्रति भवन रु. 95130/- दिनांक 23.4.96 को स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा पत्र क्रमांक निल दिनांक 20.6.90, 5053 दिनांक 25.8.94 एवं 628 दिनांक 22.3.95 के द्वारा तीन मर्तबा पटवार घर के निर्माण के लिए राशि की मांग की गयी थी। (प्रतियां संलग्न हैं)

(3) जी हां। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत उक्त पटवार घरों के निर्माण कार्य प्रारम्भ हैं। जिसमें पटवार भवन धानुगांव में 3 फीट दीवारें तथा खजूरा पटवार भवन में नींव की खुदाई का कार्य हुआ है।

(4) निर्माण हेतु जिला कलक्टर द्वारा प्रति भवन रु. 95130/- अपने पत्रांक 936-54/सहा/दिनांक 23.4.96 द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं शीघ्र ही पूर्ण करवा दिये जावेंगे।

(विवरण/प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो जानकारी लेना चाहूंगा। सरकार बार-बार कहती है कि जो कार्य अकाल राहत में स्वीकृत होंगे वह पूरे कराये जायेंगे। 1990 में जो कार्य स्वीकृत हुआ, जो प्रारम्भ करवाया गया वह

(श्री रामनारायण मीणा)

छः साल तक पूरा क्यों नहीं किया गया ? छः साल तक लगातार विधान सभा के माध्यम से और आपसे मिलने के बावजूद काम नहीं हुआ। अब यह दोनों कार्य कब तक पूरे करवा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया कि पैसे दे दिये हैं काम चालू हो जायेगा।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, पैसे दे दिये, पहले भी पैसे दे दिये थे पर काम पूरा नहीं हुआ। यह नैनवां क्षेत्र के ग्रामीण के काम हैं, इनको आपका प्रशासन पूरा नहीं करना चाहता है। क्या आप पूरा करवाने के लिए कोई डेट फिक्स करेंगे ? और अब तक क्यों नहीं हुआ ? यह बता दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया पिछली बार जो 90 में शुरू हुआ था, वह पूर्ण नहीं हो पाया अब विकास राशि दे दी है और दोनों काम जल्दी पूरे हो जायेंगे। मैं आपको बताऊं कि खजूरा पटवार घर की फाउण्डेशन तक का काम अभी हुआ है लेकिन धानुगांव पटवारघर का निर्माण छत तक हो गया है और ये दोनों जल्दी ही पूरे करवाने की कोशिश करेंगे। राजस्व मण्डल से भी राशि स्वीकृत हुई है और फेमिन से भी हुई है। इसलिए हो जायेगा आप तसल्ली रखें।

श्री अध्यक्ष: विराजें। चर्चा समाप्त।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर-नीम का थाना मार्ग की मरम्मत

3. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में जयपुर से नीमकाथाना वाया चौमूं-सामोद-अजीतगढ़-कांवट- नीमकाथाना एवं वाया शाहपुरा, अजीतगढ़, कांवट, नीमकाथाना सड़क मार्ग की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से नीमकाथाना सड़क मार्ग से जाने हेतु उपलब्ध दोनों मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क मार्गों की मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे डबल लेन का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर चौमूं सामोद अजीतगढ़ कांवट नीमकाथाना एवं जयपुर शाहपुरा अजीतगढ़ कांवट नीमकाथाना सड़क मार्ग पर वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में निम्न राशि मरम्मत पर व्यय की गई :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क का नाम	व्यय	
	1994-95	1995-96
1. जयपुर चौमूं सामोद अजीतगढ़ कांवट नीमकाथाना	1535710.00	1811334.00
2. जयपुर शाहपुरा अजीतगढ़ कांवट नीमकाथाना	1299336.00	1447375.00

वर्ष 1994-95 में 6.00 कि.मी. रिन्यूवल का कार्य अजीतगढ़ नीमकाथाना सड़क पर किया गया।

(2) जी नहीं, इन दोनों मार्गों पर केवल अजीतगढ़ से नीमकाथाना सड़क पर 5 कि.मी. क्षतिग्रस्त है जिन पर माह अक्टूबर, 95 से जनवरी, 96 तक एक बार पेच मरम्मत का कार्य पूरा करवा दिया गया था अब फिर पेच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं, यातायात के घनत्व को देखते हुए वर्तमान में इसकी प्राथमिकता नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य सरकार पर ऋण देनदारियां

1. श्री रूपाराम (मकराना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1990 को राज्य सरकार पर कितना सार्वजनिक ऋण एवं कितनी अन्य देनदारियां थीं ?

(2) दिनांक 31 मार्च, 1996 को सरकार पर कितना सार्वजनिक ऋण एवं कितनी अन्य देनदारियां थीं ?

(3) वर्ष 1989-90 में सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देनदारियों पर सरकार को कितना ब्याज देना पड़ा और 1995-96 में कितना ? यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई ?

(4) इसे कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1990 को राज्य सरकार पर सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देनदारियां क्रमशः 438294.94 लाख रुपये एवं 174415.75 लाख रुपये की थी।

(2) संशोधित अनुमान 1995-96 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1996 को राज्य सरकार पर सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देनदारियां क्रमशः 901793.18 लाख रुपये एवं 523127.20 लाख रुपये की थी।

(3) राज्य सरकार को उपरोक्त देनदारियों पर निम्न प्रकार से ब्याज देना पड़ा :—

(२४)

(मुख्य (वित्त) मंत्री

वर्ष 1989-90	(रुपये लाखों में)
1. सार्वजनिक ऋण	31996.01
2. अन्य देनदारियां	11705.86
योग :	**43701.87**

वर्ष 1995-96	(संशोधित अनुमान)
1. सार्वजनिक ऋण	87803.59
2. अन्य देनदारियां	36276.19
योग :	**124079.78**

(4) वर्ष 1989-90 में देय ब्याज के मुकाबले वर्ष 1995-96 में चुकाई गई ब्याज की राशि में 183.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चूंकि वर्ष 1989-90 की 795.00 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना की तुलना में वर्ष 1995-96 की 3200.00 करोड़ की वार्षिक योजना में आशातीत वृद्धि हुई है, अतः योजना व्यय में वित्त पोषण हेतु अधिक ऋण प्राप्त करने एवं इस पर देय ब्याज की राशि में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तथापि राज्य सरकार इस विषय में जागरूक है कि कम ब्याज दर पर अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त किया जाय। इस दिशा में राज्य सरकार ने वर्ष 1989-90 में प्राप्त 6.55 करोड़ रुपये के ऋणों की तुलना में वर्ष 1995-96 में बाह्य सहायता घोषित योजनाओं के अन्तर्गत 211.08 करोड़ रुपये *के कम ब्याज दर पर ऋण* प्राप्त *किये हैं।*

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के कार्यालय में लम्बित प्रकरण में दर्ज मुकदमे

2. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलाक्टर, भीलवाड़ा के कार्यालय में 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक विविध मुकदमात रजिस्टर में कितने प्रकरण दर्ज हुए ? क्रमानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितनों का निस्तारण कब-कब किया गया एवं कितने प्रकरण लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा में जनवरी, 1992 से 31.12.92 तक कुल 96 प्रकरण दर्ज हुए। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त 96 प्रकरणों में से 90 प्रकरणों का निस्तारण विभिन्न वर्षों में किया जा चुका है। निस्तारण किये जाने की तारीख सूची में अंकित की गई है। अब केवल 6 प्रकरण ही लम्बित रहे हैं, जिनका विवरण भी सूची में अंकित किया है।

(3) शेष लम्बित प्रकरणों को भी यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

विकास कार्यों में पारदर्शिता हेतु उपाय

3. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) एवं **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से खर्चों के कागजात की फोटो प्रतियां नागरिकों द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा की अनुपालना में सरकार द्वारा केवल जारी किये गये आदेशानुसार केवल कागजातों के निरीक्षण करने और तथ्य नोट किये जाने की ही व्यवस्था की गई है, लेकिन फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने की घोषणा अमल में नहीं लाई गई ? यदि हां तो क्यों ?, इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फोटो प्रति उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता तय करने की दृष्टि से सरकार ने एक समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, और समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 5.4.95 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान यह घोषणा की थी कि विकास सम्बन्धी कोई सूचना पंचायत, पंच और सरपंच लेना चाहेंगे तो फोटो कापी की कीमत देने पर वह सूचना दे दी जायेगी। रिकार्ड का निरीक्षण कराने के बारे में जारी आदेश दिनांक 6.4.96 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रिकार्ड की फोटो प्रति देने की व्यावहारिकता का आकलन कर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा निर्माण कार्यों के बारे में सूचना किस प्रकार उपलब्ध कराई जाये। इसके बारे में जांच कर सुझाव देने के लिए दिनांक 17.6.96 को गठित की गई समिति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समिति को दो माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन देने के लिए निर्देशित किया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

पुलिस थाना बस्सी (जयपुर) में दर्ज प्रकरण

4. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1993-94 से 1995-96 में कितनी लूट, हत्या, आगजनी, चोरी, डकैती, बलात्कार एवं संगीन अपराध की घटनाएं घटित हुईं ? इनमें कितने केस दर्ज हुए, कितने व्यक्तियों

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

के खिलाफ कोर्ट में चालान एवं एफ.आर. लगाई गई एवं कितने मुलजिम एवं चोरी का माल बरामद किया गया एवं कितने मुलजिम अब तक नहीं पकड़े गये, कितना माल अब तक बरामद नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में घटनायें काफी संख्या में घटित हो रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या विचार रखती है ? क्या सरकार इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए थाना बस्सी को मय बल हथियार, वाहन से और सुसज्जित एवं सुदृढ़ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत तीन थाने क्रमशः बस्सी, चाकसू एवं शिवदासपुरा आते हैं। अप्रेल, 1993 से 31 मार्च, 1996 तक इन थानों में लूट, हत्या, आगजनी, चोरी, डकैती, बलात्कार एवं अन्य संगीन अपराधों के सम्बन्ध में घटित अभियोगों का शीर्षकवाइज निस्तारण मय न्यायालय में चालान किये गये अभियुक्तों की संख्या माल, मशरूका व माल बाजयाफ्ता सहित विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न हैं। परिशिष्ट में अंकित अदम पता प्रकरणों में अभियुक्त चिन्हित नहीं होने से गिरफ्तारी नहीं हो सकी हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र और पुलिस थानों के क्षेत्रफल अलग-अलग होने से ऐसे प्रकरणों में अन्य विधान सभा क्षेत्रों से तुलना किया जाना सम्भव नहीं है। पुलिस थाना बस्सी को पुनर्गठन योजना के तहत उप निरीक्षक के स्थान पर पुलिस निरीक्षक लगाये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। थाने में वाहन, वायरलैस, हथियार, पुलिस जाप्ता उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

कोटा जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

5. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 में कोटा जिले के विभिन्न थानों पर किस-किस किस्म के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में दर्ज किये गये मुकदमों में से कितने मुकदमों में जांच उपरान्त वाद न्यायालय में दायर किये गये तथा कितने प्रकरणों में एफ.आर. लगा दी गई ? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कोटा जिले के विभिन्न थानों पर दर्ज किये गये प्रकरणों में से तफतीश हेतु प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस थाने के कौन-कौन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

से प्रकरण कहां-कहां तफ्तीश हेतु स्थानान्तरित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) स्थानान्तरित किये गये प्रकरणों में से कितने प्रकरणों की जांच कर निपटारा किया जा चुका है और कितने प्रकरणों में अभी तक जांच की जानी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कोटा नगर/कोटा ग्रामीण के समस्त थानों में 1.4.95 से 31.3.96 तक सभी प्रकार के अभियोगों की थानों वाइज, शीर्षक वाइज निस्तारण सहित सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में निहित है।

(3) चाही गई सूचना परिशिष्ट "ख" में संलग्न हैं।

(4) सूचना परिशिष्ट "ख" में निहित हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना शास्त्री नगर (जयपुर) क्षेत्र की अचल सम्पत्ति के बेचान पर रोक

6. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा शांति भंग होने के अंदेशों से शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के बेचान व क्रय किये जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर भट्टा बस्ती स्थित थाना पुलिस द्वारा झूँठी रिपोर्ट के आधार पर इंजीनियर के.के. वार्ष्णेय को बिना अपराध थाने में ले जाकर अपमानित करने तथा उनके विरोधी व्यक्तियों को यह लिख कर देने पर कि वह अपना मकान नहीं बेच रहे हैं, के बाद थाने से रिहा करने का कोई प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। दिनांक 13.5.96 को श्री राजकुमार मिश्रा मकान नं. 3 ग-23 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, जयपुर ने अपने मकान मालिक श्री के.के. वार्ष्णेय के विरुद्ध जबरन मकान खाली कराने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें वाद जांच दिनांक 30.5.96 को के.के. वार्ष्णेय के विरुद्ध 107/116 (3) के दण्ड प्र.सं. के अन्तर्गत इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया।

(32)

(गृह मंत्री)

इसी क्रम में दिनांक 29.5.96 को विकास समिति हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर में लिखित परिवाद पेश किया कि श्री के.के. वार्ष्णेय अपना मकान नं. 3ग-23 किसी को बेचने के कारण अपने किरायेदार को परेशान करते हैं। उसी वक्त श्री के.के. वार्ष्णेय ने स्वयं थाना पर उपस्थित होकर अपने किरायेदार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देने के साथ ही समिति के सदस्यों के सामने एक लिखित पत्र भी पेश किया कि उन्होंने अपना मकान किसी को नहीं बेचा है। चूंकि किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा श्री वार्ष्णेय के साथ जबरदस्ती नहीं की गई है, अतः उक्त परिस्थिति में कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

पुलिस सेवा में कार्यरत कर्मी के आश्रित को नियुक्ति

7. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री किशनाराम पुत्र हेमाराम जाट निवासी करकेड़ी, जिला नागौर की भीलवाड़ा पुलिस सेवा में रहते अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके आश्रित के रूप में उसके पुत्र रामुराम को कोई सरकारी/पुलिस की नौकरी दी है? यदि हां तो कब, किस पद पर? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री रामुराम पुत्र स्व. श्री किशनाराम का प्रकरण नियम 1975 के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु कमाण्डेन्ट 12वीं बटालियन आर.ए.सी. उदयपुर को भिजवाया गया था। कमाण्डेन्ट द्वारा उनके पत्रांक 501-3 दिनांक 18.3.96 द्वारा श्री रामुराम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति प्रदान हेतु प्रार्थी के चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल हेतु बुलाया गया था, लेकिन प्रार्थी उक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

पुलिस सेवाओं में नियुक्ति/पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण

8. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से ऊपर पुलिस अधीक्षक एवं आई.पी.एस. के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है?

(2) यदि हां, तो राजस्थान पुलिस सेवा के निम्न पदों के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करें :

(श्री भीखा भाई)

नाम पद	कुल पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत
1. कांस्टेबल			
2. हैड कांस्टेबल			
3. सहायक उप निरीक्षक			
4. उप निरीक्षक			
5. निरीक्षक			
6. उप अधीक्षक पुलिस			
7. अपर पुलिस अधीक्षक			
(अ) वरिष्ठ वेतन श्रृंखला			
(ब) चयन वेतन श्रृंखला			
(स) सुपर टाइम स्केल			
8. भारतीय पुलिस सेवा			

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की कार्यरत संख्या निर्धारित आरक्षण सीमा से कम है? यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षित पदों की कमी को पूरा करने हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ.15 (24) डी.ओ.पी/ए.-2/75 दिनांक 26.5.1995 के अनुसार केडर-स्ट्रेन्थ के अनुसार कार्यवाही कर कोटा पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबिल के ऊपर पुलिस अधीक्षक तक के पदों पर नियुक्ति / पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु आरक्षण कोटा नहीं है।

(2) सूचना निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं. नाम पद	कुल पद	अनु.जाति के कार्यरत	अनु.जन जाति के कार्यरत
1. कांस्टेबल	47036	6120	5581
2. हैड कांस्टेबल	7679	784	659
3. सहायक उप निरीक्षक	2918	332	261
4. उप निरीक्षक	2794	140	106
5. निरीक्षक	715	57	53
6. उप अधीक्षक पुलिस	379	18	17
7. अपर पुलिस अधीक्षक			
(अ) वरिष्ठ वेतन श्रृंखला	95	11	5
(ब) चयन वेतन श्रृंखला	22	4	3
(स) सुपर टाइम स्केल	8	1	–
8. भारतीय पुलिस सेवा	146	11	8

(34)

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। निर्धारित आरक्षण सीमा के कम पदों की पूर्ति का कारण पात्र अभ्यार्थियों का उपलब्ध न होना है। जैसे-जैसे पात्र अधिकारी उपलब्ध होते रहेंगे, इन रिक्त आरक्षित पदों को नियमानुसार भर लिया जायेगा।

नायब तहसीलदार (नागौर) के विरुद्ध जांच

9. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में कार्यरत भवानी सिंह सामोता नायब तहसीलदार को राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने पर पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने अपनी जांच अन्वेषण ब्यूरो के जांचकर्ता पूर्व अधिकारी से बदलवाकर अन्य से करवाई ?

(3) उक्त प्रकरण में पकड़े जाने के पश्चात भी क्या मामले को रफा-दफा कर दिया गया ?

(4) क्या उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जानी शेष है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25.3.95 को 2000/- रु. की रिश्वत की राशि लेते हुए भवानी सिंह सामोता नायब तहसीलदार को पकड़ा गया।

(2) जी हां। श्री सिंह ने निष्पक्ष जांच वास्ते जांच अन्य अधिकारी से कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर जांच अधिकारी को बदल दिया गया था।

(3) जी नहीं। अनुसंधान से रिश्वत का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

(4) जी नहीं। नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। आरोप प्रमाणित नहीं होने पर प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन (अदम वकू) दिया गया।

ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं (जयपुर) की भूमि पर अवैध कब्जा

10. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 568 पर काश्तकारों के जाने हेतु जो आम रास्ता पुराने नक्शे में था उस पर कतिपय असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रास्ता रोककर रास्ते की भूमि पर काश्त करना चालू कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पुराने आम रास्ते की नाप कराकर उसे पुनः चालू करने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हेतु भू-प्रबन्ध विभाग को आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 568 की भूमि के काश्तकारों ने निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपनी भूमि की पत्थर गढ़ी (सीमाज्ञान) कराने हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी की मांग की थी ? यदि हां, तो कब तक और उस पर कब व क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने गये कर्मचारियों के सामने ही अतिक्रमियों ने उस पत्थरगढ़ी को उखाड़ कर फेंक दिया था और भूमि पर उसी समय पुनः अपना कब्जा कर लिया था? क्या सरकार पुलिस की मदद लेकर उक्त खसरों की वापस पत्थर गढ़ी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 568 के पुराने नक्शे से जो नया नक्शा तैयार किया गया है उसमें सम्बन्धित कर्मचारियों ने असामाजिक तत्वों से सांठगांठ करके फर्क कर दिया है ? यदि हां, तो यह अनियमितता किन-किन कर्मचारियों द्वारा कब की गई ?

(6) क्या सरकार उक्त खसरा के नये नक्शे को पुनः पुराने नक्शे के हिसाब से तैयार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, अतिक्रमियों की सूची संलग्न सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसीलदार, चौमूं द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमियों को नियमानुसार हटाया जाकर रास्ते की नाप की जाकर चालू किया जायेगा।

(3) खसरा नं. 568 व 541 की पत्थर गढ़ी कराने बाबत श्री सीताराम पुत्र भूरजी ब्राह्मण ने दिनांक 6.4.90 को भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर दिनांक 27 व 28.6.90 को भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने सीमांकन की कार्यवाही की थी।

(4) भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सीमांकन का कार्य किया है न कि पत्थर गढ़ी का। वरवक्त सीमांकन के समय अतिक्रमियों द्वारा पत्थर उखाड़ कर फेंके गये हैं, इसका कोई विवरण सीमांकन रिपोर्ट में नहीं है।

(5) जी नहीं। खसरा नं. 568 की सम्पूर्ण भूमि को नापकर पुराने नक्शे से मिलान कर नया नक्शा तैयार किया गया है।

(6) पुराने नक्शे के हिसाब से ही नये नक्शे सही रूप में तैयार किये गये हैं, अतः अब आवश्यक नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसीलदार (नैनवां) (बूंदी) द्वारा खारिज नामान्तरकरण

11. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन आपरेशन के पश्चात् दिनांक 31 मई, 1986 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में भू-आबंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आबंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 60 ग्राम कल्याणी खेड़ा, तहसीलदार नैनवां (बूंदी) द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 1990 को खारिज कर दिया गया ? यदि हां तो नकल नामान्तरकरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भू-आबंटन आदेश जिला कलक्टर या राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात् ही निरस्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो कब्जा काश्त होने के उपरान्त भी राजस्व रेकार्ड में कब्जा काश्त अंकित नहीं करके आबंटन निरस्ती बाबत नोट लगाने वाले कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या नियम विरुद्ध दिए गए आदेश की निरस्ती के लिए सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नामान्तरकरण की नकल संलग्न हैं।

(2) जी हां। यह सही है। आबंटी का आबंटित भूमि पर कब्जा दे देने के उपरान्त भी नियमानुसार काश्त नहीं की है। यह सही नहीं है कि आबंटी ने कब्जा काश्त की हो। सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर को निर्देशित किया जा रहा है।

(3) आबंटी द्वारा नियमानुसार शर्तों की पालना नहीं करने से आबंटन को विधिवत खारिज कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(नकल विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12)

(स्थगित)

तहसील पीपल्दा व इन्द्रगढ़ की भूमि का सैटलमेन्ट प्रकरण

13. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में कोटा जिले की तहसील पीपल्दा व बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में किये गये सैटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताएं रही हैं ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि एक व्यक्ति की जमीन दूसरे के खाते व एक खसरा नं. की जमीन पर दो व्यक्तियों के नाम की शिकायतें भी सामने आई हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सैटलमेन्ट के समय हुई अनियमितता को मद्देनजर रखते हुए तहसील मुख्यालय पर कैम्प लगाकर इन अनियमितताओं को दूर करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो किस प्रकार से एवं कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में सैटलमेन्ट के दौरान की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में सैटलमेन्ट के दौरान खातेदार/गैर खातेदार की भूमि को सिवायचक एवं चरागाह दर्ज करने सम्बन्धी अनियमितताएं हुई हैं।

(2) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में इस प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं। बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(3) जी हां।

(4) सैटलमेन्ट के दौरान हुई अनियमितताओं के निराकरण हेतु माह मई, 1996 के अन्तिम सप्ताह में पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान 89 प्रकरण तैयार किये गये, परन्तु सम्बन्धित काश्तकारान के कैम्प में उपस्थित नहीं होने से हस्ताक्षर नहीं हो सके, अब शीघ्र तैयार किया जाकर निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही जेरकार है। जिला कोटा की तहसील पीपल्दा में हुई अनियमितताओं की दुरुस्ती हेतु भी जिला कलक्टर, कोटा को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं।

बंजर व फालतू भूमि का भूमिहीनों में आबंटन

14. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अधिकतम सीमा से कितने-कितने एकड़ फालतू भूमि, बंजर भूमि तथा अन्य किस्म की भूमि भूमिहीनों को आबंटन हेतु उपलब्ध है तथा उसमें से कितनी-कितनी भूमि राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार को बंजर भूमि एवं अन्य भूमियों के भूमिहीनों को विवरण से सम्बन्धित सूचना तिमाही आधार पर भेजना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों की निरन्तर पालना की जा रही है और इसकी अन्तिम सूचना कब प्रेषित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 31.3.96 को विवाद रहित 5050.48 एकड़ भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 45,415.5 एकड़ भूमि राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में निहित है।

(2) जी हां। भारत सरकार को नियमित रूप से त्रैमासिक सूचना भिजवायी जाती है। माह मार्च, 93 को समाप्त हुए त्रैमास की सूचना दिनांक 24.4.96 को भिजवाई जा चुकी है।

विचाराधीन सीलिंग प्रकरणों का निस्तारण

15. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में कृषि भूमि की सीलिंग के कितने प्रकरण सरकार के पास विचाराधीन थे, उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण अब तक किया जा चुका है और कितने प्रकरण शेष हैं ? शेष प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा ?

(2) क्या सरकार सीलिंग प्रकरणों की धीमी गति को दृष्टिगत रखते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की कोई अन्य प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार की और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 (1.4.90 को) पुराने सीलिंग कानून के 105 तथा नये सीलिंग कानून के 134 = कुल 239 प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन थे, जिनमें से अब 31.3.96 तक कुल 187 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 52 प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। इन प्रकरणों में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोहण अधिनियम, 1973 की धारा 15 के तहत कार्यवाही पूर्ण होने पर निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। प्रकरणों में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 के तहत रिओपन करने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने सम्बन्धी नियमों में प्रावधान है।

शिवराम कालोनी, जगतपुरा (जयपुर) में डिस्पेन्सरी की स्वीकृति

16. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कितने-कितने राजकीय चिकित्सालय स्वीकृत किये गये तथा कितने कहां-कहां पर खोले गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिवराम कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर में भी वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में नई डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश सरकार

(श्री मदन मोहन)

द्वारा प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो स्वीकृत बजट एवं आदेश की प्रति मय स्वीकृत पदों के सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त भी अब तक उक्त डिस्पेन्सरी का कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक यह डिस्पेन्सरी आरम्भ कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जिला जयपुर में स्वीकृत राजकीय चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1995-96 एवं 96-97 में डिस्पेन्सरी खोले जाने के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये। वर्ष 1995-96 में पूर्व स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगतपुरा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगतपुरा के भवन निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार क्षेत्रफल का भूखण्ड प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। पर्याप्त भूखण्ड प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण

17. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अब जो उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्मित किए जावेंगे, में सरकार 80 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तियों का श्रम लेने का विचार रखती है ?

(2) क्या पूर्व में भी इसी प्रकार से सब/सेन्टर भवनों का निर्माण किया जा रहा था ? यदि नहीं, तो अब ऐसे निर्णय लिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी 80 प्रतिशत ग्रामीण श्रम लिये जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है कि 80 % श्रम ग्रामीण लोगों से लिया जायेगा।

(2) जी नहीं, पूर्व में भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मकराना क्षेत्र में मार्बल पांउडर से प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति

18. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रूपाराम)

क्या मकराना में टूटी हुई सड़कों के कारण मार्बल उत्पादन का अवशिष्ठ पाउडर (सफेद पाउडर) रात दिन उड़ने से आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

मार्बल उत्पादन के अवशिष्ठ से आम जनता के स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित रूप से दुष्प्रभाव होने की सूचना प्राप्त होना नहीं पाया जाता है, किन्तु इससे सांस एवं आंख सम्बन्धी रोग हो सकते हैं, जिनके डाइग्नोस होने पर उचित उपचार किया जाता है।

जिला भरतपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

19. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले के विभिन्न अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्रों में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के 31-5-1996 को कितने पद कहां-कहां किस-किस स्तर के रिक्त थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भर देगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न स्तर के दिनांक 31.5.96 को रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) प्रशिक्षित एवं पात्र अभ्यार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण

20. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर एवं बीकानेर में एम.बी.बी.एस. में प्रवेश के लिए क्रमशः 100, 100, 100, 150 व 110 सीटें निर्धारित की गयी हैं?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए केवल क्रमशः 8 व 6 प्रतिशत आरक्षण है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षण 17 व 12 प्रतिशत है ?

(श्री फतेह सिंह)

(4) प्रदेश की अन्य सामान्य व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण का प्रतिशत क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि देश के अन्य मेडिकल कालेजों में प्रवेश का प्रतिशत आबादी के अनुसार है ?

(6) क्या सरकार मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. हेतु प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत 17 व 12 करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा में क्रमशः एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु 150, 100, 100, 100, 100 एवं 50 सीटें निर्धारित हैं।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु क्रमशः 8 एवं 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक सुविधा इन वर्गों को प्रदान की गई है ताकि ये वर्ग भी सामाजिक/शैक्षणिक रूप से प्रगति कर सकें।

(3) जी नहीं। राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(4) तकनीकी शिक्षा के लिये शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः 15 एवं 7.5 एवं सामान्य शिक्षा में 16 एवं 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(5) इस सम्बन्ध में पड़ौसी राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(6) जी नहीं। राजकीय सेवाओं के आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में स्थान काफी अधिक होते हैं जबकि राजकीय सेवाओं के पद काफी कम।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर

21. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय में उपचारार्थ आने वाले/भर्ती होने वाले रोगियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो किस रूप में और क्यों ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय, अजमेर में आउटडोर में आने वाले रोगियों से रु. 2.00 प्रति रोगी तथा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों से रु. 5.00 प्रति रोगी राशि सेवा-अनुदान के रूप में दिनांक 20.5.96 से वसूल की जा रही है। यह राशि रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से व्यय की जाएगी।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को आधुनिकतम परीक्षण एवं उपचार सुविधाएं बगैर व्यवधान के उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक सम्भागीय एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों के लिये मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटीज का गठन किये जाने के दिशा-निर्देश दिनांक 26.9.95 को प्रसारित किये गये हैं जिनके अनुसार ये समितियां रोगियों से सेवाओं पर शुल्क वसूल कर सकती हैं किन्तु निर्धन रोगियों से विभिन्न परीक्षणों हेतु शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है व इन्हें निःशुल्क परीक्षण/जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

पंचायत समिति लूनी के ग्राम भाण्डु के पास स्टेट हाइवे पर पुल निर्माण

22. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लूनी के ग्राम भाण्डु और लूणावास के पास स्टेट हाइवे पर पुल बनाये गये हैं? यदि हां, तो इन दोनों पुलों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि इन पुलों का निर्माण इसलिए किया गया है कि वर्षा ऋतु में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो कितने दिन ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी स्टेट हाइवे पर बालोतरा के समीप मारवाड़ की सबसे बड़ी नदी लूनी एक वर्ष में दो से चार माह बहती है जिससे सैकड़ों महत्त्वपूर्ण ग्राम अलग थलग पड़ जाते हैं? यदि हां, तो सरकार इस नदी पर 13 वर्षों से चल रहे पुल का कार्य कब तक पूरा करवा देगी ?

(4) क्या यह सही है कि लूनी नदी पर पुल भाण्डु और लूणावास के पुल से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक पूर्ण निर्मित करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इन दोनों पुलों की कुल स्वीकृति रु. 173.00 लाख की है जिसमें से अब तक रु. 83.37 लाख व्यय किये गये तथा कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। सामान्यतः वर्षा ऋतु में चार से पांच बार यह रास्ता अवरुद्ध होता है और रास्ता बन्द होने की अवधि तीन से चार दिन है। पुल बनने के बाद यह रास्ता यहां पर अवरुद्ध नहीं होगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) यह सही है कि स्टेट हाइवे नं. 28 पर बालोतरा के समीप मारवाड़ की सबसे बड़ी लूनी नदी है। वर्षा ऋतु में पानी आ जाने के कारण कुछ गांव लूनी नदी के दोनों ओर विभाजित हो जाते हैं। यहां पर पुल की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा डिजाइन पर विचार किया जाकर निर्माण योजना बनाई जा रही है।

(4) जैसा भाग 3 में कहा गया है। लूनी नदी पर पुल की निर्माण योजना बनाई जा रही है।

जोधपुर जिले में अकाल राहत कार्यों में सड़क निर्माण

23. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां अकाल राहत कार्यों में दी गयीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों पर कितने-कितने मजदूर लगे, तथा कितनी-कितनी गिट्टी, ग्रेवल एवं मिट्टी का कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के मैटीरियल परिवहन के टेण्डर हो गये ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत अबाऊ/बिलो गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में कुल 82 सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां अकाल राहत कार्यों में की गई हैं।

जिला खण्ड प्रथम, जोधपुर	28 कार्य
जिला खण्ड द्वितीय, जोधपुर	30 कार्य
जिला खण्ड, फलौदी	24 कार्य
	82 कार्य

खण्ड वाइज सूची परिशिष्ट 1, 2, 3 पर संलग्न है।

(2) कार्यों पर मजदूरों की संख्या तथा सड़कों पर किया गया कार्य जैसे गिट्टी, ग्रेवल, मिट्टी का कार्य की सूचना परिशिष्ट 1, 2, 3 में दर्शायी गई है।

(3) कुल स्वीकृत 82 सड़क कार्यों में से 70 की सड़कों के मैटीरियल परिवहन के टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं। टेण्डरों पर प्राप्त प्रीमियम अबाउ/बिलो की सूचना कार्यवार परिशिष्ट 1, 2, 3 पर दी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा संभाग की सड़कों का निर्माण

24. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(५५)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(1) कोटा सम्भाग में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें डामर के अभाव में अधूरी एवं निर्माण कराये जाने की प्रतीक्षा में हैं ?

(2) डामर की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में डामर घोटाले का कोई प्रकरण ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में जिन सड़कों पर गिट्टी कुटाई हो गई है एवं डामर के अभाव के कारण उन पर डामरीकरण नहीं हुआ उनकी लम्बाई 436.35 कि.मी. है, विवरण निम्न प्रकार है:—

(2) डामर की अनुपलब्धता का कारण रिफाइनरी द्वारा डामर नहीं देना है जो कि सम्भवतया डामर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होना प्रतीत होता है।

(3) जी हां। कोटा जिले में डामर घोटाले का प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नगर खण्ड, जिला खण्ड एवं राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड के अन्तर्गत ध्यान में आया। जिनकी विभाग द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने नगर खण्ड कोटा के दो कर्मचारियों को दिनांक 23.1.95 को न्यायिक हिरासत में लिया जिसके कारण उक्त कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया। इस प्रकरण का विभाग के मुख्य अभियन्ता (पथ-I) के द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

	विवरण लम्बाई कि.मी. में		
क्र.सं. नाम जिला	नवनिर्मित	नवीनीकरण	योग
1. कोटा जिले में	12.00	40.75	52.75
2. बूंदी जिले में	29.00	36.00	65.00
3. झालावाड़ जिले में	66.00	72.00	138.00
4. बारां जिले में	6.50	29.00	35.50
5. सवाईमाधोपुर जिले में	84.10	61.00	145.10
योग :	**197.60**	**238.75**	**436.35**

कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतन निर्धारण

25. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक मु.अ/अनु/11/70/93 द्वारा कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतन निर्धारित किया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखे ?

(2) क्या इस आदेश में कोई अनियमितता पाई गई ? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) मुख्य अभियन्ता के आदेश क्रमांक मुअ/अनु- II/70/93 दिनांक 28.6.93 द्वारा 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। आदेश की प्रति संलग्न हैं।

(2) मूल आदेश में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कनिष्ठ अनुदेशकों को उच्च योग्यता अर्जित किये जाने पर विशेष लाभ

26. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में पदस्थापित कनिष्ठ अनुदेशकों द्वारा डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उच्च योग्यता अर्जित करने पर विभाग द्वारा कर्मचारियों के विभागीय अभिलेख में इन्द्राज करने तथा दो अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसका लाभ अभी तक किस-किस कर्मचारी को कब-कब दिया गया? नाम एवं स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना संख्या एफ. 18 (10) एफ.डी/जी. आर.-2/87 दिनांक 2-9-1989 के कॉलम संख्या 12 सी जो कि लेखा विज्ञ सितम्बर, 1989 के पृष्ठ संख्या 427 व 429 पर वर्णित है के अनुसार विशेष अरर्हता प्राप्त कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या कनिष्ठ अनुदेशक, डीजल, आई. टी. आई., सलूम्बर जिला उदयपुर को इसका लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर के आदेश क्रमांक 2/नि.प/प्र.-2/91-92/25577 दिनांक 14-11-1991 द्वारा दो कनिष्ठ अनुदेशकों को डिप्लोमा प्राप्त करने की तिथि से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दे दी गई ? यदि हां, तो कनिष्ठ अनुदेशक डीजल, आई. टी. आई.

(श्री रघुवीर सिंह)

सलूम्बर (उदयपुर) को उक्त लाभ अभी तक भी नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अनुदेशक, डीजल, आई. टी. आई. सलूम्बर द्वारा उक्त लाभ प्राप्त करने तथा अपनी सेवा पुस्तिका में इसका इन्द्राज करने हेतु विभाग में कई बार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो कब-कब तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रतियां एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें लिप्त दोषियों को दण्डित करने तथा श्री प्रकाश चन्द जैन, कनिष्ठ अनुदेशक, आई. टी. आई. डीजल, सलूम्बर जिला उदयपुर को समस्त लाभ देने, एरियर का भुगतान करने तथा सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पुर्नरीक्षित वेतनमान 1989 के तहत कनिष्ठ-अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के समय डिप्लोमा योग्यताधारी को 1400-2600 के वेतनमान में रुपये 1480 का उच्चतर प्रारम्भिक वेतनमान देय है। नियमानुसार अनुमति के पश्चात् अर्जित उच्चतर योग्यता का इन्द्राज सेवा अभिलेख में किया जाता है।

(2) वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 18 (10) एफ. डी/जी. आर.-2/87 दिनांक 2.9.89 पुर्नरीक्षित वेतनमान 1987 के क्रम में प्रसारित की गई थी। इस अधिसूचना में प्रारम्भिक उच्च वेतन देने के प्रावधान वर्णित हैं। कॉलम संख्या-12 (सी) के अन्तर्गत रुपये 1250/- से कम वेतन प्राप्त करने वाले जो कि सेवा के दौरान योग्यता अर्जित करते हैं उनको भी रुपये 1250/- देने का प्रावधान सम्मिलित हैं। ऐसा प्रावधान पुर्नरीक्षित वेतनमान 1989 के वेतनमानों में नहीं है। श्री प्रकाश चन्द्र जैन, कनिष्ठ-अनुदेशक (डीजल) की नियुक्ति वर्ष 1993 (4.3.93) की है। अतः इनको पुर्नरीक्षित वेतनमान, 1989 के अन्तर्गत प्रारम्भिक वेतन 1400/- रुपये ही देय था।

(3) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा पुर्नरीक्षित वेतनमान 1989 के नियमों के तहत प्रदत्त उच्चतर वेतन वृद्धियों का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, हां। श्री जैन के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो गये थे। प्रारम्भिक प्रतिवेदन पर कार्यवाही कर उन्हें वर्ष 1993 में सूचित कर दिया गया था।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

विभाग द्वारा वर्ष 96 में अधीक्षक औ.प्र.सं. सलूम्बर के माध्यम से उन्हें पुनः यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा इस प्रकरण पर पुनः परीक्षण किया जा रहा है। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जहां तक श्री जैन की सेवा पुस्तिका में डिप्लोमा के अंकन का प्रश्न है इस क्रम में आदेश दिनांक 19-6-96 को प्रसारित कर दिये गये हैं।

(5) कार्यवाही पक्षपातपूर्ण नहीं की गई है। परीक्षण के पश्चात् जिनको नियमानुसार उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देय नहीं पाया जायेगा उनसे वसूली की जायेगी तथा जिन्हें नियमानुसार देय है उनको स्वीकृति दी जायेगी। श्री जैन की सेवा पुस्तिका में डिप्लोमा का इन्द्राज करने के आदेश दिनांक 19-6-96 को प्रसारित कर दिये गये हैं।

पोलियो से ग्रसित विकलांगता

27. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकलांगता की परिभाषा में पोलियो शब्द को ही सम्मिलित किया गया है, जबकि पोलियो से अधिक घातक अन्य बीमारियां भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक विकलांगता का कारण बनती हैं ?

(2) क्या सेरेब्रेल पोलरी, बर्न लिम्ब कोन्ट्रकर, कूब निकलना, कन्जेनाइटल एक्सेस ऑफ लिम्ब इत्यादि भी विकलांगता की श्रेणी में हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें विशेषज्ञों की राय लेकर विकलांगता की परिभाषा में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कारणों से हुए विकलांगों को सरकार विकलांगों को दी जाने वाली सुविधा प्रदान नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पोलियो के अलावा अन्य बीमारियां भी विकलांगता का कारण बनती है।

(2) जी हां। यह बीमारियां/ अक्षमताएं भी विकलांगता की श्रेणी में आती हैं, परन्तु उनकी विकलांगता का प्रतिशत राज्य सरकार के नियमानुसार 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये तभी उनको राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतें/ सुविधाएं देय हैं।

(3) जी, हां। प्रत्येक विशेषज्ञ द्वारा पोलियो के अतिरिक्त अन्य विकलांगता का परीक्षण करते समय, विकलांगता की श्रेणी में आने वाली अन्य बीमारियां/ अक्षमताओं का भी ध्यान रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणी घोषित की गई है।

(५८)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

(4) नहीं यह सही नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा उक्त प्रकार की विकलांगता का प्रमाणीकरण करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विकलांगता की श्रेणी आने वाले विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाएं/रियायतें नियमानुसार प्रदान कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय

28. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने एवं पशुओं की आम बीमारियों के इलाज का प्रबन्ध करने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति पाली एवं पंचायत समिति रोहट के किन-किन गांवों में पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में 7500 पशु इकाई पर तथा 10 किलोमीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलते समय जनसंख्या, पशु संख्या, पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी, आवश्यक सुविधा जैसे भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधन का भी ध्यान रखा जाता है।

(2) पशु चिकित्सा संस्था में लाये जाने वाले प्रत्येक पशु का, प्रत्येक बीमारी का इलाज किया जाता है। यदि कोई पशु ऐसे दुर्लभ रोग से ग्रसित हो जिसका इलाज स्थानीय चिकित्सालय में होना सम्भव नहीं हो, ऐसे पशु को जिला स्तर पर पालि-क्लिनिक पर ले जाने की सलाह दी जाती है।

(3) पंचायत समिति, पाली एवं रोहट में निम्नलिखित स्थानों पर पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं : —

पंचायत समिति, पाली	**पंचायत समिति, रोहट**
(1) बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय, पाली	(1) पशु चिकित्सालय, रोहट
(2) पशु चिकित्सालय, गुन्दोज	(2) पशु चिकित्सालय, वायद
(3) पशु चिकित्सालय, रूपवास	
(4) पशु चिकित्सालय, गुडाएन्दल	
(5) पशु चिकित्सालय, मान्डावास	

वर्तमान में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति लाडनूं व डीडवाना (नागौर) के विकास कार्य

29. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पंचायत समिति लाडनूं व डीडवाना जिला नागौर में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कौन-कौनसी योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष और चालू वर्ष में उपरोक्त पंचायतों में से किस-किस पंचायत के लिये कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पंचायतों के लिये कार्य स्वीकृत करने के आधार क्या हैं ? तथा उपरोक्त स्वीकृतियों के लिये क्या-क्या आधार अपनाये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कार्यों में आश्वासित रोजगार योजना के कार्य भी स्वीकृत किये गये और सम्पूर्ण भी कराये गये ? यदि हां, तो उन पर लगे श्रमिकों का भुगतान कितने दिन बाद किया जाना था और कितने दिन बाद किया गया ? पंचायतवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले की पंचायत समिति लाडनूं में 32 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। पंचायत समिति डीडवाना में 57 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इन ग्राम पंचायतों में योजनावार चल रहे विकास कार्यों और उनकी राशि की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न हैं।

(2) गत वर्ष और चालू वर्ष में उपरोक्त पंचायतों के लिए जो कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा स्वीकृत किए गये उनकी सूची ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट–"द" पर संलग्न हैं।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्यक्रमों के निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर पंचायतों के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। उपरोक्त स्वीकृतियां भी इसी आधार पर जारी हुई है।

(4) हां। उक्त कार्यों में आश्वासित रोजगार योजना के कार्य भी स्वीकृत एवं पूर्ण कराए गये हैं। इन पर लगे श्रमिकों का भुगतान प्रति सप्ताह किये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यों का पंचायतवार व कार्यवार भुगतान का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली में सांसद कोटे से विकास कार्य

30. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में सांसद कोटे से 1 दिसम्बर, 1994 से 31 मार्च, 1996 तक स्वीकृत विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सांसद कोटे से स्वीकृत इन विकास कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन कार्यों को पूर्ण करवाने में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) ऐसे शेष बचे कार्यों की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें और इन्हें अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले में सांसद कोटे से 1.12.94 से 31.3.96 की अवधि में रु. 202.932 लाख लागत राशि के 243 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनकी सूची परिशिष्ट–"अ" व "ब" पर संलग्न हैं।

(2) स्वीकृत कार्यों में से 135 कार्य पूर्ण हो गये हैं। सूची परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है। इन कार्यों को पूर्ण करवाने पर राशि रु. 92.512 लाख व्यय हुई है।

(3) शेष 108 कार्यों में से 87 कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। 21 कार्य स्वीकृति पश्चात् भारत सरकार के निर्देशों दिनांक 22.5.96 के अनुसार प्रारम्भ नहीं किये गये। इन कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अब भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति इटावा (कोटा) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य

31. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ?

(2) विभिन्न योजनाओं में कुल स्वीकृत कार्यों में से 31 मई, 1996 तक कितने कार्य पूर्ण करवा दिये गये, कितने कार्य अधूरे चल रहे हैं एवं कितने कार्यों के निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाये हैं ?

(3) स्वीकृत कुल कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं कितने कार्य ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है ? पूर्ण कार्यों की

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कुल राशि व अपूर्ण कार्यों में अब तक लगी राशि का विवरण योजनावार व वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा में गत दो वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत 746 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। योजनावार स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) 746 निर्माण कार्यों में से 391 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 265 कार्य प्रगति पर हैं एवं 90 कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्यों, अपूर्ण कार्यों एवं जिनका निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है तथा पूर्ण कार्यों, अपूर्ण कार्यों पर अब तक लगी राशि का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

त्रिलोकपुरा (सीकर) के कुओं हेतु स्वीकृत राशि

32. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम त्रिलोकपुरा ग्राम पंचायत सीहोड़ी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर में पेयजल हेतु कुआ गहरा कराने बाबत राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

(2) क्या उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त कार्य किसके द्वारा करवाया जाना था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया और वह राशि व्ययगत हो गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम त्रिलोकपुरा ग्राम पंचायत सिरोड़ी पंचायत समिति श्री माधोपुर में पेयजल कूप गहरा कराने हेतु राशि रु. 10,000 ग्रीष्म कंटींजेन्सी प्लान के प्रस्ताव अनुसार 1.4.94 को स्वीकृत किये गये थे।

(2) जी, नहीं। अधिशासी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीम का थाना द्वारा यह कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत की गई राशि पंचायत समिति श्री माधोपुर को 31.5.94 को उक्त कार्य कराने हेतु भिजवाई गई। परन्तु पंचायत समिति द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया तथा दिनांक 26.12.94 को यह राशि वापस अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना को लौटा दी गई।

(52)

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(3) यह कार्य अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीम का थाना द्वारा कराया जाना था।

(4) जी, हां। यह सही है कि उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि यह राशि अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीम का थाना में डिपोजिट लेखा में होने के कारण व्यपगत (लैप्स) नहीं हुई है।

इस मामले में जिला कलक्टर, सीकर से विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

लाडनूं (नागौर) में सांस्कृतिक भवन का निर्माण

33. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर के वार्ड नं. 23 में जिला विकास अभिकरण नागौर ने एक सांस्कृतिक भवन बनाने की स्वीकृति दी थी? यदि हां, तो कब तथा इसकी मूल योजना क्या थी ? इसके तखमीना व नक्शे की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस भूमि पर यह भवन बन रहा है क्या वह भूमि सार्वजनिक है और यह भवन भी सार्वजनिक है ? यदि हां, तो कैसे, जबकि स्वीकृति करते समय इस बात की कोई जांच नहीं की गई कि यह भूमि किसकी है और न स्वीकृति आदेश में कोई स्थान बताया गया ?

(3) जिस भूमि पर भवन बन रहा है इसका चयन किसने किस आधार पर किया ?

(4) क्या इसका निर्माण ग्राम पंचायत आसोटा द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों, जबकि यह कार्य नगरपालिका के क्षेत्र में है और पंचायत का कार्य क्षेत्र ही नहीं है।

(5) क्या यह भी सही है कि यह भवन सांसद कोटे से बन रहा है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि इस योजना के कार्य सरकारी एजेन्सियों से ही सम्पन्न कराए जाएं ? यदि हां, तो पंचायत से यह कार्य किस प्रकार कराया जा रहा है?

(6) क्या यह भी सही है कि इसके निर्माण के लिये प्रथम पंचायत समिति को, फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग को और बाद में ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) इस भवन के बन जाने के बाद इसकी सार-संभाल कौन करेगा तथा इसका मालिकाना हक किसका होगा तथा इसका उपयोग किस प्रकार से कौन-कौन करेगा ?

(8) क्या यह सही है कि इसके निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है तथा नींव में मुरड से चुनाई की गई तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, कस्बा लाडनूं जिला नागौर के वार्ड नं. 23 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सांस्कृतिक भवन निर्माण की स्वीकृति जिग्रावि. अभिकरण नागौर के आदेश क्रमांक 17859 दिनांक 2.11.95 के द्वारा दी गई थी। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.81 लाख रुपये थी जो सांसद चूरु की अभिशंषा पर उनके पत्र दिनांक 30.9.95 के सन्दर्भ में स्वीकृत की गई थी। इस कार्य का तखमीना एवं नक्शे की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, भूमि सार्वजनिक न होकर खटीक समाज की है। खटीक समाज ने 1.3.96 को आयोजित अपनी सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि खटीक बस्ती वार्ड नं. 23 लाडनूं में समाज की भूमि पर सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जाय। स्वीकृति आदेश में स्थान दर्शाया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत समाज विशेष की भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृति के उत्तरदायित्व की जांच कराई जा रही है।

(3) सांसद चूरू के पत्र दिनांक 30.9.95 में यह अभिशंसा की गई थी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सांस्कृतिक भवन का निर्माण वार्ड नं. 23 मोहल्ला खटीकान लाडनूं में करवाया जाय। तत्पश्चात् खटीक समाज द्वारा अपनी भूमि पर भवन निर्माण हेतु सहमति देने के पश्चात् भवन निर्माण शुरू किया गया। भूमि का चयन किसने व किस आधार पर किया इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जांच करायी जा रही है।

(4) जी हां, जिला कलक्टर नागौर ने सूचित किया है कि उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए सांस्कृतिक भवन का निर्माण ग्राम पंचायत आसोटा के द्वारा कराने की स्वीकृति दी थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर स्वयं ही कार्यकारी एजेन्सी चुनने हेतु सक्षम है।

(5) जी हां, यह भवन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी योजना के प्रारम्भिक दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य राजकीय एजेन्सियों के माध्यम से ही करवाया जाना था। बाद में इसी क्रम में भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.11.95 के द्वारा स्पष्ट किया है कि इस योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत के माध्यम से भी करवाया जा सकता है (प्रति संलग्न है)।

(6) सर्वप्रथम इस कार्य को सम्पादित कराने के लिए जिग्रावि. अभिकरण के आदेश क्रमांक 17859 दिनांक 2.11.95 द्वारा पं.समिति लाडनूं को कार्यकारी संस्था बनाया गया था। दिनांक 3.1.96 को जाजम शिविर लाडनूं में लिए गए निर्णयानुसार इस कार्य को कार्यकारी एजेन्सी

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना को नियुक्त किया गया तथा इस आशय का आदेश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर के क्रमांक सांसद/95/2778 दिनांक 7.2.96 द्वारा जारी किया गया था। तत्पश्चात् सांसद महोदय की अभिशंसा पर अभिकरण के आदेश क्रमांक 4171 दिनांक 27.2.96 द्वारा कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत आसोटा, पं.समिति लाडनूं के लिए संशोधित स्वीकृति जारी की गई।

(7) जिस भूमि पर भवन बन रहा है यदि उसका मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा तो उसका उपयोग सार्वजनिक व सभी के लिए होगा तथा इसकी देखभाल नगर पालिका जिसके क्षेत्र में यह स्थित है, उसको करनी होगी।

(8) जी नहीं। कनिष्ठ अभियन्ता पं. समिति लाडनूं द्वारा इस कार्य के निरीक्षण पश्चात् दी गई रिपोर्ट दिनांक 21.6.96 के अनुसार यह कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करवाया जा रहा है तथा इसकी गुणवत्ता एवं उपयोग की गई सामग्री संतोषजनक पाई गयी है। पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा इस कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाई जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा पार्ट टाइम ट्यूशन प्रकरण

34. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों की हाजरी नहीं करवायी जाती जिससे अधिकांश अध्यापक एवं छात्र अनुपस्थित रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक निजी संस्थाओं में पार्ट टाइम पढ़ाने जाते हैं या स्वयं ने ट्यूशन इन्स्टीट्यूट खोल रखे हैं? यदि हां, तो किन-किन द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विश्वविद्यालय के अध्यापकों का प्राइवेट संस्थाओं में पार्ट टाइम पढ़ाना अथवा स्वयं ट्यूशन पढ़ाना नियम विरुद्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अलग से उपस्थिति अंकित करने की प्रथा प्रचलित नहीं है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा निजी संस्था में पार्ट टाइम पढ़ाने या स्वयं के ट्यूशन इन्स्टीट्यूट

(उच्च शिक्षा मंत्री)

खोलने के सम्बन्ध में न तो कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है न ही विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई सूचना है।

(3) विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन सम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय की हैण्डबुक के पृष्ठ सं. 1006 पार्ट-2, वाल्यूम-3 पर अंकित है। शिकायत की पुष्टि पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति के विरुद्ध छात्रों में असंतोष

35. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष परीक्षाओं की अनियमितताओं तथा दूसरी गड़बड़ियों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति के विरुद्ध छात्रों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त हैं? यदि हां, तो सरकार तथा विश्वविद्यालय की सीनेट एवं सिन्डीकेट ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) वर्तमान में उप कुलपति इस विश्वविद्यालय में इस पद पर कब से कार्यरत हैं तथा उनके विरुद्ध असंतोष छात्रों एवं प्राध्यापकों में किन कारणों से है तथा क्या उन कारणों की कोई जांच प्रस्तावित हुई ? यदि हां, तो उसके नतीजे क्या रहे ?

(3) क्या यह सही है कि उप कुलपति ने विश्वविद्यालय में छात्रों एवं अध्यापकों के दलबन्दी पैदा करने को भारी प्रोत्साहन दिये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच के उन्हें दिशा-निर्देश सरकार या कुलपति की तरफ से दिए गये ?

(4) विश्वविद्यालयों को स्वयंसेवी खुद मुख्तार घोषित कर अथवा कानून उन्हें कोई परामर्श नहीं देने की नीति सरकार ने बना रखी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय परीक्षा का कलेन्डर इन वर्षों में 1990 के बाद पूरी तरह से अनियमित एवं असंतोष का कारण हो गया है ? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) समय-समय पर इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार एवं कुलाधिपति महोदय को प्राप्त होती है तथा विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे सभी मामले, प्रावधानों के अधीन गठित समितियों को सौंप दिया जाना बताया गया है। उनकी रिपोर्ट सीनेट और सिण्डीकेट के सामने प्रस्तुत करके उनके निर्णयों पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) वर्तमान कुलपति 25 जुलाई, 1994 से कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध छात्रों और प्राध्यापकों के कुछ वर्गों ने असंतोष व्यक्त करते हुए शिकायतें की हैं जिनका निस्तारण विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कुलपति ने छात्रों एवं प्राध्यापकों के बीच किसी दलबंदी को प्रोत्साहित किया हो। छात्रों अथवा प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय में जिन अनियमितताओं की शिकायतें की हैं, उनको विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निस्तारण के लिए निवेदन किया गया है।

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय के समस्त विषयों में जांच या दिशा-निर्देश देने का अधिकार कुलाधिपति महोदय को है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कुलपतियों, उच्च शिक्षा मंत्री एवं सम्बन्धित अधिकारियों की समिति बनी हुई है जिसकी बैठकें समय-समय पर विश्वविद्यालय के शिक्षा सुधार हेतु की जाती हैं।

(5) जी नहीं। 1993 से लगातार इस कलेण्डर को निर्धारित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मिलकर शैक्षणिक समय-सारिणी बनाते रहे हैं। तथापि कतिपय कारणों से इसमें यदि बाधा आ जाती है तो उसकी पूरी पालना नहीं हो पाती। राजस्थान विश्वविद्यालय के गत पांच वर्षों में प्रमुख स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारम्भ करने की तिथि और अंतिम परीक्षा के होने की तिथि का विवरण परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में गत दिनों आयी बाढ़ से जन-धन की अपार क्षति होने पर प्रशासन द्वारा सरकार के तुरन्त राहत देने सम्बन्धी आदेशों की अभी तक क्रियान्विति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की पंचायतों में कार्यरत सहायक सचिवों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमराज भाटी एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से नोहर स्थित जोगीआसन डेरा के महंत श्री पंचमनाथ एवं उनके दो साथियों पर हनुमानगढ़-नोहर मार्ग

(श्री अध्यक्ष)

पर जीप से टक्कर मारकर किये गये हमले की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को प्रदान की जाने वाली पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 9 विद्यालयों को नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से नैनवां क्षेत्र में अवैध ढंग से विस्फोटक सामग्री रखने वाले ट्रैक्टर कम्प्रेशर वालों को पुलिस द्वारा कथित प्रश्रय दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा तो नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं, मैंने कहा समाप्त।

श्री अमराराम चौधरी : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, यह कहा है मैंने। बिराजें आप। Please, don't ask like this.

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की काशीपुरी आवासीय कालोनी की समस्त राशियां जमा हो जाने के उपरान्त भी कथित गलत ढंग से होटल के लिए लैण्ड यूज बदलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगतारसिंह कंग, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री करणपुर निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई की समस्या बहुत ही गम्भीर होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को बन्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर के गांव निठाउया गायड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर परकोटा निर्माण को असामाजिक तत्वों द्वारा रुकवा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां में निर्माण कार्य अधूरे पड़े होने के बावजूद भी उनका भुगतान कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले कुछ वर्षों में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में दो मीटर से ऊंचे एनीकट बनाने पर रोक लगे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर पानी भरा रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर आगार द्वारा जयपुर से मेई चलायी जा रही बस को करड़ तक बढ़ा देने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के नगर परिषद् क्षेत्राधिकार की अधिकांश सड़कें व नालियां टूटी हुई होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवकिशोर सनाढ्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की कथित उपेक्षा बरतने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर पंचायत समिति के सरपंचों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं करने तथा भुगतान में कथित भेदभाव बरतने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति श्री रामनारायण डूडी, सदस्य को दिनांक 11 जुलाई, 1996 से सत्रांत तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामनारायण डूडी, सदस्य, विधान सभा ने अपनी माताजी के निधन हो जाने के कारण 11 जुलाई, 1996 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान में जातिगत आधार पर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं, दुर्भावनावश किये जा रहे हैं और दबाकर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। एक तरफ नीति बनती है पंचायत राज मंत्रीजी और...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : कहते हैं कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पंचायत राज्य मंत्रीजी आपके आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री नाथूराम अहारी।

श्री रामनारायण मीणा : दो साल के पहले ही ट्रांसफर किये जा रहे हैं, छह-छह महीने के पहले ही ट्रांसफर किये जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब क्यों आप, Why are you stalling things now ?

श्री रामनारायण मीणा : इतना ज्यादा माहौल खड़ा कर दिया है...

श्री अध्यक्ष : हो गया, अब बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : इतना ज्यादा कर्मचारियों को टेरेराइज किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : कृपया बिजनेस बहुत है, मुझे जल्दी से आगे का बिजनेस लेना है।

श्री रामनारायण मीणा : इतना ज्यादा टेरेराइज किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गयी बात।

श्री रामनारायण मीणा : कि आप बीजेपी. के सदस्य बनो, आप यह करो। इस तरह से आपके अधिकारी...

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी आप जांच करायें। आप नैनवां पंचायत समिति में जिन...

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। बिराज जाइये। अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : अब अंकित ही नहीं हो रहा है, आप क्यों कह रहे हो। बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। क्यों आप समय जाया कर रहे हो। आपकी बात हो गयी। माननीय श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मेरे डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र में विद्युतीकरण के बारे में पर्याप्त विद्युतीकरण नहीं हुआ है उस बारे में मैं विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस एरिया में जो मापदण्ड रखा है, उसके अनुसार उसमें कोई मापदण्ड पूरा नहीं हुआ है। इस आदिवासी एरिया में, मैं तो कहता हूं कि पूरे उदयपुर डिविजन में

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

अगर रफ्तार से विद्युतीकरण होगा तो भी आने वाले 50 साल में आदिवासी एरियावासी को इस विद्युतीकरण का फायदा नहीं दे सकेंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को और जनजाति मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि आदिवासी एरिया में जहां-जहां पर ऐसी बिखरी हुई बस्तियां हैं, ढाणियां हैं, बड़े-बड़े गांव हैं उनमें विद्युतीकरण के लिए कार्य कर उन्हें बिना रोकटोक के, बिना किसी स्वार्थ के बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल चर्चा में समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा तहसील चाकसू में तहसील हैडक्वार्टर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छात्रावास के लिए जमीन का आबंटन हुआ था जो 5 बीघा जमीन थी। यह 13.3.1984 को आबंटन हुआ। इसका खसरा नम्बर 2085/1 था पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, एक सोसायटी द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास के लिए जो 5 बीघा जमीन अलाट की गयी थी उस पर अतिक्रमण कर लिया और समाज कल्याण के अधिकारियों और तहसील के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से उस जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है। मैं दो साल से प्रयासरत हूं कि कैसे भी यह जमीन इनसे छुड़वायी जाये। तो मैंने कमेटी में देकर के उस जमीन की माप करायी तो उसके नक्शे पर, उसके रिकार्ड पर स्याही डालकर उसको मिटाने की कोशिश की गयी और अभी 11.6.96 को इसकी नाप की गयी तो उस छात्रावास के पास सिर्फ 5 बीघा में से दो बिस्वा जमीन उसके कब्जे में हैं बाकी 2 बीघा 18 बिस्वा जमीन उन असामाजिक तत्वों द्वारा भू-माफिया के गिरोह के कब्जे में है। मेरी आपसे विनती है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और अतिक्रमण छुड़वाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्रजी (अनुपस्थित)। श्री पराक्रमसिंहजी............... (व्यवधान)............ आप अपने टर्न में बोल लेना।

श्री पराक्रमसिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुलाबपुरा में ग्रामीण शिक्षा संस्थान के अध्यापक आज 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। इस कारण से वहां के बच्चों की पढ़ाई खराब होती जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग से अनुदान नहीं मिलने के कारण वहां के अध्यापकों को जो वेतन नहीं मिल रहा है वह अनुदान भेजे और हड़ताल समाप्त करायें।

श्री अध्यक्ष : जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति के कारण तीन मार्ग आज भी अवरुद्ध हैं और आवागमन नहीं है। इनमें मुबारकपुर रोड़ से नीमच रोड क्षतिग्रस्त होने से किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी नहीं आ जा सकती, रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड पर ललावण्डी के पास भारी खाई हो गयी है, उसकी मरम्मत करायें, नौगावां और रसगण्ड रोड़ बिलकुल बन्द है, इनकी मरम्मत करायी जाये।

रामगढ़ से मुबारकपुर, 33 जी.एस.एस. की जितनी भी 11 के.वी. लाइनें हैं, वे सब टूटी पड़ी हैं। मुबारकपुर जी.एस.एस. से जितने भी गांवों को एल.टी. लाइनें जा रही हैं वे सारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यदि स्थायी व्यवस्था न हो तो अस्थायी व्यवस्था ही करायी जाये क्योंकि यहां पर इस कारण पेयजल स्कीमें भी चल पा रही हैं। इसलिये इनकी अस्थायी ही सही, मरम्मत करायी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी..... ....(व्यवधान)....... आ जायेगा, आ जायेगा बैठ जाइये। आप इतनी देर भी नहीं रुकना चाहते।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि लालसोट तहसील के डीड़वाना गांव में लोगों ने 3-4 दिन तक 60-70 गायों को बाड़े में बन्द रखा और वहां न उनको खिलाया न पिलाया। इसके बाद 21 जून, 1996 को रात के नौ बजे ट्रक में भरकर ले गये। रास्ते में बस्सी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नई नाथ धाम जहां भगवान शंकर का मंदिर है वहां सड़क पर एक नाले के पास उस ट्रक को खड़ा किया और उन गायों को जैसे कचरा, घासफूस और लकड़ी का ट्रक जैसे खाली करते हैं वैसे उन गायों को धक्का देकर नीचे गिराया गया। इससे एक गाय के ऊपर दूसरी और दूसरी पर तीसरी गाय इस प्रकार गिरी कि चार गायें तो वहीं खतम हो गयीं, दो बछड़े मर गये, दो बाद में मर गयीं जो घायल थी। इनमें 3-4 गायें जिनकी टांगें टूट गयी थीं, 2-3 की कमर और कई के सींग टूट गये थे ऐसी 15 गायों को नगर परिषद्, जयपुर के ट्रक में भरकर मंगवाया गया।

जब गायों के मालिकों को इसका पता चला तो वहां के सरपंच के माध्यम से एफ.आई.आर. उसी दिन लिखवायी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस जघन्य हत्याकांड जिसमें 8 गायें मर गयीं, दोषियों को दण्डित किया जाये।

(62)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगापुर सिटी में दो हजार मकान मंदिर माफी की जमीन पर बसे हुए हैं। भगवान नाबालिग होने से उस जमीन का नियमन नहीं हो सकता, बेचान नहीं हो सकता। अब उसका क्या करें? वहां दो हजार मकान बन चुके हैं इसलिये नियमों में संशोधन करने का कष्ट करें जिससे वहां के निवासियों को राहत मिल सके। सन् 1974 से मैंने इस प्रश्न को कई बार उठाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंदिर माफी की जमीन पर जो मकानात बने हुए हैं, एग्रीकल्चर लैण्ड पर जो मकानात बने हुए हैं उनको नियमित करने से आपको नजराना मिलेगा, कन्वर्जन चार्ज मिलेगा। गंगापुर सिटी की नगर पालिका की स्थिति आप जानते हैं, ऐसा करने से उसकी आय भी बढ़ेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि गंगापुर जो पहले गंगापुर-कुशालगढ़ के नाम से था, पांच सौ की आबादी थी, आज स्थिति यह है कि वहां की आबादी एक लाख हो चुकी है इसलिये कानून में संशोधन कर इनको रेगुलराइज करायें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आप जिस समस्या की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, यह कई स्थानों पर है। मैं चाहूंगा कि आप तो एडवोकेट हैं, एक बार मेरे साथ बैठकर चर्चा कर लें और क्या समाधान हो सकता है वह बतायें। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में बाहर की डिग्रियों का सत्यापन का भी काम होता है। इस सत्यापन की कार्यवाही में लम्बा समय लगता है और इस दौरान जिला स्थापना समिति जो लोग मेरिट में हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भर्ती कर लेती है और जो आशार्थी मेरिट में आ सकते हैं वे रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो लोग मेरिट में आ रहे हैं और जिनकी डिग्रियों का सत्यापन नहीं हुआ है। उनसे कोई ऐसा एग्रीमेंट करवा लें कि यदि उनकी डिग्रियां जाली निकलेंगी तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायेगा। इसके साथ ही उन्हें दिया गया वेतन वापस वसूल कर उनके खिलाफ धारा 420 में मुकदमा या ऐसी ही कोई कार्यवाही चलायी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, डिग्रियों के सत्यापन के नाम पर यह होता है कि जिला स्थापना समितियां अपनी मर्जी के व्यक्तियों की भर्ती कर देती हैं और जो लोग मेरिट में हैं उनका नम्बर केवल इस आधार पर नहीं आता है कि उनकी डिग्रियां सत्यापित नहीं हुई हैं। पंचायत राज मंत्रीजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कोई भी योग्य आशार्थी बच नहीं जाये।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर जितेन्द्रजी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा खेतड़ी में एक और दो पोल स्कीम में कनेक्शन चाहने वाले 182 लोगों ने गत दो वर्ष से क़रीब डेढ़ करोड़ रुपये की राशि विद्युत विभाग में जमा करा रखी है। पर मात्र एक व्यक्ति कैलाश का गलत बी.आर. का रेकार्ड दर्ज कर दिया जिसके कारण 182 लोगों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से लोअर कोर्ट में हार गये और हाई कोर्ट में मामला लम्बित है। महोदय, इसमें ग्रामवासी दोषी नहीं है। मैं गत दो वर्ष से बार-बार यह मामला उठा रहा हूं। यहां विद्युत मंत्रीजी नहीं हैं। एक व्यक्ति ने अपने पक्ष में निर्णय ले लिया और 182 व्यक्तियों से फ्राड किया गया। इस प्रकरण में करोड़ों रुपये बरबाद हो गये और इन किसानों की हालत गिरती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना, मार्बल में विश्व प्रसिद्ध नगर है जहां 40-50 हजार मजदूर रोज अपने जीविकोपार्जन के लिये आया-जाया करते हैं। लेकिन उनके आने-जाने के लिये यातायात विभाग की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहां पर बिना परमिट और लाइसेंस के ट्रक और बसें तीन-तीन सौ आदमियों को बैठाकर ले जाती हैं। उनको मना भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल है लेकिन अगर ऐसा होने दिया गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना होकर जानमाल का खतरा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : महोदय, मैं डेयरी मंत्रीजी का ध्यान बिलाड़ा की ज्वलंत समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। बिलाड़ा सोसायटी द्वारा जोधपुर के लिये 19 हजार लीटर दूध डेयरी के लिये इकट्ठा होता है जिसमें से दस हजार लीटर दूध अकेले बिलाड़ा से जाता है। उसमें भी अकेले बिलाड़ा सोसायटी से 6 हजार लीटर दूध जाता है। किसानों ने वहां दूध देना बन्द कर दिया है, उसका कारण यह है कि उनको एक किलो पेट पर 135 रुपया मिलता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह रेट्स ज्यादा हैं तो उन्होंने यह मांग की है कि 8, 3 जो एस.एन.एफ. है उसमें 150 रुपया मिलना चाहिए, यदि 1, 2 है तो उसके ऊपर 147 रुपया मिलना चाहिए और 1, 0 से 0, 1 है तो उनको 145 रुपया मिलना चाहिए और 7, 0 से 9 तक 135 रुपया मिलना चाहिए। तो यह, अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग है और डेयरी से जो उनको पेमेन्ट 20 दिन का 10 लाख रुपया है, जो भी दिया नहीं है तो मैं डेयरी मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस मामले को दिखवा करके इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करें और उनके पैसे बढ़ाने की व्यवस्था करें।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (पशुपालन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण किया है, उसको दिखवा लूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान लालसोट तहसील के 30-35 गांवों में ओलावृष्टि हुई थी और वहां पर एक भी दाना फसल का पैदा नहीं हुआ। सहकारी विभाग के अधिकारी जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। उनकी आगे की फसल के लिए लोन नहीं दे रहे हैं तो माननीय सहकारिता मंत्री जी पहले भी जैसे जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई थी और शत प्रतिशत नुकसान हुआ है फसलों का उन गावों की आप सहकारी ऋण की वसूली स्थगित करें। आगे की फसलों के लिए उनको ऋण मिले जिससे आगे की फसल वह पैदा करें। इसके लिए आप बैंक को निर्देश दें। जबरदस्ती वसूली की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि आप अपनी ओर से घोषणा करें।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हमारे ऋणी हैं और उसके लिए माननीय सदस्य पैरवी कर रहे हैं वह उनके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। उनके ऊपर ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी। यह उनके साथ अन्याय करेंगे। मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विभाग के अधिकारियों को मैंने आदेश दे रखे हैं कि जहां भी रिकवरी हुई है 7 दिन में पैसे वापस लौटा दो उनको और फिर कर्ज दे दो। यह तो आप अन्याय कर रहे हैं उन लोगों के साथ।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है, यह सही है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक दाना पैदा नहीं हुआ। उनके पास चारे के लिए पैसा नहीं, अनाज के लिए पैसा नहीं वह आपकी वसूली कहां से देंगे।...न्याय, अन्याय की क्या बात है। आप अगली फसल पर लीजिये ना, फसल हो तब। आप कह रहे हैं कि मैं अन्याय कर रहा हूं। अन्याय तो आप कर रहे हैं। आपका विभाग कर रहा है अन्याय तो...

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि आप जवाब ही दें।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भ्रांति दूर कर रहा हूं जबकि मेरे अधिकारियों को मैंने कह रखा है कि आज जैसे मैंने सौ रुपया लिया...(व्यवधान)...आप सुनिये तो सही आप क्या अन्याय कर रहे हैं...उनके साथ...

श्री परसादीलाल मीणा : अन्याय तो आप कर रहे हैं। आप जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : आप मेरे साथ अन्याय मत करो। बिराजो आप। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। आज तक कोई शिकायत नहीं है...

श्री परसादीलाल मीणा : जबरदस्ती वसूली हो रही है...

श्री सुजानसिंह यादव : जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सामान्य परिस्थितियों में आर.सी.डी.एफ. दुग्ध उत्पादकों को बांटा बेचता है। अजमेर में ग्राम की जो दुग्ध उत्पादक सोसाइटी है वह पैसा इकट्ठा करके 3 रुपया 20 पैसा पर केजी. के हिसाब से जमा कराती है। सामान्य परिस्थितियों से उठकर जब अकाल की विभीषिका हुई तो अकाल में भी आर.सी.डी.एफ. को ही चारा बांटने और बेचने का कार्य दिया गया तो अकाल में उन्होंने रेट क्या ली। उत्पादकों से जो कि अकाल पीड़ित हैं, 3.70 रुपया। उसमें 10 पैसा तो ग्राम सेक्रेटरी की कमीशन, 5 पैसा सोसाइटी की कमीशन और 10 पैसा ट्रांसपोर्टेशन। उससे होते हैं 3, 30, 3, 25 और 3, 45 अब बच जाते है 25 पैसा। सीधे सीधे मुनाफा उस अकाल पीड़ित व्यक्ति से राज्य सरकार ने आर.सी.डी.एफ. को कमाने दिया। इस तरह से कुल मिलाकर मैने वर्क-आउट किया है मगर डेली 400 केजी. यह बेचते थे और 100 दिनों तक इन्होंने यह कार्य चलाया जिससे इनको मिनिमम फायदा उस अकाल पीड़ित से आर.सी.डी.एफ. ने कमाया 2 करोड़ रुपया। 3 करोड़ कम लग रहा है आपको? मंत्री महोदय को कम लग रहा है।...

श्री अध्यक्ष : 400 केवी. से तो इतना नहीं होते हैं यहां। 400 केजी. आप कह रहे हैं रोज।

श्री किशन मोटवानी : लेकिन 100 दिन का तो 4 लाख हो गया। इस तरह से अकाल पीड़ित दुग्ध उत्पादक से राज्य सरकार ने आर.सी.डी.एफ. को यह मुनाफा कमाने दिया। हमारे अजमेर की जो जनरल बॉडी की मीटिंग हुई उत्पादकों की जिसका कि कलेक्टर चेयरमैन था वहां निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इनका यह पैसा वापस करे और आर.सी.डी.एफ. से दिलाये। मैं समझता हूं कि इस तरह से सारा राजस्थान इसकी मांग करेगा और यह व्यावहारिक है। आपका अकाल कोड साफ कहता है कि कोई भी चीज राज्य सरकार के माध्यम से अकाल के नाम से जायेगी तो बिना प्रोफिट के जायेगी। सीधे सीधे इसका प्रोफिट आपने आर.सी.डी.एफ. को कमाने दिया है। यह अव्यावहारिक है, नीतिगत गलत है और सरकार को इसमें निर्णय लेना होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की स्थिति में तो इसलिए नहीं हूं कि गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं आपको ही कह रहा हूं। सरकार जो भी बैठी हो सुन ले।

(श्री रामनारायण मीणा)

पुलिस थाना नैनवां में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका एकमात्र उदाहरण देना चाहता हूं। दिनांक 29 अप्रेल, 96 को एक लड़की किसकिंघा को रमेश, बाबूलाल और श्योजीराम नाम के 3 व्यक्ति अपहरण करके ले गये। मुकदमा नं. 141/96 नैनवां थाने में दर्ज हुआ। बड़ी मुश्किल से लड़की को बरामद किया गया। उसके बाद यह पार्टी पुलिस थाना, नैनवां का जो वर्तमान में थानेदार है उससे मिली। उसको 10 हजार रुपये दिये, सौदा हुआ और वापिस उस आदमी ने दो चार आदमियों को साथ लेकर रात को 3 बजे उसके मकान के किंवाड़ तोड़ दिये, मारपीट की, उसकी औरत का सिर फोड़ दिया, उसके हाथ में फ्रेक्चर हुआ, बच्चे को पीटा और बच्ची को जबरदस्ती जीप में डाल कर ले गये। मान्यवर, यदि पहले थानेदार कार्यवाही करता, पुलिस कार्यवाही करती और उसके बाद में पैसे लेकर इस तरह का हादसा नहीं करती और उन्होंने फिर जब वह मुलजिम गांव वालों की मदद से पकड़ में आया, बच्ची बड़ी मुश्किल से बरामद हुई तो वह थानेदार जी कहते हैं, उनका स्टाफ कहता है कि तुमने गलती की, इतनी जल्दी कैसे पकड़ में आ गये जबकि मैंने तुमको पूरा इन्तजाम कर दिया था। इस कद्र से थाने में हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी से बात करलें। बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को आदेश दीजिए कि ऐसे थानों में जो थानेदार बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उससे सारी सरकार की छवि खराब ही नहीं होती, पूरे प्रशासन की छवि खराब होती है। आम जनता को इससे नुकसान पहुंचता है और वातावरण खराब होता है। ऐसे लोगों को दाबकर प्रशासन रखे और सरकार ऐसे थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि गरीब की इज्जत बनी रहे। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नजर नहीं आ रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : आप तो कह दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको ही निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्डौन सब-डिवीजन के अन्दर एक इस प्रकार का गिरोह पनपा है चोरों का, बदमाशों का जो सरपंच चाहे वह महिला हो, चाहे वह मर्द हो उनको चोरी करके ले जाते हैं और जो पैसा उनको मिलता है उन पैसों को भी ले जाते हैं। हाल ही में एक घटना हमारे चानण गांव में हुई है श्री महावीर जी में। हिन्दुस्तान के महान् तीर्थ स्थान के ऊपर वहां की सरपंच केसन्ती देवी सरकारी पैसा जो वह बैंक से ला रही थी उसको लेकर वह अपने घर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पहुंची और जैसे ही घर पहुंची तो वह गिरोह उसके पीछे पीछे पहुंच गया और उस केसन्ती देवी को वहां से उठाकर ले गया और जो पैसा उसको मिला था वह भी उन्होंने उससे लूट लिया। बाद में केसन्ती देवी सुरक्षित बच गयी लेकिन आज तक उनके पैसों को वापस नहीं दिया गया। इस प्रकार की कई घटनाएं हिन्डौन थाने में भी दर्ज हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो गिरोह पैदा हुआ है ऐसे गिरोह को सरकार पकड़े ताकि यह सरपंच जो जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि है वह निर्भीक होकर सरकारी काम में हाथ बंटा सकें। अभी से उनको दबाया जा रहा है ताकि वह महिला विकास कार्य नहीं करा सके। जन प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकें, आगे नहीं बढ़ सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जांच कराई जाये और इन व्यक्तियों को पकड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष : 295. श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : मेरा भी है। एक मिनट रुको।

श्री अध्यक्ष : उजला जी एक मिनट।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने विधान सभा में घोषणा की थी कि राजनीतिक द्वेषता से लगाये हुए मुकदमें हटायेंगे। मेरे क्षेत्र में भी कई लोगों के मुकदमें लगे हुए हैं। कई बार निवेदन करने के बाद भी वह मुकदमे नहीं हटे। आज मेरे क्षेत्र के एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर में करीब हजार-दो हजार व्यक्ति मुकदमें हटाने के लिए धरने पर बैठे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी तकलीफ की ओर ध्यान दें तथा द्वेषता से जो मुकदमे लगाये हैं उनको हटायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

काशीपुरी (जयपुर) आवासीय कॉलोनी की जमीन को होटल के लिए दिया जाना

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के बाद में बोलने खड़ी हुई। माननीय सदस्य ने मुझे कहा कि मैं बैठ जाऊं। मैं आपकी आज्ञा मानूं या उनकी? फिर आपने भी मुझे बात कहने के लिए नहीं कहा। आप भविष्य में देख लें। माननीय सदस्य आदेश नहीं दें।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत काशीपुरी आवासीय कालोनी जिसकी समस्त राशियां जमा हो जाने के उपरान्त गलत ढंग से होटल के लिए लैण्ड यूज बदलने के नगर विकास न्यास की मनमानी के सम्बन्ध में मैं यह प्रस्तुत करती हूं :—

(68)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मान्यवर, सांगानेर तहसील के ग्राम चैनपुरा के निवासी अयोध्या प्रसाद, दौलत बाबू पुत्रान काशीप्रसाद एवं माता सावित्री देवी ने दिनांक 5 जुलाई, 1973 को प्रतिज्ञा पत्र द्वारा 49.50 बीघा भूमि हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर पंजीयन क्रमांक 2686 एल. को विक्रय की गयी। इसके उपरान्त उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपने सदस्यों को वर्ष 1980-81 में स्कीम बनाकर आवासीय भूखण्ड अलॉट कर पट्टे दे दिये। सदस्यगण मकानात बनाकर चारदीवारी व आवश्यक सुविधाएं बनाकर रहने लगे। सभी सदस्यों ने सरकारी आदेश के अनुसार 31.5.82 से पूर्व नियमन शुल्क जमा करा दिया तथा वर्ष 1983 में विभाजन शुल्क भी जमा करा दिया था।

यहां कैम्प लगाये जाने थे लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने कैम्प नहीं लगाये। यहां के निवासी जब मंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने भी आदेश दिये कि उक्त कॉलोनी में विकास शुल्क लेने के लिए कैम्प लगायें लेकिन कैम्प नहीं लगाये गये। अब दिनांक 5.7.96 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित रूपान्तरण को आवासीय रूप में न करके व्यावसायिक (होटल) रूपान्तरण हेतु अखबार राजस्थान पत्रिका में विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.2.94 के अनुसार यह भूमि इन भूखण्डधारियों को ही मिलनी चाहिए जो पिछले 15 वर्षों से यहां पैसा लगाकर और आशा लगाकर बैठे हैं।

यह भूमि मास्टर प्लान में आवासीय है और इसका उपयोग व उपभोग इसी रूप में बराबर आवास हेतु किया जाता रहा है। दिनांक 5.7.96 को होटल के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति, जिसमें होटल के लिए इसे सुरक्षित करने की बात कही गयी है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। जब से यह विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है तब से यहां के निवासियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। यहां चालीस से अधिक भूखण्डों में लोग कमरा, लेट्रिन, बाथरूम बनाकर रहने लगे हैं उनको जे.डी.ए. के अधिकारी जोर जबरदस्ती से तोड़ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। उन्हें भूमि पर आने नहीं देते हैं। अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का प्रश्न है, कृपया मुझे चर्चा का मौका दिया जाय।

इन भूखण्डों में कुछ व्यावसायिक काम भी चल रहे हैं, एक मार्बल की और कपड़ों के छापेखाने की फैक्ट्री है। इस प्रकार जे.डी.ए. के द्वारा इन सबको अनिश्चितता में डाल दिया है। इस स्थिति से बचने के लिए मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, निर्देशित करेंगे कि जो पूर्व में सरकार के निकाले हुए आदेश हैं, मान्यवर, आप आज्ञा दो कि यह नियमन शुल्क की, विभाजन शुल्क और पट्टे हैं इनमें से कुछ पट्टे में सदन की टेबल पर रखने दें—

श्री अध्यक्ष : नहीं। यह 295 है। आप मंत्रीजी से बात करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिससे कि आप ही आदेश दें कि यह इस प्रकार से काम नहीं करें और पुराने आवासियों को परेशान नहीं करें। आपकी अनुमति हो तो मैं सदन की टेबल पर रख दूं। इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते तो आप उन्हें वैसे ही निर्देशित कर दीजिये कि इस प्रकार से मेज पर बैठकर आदेश नहीं निकालें ताकि लोग आश्वासित तो हों। जब पट्टे दे दिये, विभाजन शुल्क, नियमन शुल्क दे दिया उसके बाद अब 96 में इस प्रकार के आदेश...

श्री अध्यक्ष : मैं बात करूंगा। श्री जगतार सिंहजी। (अनुपस्थित)। श्री राधेश्यामजी। (अनुपस्थित)...आप बिराजें। 295 को पढ़ना है एवं और किसी जरिये से उठायें इसको। माननीय श्री भीमराज जी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय निठाउवागामड़ी को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाना

श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर के गांव निठाउवागामड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को 14 जनवरी, 1959 को खसरा नम्बर 468 क्षेत्रफल 2/3 भूमि 917-पत्र द्वारा भेंट की थी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। (राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है) जो वर्तमान में विद्यालय के अधिकार में है।

1995-96 में अकाल राहत कार्य में विद्यालय के चारों ओर परकोटा निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था तो असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत से परकोटा निर्माण कार्य जबरन रूकवा दिया है।

अतः उक्त विद्यालय की भूमि को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने हेतु मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

रामड़ावास कलां (भोपालगढ़) ग्राम पंचायत में किये गये निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा जांच कराया जाना

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां (भोपालगढ़) जोधपुर में दस वर्षों से किये गये निर्माण कार्य में से कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं जबकि इनका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। मौके पर निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। कई कार्यों का भुगतान समय से ही प्राप्त कर लिया गया है जैसे तालाब, खुदाई, स्कूल के भवनों का निर्माण, बायोगैस एवं अन्य कई निर्माण कार्य भुगतान प्राप्त करने के बाद पूरे नहीं किये गये। कुछ कार्यों की जांच डी.आर.डी.ए. ने करायी भी है परन्तु सारे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जांच नहीं की एवं पूर्व में की गयी जांच के क्या परिणाम रहे एवं उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है। अब पुनः सारे स्वीकृत कार्यों का मौके पर जाकर सत्यापन

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा कराया जाये क्योंकि भुगतान प्राप्त कर लिये परन्तु मौके पर कार्य अधूरे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार कब तक दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी रावत (अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल जी बैरवा।

इटावा से गेला व खातौली सड़क (इटावा कस्बा) की मरम्मत व नाली निर्माण

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कस्बा इटावा जिला कोटा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित रोड, इटावा से गेला, इटावा से खातौली रोड पर पानी निकालने हेतु नाली का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण इन रोडों पर हमेशा पानी भरा रहता है जिससे रोड खराब हो गयी तथा उसमें गहरे-गहरे गड्ढे हो गये। इस रोड पर निकलते समय मोटर साइकिल, साइकिल फिसलकर गिर जाती है। व्यक्ति घायल हो जाते हैं व इस स्थान पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पानी भरा रहने से मच्छर पैदा होते हैं जिससे मौसमी बीमारियों का भी भय रहता है।

अतः उक्त समस्या के समाधान हेतु कस्बा इटावा से गेला व खातौली रोड पर नाली निर्माण व रोड की मरम्मत की जाकर लोगों को राहत दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में दिनांक 24, 25, 26 व 27 जून, 1996 को हुई अतिवृष्टि एवं अनेकों बांध टूटने से आयी बाढ़ से अनेकों सम्पर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और आज तक भी सड़कों पर आवागमन शुरू नहीं हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अलवर द्वारा अभी तक भी स्वीकृत सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये सम्पर्क सड़कें निम्नलिखित हैं :—

(1) नौगांवा से शेरपुर रसगन सड़क (2) मुबारिकपुर से नीमच खोमड़ा करमाली (3) बहादुरपुर रोड से कोटा खुर्द (4) दिल्ली रोड से ओडेला-अलावड़ा (5) रामगढ़ से बहादुरपुर (6) रामगढ़ से गोविन्दगढ़ (7) ललावड़ी मोड़ से बिलासपुर-सैंथली (8) गोविन्दगढ़ से सैमला खुर्द (9) गोविन्दगढ़ से सीकरी (10) गोविन्दगढ़ से खेड़ा महमूद (11) चीड़वा रोड से सुनहेड़ा (12) नौगांवा से टीकरी (13) केसरोली रोड से राहडोली।

उपरोक्त सम्पर्क सड़कों में से अधिकतम वह सड़कें हैं जो कि गत वर्ष 1995 की अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण भी क्षतिग्रस्त हुई थीं परन्तु विभागों द्वारा अभी तक भी कुछ सड़कों की मरम्मत नहीं हो पायी है।

(श्री जुबेर खान)

एक तरफ तो सम्बन्धित मंत्री महोदय यह सार्वजनिक रूप से घोषणाएँ करते हैं कि सड़कों की मरम्मत कार्य में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी परन्तु स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, यह कैसी विडम्बना है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं खास तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कृषि विभाग के मंत्री से निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से सम्पर्क सड़कों की आवश्यक मरम्मत करायी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

'जयपुर' से 'मेई' बस को 'करड़' तक करने से उत्पन्न समस्या

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जयपुर से मेई चलायी जा रही बस को करड़ तक कर देने से जनता को हो रही परेशानी के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जयपुर आगार द्वारा जयपुर से मेई के लिए बस संचालित की जा रही थी जिसे पिछले पांच महीनों से करड़ तक के लिए ही कर दिया गया है जिससे करड़ से मेई के बीच पड़ने वाले गांवों की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस बस को करड़ तक के लिए कर दिया गया था तथा ग्रामवासियों द्वारा आगार प्रबन्धक से मिलने पर वापस मेई के लिए कर दिया गया और 10-15 दिन के बाद फिर करड़ के लिए कर दिया गया। पुनः ग्रामवासियों द्वारा मिलने पर जयपुर से मेई के लिए एक अतिरिक्त बस वाया हिंगोनिया देकर शुरू की गयी जिसको भी पांच-छह दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया और करड़ की बस को ही मेई के लिए कर दिया जिसे भी कुछ दिन बाद वापस करड़ तक के लिए ही कर दिया गया।

जब ग्रामवासी आगार प्रबन्धक से मिले तब आगार कार्यालय से मालूम हुआ कि कागजों में तो यह बस अभी भी मेई तक के लिए ही है, परन्तु ड्राइवर और कंडक्टर यह कहकर आगे बस नहीं ले जाते कि आगे रास्ता खराब है जबकि करड़ से डांसरोली तक ग्रेवल सड़क है जिस पर निजी बसें भी चलती हैं।

अतः मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि यह बस या अन्य बस शीघ्र ही जयपुर से डांसरोली तक वाया हिंगोनिया पूर्व समय पर चलायी जाये, ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को इस परेशानी से मुक्ति मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय नन्दलाल जी व्यास।

बीकानेर शहर में नगर परिषद, बीकानेर द्वारा विकास कार्य न किया जाना

श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा

(श्री नन्दलाल व्यास)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान नगर परिषद् बीकानेर द्वारा बीकानेर शहर में करवाये जाने वाले विकास कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

बीकानेर शहर के नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार की अधिकांश सड़कें एवं नालियां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त शहर में विद्युत व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। इससे हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण शहर में गन्दगी का साम्राज्य हो गया है। शहर की जनता इन अव्यवस्थाओं से बुरी तरह परेशान है। इसके अलावा हाल ही में शहर में हुई भारी वर्षा के कारण शहर के अवरूद्ध नालों की वजह से शहर में जगह-जगह पानी अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। परिषद् की इसी लापरवाही के कारण शहर में भारी मात्रा में 'पानी इकट्ठा हुआ और जान माल की हानि हुई। इन अव्यवस्थाओं को सुधारने बाबत मेरे द्वारा नगर परिषद् प्रशासन को कई बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध भी किया जा चुका है परन्तु अभी तक उक्त अव्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि नगर परिषद बीकानेर के क्षेत्राधिकार की सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण करवाया जाये एवं शहर में स्ट्रीट लाइट की सुचारू व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि आगामी मानसून वर्षा को मध्य नजर रखते हुए शहर के सभी नालों की युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सफाई करवायी जाये, ताकि वर्षा के दौरान जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। नगर परिषद् द्वारा बाढ़ की सम्भावित स्थिति से बचाव हेतु परिषद् को आवश्यक साधन भी मुहैया करवाये जाये तथा बीकानेर विधान सभा क्षेत्र के लिए सड़क व नाली का अलग से बजट अलाट करें, ताकि उक्त क्षेत्र में विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवकिशोर जी सनाढ्य।

आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा किया जाना

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा की ओर आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य सरकार आयुर्वेद, यूनानी और हौम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रति और उसके विकास के लिए बिल्कुल चिन्तित नहीं है। एक ओर तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और आदर्श की कल्पना को लेकर चलती है, दूसरी ओर हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को हतोत्साहित कर रही है। एलोपैथी चिकित्सा के लिए पूरी सम्भावनाएँ और पूरे साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं लेकिन आयुर्वेद, यूनानी और

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

होम्योपैथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

आयुर्वेद चिकित्सा के नाम आयुर्वेद औषधालय का बजट बहुत कम है। उन्हें साधन-सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और चिकित्सा की भी समुचित सुविधाएं नहीं मिलती है। यह आश्चर्यजनक लगेगा कि उदयपुर शहर में वर्ष 1990 से आज तक कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सालय न तो स्वीकृत किया गया और न खोला गया। उदयपुर का तो एक उदाहरण है। राज्य के अन्य शहरों की भी स्थिति यही है। वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के कोई नोर्म्स निर्धारित नहीं है।

विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 695/आयुर्वेद में अवगत कराया गया है कि औषधालय खोलने के लिए भवन व्यवस्था उपलब्ध होना, अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने, बजट प्रावधान उपलब्ध होना आदि को देखकर चिकित्सालय खोला जाता है। इस समय राज्य में चार प्राकृतिक चिकित्सालय मात्र हैं और 108 होम्योपैथिक चिकित्सालय है। "अ" श्रेणी चिकित्सालय में एक चिकित्सक, एक परिचारक, दो नर्स-कम्पाउण्डर रहते हैं। चिकित्सकों के अभाव में रोगियों को देखने वाला कोई नहीं है। नर्स कम्पाउण्डर चिकित्सक की लिखी हुई दवाई दे सकते हैं लेकिन वे इलाज नहीं कर सकते। ऐसी ही स्थिति होम्योपैथी की है। अतः राज्य सरकार के माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समुचित संरक्षण और विकास के लिए आकर्षित किया जाता है और आग्रह है कि उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सालय हिरणमगरी सेक्टर तीन, चार, पांच, छह के लिए सेक्टर 11 के लिए खोले जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल।

गंगापुर पंचायत समिति द्वारा विकास कार्य न कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहना

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायती राज राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर पंचायत समिति ही एक ऐसी पंचायत समिति है जहां 18 माह में तीन विकास अधिकारी बदल दिये। सन् 1994-95 व 1995-96 में आबंटित निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पंचायत समिति द्वारा ग्रामों के विकास हेतु प्रस्ताव समय पर नहीं भेजे जाते। सरपंचों द्वारा निर्माण करवा देने के पश्चात् विकास अधिकारी के चैकों पर दस्तखत हो जाने के पश्चात् 2-3 महीने तक प्रधानजी के दस्तखत के अभाव में भुगतान नहीं होता है।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये थे लेकिन प्रस्तावों के अभाव में कई ग्रामों में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके। अकाल राहत कार्यों में सामग्री का भुगतान पंचायत समिति के माध्यम से होता है। आज तक सरपंचों को भुगतान नहीं किया गया। ग्रामवासियों की शिकायत के बावजूद पंचायत समिति द्वारा निर्माण कार्यों की जांच नहीं की जाती। उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत उदेई खुर्द में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत करिड़ तलाई की खुदाई का कार्य कराया था। मात्र 9,000 की मिट्टी का कार्य किया, साठ हजार का भुगतान ले लिया। जिला कलक्टर (विकास) को भी ग्रामवासियों ने शिकायत की। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मीटिंग में भी शिकायत की लेकिन आज तक जांच नहीं की।

गंगापुर पंचायत समिति आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। सीधे-साधे सरपंच परेशान हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि सरपंचों को तुरन्त भुगतान कराया जावे एवं अकाल राहत कार्य की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ावें जिससे अधूरे निर्माण कार्य पूरे हो जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश जी मेघवाल।

कालेटड़ा से मण्डोवरी सड़क निर्माण

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कालेटड़ा से मण्डोवरी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

ग्राम मण्डोवरी की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 1186 है। यह ग्राम पहाड़ी तलहटी में बसा होने के कारण आने जाने में काफी तकलीफ आम जनता को होती है। ग्राम कालेटड़ा पंचायत मुख्यालय है। इसी प्रकार बबायचा भी पंचायत मुख्यालय है। कालेटड़ा से बबायचा सड़क वाया मण्डोवरी होकर बनाये जाने पर यह सड़क आगे अजमेर सड़क से जुड़ जाती है। यह सड़क करीब 5 किलोमीटर लम्बी है तथा बहुत जरूरी है। दो पंचायत मुख्यालय हैं तथा बीस ग्राम इससे जुड़ेंगे तथा इस जिले से दूसरे जिले में जाने की सड़क भी जुड़ेगी। अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाये।

कालेटड़ा से मण्डोवरी सड़क की महत्ता है कि बबायचा से मण्डोवरी तक मिट्टी की रोड़ी की सड़क बनी हुई है। मण्डोवरी से कालेटड़ा तक कच्चा मार्ग है। इस सड़क निर्माण से अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी, परबतसर, डेगाना, मेड़ता, जोधपुर की सुविधा होगी तथा दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने राजस्थान में सड़कों का चहुंमुखी विकास कार्य हाथ में लिया है जिससे आम जनता को बहुत राहत मिली है। राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य काफी प्रशंसनीय है। नागौर जिला काफी पिछड़ा जिला है। पिछले वर्षों से हो रहा है। इस कारण

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय मंत्री महोदय ने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है तो कालेटड़ा से मण्डोवरी सड़क इस वर्ष में अवश्य निर्माण करायी जावे। माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया जाता है कि मंत्रीजी लिखकर उत्तर भिजवा देते हैं कि इसकी उपयोगिता की जांच करवा रहा हूं। मगर जांच करवाते ही नहीं और ना ही सूचित करते हैं। अतः उक्त सड़क का निर्माण करवाकर राहत पहुंचायें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

याचिकाओं का उपस्थापन

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों की कालोनी में सम्पर्क सड़क का निर्माण

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों की कालोनी में समानान्तर सड़क से 2 किलोमीटर द्वितीय चरण सम्पर्क सड़क बनाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी मीणा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

तहसील उनियारा के ग्राम बड़ी बागड़ी व अन्य गांवों के लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील उनियारा के ग्राम बड़ी बागड़ी, छोटी बागड़ी, मोर-जालों की झोंपड़ियां, सूर्या की झोंपड़ियां, भाट का नाड़ा के लिए ग्राम पंचायत का गठन करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1995-96 के 71 से 77 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति जन लेखा समिति, 1995-96 समिति के निम्नांकित सात प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट समाज कल्याण एवं महिला, बच्चे तथा पोषाहार विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 71वां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट

(सभापति, जन लेखा समिति)

वन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 4.1, वर्ष 1992-93 का अनुच्छेद संख्या 4.4 व 4.5 तथा वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 4.3 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 72वां प्रतिवेदन,

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 वर्ष 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 4.2, वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 4.4, 4.5, 4.6 तथा वर्ष 1992-93 का अनुच्छेद संख्या 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 व 4.12 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 73वां प्रतिवेदन,

(4) जन लेखा समिति, 1978-79 के आठवें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 74वां प्रतिवेदन,

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1984-85 से 1989-90 में समाविष्ट खनिज एवं भूगर्भ विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षा अनुच्छेदों पर समिति का 75वां प्रतिवेदन,

(6) जन लेखा समिति 1994-95 के ग्यारहवें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक समिति का 76वां प्रतिवेदन, एवं

(7) वर्ष 1991-92 के 42वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में पशुपालन (मत्स्य) से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक समिति का 77वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि हमारी जन लेखा समिति ने और माननीय सदस्यों ने सबने परिश्रम करके यह 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इस सदन में दो या तीन और, मतलब करीब 80 प्रतिवेदन आ जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक रिकार्ड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि साल में एक बार आप, समितियां जितना जितना काम करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है उसकी भी अगर पुस्तिका प्रकाशित करके माननीय सदस्यों को और प्रेस को वितरित करायें तो कम से कम जो मेहनत करने वाले होंगे उनको यह तो आश्वासन मिलेगा कि चलो यहां, अध्यक्ष महोदय, तो कुछ न कुछ इसकी देखरेख करते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह मुझे पता है। बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : इसी सन्दर्भ में मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आश्वासन समिति के आश्वासन 80 से 90 तक मैंने निपटाये और मैंने यहां पर, दस साल का हमने कम कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है। मैंने सब का देखा है। काफी अच्छा काम हुआ है। माननीय श्री कालीचरणजी सर्राफ।

याचिका समिति, 1995-96 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, याचिका समिति, 1995-96 समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री टीकमचन्दजी।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1995-96 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री टीकमचन्द कान्त (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1995-96 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण सम्बन्धी अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1976-77 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रही कथित अनियमितताएं

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दीपेन्द्रसिंहजी शेखावत, श्री कालीचरण सराफ, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री रामेश्वर भारद्वाज, श्री शिवकिशोर सनाढ्य, श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री नरपत सिंह राजवी, डॉ. उजला अरोड़ा, श्री शैलेन्द्र जोशी, श्री रघुवीर सिंह, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री भगराज चौधरी, श्री अमराराम (धोद), श्री एमाद्दुद्दीन अहमद खां, श्री दयाराम परमार, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रही कथित अनियमितताओं की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री दीपेन्द्रसिंहजी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर आपकी इजाजत से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या हो गया?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी वोल्यूम बढ़ जायेगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : डोन्ट वरी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : वोल्यूम ढीला कैसे है?

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

द्वारा वर्ष 46 में की गयी थी। शिक्षा की दृष्टि से उस समय अत्यन्त पिछड़े हुए इस प्रदेश के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य के विकास में उत्पन्न एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस समय यह परिकल्पना थी कि इस विश्वविद्यालय के विकास के साथ-साथ राजस्थान में उच्च शिक्षा का विकास जुड़ा हुआ है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा निरन्तर यह नीति अपनायी गयी कि विश्वविद्यालय के स्वरूप को पूर्ण रूप से विकसित होने तथा पल्लवित, पुष्पित होने की स्वतंत्रता दी जाय। विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए उसे उन्मुक्त वातावरण मिले तथा समय-समय पर बदलती हुई राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से इस विश्वविद्यालय के विकास में कोई व्यवधान अथवा अवरोध न उत्पन्न हो, इसीलिए राजस्थान विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वायत्ता दी गयी। जिस प्रकार का वातावरण उस समय था उसमें राज्य सरकार भी यही चाहती थी कि विश्वविद्यालय इस स्वायत्तता का अपने शैक्षणिक विकास में सदुपयोग करें। इस हेतु इस विश्वविद्यालय को जब भी और जिस प्रकार की भी संसाधनों की आवश्यकता हुई उन्हें राज्य सरकार ने अपनी ओर से तथा पूरी सामर्थ्य से उपलब्ध कराया है। इसी उन्मुक्त वातावरण में विश्वविद्यालय का अपेक्षित विकास भी हुआ और कुछ ही वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने देश के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता बनाये रखने की पक्षधर है क्योंकि स्वायत्तता के बिना स्वतंत्र विचार, और उच्च स्तरीय शैक्षणिक एवं शोध प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। क्या पढ़ाया जाय, कैसे पढ़ाया जाय, पठन-पाठन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाय, किस दिशा में शोध हो, सामाजिक विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम चिंतन एवं सृजन तथा विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं नवीनतम उपलब्धियां तभी सम्भव होगी जब सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को न केवल इस क्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्तता दी जाय अपितु इन उपलब्धियों के अर्जन के लिए उनको समस्त प्रकार की सहायता भी उपलब्ध करायी जाय।

(13.00)

राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में यही मानसिकता एवं भावना प्रभावी रही है। एक ओर जहां विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को रोकने की व्यवस्था की गयी है वहीं दूसरी ओर स्वयं विश्वविद्यालय की इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न निकाय एक दूसरे की आवश्यकताओं के परिपूरक हों एवं एक दूसरे से उत्पन्न होने वाली सम्भावित विकृतियों को रोकने में प्रभावी हों। उच्च शिक्षा के विकास के लिए इससे अच्छा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उदाहरण शायद ही कहीं मिल सकेगा। ऐसा मेरा मानना है। मैं जानता हूं कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था के विद्यमान होने के उपरान्त भी पिछले कुछ वर्षों से इस विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में जो विकृतियां आ गयी हैं शिक्षा के गिरते हुए स्तर और आपसी दलबंदियों के सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार की सूचनाएं समाचार-पत्रों में छपती रहती हैं। उसका मूल्यांकन स्वयं समाज ही करता है। सत्र नियमित हो, छात्रों की उपस्थिति कक्षा में रहे और शिक्षण अवधि बढ़ायी जाये इस दिशा में मैं निरन्तर प्रयत्नशील रहा हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनेक महाविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। पिछले 3-4 महीनों में राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के विषय में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। व्याख्याताओं के विभिन्न वर्ग एवं छात्रों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल मुझे समय-समय पर मिले हैं और उन्होंने मौखिक शिकायतें करने के साथ-साथ कुछ ज्ञापन भी दिये। इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की व्यवस्था और शैक्षणिक वातावरण में गड़बड़ियां फैलाने का आरोप है। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है :—

1. संगठन महाविद्यालयों में छात्रों के नियम विरूद्ध प्रवेश।

2. बी.एफ.ए. कक्षाओं में छात्रों को नियम विरूद्ध प्रवेश देना।

3. कुलपति द्वारा विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक पदों पर नियम विरूद्ध तथा पद उपलब्ध न होते हुए भी नियुक्तियां देना। इनमें से कुछ नियुक्तियों को बाद में कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर निरस्त भी कर दिया।

4. राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में नियम विरूद्ध आवासों का आबंटन।

5. परीक्षा में हुई गड़बड़ियां।

6. वित्तीय अनुशासन का उल्लघंन जिसमें अनियमित फर्नीचर की खरीद, पुस्तकालय विकास के लिए प्राप्त धनराशि का अन्यत्र उपयोग, स्वपोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय को विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं कराकर उनमें से अनियमित व्यय करना पी.एम.टी. परीक्षा की धनराशि को विश्वविद्यालय खाते में जमा नहीं कराकर उसका अनियमित रूप से व्यय एवं अन्य निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय।

7. परीक्षा विकास शुल्क के नाम से वसूल की गयी राशि का अन्यत्र उपयोग।

8. बिना बजट प्रावधानों तथा सक्षम निकायों की स्वीकृति के अवैध रूप से कुलपति द्वारा किया हुआ भुगतान।

इन शिकायतों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम और नियमों का उल्लंघन किया गया है। यद्यपि मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का समर्थक हूं और यह चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विश्वविद्यालय के मामलों में राज्य सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। परन्तु यह सच है कि विश्वविद्यालय का लगभग पूरा खर्चा जनता के पैसों से वहन किया जाता है इसलिए राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह देखें कि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से धन का दुरूपयोग नहीं करे और जिस उद्देश्य से राशि दी गयी है उसका सदुपयोग हो। राज्य सरकार के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जाये जिससे उसमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाये या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे और समाज में विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो। उस पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय के खिलाफ जो शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय को सीधी भेजी गयी और उनकी प्रतिलिपियां राज्य सरकार को दी गयी थी। राज्य सरकार को कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुई थी उनमें से इन सभी की प्रतिलिपियां राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी गयी। इसमें राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को तुरन्त जांच कराने तथा आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि विश्वविद्यालय ने इस बारे में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही का अभी तक राज्य सरकार को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। राज्य सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके साथ संलग्न प्रमाणों को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के कुछ मामलों में अनियमितता हुई है। परन्तु वास्तविकता क्या है यह तो विस्तृत जांच के पश्चात् ही सामने आयेगी। जैसे गलत प्रवेश की बात, उपलब्ध अभिलेख देखने से लगता है कि छात्र संघ के लैटर हैड पर काफी संख्या में छात्रों को प्रवेश की तिथि गुजर जाने के बाद प्रवेश देने के आदेश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी नियम इस बात की अनुमति देते हैं परन्तु ऐसे कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है क्या यह विश्वविद्यालय की सामान्य स्थिति है तथा क्या यह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता रखते थे, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस मामले में अभी विस्तृत जांच नहीं हुई है। यह भी सही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 19 व्यक्तियों को बिना उचित प्रक्रिया अपनाये तथा बिना पद उपलब्ध हुए विश्वविद्यालय में नियुक्ति दे दी। बाद में महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने विकास शुल्क के नाम से प्रत्येक छात्र से सौ रुपये प्रति छात्र के हिसाब से कुछ राशि एकत्रित की है।

विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यह राशि एक करोड़ 14 लाख रुपये है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस राशि के उपयोग की अभी तक कोई योजना नहीं बनायी है तथा इस राशि को शायद विश्वविद्यालय के सामान्य खर्चों में उपयोग कर लिया है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विश्वविद्यालय ने उस कोष का अंकेक्षण भी अभी तक नहीं कराया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय विश्वविद्यालय में वर्ष 1993-94 के लेखों का अंकेक्षण चल रहा है और इस विकास शुल्क का अंकेक्षण वर्क वर्ष 1995-96 के लेखों के अंकेक्षण के साथ ही सम्भव हो सकेगा। यह बात विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कुछ अनियमित खर्चों की शिकायत के बारे में है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ये खर्चे उनके नियमों के अनुसार हुए हैं। परन्तु वास्तविकता वर्ष 1995-96 के लेखों के अंकेक्षण से ही सामने आयेगी। सन् 1995 की परीक्षाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी। विश्वविद्यालय ने उन गड़बड़ियों की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की है। यह शिकायतें भी सामने आयी हैं कि कुछ छात्रों को इस परीक्षा में नियम विरूद्ध बैठने की अनुमति दे दी गयी इसको लेकर भी विश्वविद्यालय ने जांच समिति गठित कर दी है। एक छात्रावास में परीक्षाओं की कापियां बरामद होने की शिकायत हुई थी जिसकी पुलिस में रिपोर्ट करा दी गयी है। कुछ उत्तर पुस्तिकाएं गुम होने की बात भी सामने आयी है। उस प्रकरण में विश्वविद्यालय से वस्तुस्थिति की जानकारी ली जा रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाये गये मुद्दों पर माननीय सदस्य ने प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत जानकारी चाही है। इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं और शेष के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

अन्त में, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है और विश्वविद्यालय की निरन्तर बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए चिन्तित है परन्तु उन शिकायतों के निराकरण की एक विधि है और उस विधि से जांच के पश्चात् ही जो शिकायतें सही साबित होंगी उनके लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ए.बी.वी.पी. के लोगों ने जो बदतमीजी की थी उसके बारे में आपको ज्ञापन मिला की नहीं और इस्तीफा जिन्होंने लिखवाया उनके लिए मिला की नहीं। आपकी पार्टी की छात्र कमेटी के बारे में आपने वर्णन नहीं किया। जानकारी छिपा रहे हैं। इस्तीफा दो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। पहले बोलने दें। आप प्रश्न पूछेंगे पहले। दीपेन्द्र सिंह जी पहले प्रश्न पूछेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि डाक्टर की गलती श्मशान की चिताओं की लपटों में दबकर रह जाती है। वकीलों की गलती अदालत की फाइलों में दबकर रह जाती हैं लेकिन यदि शिक्षक ने गलती कर दी तो समाज, सृष्टि और संसार का सर्वनाश हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने ईमानदारीपूर्वक हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

सारी स्थितियों को स्वीकार किया। बड़ी मजबूरी में, बड़ी दबी जबान में। गला घुट रहा था लेकिन हकीकत को सरकार दबा नहीं पायी। आपने स्वयं स्वीकार किया कि बजट के प्रावधानों के विपरीत लाखों रुपया खर्च हुआ। अधिक कहने की आवश्यकता मैं नहीं मानता लेकिन शिक्षा मंत्री जी 14 करोड़ रुपये का तो ओवरड्राफ्ट चल रहा है, सरकार ने अनुदान रोक दिया, वित्तीय अनियमितताएं आपने स्वीकार कर ली हैं। विकास के नाम पर 1995-96 में सौ रुपये प्रति स्टूडेन्ट के हिसाब से मेरे विधान सभा प्रश्न का आपने जवाब दिया है जिसमें 1 करोड़ 14 लाख 71 हजार 6 सौ रुपये इकट्ठा करना बता दिया। इसका हिसाब क्या है? कहां खर्च किया गया है। आपने प्रश्न के जवाब में कहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के लिए जवाब पढ़ रहा हूं। इन्होंने जवाब दिया है कि उक्त राशि का व्यय किस प्रकार किया गया है, व्यय विवरण सदन के पटल पर रखें। मैंने आधे घंटे की चर्चा मांगी थी लेकिन आपने कृपा करके विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी। इस राशि को विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है। इस राशि को विश्वविद्यालय के सामान्य कोष में जमा किया तथा सामान्य आवश्यकताओं पर व्यय किया गया है, विश्वविद्यालय की आय व व्यय का एक ही खाता है। इस राशि से किये गये व्यय का अलग से विवरण देना सम्भव नहीं है। यह विधान सभा में प्रश्न का जवाब है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है कि पी.एम.टी. की परीक्षा में जो पैसा लिया गया है उसका हिसाब नहीं है, एम.बी.ए. की परीक्षाओं का जो पैसा लिया जाता है उसका हिसाब किताब नहीं है और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज की परीक्षाऐं पोद्दार इंस्टीट्यूट ने ली थी वर्तमान वी.सी. साहब की अध्यक्षता में। कितना गोलमाल हुआ? उसका आज तक हिसाब नहीं, बनारस जाकर कापियों में लोगों को पास कराकर कुछ बड़े लोगों को मेम्बरशिप तो उन्होंने दिला दी। उस हिसाब का कौन धणी-धोरी है? इस बात का आज तक पता नहीं है। प्रवेश की बात स्वीकार की, आपको ताज्जुकब होगा, अध्यक्ष महोदय, वी.सी. सीधा आदेश करते हैं, प्रवेश दे दिया जाय। मेरे पास नमूने हैं, प्रिंसिपल महाराजा कालेज प्लीज एडमिट, प्रिंसिपल महारानी कालेज प्लीज एडमिट, प्रिंसिपल राजस्थान कालेज प्लीज एडमिट। किसको? एक लिस्ट दी है उस लिस्ट में 29 छात्रों के नाम दिये गये, ऊपर लिख दिया गया प्लीज एडमिट, सीधा आदेश, छात्रों को लिस्ट दी 29 की, वी.सी. ने लिख दिया एडमिट, उसके बाद छात्रों ने इसी लिस्ट के पीछे 55 नाम लिख दिये। सारे ही एडमिट, वह भी एडमिट, सारे ही एडमिट। यह खाली एक कालेज का उदाहरण है, सारी कालेजों का यह हाल है और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। हमारे

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

जमाने में भी एक स्टेण्डर्ड था, 45 पर्सेन्ट से नीचे वालों को एडमिशन के लिए फार्म भरने को अलाऊ नहीं करते थे। अब 38 पर्सेन्ट वालों को एडमिशन, 39 पर्सेण्ट को एडमिशन, 41 पर्सेन्ट को एडमिशन। आखिर ये कहां ले जाना चाहते हैं। और तो और न पर्सेंटेज लिखा है, न क्लास लिखी है, प्लीज एडमिट। कहां? किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, एडमिशन की कोई तारीख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 1995 में 21 नवम्बर के बाद तक एडमिशन किये हैं। आखिर कोई एडमिशन की सीमा नहीं, एडमिशन की संख्या नहीं, एडमिशन्स का हाल देखिये। जहां विधि महाविद्यालय में 720 का स्थान था 1300 एडमिशन कर दिये, जहां राजस्थान कालेज में 600 का स्थान था 1336 एडमिशन कर दिये गये, जहां वाणिज्यि कालेज में 840 का स्थान था 1108 एडमिशन कर दिये गये, जहां महारानी कालेज में 750 का स्थान था 1365 एडमिशन कर दिये गये। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के स्तर को आप? आप स्वायत्तता दीजिये, मैं भी स्वायत्तता का हामी हूँ स्वायत्तता के लिए हमने संघर्ष किया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता का मतलब सर्वनाश से नहीं होता, स्वायत्तता का मतलब सत्यानाश से नहीं होता। राजस्थान विश्वविद्यालय का एक उज्जवल इतिहास रहा है। उसको आप कहां पहुंचाना चाहते हैं? इस पर कल्पना कीजिये। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सदन को अचम्भा होगा, आल इण्डिया लेवल पर एडमिशन होता है, कम्पीटिशन होता है, एम.सी.ए. का कम्पीटिशन आल इण्डिया लेवल पर होता है, एम.एस.सी. कैमिस्ट्री का कम्पीटिशन होता है, कम्पीटिशन के बाद एडमिशन होते हैं। ताज्जुब होगा, मैं मंत्री महोदय आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, एम.सी.ए. के कम्पीटिशन के एग्जामिनेशन में आल इण्डिया टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में जो लोग फेल हो गये, उनको भी एडमिशन दे दिया आपने, और एडमिशन कब, मई में जाकर दिया है। मैं आपको नाम बताना चाहता हूं दो भाईयों के मनीष पाठक और संजय पाठक, जो परीक्षा में पास नहीं हो सके। आल इण्डिया टेस्ट के बाद बैक डोर से आप एडमिशन देते हैं। हद होती है। एम.एस.सी. कम्पीटिशन होता है कैमिस्ट्री का, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे जहां 55 सीटें हैं 62 लोगों को आपने एडमिशन दिया जहां कम्पीटिशन पर जोर देते हैं और 7 किन लोगों को एडमिशन दिया जो आल इण्डिया कम्पीटिशन को क्वालिफाई नहीं कर सके। बैक डोर से वी.सी. ने उन पर भी कृपा कर दी। ऐसे लोगों को आप एडमिशन देकर स्वायत्तता के नाम पर सत्यानाश क्यों करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय ने आदेश दिया कि वेटेज के आधार पर दे दो। वेटेज क्या है वेटेज होता है वेटेज। वेटेज के बहाने से "घूमर" में काम करने वालों छात्रों को वेटेज दिया गया जिमसें वाइस चांसलर ने सर्टिफिकेट दिया है कि

(84)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

इसने अच्छा काम किया और उन छात्रों ने कभी "घूमर" में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे लोगों को वाइस चांसलर ने स्वयं सर्टिफिकेट देकर प्रवेश दिला दिया 38 पर्सेन्ट पर। यह कौन सा वेटेज है। आज 95 पर्सेन्ट नहीं बल्कि 99 पर्सेन्ट जो वेटेज के एडमिशन हैं टोटल फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा ऐसे-ऐसे प्रवेश जिनके बारे में यदि एन्क्वायरी कमीशन बैठाने की कोशिश की मंत्री जी ने तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, नियुक्तियों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। 19 नियुक्तियां रिसर्च एसोशिएट की, रिसर्च असिस्टेंट की, साइंटिफिक आफिसर की और इस सबका कोई एडवरटाइजमेंट नहीं अखबारों में, कोई यूनिवर्सिटी के गेट पर चिट्ठी नहीं लगायी, कोई इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आया, किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछा नहीं। सीधा अपाइंटमेंट लैटर, इतने बड़े पदों पर बिना क्वालिफिकेशन के दे दिये। मैं धन्यवाद दूंगा कुलाधिपति महोदय को उनके सामने मामला गया, उन्होंने इस मामले को स्टे किया है। कुलपत्ति नहीं नियुक्तियां दे सके और नियुक्तियां रुक गयी लेकिन चहेतों को नियुक्तियां देनी जरूरी थी, अपने चेलों को पालना यूनिवर्सिटी के खर्चे पर जरूरी था, मसल पावर की फौज करना जरूरी था तो क्या करें, बैक डोर से, जो लोग रोक दिये गये थे कुलाधिपति के द्वारा नई पोस्ट बनायी गयी। एक व्यक्ति को नियुक्ति दी गयी, उन 19 लोगों में से लायजन आफिसर के नाम पर। किस बात की लायजनिंग? नई पोस्ट, नया लायजन मसल पावर चाहिए था लायजनिंग आफिसर बना दिया। दूसरे व्यक्ति को फिर नियुक्ति देनी थी उन 19 में जिनको कुलाधिपति ने रोक दिया। नई पोस्ट की, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं, मुझे खुशी है कि ओ.बी.सी. के काम के लिए आप पोस्ट क्रिएट करें लेकिन इंचार्ज ओ.बी.सी. के नाम पर केवल इसलिए पोस्ट क्रिएट कर दी कि किसी एक व्यक्ति विशेष को ओब्लाइज करना था। क्योंकि कुलाधिपति ने जो अपाइंटमेंट दिये, कर नहीं सके। एक गजेटेड स्तर की पोस्ट, डाक्टर होम्योपैथी की पोस्ट, कोई पोस्ट नहीं, एक व्यक्ति को ओब्लाइज करना था मिस्टर रिजवी को, पोस्ट क्रिएट की गयी, एडवरटाइजमेंट नहीं की गयी, कोई इंटरव्यू नहीं किया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सीधा अपाइंटमेंट लेटर कि आपको डॉक्टर बना दिया जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय में। आखिर यह कब तक चलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मैं आपको चर्चा नहीं करता हूं लेकिन लिमिट क्रॉस करके, अध्यक्ष महोदय, किस स्तर तक जाया जा सकता है? इसकी कल्पना करने की आवश्यकता है।

क्वार्टर्स के अलाटमेंट में अनियमितताओं का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से अनियमितता आपने स्वीकार की है लेकिन ताज्जुब होगा मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा के प्रश्न में मैंने आपसे अनियमितता का पूछा आपने जवाब भी

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

दिया है, आपने सूची दी है लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, मेरे अधिकार को चुनौती दी गयी है जो जवाब दिया गया है उसमें और सब तो जवाब दे दिया, आपने क्वार्टर का नम्बर भी दे दिया और आपने क्वार्टर्स की लिस्ट दी है उसमें ज्यादा नहीं आर-वन से लेकर आर-12 तक की तो आपने लिस्ट दे दी। बड़ी कृपा की। सीरियल नम्बर से दी है एक से लेकर 12 तक। आर-10 को कैसे खा गये? आर-10 कहां गया? आर-10 अलाटमेंट किसको हुआ है? अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा आर-10 एक शशि सहाय को दिया है जिसका आपने उत्तर में जिक्र तक नहीं किया, जो लेक्चरार हैं और रीडर का क्वार्टर उनको अलाट करा दिया। किसके टेलीफोन से किया गया, किसके प्रभाव से किया गया? + + + ये अनुत्तरित सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पी.डी. शर्मा को क्वार्टर अलाट किया गया। वी.सी. साहब के स्पेशल क्राइटेरिया क्वार्टर कोटे से, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। तीन साल से जमे बैठे हैं, कोई किराया नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई नोटिस नहीं। लोग तरस रहे हैं जिन लोगों के जयपुर शहर में बंगले हैं उनके लिए आपने कानून बनाया, बुकलैट जवाब में आपने दी है उनको कि जिनका जयपुर शहर में बंगला है उनको क्वार्टर अलाटमेंट नहीं होगा।

एफिडेविट लेते हैं, कितने लोग हैं जिनके जयपुर में बंगले हैं। लेकिन वो कृपा पात्र हैं। जैसे राजस्थान सरकार में कुछ आफिसर मीठेलाल हैं, कुछ आफिसर कड़वेलाल है, उसी तरीके से विश्वविद्यालय में भी मीठेलाल और कड़वेलाल हैं, जिनके आधार पर आप आबंटन करते हैं। यह अन्याय कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक वो कर्मचारी बर्दाश्त करेंगे। आपने बिल्डिंग कमेटी का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा प्रश्न का जवाब भी आया है, पिछले दो वर्ष में 65 लाख रुपये के अपने निर्माण कार्य विश्वविद्यालय में करवाये हैं। बिल्डिंग कमेटी की दो-ढाई साल तक मीटिंग ही नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन के पहले मीटिंग होनी चाहिये थी, नक्शे की अप्रूवल होनी चाहिये। खर्चा कितना हुआ राशि की अप्रूवल होनी चाहिये थी। पिछले ढाई वर्ष का, दो वर्ष का मैंने पूछा। बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग नहीं, 65 लाख का खर्चा हो गया, हिसाब कोई पूछने वाला नहीं, हिसाब कोई बताने वाला नहीं। जब प्रश्न गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गया, माननीय मंत्री जी के नोटिस में मामला आया तो अभी कल-परसों बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग करवा करके फर्जी तरीके से पुराने सारे क्रियाकलापों को रेगुलराइज कराने का प्रयास किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस बिल्डिंग कमेटी को उसने इंकार कर दिया कि आप के किये हुए पाप में भागीदार हम

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

नहीं बनने वाले हैं। कुलपति महोदय, आपने बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग टाइम पर नहीं करवायी, अब हम नहीं चाहेंगे कि बिल्डिंग कमेटी फर्जी कागजों पर दस्तख्त करके भागीदार बनें। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्यों मीटिंग नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है, कितना पैसा खर्च किया गया, किसकी जिम्मेदारी है, किसने हिसाब पूछा, आपको सारे का मूल्यांकन करा लेना चाहिये।

परीक्षाओं की बात आपने स्वीकार की। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, हालत यूनिवर्सिटी की यह है कि जिस लड़के को जचा कि मैं महाराजा कालेज में इम्तिहान देकर पास नहीं हो सकता, वाइस चासंलर का कालर पकड़ा कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री कालेज अलाट कीजिए, इम्तिहान के लिये। आदेश कर दिये आप लाल बहादुर शास्त्री कालेज में जाकर परीक्षा दे सकते हैं, वहां टीप सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हद होती है। आज की बात नहीं है, पहले भी शिकायत आयी है परीक्षाओं में धांधली की। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी, आश्वासन दिया था जांच का। जांच के लिये पिछली बार जब अनियमितताएं सामने आयीं, जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी की जांच हुई है। लेकिन जो लोग दोषी पाये गये उन पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। इसी का परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, कि लोगों का हौसला बढ़ता चला गया है। आपको ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, यह जानकर कि इंजीनियरिंग कालेज में परीक्षाओं की शिकायत आयी तो कुलपति महोदय ने सोचा कि इंजीनियरिंग कालेज की शिकायत मेरे माथे पड़ेगी, एक्जाम का काम इंजीनियरिंग कालेज को सौंप दिया। आप गड़बड़ी मेरे कहने से करते रहो, जिसका मैं चाहूं पास करते रहो, जिसकी मैं चाहूं कापी बदलते रहो, मैं बदनाम नहीं होऊं, परीक्षा वहां लेना शुरू कर दो। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य करेंगे आप परीक्षा के अन्दर जो इंविजिलेटर जाते हैं वो अपने परिवारजनों को टिपाते हुए पकड़े गये। एक अशोक शर्मा नाम का व्यक्ति जो एसोसियेट प्रोफेसर था, अपनी भतीजी का पेपर सोल्व कर रहा था, पकड़ा गया। छात्रों ने गवाही दी, चौकीदार ने गवाही दी, इंविजेलेटर्स ने गवाही दी। पकड़ने के बाद प्रिंसिपल ने लिखकर वाइस चांसलर को सूचित किया, इतना बड़ा घपला हुआ है। वाइस चांसलर को प्रिंसिपल लिखकर भेजता है, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है। एक बेचारा विद्यार्थी यदि पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। यदि रविवार पड़ गया तो तीन दिन उसको पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा। उसको नहीं बख्शा जायेगा, नहीं बख्शा जाना चाहिये। लेकिन जहां खुद प्रोफेसर टिपवाते हों, जहां बाढ़ खेत को खा रही हो, अध्यक्ष महोदय, उस विश्वविद्यालय को कितनी स्वायत्ता के नाम पर आप और छोड़ना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा जो हालात राजस्थान विश्वविद्यालय में आज बने हैं–

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप पाइंटेड प्रश्न पूछें। फरमायें, जल्दी करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बहुत छोटा। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा मेरे खुद का लड़का कामर्स कालेज का छात्र है। पूरे 365 दिन वह कालेज में नहीं गया एक दिन फीस जमा कराने के बाद। मुझे ताज्जुब हुआ कि कहीं आवारागर्दी नहीं करता हो। मैंने उससे पूछा उसने कहा कि पापा हमारे यहां क्लास नहीं लगती है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय का। क्लास ही नहीं लगती मुझे अचम्भा हुआ। एक विधान सभा का प्रश्न पूछा है, जिसमें आपने जवाब भी दिया है—क्लास भी लगती है, इतनी क्लास में अटेंडेंस जरूरी है, प्राध्यापक की भी जरूरी है, छात्र की भी जरूरी है। मेरे 2-4 मित्र कामर्स कालेज में प्राध्यापक हैं। मैंने उनको घर जाकर पूछा कि मेरा लड़का आवारागर्दी करने लग गया, क्लास में नहीं जाता। आज ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक' कहते हैं हम ही नहीं जाते, छात्र कहां से जायेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राध्यापक-छात्र कक्षाओं में जाते नहीं, हाजरी होती नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं। मैंने अपने लड़के से पूछा कि वजह क्या है? उसने कहा पापा 90 पर्सेन्ट से ऊपर प्राध्यापक ट्यूशन करते हैं, 50 पर्सेण्ट प्राध्यापकों ने अपने कोचिंग इन्स्टीट्यूट खोल रखे हैं। उनको फुर्सत नहीं है। पास करने में दिक्कत नहीं है, कापियों का पता लग जाता है कहां गयी है, पैसे में रिजल्ट बिक जाता है कहा गया और यदि कोई लड़का फेल भी हो जाए, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे रि-चैकिंग कराने के आदेश करा लो, यदि रि-चैकिंग के बाद भी फेल हो जाए व अगेन रि-चैकिंग के आदेश करा लो, यदि फिर भी फेल हो जाए अगेन रि-चैकिंग करवा लो और कॉपी बदल लो, पास हो जायेगा। कोई रोक-टोक नहीं है। पी.एम.टी. की परीक्षाओं में मैं आपको उदाहरण देकर के गिनती गिना सकता हूं जिन विद्यार्थियों को पी.एम.टी. में पास करवाया गया। प्रभावशाली लोग जो वाइस चांसलर के मित्र थे, हमजोली थे, उनके बच्चों को कॉपी के पन्ने बदल-बदल कर, कवर बदल-बदल कर पास करा दिया। आगे वो डाक्टर बन गये। लाल बहादुर शास्त्री कालेज में क्या होता है, अण्डर ग्राउंड का बैडरूम किस के उपयोग में आता है, परीक्षाओं में क्या धांधलियां हुई हैं? क्या कभी जांच करने का प्रयास किसी ने किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां छात्रों की हालत यह हो कि कक्षा में जाना नहीं, जहां अध्यापकों की हालत यह हो कि जाना नहीं, जहाँ ट्यूशन के नाम पर प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट के नाम पर लूट मचा रखी हो। आखिर उस विश्वविद्यालय को स्वायत्तता के नाम पर आप कहां पहुंचाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी?

आपको ताज्जुब होगा खरीद के मामले में आपने स्वीकार कर लिया इसलिए मुझे लम्बी बात नहीं करनी वरना लाखों रुपये की फर्नीचर की खरीद और मात्र एक

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

जूली। फर्नीचर से कहीं कोटेशन नहीं है, कहीं आदेश नहीं है। कहीं आदेश नहीं है, कहीं कोटेशन नहीं है, फर्नीचर लिया हो–

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ना कुछ तेरे बस में जूली ना कुछ मेरे बस में जूली।

श्री अध्यक्ष : मामला बहुत गम्भीर है, माननीय सदस्य बिराजें। मामला बहुत गम्भीर लग रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपका जरा ध्यान चाहूंगा। फर्नीचर की खरीद के आदेश नहीं दिये जाते। फर्नीचर की खरीद में कोई कोटेशन नहीं लिया जाता। एक ही स्थान से, एक ही व्यक्ति से फर्नीचर खरीदा जाए और खरीदो तो खरीदो, अध्यक्ष महोदय, जरा ध्यान चाहूंगा, खरीदो तो खरीदो, नहीं खरीदो तो बिल दे दो तो पेमेंट हो जायेगा। यदि आरिजनल बिल नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दो तो पेमेंट हो जायेगा। आखिर स्वायत्तता के नाम पर लूट कब तक चलेगी, अध्यक्ष महोदय। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे हमारे गहरे पसीने के टैक्स की कमाई का पैसा विश्वविद्यालय में आप अनुदान देते हैं। राजस्थान की जनता की भागीदारी विश्वविद्यालय में है और सवाल भागीदारी का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल किसी के टैक्स का नहीं है। आने वाली पीढ़ी की जिन्दगी बर्बाद करने का जो रास्ता है, उसको रोकने के लिये मजबूर होकर हमको आपसे गुहार करनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे पिछले सदन में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी जांच की। 32 माननीय विधायकों ने लिखकर दिया था अनियमितताओं के लिये इसी राजस्थान विश्वविद्यालय में। क्या हुआ इसका? मुख्य मंत्री जी ने कृपा की थी एक रिटायर आई.ए.एस. अफसर राजगोपालन के नेतृत्त्व में एक कमेटी का गठन किया था, एक कमीशन बनाया था। उसने इन्क्वायरी की, जांच हुई। असलियत सामने आयी। लेकिन उस जांच कमेटी को भी आज क्यों दबाया जा रहा है। जांच करवायी थी तो उसकी आवश्यकता आपने समझी। जांच के बाद तथ्य सामने आये। उन तथ्यों को भी चाट गये। इन्क्वायरी आज होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। इससे अन्याय करने वाले लोगों का हौंसला बढ़ेगा। यह जांच कमेटी जब सामने आयी, बौखलाहट मची उप कुलपति महोदय के। बौखलाहट मची, भूचाल आया राजस्थान विश्वविद्यालय में और इस जांच कमेटी को कैसे दबाया जाए, इस बात का एक षडयंत्र किया गया। अध्यक्ष महोदय सिंडिकेट में जांच कमेटी जाती तो हड़कम्प मचता। उसके पहले-पहले तीन सिंडिकेट के सदस्यों को बदल दिया गया जिससे कि जांच कमेटी पर कार्यवाही नहीं हो जाए। यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी, एन.एस. राठौड़ को बदला गया, जो प्रिंसिपल मोतीलाल नेहरु कालेज, झुंझनू थे, उनको हटा दिया गया। एस.पी. माथुर, जो मेडिकल कालेज से थे, उनको सिंडिकेट से हटा दिया गया। मिस्टर पी. हूजा, ये रिटायर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

आई.ए.एस. थे, इनको हटा दिया गया कारनामों को दबाने के लिए। सिंडकेट में चर्चा नहीं उठ जाये, इसलिए ईमानदार लोगों को हटा दो। नयी नियुक्तियां की गयीं, दूसरे लोगों को लगाया गया। एस.पी. मिश्रा को लगाया गया, रमा कोचर को लगाया गया, श्रीमती मेहतानी को लगाया गया। ये किसके लोग हैं, क्यों लगाये गये हैं? मामले को दबाने मात्र के लिए इन लोगों को लगाया गया। फिर कैसे जांच होगी। जांच कमेटी थी, वर्तमान कुलपति के खिलाफ जो जांच करने वाली कमेटी थी, उसने कच्चा चिट्ठा खोला है। दूसरे कारनामें करने वाले विश्वविद्यालय के दूसरे लोगों के खिलाफ कच्चा चिट्ठा खोला है। मधुकर श्याम चतुर्वेदी के खिलाफ खोला है, एस.पी. मिश्रा के खिलाफ खोला है, मोहनलाल छींपा के खिलाफ है, आर.बी. सिंह के खिलाफ खोला है जो वर्तमान सरकार के काफी प्यारे, लाड़ले और चहेते लोग हैं। इसलिए आप कार्यवाही करने से डर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, जहां इतनी अनियमितताएं हों, जहां मंत्री महोदय की जानकारी में सारे तथ्य आ गये हों, इनके अपने लोगों ने सारी हकीकत बता दी हो। उसके बावजूद भी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रीजी की कोई न कोई मजबूरी रही होगी। मैं सदन के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मजबूरी को आप छोड़िये। आपकी ईमानदारी पर, आपकी निष्ठा पर और आपके कार्यकलापों पर सदन तभी भरोसा कर पायेगा। इस तरह के कारनामों पर आप सजग होकर, जानते हुए भी कार्यवाही नहीं कर पायेंगे तो कौन विश्वास करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले 4 दिन से राजस्थान के शिक्षा मंत्री चाहते हैं, राजस्थान के शिक्षा सचिव चाहते हैं, प्रयास किये जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय का जवाब प्रोपर आये, विश्वविद्यालय से जानकारी प्रोपर आये। 4 दिन से लगातार टेलीफोन करने के बाद, प्रयास करने के बाद उप कुलपति ने राजस्थान की+ + + और कह दिया मैं नहीं मिलता, मेरी पीठ मजबूत है। यह कैसे चलेगा, यह सही है। आप मुझे झुंठला नहीं सकते, यह हकीकत है।

अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे। एक नमूना दिखाता हूं आपको। मुझे शर्म आती है, पेश करते हुए इससे नीचे कहां तक गिरा जायेगा। उप कुलपति महोदय ने एक प्रिंसिपल से कहा मेरे लिए बढ़िया सूट लाओ, कितना घिनौना, प्रिंसिपल ने कहा मैं कहां से दूं, मेरे बस की बात नहीं है। कहा, आपको देना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेना तो अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल ने सूट खरीदा रेमण्ड का। उसकी भी रसीद है, प्रिंसिपल के स्टाइलिश टेलर के यहां सिलवा दिया, उसकी भी रसीद है और कालेज से उसका

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पेमेण्ट करवा दिया। गरीब क्या करता, एडजस्ट कर दिया। क्या स्तर है, आप कल्पना कीजिए। शर्म आनी चाहिए।

इसलिए इन सारे तथ्यों के बाद मैं आपसे अधिक समय नहीं लेकर प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्रीजी से, प्रार्थना करना चाहता हूं इस सदन से कि राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर कृपा करिये। राजस्थान की आने वाली भविष्य की पीढ़ी की तरफ देखकर के उसके भविष्य पर कृपा करिये। इन सारे तथ्यों की जानकारी स्वायत्तता के आडम्बर में आप नहीं करा पायेंगे इसलिए पुरजोर शब्दों में मेरी मांग है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी सारे प्रकरण की जांच करें जिसमें उधर के भी लोग हों, इधर के भी लोग हों। अध्यक्ष महोदय, आप नोमिनेट करवाकर अपने अधिकार से जांच कराइये तभी जाकर सारे तथ्य सामने आ पायेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बाद जिस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं, परीक्षाओं में धांधली, फर्जी नियुक्तियां, माननीय मंत्रीजी ने भी अपने जवाब में इन सब बातों को स्वीकार किया है, दीपेन्द्र सिह जी ने भी सब तथ्य यहां रखे हैं।

केवल यह कहकर कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्राप्त है, क्या राज्य सरकार प्रदेश के लाखों छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय किसी समय हमारे देश के अच्छे और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में माना जाता था। माननीय मंत्रीजी ने भी अपने उत्तर में इस बात को माना है कि जब से कुलपति के रूप में प्रोफेसर आर.एन. सिंह की नियुक्ति हुई है, राजस्थान विश्वविद्यालय अराजकता का अड्डा बन गया है और राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई शैक्षणिक माहौल नहीं है। शैक्षणिक वातावरण निरन्तर गिरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में बिना मैरिट के एडमिशन हो रहे हैं, नियमों की खुली अवहेलना करके फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं, परीक्षाओं में गम्भीर अनियमितताएं हो रही है। यही नहीं, एम.बी.ए.; पी.एम.टी.; पी.ई.टी. और पी.ए.टी. जैसे एण्ट्रेंस एग्जामिनेशन में पैसे लेकर मन में आये उसको पास और मन आया जिसको फेल किया जा रहा है। माननीय दीपेन्द्रसिंहजी ने कहा कि कुलपतिजी ने छात्र संघ के लेटर पैड की लिस्ट पर लिख दिया, 'प्लीज एडमिट।' मैं आपकी गलती सुधारना चाहूंगा कि उन्होंने लिस्ट पर नहीं लिखा, 'प्लीज एडमिट'। छात्र संघ का अध्यक्ष आया, महाराजा कॉलेज में एडमिशन कराने हैं साहब, इस पर लिखिए और उन्होंने खाली लेटर पेड पर लिख दिया, प्रिंसिपल, महाराजा कॉलेज, प्लीज एडमिट। उसके बाद लिस्ट छात्रसंघ

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कार्यालय में बनी और उसके एडमिशन हो गये। महारानी कॉलेज के लिए कहा कि वहां मुझे 50-60 एडमिशन कराने हैं, लेटर पेड पर लिख दिया प्रिंसिपल, महारानी कॉलेज, प्लीज एडमिट। उसके बाद उस पर लिस्ट बनी और उसके एडमिशन हो गये।

इतना ही नहीं, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष ऐसे निर्देश देते हैं, प्रिंसिपल और उप कुलपति को, कोई भी कुलपति है, कुलाधिपति हैं वहां के। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, श्रीमान् प्रिंसिपल साहब, नमस्कार। कैलाशचन्द्र शर्मा मेरे अत्यन्त नजदीकी हैं, इनका राजस्थान कॉलेज में डे में ही प्रवेश कराने का कष्ट करें। मैं स्वयं भी आपसे मिलूंगा। साथ में यह धमकी और दी है, मैं स्वयं भी आपसे मिलूंगा, हस्ताक्षर महेन्द्रसिंह, इसको अति आवश्यक समझें, उन्होंने यह लिखा है।

कुलपति को कैसे लिखते हैं, माननीय सिंह साहब, नमस्कार, सीताराम का प्रवेश होना है, उसको सुनकर समय बता देवें। रमेश चन्द मीणा का प्रवेश भी करना है, भवदीय महेन्द्र चौधरी। अब ये कुलाधिपति हैं, ये क्या हैं, यह समझ में नहीं आता। इस प्रकार से आदेश देते हैं और वाइस चांसलर साहब उस पर लिख देते हैं, प्लीज एडमिट तथा एडमिशन हो जाता है। अब यह देखिये आप, यह लिस्ट मैं बताना चाहता हूं। इसमें यह सब खाली, बाद में लिखे गये नाम, ऊपर लिख दिया, प्रिंसिपल, राजस्थान कॉलेज, प्लीज एडमिट और फिर उन्होंने लिस्ट बनायी, छात्र संघ के अध्यक्ष की राइटिंग से। इसमें 40 प्रतिशत तक का एडमिशन है, एक एडमिशन तो 39 प्रतिशत तक का है, वह नाम है हरनाम चौधरी, 39 प्रतिशत तक का एडमिशन कर दिया। विश्वविद्यालय में व्यवस्था है, सिंडिकेट मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करती है, मैरिट के हिसाब से एडमिशन होते हैं।

मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, दीपेन्द्रसिंहजी भी रहे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष भी हम रहे हैं पर हमें आज तक इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि बिना मैरिट के, बिना मिनिमम एलिजिबिलिटी के वहां पर प्रवेश हो जाता है। कोई मापदण्ड, कोई आधार नहीं और एडमिशन हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पर जो बात उन्होंने कह दी, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता।

परीक्षाओं की धांधली में कमाल ही हो गया। प्री-होम्योपैथिक टेस्ट में 4 सीरिज की उत्तर पुस्तिकाएं मात्र एक ही सीरिज की उत्तर तालिका से जांच करदी गयीं। जिसके कारण परीक्षाओं में जबरदस्त धांधली हुई और परिणामस्वरूप एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और एक छात्रा जिसके परीक्षा परिणाम में पूर्व में फेल थी। पैसे दिये, उसका परीक्षा परिणाम बदल दिया गया और परीक्षा परिणाम बदलकर केवल पास ही नहीं किया उसका नाम मैरिट में चौथे नम्बर पर आ गया। जो छात्रा फेल थी, पैसे दिये, पास हुई वह तो बहुत बढ़िया, पास

92

(श्री कालीचरण सर्राफ)

होकर के उसका मैरिट में चौथे नम्बर पर नाम आ गया। परीक्षाओं की गोपनीयता का भी कमाल है। एक छात्र महाराजा कॉलेज में नियमित छात्र है, वहां पर नकल नहीं हो सकती है। उन्होंने लिखकर दिया कि अपरिहार्य कारणों से मेरा परीक्षा केन्द्र एल.बी.एस. कालेज कर दिया जाय। वाइस चांसलर ने झट एल.बी.एस. कालेज कर दिया और एल.बी.एस. कालेज के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। यहां के प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में बड़े आराम से नकल होती है। सामूहिक नकल होती है। किताबों से नकल होती है। अब मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। देवेन्द्र कुमार, महेश कुमार और परेश चौधरी यह बी.एससी. पार्ट फर्स्ट के महाराजा कालेज के नियमित छात्र हैं। आप जांच करवा लें। उनका परीक्षा केन्द्र चेंज किया और एल.बी.एस. कालेज में इनको परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति दी गयी। इसी प्रकार से धर्मेन्द्र सिंह, भंवरलाल स्वामी, कन्हैयालाल भादू, महेन्द्र कुमार मेहरा, योगेश कुमार, सुरेश मीणा, वीरेन्द्र सिंह, पवन गोदारा, यह बी.एससी. पार्ट सैकिण्ड के महाराजा कालेज के रेगुलर छात्र हैं, इनको भी परमिशन दे दी कि एल.बी.एस. कालेज में जाकर परीक्षा दीजिये।

परीक्षकों की सूचियां आउट हो गयी। कौन किसका एग्जामिनर है और किसके पास कौनसी उत्तर पुस्तिका गयी है, यह भी वहां पता लग जाता है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि रोल नम्बर 3200 से 3500 स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर कामर्स, इनकी कापी गयी बी.के. गुप्ता, राजगढ़ के पास। वहां साइक्लोस्टाइल लिस्ट मिलती है आराम से। 3200 से 3500 ए.बी. एसटी. की कापी एम.एल. शर्मा साहब के पास गयी, अलवर, वह भी वहां से पता लग गया। 12000 से 12300 वित्तीय प्रबन्धन सैकिण्ड ईयर की कापी यह अलवर गयी, यह भी पता लग गया। रोल नम्बर 23000 से 23300 व्यावसायिक प्रबन्धन सैकिण्ड ईयर बी.एम. शर्मा, चिड़ावा के यहां कापी गयी, उनका भी पता लग गया। 4200 से 4500 ए.बी.एसटी. फर्स्ट ईयर की कापी बी.एल. अग्रवाल चिड़ावा के पास गयी। यह भी पता लग गया। ए.बी.एसटी. सैकिण्ड पेपर की कापी एम.एस. श्रीवास्तव के पास गयी चिड़ावा यह भी पता लग गया। व्यावसायिक प्रशासन सैकिण्ड, फर्स्ट ईयर की कापी नवलगढ़ गयी, यह भी पता लग गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कुलपतिजी के खास दो-तीन लेक्चरर्स कामर्स कालेज में ऐसे हैं, जो परीक्षाओं में पास करवाने का ठेका लेते हैं। फर्स्ट ईयर में पास करवाने के पांच हजार रुपये, सैकिण्ड ईयर में पास करवाने के पांच हजार रुपये परीक्षकों के नाम बता दें, वह पास नहीं करे तो उनके पास चले जायें, उनको धमकी दे, पास कर दो, नहीं तो अगली बार एक्जामिनर नहीं बनाया जायेगा। आपके पास उत्तर पुस्तिकाएं नहीं भेजी जायेंगी। उनको जान से मारने तक की धमकियां दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता

(श्री कालीचरण सर्राफ)

के नाम पर आज किस प्रकार का वातावरण विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में बनाना चाहते हैं, इसके बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। इतना ही नहीं_

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न करें।

श्री कालीचरण सराफ : आप एक मिनट सुन लें। कुछ वास्तविकता बताना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही है, यह करके।

श्री रामनारायण चौधरी : इनके पहले क्या लगा दो।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह उत्तर पुस्तिका ए.बी.एसटी. आनर्स पार्ट सैकिण्ड आडिटिंग की। आप देखिये। यह कापी जांची गयी, इसमें पांच नम्बर दिये गये हैं। फेल है। यह कापी बाहर आ गयी। पैसे का सौदा हो गया, दूसरी कापी दे दी। उसमें सौ में से साठ नम्बर दे दिये। लड़के के सौ में से साठ नम्बर देकर वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया और यह कापी बाजार में घूमती फिर रही है। मैं टेबिल पर रखना चाहता हूं। देखिये, यह जांच की हुई कापी है। यह देखिये कापी। यह खाली कापियां बाजार में बिक रही है।

एक माननीय सदस्य : यह बाजार में बहुत जगह बिक रही हैं।

श्री कालीचरण सराफ : यह बाजार में बिक रही है। कापी आराम से लेओ, घर पर प्रश्न-पत्र सॉल्व करो, छात्रावास में बैठकर सॉल्व करो, परीक्षा केन्द्र में जमा कराओ, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन जो लेना चाहिये, वह ले आओ। अब देखिये, यह खाली कापी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के भाभा होस्टल से पुलिस से 111 खाली उत्तर पुस्तिकाएं बरामद की हैं। पुलिस ने बरामद करली पर आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी और इतना ही नहीं जो इसके लिए दोषी था, कर्मचारी नरपत सिंह, वह पहले वहां पर फोर्थ क्लास था, पुरस्कार के रूप में उनका प्रमोशन कर दिया और उनको फोर्थ क्लास से कनिष्ठ लिपिक, एल.डी.सी. बना दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नरपतसिंहजी तो एम.एल.ए. हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह दूसरे हैं (व्यवधान) यानि उनको एल.डी.सी. बना दिया। अब इससे ज्यादा अनियमितता क्या होगी, हम कह नहीं सकते। रिवेल्यूएशन, इसमें तो कमाल हो गया। आज तक यूनिवर्सिटी में यह प्रावधान है, यह नियम है कि परीक्षा समाप्ति के बाद एक महीने में जो निर्धारित शुल्क जमा कराकर, आवेदन पत्र भरकर जो भी वहां जमा करा दें, उसका रिवेल्यूएशन होता है। हमारे कुलपति जी ने सैकड़ों ऐसे छात्रों का रिवेल्युएशन करा दिया, जिन्होंने एक महीने में आवेदन जमा नहीं कराया, निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया।

(13.45)

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चलिये, यहां तक भी मान लेते हैं परन्तु इससे भी ज्यादा कमाल क्या किया कि जो रिवेल्यूएशन में फेल हो गया कोई लड़का, रिवेल्यूएशन में फेल हो गया तो उसको दुबारा रिवेल्यूएशन, यानि रि-रिवेल्यूएशन और उसमें उसको पास कर दिया गया। ऐसे भी कई उदाहरण हमारे परम् आदरणीय कुलपतिजी के सामने आये हैं। एम.बी.ए., पी.एम.टी., पी.ई.टी., पी.ए.टी. जैसे एण्टरेंस एग्जाम में सरे आम धांधलियां हो रही हैं। सौदेबाजी हो रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एम.बी.ए. का एग्जामिनेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में फरवरी में हुआ था और उदयपुर में भी इसके साथ ही एग्जाम हुआ था। उदयपुर में एक महीने पहले रिजल्ट आ गया। हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अभी पांच महीने हो गये, नहीं आया। अजमेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, अजमेर, कोटा, एम.बी.ए. इन्स्टीट्यूशंस के एग्जाम लिये थे 16 जून को और 10 जुलाई को उनके रिजल्ट आ गये। परन्तु यहां अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया रिजल्ट? तीस सीटों के लिये पांच सौ लोग बैठे हैं, उनका पांच महीनों से रिजल्ट रोक रखा है। किसलिये? सौदेबाजी हो रही है। पच्चीस हजार रुपये देना, एडमिशन हो जाएगा। पचास हजार रुपये देओ, एडमिशन हो जाएगा। यानि मेरिट का कोई मतलब नहीं। पांच महीने से रिजल्ट इसलिये रूका हुआ है कि पैसे देओ तो आपका नाम पास होने वाले लड़कों की सूची में आ जायेगा और पैसा नहीं देंगे तो नाम नहीं आयेगा।

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्जी नियुक्तियों की बात की है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि फर्जी नियुक्तियां जो हुई हैं उसके बारे में गवर्नर साहब को शिकायत की गयी और गवर्नर साहब ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिये कि यह फर्जी नियुक्तियां हैं, इनको केन्सिल करो। उसके बाद वे नियुक्तियां केन्सिल हुईं। अब वे तो केन्सिल हो गयीं पर अब नये पद सृजित करके जैसा दीपेन्द्रसिंहजी बता रहे थे, इनकी पुनर्नियुक्तियां की जा रही हैं।

वित्तीय घोटाले का तो कहना ही क्या? वहां प्रावधान है कि एक बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है, 1961 से। कोई भी निर्माण का काम हो तो बिल्डिंग कमेटी उसकी सैंक्शन देती है और उसके बाद निर्माण कार्य कर सकते हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब ने कमाल कर दिया। 56 लाख रुपये का निर्माण कार्य बिल्डिंग कमेटी की बिना स्वीकृति के, बिना अनुमोदन के उन्होंने वहां पर करवा लिया जबकि आर्डिनेंस में स्पष्ट प्रावधान है कि एक लाख से ज्यादा का निर्माण कार्य वाइस चांसलर सीधे बिना अनुमति के नहीं करवा सकते। करवा लिया।

अब आपको एक मजेदार उदाहरण और बताना चाहता हूं। लॉ कालेज में "पनहारिन" के नाम से एक सांस्कृतिक

(श्री कालीचरण सराफ)

कार्यक्रम हुआ। वहां के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल पेश किया एक लाख 48 हजार 169 रुपये का। उनका भुगतान कर दिया। उन्होंने लिख दिया रिसिव्ड फुल एण्ड फाइनल पेमेंट। उसके बाद उनको पता लगा कि "घूमर" के लिए पांच लाख दिये हैं, "गणगौर" के लिये इतने दिये हैं तो वे वाइस चांसलर के पास पांच-सात लड़कों को लेकर के पहुंचे कि साहब मुझे भी और पैसे चाहिये। उन्होंने कहा कि आपको तो फुल पेमेंट हो गया। यह तो हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि फरवरी में फुल एण्ड फाइनल पेमेंट एक लाख 48 हजार का करने के बाद यह डाकुमेंटरी प्रूफ है। बिना बिल के, बिना बाउचर के अप्रेल के महीने में दो लाख रुपये का भुगतान डर के मारे लॉ कालेज के अध्यक्ष को और कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या करे, डर के मारे?

श्री कालीचरण सराफ : और मंत्रीजी यहां पर कह रहे हैं स्वायत्तता। विश्वविद्यालयों को हमने स्वायत्तता दे रखी है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर राजस्थान के छात्रों से जो खिलवाड़ करने की कोशिश यहां पर हो रही है, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री कालीचरण सराफ : + + +को एक-एक घंटा यदि वहां पर रखा गया तो (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री कालीचरण सराफ : इस प्रकार के भ्रष्ट वाइस चांसलर को तुरन्त वहां से बरखास्त किया जाय और मैं समर्थन करना चाहता हूं श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माननीय सदस्य लगातार भाषण ठोके जा रहे हैं। यह क्या परम्पराओं का निर्वहन हो रहा है? जो कुछ इनको पूछना है, प्रश्न पूछें, नहीं तो बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। **(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरी डिबेट करा दी आपने। या तो आप इस पर चर्चा करवा लीजिये, चर्चा नहीं करवा रहे हैं तो पाइंटेड प्रश्न होने चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ : तो मैं यहां लम्बा नहीं बोलना चाहता। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग की है यह केवल...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बी.जे.पी. के खेमे हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, एक खेमा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वी.सी. को हटाना चाहता है एक खेमा उसको रखना चाहता है। आपकी सरकार का मामला है, यदि वी.सी. आपके नहीं जच रहा है तो आप वी.सी. को हटा दीजिये इस सदन में, जो इतना महत्त्वपूर्ण सदन है उसमें पानी जैसे बड़े मसले पर चर्चा होनी है, आप वी.सी. जैसे मामले में ख्वामहख्वाह इसमें एक हव्वा खड़ा करके बैठे हो। आपको हटाना है तो हटाइये आप उसको। ...(व्यवधान)... रखना है तो रखिये। जब मंत्रीजी को पता है कि सारी इर्रेगुलरिटीज हो रही हैं, वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं तो ऐसे वी.सी. को रखने से क्या फायदा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपना नाम एंटर कराना चाह रहे हो बस। हो गया इनका।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय पारीक साहब, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने इस सदन का अहम समय जो पानी जैसे मसले पर इतनी अहम चर्चा होनी है आज...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपना नाम एंटर कराना चाह रहे हो, बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरा राजस्थान पानी के मामले में त्राहि-त्राहि कर रहा है, ऐसे अहम मसले पर चर्चा ना करके आप एक साधारण से मुद्दे को...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात मैंने सुन ली।

श्री राजेन्द्र पारीक : वी.सी. है तो हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय।

श्री राजेन्द्र पारीक : या तो पाइंटेड प्रश्न ही हों, पांच-सात मिनट में यह मामला समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बैठें।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, आपको साधारण मामला लग रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल शिकायतों का पुलिन्दा गवर्नर साहब के यहां भेजने से काम नहीं चलेगा, यह सदन सर्वोच्च सदन है, यहां के सदस्यों की एक समिति बनायी जाय, 7 दिन में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इन अनियमितताओं की जांच करें और उस रिपोर्ट को गवर्नर साहब के पास भेजकर उनसे यह अनुरोध किया जाय कि इस प्रकार के भ्रष्ट कुलपति को हटाया जाय। यह मैं मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको जांच कौन करने देगा। आपको घुसने ही नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : काफी तथ्य आ चुके हैं अब आप सवाल ही पूछ लें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलूंगा और बोलूंगा उसमें से ही प्रश्न निकलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोलो, प्रश्न हम निकाल लेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यहां जिस ढंग से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया है...

श्री कालीचरण सराफ : यह सारे डाकूमेंट में सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : रख दो, रख दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और यह उनका सैल्फ-एडमिशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित कर रहा हूं। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : कान आपकी तरफ हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कागजों को रखने की इजाजत दे दी क्या, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी ने माना अपने उत्तर में कि विश्वविद्यालय में वित्तीय मामलों में अनियमितताएं हैं, छात्रों के प्रवेश के मामलों में अनियमितताएं हैं, विश्वविद्यालय में नौकरियां देने के मामले में अनियमितता है, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के मामलों में अनियमितताएं हैं। मेरी समझ में नहीं आता जब सरकार स्वयं मान रही है कि विश्वविद्यालय अनियमितताओं का एक घर बन चुका है तो आखिर कौनसी बाध्यताएं हैं, कौनसी परेशानियां हैं कि सरकार मुखापेक्षी बनी हुई है और विश्वविद्यालय के वी.सी. के खिलाफ या अनियमितताएं बरतने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार पर सीधा-सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में चल रही है, मौजूदा सरकार दो धड़ों में बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने...

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा सरकार की नहीं है यह तो विश्वविद्यालय के बारे में है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं विश्वविद्यालय के बारे में ही कह रहा हूं। उन दोनों धड़ों में से एक वी.सी. को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा वी.सी. की खिलाफत कर रहा है। दोनों धड़ों में विश्वविद्यालय के टीचर समुदाय तक बंटा हुआ है, वहां का मिनिस्ट्रियल स्टाफ तक बंटा हुआ है, वहां का विद्यार्थी वर्ग तक बंटा हुआ है और इसकी अराजकता का मुख्य कारण यही है कि एक तरफ सरपरस्ती हो रही है और दूसरी तरफ टांग खिंचाई हो रही है। जिसकी टांग खिंचाई हो रही है उस पर दूसरा धड़ा सरपरस्ती कर रहा है। यही कारण है कि राजस्थान के लाखों बच्चों के भाग्य के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है।

एक तरफ जब हम मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय में 166 प्राध्यापकों का अनियमित पदस्थापन किया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. के जो योग्य व्यक्ति हैं उनको

(श्री हरिसिंह)

रिजर्वेशन से वंचित किया गया है तब सरकार चुप रहती है। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार के ऊपर आपके माध्यम से कि बहुत भयंकर साजिश हो रही है, रिजर्वेशन हो रहा है। विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन हो रहा है सिर्फ कैपिटलिस्ट का, पूंजीपति वर्ग का जिनके बच्चे पैसे दे-दे कर के पीईटी., पीएमटी., पीटीईटी. और जितने भी जो प्री-टैस्ट लागू किये जा रहे हैं, पैसे दे-देकर उनके बच्चों को पास करवा रहे हैं और योग्य, कुशल और अच्छे विद्यार्थी जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं वो दूर लाइन में खड़े हैं, उनको फेल किया जा रहा है, उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पैसे वालों के लड़कों के लिये अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्वेशन किया जा रहा है।

एक तरफ जब रिजर्वेशन का नाम आता है तो ऊपर चिंघाड़ उठते हैं, निहित स्वार्थी हो। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो लोग चिंघाड़ उठते हैं, हम जब समता की बात करते हैं तो चिंघाड़ उठते हैं और दूसरी तरफ पैसे वालों के निठल्ले, अयोग्य बच्चों को योग्य बनाकर डाक्टरों और इंजीनियरों की श्रेणी में उनको एडमिशन दिया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय में जो भ्रष्ट प्रशासन है, विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है यह उसी का नतीजा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सदन राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायी है और यह सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का कहां सवाल हुआ? यह विश्वविद्यालय भी इस सदन के प्रति उत्तरदायी है जिसको इस सदन के द्वारा बजट प्रस्ताव पास किये जाते हैं, बजट दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। जो राजस्थान की जनता से टैक्स से वसूल करते हैं और जो विश्वविद्यालय को अनुदान की रूप में दे रहे हैं, उस एक-एक पैसे का हिसाब मांगने का हमारा अधिकार है। स्वायत्तता का मतलब उच्छ्श्रृंखल निरकुंशता नहीं हो सकती। स्वायत्तता का मतलब निरकुंशता नहीं है। विश्वविद्यालय में निरकुंशता व्याप्त है और आज इसकी स्वायत्तता की आड़ में, आप आश्चर्य करेंगे, आज तक विश्वविद्यालय ने समय पर अपना बजट पास नहीं किया और हम उसको अनुदान दे देते हैं। आज तक विश्वविद्यालय के कोई भी लेखे-जोखे इस पवित्र सदन में नहीं रखे गये देखने के लिये। आज तक विश्वविद्यालय का कोई भी आडिट इंस्पेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया माननीय सदस्यों के लिये। स्वायत्तता का यह तो मतलब नहीं है कि उच्छ्श्रृंखल बना दिया जाय।

मैं इसके साथ ही सिर्फ दो-चार प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी 25.2.1996 की दैनिक नवज्योति में, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एक नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन है, मैं आपकी इजाजत से दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

(श्री हरिसिंह)

"Whereas the Inquiry Committee under the chairmanship of Shri L.N. Yadav, I.A.S. (Retd.) has been appointed to inquire into the alleged financial and other irregularities committed by Dr. R.B. Singh, Department of Geography, with the following terms of reference. ..."

यह एक कमेटी की नियुक्ति हो गयी। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, क्या इस कमेटी ने काम करना प्रारम्भ कर दिया? इस कमेटी के पास 17 प्रकार की 17 शिकायतें आयी हैं इस आदमी के खिलाफ। लेकिन आप इस कमेटी को प्रोपरली काम नहीं करने दे रहे हैं, अपना फंक्शन कमेटी नहीं कर पा रही है। आप कमेटी तो अपांइट कर देते हैं लेकिन उन कमेटीज को काम नहीं करने देते। वहां राजनीति आ जाती है, वहां आप अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हैं।

मैं आपको दूसरा और अनुरोध करना चाहता हूं। जहां 15.3.1990 को इस विधान सभा के माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंहजी ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा, विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में परीक्षकों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में। जिन आर. बी. सिंह का मैं उल्लेख कर चुका हूं, यह श्री आर.बी. सिंह वहां पर हैड आफ दी डिपार्टमेंट। अपने बच्चे को प्रथम श्रेणी से पास करवाने के लिये इन्होंने परीक्षकों की नियमानुसार नियुक्ति थी उसमें तब्दीली की और उसकी जांच के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये। विधान सभा के 35 सदस्यों ने मुख्य मंत्रीजी को लिखकर दिया, मुख्य मंत्रीजी ने 25.2.1992 को माननीय श्री गोविन्द सिंहजी, विधायक को लिखित में आश्वासन दिया कि हम इस पर आयोग बैठा रहे हैं।

(14.00)

और वह जो आयोग था उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। उसका एक पैरा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने अपने फाइंडिंग में दिया है जो बड़ा शोचनीय विषय है —

"Where the reply sent to the Rajasthan Legislative Assembly on 22.3.90, which should be based on the information supplied by the University, does not reflect the truth,"

यह कमीशन की रिपोर्ट है। इस सदन को भी अंधेरे में रखा जाता है। यहां भी गलत तथ्य वर्णित किये जाते हैं और रिपोर्ट में यह बात है। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की? सदन को धोखा देने वाले लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की? सदन को ट्रुथ को सप्रेस करके यहां पेश करने वाले लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की?

(श्री हरिसिंह)

'मैं इसी प्रकार का एक और मामला आपकी सेवा में अनुरोध करना चाहूंगा जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अनुरोध किया कि परीक्षाओं में धांधली हो रही है' और फेल हो जाये तो पुर्नमूल्यांकन कराइये। पुर्नमूल्यांकन के लिये वहां यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को इंचार्ज बना रखा है और लड़कों की मर्जी के मुताबिक वह श्रीमान् जी परीक्षक नियुक्त करते रहते हैं। और वही नम्बर दिलवाते हैं। सिंडीकेट के आठ सदस्यों ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा। माननीय कुलपति महोदय ने सिंडीकेट की मीटिंग तक नहीं बुलायी और मीटिंग बुलायी तो वह जो आठ सिंडीकेट के मैम्बर थे, उन्होंने एजेण्डा नोट बनाकर भेजा और उल्लेख किया और यह वर्तमान कुलपति उन श्रीमान जी को प्रोटेक्शन दिये बैठे हैं। मुझे सख्त अफसोस इस बात का है कि वह प्रोफेसर लम्बे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसके साथ ही सिकराय से आने वाले, माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में छात्रों से गलत पैसा लिया, गलत पैसा लेने के सम्बन्ध में प्रश्न लगाया। साल भर तक तो उसका जवाब ही नहीं आया। राजस्थान सरकार बार-बार लिखती रही विश्वविद्यालय को, कोई जवाब नहीं आया।

यहां के शिक्षा सचिव ने जो पत्र लिखा है उसका नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूं। आपकी इजाज़त से मैं चार पंक्तियां पढ़कर सुना रहा हूं। यह वी.सी. को चिट्ठी लिखी है और लिखने वाले हैं अनिल वैश्य, उच्च शिक्षा सेक्रेटरी। प्रिय श्री सिंह साहब, इस विभाग में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान कालेज में फरवरी, 1995 में भूगोल विषय के लिये प्राइवेट परीक्षा के लिये एक प्रायोजित कैम्प आयोजित किया गया था। इस प्रायोजित कैम्प में उपस्थिति के आधार पर लगभग 200 परीक्षार्थियों से प्रति छात्र 320 रुपये शुल्क के बतौर वसूल किये गये। इस प्रकार इस कैम्प के खाते में राजस्थान कालेज को लगभग 60 हजार रुपये से ऊपर की राशि प्राप्त हुई थी। इस कालेज की रोकड़ बहियों में और कालेज की रिसीप्ट में कहीं 60 हजार रुपये का इन्द्राज नहीं है। इस अनियमितता का कोई लेखा-जोखा नहीं है और इसकी आज तक जांच नहीं की गयी है। अनिल वैश्य साहब चाह रहे हैं इसकी जांच हो, लेकिन इसकी जांच इसलिए नहीं कि गयी कि यह सम्बन्धित प्रोफेसर जिनके खिलाफ जांच करवाना चाह रहे हैं यह राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री के चहेते प्रोफेसर हैं। इनकी शह पर ही वह सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय का कूंडा अगर किसी ने किया है तो मेरा यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के परस्पर दो गुट बने हुए हैं, उन गुटों ने राजस्थान विश्वविद्यालय का कूंडा किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। राजस्थान के बच्चों

(श्री हरिसिंह)

के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री पर जा रही है। अगर राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान के इस विश्वविद्यालय की पवित्रता को बचाना चाहते हैं तो सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायें और उसमें आप भी आ रहे हैं। आपने स्वयं ने अपनी बच्ची का एडमिशन गलत तरीके से कराया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर रहा हूं..

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यह रिकार्ड आपको दे रहा हूं, आप जांच कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इस प्रकार के आरोप की कोई सूचना नहीं दी मुझे। आपको सूचना देनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कैसी सूचना?

श्री उपाध्यक्ष : आप इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें सूचना की जरूरत नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आरोपों को एक्सपंज किया जाये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दृष्टान्त बता रहे हैं। आनरेबल सदस्य, एक दृष्टान्त बता रहे हैं। एक एडमिशन का दृष्टान्त बता रहे हैं। यह कह रहे हैं कि इसके लिये कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टान्त बता रहे हैं। आरोप लगता है तो वह अच्छी बात है क्या (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर दृष्टान्त देते हैं तो क्या बात है? अगर सही बात है तो आप चुनौती स्वीकार कीजिये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप चुनौती स्वीकार कीजिये और जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस सब्जेक्ट को आरोप-प्रत्यारोप का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो पहले सूचना दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सूचना क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिना सूचना नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : विभाग में जो चीज हुई है, वह आरोप कहां है, सही बात है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : वह आरोप कहां है, सही बात है। सही बात यहां नहीं कहेंगे तो और कहां कहेंगे। सही बात है। हम सही बात भी नहीं कहेंगे यहां पर? (व्यवधान) लगा रहे हैं इन पर.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वायत्तशासी संस्था है, इसमें सरकार का कोई सीधा-सीधा दखल नहीं है।

(102)

श्रीमती उजला अरोड़ा : (व्यवधान) यह अनियमितता इसमें जुड़ी हुई है लेकिन मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं बिना आसन को सूचित किये आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह फालतू की बात कहने से क्या लाभ है? इस तरह आरोपित करने से क्या होगा? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बिल्कुल लगा सकते हैं आरोप। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भी प्रयत्नशील हैं कि जो अनियमितता हुई है वह दूर होनी चाहिये और अनियमितता करने वाले को सजा मिलनी चाहिये। लेकिन इस तरह से बात करके अपनी बात को ही छोटा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप भ्रष्टाचार का पक्ष ले रहीं हैं। आप सही बात आने ही नहीं देना चाहतीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, लगाओ-लगाओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है और आप उठ रही हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह अंकित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बता तो दें। अंकित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आजकल तो एक्सपंज की बाढ़ आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अनावश्यक बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में हमको कुछ अधिकार दिये हुए हैं अगर हमारी बोलने की स्वतन्त्रता पर इस तरह से +++ इस नोटिस की आड़ में किया जायेगा तो यह भारत के संविधान पर +++ है। हमारी स्वतन्त्रता पर +++ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं +++ नहीं कर रहा हूं। आसन +++ नहीं कर सकता। यह +++ शब्द जो आसन के प्रति कहा है, इसको मैं एक्सपंज करवाता हूं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पर मैं आसन से निवेदन भी नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप पाइंटेड क्वेश्चन फरमाते तो यह नौबत नहीं आती। इस सदन को +++ बना दिया है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पानी जैसे विषय पर चर्चा कराइये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई पानी का मसला नहीं हो सकता...

श्री राजेन्द्र पारीक : है कि नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : बच्चों के भाग्य का सवाल है। पानी का मसला इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं है। पानी आयेगा। पानी जाता रहेगा। पानी मिलता रहेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है। बहुत गम्भीर मामला है। हम आपसे निवेदन करते हैं आप हमको प्रोटेक्शन दीजिये। यह भ्रष्टाचार का मामला है। अवैध एडमिशन का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जितना अपमान इन लोगों ने किया है, मैं समझता हूं इसमें गड़बड़ी हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को आपने अखाड़ा बनाकर रख दिया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य ने सही बात कही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई भी शिक्षाविद वहां आता है (व्यवधान) वहां पर (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : भावी पीढ़ी के भविष्य की चिन्ता पहले होगी, बाकी बातें बाद में होंगी (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) शिक्षा जगत को हो ही डुबो रहे हो, सारी संस्कृति को डुबो रहे हो, राजस्थान विश्वविद्यालय को डुबो रहे हो। पूरे राजस्थान को डुबो रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई भी शिक्षाविद तीन महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। पारीक साहब, बिराजें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारा भट्टा बैठा रहे हैं, यह राजस्थान का। (व्यवधान) आपने धूल में मिला दी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) लोगों का भट्टा बैठ गया पानी, बिजली का (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : (व्यवधान) पीने के पानी का महत्व है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : पानी का मुद्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है बजाय वी.सी. के ..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम सब लोग खड़े हैं, आप पानी की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं? ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, मैं वहां मुखातिब हूं, आपसे मुखातिब नहीं हूं। ..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाजपा से क्या लेना-देना। + + + उनको क्या लेना-देना है। राजस्थान ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जोशी जी, आप बार-बार उठ रहे हैं। बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। ..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान विश्वविद्यालय में बैठाना चाहते हैं उनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप बिराजिये। ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विधान सभा का प्रांगण है। यहां कोई भी माननीय सदस्य आप लोगों का टूल नहीं बनना चाहता। ये इनके निजी झगड़े हैं, निजी झगड़ों का विधान सभा से क्या लेना-देना। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जोशी जी ने जो + + + शब्द का उपयोग किया है, उसको मैं विलोपित करता हूं। ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : क्या गांधीजी की हत्या नहीं हुई थी? ..(व्यवधान)

हत्यारा था फिर इसमें ..(व्यवधान) गलती है ..(व्यवधान) नाम किसी का नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस पार्टी के लिए इन्होंने यह प्रसंग छेड़ा है, कहा है + + + जिस पार्टी के लिए संकेत किया है मैंने उसको एक्सपंज किया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आर.एस.एस. के लोगों के लिए कहा है ..(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : आपको पता ही नहीं है कि किसने हत्या की। ऐसे ही बोलते रहते हो जिन्दगी भर हो गयी आपको यहां बैठते हुए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूं और इस पवित्र सदन को भी याद दिलाना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अपनी पुत्री का एडमिशन मेडिकल कालेज में करवाने के लिए नियमों के विरूद्ध कार्यवाही की। अपने राजनीतिक पद का दुरूपयोग किया और उनको मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन यह कांग्रेस की बात है। कांग्रेस वालों में तो है इतनी शर्म कि गलत काम करें तो त्यागपत्र दे दें।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

में यहां उम्मीद नहीं करता। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास यह सूची है, पोलिटिकल सांइस एमफिल के एडमिशन की 1994-95 की। इसमें दस स्टूडेंट्स को एमफिल में एडमीशन दे दिया गया। दस को देना था। फिर एक सीट और बढ़ायी तो मैरिट में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को छोड़ दिया और नाटक क्या किया? इनको चिट्ठियां भेजीं, बाई अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट कि आप अमुक तारीख तक अपनी फीस जमा करा दें, आपका एडमिशन हो चुका है और वह भेजी नहीं। आप चाहो तो मैं उनका एफिडेविट दिला सकता हूं। यह जांच का विषय है और 19वें नम्बर पर ऊषा चतुर्वेदी पुत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का 55.78 परसेंट पर एडमिशन कर लिया गया, यह मेरा आरोप है। इसलिए यह मांग कर रहा हूं, आसन के माध्यम से कि इस विश्वविद्यालय में आपने अपने पद का दुरूपयोग करके अपनी बच्ची को एडमिशन दिलवाया। आपको अपनी कुर्सी पर बैठने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है इसलिए आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या विचार है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दीपेन्द्र सिंहजी ने जो चर्चा उठायी है उसमें सारे तथ्य आ गये। मैं दो तीन बातें सदन के सामने कहना चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न यह है उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कि सदन को यह बताया जाय कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और प्रथम दृष्टया जब राज्य सरकार को ...(व्यवधान) एक मिनट इन्द्र सिंहजी सुन लें। प्रथम दृष्टया अगर आपने आरोप सही पाये तो आपने राज्यपाल महोदय, जो कुलाधिपति हैं, को इस पर कार्यवाही करने के लिए क्यों नहीं लिखा? उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी के इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। सरकार क्या कर रही है? स्वायत्तता की बात तो मैं मानता हूं पर राजस्थान विश्वविद्यालय का सारा फंड कुलपति अपने घर ले जायं, यह स्वायत्तता है? स्वायत्तता तो आर.पी.एस.सी. को भी है। आर.पी.एस.सी. कल यह लिख देगी कि यह 181 आर.ए.एस. के लिए सलैक्ट किये जाते हैं, आप इनको नौकरी दे दीजिये। क्या आप उनको नौकरी दे देंगे? जब एक बात प्रमाणित हो गयी कि इतने लोगों को उन्होंने गलत नियुक्ति दी और कुलाधिपति, महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनको निरस्त कर दिया उसके बाद में राज्य सरकार ने उसको हटाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की, आयोग क्यों नहीं बनाया? इस बात का क्या जवाब है? मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता क्या पैसे खाने की है?

(श्री घनश्याम तिवाडी)

मैं सारा पैसा अपने घर ले आऊं? विधान सभा को भी स्वायत्तता है, सर्वोच्च सदन है। आर.पी.एस.सी. भी स्वायत्त है, विश्वविद्यालय भी स्वायत्त है, नगर पालिकाएँ भी स्वायत्त हैं। लेकिन आई.पी.सी. सब पर लागू है, अपराध संहिता सब पर लागू है। बिल्डिंग कमेटी का सारा मैटेरियल सामने आ गया, बिना मर्जी के पेमेन्ट करने का सारा मामला सामने आ गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करायी? इसका क्या जवाब है? मैं दीपेन्द्रजी आपकी बात की ताईद करता हूं। आज मेरी आत्मा को थोड़ी तसल्ली हुई, मेरा लड़का बी.ए. फाइनल में पढ़ता है, वह रोज घर पर बैठा रहता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरे लड़के के साथ ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके लड़के के साथ ही है तो ठीक है फिर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको बार-बार कहता हूं, कालेज नहीं जाता है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैंने उसको कभी कालेज जाते हुए नहीं देखा। और जब परीक्षा का टाइम आया तो मैंने कहा कि प्रजेंट फाल होंगी तो परीक्षा में कैसे बैठेगा। वह पिछली बार भी परीक्षा में बैठा और बहुत बढ़िया नम्बरों से पास हुआ और इस बार भी वह परीक्षा में बैठा बिना कालेज गये। मुझे लगता है, बहुत अच्छे नम्बरों से पास होगा। जिस विश्वविद्यालय में, दीपेन्द्र सिंहजी कह रहे थे, लड़के तो क्या अध्यापक ही नहीं जाते हैं तो यह पेमेन्ट किस बात का हो रहा है उनको तनख्वाह का? मैं सदन की समिति की मांग इसलिये करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य का पैसा फोकट का नहीं है यह गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। टैक्स के पैसे से वह यहां कोचिंग कालेज चलाते हैं। एक दिन भी नहीं लगती है कालेज। एक दिन भी परीक्षा नहीं ली जाती, किस बात की यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप? किस बात के कुलपति बैठे हुए हैं? आप एक नियम बना दीजिये कि मैं अठारह वर्ष का हो गया मुझे ग्याहरवीं की डिग्री मिल जाय। मैं 21 वर्ष का हो गया मुझे बी.ए. की डिग्री मिल जाय। मैं 23 वर्ष का हो गया मुझे एम.ए. की डिग्री मिल जाय। काम खत्म हुआ। यह क्या मजाक हो रहा है शिक्षा के साथ। यह किसी प्रकार का नहीं है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि संरक्षण है कुलपति को किसी भी स्तर का, यह सदन इसको बरदाश्त नहीं करेगा। स्वायत्तता है, यह स्वायत्तता दी किसने है? इस सदन ने स्वायत्तता दी है। इसलिये सदन को स्वायत्तता के अधिकारों की जांच करने का भी अधिकार है। यह सदन राजस्थान की जनता का प्रतिनिधि है। हमने कानून बनाकर विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दी है। कानून बनाकर हम एक प्रस्ताव पास करके उसकी जांच भी कर सकते हैं। उसको कम भी कर सकते हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कानून में संशोधन करने की जरूरत हो तो उसको भी किया जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कई बार यह सदन इस प्रकार के मुद्दों पर फैसला करता है जहां राजनीति काम नहीं आती। यहां मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा यह राजनीति का काम नहीं है। रोज-रोज अखबारों में कोई न कोई बात छपती है, चाहे कोई भी संगठन करे। मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर क्या है। पनिहारिन का आयोजन कर लिया, कर लिया। पहले फुल एण्ड फाइनल पेमेन्ट और फिर दो लाख रुपये दे दिया जैसे कोई+++ खुद कमाकर लाये हैं। कैसे दे दिया इस बात को? उसी दिन एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की, क्यों नहीं हथकड़ियां डालीं। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। हमारा अगर एक बार छोटा-सा कोर्ट में बयान आ जाय, बड़े से बड़े आदमी को सींखचों में खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और हम आंखों के आगे पट्टी बांधकर घूम रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं, चार बात साफ-साफ प्रमाणित हो गयी हैं, नम्बर एक, एडमिशन में गलती की गयी, परीक्षाओं में गलतियां की गयीं। बिना मतलब नम्बर देकर पास किया गया। वित्तीय अनियमितताएं हुईं, नियुक्तियों में अनियमितता हुई, मनमाना काम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, कितनी भी आप कोशिश कर लें, राज तो आप ही करते हो न। स्वायत्तता है सो है। हमारे ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत असर आये बिना नहीं रहेगा इसलिए आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ उसकी हमारे ऊपर भी गलतियां आती हैं इसलिए मांग करता हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कि सदन की भावना आप व्यक्तिगत रूप से जाकर कुलाधिपति महोदय को निवेदन करें कि राजस्थान का सदन अपने बच्चों की बरबादी और अनियमितताओं को बरदाश्त नहीं करता, और आप एक कलम के साथ कुलपति को हटाइये और जांच आयोग का गठन करिये। यह कैसे चलेगा। आप जाइये व्यक्तिगत रूप से। सदन की आज्ञा मानकर जाइये और जाकर कहिये कि राजस्थान का सदन इस बात को बरदाश्त नहीं करता। आपको जाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको जांच करानी पड़ेगी। आपको सदन में बताना पड़ेगा कि इतने दिन तक आपने कार्यवाही क्यों नहीं की। यह पैसा इस प्रकार से लूट और खसौट के लिए नहीं दिया जा सकता। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर सारे सदन को और माननीय दीपेन्द्र सिंहजी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और राजेन्द्रजी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा भाषण हमको दे लेने दें, बच्चों के भविष्य का सवाल है इसलिए मैं कहता हूं कि आज इस सदन में मैं सदन की समिति की मांग का समर्थन करता हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(108)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इसके साथ-साथ मेरी एक मांग यह भी है कि सदन की आज्ञा को माननीय कुलाधिपति महोदय को उच्च शिक्षा मंत्रीजी स्वयं जाकर निवेदन करें और पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करानी है उन सारी वित्तीय अनियमितताओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जाय। जितने भी काम हुए, कांड हुए उन सबकी जांच करायी जाय और इस सदन को, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप विश्वास में लें।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा भी नम्बर है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात शेष रह गयी हो तो आप उस पर प्रकाश डाल दें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की अनियमितताओं पर माननीय दीपेन्द्र सिंह जी ने बात रखी है और सभी सदस्यों ने अनियमितताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ता चौमूं से आये माननीय घनश्याम जी ने कहा कि इस प्रकार की भावना कुलाधिपति तक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी पहुंचाएं और उस पर कोई न कोई निर्णय लें। सभी प्रकार की अनियमितताओं को दुबारा से मैं दोहराना नहीं चाहता। इसलिये मेरी भी भावना इन सभी सदस्यों के साथ सम्मिलित की जाय। और माननीय कुलाधिपति से इनका कोई न कोई निर्णय लिया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह डॉक्टर आर.एन. सिंहजी जो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं यह इससे पूर्व उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के। हम लोगों ने इनको जिस तरीके से भोगा है और जो जो कारनामे यह वहां पर करके आये हैं, उनसे भी अगर राजस्थान सरकार ने शिक्षा ली होती, कुलाधिपति महोदय ने अगर उनका पूर्व का सारा रिकार्ड देखा होता तो उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी में न वाइस चांसलर बनाते क्योंकि जितने हथकंडे इन्होंने यहां किये हैं यह वहां पर उससे ज्यादा हथकंडे करके आये हैं। वहां स्टाफ के लोगों के लिये जो क्वार्टर्स थे वह यूनियन के लोगों को दिये गये। उनको कार दी गयी और उस कार पर लिखा गया, अध्यक्ष फलाने छात्र नेता। यह वहां करते रहे। इन्होंने फर्नीचर नहीं खरीदा, वहां भी फर्नीचर खरीदा था। मकान के लिये साजो-सामान खरीदा। वह फर्नीचर जो खरीदा गया, राजस्थान विश्वविद्यालय में जिन छात्रों के लिये खरीदा गया, उन छात्रों के घर पर चला गया, आया नहीं। यह सब अनियमितताएं होती रही हैं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इसलिये, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलाधिपति महोदय क्या करेंगे इसमें? कुलाधिपति महोदय ने, राजस्थान कालेज में एक महिला शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत की। कुलपति ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कुलाधिपति ने एक कमेटी बनायी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उसकी जांच शुरू हुई और कुलपति महोदय ने कुलाधिपति के आदेश को, वह जो कमेटी बनायी थी, उस कमेटी को भंग कर दिया। सिंडिकेट के मैम्बर के साथ उनके सामने तोड़-फोड़ हुई उस कार्यालय के अन्दर। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी लेकिन कुलपति महोदय ने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि, मेरा यह सीधा आरोप है, उपाध्यक्ष महोदय, कुलपति महोदय जिन लड़कों को नाजायज इस तरह का प्रश्रय देते हैं, पास करवाते हैं, लेक्चरर्स के ऊपर, वक्ताओं के ऊपर जिस तरह का दबाव डालते हैं और दबाव डालकर के उन लड़कों को अपने टूल के रूप में उपयोग करते हैं।

इसलिये, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्वायत्तता के नाम पर, 13 नवम्बर, 1971 को इस सदन में एक चर्चा हुई और उस समय पूनम चन्द जी विश्नोई शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने किन शब्दों में व्यक्त किया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। "यह अफसोस की बात है कि पिछले वर्षों में हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर इस सदन में चर्चा नहीं हुई। चाहे मैं इस पद पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा इस बात का हामी रहूंगा, यदि हम यूनिवर्सिटीज में सुधार लाना चाहते हैं तो साल में कम से कम एक बार यूनिवर्सिटीज के बारे में अवश्य चर्चा होनी चाहिये।" यह शिक्षा मंत्री पूनम चन्द जी ने कहा। इस तरीके से स्वायत्तता के नाम पर इनकी अराजकता को बर्दाश्त किया जायेगा, अगर यह अराजकताएं चलती रहीं तो यह जो शिक्षा के मन्दिर हैं, इन शिक्षा के मन्दिरों में, इन पवित्र मन्दिरों में जिस तरह की राजनीति और इसलिये उस समय के शिक्षा मन्त्री ने कहा कि इस प्रकार की खराबियां, अनियमितताएं विश्वविद्यालय में आती जा रही हैं। हम इस बात को कहकर इससे बरी नहीं होना चाहते कि यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी है और उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी जरूर है लेकिन उसकी ओटोनोमी एक सीमित दायरे में है। इस प्रदेश की जो शिक्षा का अधिकार है वह सभा में निहित है और यही सभा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिये धन का प्रबन्ध करती है। कानून की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से यूनिवर्सिटीज को आटोनोमी नहीं है। भारतीय संविधान ने किसी तरह की आटोनोमी यूनिवर्सिटीज को नहीं दी है। यह अगर आटोनोमी दी है तो हमने दी है। जो पैसा देते हैं वह हम देते हैं। राज्य सरकार मूक दर्शक की तरह से देखती रहे और यूनिवर्सिटीज में अनाचार होता रहे, यह इस सदन के माननीय सदस्य कभी नहीं चाहेंगे। हम सब लोग मिलकर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इस अराजकता को मिटाने के लिये निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि आप कुलाधिपति पर कानून में बदल करना आवश्यक हो तो करें, हम सब मिलकर उन पर दबाव डालें कि आर.एन. सिंह को हटाया जाय। इससे पहले भी कुलपतियों को हटाया गया है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। कई कुलपतियों को हटाया गया। उदयपुर यूनिवर्सिटीज़ से हटाया गया, यहां से हटाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हटाया।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हटाने की ही मांग नहीं है हमारी। उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। जांच होकर प्रोसीक्यूशन होना चाहिये। हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आने वाला व्यक्ति भी वही करेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय शेखावत जी, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का आता है कि जरा-सा कोई गरीब आदमी थाने में जाकर रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ इस तरीके से मारपीट हुई और राजस्थान में प्रोफेसरों के साथ, राजस्थान में लैक्चर के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह की मारपीट/घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से धमकी दी जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि इन लोगों पर क्रिमिनल केसेज चलाएं जाएं और अगर क्रिमिनल केसेज नहीं चलाये गये तो यह अराजकता नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चर्चा की उस चर्चा को पूरी करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रजेण्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने उसको रखा है, उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर शीलकान्ता आसोपा जिस समय हैड थीं इस राजनीतिक विभाग की, उस समय उषा चतुर्वेदी ने और दूसरे जिनके नाम इन्होंने पढ़े हैं उन सब लोगों ने 1991 में वहां पर एप्लीकेशन दी पी.एच.डी. के लिये, एप्लीकेशन दी एम.फिल. के लिये लेकिन क्योंकि शील कान्ता आसोपा, वहां की जो हैड थीं, उनके और लैक्चरर्स के बीच में झगड़ा चलता रहा था—श्याम चतुर्वेदी और उनके बीच में। उससे श्याम चतुर्वेदी ने आज तक 21 पी.एच.डी. करायी हैं लेकिन जो स्टूडेण्ट्स उसके अण्डर में पी.एच.डी. करना चाहते थे, एम.फिल. करना चाहते थे उन लोगों के नाम रोक लिये गये और भेजे नहीं गये।

यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार दो साल के अन्दर यूनिवर्सिटी में पी.एच.डी. ली जा सकती है और 1991 में उसने एप्लाई किया, 1994 तक उसकी एप्लीकेशन को नहीं भेजा गया और इसलिये उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जब कि यह हैड थीं। यह रिटायर हो गयी उसके बाद उसका एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद 1996 में उसको डिग्री अवार्ड हुई है।

इसलिये तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर या जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के ऊपर कि उनकी पुत्री थी। हर विधान सभा के सदस्य की पुत्री है हर शिक्षा मंत्री के पुत्री और पुत्र हो सकता है। उनको यह अधिकार है कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वह शिक्षा ग्रहण करें। कोई गलत तरीका उसमें प्रयोग में नहीं लाया गया। बल्कि उसका एडमिशन या तो रजिस्ट्रेशन की डेट से दो साल होने चाहियें या एप्लीकेशन देने की तारीख से दो साल होने चाहिये और इसका तो 1991 में है। इसके साथ तो जांच होनी चाहिये कि उस हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट शीलकान्ता आसोपा जो रिटायर हो गयीं, उन्होंने किस दुर्भावना के कारण इन एप्लीकेशन्स को अपने पास रखा। और जब यह रिटायर हो गयीं तब यह एप्लीकेशन्स सामने आयीं और इन बच्चों के साथ न्याय हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि फिर कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं हो और बालकों के भविष्य के लिये ऐसी बातों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट–

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आपस में बातचीत ना करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने बाकायदा लिखा है कि हमें लैटर नहीं डाला गया। इस तरह से बाइपास करके, 19वां नम्बर था मेरिट लिस्ट में। उसको एडमिशन दे दिया जाये। यह पांचों दरख्वास्तें मेरे पास हैं। आप इस पर भी जांच करवा लीजिये। हाउस की कमेटी बनाकर इस विषय की जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कि न्याय तो सबके साथ होना चाहिये। चाहे वह आपकी बेटी हो, या मेरी बेटी हो शांतिकुमारजी धारीवाल (व्यवधान)–

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरिट लिस्ट में 19वां नम्बर, और एडमिशन 55 प्रतिशत का, एमफिल का। आप गलत तथ्य दिखा रहे हैं। और सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) यह देखिये एक व्यक्ति जिसका नम्बर काटा गया (व्यवधान) जिसके लिये यह कह दिया गया कि आपको इतनी तारीख को हाजिर होना है और उसको कागज दिया (व्यवधान) कागज भेजा ही नहीं गया बाइपोस्ट। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कि न्याय तो होना चाहिये। अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है तो आप दीजिये निश्चित रूप से लेकिन यह पक्षपात करने की दृष्टि, असत्य आरोप लगाने की दृष्टि से, केवल नाम छपाने की दृष्टि से यह कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं दिया गया तो यह विभाग की कमी है। इस प्रशासनिक कमी को कौन दूर करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय धारीवालजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हम उसे रोक सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह ...(व्यवधान) चौथा।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी। श्रीमान धारीवालजी, किधर देख रहे हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और यह पांचवां। पांच आदमियों को यह कह करके कि फीस इस तारीख को जमा होगी। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को बाइ-पास कर रहे हैं। आप किधर देख कर बोल रहे है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कथन में कोई असत्यता नहीं है। यह जिस तरह की बात कर रहे हैं मैंने कभी नहीं कही। अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिये। न्याय होना चाहिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मांग करो जांच होनी चाहिये। वाइस चांसलर के द्वारा की गयी सारी अनियमितताओं के साथ-साथ इसकी भी जांच होनी चाहिये। आप सदन की कमेटी बनाइये, सारे मामले की जांच करिये। जितने एडमिशन्स हुए हैं, जितने फर्जी काम हुए हैं, जितने माल की खरीद की गयी है, सबकी जांच करवाइये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यूनिवर्सिटी के ऊपर सम्पूर्ण बातचीत चल रही है वहां पर बैठे हुए कुलपति हैं जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है। इन सब बातों का, जब वहां पर यह अनियमितताएं क्यों हो रही हैं...

श्री उपाध्यक्ष : उप कुलपति।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हम लोग भी यही निवेदन कर रहे हैं। हम लोग भी सब यही कह रहे हैं कि कुलपति। कौन देखेगा इन सब बातों को। कुलपति स्वयं ऐसे कामों में इन्वाल्व हो जाये, भ्रष्टाचार में इनवाल्व हो जाये। इस तरह की अनियमितताओं में इन्वाल्व हो जाये और वह ऐसे लोगों को प्रश्रय दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि ऐसे जो लोग हैं, चाहे हैड आफ दी डिपार्टमेंट हो, चाहे कुलपति हो, चाहे प्रशासन में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो। न्याय तो सबके साथ होना चाहिये और अन्याय किसी के साथ हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। असत्य वाचन मैंने नहीं, उन्होंने स्वयं किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिये। मैंने तो यह कहा कि सबके साथ न्याय होना चाहिये।

(XXX) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मैं मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा था कि यह जो मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट है यह सिंडिकेट को भेजी जानी चाहिये थी लेकिन सिंडिकेट को नहीं भेजी गयी। इन्होंने सिंडिकेट की मीटिंग नहीं बुलायी। अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का बजट पास नहीं हुआ है। जो बजट की कमेटी बनी हुई है उसके अन्दर नहीं लाये। राजस्थान की विधान सभा में और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तीन महीने का पैसा राजस्थान की विधान सभा से लेकर खर्च किया लेकिन चार महीने का लेखानुदान पास नहीं करवाया। कुलपति महोदय ने 31 मार्च को किसी भी तरह का कोई लेखानुदान कुछ भी पास नहीं करवाया। यह वित्त कमेटी में आने के बाद में सिंडिकेट में किया जाना चाहिये था। लाखों रुपया खर्च करते चले जा रहे हैं। 20 लाख रुपया कम से कम विद्यार्थियों के लीडर्स को इस तरीके से बाँट दिया है और इन विद्यार्थियों का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। वहां के लेक्चरर्स की स्थिति आप देखियेगा कि उनको धमकाया जाता है, उनके घरों पर जाकर के, रात दिन अखबारों में आ रहा है। रात-दिन सारे देश के पेपर्स लिख रहे हैं इस अराजकता के खिलाफ और राजस्थान सरकार मूक होकर के देख रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी जिस तरीके से पूनमचन्दजी विश्नोई ने 13 नवम्बर, 1971 को अपनी वेदना प्रकट की थी और उन्होंने कहा था कि स्वायत्तता के नाम पर नहीं चलेगा और हम इसे बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपने भी सन् 1971 से लेकर अब तक इसके ऊपर इस सदन में गम्भीरता से विचार किया होता तो यह शिक्षा के मन्दिर जो अराजकता के केन्द्र बनते जा रहे हैं, जहां से देश का भविष्य बनता है, जहां इस तरह के लोग, अराजकता के लोग पैदा हों, इस पर विचार करना चाहिये और अगर स्वायत्तता है तो स्वायत्तता देने वाले हम हैं। हमें सीमित करना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सदन की कमेटी बैठायी जाये। कुलपति को तुरन्त निलम्बित नहीं, उसको हटाया जाये, तुरन्त बर्खास्त किया जाये। ताकि सारे देश को सबक मिले कि ऐसे कुलपतियों का क्या होता है। जो देश के भविष्य, देश के कानून, देश की अर्थव्यवस्था का मनमाना उपयोग करते हैं उनके खिलाफ एक सबक ले सकें। यही कहता हुआ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजपालसिंह शेखावत। श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री किशन मोटवानी : मेरा भी 131 का अजमेर का है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय दे दूंगा। बिराजें आप। इसी सन्दर्भ में।

श्री किशन मोटवानी : हां, मैं बात करना चाहूंगा कि मेरा आ नहीं रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर से 7 आदमी बोल लिये और इधर एक आदमी का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसने नाम दे रखे हैं वह बोल रहे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों की काफी चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों की भावना से आसन भी अवगत हुआ है। चाहे एडमिशंस को लेकर अनियमितता की गयी हो, चाहे नौ छात्रों के परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करने में अनियमितता की गयी हो, चाहे पदोन्नति और छात्रावास के आवंटन और लेखे-जोखे के संधारण में अनियमितता की गयी हो। जांच निश्चित होनी चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों की भावना से सहमति प्रकट करता हूं। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन इन्स्टीट्यूशंस में चाहे वह स्वायत्तशासी संस्थायें क्यों नहीं हों, जैसे यूनिवर्सिटी है, चाहे स्कूल हों, सरकार से ऐड जिनको प्राप्त होती है उनके ऊपर सरकार किस प्रकार से अपना नियन्त्रण रखे, जो राशि जनता की है, गरीब का पैसा उसके अन्दर दिया जाता है उसका सदुपयोग हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी इस सदन के प्रति रहे इसको सुनिश्चित करने के लिये निश्चित रूप से समिति का गठन किया जाना चाहिये और समिति यह राय दे कि इन नियमों में परिवर्तन किया जाये तो उन नियमों में निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ 70 लाख रुपये का सही अकाउण्ट आज तक मैंटेन नहीं हुआ है यह माननीय सदस्यों ने नहीं बताया यह आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। यहां से कुछ चर्चा आयी कि भारतीय जनता पार्टी नये गुटों को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को कभी प्रोटेक्ट करने की मानसिकता नहीं रखती और गुटों का जहां तक सवाल है गुटों का प्रश्न ही नहीं है। हम ऐसे व्यक्तियों को बचाने की तो सोच ही नहीं सकते। अगर इनके खिलाफ आरोप हैं तो आरोप की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। आरोप गलत हैं तो इस सदन के सामने इस टेबल पर उस रिपोर्ट को रखना चाहिए। इन आरोपों की प्रमाणिकता की भी आवश्यकता नहीं है सदन के सामने दो सौ जज जब बैठे हैं तो उनका निर्णय होगा। उत्तर पुस्तिकाएं न सिर्फ परिवर्तित की हैं बाजार में मिल रही हैं। मैं माननीय कालीचरण जी सराफ को थोड़ा और अपडेट कर देता हूं। परीक्षा केन्द्र के बाहर भी मिलती हैं। जिस दिन इम्तहान होता है उसका कोड नम्बर अलग होता है। वह उत्तर पुस्तिका उस एग्जामिनेशन केन्द्र के बाहर भी उपलब्ध करवायी जा सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर गोपनीयता क्या हुई?

श्री नरपतसिंह राजवी : गोपनीयता होती तो फिर सदन में चर्चा ही नहीं होती।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन लेवल की जिस प्रकार की चर्चा हुई है। उस पर यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण तो करना पड़ेगा। समिति का गठन कर लें, अनियमितताओं की जांच कर लें। लेकिन उसके साथ-साथ एक कमेटी और गठित की जाये। यह पहले उदयपुर में थे। उदयपुर के विषयों में भी जांच करा लें। इन तीनों-चारों यूनिवर्सिटीज के अलग-अलग मापदण्ड बना रखे हैं। स्टेट लेवल कोर्डिनेशन कमेटी अधिकारियों की तो अवश्य बनायी हुई है लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि उसमें एक भी नहीं है। इन सब यूनिवर्सिटीज में एकरूपता रहे। कहीं पर पे-स्केल कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। सबसे बड़ी बीमारी इन यूनियन्स के दबाव के कारण है। आज अगर छात्रसंघ का अध्यक्ष है, वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो, उसको प्रोटेक्शन अगर मिल जाता है तो वाइस चांसलर कठपुतली बनकर रह जाता है। इन व्यवस्थाओं में भी सुधार करने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन हायर एजुकेशन पर बजट की डिमाण्ड के साथ इतनी चर्चा नहीं हो पायेगी। इन यूनिवर्सिटीज की खास तौर पर एक दिन आधे घण्टे की चर्चा रख ली जाये तो सभी माननीय सदस्य अपना मत प्रकट कर सकेंगे। मैं तो तीन पाइंटेड प्रश्न की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, एक तो यह जो उत्तर पुस्तिकायें बाहर गयी हैं उनके बारे में गम्भीरता से जांच की जाये। जो बाजार से सामान खरीदा है उसके बारे में निश्चित रूप से जांच की जाये। जो नियुक्तियां की गयी हैं उनके बारे में जांच की जाये और विशेषकर जो एडमिशन किये गये हैं। ऐसे लड़कों के भी एडमिशन कर दिये जिसमें परीक्षा उस संकाय में जरूरी है। प्री-एडमिशन टेस्ट जरूरी है। उस टेस्ट में फेल हो गये या टेस्ट दिया ही नहीं और उन लोगों को भी एडमिशन दे दिया। उन विषयों पर जांच की जाये। आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, जिस तरह की अनियमितताएं हुई हैं और परीक्षाएं हुई उससे हमारी डिग्रियां मान्यताएं नहीं खो दें देश और विदेश में। इसी कारण से जितनी सावधानी यह राजस्थान की सरकार और यह सदन बरते उतना अच्छा है। नहीं तो अगर डिग्रियों की मान्यताएं समाप्त हो गयीं तो इस प्रदेश के लोगों की हालत खराब हो जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1961 से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा हूं और आज भी छात्रा हूं। जैसा मैंने इस समय लगातार देखा है। वहां कोई शासन नहीं है। मैं सीनेट की सदस्या भी हूं। लेकिन बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि-

श्री रामस्वरूप मीणा : आप विश्वविद्यालय की छात्रा कैसे हो ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : फालतू की बात नहीं करते। बिल्कुल बात नहीं करते। मेरे बीच में बात नहीं करते हैं। जिस प्रकार का शासन है, उसे शासन नहीं कुशासन कहना चाहिए, जो वहां चल रहा है। जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना हो रही है। सिंडिकेट, सीनेट की कोई मीटिंग नहीं होती। जो मर्जी आये उस तरह से आर.एन. सिंह जी व्यवहार कर रहे हैं। यह माफ करने काबिल नहीं है। आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं, नियुक्तियों में अनियमितताएं हुई हैं। परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं। आवास आबंटनों में अनियमितताएं हुई हैं और अन्य विभागाध्यक्षों के बीच में हस्तक्षेप करके भी अनियमितताएं हुई हैं। मेरा आरोप यह है कि इन्होंने स्टूडैन्टस को टार्गेट बनाकर सिंडिकेट, सीनेट की मीटिंग का स्थान ले लिया। उनको भी प्रलोभन दिया है कि तुम्हें पास करा देंगे। तुम घूमर करा लो, तुम पनिहारिन करा लो। पैसा दे देंगे। लेकिन मेरे प्रशासन में और मेरी लूट-खसोट में कोई अन्तर नहीं आना चाहिए। मैं समझती हूं कि स्वायत्तता के नाम पर इस प्रकार का उनका आचरण ठीक नहीं है। इस पर हमें निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी वह किस प्रकार लगा पायेंगे, वह इसकी खोज करें। एक सुझाव तो यही आया है कि उनकी जांच हो। मुझे कभी-कभी इस बात पर आश्चर्य होता है। मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी कि कितनी बार पुलिस ने वहां प्रवेश किया तो स्वायत्तता नष्ट नहीं हुई। जिस प्रकार की अनियमितताएं की गयीं तो स्वायत्तता नष्ट नहीं हुई। स्वायत्तता के नाम पर इस प्रकार का आचरण कदापि क्षम्य नहीं है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने यहां कहा कि वह सचेत है। मैं मानती हूं कि वह सचेत हैं परन्तु सचेत होते हुए उनको इस आचरण पर, उन्होंने सूचना मिलने के बाद, सारी जानकारी मिलने के बाद क्या एक्ट किया। वह भी तो हमें बतायें और क्या करने जा रहे हैं वह भी तो बतायें। सारा सदन चिंतित है। मैं आपको बताऊं एक सही एडमिशन कराने के लिए ताहिरा जमील नाम की लड़की जिसके 68 पर्सेन्ट मार्क्स हैं, मैं खुद उनके पास गयी। नीचे वालों को उन्होंने कह दिया कि एडमिशन नहीं हो। पैसा जमा करा दिया उसके बाद भी 68 प्रतिशत इंग्लिश में एडमिशन नहीं हुआ। यह तो मैं सीनेट की मेम्बर हूं। यह तो मैं निरन्तर छात्रा हूं और मैं यहां की सदस्य भी हूं। यह कोई मेरे काम नहीं आया। 68 पर्सेन्ट का एडमिशन नहीं हुआ। यह जो बातें कही गयी है इनको सारी को जोड़ा जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व जो सदस्य बात कर रहे थे मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। मैं सदन के समय की महत्ता समझती हूं। मेरी भी राय मैं सदन की समिति बनाई जाये और इन सब आचरणों के खिलाफ कार्य किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी एससी. और एसटी. का नहीं लिया गया है। उनके साथ भी वहां अन्याय हो रहा है। उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। उनके साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मैं आपको समय देने पर विचार कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : कोई डिबेट पूरी कैसे हो सकती है जब तक रामस्वरूप मीणा नहीं बोल लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवदेन करना चाहूंगा कि पिछले दो-तीन महीनों में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर हैं, सीनेट, सिंडिकेट के मेम्बर हैं उन पर छात्रों द्वारा कातिलाना हमला किया गया। मारपीट की गयी, काला मुंह किया गया। इस तरह का जो वातावरण राजस्थान विश्वविद्यालय में पनप रहा है उसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका कि देश में आज से 40 साल पहले तीसरा स्थान था, तीसरे नम्बर की साख थी वह आज एक सर्वे के अनुसार घटकर 38वां हो गया है। यह जो भी आज अनियमितताएं, भ्रष्टाचार बताये गये हैं उन्हीं के परिणामस्वरूप यह स्थिति हमारी बनी है। यह चिन्ता का विषय है। न यह भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और न कांग्रेस का मुद्दा है। यह आने वाली जनरेशन का मुद्दा है। आने वाली जनरेशन बता पायेगी कि राजस्थान के विधायक लोगों ने हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को समय रहते हुए सुरक्षित रखा कि नहीं रखा। आज जो भी कुछ हम हैं वह विश्वविद्यालय की देन हैं।

मेरा निवेदन करना यह है कि ड्राइंग एण्ड पेंटिग के जो चिन्मय मेहता प्रोफेसर हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गयी। जिसका मुकदमा गांधी नगर थाने में चल रहा है। उनके सामान की तोड़-फोड़ भी की गयी। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी के डॉक्टर पाल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जिसका मुकदमा विधायकपुरी थाने में दर्ज है। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर ललित तिवाड़ी का घेराव किया गया। उनसे सीनेट, सिंडिकेट से इस्तीफा लिया गया। इसकी रिपोर्ट मोती डूंगरी थाने में है।

बड़े शर्म की बात है कि यह तीनों लोगों पर कातिलाना हमला करने वाले, काला मुंह करने वाले, घेराव करने वाले और कोई नहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी. के छात्र थे। जिन्होंने काला मुंह किया उस सरकार ने उनका कुछ नहीं किया। एक मुकदमें में गिरफ्तारी हुई तो इस सरकार ने सोचा कुछ दिन तक गिरफ्तार रहो, जमानत मत कराओ। ऐसी स्थिति में सरकार पर दबाव पड़ेगा वीसी. के खिलाफ होंगे। मैं वीसी. की पैरवी नहीं कर रहा हूं। वीसी. ने गलत काम किये हैं। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। इसमें मैं कोई

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नई बात नहीं कहना चाहता। किसी की लीपापोती करना यह हमारे धर्म के खिलाफ है। यह तो शिक्षा का धर्म है जो राष्ट्रीय धर्म से भी सर्वोपरि है। इसमें पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछ लें, शिक्षा-दीक्षा का काम छोड़ दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना है कि अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।" स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालय में मनमानी हो रही है। मेरा कहना यह है कि आज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किस पार्टी के लोगों के काम नहीं किये। आज शासक दल के लोग मन में आये उसका एडमिशन करवा लेते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग करवा लेते हैं, वी.आई.पी. करवा लेते हैं और भी लोग हैं जिनके नाम लेना जरूरी नहीं मानता। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से उपकुलपति ऐसी पोस्ट है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में वह हरेक की मानता है, हरेक के काम करता है। वह सभी को राजी रखना चाहता है चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का भट्टा बैठे तो बैठे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महिला का फोटो बता रहा हूं–

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो केवल आपकी फोटो देख रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह अच्छी बात है, अर्जुन की तरह। मेरा कहना है कि इस महिला छात्रा का नाम उषा चतुर्वेदी है और इन्होंने जो एड्रेस दिया है मैं केवल उसकी ओर दृष्टिपात कराना चाहता हूं। एड्रेस है–उषा चतुर्वेदी, श्री एल.के. चतुर्वेदी, 14 सिविल लाइन और पता क्या है आनरेबल मिनिस्टर ऑफ पी.डब्ल्यू.डी. एण्ड हायर एजुकेशन, सिविल लाइन, जयपुर। यह तो पता है विश्वविद्यालय में और अपने हसबैण्ड का पता है, केदार चतुर्वेदी, यह तो लोकल एड्रेस के तौर पर लिखा गया है। किस तरह विश्वविद्यालय पर दबाव पड़े, किस तरह फर्स्ट आये इसके लिये पिताजी का डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। मेरे पास यह ओरीजनल फार्म है ...(व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा लड़का या लड़की अपना पता लिखेगा तो एम.एल.ए. क्वार्टर ही तो लिखेगा ...(व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, कुछ सीमाएं रखें क्या आपके लड़की नहीं है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी लड़की मेरा ही पता लिखेगी, अगर उनकी लड़की ने लिखा तो क्या पता होगा ? अनावश्यक बात मत कीजिये। आपकी वाजिब बात की मैं ताईद करती हूं लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इसकी जांच कर लें ...(व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : उनकी लड़की शिक्षिका है, उसका नाम लेने से क्या फायदा? एल.के. चतुर्वेदी को क्या फायदा? (व्यवधान) हम एड्रेस लिखेंगे तो लिखेंगें ही।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : चतुर्वेदीजी खुद बैठे हैं। जवाब देने के लिये आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मुझे आपकी बात बेहद बुरी लग रही है। क्या आप बाल-बच्चेदार नहीं हैं? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : वे स्वयं जवाब दे देंगे, आप बीच में क्यों आ रही है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जब कालीचरणजी वहां के अध्यक्ष का नाम ले रहे थे और दूसरे विद्यार्थियों का नाम ले रहे थे उस समय उज्जलाजी को बुरा नहीं लग रहा था, दूसरे माननीय सदस्यों को भी बुरा नहीं लग रहा था लेकिन जब खुद इनका नाम आ गया तो बुरा लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वे बिराजें। इस बारे में बात आ गयी है, बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : माननीय सदस्य, अनावश्यक टाइम खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक पत्र पढ़ रहा हूं जो सी.बी. जेना ने लिखा है, Department of Political Science, University of Rajasthan : I have received certain complaints that no such letter was ever sent to the candidates and they have been deliberately by-passed to admit candidates with lower percentage. यह मामला सिद्ध करता है कि वाइस चांसलर हरेक की बकरी बनी हुई है। वह तो ऐसी छेली है कि उससे जो चाहे काम करवा लो। सबको राजी रखो और अपनी सीट पर बने रहो। आज हमारी क्या आवश्यकता है? राजस्थान विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर जो अनियमितताएं और गबन हुए हैं, हम इस स्टेण्डर्ड को सुधारें, पुनरुत्थान करें तभी यह हो सकेगा। आज सदन में कोशिश की जा रही है, सबको मालूम है, इस कुलपति को हटा दिया जाये। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ऐसा उप कुलपति किसी की भी प्रशंसा का पात्र नहीं है। मैं कोई वफादारी या तरफदारी नहीं कर रहा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद आने वाला उप कुलपति ऐसा हो जो कम से कम ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, अच्छा प्रशासन दे सके, अच्छा स्टेण्डर्ड दे सके और राजस्थान विश्वविद्यालय की अच्छी साख कर सके। वह दक्षिणपंथी न हो, वह + + + न हो और वह ऐसा भी न हो कि नागनाथ गये और सांपनाथ आ गये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को एक्सपंज किया जाये (व्यवधान) बार-बार यह कहकर क्या बताना चाह रहे हैं (व्यवधान)।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर कोई दूसरा पापाचारी आ गया, दुराचारी आ गया (व्यवधान) मेरा निवेदन करना है कि यह एक षडयंत्र है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति को हटाया जाये और अजमेर के कुलपति चतुर्वेदी को हटाया जाये (व्यवधान) यह वाइस चांसलर जाता है तो जाये, कल जाता है तो आज जाये, अभी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक शब्द को एक्सपंज करने की व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह उचित नहीं है। जिस इंटेंशन से कहा, आप शब्दों को देखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं कोई ए.बी.वी.पी. के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बोला कोई आप में से ? (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : हम कम से कम शब्दों की परिधि में रहें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप + + + का क्या तात्पर्य ले रहे हैं। यह तो सिर्फ इतना ही है कि पेंट के नीचे खाकी नेकर पहनने वालों के लिये है (व्यवधान)।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मजीठिया कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आ गयी है। यह फाइन्डिंग है मजीठिया कमेटी की जिस पर भी आरोप लगा उसको निरपराधी बताया गया, यह क्यों नहीं प्रकाशित की जाती है। दूसरी कमेटी बनी, राजगोपालन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है। तीसरी कमेटी बेरी आयोग की बनी। राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई भी मामला हो बेरी आयोग तो आयेगा ही तो उसकी रिपोर्ट और फाइण्डिंग्स को भी दबाया जा रहा है। ऐसे सारे प्रश्न हैं जिनसे लगता है कि एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे ही होते हैं। वाइस चांसलर जा रहे थे, छात्रों ने घेर लिया सड़क पर तो कह दिया कि भाई, कागज लाओ मैं एडमिशन की लिख दूं। कागज नहीं मिला तो सिगरेट के पैकेट की पन्नी का जो सफेद कागज होता है उस पर लिख दिया, प्लीज एडमिट।

मैं चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करे। छात्र क्लासों में बैठते नहीं हैं, अटेंडेंस होती नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, सत्र सात जुलाई से चालू होना चाहिये था वह आगे बढ़ाया जा रहा है, परीक्षायें

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आगे बढ़ायी जा रही है, आवास गृहों के आबंटन में अनियमितताएं हो रहीं हैं, मनमानी हो रही है।

वाइस चांसलर के पक्ष और विपक्ष में लॉबिंग हो रही है जैसे हिन्दुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग। राजस्थान विश्वविद्यालय का यह सही चित्रण हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप इन सारी चीजों से वाकिफ हैं। आपने उत्तर दिया है कि यह सही है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने इस पक्ष और उस पक्ष द्वारा कही गयी बातों को स्वीकार कर लिया कि वे सही हैं। यह एक तरह से कोमन फाइन्डिग हैं, इतनी अनियमितताएं, अराजकता और भ्रष्टाचार हो रहा है फिर भी आपने इतना क्यों होने दिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। जोशीजी बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अंत में मेरा निवेदन है कि आज यदि कोई कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों की बना दी जाती है तो भी बेकार और बेमाने है। यदि किसी राजनेता के नाम पर बना दी जाती है तो बेकार है। राजस्थान विश्वविद्यालय का उद्धार तो अब सभी दलों कांग्रेस, सी.पी.एम. जनता दल आदि के विधायकों के आनुपातिक आधार पर बनी कमेटी विश्वविद्यालय के सारे खण्डों की जांच करे और अपनी फाइंडिंग दे, तभी हो सकता है। किसी एक पक्ष को तफ्तीश दे दी गयी तो यह स्थिति होगी...।

श्री उपाध्यक्ष : रघुवीरसिंहजी। आप बिराजें। दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी मान्यता खतम हो रही है, रिकोगनाइजेशन खत्म हो रहा है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी इसकी चिंता कीजिये। अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति चतुर्वेदी को हटाइये नहीं तो नागनाथ जायेगा, सांपनाथ आ जायेगा।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव समाज के सम्पूर्ण विकास के लिये शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होता है, यह सब जानते हैं। सरकार का मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। यह हमारे लिये और प्रदेश की जनता के लिये शुभ समाचार नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य चिंतित हैं

(15.00)

और सब माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं और लगभग सम्पूर्ण तथ्यों को अवगत करवा दिया है। मुझे निवेदन करना यह है कि जब सरकार यह महसूस कर रही है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है? हो रहा है और शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है उसके बावजूद अगर व्यवस्था नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले समय में...

श्री उपाध्यक्ष : आप काल्पनिक बात कह रहे हैं, आप कोई सवाल पूछिये।

श्री रघुवीरसिंह : सवाल ही पूछता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबको तो आधा-आधा घंटा देते हो, मैं पांच मिनिट से ज्यादा बोलता भी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे का सवाल नहीं है, इसमें काफी चर्चा हो चुकी है और अगला कार्यक्रम भी लेना है।

श्री रघुवीरसिंह : तो मैं भी माननीय सदस्यों की सहमति में अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 या जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबकी एक कमेटी के द्वारा जांच करायी जाये और यहां के लिए ही नहीं सब जगह के लिए करायी जाये।

एक माननीय सदस्य : कमेटी में कौन-कौन हों, नाम बताओ।

श्री रघुवीरसिंह : इस सदन के माननीय सदस्य हों। इसमें अभी एक तथ्य पर बहस नहीं हुई है, मैं यह कहना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए जांच की जाये और मंत्रीजी विशेषकर राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए भी अवसर देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए क्या अलग से सेल कायम कर रखा है? दूसरा, क्या रोस्टर प्रणाली लागू है? यदि रोस्टर प्रणाली का पालन किया जा रहा है तो कितने लोगों को पदोन्नति या नयी भर्ती में सम्मिलित किया है? तीसरा, गरीब तबके से आने वाले विद्यार्थी हमेशा किसी न किसी तरह से दबते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, हीन महसूस करते हैं और उस वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या सरकार एस.सी., एस.टी. छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था करेगी? यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी (अनुपस्थित)। श्री भगराज चौधरी (अनुपस्थित)। श्री अमरा राम (धोद), कोई बात रह गयी हो तो कहें।

श्री अमराराम (धोद) : रह गयी हो तो वहीं बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ तथ्य स्वीकार किये हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये घोटाले कोई आज नये शुरू नहीं हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर हो सकता है बढ़िया हो लेकिन इसमें कार्यरत जो शिक्षक हैं उनमें जो गिरोह हैं, जिनका एस.टी., एस.सी. का रिजर्वेशन था उसको आज तक 28 पर्सेण्ट नहीं आने दिया। चाहे वह पहले की सरकार थी, चाहे आज की सरकार है। क्या उन सरकारों की इच्छा थी कि उसको 28 प्रतिशत किया जाए? आज तक नहीं होने दिया और वही गिरोह आज इस काम को कर रहे हैं। जहां तक अनियमितताओं का सवाल है, मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, इससे पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को हटाया भी गया है, अनियमितताएं पायी गयी हैं, उनके लिए

(श्री अमराराम)

जांच कमेटी भी बैठायी गयी है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन कमेटियों की जो फाइंडिंग्स एण्ड फैक्ट्स आये उन पर कार्यवाही आज तक नहीं हुई और उसी का कारण है कि आज वह इस रूप में बढ़ती जा रही है। राजगोपालन कमेटी बैठायी गयी है उसकी रिपोर्ट को जब सिंडीकेट के अन्दर रखा गया, हमारी सरकार के प्रतिनिधि भी उसके अन्दर मौजूद हैं। तो राजगोपालन कमेटी के जो तथ्य थे, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जस्टिस बेरी श्रीमाल की कमेटी बनायी गयी, जस्टिस बेरी की कमेटी बनायी गयी, बी.पी. गुप्ता की कमेटी बनायी, एन.के. सिंघी की कमेटी बनायी गयी, उनके फाइंडिंग्स एण्ड फैक्ट्स बदल गये। जिन एडमिशन की बात कर रहे थे, जिसके हैड आज चतुर्वेदी महोदय हैं पोलिटिकल साइंस के। उस बेरी की रिपोर्ट में एक फाइंडिंग दी है जस्टिस बेरी रिपोर्ट में कि इन पर क्रिमिनल ट्रायल बी इनिसिएटेड मधुकर श्याम चतुर्वेदी। यह केवल मात्र राजस्थान के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं राजस्थान में शासन करने वाले उच्च शिक्षा मंत्रियों ने जहां से यह शुरू किया है, जिनका अभी माननीय हरिसिंहजी, महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने नाम दिया है, उन्होंने पी.एच.डी., एमफिल. की थीसिस कम्पलीट देने में कितनी जल्दी की। जो विद्यार्थी उनसे ज्यादा पर्सेंटेज रखने वाले हैं उस लिस्ट में क्या हम उनको एमफिल. में एडमिशन दिला सकेंगे? नहीं दिला सकते। एमफिल. की थीसिस को सबमिट करने में उसको एप्रुव्ड करने में कितनी जल्दी की गयी। मैं समझता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। और केवल यही नहीं उषा चतुर्वेदी को वैदिक कन्या महाविद्यालय में लेक्चरार भी लगा दिया गया और उसके प्रतिफल में वैदिक कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल को सिंडीकेट का मेम्बर भी बना दिया गया, प्रोत्साहन देने के लिए उनको रेगुलर भी कर दिया गया। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सैकड़ों लेक्चरर्स हैं जो टेम्प्रेरी हैं उनको परमानेंट करने के लिए–

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : वैदिक कन्या महाविद्यालय क्या प्राइवेट है?

श्री अमराराम (धोद) : एफिलिएटेड कॉलेज है। उसके प्रिंसिपल को आपने, राजस्थान सरकार ने सिंडीकेट का मेम्बर बनाया है प्रतिफल के रूप में। सरकार ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया कि नहीं बनाया? आप उत्तर में बता देना। प्रतिफल के रूप में सिंडीकेट का मेम्बर राजस्थान की सरकार के नोमीनी के रूप में बनाया या नहीं बनाया उत्तर दे देना।

जहां तक इस विश्वविद्यालय में घपले, केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी करते हों ऐसी बात नहीं है। राजस्थान सरकार में बैठे हुए मंत्री घपले करेंगे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से करवायेंगे तो उनमें रहने वाले शिक्षकों के द्वारा भी, वहां पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के

(श्री अमराराम)

दबाव में उस वाइस चांसलर को गलत काम करने पड़ेंगे और उसी के कारनामें किये हुए हैं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे पहले एक सदस्य का नाम ले रहे थे, तब तो उनको चिन्ता नहीं हो रही थी लेकिन उषा चतुर्वेदी का नाम लिया तो बड़ी चिन्ता हुई। वह किसी मंत्रीजी की बेटी हो सकती है, जिसका नाम लिया गया है वह भी किसी न किसी की बेटी-बेटे हैं उनकी चिन्ता नहीं पर यदि वह अमराराम की बेटी हो तो चिन्ता हो जाएगी, दीपेन्द्र सिंहजी का लड़का हो तो चिन्ता हो जाए। राजस्थान के चार-साढ़े चार करोड़ लोगों के बच्चे यहां पढ़ने आयें उनकी चिन्ता नहीं है? और वे सबके सब घोटाले जो गिरोह, हमारे शासन दल के लोग वहां बैठे हुए हैं उनको क्रिमिनल करने के लिए कमेटी ने फाइंडिंग्स दे दी और उनको बचाने के लिए आज टूल विद्यार्थियों को बनाया जाता है, आज एबीवीपी. को टूल बनाया जाता है। जो एबीवीपी. नारा दे रही है पूरे राजस्थान में कि परिसर बचाओ। क्या इसी का नाम परिसर बचाओ है? रीडर का मुंह काला कर दिया, प्रोफेसर का कर दिया, इनके जमीन घोटाले को खोलने लगा रूटा की मीटिंग में तो उस राजीव गुप्ता के घर जाकर इन्हीं लोगों ने कहा जान से खतम कर देंगे। हमारे इन काले कारनामों को खोलेंगे तो पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे उनको संरक्षण कौन दे रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? हमारी सरकार बचा रही है और घपले राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारी सरकार के द्वारा करवाये गये हैं। इसलिए मेरी मांग है कि अगर इसकी निष्पक्षता की जांच करवानी है, अगर कोई कमेटी बनानी है तो उससे पहले उच्च शिक्षा मंत्रीजी त्याग-पत्र दें तब सत्य रूप से उसकी जांच हो सकती है। शेयर घपले की तरह से, मैं मांग करता हूं कि जितने भी ये घपले हुए हैं, चाहे शिक्षकों के आवास के लिए जमीन देने का घपला हो, चाहे एडमिशन का घपला हो, आज तक के धन के दुरूपयोग का घपला हो, उन सबकी जांच सही रूप से अगर कानून में हो सकती है तो सर्वदलीय कमेटी जिस तरह से शेयर घोटाले की बनी जिसकी फाइंडिग दी थी और सरकार इस बात पर अगर पारदर्शिता चाहती है, अगर सरकार चाहती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का भी सम्मान जो पहले था वह वापस मिले तो कमेटी पूरी राय दे। यह नहीं कि जैसे पहले बेरी कमेटी और दूसरी कमेटियां बनीं और बिना कमेटी की राय के ठंडे बस्ते में बांध दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी तैयारी के साथ ही बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : पूरी तैयारी के साथ ही बोल रहा हूं तो, उपाध्यक्ष महोदय, साथ में वह एश्योरेंस भी दें कि जब कमेटी की फाइंडिंग्स और फेक्ट्स जायें उस पर कार्यवाही भी करेंगे। ऐसी नहीं हो कि अब तक जिस प्रकार की कमेटीज राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए बनी हैं उस तरह ठंडे बस्ते में नहीं रख दें इसको।

(श्री अमराराम)

इसलिए मेरा यही निवेदन है कि यह कमेटी पूर्ण जांच करे और न केवल राजस्थान विश्वविद्यालय बल्कि तमाम विश्वविद्यालयों की परीक्षायें चाहे वह अजमेर की हों, चाहे और राजस्थान के अन्य महाविद्यालय हैं, जो कि सीधे उच्च शिक्षा मंत्री जी के नियंत्रण में हैं। प्राचार्य ऐसे लगाये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो उस महाविद्यालय के अन्दर सब्जैक्ट ही नहीं हैं। ऐसे उपाचार्य को क्लास लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसे उपाचार्य लगा दिये गये जहां सब्जेक्ट ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां शिक्षा को राजनीति में लपेटा जायेगा तो जैसी हालत राजस्थान विश्वविद्यालय की है वही स्थिति अब राजस्थान के तमाम महाविद्यालयों की होने वाली है, तमाम अनुदानित महाविद्यालयों की होने वाली है, सरकारी महाविद्यालयों की होने वाली है। इसलिए कम से कम शिक्षा मंत्री, कालेज और यूनिवर्सिटीज को तो इससे बचाइये। यही मेरा आपसे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के बारे में और उसकी अराजकताओं के बारे में चर्चायें हुई हैं और यह चर्चायें तो सदन में आज हुई हैं लेकिन सदन से बाहर इस अराजकता के बारे में राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर प्रवेशों में अनियमितताएं इस बार जिस रूप में हुईं उस रूप में पहले कभी नहीं हुईं। लेकिन विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की घोर वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं उनको यदि सही रूप में देखा जाये तो वह क्रिमिनल आफेन्स के दायरे में आती हैं, यह एम्बेजलमेन्ट के दायरे में आती हैं। जिस प्रकार से कन्टिन्जेन्सी फण्ड का इस्तेमाल किया गया।

(15.12)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

जिस फण्ड का इस्तेमाल परीक्षाओं के अन्दर और पेपर छापने के अन्दर जिसका इस्तेमाल रातों रात विश्वविद्यालय में कई ऐसे काम हैं जिनकी सैंक्शन लेने से पहले पैसा खर्च किया जाना चाहिए, जिसका आडिट भी नहीं होता है उस सारे पैसे का इस्तेमाल विश्वविद्यालय की कुर्सी को बचाने के लिए किया गया है। वर्तमान कुलपति महोदय जब पोद्दार इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर हुआ करते थे और पोद्दार इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि पी.एम.टी. और पी.ई.टी. के एग्जामिनेशंस कन्डक्ट करती थी पी.एम.टी. और पी.ई.टी. कि लिए जाने वाले पैसे का कोई हिसाब नहीं है। छात्रों के द्वारा डवलपमेन्ट चार्जेज के नाम पर लिया गया पैसा खुर्दबुर्द कर दिया गया है और अभी हाल ही के अन्दर एक माउन्टेनियरिंग क्लब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था तो माउन्टेनियरिंग क्लब का मैंने इन्सेप्शन

(श्री अमराराम)

करवाया था और माउन्टेनियरिंग क्लब के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई पैसा नहीं लिया गया। माउन्टेनियरिंग क्लब के जितने सदस्य थे उन सदस्यों ने कन्ट्रीब्यूट करके एक फण्ड की स्थापना की थी और उस फण्ड के द्वारा माउन्टेनियरिंग क्लब को चलाया। बाद में विश्वविद्यालय ने सहायता नहीं दी और लड़कों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया और वह क्लब बन्द हो गया। अब रातों रात क्लब को दुबारा शुरू किया गया और क्लब को रातों रात साढे 6 लाख रुपये दिये गये कुल्लु मनाली के अन्दर घुमने के लिए। अब 650 लाख रुपये अगर क्लब की पुनर्स्थापना और उसको पुनर्जीवित करने के लिए दिये होते तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती लेकिन माउन्टेनियरिंग क्लब के नाम पर पिछले दरवाजे से जिस रूप में पैसा दिया गया है वह पैसा निहित तत्त्वों को अपीज करने के लिए दिया गया है।

गये दो साल में माननीय कालीचरणजी बता रहे थे कि एक करोड़ 41 लाख रुपये दिये। मेरी भी ऐसी जानकारी है कि शायद लाखों और करोड़ों रुपया जो यूजीसी. से आता है जो गये साल के अन्दर छात्र नेताओं को बांटा गया—मैं पूछना चाहता हूं सदन में कई छात्र नेता हैं जो कि माननीय सदस्य के रूप में आज बैठे हुए हैं और वह सब जानते हैं कि किसी भी छात्र नेता को घूमर के अन्दर मिलने वाला 5-10 हजार रुपये से ज्यादा पैसा कभी सहायता के रूप में इस विश्वविद्यालय ने नहीं दिया है। बाद में सरकार ने बढ़ाकर 50 हजार रुपया किया। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय ने 50 हजार रुपया दिया था। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है लेकिन घूमर के नाम पर लाखों रुपये दिये गये। राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर घूमर आर्गेनाइज करने के लिए घर घर में डोनेशन मांगने के लिए गया। डोनेशन के लिए उसने पत्र लिखे और राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जिस प्रकार से माहौल बना है उस माहौल का ही परिणाम है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में कभी पुलिस आया करती थी तो वाइस चांसलर की परमिशन लिया करती थी। आज राजस्थान विश्वविद्यालय अतिथि गृह में, जिस अतिथिगृह के अन्दर हिन्दुस्तान के सबसे एमीनेन्ट एकेडेमिशियन्स ठहरा करते हैं वहां के करीब 7 और 8 कमरे पुलिस के सिपाहियों के लिए दिये गये। यह राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर, राजस्थान विश्वविद्यालय अतिथिगृह जो कि प्रोफेसर्स के लिए है उसको छावनी बनाना अपने आप में इस बात का संकेत करता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अराजकता की हालत है। यह वाइस चांसलर का अपने आप में एक कम्फेशन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय उनसे चलने वाला नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में जातीयता को उन्होंने पनपाया, राजस्थान विश्वविद्यालय के एकेडेमिक कलेन्डर के साथ में उन्होंने

(श्री अमराराम)

खिलवाड़ किया, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर परीक्षाओं के नाम पर क्या होता है, इसकी जानकारी आप सबको है। राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका कि हिन्दुस्तान में नाम है अगर इस प्रकार डिग्रियां बंटने लगीं तो आने वाले टाइम के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय के निकले हुए स्नातक और स्नातकोत्तर के स्टूडेन्ट्स को कहीं पर नौकरी मिले इसकी सम्भावना कम है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही तो साल दो साल बाद के अन्दर लोग एडवरटाइजमेंट्स में लिखेंगे कि 'राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स नीड नाट एप्लाई' और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है और गये दो साल से हो रहा है। आपने कहा कि कमेटीज पहले भी बनी हैं और उन कमेटीज का कुछ नहीं हुआ। यह सही बात है कि कमेटीज बनीं और उन कमेटीज कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। इसलिए जैसा कि घनश्याम जी भाई साहब ने कहा, कालीचरण जी भाई साहब ने कहा कि राजस्थान विधान सभा की एक कमेटी बननी चाहिए और वह 7 दिन में, 15 दिन में एक महीने में जो भी आप उचित समझें एग्जामिन करके रिपोर्ट दें और इस विश्वविद्यालय का जो कुलपति है उस कुलपति को तो मेरे ख्याल से मुक्त जितनी जल्दी कर दिया जाये वह उनके लिए भी शुभ है, विश्वविद्यालय के लिए भी शुभ है और राजस्थान के शैक्षणिक वातावरण के लिए भी शुभ है।

मैं इतना ही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह मल्टी डाइमेन्शियल अराजकता हुई है, बहुआयामी अराजकता हुई है और बहुआयामी जिस प्रकार के मिसएप्रोप्रियेशन्स हुए हैं उसके लिए हाई पावर कमेटी बननी चाहिए और मैं तो यहां तक कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह केवल वाइस चांसलर को वाइस चांसलर की कुर्सी से हटाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के जिस तरह के क्रिमिनल आफेंसेज हैं उसको हैंडलफ करके भी यदि चला जाये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और सारे विश्वविद्यालयों के लिए अपने आप के अन्दर एक सील होगी। जिस प्रकार का एकेडमिक स्टेन्डर्ड गिर रहा है, जिस प्रकार की लेटेन्ट सब्सिडीज आप लगातार दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बजट की चर्चा हुई थी और यहां पर सामाजिक सेवाओं के अन्दर पैसा खर्च करने की बात भी हुई थी। हम कर्जा ले रहे हैं लेकिन शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, हम कर्ज ले रहे हैं लेकिन चिकित्सा का विस्तार करना चाहते हैं, हम कर्ज ले रहे हैं लेकिन शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, लेटेन्ट सब्सिडी दे रहे हैं और लड़कों को डॉक्टर बनाने में, एक लड़के को इन्जीनियर बनाने में, एक को ला ग्रेजुएट बनाने में, एक को ग्रेजुएट बनाने में, जिस प्रकार का खर्चा राजस्थान का गरीब वहन कर रहा है उस गरीब के साथ में वह धोखा हुआ है और गरीब के साथ होने वाले इस धोखे को हमने नहीं रोका तो इससे बेहतर है कि इन

(श्री अमराराम)

विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया जाये, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाये। राजस्थान का एक पायोनियर एकेडमिक इन्स्टीट्यूशन है और इसमें इस प्रकार की अराजकता हमारी आंखों के सामने होती रहे, हम दो साल से देखते रहें और लाखों लड़कों की जिन्दगियों के साथ खिलवाड़ होता रहे और विश्वविद्यालय कुछ लोगों की कमाई का अड्डा बनकर रह जाये तो इससे ज्यादा शर्म की स्थिति इस शैक्षणिक दुनियां के लिए नहीं हो सकती।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनायी जाये, माननीय सदस्यों की कमेटी बनाई जाये जो 7 दिन के अन्दर, 15 दिन के अन्दर इसको एग्जामिन करें, इन तथ्यों को देखें और साथ ही यह भी देखे कि क्या कोई क्रिमिनल आफेन्स कान्स्टीट्यूट हुआ है। इसको भी देखें और इसमें केवल कमेटी बनाई जाये और कमेटी की रिपोर्ट केवल ठंडे बस्ते में चली जाये, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पर निर्णय लेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय खतरे में नहीं हैं। यह हिन्दुस्तान की शैक्षणिक वेल्यूज, एकेडमिक वेल्यूज खतरे में हैं। इन एकेडमिक वेल्यूज को खतरे से बाहर निकालकर पुनर्स्थापित करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी — (अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी — (अनुपस्थित)

श्री एमामुद्दीन अहमद खां — (अनुपस्थित)

श्री दयाराम परमार : (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र जी आप बोल चुके हैं या नहीं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं।

श्री अध्यक्ष : बोले तो थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ? कृपया शांति रखें। श्री राजेन्द्र जी पारीक। श्री श्रवण कुमार जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने।

श्री अध्यक्ष : मैंने पुकारा था, आप नहीं बोल रहे हैं तो मैंने समझा कि आप इच्छुक नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जगत के वरिष्ठ शिक्षाविद कुलपति के पद को सुशोभित करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान शिक्षा जगत पर आज जिस रूप में हम बैठकर के चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी सदन के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति हो सकती है। गुरु का पद एक ऐसा उच्च पद है जिसके नाम के साथ ही आदमी का शीश नतमस्तक हो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जाता है। ऐसे शिक्षाविदों के बारे में हम यदि इस सदन में बैठकर के आज जिस तरह की गम्भीर चर्चा और गम्भीर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, यदि यह होंगे तो एक बात तो तय हो गयी कि पूरे भारतवर्ष में जहां राजस्थान विश्वविद्यालय का अपना एक स्थान था, आज लोग सन्देह के घेरे में देखेंगे और यहां से शिक्षा पास करके जाने वाले विद्यार्थियों के प्रति एक क्वेश्चन मार्क उनके कैरियर पर लगा रहेगा। लेकिन यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि कुलपति के कंट्रोल में वहां का प्रशासन नहीं बन पाया, वह अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित नहीं कर पाये। कारण क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय? कारण यह है कि शिक्षाविद कोई वहां पर डण्डा लेकर नहीं बैठता। शिक्षाविद का एकेडेमिक कैरियर होता है, उसका शिक्षा का क्षेत्र होता है। लेकिन आज जो माहौल हमारे इन विश्वविद्यालयों में पनप रहा है, जिस तरह का वातावरण हमारे विश्वविद्यालयों में पनप रहा है उसमें मैं तो अपने आपको और राजनीति को पूर्णरूप से दोषी मानता हूं। अकेला शिक्षाविद उन सारे झमेलों से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाता और अण्डर प्रेशर वह सारा का सारा वातावरण बिगड़ता है। इसके लिए कई बार यह कोशिश की गयी कि किसी आई.ए.एस. अधिकारी को वहां पर प्रशासक लगा दिया जाय। ऐसी ऐसी स्थितियां बनीं उनका इन शिक्षाविदों ने पुरजोर शब्दों में विरोध किया।

अभी जयपुर के बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि ऐसे कुलपति को तो हाथ पकड़कर के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुलपति चाहे ऐसा हो या वैसा हो, आपने उसको कुलपति बनाया है तो उनका सम्मान आप जैसा भी कर सकते हैं वह करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में था तब डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा के साथ जिस तरह का वातावरण किया गया, मैं आपको सच कहता हूं, वह किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हों, किसी भी संघ परिवार के वह सदस्य रहे हों लेकिन सही मायने में मेरे दिल में भी एक ठेस लगी कि आज शिक्षाविद् को किस तरह से अपमानित करके यहां से निकाला गया है। वह मुझे कतई बरदाश्त नहीं हुआ। ऐसे के ऐसे वातावरण में आज आर.एन. सिंह यहां पर शिक्षाविद् हैं। अनियमितताएं हुई हैं, सरकार का भी क्लियर स्टेटमेंट इस रूप में आया है कि अनियमितताएं हुई हैं लेकिन उन अनियमितताओं के पीछे क्या हमारे पास में कोई ऐसे साधन थे कि हमें जानकारी आने के बाद में हम उन अनियमितताओं को रोक पाते। वित्तीय अनियमितताएं हुई, एडमिशंस में अनियमितताएं हुई लेकिन इनके पीछे कारण क्या है? आखिर यह सब क्यों हो रहा है? इतना प्रेशर किस बात का है? किस बात का इतना दबाव है?

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इकतरफा कार्यवाही सोची है। इस सदन का सबसे बड़ा मसला तब तकलीफ बन जाता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप तो लगा देते हैं लेकिन उस आरोप को केवल इकतरफा कार्यवाही मानकर के, किसी भी केस में हमने आरोप लगा दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह स्पष्ट आरोप है इस सरकार पर कि जिस किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार की मंशा उसको प्रताड़ित करने की होती है तो इनका रिप्लाई उसके प्रतिकूल होता है और जिस किसी अधिकारी के खिलाफ इनकी मंशा उसको बचाने की होती है तो उसका रिप्लाई उसके अनुरूप होता है और यह सदन इकतरफा कार्यवाही देखकर के जैसा भी मंतव्य बनाता है वैसा बनाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहां तो बहुमत से फैसला होता है। बहुमत आज उधर है, कल बहुमत इधर था। तो बहुमत से फैसला होगा वह तो होगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस मामले में काफी गम्भीर चर्चा हो चुकी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपने अभी फरमाया कि आज वहां पर पुलिस की छावनी बना दी, इतने शानदार गैस्ट हाउस को आपने पुलिस को रहने के लिए उपलब्ध करा दिया। प्रोफेसर उन्नीथान भी यहीं के थे, उन्होंने पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी परिसर को पुलिस का कैम्पस बनाकर रख दिया था तब आपको तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तब भी हुई और मुझे भी हुई। मुझे आज भी तकलीफ है। लेकिन इन सबके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों ने जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप इन यूनिवर्सिटीज में किया है वह इसका मुख्य कारण है।

आज सिंडीकेट को आप देखिये। कोई भी आपने एक आयोग बनाया या जांच के लिए के लिए कोई कमीशन बिठाया लेकिन जांच की रिपोर्ट जब सिंडिकेट के सामने रखी जायेगी तो उस पर फैसला बहुमत से होगा। राजगोपालन कमेटी बनी, उसका फैसला कि मधुकर श्याम चतुर्वेदी और अन्य_

श्री कालीचरण सराफ : साल भर से सिंडिकेट की मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा है कि आपकी यूनिवर्सिटी, रोज यहां बैठकर के, आज लोगों ने जो इस तरह से कहा है तो उससे आपका अनुभव यूनिवर्सिटी में ज्यादा हो सकता है। मेरा तो अनुभव सिर्फ इतना सा है_

श्री कालीचरण सराफ : मैं सिंडिकेट का मैम्बर हूं, वहां पर मीटिंग ही नहीं होती।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैम्बर तो आप होंगे ही। आप उधर बैठे हैं इसलिए तो आप मैम्बर हैं। उधर में बैठता तो सिंडिकेट का मैम्बर मैं होता इसलिए इसमें बुरा और भला क्या है_

श्री अध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुकर श्याम चतुर्वेदी और अन्य को राजगोपालन कमेटी ने दोषी पाया लेकिन उस कमेटी को केवल इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि उनके चुने हुए, नामिनेट मैम्बर सिंडिकेट के जो थे उनमें आर.एस.एस. के ज्यादा थे। इसलिए उस कमेटी का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि कुछ करना चाहते हैं, आपकी मंशा यदि शिक्षा जगत को वास्तव में सही प्रशासन देने की है तो सबसे पहले तो आप 90 से लेकर के आज की तारीख तक इस यूनिवर्सिटी में जितने घपले हुए हैं, जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जितने भी एडमिशंस में घपलें हुए हैं उन सबकी जांच कराइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस सदन की कमेटी के बजाय आप हाईकोर्ट के किसी जस्टिस से इसकी जांच करायें और दूध का दूध और पानी का पानी कर दें अन्यथा क्या मैसेज जायेगा? मैं तो फिर यह कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण जी। माननीय मोटवानी जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो किसी के अंगुली उठाने पर अपने जमीर में झांककर देखते। निलंगेकर ने ऐसा किया। वे महाराष्ट्र की मुख्य मंत्री थी। जब उनको इस बात का इल्म हुआ, जब उनको इस बात का पता चला कि उनकी बेटी का एडमिशन गलत तरीके से हो गया...

श्री अध्यक्ष : वह तो आ चुका, माननीय सदस्य कह चुके। अब उसका रिपीटेशन नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि आज हिम्मत है माननीय चतुर्वेदी साहब में, यदि उच्च शिक्षा मंत्रीजी में इतना दमखम है और यदि वह यह समझते हैं कि चरित्र की राजनीति करना केवल उन्हीं का काम है तो इस सारे मसले को देखकर के, मैं आपको स्वयं को दोषी मानता हूँ, आपको भी सारे मसले को देखकर त्यागपत्र दे देना चाहिए, आपको मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करने उठा था कि जो कार्यकलाप बड़े सहृदयता के साथ, सच्चाई के साथ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने राजस्थान विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में दिये हैं वह साधुवाद के पात्र हैं। मेरा भी अजमेर के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में 131 का नोटिस है...

श्री कालीचरण सराफ : अजमेर का कहां से आ गया? अजमेर का अलग से करिये।

श्री किशन मोटवानी : मेरा निवेदन सुनिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारे शिक्षा जगत की बात कर रहे हो तो अजमेर के घोटाले सुनने में क्या आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें धारीवाल साहब। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : यह स्पेशल मामला है, स्पेशल इश्यू है, ध्यानाकर्षण है। मैं भी कहूंगी जोधपुर की बात भी सुनें लेकिन ऐसा कैसे चलेगा। मैं अभी बोलती हूं कि जोधपुर सिंडिकेट की बात सुन लीजिये। जोधपुर की सिंडिकेट के हम मैम्बर हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय को डायल्यूट कर देंगे। (व्यवधान) मतलब क्या है?

श्री कालीचरण सराफ : मैं जोधपुर के बारे में भी बोलना चाहता हूं। मुझे परमिशन दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हम सुखाड़िया विश्वविद्यालय का बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आसन की ओर से अनुमति दी गई थी माननीय सदस्य को। आसन की ओर से माननीय सदस्य को अनुमति दे दी गयी थी। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों के बारे में अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, परमिशन देते हैं तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में भी दें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भ्रष्टाचार सामने आने दें। बैठिये माननीय सदस्य।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर हमको भी अनुमति देनी पड़ेगी। हम जोधपुर के बारे में बोलना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बोलना, आप भी बोलिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिये, हम स्वागत करते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं, मैंने तो व्यवस्था मांगी थी कि मेरा एक 131 का नोटिस महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर के सन्दर्भ में है तो मुझे उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि हम आपको दो मिनट बोलने देंगे। सभी बोलें, और मैं कोई उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : राजस्थान विश्वविद्यालय पर चर्चा चल रही है। अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में कहां हो रही है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था दी थी, अनुमति दी थी बोलने की (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अलग प्रस्ताव है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि उस पर चर्चा कराना चाहें_

श्री किशन मोटवानी : आपकी दाढ़ी में तिनका क्या आ रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं, तिनका नहीं है (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : मैं बोल क्या रहा हूं कृपया करके सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने केवल समय मांगा था।

श्री किशन मोटवानी : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या मांगा था? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने केवल यह कहा था आपने कहा कि मैं इस विषय में बोल रहा हूं तो उन्होंने कहा कि बोलने का अवसर देंगे। आपका कहना यह है कि 31 में आपके_

श्री रामनारायण चौधरी : मोटवानी जी का अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में जो प्रस्ताव है, उसके बारे में (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अलग से अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में आपका 131 का प्रस्ताव है तो मेरा निवेदन यह है कि 131 में जो आपका प्रस्ताव है, उस पर विचार करके चर्चा कराना चाहें तो करायें, कोई एतराज नहीं (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आप डर क्यों रहे हैं? I don't know why are you so afraid. आप डर क्यों रहे हैं इतना?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो कह रहा हूं, चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सनाढ्य साहब उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बोले थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी साहब बिराजिये। क्या कर रहे हैं, बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूं चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके प्रस्ताव पर विचार करके अनुमति दें तो दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप। क्या कर रहे हैं आप।

(134)

श्री किशन मोटवानी : मैं तो वह अलग से Should I stop it?

श्री अध्यक्ष : Why are you standing up ? Please sit down.

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किशन मोटवानी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज व्यवस्था की मांग सदन के सारे सदस्यों ने की है राजस्थान विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में, मैं आपसे यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मैंने 131 का नोटिस दिया है उसमें तीन डिटेल्ड ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को दिये गये हैं, उसको संलग्न किया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप विवेक से उन पर इन्क्वायरी करा लें, जांच करा लें और आज जो व्यवस्था, राजस्थान विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में घोषणा करना चाहेंगे या कहने जायेंगे, अजमेर के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का भी उसी के साथ उस इन्क्वायरी में, उस व्यवस्था में जोड़ने का कीजिये और जब 131 का आयेगा, तब बात करेंगे यहां। सुनिये तो सही। धैर्य तो रखा करो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। रामस्वरूप जी। (व्यवधान) कृपया बोलने दें। समय जाया न करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज बहुत ही गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मां सरस्वती के सर्वोच्च विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा हो रही है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना है कि आज कोई अच्छी चर्चा नहीं हो रही है। मां सरस्वती से हम ज्ञान लेते हैं, वहां से पढ़-लिखकर आते हैं, वहां पर बैठने वाले गुरु जिनको ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है:—

गुरुब्रह्मा, गुरुविष्णु, गुरुर्देवोमहेश्वरः
गुरुसाक्षात् परम् ब्रहमा तस्मं श्री गुरुवेः नमः॥

आज सरस्वती के पतन की, हमारे गुरुओं के पतन की यहां चर्चा हो रही है लेकिन अच्छी चर्चा नहीं, यह दुर्भाग्य है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको राजनैतिक मसला नहीं बनायें। आप सोच रहे होंगे कि उप कुलपति को हटा देंगे। उसकी जगह हम कोई हमारा बैठा देंगे। आपको पता है, यह इतिहास देख लो, कितने उप कुलपति बदल चुके हैं लगातार आपके, कोई ने भी तीन साल, पांच साल तक नहीं निभाया। कारण क्या है इसका? इसका कारण है सारी राजनीति आज शिक्षा में पहुंच चुकी है। जब तक राजनीति को शिक्षा से दूर नहीं रखा जायेगा, यह हमारी पावन जगह, यह हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में माना जाने वाला राजस्थान विश्वविद्यालय इस स्थिति में पहुंच गया है। यह राजस्थान में राजनीति की देन है। यह नेताओं ने ढर्रा बैठा दिया है इस विश्वविद्यालय का। अभी आज माननीय घनश्याम जी कह रहे थे, आपके बच्चे, आपके लाडले बेटे, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, घर पर ही बैठा रहा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

फिर आपने क्या कहा बाद में, वह तो फर्स्ट क्लास पास हो गया, कैसे पास हो गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहना है आपको?

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, कैसे पास हुआ, उसके हम दोषी हैं, हमने गलत प्रेशर डाला और कुलपति से उसको पास कराया, यह कारण बनता है इसलिए ढर्रा बैठा है इसका। एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन में घोटाले हुए। गरीब के बच्चे, एस.सी., एस.टी. के बच्चे, 70-70, 80-80 प्रतिशत के बावजूद भी उनके एडमिशन नहीं हुए। 10 लड़के आज मेरे पास आये और जो लड़के पैसे देते हैं, आज नेताओं के लड़के, जो प्रेशर वाले हैं, उनके आज एडमिशन हो गये, उनका दोषी कौन है, हम दोषी हैं इसके लिए।

श्री अध्यक्ष : आप भी आ गये हैं इसमें शैलेन्द्र जी, सब दोषी हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए जब तक यह राजनीतिकरण बन्द नहीं किया जायेगा तब तक यह घोटाले नहीं मिट सकते। आज चाहे एडमिशन का घोटाला हो, चाहे वह बजट का घोटाला हो, चाहे कुछ भी हो-

श्री अध्यक्ष : खुद ही शेम-शेम कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहां पर यूनियन बनी हुई है। ये आर.एस.एस. के लोग, ये फलाने लोग, ये ढिकने लोग, ये जा-जाकर वहां पर यूनियन के अध्यक्ष को बनाते हैं। वहां पर स्वतंत्र अध्यक्ष होना चाहिए। कोई पार्टी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए और वह अध्यक्ष वहां का प्रशासक होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, जब तक इन पार्टियों का हस्तक्षेप बंद नहीं होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर तब तक ये घोटाले होते रहेंगे। किसी को भी लाकर बैठा दो आपके लाड़लों को। चाहे अजमेर से ले आओ कुलपति, कहीं से भी लाकर बैठा दो कुलपति, नहीं सफल होगा कुलपति इसलिए मेरा निवेदन है, वह साधारण कुलपति सफल नहीं होगा, छोटे-मोटे को तो ये ही लोग हटा देंगे वहां से। प्रेशर होता है उनके ऊपर। पास होते ही है जबरदस्ती करके, चाकू की नोक पर सब कुछ किया जाता है इसलिए आज इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में जो पवित्र चर्चा होनी चाहिए और जो गलतियां जिन्होंने की हैं, चाहे कुलपति कोई हो, किसी का भी हो, उसकी जांच हो और जांच में कौन बैठायें। जांच होनी चाहिए उनसे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हों, जो उसकी आन-बान-शान को रखने की कोशिश करें। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. किया है, वहीं से मैंने एम.ए. किया है, वहीं से मैंने लॉ

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किया है। मैं चाहता हूं, इस पवित्र कार्य में मुझे भी शुमार किया जाये। मैं तो कहता हूं, पूरी निष्पक्ष जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। माननीय सदस्यों को उसके अन्दर रखा जाये। इसलिए मैं अन्त में यही कहूंगा...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि रामस्वरूप जी को इसमें सदस्य बनाया जाये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन इस सदन की यह परम्परा रही है, कोई भी सदस्य अपने बारे में जहां अपने हित की बात हो, कोई भी सदस्य इस सदन में नहीं कर सकता...

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे हित की बात नहीं हो रही है। राजस्थान के सारे बच्चों के हित की बात हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम उस पर विचार करें वह बात अच्छी है पर अपने मुंह से कहें तो ठीक नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर सारे माननीय सदस्य चाहते हैं तो मुझे रख लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी हुई और आपने अगर मुझे उसमें रख दिया तो निष्पक्ष जांच में मेरा पूरा सहयोग होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए अन्त में पुनः निवेदन करूंगा, अगर इस जांच में...

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कही, उसमें मैं भी एक मिनट...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं अब नहीं होगा। कम से कम 25-30 बोल चुके हैं। प्लीज, बैठें आप।

श्री जुबेर खान : नहीं, एक पाइंट। मैंने भी अपना राजनैतिक जीवन छह चुनाव लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय से लड़े, उससे शुरू किया और मैं बहुत सोच-समझकर निवेदन मंत्री महोदय से कर रहा हूं। यहां माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है, उसके ऊपर तो आपको जो निर्णय लेना है, लें लेकिन अगर आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर अच्छा करना है और शुद्ध करना है तो आप यह जो चुनाव होते हैं

(श्री जुबेर खान)

चाहे छात्र संघ के हों, चाहे कर्मचारी संघ के हों, उसमें राजनैतिक बैनर के नीचे लड़ना बेन कर दीजिये क्योंकि ईमानदारी से यह सदन चाहता है कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर अच्छा रहे और अच्छी पढ़ाई हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी छह चुनाव लगातार लड़ा हूं। एन.एस.यू.आई. का छह साल अध्यक्ष रहा हूं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं चाहे शिक्षकों की, छात्रों की, सबकी जिम्मेदार सारी राजनैतिक पार्टियां हैं इसलिए आप उसके ऊपर भी कोई विचार करें।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात बता दी है, बिराजिये। रामस्वरूप जी बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाये कि राजनीति को दूर रखा जाये उससे। अन्त में आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे सम्बन्धित होने वाली सारी स्थिति के विषय में सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां प्रस्तुत किये हैं, जो विचार अपने यहां पर रखे हैं, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की शैक्षणिक प्रगति में रूकावट आने वाली जो बाधाएं हैं, बातें हैं जिसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय देश में सर्वोच्च कोटि का विश्वविद्यालय माना जाता रहा और आज उसमें इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, मैं तो नहीं कहता कि ये बातें सच हैं किन्तु शिकायतें, उसके साथ गड़बड़ियां, सदन में विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो रखी हैं निश्चित रूप से उनके मन में यह भावना है कि राजस्थान का शैक्षणिक वातावरण अच्छा हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, उनके अभिभावक निश्चित रूप से इस बात को मन में मान कर चलें कि आज शैक्षणिक उन्नयन की दृष्टि से जो छात्रों में इस प्रकार का कर्त्तव्य है उसका ठीक रूप से निर्वहन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किन्तु जैसा मैंने आपको प्रारम्भ में कहा था, राजस्थान सरकार और डेमोक्रेसी में, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अगर किसी एक समय कोई विकृति आ गयी और उस विकृति का विचार करके ऐसे कदम उठा दिये गये कि जो कदम आगे जाकर आत्मघाती साबित हों, तो वह कोई बहुत अच्छी परम्परा साबित नहीं होगी। एक कारण हुआ है, एक स्थिति बनी है, विश्वविद्यालय में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, विश्वविद्यालय की कई शिकायतें हैं, अभी तो आरोप ही हैं, आरोप जब तक सिद्ध

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं हो जाते तब तक उस बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं। किन्तु इसी बात को ध्यान में रखकर...

श्री कालीचरण सराफ : साहब, डाकुमेंटरी प्रूफ दे दिये, आरोप कैसे सिद्ध नहीं हुए। डाकुमेंटरी प्रूफ दे दिये हमने।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। बोलने दें। बीच में टोकाटाकी न करें माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यह है कि एक विकृति को दूर करने के लिए अगर राज्य सरकार का हस्तक्षेप इस प्रकार की शैक्षणिक, स्वायत्तशाषी संस्थाओं में करना प्रारम्भ कर दिया जाय, तो जो आगे रूटीन बनेगा, जो परम्परा बनेगी, जो इसके बारे में आज भूमिका बनी हुई है देश भर में, प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए स्वायत्तशाषी संस्थाओं की जिस प्रकार की स्थिति है और इसीलिए विचार करते समय, सोचते समय, एक विचार आया था, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कांस्टीट्यूशनल बाडी नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है, ए.जी. का दफ्तर नहीं है। यहां पर चन्दनमलजी बैद थे शिक्षा मंत्री, मैं एम.एल.ए. था, यहां पर चर्चा चली थी, चन्दनमलजी ने सदन में कुछ नहीं कहा था और मैं आज कहता हूं सदन के सामने, सायंकाल तक कुलपति का त्यागपत्र ले लिया था। यहां पूनमचन्दजी विश्नोई भी थे। स्वायत्तता की क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी दिखाइये हिम्मत, क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अपने जमीर को टटोल कर कि राजस्थान की जनता आपसे न्याय की उम्मीद चाहती है, उस उम्मीद को बरकरार रखिये।

श्री कालीचरण सराफ : यह आटोनोमी से आप क्या करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बोलने दे रहे हैं लेकिन स्वायत्तता का मतलब चुनाव आयोग नहीं है। कांस्टीट्यूशनल बाडी नहीं है। इस सदन ने स्वायत्तता दी है, उसका एनक्रोचमेंट कितना है, कितना नहीं, हम देख लेते हैं। आप अपनी बात कहिये, मुझे एतराज नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी श्रीमान् चन्दनमलजी बैद थे, उन्होंने यहां कुछ नहीं कहा। यह कहने की जगह भी नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : और चूंकि वह कांग्रेस के थे इसलिए जनता के हित में उन्होंने निर्णय लिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्योंकि उन्होंने सोचा था कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सीधे-सीधे सरकार के हाथ से हमला करना, उसकी चर्चा करना, कहना ठीक रूप से नहीं है और इसीलिए आपकी और मेरी सहमति है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक दिन में ही कर दिया उन्होंने।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां। वह किसने किया, यह बात अलग है। वही मैं कहना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : हिम्मत चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और इसलिए मैं इस विचार का फिर भी हामी हूं कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में कभी सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वरना एक विकृति को दूर करने के लिए दूसरी विकृति को हम जन्म देंगे जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक कहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : रास्ता क्या निकाला, वह बताओ। **(व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लोगों को कुछ मालूम तो है नहीं, मंत्री रहे नहीं, मंत्रियों को होता है सब मालूम।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे प्रदेश के, प्रदेश की जनता के पेट्रोन हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। एक्ट जो बना हुआ है, हमने बनाया है, हम बदल सकते हैं, किन्तु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एक बदल करने की कोशिश की गयी तमिलनाडु में, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत नहीं किये। क्योंकि प्रजातांत्रिक परम्पराओं को कायम रखने के लिए एक कन्फिलक्ट बिटवीन मुख्य मंत्री और राज्यपाल किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति नहीं चाहते थे। सीधा-सीधा हस्तक्षेप विश्वविद्यालय के क्षेत्र में राजनीतिज्ञों का न हो, सरकार का न हो, यह प्रजातंत्र की मान्यता है, इसको मानकर चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किन्तु इसके कारण यह नहीं है कि गड़बड़ियां होती रहें, शिकायतें आती रहें। यह राजस्थान का धन है, गाढ़े पसीने की कमाई से आया हुआ जो कर है, उसके द्वारा राजस्थान का विश्वविद्यालय चलता है और इसीलिए राज्य सरकार इस बारे में जागृत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : जांच करवाऊंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कि कुलाधिपति महोदय हमारे पैट्रोन हैं, महामहिम हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, बना हुआ जो एक्ट है उस एक्ट में

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय कुलाधिपति महोदय को सब प्रकार की बातें करने का अधिकार है, राज्य सरकार उनको इस परिवेश में, यह सदन तो राजस्थान की जनता को रिप्रजेंट करता है और इसीलिए यहां की प्रोसीडिंग्स का एक-एक शब्द निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल के पास भिजवाया जायेगा। मेरी लड़की का जिक्र आया, वह 42 साल की उम्र की है। मैं चाहता हूं–पहली जांच उस लड़की के एडमीशन की राज्यपाल महोदय करें। मैं चर्चा में उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता आगे यहां। आखिर मैं भी मंत्री हूं, मेरी भी कोई लड़की है। कागज बताये गये यहां, जांच हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं इसलिए, इस बात को करके मुख्य विषय को एक तरफ करने की कोशिश न की जाय। यह राजस्थान की स्थिति...(व्यवधान) पूरी बात कर लेने दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कतई कोशिश नहीं है साहब। जो आरोप लगे हैं, सब की जांच करवा लीजिये। हमने जो लगाये उनकी भी और माननीय सदस्यों के सारे आरोपों की जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। धारीवाल साहब, सिट डाउन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यही कह रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और दोषियों को सजा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बैठिये आप। विदाउट परमीशन खड़े न हों आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ गया साहब।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। नो। बात बात पर...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी तरफ इशारा करके कहा कि कागज दिखाये। कागज तो मैं दुबारा दिखाऊंगा और जांच की मांग करने का हक, पूरा हक है मुझे।

श्री अध्यक्ष : आपको कई अधिकार हैं, आप बैठिये। पहले पूरी मंत्रीजी की बात सुनिये। यह बीच में टोकाटाकी नहीं चलेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिलकुल ठीक है। इस आड़ में जो उषा चतुर्वेदी के बारे में मांग की गयी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चुप रहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसमें आपकी सहमति नहीं, ललित चतुर्वेदी की सहमति है। दोषी पायी गयी तो वह तो भुगतेगी किन्तु मोरल के नाते मैं भी भुगतता हूं तो भुगतने के लिए तैयार हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या डिग्री फोरफिट करेंगे आप?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे पता नहीं, क्या करेंगे वह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, यह कौन करेगा? कानून में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विराजिये। वह जांच करें, मेम्बर बैठिये–

श्री हरिसिंह (महुआ) : कानून में लिखा हुआ नहीं है कहीं कि किसी की डिग्री फोरफिट हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया टोकाटाकी नहीं बीच में। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बीच में टोकाटाकी नहीं हो। बैठिये आप। आपका विशेष होगा क्या?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आया, महुआ से आने वाले माननीय विधायक किस बात पर उद्वेलित हैं। क्या वह चाहते हैं कि मैं कर लूं जांच, क्या वह चाहते हैं कि मैं हस्तक्षेप कर लूं। मैं कभी नहीं करूंगा। और मैं तो कहना चाहता हूं, परम्परा बनती चली जाय, राज आयेंगे-चले जायेंगे, तख्त बनेंगे-बिगड़ जायेंगे मंत्री रहेंगे-न रहेंगे किन्तु राजस्थान सरकार कभी भी इस प्रकार की स्वायत्तशाषी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करे, यह मेरा मत है, यह मेरा कहना है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से–(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे, माननीय सदस्य, न बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो आर.एस.एस. के जितने भी लोग हैं उनको हटाइये आप।

श्री अध्यक्ष : आप चुप रहिये अब। बैठिये आप। जब मरजी आये तब खड़े हो जाते हैं। This is not...बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठे बैठे बोलें तो मना, तो खड़े होकर बोल दिया है, खड़े होकर बोलें तो कहें आप कि बोलो मत। यह कोई कायदा है?

श्री अध्यक्ष : No, Not allowed.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी बात कहने का तो आदी नहीं हूं, न किसी का नाम बिगाड़ कर कहना आता है, न किसी को गाली देनी आती है। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य भाषण करते-करते गाली दे सकते हैं, विषय को बिगाड़ सकते हैं, नाम बिगाड़ सकते हैं तो मैं तो यही समझता हूं, आदमी वही है, किसी ने चीज दी, स्वीकार नहीं करें, मैं तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है, मैं क्या कोई भी तैयार नहीं होगा इस प्रकार के शब्दों को स्वीकार करने के लिए। उन्हीं के पास रहेंगे, वही मुबारक हों उनको। अध्यक्ष महोदय, फिर मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं और इसलिए मैंने कहा, कुलाधिपति महोदय जो हैं–

142

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह शब्द तो बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लेना। You will have your chance.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने क्या लगाया, लौटा दिया मैंने तो आपको। +++ क्या होता है? कोई शब्द तो प्रयोग करो। हम जी लगा कर कहते हैं। आदर से व्यवहार करो, बर्ताव करो, निम्न श्रेणी के शब्दों पर जाना किसी भी दृष्टि से अच्छे आदमी के लिए उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (व्यवधान)- अपमानित शब्दों का प्रयोग किया है। आप जैसे +++ क्या बात करनी है।

श्री अध्यक्ष : चुप बैठिये आप। आपको पूरा हक है बोलने का, बाद में बोल लेना आप। अभी बिराजिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैंने जैसा कहा, हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे किन्तु राजस्थान की जनता, उसके गाढ़े पसीने से कमाई हुई कमाई, दिया हुआ कर, चलने वाला विश्वविद्यालय, हम रेस्पोंसिबल हैं राजस्थान की जनता को, हम आन्सबरेबल हैं राजस्थान की जनता को, इसलिए आज नहीं, आज के एक सप्ताह पहले 33 शिकायतें माननीय राज्यपाल महोदय को जांच करने के लिए शिक्षा मंत्री पहले ही प्रेषित कर चुका है, आज के सात दिन पहले। किन्तु उन 3 शिकायतों के साथ-साथ सदन में जो सारी चर्चा हुई है उसकी हू-ब-हू प्रोसीडिंग्स निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदय को दी जायेगी, निवेदन किया जायेगा, सदन ने यह राय भी प्रकट की है कि कमेटी बनाओ सदन की। वैसे तो सदन सर्वोच्च है जो चाहे काम कर सकता है, किन्तु जैसे मैंने कहा कि वो महामहिम हैं, राज्यपाल हैं, कुलाधिपति हैं, सर्वेसर्वा हैं और सर्वेसर्वा नहीं हम सबके आदरणीय हैं और इसलिए चर्चा की गयी पहले कि कमेटीज का निर्णय क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कमेटीज की रिपोर्ट सिंडीकेट में नहीं आयेगी, मीटिंग ही नहीं होगी, उन पर निर्णय नहीं होंगे, निर्णय होकर वहां नहीं पहुंचेंगे कुलाधिपति के पास तो कुलाधिपति क्या निर्णय लेंगे? और इसलिए मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि पुरानी जो रिपोर्टस है उनके थ्रू प्रोपर चैनल आपके पास मंगवाइये, किन्तु मैं आज निवेदन करना चाहता हूं फिर दोहरा रहा हूं कि 33 शिकायतों को तो आज के सात दिन पूर्व मेरे पत्र के साथ श्रीमान् कुलाधिपति महोदय को मैं भेज चुका हूं और आज की सारी प्रोसिडिंग्स का एक-एक शब्द जिसमें उषा चतुर्वेदी का नाम भी हैं मैं भी सम्मिलित करता हूं शिकायत में अपनी तरफ से दी जायेगी कि दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। कौन गलत है वह निश्चय करें और निर्णय

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करने के पश्चात् उसी प्रकार की सारी कार्यवाही करें। मैं आपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन मोटवानी : क्या इसमें महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की बात भी आ गयी?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, क्षमा कीजिये आपने अभी इसका प्रस्ताव मूव किया है। यह सब देखने दीजिये हमको। सूचनाएं आने दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : आपको 10 दिन पूर्व मिल चुका है यह तो आपके यहां से रिप्लाई (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप मेरे से बात करना। आप डायरेक्ट बात नहीं करें। बिराजिये अब आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया। माननीय दीपेन्द्र सिंह जी ने एक बात उठायी थी और माननीय मंत्री महोदय उसको टाल गये। यह सदन सर्वोपरि है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। सदन को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देना इस सदन का अपमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह बात सत्य है कि लगातार कोशिश करने के बाद और प्रश्न करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने विधान सभा को, सरकार को जवाब नहीं दिया सरकार जाने और वो जाने। राजस्थान विधान सभा में दिये गये प्रश्न और लगाये गये कॉल-अटेंशन का जवाब नहीं दिया राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति ने तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी यह बात सत्य है या असत्य? दीपेन्द्र सिंह ने जो आरोप लगाया है उसकी सत्यता को आप प्रमाणित करिये। अगर, अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इसका प्रसंज्ञान ले सकते हैं और लेकर इस सदन के कटघरे में उनको खड़ा करना चाहिये। यह मेरी मांग है। यह नहीं चलेगा सदन के सामने।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा प्रश्न के जवाब में एक सूची मांगी थी कि किस-किस को मकानों का अलाटमेंट हुआ है। आर-1 से लेकर के आर-12 तक की सूची दे दी उसमें से आर-10 गायब है, वो जवाब नहीं दिया गया। गलत अलाटमेंट हुआ है इसलिए जवाब नहीं दिया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय विधायक महोदय और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय विधायक ने चर्चा की है। सदन के माननीय सदस्य हाइयेस्ट चेयर पर आप बैठे हैं इस बारे में निर्णय करना आपको है, हमारा बोलना ठीक नहीं है।

(१५५)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब दिया कि नहीं दिया? निर्णय करें कि जवाब दिया कि नहीं दिया?

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, दिया कि नहीं दिया जवाब_ (व्यवधान)_सदन के अधिकारों का मामला है। सदन ने कोई जानकारी चाही और बाई चांस उन्होंने नहीं दी, तो यह सीधा-सीधा प्रिविलेज बनता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह बात सच है जैसा कहा कि 10 नम्बर गायब कर दिया गया। गायब कर दिया है तो या तो वह मिसिप्रिन्ट हो गया है या भेजा नहीं, इसकी जानकारी करूंगा। मुझे यह जानकारी नहीं है कि हमने कोई सवाल भेजा हो और उन्होंने नहीं दिया हो। किन्तु यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रकार के सवाल किये हैं और उनको जानकारी नहीं मिली है, तो मैं उनसे जानकारी करके आपके भी ध्यान में ले आऊंगा किन्तु सदन की सारी बातों का निर्णय करना तो आपको ही है। आप निर्णय कर लें बाकी कुलाधिपति करेंगे, मेरा यही निवेदन है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करूं_(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन से छिपाना भी सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, हम तो एक जानकारी चाहते हैं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद, 18-18 माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण लगाया और उसका जवाब राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति ने भेजा कि नहीं भेजा, यह तो आपको भी जानकारी होगी जरा बता दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भेजा है साहब।

श्री कालीचरण सराफ : कहां भेजा है?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था अलाटमेंट के मामले में आर-10 जो शशि सहाय को अलाटमेंट किया गया है उस लिस्ट से आर-1 से आर-12 तक जवाब दिया गया, आर-10 गायब है। दूसरा, मैंने निवेदन यह किया था कि ये शशि सहाय जिनको अलाटमेंट किया गया यह गलत अलाटमेंट किया गया है, क्योंकि रीडर को जो मकान मिलना चाहिये था वो एक लेक्चरार थी इनको यह अलाटमेंट किया गया। यह स्पष्ट अनियमितता नजर आती है। इसको छिपाने के लिए इन तथ्यों को छुपाया गया है। मेरा यह भी निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको बात रख दी। आप सरकार से पूछो, आप प्रशासनिक अधिकारी से पूछ सकते हैं, आप दीपेन्द्रसिंह जी से पूछ सकते हैं और आप इसका फैसला करें कि सदन से कुछ (व्यवधान) आप फैसला करें और सदन में लायें।

श्री अध्यक्ष : ये इनका है। इन्होंने खुद ने ध्यानाकर्षण लगाया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बार में एक ही व्यक्ति कितनी बार बोल पायेगा इस पर भी तो व्यवस्था दें आप? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है साहब...

श्री अध्यक्ष : आपने नहीं लगाया, नहीं तो मैं आप से ही शुरूआत करता। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है साहब।

श्री अध्यक्ष : इसके बावजूद भी बोले ही हैं आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा था तब मैंने रेफ़रेंस दिया था राजगोपालन कमेटी का। राजगोपालन कमेटी ने यह साफ लिखा है कि विधान सभा के माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह जी ने उनका कोई प्रश्न था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट बैठो। कुलाधिपति महोदय ने बनायी थी कमेटी और कमेटी बनाकर पहले वो निर्णय करके सिंडिकेट करके उनको भेजेंगे। वो निर्णय करेंगे हम कहां से पिक्चर में आ रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सुन लें तो पहले आगे कहा है कि विधान सभा "The reply sent to the Rajasthan Legislative Assembly on 22.3.90 which would be based on the information supplied by the University does not reflect the truth." मेरा आरोप यह था कि असेम्बली से भी इस सच्चाई को छिपाया जा रहा है। यह सदन का सीधा-सीधा अपमान है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ...और जब इतने स्पष्ट तथ्य आपके सामने हैं तो फिर कौनसी और बात है क्यों आप इधर-उधर की गलियों में घुसते फिर रहे हैं? क्या बात है और मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, चेयर की मार्फत् माननीय मंत्री ने यह साफ शब्दों में कहा है कि यूनिवर्सिटी में अनियमितताएं हैं, वित्तीय अनियमितताएं हैं और एडमिशन की अनियमितताएं हैं, आपने स्वयं अपनी रिप्लाई में माना है...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने पढ़ा नहीं शायद। शिकायत है, मैं प्रथम दृष्टया कुछ बातों में मानता हूं स्पष्ट नहीं माना मैंने।

146

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रथम दृष्ट्या आपने मान लिया और आपकी प्रथम दृष्ट्या बात को हमने मान लिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : (व्यवधान) प्रथम दृष्ट्या का मतलब जांच नहीं हो जाती पूरी तब तक इस विषय में कहना मेरे लिए उचित नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिना जांच के आपने यह रिप्लाई क्यों दिया? जब आपने यह मान लिया कि यूनिवर्सिटी में विफलताएं हुई हैं, तो master is responsible for the acts of servant. And you are the master. और आपको सीधे-सीधे इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप विफल रहे हैं खुद, इस्तीफा दीजिये। आपने खुद ही यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को माना है और अनियमितताएं मानने का मतलब है आप अपनी विफलता अपने मुंह से स्वीकार करते हैं। आप इस्तीफा दीजिये सबसे पहली मांग हमारी यह है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपने अभी फरमाया कि 33 शिकायतों के साथ एक लैटर आपने महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा है। यहां इस हाउस में बहुत-सी शिकायतें की गयी हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो 33 शिकायतें क्या हैं वो सदन की मेज पर रख दीजिये ताकि हमको मालूम पड़ जाये कि हमने जो शिकायतें की हैं उन शिकायतों के बारे में आपने महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा है या नहीं लिखा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि 33 शिकायतें भिजवायी हैं उसके बाद भी दी होल प्रोसिडिंग ऑफ दिस हाउस इसको भी उनको कन्वे करूंगा और फिर भी 33 चाहें तो पढ़ लेता हूं आपके सामने। कोई तकलीफ नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, आप इजाजत देंगे तो रख दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें क्या दिक्कत है रख दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप चाहें तो रख दूंगा, चाहें तो बोल दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप पढ़ दें। जो पढ़ना है आपको आप पढ़ दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पढ़ना या रखना उसमें कोई फर्क नहीं है, सदन के पटल पर रखना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, रखवाने में क्या दिक्कत है? जब पढ़ रहें हैं तो रखवा भी दें। पढेंगे तो भी रिकार्ड

(श्री चन्दनमल बैद)

में आयेगा, रखवायेंगे तो भी रिकार्ड में आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आप और कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अभी तक नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इसको आटोनोमस मान लिया इसलिए हम लोग कुछ करना नहीं चाहते और सब कुछ रेफर करना चाहते हैं गवर्नर को। क्या यह सही नहीं है कि जैसे आर. एस. ई. बी. एक बोर्ड है वो भी आटोनोमस बॉडी है और उसके लिए यहां पर चैयरमेन आ जाता है हम लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं वह कह देते हैं और ऐसा कोई रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक समिति यहां की बनाकर इसमें देख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

(16.00)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो कहा गया, यह जो राय है सदन की कमेटी बनाने की, इसको भी मैं माननीय राज्यपाल महोदय को, कुलाधिपति को कन्वे कर दूंगा। निर्णय उनको करना है, कर लेंगे वे निर्णय। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में क्या कहा आपने?

श्री अध्यक्ष : आप रखना चाहें तो रख दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अब बार-बार यह बात आ रही है कि यह सदन की अवमानना है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई तथ्य छुपाया गया है जो वाकई में, देखा जायेगा, स्क्रूटिनाइज किया जायेगा और यह पाया जायेगा कि उन्होंने तथ्य छुपाया है तो उनके खिलाफ जिस प्रकार की भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी। अवमानना की कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से बात करके और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो राज्यपाल महोदय को सारी बात कन्वे करने के लिए एक साथ पधारने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा मंत्रीजी ने कह दिया और पूरी प्रोसिडिंग्स वहां जायेगी तो हम कोई वहां परेड करते फिरें।

श्री अध्यक्ष : उसके बावजूद भी कई बार हमको (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हम परेड करेंगे, यह कोई जबरदस्ती है? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं करेक्ट करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ये 17 बिन्दु हैं।

(148)

श्री अध्यक्ष : 17 सही, कितने हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 17 पाइंट्स हैं।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरे तीन घण्टे लग गये आज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शिक्षक एवं कर्मचारी संघों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 5247/92 दायर की गयी थी उसमें एकल पीठ ने दिनांक 27.5.93 को यह आदेश दिया था कि प्रतिवादी सरकार अनुदान नियमों में 6 माह में संशोधन करे तथा न्यायालय को अनुपालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा खण्ड पीठ में अपील संख्या 497/93 प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 27.5.96 को यह निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 को 1.1.93 से लागू कर देने एवं उसके अधीन निर्मित राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता अनुदान सहायता और सेवा शर्त आदि अधिनियम, 1993 को भी 1.4.93 को लागू कर देने से एकल पीठ द्वारा किया गया निर्णय निरस्त करने योग्य है। खण्ड पीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के निर्णय दिनांक 27.5.93 को निरस्त कर दिया तथा संघ द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। जहां तक सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था, शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघों द्वारा सात सूत्री मांग पत्र का प्रश्न है उसमें निम्नलिखित मांगों को भी सम्मिलित किया गया है: —

(1) 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान दिये जायं, पदोन्नति नियमों को लागू किया जाय।

(2) बोनस को अनुदान हेतु अनुमोदित व्यय के परिशिष्ट-8 में सम्मिलित किया जाय।

(3) ग्रेच्युटी को अनुदान हेतु अनुमोदित व्यय के परिशिष्ट 8 में सम्मिलित किया जाय।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(4) राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश नगदीकरण एवं समर्पित अवकाश का लाभ दिया जाय।

(5) राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सा व्यय पुनर्भरण किया जाय।

(6) पेंशन योजना लागू की जाय।

(7) राज्य कर्मचारियों की भांति सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में छूट दी जाय।

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पूर्व में अनुदान नियम, 1963 के अन्तर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ते की राशि पर स्वीकृत अनुदान प्रतिशत की दर से अनुदान का भुगतान किया जाता था। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 जो कि 1.4.93 से प्रभावी किये गये हैं, के तहत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन व महंगाई भत्ते के अलावा मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य कर्मचारियों की भांति देय है। राज्य सरकार द्वारा अन्तरिम राहत भी इन कर्मचारियों को स्वीकृत कर दी गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है उत्तर में कि यह सात मांगे हैं। इनके सम्बन्ध में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको वाजिब माना है और राज्य सरकार को इन मांगों को स्वीकार करने के लिए निर्देश दिये थे। राज्य सरकार इस निर्णय के खिलाफ डबल बैंच में अपील में गयी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार एक आदर्श एम्पलायर है और अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में आपके ही प्रदेश की सबसे ऊंची अदालत ने एक निर्णय किया कि इनकी मांगें न्यायसंगत हैं। उसके बाद आपको, सरकार को इस निर्णय के खिलाफ डबल बैंच में जाने की क्या जरूरत थी? नम्बर वन, क्या अब आपने अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया है कि डबल बैंच के खिलाफ वे लोग सुप्रीम कोर्ट में जायं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखें और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का निर्णय करवायें? सिंगल बैंच का निर्णय न्यायोचित था या डबल बैंच का निर्णय न्यायोचित है? यह आपने अननेसेसरेली आपके ही कर्मचारियों को लिटिगेशन में डाला है और लाखों रुपया उनके ऊपर आपने डाल दिया। आपको अपील में नहीं जाना चाहिए था। अब या तो यह कह दो कि यह सात मांगें हैं, सात सूत्री मांगें हैं ये वाजिब नहीं हैं और इन सात सूत्री मांगों के बारे में ही हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उस फैसले के बाद डबल बैंच में गये तो क्या यह सात सूत्री मांगें हैं, कर्मचारियों की ये वाजिब नहीं हैं और वाजिब हैं तो फिर आप उनको स्वीकार कीजिये। आपने यह कहा है कि 9, 18 और 27 साल की सेवा में चयनित वेतन-

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान जो कर्मचारियों के नियम 8 में लागू है। अगर आपकी अनुदानित शिक्षण संस्थाएं भी इस प्रक्रिया को लागू करें, इस नियम को लागू करें तो आप इसके ऊपर अनुदान क्यों नहीं देते? यह आपको देना चाहिए। जब अपने कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल में देते हैं सलेक्शन ग्रेड्स, तो आप उनको क्यों प्रेरित करते हैं? क्यों नहीं आप उनको पाबन्द करते हैं, एडेड इंस्टीट्यूशन को कि वे भी इनको दें और देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर अनुदान क्यों नहीं देते? मांग दो, बोनस के भुगतान के बारे में, इसमें स्पष्ट है कि बोनस आप भी दे रहे हैं तो जब वे बोनस दें तो आप उनको अनुदान में क्यों नहीं शामिल करते हो यानि यह जो सात सूत्री मांगें हैं जिनका आपने जिक्र किया है। आपने यह तो कह दिया कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन और महंगाई के अलावा मकान किराया और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य कर्मचारियों की भांति आपने देय मान लिया तो मेडिकल फेसेलिटी ही मान लों, आप बोनस वाला भी मान लो और राज्य कर्मचारियों की भांति आवास नगदीकरण, समर्पित अवकाश का लाभ भी दिया जाय। यह भी आप क्यों नहीं मान लेते? इसमें आपको दिक्कत क्या है? पेंशन योजना लागू की जाय, पेंशन योजना जब राजकीय कर्मचारियों को देते हो और जब आपने अपनी ऑटोनोमस बॉडी के लोगों को भी देना शुरू कर दिया जब आपने नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भी पेंशन स्वीकार कर ली, आपने हाऊसिंग बोर्ड को भी कर दी, बिजली बोर्ड को भी कर दी, आर.एफ.सी. को भी कर दी।

(16.10)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जितनी आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सबको आपने पेंशन योजना स्वीकार कर दी, तो यह जो आपकी एडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, यह भी अगर पेंशन देना चाहें तो उनके ऊपर आप यह क्यों नहीं लागू करते हो या तो उनको पाबन्द कीजिये। यह जो सात सूत्री मांगे हैं ये मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह भी नहीं चाहती कि ये गैर वाजिब हैं और इनको स्वीकार भी नहीं करती तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया आप जवाब दीजिये कि आप इनको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। आपने इनमें से पार्टी 2-3 तो मान ली बाकी शेष को मानने में आपको क्या कठिनाई है?

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से यह चर्चा चलती आ रही है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूट जो सरकार से अनुदान प्राप्त भी करते हैं और कहीं-कहीं तो 90 पर्सेण्ट अनुदान प्राप्त करते हैं। कर्मचारियों का शोषण होता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में इस

(श्री शिवनाथ सिंह)

सदन में चर्चा हुई थी और एक कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी की क्या रिकमंडेशंस हुईं और यहां सदन में मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि सरकार कमेटी बना रही है। उसकी क्या सिफारिशें थीं, उस पर क्या हुआ? दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज जब हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं और शिक्षा को सही रूप में लाना चाहते हैं तो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स जो उसको धंधा बनाये बैठे हैं इसके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से इतना रुपया कमा रहे हैं, उनका आप बचाव क्यों करना चाहते हैं? एक शिक्षक आपकी सेवा में आये और एक शिक्षक प्राइवेट इन्स्टीट्यूट में जाए, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप उन संस्थाओं को जो आपसे अनुदान भी लेती हैं, विद्यार्थियों का शोषण करते हैं, उनका प्रोटेक्शन मत कीजिए और जो स्कूल अध्यापक है उसको वो सब सहूलियतें मिलनी चाहिए जो आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों को देते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था वोट ऑन अकाउंट लिये हुए आपको चार महीने हो गये। बजट पास करवा रहे हैं और यह स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी भी हैं उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। पिछले तीन महीनों से वो बेचारे जितने भी अध्यापक हैं और यह चौथा महीना लग गया है और अभी तक किसी भी इन्स्टीट्यूट में आपने ग्रांट इन एड भेजी ही नहीं है। मेहरबानी करके आदेश दीजिए कि वो ग्रांट इन एड भेजें। चार-चार महीने वो बेचारे कैसे निकाल सकते हैं बगैर तनख्वाह के।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खेतसिंह जी वाली बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह कमिटेड लायबिलिटी है। बजट प्रावधानों में कमिटेड लायबिलिटी जो थी वह आपने वोट ऑन अकाउंट में करवा ली है। यह भी एक कमिटेड लायबिलिटी थी। तो यह दो अध्यापकों के बीच में, एक सरकारी और एक गैर सरकारी यानि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक को चार महीने की पूरी तनख्वाह मिल गयी, इनको चार महीने की तनख्वाह आज तक नहीं मिली है। यह विरोधाभास है। इसका मतलब हमारी सोच में अभी भी यह है कि यह दो अलग-अलग कैटेगिरीज के टीचर हैं। इसलिए उनका अलग-अलग ट्रीटमेंट हो। किन्तु आपकी मंशा इस एक्ट के माध्यम से तो साफ़ है कि दोनों कैटेगिरीज के टीचर्स एक समान हैं। उनको एक समान सुविधाएं, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिये। तो यह जो अब के हुआ है इसको आप दिखवा लें। Kindly keep it up.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें जो विद्यार्थियों से फीस ली जाती है और जो सरकारी स्कूल में फीस ली जाती है उसमें कितने अन्तर की आपने छूट दे रखी है और वो कितना वसूल करते हैं, यह भी इसमें उत्तर दे दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सात सूत्री मांग पत्र है इनको राजकीय विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को जो मिलता है वही निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलना चाहिये। लेकिन सेवा की कुछ ऐसी शर्तें हैं, राजकीय विद्यालय में जो सलेक्शन करने का तरीका है, उनकी जो मेरिट बनकर सलेक्शन होता है, यहां सलेक्शन का अपना एक अलग तरीका है। इनका प्रमोशन, पदोन्नति नहीं होती है। हर पोस्ट पर इंटरव्यू होकर ही उनका चयन होता है। 9-18-27 का यह लाभ, उस तरह से तो उसमें कोई पद ही नहीं मिलेगा। एक ही विद्यालय में 18 टीचर हैं। अब 18 टीचर में उनको पदोन्नति देकर सबको किस तरह से सैट किया जाए, उसमें कुछ बेसिक अन्तर हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं यह नहीं कहता हूं कि इनको नहीं मिलना चाहिये। राज्य सरकार जैसे-जैसे उसके पास वित्तीय साधन होंगे उतनी ही तो पूर्ति करेगी। जो पहले हम दो देते थे उसको बढ़ाकर चार सुविधाएं देना हमने इसमें जोड़ा है। हम आगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी कोर्ट के एक आदेश से केवल यह कि सारे का सारा जो कुछ भी बकाया है उसको एक दिन में डालकर वो प्राप्त करने की कोशिश करें तो राज्य सरकार के सामने भी एक अजीब सी स्थिति बन जाती है और इसलिए उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि एक कोर्ट ने फैसला किया और जितनी सुविधाएं और लिख सकते थे, उतना फैसले में लिख दिया। यह सब भी दे दी जाएं। तो कोई भी चीज पर निर्णय करते समय कम से कम इतना तो जरूर हो कि क्षमता के अनुसार उसमें धीरे-धीरे जोड़ा जाए। एक दिन में इसकी सारी पूर्ति और इस कारण से हमको डबल बेंच में जाना पड़ा और डबल बेंच में इन सारी बातों का हवाला देते हुए उन्होंने इसको बदला है। उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार किया। उन बिन्दुओं को लेते हुए स्वीकार किया कि इनकी सर्विस कंडीशन और इनकी सर्विस कंडीशन में अन्तर है। इनके सलेक्शन और उनके सलेक्शन में अन्तर है। कई चीजों का अन्तर होते हुए मैं सोचता हूं कि पेंशन के बारे में जो जी.पी.एफ. और उनका जो पैसा मिलता है। यह तो राज्य सरकार और बैठकर इसके बारे में निर्णय कर सकती है, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है। उस बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई भी एक दिन में कोर्ट ने एक फैसला दे दिया हमको उसका हुक्मनामा दूसरे दिन ही जारी करना पड़ेगा और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसका वजन हम उठा सकेंगे कि नहीं। यह कुछ ऐसे हैं पर ये नहीं कि कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिले। उनको सुविधा मिलनी चाहिये और जितनी हमसे हो सकती है, कोशिश करें उसको हम दिलायें। मैं सोचता हूं, जैसा आपने कहा कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं और जो नियम हमने बनाये थे उस नियम में कुछ ऐसी कमियां रह गयीं जिनके कारण निजी शिक्षण संस्थाएं बिल्कुल परेशानी में आ गयी थीं। उसके लिये भी हाउस में एक कमेटी बनायी थी। उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल बना दी केवल उसकी अंतिम एक रीडिंग अभी बाकी है। उसके होते ही उसमें जो आवश्यक संशोधन हैं वो पूरे करते ही हमने अपना काम पूरा कर लिया है। रहा सवाल धोद के माननीय विधायक ने कहा कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं क्या फीस लेती हैं या नहीं लेती है। सामान्यतः तो वो जितनी फीस लेते हैं, अनुदान तो अब तक के नियम के अनुसार तो उसको घटाकर के ही उनको दिया जाता है पैसा जितना बनता है उनका। लेकिन इसके बारे में उस कमेटी ने बैठकर अपना विचार बनाया है कि वो इसको किस तरह से रेगुलेट करें और फीस के बारे में भी कंट्रोल कैसे किया जाए। उस कमेटी ने अपने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं सोचता हूं कि उसका फाइनल स्वरूप बनकर आयेगा तो निश्चित रूप से आपके इन सब प्रश्नों का उत्तर उसमें निहित होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वो तो आपने जवाब दिया ही नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, यह निश्चित बात है, मेरे ध्यान में पिछले 6-7 दिन पहले ही यह बात आयी थी कि निजी शिक्षण संस्थाओं को समय पर अनुदान का पैसा नहीं मिला है। मैं इसको तुरन्त देखकर इसकी व्यवस्था कराउंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रिजल्ट भी उनके अच्छे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब की बार रिजल्ट हमारे भी बहुत अच्छे रहे हैं।

विशिष्ट योजना संगठन विभाग में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितता

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा विशिष्ट योजना संगठन विभाग में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत विशिष्ट योजना संगठन विभाग में कथित व्याप्त भ्रष्टाचारों एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत

154

(श्री हरजीराम बुरडक)

ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के 14 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से कृषि विकास परियोजनान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित कराई जा रही हैं। इसके लिए विद्युत मोनोब्लॉक पम्पसेट्स एवं पाइप्स क्रय करने के लिए विश्व बैंक के अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं प्राप्त करने से पूर्व निविदाओं की शर्तें व विभिन्न मापदण्ड इत्यादि का निर्धारण निविदाएं निकालने से पूर्व विश्व बैंक से स्वीकृत करवाया जाता है। विश्व बैंक की स्वीकृति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात् उनका परीक्षण एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है जिनमें दो तकनीकी व एक वित्तीय अधिकारी होता है। परीक्षण के पश्चात् सचिव स्तर पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय राज्य उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा लिया जाता है जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त हैं व सदस्य सचिव (वित्त), सचिव (कृषि विकास परियोजना) एवं सचिव, वि.यो. एवं ग्रावि. विभाग है। इसका अनुमोदन मुख्य सचिव स्तर भी लिया जाता है। इसके पश्चात् इन्हें विश्व बैंक के अन्तिम निर्णय व अनुमोदन हेतु विश्व बैंक कार्यालय, दिल्ली को भिजवाया जाता है। वहां इनकी विस्तृत जांच-पड़ताल कर, अनुमोदन किया जाता है और उनके अनुमोदन के पश्चात् ही क्रय के आदेश दिए जाते हैं। जिस फर्म को क्रय आदेश दिया जाता है, उसकी सामग्री आपूर्ति से पूर्व एक तकनीकी संस्था राइट्स (जो रेल्वे मंत्रालय का उपक्रम है) से निरीक्षण करवाया जाता है और उनके सत्यापन व मोहर आदि के पश्चात् ही माल विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भिजवाया जाता है। अतः यह कहा जाना कि बिना किसी मांग के सचिव महोदय के स्तर पर डिमांड तैयार करके मनमाने तरीके से खरीद की गई वह सही नहीं है।

क्रय की गई सामग्री का भुगतान जिलों से सामग्री प्राप्त की रसीदें इस विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् बिल की 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है जिसके लिए बैंक अधिकृत किया होता है तथा शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान जिलों से अन्तिम ग्राह्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित फर्म को पूर्ण भुगतान किया जाता है। इनके द्वारा 12 माह की सामग्री की गारंटी दी जाती है। इस तरह से एक पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

(श्री अनंग कुमार जैन)

वर्ष 1993-94 में 7 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों हेतु 90 योजनाओं के लिए 192545 मीटर पाइप रुपये 199.75 लाख की राज्य स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित कर क्रय की गयीं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के आठ निविदादाताओं की निविदायें प्राप्त हुईं जिनमें से न्यूनतम निविदादाता मैसर्स फिनोलेक्स पाइप्स लिमिटेड, पूना को विश्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात क्रय आदेश मार्च, 1994 में दिया गया। वित्तीय वर्ष 1993-94 में पम्प सैट क्रय करने के कोई आदेश नहीं दिए गए।

वर्ष 94-95 में 6 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 48 योजनाओं हेतु 131 पम्प सैट रुपये 24.63 लाख के स्थानीय स्तर की निविदायें आमंत्रित कर क्रय किये गये। इस हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें सहायक अभियन्ता तथा लेखाधिकारी सदस्य थे, ने निविदाओं का मूल्यांकन कर, क्रय आदेश दिये। इसका परीक्षण करने के पश्चात राज्य स्तर पर स्वीकृति दी गयी। उक्त सभी क्रय की गयी सामग्री रुपये 30.00 लाख से कम होने के कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भी क्रय करने हेतु अधिकृत थे।

विश्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार ही वर्ष 95-96 में पम्प सैट के क्रय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित कर, क्रय करने का सुझाव विश्व बैंक ने दिया जिसके अनुरूप 98 योजनाओं हेतु 228 पम्प सैट रुपये 39.98 लाख के आठ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों हेतु क्रय किये गये। इसमें पांच निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें एक विदेशी निवेशदाता की निविदा प्राप्त हुई। उक्त निविदाओं में से न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जेड.एम. मोगर, गुजरात को विश्व बैंक से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अपनाते हुए जुलाई, 95 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को पम्प सैट सप्लाई का आदेश दिया गया।

वर्ष 93-94, 94-95 हेतु सामग्री क्रय की जा चुकी है एवं वर्ष 95-96 की योजनाओं हेतु पम्प सैट एवं पाइप सप्लाई के आदेश उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुए मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड को पम्प सैट हेतु तथा मैसर्स अरावली पाइप्स लिमिटेड, हिसार को पाइप सप्लाई हेतु 446219 मीटर पाइप सप्लाई आदेश दिया गया है। इन क्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण करने हेतु भी मैसर्स राइट्स जो रेल्वे मंत्रालय का उपक्रम है, को दिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 94-95 की लक्षित 146 योजनाओं के पम्प सेट क्रय किये गये तथा 90 योजनाओं के पाइप क्रय किये गये। वर्ष 95-96 में 115 योजनाओं के लक्ष्य तथा वर्ष 96-97 में 134 योजनाओं के लक्ष्य हैं जिनके लिए

(श्री अनंग कुमार जैन)

अभी सामग्री क्रय नहीं की गयी है। मात्र 95-96 की 171 योजनाओं हेतु पाइप्स का आदेश दिनांक 11.4.96 एवं 115 योजनाओं के पम्प सैट का सप्लाई आदेश दिनांक 12.6.96 को दिया गया है।

कितना माल क्रय करना है, इसका आंकलन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त मांग, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन तथा विश्व बैंक से अनुमोदित मॉडल रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : श्रीमान्, यह तो आगे और है। यह कौनसा पढ़ दिया आपने।

श्री अनंग कुमार जैन : रताऊ तालाब के बारे में भी बोल दूं।

श्री हरजीराम बुरडक : इसी में है।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, आपने बोला ही इतना था, अनियमितताओं के बारे में।

श्री हरजीराम बुरडक : यह तो जो छप गया, वह बोल दिया मैंने। पहली बात तो यह है कि आपने अध्यक्षजी को जो सूचना दी है वह तो दूसरी है। इसमें एक भी लाइन आपने नहीं पढ़ी है। यह तो पहले आपसे सूचना मांगी है जो पंचायत के बारे में रिपोर्ट आपने भेजी है। (व्यवधान) उसके बारे में कोई बात कही नहीं है। यह सारा का सारा आपने अभी दूसरा बोल दिया और पहले जो आपने भेजा, वह दूसरा है। इसमें रताऊ भी शामिल है। कार्य-सूची में जितना छपा है, उतना मैं बोल गया, प्रस्ताव तो एक ही है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में पहले विस्तृत सूचना भिजवा दी थी। उसकी कॉपी भी माननीय सदस्य को भिजवा दी। अब आज जो आपने ध्यान आकर्षण किया, उसमें मुख्य तथ्य मैंने माननीय सदस्य के सामने निवेदन कर दिये। अब जो आप पूछेंगे, उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा।

रताऊ तालाब का निर्माण कार्य मरु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 8.2.94 को स्वीकृत किया गया। इसकी अनुमानित लागत 5 लाख रुपये थी एवं इसका निर्माण मार्च, 94 में शुरू हुआ।

श्री हरजीराम बुरडक से प्राप्त पत्र दिनांक 29.5.95 के अनुसरण में ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर को विभागीय पत्र दिनांक 3.6.95 द्वारा निर्देशित किया गया कि रताऊ तालाब के बारे में वस्तु स्थिति से अवगत कराया जावे एवं इस तालाब को शीघ्र पूर्ण कराया जाये ताकि वर्षा के मौसम में निर्माण सामग्री खराब न हो।

इस सन्दर्भ में वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक अवगत कराया

(श्री अनंग कुमार जैन)

गया कि तालाब की जांच के बगैर ही कार्य शुरू कर दिया गया है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 19.6.95 द्वारा जांच होने तक इस तालाब के निर्माण का कार्य रोकने हेतु निर्देश दिया गया।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 7.8.95 के आधार पर विभागीय पत्र दिनांक 19.8.95 द्वारा इस तालाब का निर्माण कार्य सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता की देखरेख में कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री प्रेमा राम बीडासर से इस तालाब के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पत्र के सन्दर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 7.6.96 के अनुसार रताऊ तालाब का निर्माण कार्य ठीक पाया गया एवं पंजिका में सामग्री का इन्द्राज किया गया। किन्तु चूंकि उक्त जांच उसी सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी है जिसने कार्य का सम्पादन किया था अतः इस प्रकरण पर पुनः शिकायत प्राप्त होने की स्थिति को दृष्टिगत रख उच्च अधिकारी स्तर पर जांच करवाया जाना प्रस्तावित है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा सूचित किया गया है कि जल-ग्रहण विकास मार्गदर्शिका के अनुसार इस निर्माण कार्य को अब मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं सुरक्षित स्थिति में लाने के लिए शेष कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराये जाने हेतु सुझावित किया गया है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : हरजीरामजी, इसमें तो आपके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है। विशिष्ट योजना संगठन विभाग में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर, यह है आपका। तथा जो दिया गया है उसमें आपने जो विवरण दिया है इण्टरनेशनल, यह सब तो कहीं हमारे आता नहीं है। डी.आर.डी.ए. में जो अनियमितताएं हो रही हैं...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता को तो पूछने दें पहले आप।

श्री शिवनाथ सिंह : वे तो कह ही रहे हैं, इसमें हम भी लाभान्वित हों।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में विशेषतया 3 मुद्दे थे। पहले तो आपने जो उत्तर दिया है, मैंने जो आरोप लगाये थे, उसमें करीब करीब, इनके उत्तर में सही साबित होते हैं। मेरा पहला आरोप यह था कि जिन क्षेत्रों में सामुदायिक जिला उत्थान योजना डी.आर.डी.ए. के माध्यम से चलायी जा रही है, और विश्व बैंक से सहायता मिल रही है यह जैसा उत्तर आपने मेरे को पहले दिया है, उसमें साफ लिखा है कि 30 लाख रुपये से ऊपर की जो पर्चेजिंग हो

(श्री हरजीराम बुरडक)

वह इण्टरनेशनल लेवल पर कराने का विश्व बैंक ने इनको कहा है। इन्होंने क्या किया कि पूरे राजस्थान के डी.आर.डी.ए. से मांग इकट्ठी करके 30 लाख से ज्यादा कर लिया। ऐसे तो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर पूरे राजस्थान की सड़कों को एक करके टेण्डर निकालेंगे तो एक्सईएन, एसई. कोई निकाल ही नहीं सकेंगे। वह भी फिर सारा अन्तर्राष्ट्रीय होगा। मेरा पहला आरोप यह है कि यही हेरफेर करने के लिए सारे डी.आर.डी.ए. के पी.डीज. को बुला-बुला कर लिखा गया है कि आपको कितने पाइप चाहिए, कितनी मोटर चाहिए और उसको इकट्ठा करके उन्होंने यह पर्चेजिंग का कार्य कर लिया।

मेरा दूसरा आरोप यह था कि जहां तक मोटर खरीदने का प्रश्न है, वह कोई भी स्कीम अगर सेंक्शन हो जाए, उसमें यह साथ में हो कि कितना तो इनको पानी चाहिए, कितना उस मोटर का हैड होगा, किस हिसाब से तय होगा, आगे पाइपों की साइज क्या है, कितने काश्तकारों को आप लाभान्वित कर रहे हो, कितनी उसकी खेती है, उस हिसाब से वह सामान क्रय होगा तो यह तब होगा जब स्कीम फाइनल हो जाएगी। आपने सारा का सारा पहले क्रय कर लिया, 2 साल से वह सामान पड़ा हुआ है। आपके प्लास्टिक के पाइप खराब हो रहे हैं। आपने जगह-जगह फेंक दिए। डी.आर.डी.ए. के पास जगह नहीं है तो कहीं कृषि उपज मण्डियों में फेंक दिये। इस तरह से यह कार्य करने का, आपने यह कह दिया कि हमने तो यह कमेटी बना दी, यह बना दी, यह सब आपने इसलिए किया कि डी.आर.डी.ए. का जो काम है, वह आपने कर दिया।

इसमें मैंने यह भी लिखा था कि मंत्री महोदय तो नाम मात्र के हैं और वह विभाग सारा काम करता है। अधिकारियों ने जो जवाब दिया है उसमें इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह लिखा है कि विशिष्ट योजना संगठन मंत्री का योजनाओं की स्वीकृति, कार्य सम्पादन, कार्यान्वयन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है तो फिर आप किसके लिए बैठे हैं। इसी प्रस्ताव को आपने एप्रूव किया है। इस उत्तर को आपसे दस्तख्त कराकर यहां भेजा। विधान सभा में आपने जो उत्तर दिया है, अधिकारियों ने यह आपसे एप्रूव करा कर दिया है यही मेरा आरोप था जो कि आपने स्वीकार किया है। इससे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

तीसरा, मेरा आरोप यह था कि आपने जितने भी इंजीनियर यहां भर रखे हैं, डी.आर.डी.ए. में आपने 30-35 एक्सईएन. लगा रखे हैं और 50-60, 70 एईएन. होंगे। वे सारे के सारे सोइल कन्जर्वेशन में से ही क्यों हैं? सोइल कन्जर्वेशन का कोई काम नहीं है, पूरा डी. आर. डी. ए. में। ज्यादा से ज्यादा डी.

(श्री हरजीराम बुरडक)

आर. डी. ए. में काम है इसका आपके कंस्ट्रक्शन का, वह सिविल का काम है। सिविल का एक भी इन्जीनियर न आपने पीडब्लूडी. से लिया और न और किसी डिपार्टमेंट से लिया। एक से लेकर आखिर तक सारे एक ही डिपार्टमेंट के होने के क्या कारण हैं और वे भी भू-संरक्षण के। इसका आपने यह उत्तर दिया है, भाग दो में कि हमारे यह बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हमने जगह-जगह इनको ट्रेनिंग दिलवायी है। विश्व बैंक से भी यह मार्गदर्शन लिये हुए हैं और यह सारे एक्सपर्ट हैं। तो सारे भू-संरक्षण के लेने का कोई औचित्य नहीं है। यह सारे सरासर गलत काम है।

श्रीमती कमला : मेड़बंदी के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक : मेड़बंदी के हैं लेकिन वहां मेड़बंदी का काम ही नहीं है। जहां काम हो वहां लगाओ आप। आपको जो छूट दी है, उसमें छूट है इनको कि चाहे जिस डिपार्टमेंट के ले लें। तो चाहे जिस डिपार्टमेंट का लेने की छूट है कि जहां जो काम होगा, उस हिसाब से आप ले लीजिये। जैसे यह जलोत्थान योजना है तो उसमें आपको इरिगेशन के लेने चाहिये थे। आपने सारे ही भू-संरक्षण से भर दिये। फिर आपने इनकी तारीफ कर दी कि इनका काम बहुत बढ़िया है। यह बड़े एक्सपर्ट हैं तो फिर तीसरे उत्तर में आपने रताऊ के तालाब में इनसे कितनी बार जांच करवा ली? आपके जेईएन. ने जांच कर ली। आपके एईएन. ने जांच कर ली। आपके एक्सईएन. ने जांच कर ली और उनसे दो-दो, तीन-तीन बार आपने रिपोर्ट मंगवा ली। साल भर से आप मजदूरी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पहले आपने कई बार पेमेंट रोका और कई बार पेमेंट करने का लिख दिया और यहां जांच रिपोर्ट मंगवा ली और यह जांच रिपोर्ट आखरी जो आपने दी है, अभी तो आपने इसमें नहीं बताया है। अब यह 7.6.1996 की जांच रिपोर्ट है और यह साल भर बाद की जांच रिपोर्ट है। इसके बीच में कई जांचें हो गयीं तो आप मजदूरों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? यह जो जवाब दिया, इसमें आपने कहीं नहीं लिखा है कि हमने पेमेंट रोक रखा है। लेकिन मेरा यह प्रस्ताव, जब उत्तर देने के बाद यह प्रस्ताव लगा तो आपने डी.आर.डी.ए. को लिख दिया कि उनका भुगतान मत करो तो आप क्या करवाना चाहते हैं? अब आप कह रहे हैं कि हम तो पीडब्ल्यूडी. से जांच करवायेंगे तो फिर आपका एक्सईएन., आपका एईएन. यह क्या करेंगे? पीडब्ल्यूडी का कोई चीफ इंजीनियर करेगा। पीडब्ल्यूडी. से आपका कोई लेना-देना नहीं है। क्या आपकी बी.एस.आर, पीडब्ल्यूडी. से मेल नहीं खाती। पीडब्ल्यूडी. की बी.एस.आर. जहां दो लाख का काम है, वहां आपकी बी.एस.आर. एक लाख की है. तो पीडब्ल्यूडी. के_

श्री उपाध्यक्ष : अब आपके काफी सवाल हो चुके।

श्री हरजीराम बुरडक : सवाल ही हैं न। सारे सवाल ही तो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये?

श्री हरजीराम बुरडक : हो गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सवाल बहुत हो गये।

श्री हरजीराम बुरडक : मजदूरों के पेमेंट का तो कोई (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : जब आप पी.डब्ल्यू. से जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप पी.डब्ल्यू.डी. की रेट से उनको भुगतान करेंगे? अब आप कह रहे हैं कि उन अधिकारियों की देख-रेख में काम हुआ इसलिये हम दूसरों से जांच कराएंगे, सारे डिपार्टमेंट में उनकी देख-रेख में काम होता है तो सारे ही डिपार्टमेंट की जांच आप दूसरों से कराएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, आप कुछ पूछ रहे हैं? बोलिये।

श्री हरजीराम बुरडक : पहले उत्तर हो जाय। उत्तर आने के बाद पूछना। उत्तर दे दें पहले, बाद में पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर एक साथ दे देंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर आने दो साहब, मैंने स्पेसिफिक पूछा है, नहीं तो मेरा मतलब क्या रह जाएगा?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि जो परचेज की गयी, वे यहां से क्यों की गयी? प्रथम वर्ष में हमने 48 पम्प सेट स्थानीय जो जिला विकास अभिकरण हैं, उनसे ही परचेज करवाये हैं। उसके बाद विश्व बैंक की तरफ से आब्जेक्शन किया गया कि जो परचेजेज आप करें, सेण्ट्रल लेवल पर एक जगह से करें और उसकी कमेटी बनाकर के करें। अब इसमें एक आदमी नहीं है, उस कमेटी में कि विशिष्ट योजना संगठन के सेक्रेटरी हों। तीन सदस्यीय, चार सदस्यीय कमेटी है। जिसके अन्दर डवलपमेंट कमिश्नर उसके चेयरमेन हैं और वे चारों उसको देखने के बाद, जो टेंडर्स आते हैं, उनको देखने के बाद सारी जो विश्व बैंक की, विश्व बैंक की अपने आप की करीब 50 तरह की गाइड लाईन हैं और उनकी पाबन्दियां हैं। उन पाबन्दियों को सबको एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद यह इस तरह की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको बनाकर के भेजनी पड़ती है। यह जो खरीदते हैं, हम। उसमें हर चीज को डिटेल में लिखा जाता है। उससे पहले चीफ सैक्रेटरी लेवल पर उस कमेटी के निर्णय को एप्रूव करवाया जाता है। उसके बाद विश्व बैंक_

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने आपको प्रोसिजर का नहीं पूछा। यह बता दीजिये

(श्री हरजीराम बुरडक)

कि आपने जो परचेज किया, उस समय आपकी कितनी स्कीम्स कम्पलीट थी, जिसकी काश्तकारों की हिस्सा राशि आ गयी थी और आपको चालू करनी थी? आज भी आपका दो-तीन साल से यह सामान खरीदा हुआ पड़ा है। यहां इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं तो यह पूछ रहा हूं। प्रोसिजर नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : हां, बता रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : और दूसरा मेरा यह था कि स्टेट लेवल पर परचेज वे ही होनी चाहिये। एक पर्टिकुलर स्कीम का कोई आइटम अगर 30 लाख से ज्यादा हो ठीक है, आपने राजस्थान भर की स्कीम्स को बढ़ाकर के तीस लाख से ऊपर कर लिया। मैं तो यह पूछ रहा हूं। कमेटी कौन है, नोटिस क्या निकाला, इसमें मेरा कोइ मतलब नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं बता रहा हूं न आपको। उपाध्यक्ष महोदय, जो विभिन्न जिला विकास अभिकरणों से मांग आती है कि हमको इतने पम्प सैट इस हार्स पावर के चाहिये और इतने पम्प चाहिये।

श्री हरजीराम बुरडक : हम तो चतुर्वेदी साहब की तरह स्वायत्तता की बात (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : वहां पर जो सेल या स्कीम लगती है, पहले काश्तकार प्रार्थना पत्र देते हैं, उसका सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद स्कीम बनती है। स्कीम यहां आती है। यहां से सैंक्शन होती है उसके बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपनी सम्पूर्ण सामान की लिस्ट भिजवाता है कि हमको इतना तो पाइप चाहिये, इस साइज का चाहिये। उसके लिये जरूरी नहीं कि सारा का सारा पाइप एक ही साइज का लगे। दो साइज के पाइप भी होते हैं, जोइंट्स भी होते हैं और मोटर पम्प भी होते हैं। उस रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करके उसके आधार पर यहां पर–

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : यह चक्कर कमीशन का है साहब।

श्री अनंग कुमार जैन : इंटरनेशनल बिड हमने मांगी, जिसमें पूरे देश से यह, में कोई राजस्थान से ही नहीं, पूरे देश के निविदादाता हैं और एक इंटरनेशनल अमरीका का भी निविदादाता है, उन सबको हमने एग्जामिन करवाया है। यह कहना कि साहब, इसके अन्दर यह चूंकि आपने, दूसरा माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, कई जिला विकास अभिकरणों से और वहां के काश्तकारों की पिछले दो साल से स्कीम्स बनी हुई तैयार पड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि पाइप बेकार पड़े हुए हैं और मैं कहता हूं कि पाइप की कमी की वजह से हमारे यहां–

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय, आप एक लाइन में जवाब दे दीजिये। डिटेल की जरूरत नहीं है कि जितने भी आपने परचेज की है, वे स्कीम्स तैयार हो गयी थीं, काश्तकारों की हिस्सा राशि भी आ गयी थी। और डी.आर.डी.ए. में भेज दिया कि सामान हमें चाहिये। सामान आज भी नहीं लगा। आपने परचेज कब किया?

श्री अनंग कुमार जैन : वही तो जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने डी.आर.डी.ए. को, एक-एक पी.डी.ज. को बुला करके, धमका कर के लिखवा दिया।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, वह ही जवाब दे रहा हूं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाइप बेकार पड़े हैं। मेरा कहना यह है कि पाइप_

श्री हरजीराम बुरडक : इतनी डिटेल की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप कह दो। जो परचेजिंग आपने की है_

श्री अनंग कुमार जैन : हां, बिल्कुल।

श्री हरजीराम बुरडक : आज भी बेकार क्यों पड़ा है सामान?

श्री अनंग कुमार जैन : सामान बेकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सुनिये।

श्री अनंग कुमार जैन : सामान बेकार नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : फिर आप मेरे साथ चलो।

श्री अनंग कुमार जैन : एक इंजन हमारे पास बेकार नहीं है। कहीं जैसे कुछ पाइप जो अलग-अलग साइज के होते हैं, यूटिलाइज हो गये तो कहीं दस-बीस पाइप पड़े हों, आज भी कई बार कई जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से हमारे पास यह सूचना आ रही है और यह जो प्रक्रिया हमने अपनायी है, इतनी ट्रांसपरेट प्रक्रिया जो हमने अपनायी और विश्व बैंक से इसकी सैंक्शन ली, जिस कम्पनी को हमने पाइप सप्लाई करने के लिये आदेश दिया और राइट से उसको एक्जामिन करवाया। राइट रेल्वे मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है, उससे एग्जामिन करवाया कि पाइप सही है या नहीं? सब स्टेण्डर्ड तो नहीं है, यह सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज किसी भी जगह पर पाइप बेकार नहीं है। पम्प सेट बेकार नहीं है, सामान बेकार नहीं है। अब यहां पर लगातार स्कीम्स लगती है, वहां हो सकता है हजार, पांच सौ, पांच हजार रुपये का सामान कोई छोटा-मोटा पड़ा हो तो वह बात दूसरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी इस प्रक्रिया के बाद पाइप की अब सप्लाई चालू हुई है। प्रथम लॉट अभी आठ-दस दिन पहले पचास ट्रक का इश्यू हुआ है। उस कम्पनी के

(श्री अनंग कुमार जैन)

ऊपर हम लगातार मानिटरिंग करते रहे, लगातार दबाव रखा कि आज पाइप जल्दी सप्लाई करें। आप क्या चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सेल या स्कीम्स बनाते हैं, काश्तकार अपनी हिस्सा राशि जमा करा देते हैं, उस हिस्सा राशि को चार-चार, पांच-पांच महीने तक बैंक में पटके रखे, वे काश्तकार चक्कर काटते रहते हैं तो आप यह चाहते हैं कि इन काश्तकारों को चक्कर कटवायें और इनकी स्कीम टाइम पर नहीं देंगे? आज कहीं भी किसी भी जगह पर फालतू सामान नहीं है, हर जगह पर पाइप की डिमांड है, पम्प सैट की डिमांड है। उसी आधार पर पम्प सैट का हमने आदेश दिया और जिस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने जितना पाइप और जितने पम्प सैट मांगे, उसी के आधार पर हमने आदेश दिया।

श्री हरजीराम बुरडक : जरा बुलवा कर के देखो।

श्री अनंग कुमार जैन : कोई सामान हमारा बेकार नहीं है बल्कि उनकी डिमांड के अनुसार आर्डर दिया गया और उनकी सप्लाई हम बहुत जल्दी चालू करवा देंगे। राजस्थान सरकार यह चाहती है कि जो सिंचाई के साधन हैं और बड़ी-बड़ी योजनाएं वर्षों में जाकर बनती हैं तो यह योजना हाथ में ली गयी कि काश्तकार 20, 25, 40 इकट्ठे हो जाएं। छोटी योजना बने। 200, 250, 300 बीघा की, चार सौ बीघा या पांच सौ बीघा की और काश्तकारों को ही वह योजना लगाकर के उसका मालिक उनको ही बना दिया जाय। वह ही उसको संचालित करें और अपनी जमीन को सिंचित करें, उसका फायदा होगा।

श्री हरजीराम बुरडक : भुगतान का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ शेष रह गया क्या रामनारायणजी?

श्री हरजीराम बुरडक : इसी में रह गया मेरा। अभी तो इसका ही शेष रह गया।

श्री अनंग कुमार जैन : दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रताऊ तालाब के बारे में बताया। उसके बारे में मैंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। कोई तथ्य छिपाया नहीं। आपके पत्र के आधार पर हमने उसका कार्य चालू करवाया लेकिन जब उसकी जांच करवायी, दूसरी बार शिकायत प्राप्त हुई कि उसमें गड़बड़ी है। यहां पर बार-बार माननीय सदस्य हर बार मांग करते हैं कि जो कार्य व्यक्ति करवाते हैं या जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई है, गलती की है, उसकी जांच उस अधिकारी से नहीं करवायी जाय। तो मैंने जब जिस एईएन. ने उस कार्य को संपादन करवाया यह तथ्य जब मेरे सामने आया कि जांच उस एई.एन. ने की, जिसने उस पूरे तालाब का काम

(श्री अनंग कुमार जैन)

करवाया तो निश्चित रूप से मेरी यह प्राइमाफेसी जिम्मेदारी होती थी कि उस अधिकारी की बजाय किसी उच्चाधिकारी से उसकी जांच करवायी जाय और जांच कराने के बाद जो सही रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निर्णय लेगी और निर्णय के आधार पर जाकर काम–

श्री रामनारायण मीणा : आदेश दें।

श्री अनंग कुमार जैन : निर्णय के आधार पर जो भी आगे काम उसका चलाना होगा, चलाया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल था कि आपने जांच एक्सईएन. तक तीन बार करवा ली और जांच रिपोर्ट की कापियां आपने मेरे को दे दीं। अब उन मजदूरों का क्या दोष है, आप उसको तो भुगतान कर दो। या नहीं करना चाहते? कितने दिन में कर दोगे? जांच कर के कर दो चलो। आप टाइम बता दो कि मज़दूरों का भुगतान इतने दिन में कर देंगे।

आपने लिखा है कि वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की। वरिष्ठ प्रतिनिधियों के दस्तख्त मैंने देखे हैं, एक तो है हारा हुआ पंच, एक है हारा हुआ सरपंच, दो गांव के और हैं। अब वे तो हो गये आपके वरिष्ठ जन प्रतिनिधि। कैसे जन प्रतिनिधि हुए, क्या हुआ वह तो आप जानो।

श्री उपाध्यक्ष : पुराने लोग तो वरिष्ठ ही होते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : हो गये वरिष्ठ, अब मैं यह कह रहा हूं कि आप पांच दिन, सात दिन, दस दिन में कितने दिनों में और जांच करनी चाहें जितनी करा लो, कितने दिन में मजदूरों का भुगतान कर दोगे, यह कह दो। आपकी जांच तीन बार हो चुकी। एक्सईएन. की जांच दो बार हो गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि किसी उच्च अधिकारी को, एक्सईएन. को हमने जांच के लिये लिखा है।

श्री हरजीराम बुरडक : एक्सईएन. आपके दो बार जांच कर चुका, यह आपने लिखा है इसमें।

श्री अनंग कुमार जैन : और उस एक्सईएन. की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी उनको भुगतान दिया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, आप टाइम दे दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : और मैं स्वयं अपने स्तर पर विभाग को आदेश दूंगा कि यह जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगा ली जाय।

श्री हरजीराम बुरडक : आप टाइम दे दो। देखना है और दिखवा लो। समय दे दीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी से जल्दी।

श्री खेत सिंह राठौड़ : समय दे दें।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, जल्दी से जल्दी का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अतिशीघ्र। ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक : मजदूर साल भर से यह कर रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जांच हो गयी, एक्सईएन. ने जांच कर ली अब इसमें कोई समय तो होना चाहिये न मजदूरों को भुगतान कब तक देंगे? जांच आपने कर ली है।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच आपने कर ली है। और करा लो जांच।

श्री खेत सिंह राठौड़ : जांच करवा लो लेकिन इनका भुगतान तो करवा दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जांच का कोई समय तो होगा न? उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों का पेमेंट किस बात का रूका हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री खेत सिंह राठौड़ : हमें लगता ऐसा है, माननीय मंत्री महोदय, कि इस विभाग में आपकी कोई खास दुकान नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं निवेदन करता हूं आपको, विभाग में जो चलती है, वो तो मैं जानता हूं लेकिन...

श्री खेत सिंह राठौड़ : क्या चल रही है? यह परचेज कमेटी आप के हाथ में नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : यह कमेटी मेरे हाथ में है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आप उसके चैयरमेन नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, चैयरमेन नहीं हूं लेकिन वह फाइल मेरे पास आती ही रहती है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : कौन मानता है? मानते तो हैं नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : सब मानते हैं।...(व्यवधान)...मैं आप के कहने से पेमेंट करूं जब तो मान जायेंगे न?

श्री खेत सिंह राठौड़ : हां, तो मान जायेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : फिर तो आप कह दोगे वो मानते हैं?

श्री हरजीराम बुरडक : आप टाइम बता दो।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं निवेदन किया कि जो जांच करवायी है...

श्री हरजीराम बुरडक : और करा लो जांच।

(166)

श्री अनंग कुमार जैन : अब मजदूरों का, कितने मजदूर उसमें लगे हैं, वास्तव में कितने मजदूरों का भुगतान करना है...

श्री हरजीराम बुरडक : कितना ही आप जांच करा लो, और करा लो।

श्री अनंग कुमार जैन : वह रिपोर्ट आते ही जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देंगे। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी। ...(व्यवधान)...कृपया रामनारायणजी को बोलने दें।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, कोई मतलब तो निकला नहीं फिर टाइम खराब करने से क्या फायदा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मतलब तो काफी निकला है।

श्री हरजीराम बुरडक : एक मिनट सुनिये, साहब। इस मामले की जांच चार-पांच बार हो गयी, आपने ही करवा ली। सारी रिपोर्ट मंगा ली, मेरे को कापी दे दो। जांच रिपोर्ट में है कि यह काम सही हुआ।

श्री अनंग कुमार जैन : जांच कापी दी, आप से कोई तथ्य छिपाया थोड़ी। हर कागज की आपको कापी दी है आपसे कोई तथ्य छिपाया नहीं मैंने।

श्री हरजीराम बुरडक : तो फिर आप मजदूरों का भुगतान है तो...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चार बार जांच हो गयी फिर भी मजदूरों का पेमेंट नहीं किया जाय, इसका क्या मतलब है? इसका कोई समय तो होना चाहिये।...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक : 12 महीने तक, यह आपने मेरी चिट्ठी का हवाला दिया, पिछली साल की है, पिछली साल मई की चिट्ठी है। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप जांच किस से करायेंगे?

श्री हरजीराम बुरडक : आप दुबारा जांच करा दें, हम मना नहीं करेंगे पर आप टाइम तो दें।

श्री अनंग कुमार जैन : एक्सईएन. से करवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह तो करवायी बता रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री अनंग कुमार जैन : पहले एईएन. ने की है, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : एक्सईएन. से तो आपने करवा ली।

श्री भीमसेन चौधरी : एक्सईएन. की तो जांच दो बार करवा ली।

श्री अनंग कुमार जैन : एईएन. ने की है। पहले जिस एईएन. ने कार्य करवाया उसी एईएन. ने की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक महीने में पेमेंट करवा दीजिये। यह कहिये कि एक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

महीने में जांच करवा करके पेमेंट करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि एक माह के अन्दर जांच करके जो वाजिब पेमेंट मजदूरों का होगा वह पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, यह ठीक है, वाजिब। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : हां वाजिब करायें बिना वाजिब कौन कह रहा है।

एक माननीय सदस्य : जो वाजिब बनता है वो पेमेंट करा दो।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

श्री उपाध्यक्ष : वैसे इसमें काफी चर्चा हो गयी। यह तो पर्टिकुलर

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल पिन पाइंटेड। आपने इजाजत दी है।

क्या मंत्री महोदय, आप यह बताएंगे कि एग्रीकल्चर के जो एईएन. लगे हुए हैं और जो एक्सईएन. लगे हुए हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं है पाइप्स वगैरह में। और यही कारण है कि आप जो इन्जन खरीदते हो, काश्तकार के पास जाने के बाद तीन-तीन महीने में खराब हो जाते हैं। पाइप फट जाते हैं, और आपके जो एनीकट बनाये हैं, देई के पास में देवपुरा का देख लीजिये, दो साल नहीं हुए हैं एनीकट इसी बारिश में खतम हो गया। थोड़ी मिट्टी डाली और वह टूटने वाला है। आपके यह जो एग्रीकल्चर के इंजीनियर्स हैं उनके कामों की आप जांच कराओगे? राजस्थान में लाखों, करोड़ों रुपये का घोटाला आपको मिलेगा। आपने परचेज कमेटी तो बैठा दी, वह ठीक है लेकिन आप इसके बारे में भी जांच कीजियेगा कि जिन पी.डीज. के पास योजनाएं नहीं है, जिनके पास कम हैं उनसे लिखवाया गया है और इकट्ठी करके परचेज की गयी है क्योंकि इकट्ठा माल आता है। आप इसके बारे में देखिये। क्या आप इसकी जांच करोगे? आप इसके बारे में जांच करने का आश्वासन दीजिये हमारे को। सारे पाइप्स फूट जाते हैं। गलत पाइप्स आते हैं आप कृपा करके इसके बारे में आश्वासन दीजिये, आप जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : कि तुम को लेना है, नहीं तो भेजता हूं वापस।

श्री रामनारायण मीणा : जितना घोटाला आपकी योजनाओं से हो रहा है, काश्तकार परेशान हैं, बरबाद हो रहा है। न वसूली हो रही है। आप कमेटी बैठा दीजिये, आप जांच करवा लीजिये। किस जिले की करवाना चाहते हैं? आप तो एक जिले की जांच करवा लीजिये। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। आप झालावाड़ की, बूंदी की जांच करवा

(श्री रामनारायण मीणा)

लीजिये, नागौर की करवा लीजिये किसी एक की जांच करवा लीजिये आप तो। जितना भ्रष्टाचार पनप रहा है, आप चुपचाप देख रहे हो। आप तो बहुत समझदार मंत्री हो आप को भ्रष्टाचार से लेना-देना नहीं, एग्रीकल्चर में भी लेना-देना नहीं है, आबकारी में भी आप को लेना-देना नहीं है।...(व्यवधान)...आप एक जिले की जांच करवा लीजिये। आप बूंदी में ही करवा लीजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप जालौर में जांच करवा लीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, आप आबकारी की जांच करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को लेकिन एक जिले की जांच करवा लीजिये, माननीय मंत्री महोदय। मंत्रीजी, आप बूंदी जिले की जांच करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ जवाब देना चाहते हो, मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सीकर में शाहपुरा इंदिरा आवास जो 1988 में स्वीकृत हुआ था, जिस पर मजदूरों ने कार्य किया था और इस प्रकरण की डी.आर.डी.ए. के एईएन. ने, एक्सईएन. ने जांच कर ली, फिर एक्सईएन., पी.डब्ल्यू.डी. ने जांच कर ली...

श्री उपाध्यक्ष : इस ध्यान आकर्षण के परव्यु में सीकर नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : इससे सम्बन्धित है 1988 का। उपाध्यक्ष महोदय, 1988...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मंत्री महोदय को यह सूचना अचानक कैसे...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, बाद में दे दें। मैं कह रहा हूं अब नहीं दें लेकिन कम से कम यह तो दें कि 1988 में जिस मजदूर ने 22 रुपये में दिन भर, आठ घंटे कार्य किया उसको 1996 तक, अभी तक मजदूरी नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : नोट कर लिया इन्होंने। बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : इसको तुरन्त आप देखिये और उत्तर दें।

श्री रामनारायण मीणा : जांच के लिये तो कुछ कहा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। एक जिले की जांच करवा लें। किसानों के हित की बात है, हम किसानों के हित की बात यहां करते हैं।

आय-व्ययक (बजट) 1996-97

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक (बजट)। द्वितीय अवस्था।

अनुदान की मांग पर विचार।

श्री भंवर लाल शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री मांग संख्या-27 पेयजल

(श्री उपाध्यक्ष)

योजना विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-27-पेयजल की प्रस्तुति

श्री भंवर लाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,92,25,33,000/- (आठ अरब बानवे करोड़, पच्चीस लाख तैंतीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आपके डिमांड का एक अफसर नहीं है और 8 अरब का मामला है, उनको सबको बुलाओ आप।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि : —

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

1. बालोतरा पंचायत समिति के ग्रामों को जवाई नहर से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. पचपदरा तहसील की नरीगनाड़ा मण्डली, मोहनपुरा आदि की होदियां कुएं के पास नयी बनाने और पुरानी होदियों को मोहनपुरा की पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. पचपदरा क्षेत्र के ग्राम तरती के जी.एल.आर. को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. पचपदरा तहसील के ग्राम रोड़वा कल्ला, हपानाड़ा आदि स्थानों पर हैण्ड पम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम सारणों की बेरी व सोकड़ों की बेरी को पाइप लाइन से शीघ्र जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) :

6. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम गाड़ीघटा में सहरिया बस्ती को हैड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम महोदरा को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम काकडदा के सहरिया बस्ती नयी

(श्री हीरालाल सहरिया)

कालोनी में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम मुहाल, गनेशपुरा, माधोपुर, कालीमाटी निवाडी की जलप्रदाय योजना को सुचारू रूप से नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

10. आर.डी. 710 से सुरासर, वाचरवाला की पेयजल योजना के पुर्नगठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. बीकानेर तहसील के उदासर, पेयासर, वमापू, नोरेगदेसर, नापासर आदि गांवों के लिए कंवरसेन लिफ्ट नहर से पेयजल योजना के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण योजनाओं की दैनिक प्रति व्यक्ति व पशुओं की मात्रा के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. भीखनेरा पंचायत मुख्यालय के लिए पेयजल योजना स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. लूणकरणसर तहसील की आर डी 535 की क्षेत्रीय जल योजना, अर्जुनसर-जैतपुर, लालेरा-रामबाग, महाजन, शेखसर आदि योजनाओं को आगे संवर्धित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

15. सिरोही जिले में प्रति व्यक्ति मात्र 40 लीटर पानी देने तथा पशुओं को पानी देने की गिनती में शामिल नहीं करने से उत्पन्न पेयजल संकट के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से डोडुआ, नोकरोड़ा, वेरापुरा, धान्ता, सिन्दरथ, नयाखेड़ा, अन्दोर, नून, फूंगणी, गुडा आदि गांवों के लोग निरन्तर विकलांग होते जा रहे हैं परन्तु विभाग द्वारा इन गांवों की योजना स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव रामपुरा, पालड़ी, सारणेश्वरजी, नारादरा में घर-घर कनेक्शन देने एवं केसरपुरा, गोल गांव में बकाया कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. सिरोही विधान सभा के गांवकेसरपुरा, कैलाशनगर, कृष्णगंज, वेलांगरी, मणादर, पालड़ी एम, नारादरा झाडोली (वीर), अरठवाड़ा में उच्च जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

19. बूंदी जिले एवं नगर की विचाराधीन जलदाय योजनाओं को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

20. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उवार, सोगर, नगला हरचन्द, गोरोली कलां व खुर्द, घानोता, बरताई, पडोला, सेथरी, सूरौता, अजान, गुनसारा, कंचनपुरा, चौकीपुरा, वावेन, किशनपुरा आदि को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. भरतपुर जिले की पेयजल आपूर्ति हेतु चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकार कर क्रियान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टहरकी को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना शीघ्र ही स्वीकार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

23. ब्यावर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजना की स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. बीसलपुर योजना से ब्यावर एवं ग्रामीण क्षेत्र में मोमादा बांध एवं चुडिया दो बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

25. खण्डेला क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या का निदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

26. धौलपुर जिले के ग्राम बसहनीय में गंधक के पानी से ग्रामवासियों को पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिए नवीन योजना बनाकर मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. धौलपुर जिले की सेंवऊ कस्बा तसीमा, ग्राम विरोधा में, पुरानी छावनी पेयजल योजनाओं से वांछित पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. धौलपुर नगर की पेयजल योजना के पुनर्गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) :

29. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश में भयंकर पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

31. ग्राम–वाहिदपुर पं.स. झुन्झुनूं, ग्राम नान्द पं.स. अलसीसर ग्राम नन्द का बास पं.स. अलसीसर, हरिजन बस्ती निराधनू पं.स. अलसीसर आदि गांवों की टंकी से पाइप लाइन जोड़कर जल सप्लाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

32. जहाजपुर क्षेत्र की लम्बित योजनाओं को क्रियान्वित कराने एवं विशनियां वारेडा सहित 27 ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) :

33. सहाड़ा क्षेत्र एवं रायपुर क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के निदान हेतु योजनाओं के निर्माण एवं गंगापुर, रायपुर योजनाओं के पुर्नगठन तथा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

34. खैरवाड़ा ग्राम की पेयजल योजना से आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में स्वीकृत हैडपम्प नहीं लगाने की स्थिति से उत्पन्न समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. खैरवाड़ा तहसील के गांव करावाड़ा एवं थाणा में पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

37. पुराने हैडपम्पों के स्थान पर नये हैडपम्प लगाने बाबत लम्बित योजनाओं को लागू न करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्वीकृत योजनाओं को अधिकारियों की लापरवाही के कारण चालू न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

39. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम दूदीया, जोगणी खेड़ा, जागेणी, मंडला, थूंबा, पादरली, महेशपुरा वगैरह में पेयजल आपूर्ति की विकट समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम भूती, रूण्डपाल की ढाणी, वगैरह में जल आपूर्ति की विकट समस्या के निवारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम कोटड़ा में जल आपूर्ति की समस्या के निवारण हेतु कोटड़ा ग्राम में नया पेयजल स्रोत बनाने एवं टूटे पड़े करीब 15 जलाशयों (जी.एल.आर.) की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम नोसरा, बावड़ी, सांडन, कोटड़ा छांगाड़ी में जल आपूर्ति की विकट समस्या के निवारण हेतु नये ट्यूबवेल

(श्री भगराज चौधरी)

लगाने एवं वेडीया और मीठड़ी गांवों में स्थित ट्यूबवैलों का जल अस्वास्थ्यकर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. रामणीया ट्यूबवेल से रायथल ग्राम (जिला जालौर) को जल आपूर्ति पुनः बहाल करने की प्रस्तावित योजना की शीघ्र स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :

44. ग्राम कारोई भीलवाड़ा की पानी की टंकी खराब होने के कारण नई टंकी बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. ग्राम करेडा बेसाली योजना तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा की पेयजल योजनान्तर्गत बेसाली गांव में पानी की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने और एक पानी के स्रोत का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. भीलवाड़ा जिला, तहसील मांडलगढ़ के ग्राम तगड़िया, ज्ञानगढ़, थाणा योजना के लिए पानी के स्रोत में पानी की कमी हो जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. ग्राम खेजा तहमांडल, बहू, यथाव्य एवं गोरख्या के लिए पेयजल की समस्या के समाधान हेतु शीघ्र क्षेत्रीय योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. माण्डल क्षेत्र जिला भीलवाड़ा की कीडीवाल क्षेत्रीय योजना के द्वितीय चरण की योजना नहीं बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

49. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के कस्बे पिड़ावा सुनेल व झालावाड़ रोड की स्कीमों को तुरन्त पूर्ण कर कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. पिड़ावा नगर को पानी उपलब्ध कराने हेतु कालापीपल देह से पाइप लाइन डालकर पानी लाया जा रहा है। इसका फिल्टर नौलाई गांव में बन रहा है, उसके अन्तर्गत नौलाई और पिड़ावा के बीच में आने वाले समस्त गांवों में छोटी पाइप लाइन डालकर एक-एक दो-दो पी. एस. पी. लगाकर उन गांवों को भी पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की स्वीकृत पेयजल योजनाओं का पुनर्निमाण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में निम्नांकित गांवों हेतु पेयजल योजना

174

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

1- सेगलीखास-धामनिया 2- जेताखेड़ी, ओडीया, खेड़ी मतया खेड़ी 3- गुणदी 4- सांवतखेड़ा 5- रसायदलपत 6- देवची, सरखेड़ी 7- धारूखेड़ी, बणजारी, निम्बाहेड़ा, हनी घऐनिया।

53. सुनेल एवं भवानीमंडी कस्बों को पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु आहू नदी पर 3 वर्ष से स्वीकृत कापर डेम का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

54. विभाग में कर्मचारियों की कमी से जनता व अन्य अधिकारियों को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. केशवरायपाटन क्षेत्र में खारा पानी होने से विद्यालयों, पंचायत मुख्यालयों, सहकारी समिति कार्यालयों, देवस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों एवं बस स्टेण्ड पर कम गहराई वाले छोटे हैडपम्प लगाकर राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. लाखेरी (बून्दी) नगर की संशोधित योजना बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. केशवरायपाटन क्षेत्र के अरनेण, श्रीपुरा, जैथल, दईखेड़ा, भीम, भीन्डी व नोताड़ा आदि गांवों की पेयजल योजना बनाकर जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विभाग में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) :

59. ग्राम गोरधनपुरा पंचायत बरना, किशनगढ़ जिला अजमेर में पेयजल की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

60. बीलावास-राजौला, रीजनल जल प्रदाय योजना में जल स्रोत न मिलने तथा जवाई नहर से पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. सोजत तहसील में खारीया नीव रेपड़ावास रीजनल जल प्रदाय योजना में गांवों को पीने का पानी न मिलने पर व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) :

62. माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आमा, रेणवास सुरकिया, गेन्दलिया रेण, डिरया, चाकलिया, असींपुरा, जीवाखेड़ा दोवनी सुठेया उदचियास, थलकला, उलिन्दी अमरपुरा गुढ़ा उम्मेदपुरा स्कीमों को पूर्ण

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

कराने हेतु बिजोलियाँ की रिवाइज्ड पेयजल योजना जो 1.5 करोड़ की स्वीकृत हुई है, 6 माह से अधिक होने के बावजूद टेक्नीकल स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

63. कोटा संभाग में पशु पेयजल की अलग से व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. कोटा सम्भाग में गिरते जल स्तर को रोकने के लिए क्षेत्र की नदियों पर एनीकट निर्माण करवाकर जल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. रामगंज मंडी तहसील व अन्य क्षेत्र में खनिज कार्य हेतु खानों के पानी को तोड़ने के कारण भू-जल गिरने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

66. कोटा शहर में चम्बल नदी में पम्प हाउस के ऊपर गंदा पानी का निकास करने पर पेयजल दूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. खानपुर जिला झालावाड़ में विभाग के सहायक अभियन्ता की पोस्ट कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

68. ग्राम के मजरे में नये हैडपम्प, ग्राम बलवन हिगोण्या, श्यामपुरा, हडसोली में ट्यूबवैल एवं ग्राम इटावा, खातोली, पीपल्दा में स्वीकृत पाइप लाइन लगाने एवं अयाना, लुदाबद तालाब की विचाराधीन योजनाओं को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

69. आसीन्द तहसील में स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. आसीन्द तहसील में फ्लोराइड के कारण दूषित जल के निराकरण के लिए पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

71. राज्य सरकार की बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हैडपम्प एवं ग्रामीण आदिवासियों को पेयजल मुहैया कराने की असफलता पर चर्चा के लिए।

72. राज्य सरकार की सम्पूर्ण प्रदेश में आम व्यक्ति को पेयजल व्यवस्था कराने में असफलता पर चर्चा के लिए।

73. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में ड्राई हैडपम्पों को गहरे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. राज्य सरकार की कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम शशरवाडी मान्डा सदुडी में गम्भीर पेयजल समस्या होते हुए भी पेयजल की व्यवस्था करने में असफलता पर चर्चा के लिए।

(176)

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

75. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण जलदाय योजनाओं को सुचारू रूप से चालू करने व अधिक हैडपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) :

76. ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी (जयपुर) में स्वीकृत पेयजल योजना को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. जयपुर-आगरा रोड पर बसी महावर (कोली) कालोनी में जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए एक हैडपम्प और लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. जलप्रदाय योजनाओं पर पूरे कर्मचारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. गंगानगर शहर की हरिजन बस्तियों में गन्दे पानी की सप्लाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. पीने के पानी के फिल्टर प्लांट बन्द पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (मकराना) :

81. मकराना शहर के लिए पीने के पानी की समस्या को पर्याप्त रूप से दूर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

82. नागौर जिले को इन्दिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध किये जाने की योजना पर आगे कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. राज्य सरकार की खण्ड लाडनूं जिला नागौर में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत भारत सरकार से मिलने वाली राशि को प्राप्त करने में विफलता पर चर्चा के लिए।

84. उप खण्ड लाडनूं के ग्राम मीठड़ी की पेयजल योजना पर चल रहा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

85. ग्राम निम्बीजोधा उप खण्ड लाडनूं में ढाणियों में पेयजल का इन्तजाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

86. खण्ड रतनगढ़ जिला चुरु में स्टोर मुंशियों के पद पर अनियमित नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अरुण सिंह (डीग) :

87. भरतपुर जिले के लिए केन्द्रीय सरकार की छः सौ करोड़ की चम्बल लिफ्ट परियोजना के प्रपोजल राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं, तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से उन्हें मंजूर नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री अरुण सिंह)

88. ग्राम पंचायत बेढा में ककड़ से बेढा की जलप्रदाय योजना में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. सिनसिनी गांव में पानी की टंकी के गिर जाने से उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. डीग कस्बा के लिए पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता करने में राज्य सरकार की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. जाटौली से मबई को पानी ले जाने की स्कीम को कार्यरूप देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

92. पंचायत समिति चाकसू के गांव विनोदीलालपुरा व भगवतसर काकरिया व बास भगवतपुरा को फ्लोराइड योजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. कस्बा चाकसू में उच्च जलाशय बनाकर पानी सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. तहसील चाकसू में फ्लोराइड योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर मीठा पानी उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. तहसील फागी में फ्लोराइडयुक्त पानी के स्थान पर उच्च जलाशय बनाकर पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) :

96. जनता जल योजना के नियमों में और सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. मसूदा विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विजयनगर अजमेर नगरपालिका क्षेत्र में पानी की विकट समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

99. ग्राम भूरी पहाड़ी, क्यार दाकलॉ, कोसरा, गोठडा, तलावड़ा, गण्डावर, लहसोड़ा, पांचोलाल, रंवाजनाडूगर, पावाडेरा, डिडापच एवं डेहकवां आदि को जनता जल योजना में सम्मिलित कर पेयजल की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. सवाईमाधोपुर जिले के विद्यालयों में खराब पड़े हैण्डपम्पस की जगह नये हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हरिनारायण)

101. नगरपालिका सवाई माधोपुर के वार्ड नं. 1 ग्राम चकचैनपुरा को नल योजना में सम्मिलित करके पीने के पानी की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. भगवतगढ़ व सारकोप में पेयजल हेतु पानी की टंकियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. कुशलता को नल योजना में शामिल करने एवं बसो कलां व बसो खुर्द में पेयजल योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

104. अलवर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पाइप लाइन, हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

105. नीमकाथाना नगरपालिका में पेयजल सप्लाई की सही व्यवस्था के लिए नीम का थाना मंडी में जी.एल.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बोपिया रामपुरा बेगा का नांगल राजपुरा में पेयजल की सप्लाई के लिए जी.एल.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के गणेश्वर पंचायत की ढाणी ग्वार आगरी में पेयजल की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. पंचायत समिति नीमकाथाना की पुरानाबास पंचायत की 15 ढाणियों में खारा पानी है इनमें शुद्ध मीठे पानी की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

109. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) तहसील के ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की सलालपुर दौगड़ी क्षेत्रीय पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की नौगांवा एवं मुबारिक पेयजल योजना के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की बांधोली-खोजाका क्षेत्रीय पेयजल योजना पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

113. झुन्झुनू जिले में डी.आर.डी.ए. द्वारा पीने के पानी हेतु स्वीकृत कार्यों पर कार्य नहीं होने से व्याप्त जनआक्रोश पर चर्चा के लिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

114. झुन्झुनूं जिले में जनता जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर कार्य नहीं होने तथा गांव वालों द्वारा जमा राशि वापस नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. झुन्झुनूं जिले के पीने के पानी की समस्या के निराकरण में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

116. हिण्डौली तहसील जिला बून्दी के आलोद, सतूर, ठीकरदा व हिण्डौली में पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. कोटा शहर में बढ़ी हुई आबादी के कारण शहर में पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) :

118. जयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति जमवारामगढ़ के ग्राम जमवारामगढ़, इन्द्रगढ़, बासना, नटाटा, भानपुर कलां, सायपुरा, नायला, लागड़ीबास, पापड़, रूपबास, राहौरी एवं झोटवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम बिसैनपुरा व सुमेल में राजीव गांधी फाउण्डेशन की जल उपलब्ध कराने की योजना के अनुसार सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. जयपुर नगर की पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ व वितरण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. बनास योजना से जयपुर शहर में पेयजल की समस्या के निदान हेतु शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. जयपुर में जल के प्रमुख स्रोत जमवारामगढ़ बन्ध के बीच में आने वाले 43 बन्धों को न तोड़े जाने से बन्ध में जल संग्रहण की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122. सन् 1977 से 1980 के बीच में जयपुर जिले में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनी टंकियों को जल वितरण योग्य बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

123. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य स्वच्छ पानी के अभाव से हो रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. बांसवाड़ा नगर में समुचित मात्रा में शहर की जनता को पानी का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(180)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

125. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :

126. जोधपुर फलौदी लिफ्ट नहर के समय पर पूरा नहीं होने एवं 20 किलोमीटर दूरी तक टूटने से जोधपुर में पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नये राजस्व ग्रामों की पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 40 से 70 लीटर की योजना के समय पर नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के पीपाड़ शहर बिलाड़ा शहर की पेयजल योजनाएं एवं क्षेत्र की स्वीकृत अन्य योजनाओं की कितनी प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हुई एवं इनकी तकनीकी स्वीकृतियां कितने-कितने विलम्ब से जारी हुई जिससे पेयजल का लाभ अभी तक जनता को प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप एवं हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

131. कन्टीजेन्सी में स्वीकृत थोपखेड़ा पर नलकूपों को जनता की मांगानुसार नहीं खोदने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

132. भोपालगढ़ उप खण्ड में सहायक अभियन्ता का पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. भोपालगढ़, ओसियां, लूणी एवं मण्डोर पंचायत समिति में भूगर्भिय जल की अत्यधिक कमी होने के कारण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से इन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ की पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) :

135. रामगंजमण्डी क्षेत्र में 48 घंटे में एक बार पानी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

136. दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में पेयजल की विभिन्न योजनाओं की

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दयनीय स्थिति से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) :

137. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में अत्यधिक हैण्ड पम्पों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :

138. बगरु एवं सांगानेर में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा तत्काल उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद) :

139. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा घटिया मोनो ब्लॉक पम्प सेट एवं अन्य सामान खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. उच्च जलाशय ग्राम बानुडा खूड़, कासली, किरडोली, मण्डवाड़ा, सींगरावट में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. जनता जल योजनाओं के बिजली के बिल पुनर्भरण की व्यवस्था सुचारू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) :

142. विभाग द्वारा तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्रामों में सार्वजनिक नल लगाने में बरती जा रही अनियमितताओं से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

143. विभाग द्वारा तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम मुढ़ाण, जसवन्तपुरा, सुलखनिया, थिरयाली छोटी, महलाना आदि ग्रामों को पिछले एक साल से पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. गन्धेली-साहवा पेयजल के द्वितीय चरण के ग्रामों को अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. अधिशासी अभियन्ता खण्ड तारानगर जिला चुरु के क्षेत्र में कुओं की मोटर बाइण्डिग आदि में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. गन्धेली साहवा पेयजल योजना के लिये सन् 1994-95 में गन्धेली से ललानिया तक नहर से मिट्टी निकालने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

147. भालपुर ऊदेई खुर्द स्वीकृत योजना को तकनीकी स्वीकृति दिलाने में विभाग की शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त ट्यूब वैलों, जिनका कि निर्माण

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

कार्य पूरा हो चुका है उनसे पानी का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. गंगापुर में सुव्यवस्थित ढंग से पानी वितरण हेतु एक अतिरिक्त टंकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. गंगापुर सिटी में बढ़ाये गये नगर पालिका क्षेत्र में मिर्जापुर सालादो वार्ड नं. 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 में पीने के पानी की पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) एवं

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

152. डूंगरपुर जिले में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) :

153. गंधेली साहवा जल प्रदाय क्षेत्रीय योजना पर फिल्टर प्लान्ट के ठीक न चलने के कारण अशुद्ध और गंदा पानी सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. गंधेली साहवा जल प्रदाय क्षेत्रीय योजना में विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों ग्रामों में समय पर पीने का पानी न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

155. गंधेली साहवा जल प्रदाय क्षेत्रीय योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

156. नगर पालिका क्षेत्र लालसोट में पीने के पानी की पाइप लाइन को नालियों में डलवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. राजीव गांधी मिशन योजना से लगे हैण्ड पम्प ग्राम मण्डावरी में लगने के बाद से ही खराब होने के बाद भी भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

158. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम रामगढ़-पचवारा में पेयजल टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम निर्झरणा में पेयजल टंकी नहीं बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. पंचायत समिति लालसोट के गांवों के खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

161. तहसील टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र महुआ में फौजीपुर ताजपुर रीजनल पेयजल योजना लागू करने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र महुआ में स्वीकृत रीजनल योजनाओं की विफलता के कारण उत्पन्न हुए पेयजल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र महुआ में सन् 1995-96 के लिए स्वीकृत हैण्ड पम्प्स को समय पर नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र महुवा में (खराब पड़े) निष्क्रिय हैण्ड पम्प को बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

165. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पानी वितरण हेतु सार्वजनिक कुओं के बिजली के बिलों का समय पर भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु टंकियों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम राजास, दूगरास, चूडीमियां, पलारा तथा चारनाई नाऊ की विचाराधीन पेयजल योजना हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) :

168. विभाग द्वारा पाइप खरीद में अनियमितता तथा घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169. विभाग द्वारा श्री माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल संकट का समाधान करने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

170. राजस्थान में पानी का जल स्तर जिस प्रकार नीचे जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भविष्य हेतु कारगर नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. राज्य में पानी के पुराने स्त्रोत सूखने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्त्रोत न खोजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. मानसी वाकल योजना को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

173. उदयपुर के खारा कुआं, आनन्द नगर, जैन नगर, खेम पुरा, प्रताप

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

नगर औद्योगिक क्षेत्र मादडी सबीना खेड़ा, हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र हिरण मगरी के सैक्टर 3, 4, 5 की पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. उदयपुर नगर में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पुरानी एवं छोटी पाइप लाइन होने के कारण आबादी के हिसाब से समुचित पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

175. जैतपुर के तालाब को जंवाई नहर से भरवाकर जैतपुर से रोहट पंचायत समिति के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विभाग द्वारा फेकारिया, मुरडिया, घोलेरिया शासन, घोलेरिया जागीर आदि गांवों में जवाई नहर से मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विभाग की बोयादड़ा, निम्बला खेड़ा, पड़ारूला कलां, खेतावास, सोवणियां, सापां आदि गांवों में मीठे पानी की सप्लाई करने में असफलता पर चर्चा के लिए।

178. विभाग द्वारा इन्द्रो की ढाणी में पीने के पानी के लिये वर्तमान तीन इंच की पाइप लाइन बदलकर छः इंच की पाइप लाइन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विभाग द्वारा नया बेरा गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

180. विभाग द्वारा बीसलपुर परियोजना से टोंक नगर व टोंक जिले के देहाती क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

181. विभाग द्वारा जल प्रदाय योजनाओं को सहभागीदारिता/अपना गांव अपना काम योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. ग्रामीण पेयजल योजना के आबंटन में आबादी के मानदण्ड में जनजाति क्षेत्रों हेतु शिथिलता बरतते हुए जनसंख्या 500 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विभाग द्वारा नाकारा (एबन्डन्ड) हैण्डपम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प खुदवाने का नीतिगत निर्णय कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री महावीर भगोरा)

184. दुर्गम गांवों में जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है वहां विभाग द्वारा कुएं खुदवाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. विभाग द्वारा 500 की आबादी से नीचे के गांवों में ट्यूब वेल खुदवाकर "जनता जल योजना" के अन्तर्गत समुदाय को योजना समर्पित करने पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासियां) :

186. विभाग द्वारा दूर-दराज के गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगने से वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

187. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र फलासियां में विभिन्न गांवों में नल योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

188. विभाग द्वारा पुराने हैण्ड पम्प खराब होने पर उन्हें समय से ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) :

189. विभाग द्वारा भीलवाड़ा शहर में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु हुडको से 14 करोड़ का कर्ज लिया जाकर उसका सदुपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

190. विभाग द्वारा भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पंचायत स्थलों पर पानी की व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

191. विभाग द्वारा भीलवाड़ा शहर को बनास नदी से पानी उपलब्ध कराने की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

192. पेयजल विभाग द्वारा गांव ठीकरिया बांसवाड़ा में 15 वर्ष से कुएं का कार्य अधूरा रहने एवं ठीकरिया, ओड़ा बस्सी एवं पालोदा की टंकी को कार्य में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

193. विभाग द्वारा ग्राम नोलाव (ग्राम पंचायत मागरोन) जिला झालावाड़ में बन्द पड़ी जल (नल) योजना को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विभाग द्वारा आदिवासी-हरिजन बस्तियों के लिए भारत सरकार से पेयजल के लिए मिलने वाली राशि का पूर्ण सदुपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195. विभाग द्वारा बूंदी जिले के ग्राम रेवेदा, मालेड़ा, नाहरगंज, देवपुरा के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाकर उसे चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामनारायण मीणा)

196. प्राथमिक पाठशाला खानपुरा (पंचायत मागरोन) जिला झालावाड़ के सामने स्थित हैण्ड पम्प के तीन वर्ष से नकारा घोषित होने के बावजूद उसके स्थान पर नया हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. ग्राम मागरोन (झालावाड़) के ग्रामवासियों, ऐतिहासिक मागरोन किले पर आने वाले पर्यटकों एवं मिट्ठू मियां की दरगाह पर उर्स में आने वाले हजारों व्यक्तियों को खारे पानी के स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से मीठा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कमल (हिण्डौन) :

198. विभाग द्वारा हिण्डौन क्षेत्र के समस्त गांवों को ट्यूब वैल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड–हिण्डौन के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से मिलकर सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

200. विभाग द्वारा हिण्डौन शहर में पेयजल की समस्या को हल नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

201. विभाग द्वारा हिण्डौन क्षेत्र में हैण्ड पम्पों को समय पर ठीक नहीं कराये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

202. विभाग द्वारा हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न मदों में स्वीकृत हैण्ड पम्पों के लगाने में विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

203. सीकर शहर के पिपराली रोड, मिनाक्षी रोड समरथपुरा वार्ड नं. 29, मोहल्ला हुसेनगंज, अम्बेडकर नगर, सारण की गली, माथुर मोहल्ला तहसील क्षेत्र हरिजन बस्ती आदि स्थानों पर पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु नई टंकियों का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

204. सीकर शहर पेयजल योजना में निम्न स्तर की 8" की पाइपों की सप्लाई से आये दिन जगह-जगह पानी का रिसाव होने व पाइप फूटने से समय पर पेयजल वितरित न होने व प्रदूषित जल वितरण की समस्या पर चर्चा के लिए।

205. ग्राम भगोवा पंचायत श्यामगढ़ में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

206. बराल ग्राम की ढाणियां तिकड़ी की ढाणी, कसाणा की ढाणी आदि क्षेत्रों में खारे पानी की वजह से पेयजल की समस्या का विभाग द्वारा कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

207. सीकर शहर में जीर्णशीर्ण पाइप लाइन लगी होने से प्रदूषित जल वितरण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

208. विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्रों की भांति प्रति व्यक्ति समान धन व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विभाग द्वारा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में अनावश्यक देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

210. विभाग द्वारा राज्य में हैण्ड पम्प के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्ष से पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा समुचित क्रियान्वयन के उपाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

212. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति से विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) :

213. राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय-सांसेरा, गोगाथला, लापसिया, बैठुमी पीपली, ओडा (ग्राम) में जनता जल योजना मद में नल योजना स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

214. जहाजपुर कोटड़ी क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी के पीने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

215. बीसलपुर परियोजना से मालपुरा को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वित न होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

217. राज्य में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

218. विभाग द्वारा राज्य में गर्मी में पीने के पानी की किल्लत हेतु कारगर उपाय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

219. जलदाय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) :

220. विभाग द्वारा तहसील ओसियां को जी. एल. आर. के अन्तर्गत

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

निर्मित पाइप लाइन से नहीं जोड़ने एवं लगे हुए मोटर पम्पस के खराब होने पर उसे तुरन्त ठीक नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

221. राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु खास तौर से अकाल के दौरान विभाग द्वारा पूर्वानुमान कन्टीजेन्सी प्लान समय पर तैयार कर स्वीकृति प्राप्त न करने से अधिकतर कार्य आरम्भ होते-होते बरसात के मौसम चालू हो जाने पर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

222. अजमेर जिले की पंचायत समिति श्री नगर के गांव गावेरी, रघुनाथपुरा, हरडी (कानपुरा) व पंचायत समिति पीसांगन के गांव रसूलपुरा-मिजानपुरा (झडवासा) व अर्जुनपुरा- जागीर आदि में पीने योग्य पानी तीन किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध नहीं होने से दूषित जल पीने की विवशता पर चर्चा के लिए।

223. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के बीसलपुर पेयजल पाइप लाइन के इर्द-गिर्द गांवों को अलग से स्टोरेज टैंक आदि बनाकर पेयजल की योजना जो विभाग में स्वीकृति हेतु लम्बित है, को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने व कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

224. नसीराबाद शहर में पेयजल का संग्रहण एवं वितरण कैन्टोमेन्ट व एमईएस. के बजाय सीधे ही राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. गत तीन वर्षों में "30 जिला–30 काम" व "निर्बध राशि" योजनाओं में नसीराबाद क्षेत्र में आबंटित राशि के उपयोग में घोर शिथिलता व समय पर कार्य पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) :

226. ग्राम पंचायत पालड़ा (टोंक) मुख्यालय पर लगे हुए हैण्ड पम्पों में खारा पानी होने के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिए।

227. ग्राम पंचायत–सोरण में लगे हुए हैण्ड पम्प खराब होने तथा ग्राम याकूबगंज (जिला टोंक) में पीने का पानी उपयोग में लेने के फलस्वरूप व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

228. विभाग द्वारा ग्राम भरनी (जिला टोंक) में पीने के पानी की भयंकर समस्या के कारण जल प्रदाय योजना स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. टोंक जिले में अधिकतम गांवों में पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त होने के फलस्वरूप उत्पन्न भयंकर समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

230. विभाग द्वारा पलासली मोड़ पर पाताल तोड़ कुएँ पर टंकी निर्माण एवं पलासली, हसनपुर माफी, बाघोर, नीमली, सरेटा, लपाला रूपबास गांवों को पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विभाग द्वारा ग्राम भौकर में पाताल तोड़ कुएं पर टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाकर भौकर, मोधपुर, देऊवास, डालाबान, चावण्डी, नीरपुर, बैराबास, कतोपुर तक पेयजल सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विभाग द्वारा ग्राम वीरनबास में पाताल तोड़ कुएँ से पाइप लाइन डालकर उजौली में टंकी निर्माण कर उजौली, लालपुर, आकोली, हजनाका में पेयजल सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विभाग द्वारा ग्राम नरबास में पाताल तोड़ कुएँ पर टंकी निर्माण कर पाइप लाइन बिछाकर नरबास, जाटूबास, बिलाहेड़ी में पानी की सप्लाई का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. सरकार द्वारा ग्राम जोड़िया में बोरिंग से पानी सप्लाई का कार्य एवं तिजारा विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत हैण्ड पम्प तुरन्त लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

235. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी जलप्रदाय योजनाओं में घटिया सामग्री का उपयोग करने के उपरान्त भी राजकोष से भुगतान प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 25 प्रतिशत गांव पानी की सुविधा से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

237. राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना (पनघट योजना) के रख-रखाव एवं अधूरी योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

238. निम्बाहेड़ा शहर के लिये स्थाई पेयजल व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

239. विभाग द्वारा छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत ट्यूब वैल नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

240. 1990 में स्वीकृत छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र की पेयजल योजनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-27 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सार्दुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-27, पेयजल के बारे में आपके माध्यम से इस सदन के पावन सदस्यों और हमारे बहुत विद्वान मंत्रीजी के सामने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय, मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे मैं तो अपने उस जिले की बात कहना चाहूंगा जिस जिले की जनता को पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उस क्षेत्र की जनता को सालों से पीने का पानी तो क्या आंख में डालने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलता था। इतना खारा पानी कि लोग बीमार हो जाते थे लेकिन अब, मंत्रीजी खुद फील कर सकते हैं, भला हो चंदनमलजी का यह जो तारानगर से जीते और इन्होंने अपने अथक प्रयासों से उस क्षेत्र की जनता के लिए जब यह तत्कालीन पी.एच.ई.डी. मंत्री थे, इन्होंने पीने के पानी की स्कीम बनायी और राजस्थान की केबिनेट के सामने रखा गंधेली से साहवा पाइप लाइन और नहर से लाने के लिए। उस समय मैंने सुना है, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने, हमारे मंत्रियों ने थोड़ी मजाक उड़ायी थी इनकी कि इतने सैकड़ों मीलों से, चन्दनमल जी, क्या पीने का पानी नहर से या पाइप से आ सकता है? उस समय शायद खेतसिंहजी भी थे, इन्होंने कहा, और भला हो उस राजवंशी का, उन्होंने भी कहा यह सम्भव है और उस समय इनकी बनायी स्कीम एशिया की सब से बड़ी स्कीम थी और उसका 1975 में हमारे स्वर्गीय परम पूजनीय नेता हरिदेव जोशीजी ने शिलान्यास किया और आज, उपाध्यक्ष महोदय, उस स्कीम को देखकर ही, यह जोधपुर की, बीसलपुर की और जितनी भी पीने के पानी की स्कीम हैं, उनकी जन्मदाता गंधेली साहवा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन में हमारे उस क्षेत्र में राजगढ़ तहसील के गांव भी शामिल थे, पीने का पानी मेरी राजगढ़ तहसील में भी पहुंचा और जो 3 जगह से वहां पानी डिस्ट्रिब्यूट होता है। तहसील के गांवों में जिसमें एक होज लुटाणा पूरण, एक होज दिघारला और बुंगी राष्ट्रपति शासन में हमने पानी राजगढ़ तहसील में प्रवेश करवाया।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ निवेदन करना चाहूंगा हमारे इतने संवेदनशील, इतने भोले-भाले, कितने

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

निष्पक्ष आदमी माननीय मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र का दो या तीन बार भ्रमण भी किया। मैं उस समय बीमार था। इन्होंने बड़ी कृपा की मेरे पर, मुझसे मिलने भी आये। इन्होंने वहां का दुःख-दर्द देखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी खूब फिरे लेकिन पानी की एक बूंद आज तक दो साल हो गये, मंत्रीजी उन होद से आगे पानी नहीं पहुंचा है। मैं नहीं जानता इसके क्या कारण हैं। जब मंत्रीजी स्वयं तीन बार वहां जा आये, इन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पानी की बड़ी समस्या है आप द्रुत गति से पीने का पानी उपलब्ध करायें। लेकिन मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, मंत्रीजी के आदेशों के बावजूद भी हमारे वहां पानी की यह हालत है, मैं आपके आगे क्या रोना रोऊं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हमारे नये गांवों में पीने के पानी की बात तो छोड़िये आज से पांच साल पहले यह योजना लगभग 350 गांवों के पीने के पानी की है और इस योजना से गंगानगर जिले के भादरा और नोहर तहसीलों के गांवों का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों मे भी पीने के पानी की हालत खराब है। माननीय मंत्रीजी, सदन मे स्वीकार करें या नहीं करें लेकिन अपनी छाती पर हाथ रखकर यह सोच लें, यह गये थे इनको मालूम है कि वहां पानी की स्कीम का क्या सत्यानाश कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी वेदना है क्योंकि जिस जिले में पीने का पानी नहीं हो, जिस क्षेत्र में जनता पीने के पानी के लिए रोये, हरियाणा में गंगा बह रही हो, हमारे उस क्षेत्र में पानी नहीं हो और माननीय मंत्रीजी तीन बार जा आयें, खुद देख आयें। मैं तो यह भी कहूंगा हमारे चुरु जिले के उप मुख्य मंत्री श्री भाभड़ा जी भी वहां गये थे। उन्होंने भी लोगों के दुःख-दर्द सुनें और उनको उस समय बड़ा दुःख हुआ। अधिकारियों को उन्होंने लताड़ पिलाई कि क्या मटियामेट कर रखा है, पानी क्यों नहीं आता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चुरु जिले के ऊपर माननीय मंत्रीजी की ओर खासकर तारानगर और राजगढ़ पर क्या निगाहें टिकी हुई हैं? यह तो बड़े संवेदनशील आदमी हैं, बड़े दयालु हैं लेकिन (व्यवधान) मंत्रीजी हंसने से कुछ नहीं होगा। आप यहां बैठे हंस रहे हैं लेकिन आपका स्टेटमेंट सुनने के बाद तारानगर और राजगढ़ की जनता आपको रो रही है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उन लोगों का मटियामेट किया है। मैं उसके कारण बताऊंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ऐसी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, जिसकी योजना पर जर्मन सरकार से 800 करोड़ रुपये में एक हमारा सौदा तय हुआ है। उसी योजना से और उस मूल योजना

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

का, माननीय मंत्रीजी, मैं तो आपको ही कह सकता हूं। यह सदन पावन पवित्र है। मैं इस राजस्थान के चुने हुए लोगों के सामने मेरी तहसील, मेरे जिले की जनता की ओर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता को आपने प्यासा मारा है। आप रूला रहे हैं। आप ही उनके दोषी हैं। उसका कारण है_

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय दो घंटे बढ़ाया जाये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़: आप यह कहिये कि मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी दो घंटे ही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने आप बोलते रहेंगे, बार-बार आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी दो घंटे ही ठीक है। दो घंटे समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय सदन की अनुमति से दो घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या-27 पर विचार

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई इनके ऊपर चार्ज नहीं लगा रहा हूं कि यह पानी को पाल बांधकर बैठ गये, यह कर गये। लेकिन विधान सभा में हमारे लिए उत्तरदायी तो आप हैं, आप ही को कहने वाले हैं। बाकी यह जाने इनका डिपार्टमेंट जाने, मैं तो मेरी व्यथा, मेरी जनता की व्यथा आपके माध्यम से_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ सुझाव तो दीजिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सुझाव देंगे लेकिन यह रोना तो रोयें।

श्री उपाध्यक्ष : केवल भूमिका बना रहे हैं, आप सुझाव दीजिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं सुझाव पर आ रहा हूं। मेरे सुझाव उनको मालूम हैं, उस स्कीम का मटियामेट किया, उनको मालूम है क्या हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहा है आपने कि सुझाव दीजिये। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। उस स्कीम का रोने का

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

कारण ही वहां का एक एक्सईएन. है। मुझे मालूम नहीं इनके चहेते हैं या नहीं, मैं नहीं कहता। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय मंत्रीजी को उनसे इतना क्यों लगाव है। लेकिन उनकी कार्यशैली के कारण उस योजना का भट्टा बैठ गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके मन में यह हो सकता है कि यह कांग्रेस के सदस्य एक्सईएन. के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत कुछ रिकार्ड है, दिखाऊंगा। मैं तो आज ही बोला हूं। इस एक्सईएन. मिस्टर आदिवाल के चरित्र पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ पवित्र सदन के जो बी.जे.पी. के मेम्बर हैं, उन्होंने क्या-क्या मेमोरेण्डम इनको दिये उनके चरित्र के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में। माननीय मंत्रीजी को मेरे से बहुत पहले मालूम है इसलिए जब आपने कहा क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण तो हमारा यह है। मैं बताना चाहूंगा.(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : असली जड़ यह है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : असली जड़ बिल्कुल यह है। उस योजना का मटियामेट कर रखा है। माननीय महावीर जी, जिसके लगती है उसके दर्द होता है। आपको हंसी आ रही है लेकिन राजगढ़ और तारानगर की जनता रो रही है, आज जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कब से है?

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : यह कम से कम दो साल से है। आज से नहीं है, मैं उसका भी जवाब दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, मैं तो इसलिए हंस रहा था एक बार मुझे वहां उस योजना को देखने जाने का सौभाग्य मिला था जिस समय माननीय चन्दनमल जी बैद उसके मंत्री थे। उस समय मैंने उस योजना को देखा। एक कमेटी के रूप में मैं गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या देखा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने ऐसी बुरी हालत देखी कि टंकियां खाली पड़ी थीं, सारी पाइप लाइन टूटी हुई थी।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय महावीर जी, यह कब की बात है, कब गये थे, आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह 1983-84 की बात है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : 1983-84 में, मैं कह रहा हूं उसका राजीव जी ने तो 1984 में तो उद्घाटन किया है। वह तो वर्ल्ड बैंक से पैसा आया था। वह पैसे वापस नहीं चले जायें इसलिए माननीय चन्दनमल जी ने उस पैसे का सदुपयोग किया। 1984 में पानी नहीं पहुंचा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कब स्वीकृत हुई थी?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : 1984 में पानी नहीं पहुंचा था, महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कब स्वीकृत हुई थी, जरा यह बताओ? पता ही नहीं है आपको।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मुझे मालूम नहीं है तो आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है, आपको क्या मालूम? 1984 में स्वर्गीय राजीव जी ने वहां उद्घाटन किया था। मुझे मालूम नहीं है? मैं इस योजना के लिए जी-जान से लगा हुआ हूं और आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम है मुझे ही सीख देने लगे हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप आगे चलिए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मुझे इन्टरविन कर रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरविन भी कर रहे हैं, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मेरा समय तो आपके रहते बर्बाद नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा महावीर जी ने यह पूछा कि यह क्या मामला है। यह राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ ने 12.8.91 को इस आदिवाल के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक ज्ञापन दिया और यह ज्ञापन की कॉपी मेरे पास है। इसमें उन्होंने लम्बा-चौड़ा लिखा है 1991 में। मेरा इससे न तो कोई लेना था न देना था। इसका कैसा करेक्टर है, इस आदमी का क्या चरित्र है? इसमें इसका समस्त विवरण है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही कारण है, अगर इसी कारण से आपकी स्कीम फेल रही है तो हटा देंगे उसको।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : नहीं, रखिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर इसी से गड़बड़ी है तो हटा देंगे उसको बस। यही सुझाव है आपका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप उसको हटा दीजिये। यह तो पक्का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर यही कारण है तो हटा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक कारण यह है और यह बड़ा कारण है। इसलिए आप यूं मत करो। आपने हाउस में यह कहा है कि मैं हटा दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, अगर यही कारण है तो हटा दूंगा। क्या दिक्कत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत बड़ा कारण यह बता रहे हैं। चन्दनमल जी बैद ने यही की यही बात कही है। अगर-मगर क्यों लगाते हो? हटा दीजिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय मंत्रीजी आप हटायेंगे तो राजगढ़ और तारानगर की जनता पर बड़ी मेहरबानी करेंगे। आपको मालूम भी है कि यह कारण है।

(17.00)

सबसे पहला कारण एक सक्षम अधिकारी का नहीं होना। सबसे बड़ी फेल्योर स्कीम का कारण वही होता है उसके बाद दूसरे कारण अलग हैं। सबसे पहला कारण यह है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अगर आपने यह कहा कि हटा देंगे तो वहां की जनता के ऊपर आप बड़ी मेहरबानी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। मैं भी आपको धन्यवाद दे दूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं एक मिनट और बोल लूं। देखिये, जो बातें सामने आयी हैं वह तो कुछ बता दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब क्या करना है उसकी बातें करके।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। यह मेमोरेण्डम आपके पास भी आया होगा। आपने हटाने की बात कह दी वह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे चरित्रहीन आदमी की जो आपके पास 1991 में शिकायत आयी (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। कह दिया हटा देंगे। आपकी पूरी मांग मंजूर हो गयी अब आप आगे चलिए न, आगे कुछ नहीं पूछेंगे क्या?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसके बारे में जांच तो करवायें। इसके बारे में जांच के लिए भी नहीं कहूं साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। माननीय मंत्रीजी मेरी तहसील में पधारे (व्यवधान)। माननीय मंत्रीजी, मेरी बात सुन लीजिये आप। अब वह प्रकरण मैंने छोड़ दिया आपके कहने से।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह बोला था कि आप मेरी तहसील में पधारे, इसके आगे बोलें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप उस दिन राजगढ़ तहसील में पधारे। आपने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि पाइप लाइन आप स्वयं डाल दें, आपके यहां पानी पहुंच जायेगा। साहब, आपको ध्यान होगा, एक ग्राम रादा छोटी में आपने पाइप लाइन गांव वालों से डलवायी। उन्होंने खोदकर पाइप लाइन डाल दी लेकिन, माननीय मंत्रीजी, आज तक वहां पानी पहुंचा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि जब ग्रामीणों ने दिन-रात एक करके खाइयां खोदीं, पैसे भी उनके लगे, आपका

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

एक पैसा नहीं लगा। कम से कम उनको यह तो हो कि एक मंत्री आये थे, उनके आश्वासन से हमारे यहां पानी पहुंचा। अगर आपकी वहां इमेज खराब होती है, जन प्रतिनिधि हम भी हैं, हमारी भी इमेज खराब होती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात बताइये, वहां लाइन तो पड़ गयी न?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उसी दिन, आते ही पड़ गयी। आज डेढ़ साल हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है। अब पानी क्यों नहीं आ रहा है, बता पायेंगे आप?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : पानी पहुंचा ही नहीं रहे हैं वहां।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका कारण क्या है?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : कारण तो यह जानें, कहते हैं, पानी नहीं है हमारे पास।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम क्या है गांव का?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : गांव रादा छोटी है साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सुझाव इनको देना चाहता हूं। जब आपने मैटर ही क्लोज कर दिया। एक तो यह इतनी बड़ी स्कीम है कि इसके कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है क्योंकि गंधेली श्रीगंगानगर में, कहां तारानगर, चूरू, झुन्झुनू तक यह स्कीम आयेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर वायरलैस सिस्टम किया जाय ताकि कम्युनिकेशन फटाफट हो वरना सैकड़ों किलोमीटर तक आंधियां चलेंगी, धूल भरी आंधियां चलती हैं। अगर कोई बिजली का खम्भा गिर गया तो एक एईएन, जेईएन. कर्मचारी सौ किलोमीटर दो-चार दिन में भी नहीं पहुंच सकता इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इस पर कम्युनिकेशन के लिए वायरलैस सिस्टम सैट की व्यवस्था जरूर करायें।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि आप बिजली बोर्ड से किसी प्रकार से कोआर्डिनेट करें। जिस समय यह स्कीम बनी, इतनी हाई वोल्टेज की बनायी गयी थी लेकिन, माननीय मंत्रीजी, वहां इतनी बिजली, बिजली बोर्ड से मिल नहीं रही है। इतने बड़े-बड़े पम्प, जब एक बार ट्रिपिंग कर जाती है, घंटों पाइप लाइन खाली हो जाती है और फिर उसका बड़ा बुरा हाल होता है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा आपके सुझाव के साथ, कि, इतनी बड़ी योजना जिसमें जर्मन सरकार के और आपके मिलकर आठ सौ करोड़ रुपये लगेंगे और जो कम से कम 600-700 गांवों को पानी देगी

(श्री चन्दनमल बैद)

तो उसके लिए एक कैप्टिव यूनिट बिजली का होना चाहिए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप अच्छी तरह से मानीटरिंग करके जिन गांवों में आज पानी पहुंच गया है, बिल्कुल गांव के पास में। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, आप पता करवा लीजिये, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मेरा और मेरी जनता का रोना रो रहा हूं। जब पानी दो साल पहले यहां पहुंच गया और यहां से तीन किलोमीटर आगे तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो माननीय मंत्रीजी, क्या कारण है? यह पानी आखिर कब तक पहुंचेगा, आप इसकी व्यवस्था कराएं। मैं आपके ऊपर बड़ा भरोसा करता हूं। मुझे आप पर आशा है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो हमारी तहसील के बीस, तीस और पचास गांव जो हैं, फटाफट पानी पहुंच सकता है। आप मेरे साथ बैठिये, मैं स्कीम और उनमें कारण बताऊंगा, एक दिन बुलवा लीजिये, मैं आपको बताऊंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आप ऐसा करें, माननीय बैद जी को आप राजी कर लें। मैं, यह और आप तीनों मौके पर ही चले चलते हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बैदजी, आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं और आप इनके भाई हैं और मैं कोई दलाल नही हूं। मैं सदस्य हूं, आप मेरे मंत्री हैं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनका अमूल्य सुझाव मिल जायेगा, यह योजना इनकी है, इनको ले चलने में दिक्कत क्या है, एक दिन दे देंगे हमारे लिए...(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बैदजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं इस सदन में आपके माध्यम से बैदजी से निवेदन करूंगा कि आप इनके साथ बैठकर चर्चा करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 जल प्रदाय योजना पर चर्चा हो रही है। मैं भी इस योजना पर अपने विचार सम्मिलित करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है और यहां जल की कमी है इससे हम सभी माननीय सदस्य परिचित भी हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे इस देश का दस प्रतिशत भू-भाग हमारे प्रदेश का है और यहां जल की उपलब्धता एक प्रतिशत

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

ही है। इसी के साथ-साथ अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान हैं।

इसके साथ-साथ ऐसे हजारों की संख्या में गांव हैं, जहां स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है और उस पानी से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारी सरकार ने, माननीय जलदाय मंत्रीजी ने और विभाग के अधिकारियों ने दिन-रात एक करके पानी की उपलब्धता करायी है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब यह जानते हैं कि इन शहरों की स्थिति भी इन गांवों से कोई कम अच्छी नहीं है। यहां पर हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं शहरों में। उन पर भी कई बीर एक चिट लगाने के सुझाव आते हैं कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। इसका उपयोग नहीं करें। इस सबके बावजूद भी हमारे प्रदेश के ऐसे 222 शहर, हम सबको मालूम है, पिछली बार ब्यावर के सम्बन्ध में यहां चर्चा हुई थी, जोधपुर के सम्बन्ध में हुई थी, बहुत बड़े-बड़े झगड़े हुए थे और काफी बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी उनको पानी के अभाव के कारण करनी पड़ी थी परन्तु मैं समझता हूं कि इस गर्मी में राज्य सरकार ने बहुत पुख्ता व्यवस्था की है। ऐसे सभी शहरों को चाहे वह जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अजमेर हो। इसके साथ-साथ ऐसे अनेक गांव हैं, जहां 37 हजार गांव अपने प्रदेश में मानते हैं उनमें कुछेक गांवों को छोड़कर सबमें पानी उपलब्ध कराया है। लगभग कई हजार ढाणियों में से कुछ को छोड़कर पानी उपलब्ध कराया है, अनेक प्रकार की योजनाएं बनायी हैं। चाहे वह केन्द्र जल प्रदाय योजना हो, यमुना जल योजना हो, जनता जल योजना हो या अन्य ऐसी जल प्रदाय योजनाएं हों, उन सबके माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है।

इसी तरह से जयपुर शहर में भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनायी गयी हैं और यहां तक कि उनकी व्यवस्था भी की गयी हैं। जहां भी पानी उपलब्ध हुआ है चाहे वह बाडीबेसिन हो, चाहे किशन बाग हो, चाहे अन्य कोई ऐसे क्षेत्र हों वहां नये कुओं का निर्माण करके पाइप लाइन के माध्यम से शहर को पानी देने की व्यवस्था है। जहां शहर का अन्दरूनी हिस्सा है, जहां हम प्रतिदिन पानी के कारण से परेशान रहते थे, इन्होंने लगभग 36 किलोमीटर लाइन को तीन इंची की लाइन में परिवर्तित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस परिवर्तन से जहां पानी उपलब्ध हुआ, इसके साथ-साथ जो पानी वेस्टेज जाता था पूरा, इन लाइनों के माध्यम से उस पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है।

इसी के साथ-साथ जो ऐसी पिछड़ी बस्तियां थीं, कमजोर बस्तियां थीं, इन सबको पिछले साल में, मैं अगर मेरे क्षेत्र

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

की बात करूं, लगभग 1500 परिवारों को फ्लेट रेट पर कनेक्शन दिये गये। आज वहां जनता, पानी के कारण बहुत सन्तुष्ट है कि उनको रोज पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। इसी के साथ-साथ जिन बस्तियों में पाइप लाइन नहीं जा सकती थी और डालना भी सम्भव नहीं था, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र हैं, वहां भी इस गर्मी में टंकियां रखवाकर पानी देने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं यह हमारा इस वर्ष गर्मी में पानी उपलब्ध कराने का जो कीर्तिमान है, अन्यथा पिछले साल अनेक बस्तियों में प्रतिदिन कोई न कोई झगड़ा इस बात को लेकर होता था कि पानी नहीं है। मैं समझता हूं कि अधिकांश बस्तियों में इस प्रकार की व्यवस्था की है। मेरे क्षेत्र में 150 लाख रुपये लगाकर पूरे शास्त्री नगर को पानी देने के नाम पर दस कुओं का निर्माण किया है और उससे काफी राहत मिली है। इसी प्रकार बाडीबेसिन से बारह कुओं से पानी लेकर इस क्षेत्र को पानी दिया गया। यह बहुत ही सराहनीय काम सरकार ने और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने किया है।

इसी के साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जयपुर शहर के लिए कोई ऐसी विस्तृत योजना बनायी जाय। अभी मैं ऐसा समझता हूं पूरे शहर की कोई बहुत अच्छी प्लानिंग होगी, पानी उपलब्ध कराना एक बात है परन्तु उसकी एक विस्तृत योजना बनाना दूसरी बात है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह सुझाव है कि एक बार जयपुर शहर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर और जिस प्रकार से जयपुर शहर का विस्तार हो रहा है, जयपुर में आने वाले इस प्रकार के देशी-विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी एक विस्तृत योजना बनायी जाय। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जयपुर जोन की मीटिंग यहीं विधान सभा परिसर में हुई थी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री उसके प्रभारी थे। उन्होंने यह बात पूछी थी कि जयपुर की क्या प्लानिंग है। तो, मैं ऐसा समझता हूं जलदाय विभाग के अधिकारी इस बात का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। मेरा यह सुझाव है कि जयपुर शहर की एक विस्तृत योजना बनायी जाय।

जयपुर शहर में जो हैण्ड पम्प लगे हैं इस बार उनकी बहुत देखरेख की गयी है। ऐसे 175 हैण्ड पम्प खराब थे, 163 हैण्ड पम्प ठीक करके जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। परन्तु, हैण्ड पम्प ऐसी बस्तियों में और लगाने का मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जहां पर्याप्त पानी नहीं दे पाते हैं और देने में अभी तकलीफ है वहां किसी प्रकार से हैण्ड पम्पों की संख्या बढ़ायी जाय।

इसी तरह से पानी का जो लीकेज है। मैंने बताया जहां पुरानी लाइनों को

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

चेंज किया वहां तो इसकी रोक लगी है परन्तु इसके बाद भी बाहर की जो बस्तियां हैं, अनेक स्थानों पर इस प्रकार पानी का लीकेज है, या तो लाइन डालते समय उसमें कहीं न कहीं ध्यान रखने की कमी रही है परन्तु ऐसे अनेक स्थानों पर पानी का लीकेज है। उस पानी के लीकेज को रोकने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

मेरा यह भी निवेदन है कि पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए, हमने अण्डर ग्राउण्ड टैंक्स बना रखे हैं परन्तु उच्च जलाशय के अभाव में पानी का प्रेशर ठीक से नहीं आता इसीलिए जब बिजली थोड़ी सी देर के लिए भी इधर-उधर गयी तो उसी दिन पानी की सप्लाई नहीं होती। पानी रहते हुए भी हम जनता को पानी नहीं दे सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शहर में जहां-जहां भी, मैं कई दिनों से यह सुझाव भी दे रहा हूं, मेरे क्षेत्र व्यास कालोनी में और ढेहर के बालाजी की सीकर रोड की बायीं तरफ की बस्तियों में उच्च जलाशय का निर्माण कार्य करवाया जाय। इससे उस क्षेत्र को बहुत ही राहत मिलेगी और प्रतिदिन की जो अधिकारियों की शिकायत होती है कि पानी आज प्रेशर से नहीं मिला उससे भी राहत मिलेगी।

बीसलपुर योजना के सम्बन्ध में जयपुर शहर बहुत ही आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है और प्रति वर्ष बीसलपुर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को अतिशीघ्र जयपुर शहर के साथ जोड़ा जाय और तत्काल जो ईसरदा बांध से जयपुर शहर को पानी देने की बात थी उसका भी प्रबन्ध शीघ्रताशीघ्र कराने की योजना बनाएं।

एक मेरा निवेदन है कि प्रत्येक बस्ती को पानी देने के लिए सरकार कृत-संकल्प है और सरकार का यह सोचना भी है, घोषणा भी है कि हम प्रत्येक नागरिक को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगें। अब इसमें अच्छी बस्तियां हैं उन सबमें तो हम पानी देते हैं परन्तु जो सोसायटी के माध्यम से बस्तियां बनी हैं, उन बस्तियों में नियमानुसार पानी देने में कहीं न कहीं कुछ रोक लगी हुई है। मेरा निवेदन है कि जो भी बस्तियां बसी हैं उनमें बस्तीवासियों का दोष नहीं है। किन्हीं भी नियमों की अवहेलना करके उन्होंने बस्तियां बसायी हों परन्तु आज वह पानी लेने के हकदार हैं। मेरा यह कहना है कि पानी हम पैसे के आधार पर देते हैं। जब लगातार सारे शहर को हम पानी देते हैं तो इस प्रकार जो सहकारी समितियों के माध्यम से बसी हुई बस्तियां हैं उनमें भी हम उसी भावना से पानी देने का संकल्प लें तो उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

सीवरेज लाइन के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि कई सारी सीवरेज लाइन

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

के साथ पाइप लाइन अटेच है और मैं तो यहां तक कहूंगा जो मेन होल बनाये जाते हैं उसमें भी हमारी घर की लाइनें जुड़ी हुई हैं। कई बार लाइन डालते समय भी इस बात का स्मरण कराया जाता है कि जो आप मेन होल बना रहे हैं उसमें चार परिवारों की प्राइवेट लाइन जा रही है। उस समय तो हां कर लेते हैं परन्तु वह पाइप लाइन यों की यों रह जाती है। प्रतिदिन इस बात के शिकार हैं जयपुर शहर के लोग कि उस पानी को प्रतिदिन माननीय मंत्री जी के घर पर ले जाकर एक बोतल के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यह पानी आज आया है।

मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो सीवरेज लाइन के मेन होल हैं एक बार पूरी योजना बनाकर और उन मेन होल में से आने वाले जो घरों में जाने वाली पाइप लाइन है उसको निश्चित रूप से सीवरेज लाइन से अलग करें।

इसी तरह अनेक सारी विसंगतियां जयपुर शहर की पेयजल सप्लाई में हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इन सारी विसंगतियों को एक बार दूर करेंगे और यहां इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनके कारण जनता का हम नुकसान कर रहे हैं, शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी छोटी-छोटी कमियों को दूर करेंगे तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था की है और इस वर्ष जिस प्रकार की सन्तुष्टि जनता ने प्रकट की है इसको निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और जनता भी निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के इस समाधान के लिए आशीर्वाद देगी।

आपके माध्यम से मैंने अपने कुछ विचार मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किये हैं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरूण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 के लिए सरकार बधाई की पात्र है। राजस्थान सरकार ने इस साल का बजट पीने के पानी को समर्पित किया है। आई आलसो कांग्रेच्युलेट। मैं बधाई देता हूं ठाकुर भैरोंसिंह जी शेखावत को, भारत के प्रधान मंत्री को भी, कि हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा, भारत की सरकार भी पेयजल की समस्या पर अपना बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करे।

श्री भंवरलाल शर्मा, जन स्वास्थ्य मंत्री से मेरी जरूर व्यक्तिगत शिकायत है भरतपुर में पी.एच.ई.डी. के दो डिवीजन हैं। आठ सौ करोड़ की योजना चुरू के लिए की, सौ करोड़ की योजना जोधपुर के लिए, डेढ़-सौ करोड़ की योजना जयपुर के लिए और इस भरतपुर के लिए एक करोड़ की योजना नहीं? ...(व्यवधान)...हालत यह है, मंत्री महोदय, देखो एक साल से

(श्री अरूण सिंह)

सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट वेकेंट है, रिमोट कन्ट्रोल से जयपुर का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भरतपुर को कन्ट्रोल कर रखा है और धौलपुर को भी कन्ट्रोल कर रहा है। आपके पास क्या कमी है इंजीनियरों की। डी.पी.सी. ने पांच इंजीनियर्स को क्लियर कर दिया क्यों नहीं उनमें से एक को भरतपुर में लगाया जाये, क्या घृणा है आपको भरतपुर से? रिमोट कन्ट्रोल से, आप कलक्टर को भी वहां से हटा दीजिये, एस.पी. को भी हटा दो वहां से। यह मजाक मत समझो भरतपुर आज बाढ़ की चपेट में है। पीने के पानी की वहां गम्भीर समस्या है। हजारों क्यूसेक्स पानी राजस्थान का चम्बल से बहता है। राजस्थान सरकार ने छह सौ करोड़ की एक चम्बल लिफ्ट योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है। क्यों नहीं आप लोग प्रयास करते हैं कि विश्व बैंक के जरिये यह चम्बल का पानी प्यासे धौलपुर और भरतपुर जिले में आये। मैं खास तौर से श्रीमती कृष्णा भटनागर, पी.एच.ई.डी. सचिव को धन्यवाद देता हूं, मंत्री को नहीं। मेरे डीग क्षेत्र में एक तारताल जगह है, 15 लाख की स्कीम्स सैंक्शन कीं। चार मीठे बोरिंग सफल हुए, पचास हजार की पापुलेशन वाले डीग में श्रीमती कृष्णा भटनागर की बदौलत मीठा पानी तो मिला।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप कृष्णा भटनागर का ट्रांसफर करवा दोगे यह शाबासी देकर।

श्री अरूण सिंह : डीग कस्बे के लिये एक योजना है कि आगरा कैनाल से चार क्यूसेक्स पानी आये फिर वह फिल्टर होए। जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। अब ढील अपनी है माननीय मंत्रीजी आप इसकी खोज करो। इस स्कीम में जो भी पैसा देना है, इस स्कीम को चालू करने के लिये। हाल की बाढ़ में, नौ महीने में भरतपुर में तीन दफा बाढ़ आयी।

रूरल जितनी भी स्कीम्स हैं कामां में, नगर में, डीग में, नदबई में, कुम्हेर में, सब पानी के नीचे हैं। आपके इंजीनियर्स ने भारी मेहनत करके कामां में, डीग में, नदबई में और कुम्हेर प्रोपर में पानी की सप्लाई चालू कर दी, पर गांवों की स्थिति बहुत खराब है। (व्यवधान) मैं उनको बधाई देता हूं, पहले दे दी अब बार-बार क्या देना है। हाल में सीकरी कस्बे में पानी की टंकी ही गिर गयी। आठ हजार की आबादी है वहां वह टंकी तो खड़ी कराओ। मेरे पैतृक गांव में टंकी हिल रही है, गिरने वाली है। डीग में भी टंकी गिरने वाली है।

मैं अन्त में मंत्री महोदय और सेक्रेटरी महोदय को बधाई देता हूं कि एक चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी को इन्होंने सस्पैण्ड किया। आज की नवज्योति में, राजस्थान के एक प्रमुख अखबार नवज्योति में एक एडिशनल चीफ इंजीनियर के विरूद्ध कोई पाइप के घोटाले निकले।

(श्री अरुण सिंह)

यह सही है या असत्य है मंत्रीजी इसकी जांच करवायें।

मंत्रीजी, आपसे मेरा व्यक्तिगत प्रेम है। थोड़ा दृष्टिकोण भी अपना बदलो। यह गणगौरी बाज़ार और जयपुर ही नहीं आपके पास पूरा राजस्थान है। दौरा करो। चुरू भी जाओ, जैसलमेर भी जाओ और कभी-कभी डीग और भरतपुर भी आओ और सवाई माधोपुर भी जाओ। गणगौरी बाजार पर अपना दृष्टिकोण मत रखो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी स्कीम्स को सैंक्शन करने का जो तरीका है वह मेरे हिसाब से गलत लग रहा है। क्योंकि एक साथ प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे देते हैं और उनकी तकनीकी स्वीकृति बरसों तक नहीं देते। इसका मेरे हिसाब से कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आया। आज आप प्रशासनिक स्वीकृति दो यह बात तो समझ में आती है कि प्रशासनिक स्वीकृति दी, उसके बाद स्कीम बने या उसके बाद टैक्निकल सैंक्शन हो उसके बाद वित्तीय स्वीकृति दो तब तो बात समझ में आने वाली है। आज आपने वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी, अमुक स्कीम पचास करोड़ की है। अब आप तीन साल बाद उसकी टैक्निकल सैंक्शन देंगे तो वह स्कीम कितने की हो जायेगी। यह एक ऐसा हास्यास्पद टैक्निकल विभाग के लिये मामला है कि टैक्निकल स्वीकृति बाद में और वित्तीय स्वीकृति पहले। यह विचित्र बात है जो मेरी समझ के बाहर है। माननीय मंत्री महोदय इसमें कोई ऐसी बात बता दें कि यह जरूरी है तो बात दूसरी है। लेकिन आम आदमी को यह बात अखरती है कि टैक्निकल डिपार्टमेंट वित्तीय स्वीकृति के बरसों बाद तकनीकी स्वीकृति दें। इसमें आप कोई सुधार करें या तो आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो कि यह उचित है तो बात दूसरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह दिक्कत रहती है। कोई सुझाव है तो अच्छा रहेगा। खेतसिंहजी आप भी बताओ। आप भी इसके मंत्री रहे हो, रास्ता क्या निकालें। वाकई में विलम्ब होता है इससे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक स्कीम बनाते हैं वह भी टैक्निकल पर्सोनल ही है। वह भी आपके टैक्निकल पर्सोनल है जो स्कीम बनाते हैं। उनमें से ही जो सीनियर हो जाये उसको आप टैक्निकल मेम्बर बना देते हैं। टैक्निकली तो स्कीम बनकर आयी ही है और उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति भी हो जाती है फिर फाइनेन्शियल सैंक्शन भी हो जाती

(श्री खेतसिंह राठौड़)

है। उसके बाद में टैक्निकल मेम्बर्स के पास भेजने का क्या अर्थ है? और वह दो-दो, तीन-तीन वर्ष करता नहीं है तब तक उसकी और कीमत बढ़ जाती है फिर वापस से वह स्कीम वापस जाती है कि साहब इसमें तो और कीमत बढ़ गयी है, पाइपों की कीमत बढ़ गयी, सीमेंट की कीमत बढ़ गयी, इसलिये एक ही बार ऐसा कर दीजिये ताकि वह सैंक्शन निकल जावे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी जो आपकी व्यवस्था है उसमें यह है कि पहले स्कीम बनकर आयेगी। फिर टैक्निकल मेम्बर उसको क्लीयर करेंगे। तब आपकी कमेटी में या सैंक्शन अथोरिटी है उसके पास जायेगी। टैक्निकल मैन ने तो अपने हिसाब से वह पहले की सही बनाकर भेज दी, उसके बाद सैंक्शन क्या करेंगे? प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आप जारी करेंगे? टैक्निकल स्वीकृति जारी नहीं करेंगे। यह उल्टा काम है। आपको सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति करनी चाहिये। उसके बाद उसको टैक्निकल सैंक्शन करनी चाहिये। उसके बाद वित्तीय स्वीकृति या टैक्निकल और वित्तीय एक साथ आप कर सकते हैं। अभी एक आपके टैक्निकल मेम्बर ने एक स्कीम आपके बोर्ड में भेज दी। वह सैंक्शन हो गयी। उसके बाद यह आया कि इसकी तो कॉस्ट कम है। यह तो रीजनल वाला एडिशनल चीफ ही करेगा। यहां तो आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर आपके टेक्निकल मेंम्बर का क्या उपयोग हुआ? इस तरह क्या है कि जो काम एक महीने में होना चाहिए उस काम में आपके वर्षों लगते हैं। इसका आप कोई न कोई इलाज करें।

दूसरा यह है कि कई जगहों पर आपकी पानी की स्कीम अपना गांव अपना काम योजना में सैंक्शन हुई है। मेरे क्षेत्र में दो-तीन स्कीम सैंक्शन हुईं आपको 30-40 लाख रुपये गांव वालों से और डी.आर.डी.ए. के सहयोग से मिला। उन पैसों को तो आप ऐसा समझते हैं यह तो कोई मुफ्त में आ गये हैं। न तो आपका कोई अधिकारी उसमें चैकिंग करे दो-दो साल हो गये। छोटे-छोटे कामों के लिए उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे लेहड़ी है, मुट्ठी है उनमें ओवरहैड टैंक आपने पिछले साल बना दिये। पाइप लाइनें आपने डाल दीं। उस पाइप लाइन को और टंकी को जोड़ने का छोटा-मोटा काम है वह दो वर्ष से नहीं हो रहा है। इस प्रकार आपको जो दूसरे विभागों से पैसा मिले उसको खर्च करने में या उसका उपयोग करने में आपको अपने पैसों की तरह ही ध्यान देना चाहिए।

तीसरा, मेरा निवेदन यह था कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें आबादी कम है और ढाणियों में लोग ज्यादा रहते हैं। मेरे एरिये में एक गांव है नींबी जोधा उसमें आपने पिछले साल में एक नई स्कीम सैंक्शन की। 68-70 लाख की वह स्कीम

(श्री हरजीराम बुरडक)

थी क्योंकि गांव की जनसंख्या भी काफी थी। अब उसमें गांव में आबादी तो 33 पर्सेण्ट है और ढाणियों में आबादी 67 पर्सेण्ट है। वह गांव 21 किलोमीटर में लम्बा है। एक लाख बीस हजार बीघा उसकी कांकड़ है। कोई खेत उसमें ऐसा नहीं है जिसमें घर बसा हुआ नहीं हो। यह सारे के सारे पैसे आपने गांव में खर्च कर दिये। आपने सैंक्शन तो किये आबादी के हिसाब से कि इतनी लाभान्वित होगी। तब यह आपने पैसे खर्च किये। आपने आजकल कम्प्यूटर अलग चलाए हैं, उसमें डिजाइन आएगी और उसमें लाभान्वित कितने हो रहे हैं वह और चला रखा है। जिस आबादी के लिए आपने सैंक्शन किया वहां न तो वह पानी पहुंचेगा और न उनके लिए खर्च किया। यहां तक देखें कि चारों तरफ़ 10-10 किलोमीटर का एरिया है। ढाणी का आदमी है और गांव में कोठी भरने के लिए अपनी गाड़ी लेकर आए तो पानी नहीं भरने देते हैं। आप एक घड़ा भरकर ले जा सकते हैं। 10 किलोमीटर से कोई आदमी घड़े से पानी ले जायेगा। अगर पानी वहां नहीं पहुंचा है तो वह पानी लेने आएगा। उसी गांव का आदमी पीने का पानी लेने के लिए आए उसकी कोठी भरने की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह आपके अधिकारियों की अव्यवस्था है।

मेरा अन्तिम निवेदन यह था कि यह राजीव गांधी पेयजल मिशन में जो राशि आपको मिल रही है उसका पूरा लाभ आप नहीं उठा रहे हैं। जितनी स्कीमें आपको बनाकर भेजनी चाहिए उतनी नहीं भेज रहे हैं और अगर कोई स्कीम बन भी गयी तो कई वर्ष तक वह यूं ही चक्कर खाती रहेगी कि यह टैक्निकल सैंक्शन नहीं हुई और यह फलां नहीं हुआ और यह नहीं हुआ उसमें चक्कर खाती रहेगी। राजीव गांधी मिशन में जितनी आपको सहायता वहां से मिल सकती है उसका आपको भरसक प्रयत्न करना चाहिए। मान लो, आपको अगर 50 करोड़ मिलता है तो एडवांस में 100 करोड़ की स्कीमें वहां रहनी चाहिए। आपको इतना लम्बा-चौड़ा लवाजमा है। उनमें एक-दो की आपको ऐसी ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि आपको सारा पैसा लाने में मदद मिल सके।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिल्ली, जयपुर के बीच में रहे (व्यवधान) बुरड़क जी का कहना यह है कि एक सीनियर आफिसर ऐसा रहना चाहिए ताकि वह दिल्ली और जयपुर में बराबर सम्पर्क रखें। लाइजनिंग करे, इसमें बहुत पैसा है। आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो।

श्री कालूलाल गूजर : आप इसमें ज्यादा सहयोग कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो तैयार हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : हम तो चलाकर कह रहे हैं कि आप सहयोग लें तो सही। आपको लेने की कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमको नजदीक देखें तो सही।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने एक व्यवस्था कर रखी है कि जो कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर है अगर उसका देहान्त हो जाए तो उसके पेरेण्ट्स को आप नौकरी देते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नौकरी देते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : देते हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाते हैं। मेरे क्षेत्र का एक कर्मचारी है जिसकी मृत्यु हुई थी, वह लाडनूं उपखण्ड का एक कर्मचारी था। पिछले बजट सत्र में मैंने एक छोटा-सा सवाल भी उठाया था लेकिन अभी तक उसके पेरेण्ट्स को नौकरी नहीं मिली है। माननीय राज्य मंत्री जी को भी कह दिया। इनके ध्यान में भी है। इन्होंने कागज जो भी मांगे वह सारे दे दिये थे...(व्यवधान)...

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य मंत्री जी को आप कोई पावर्स नहीं देते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब इनको बोलने दें तो आप कहते हो कि आप बोलो। आप दोनों तरफ मार करते हो। जब यह बोलते हैं तो कहते हो कि आप क्यों नहीं बोलते। जब यह नहीं बोले और मैं बोलूं तो आप क्यों बोलते है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, यह कह रहे हैं कि छोटे-मोटे काम हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड। आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूं, माफ करें। माननीय सदस्य, मेरा यह निवेदन है कि 'जनता जल' नाम की एक योजना है इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है तो जब आप सुझाव देवें तो उस पर भी मुझे कुछ सुझाव देंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उस योजना को आप वापस ले लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं साहब। यह अलग-अलग हैं। किसी को बैंगन बायला किसी को बैंगन पच। हमें यह योजना मंजूर है। हमने आपको लिखकर दिया है कि मेरे यहां पर 13 ऐसे गांव हैं जो इस योजना को लेने के लिए तैयार हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी सुझाव आ जायेंगे। आपका यह सुझाव है कि बन्द कर दें तो बन्द कर देंगे। आप समझते हो कि लाभकारी योजना है। उसमें कोई कन्सट्रेन्ट्स हैं। कोई व्यवधान है तो वह दूर कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे।

श्री हरजीराम बुरडक : इसको तो ऐसा है कि जो कोई गांव वाले इसको चलाना चाहें। इसका व्यापक प्रचार आपको करना चाहिए। यह बात तो ठीक है। लेकिन कोई जबरन इस पर नहीं थोपनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, जबरन तो कौन लेता है?

श्री हरजीराम बुरडक : एक तो मैंने यह बताया आपको मृत कर्मचारी वाला है। हमारे लाडनूं उपखण्ड में ऐसा एक मामला है, कम से कम 5-6 वर्ष हो गये होंगे अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मामला आपके ध्यान में आया हुआ है। पिछले सैशन में यह मामला आया था। यह जो स्टोर मुंशियों की नियुक्ति का मामला था। रतनगढ़ उपखण्ड का था। उसमें भयंकर घोटाला करके, हेराफेरी करके आपने जो नीति बनाई थी, सिन्सियरिटी से या इतने दिन से काम कर रहा हो, उसको सारे को ताक में रखकर के वहां आपके एडीशनल चीफ कौन था, उस समय बीकानेर। उन्होंने मिलकर के इसमें जो इलिजीबल नहीं था उनको तो एपाइंटमेंट दे दिया और जो इलिजीबल थे उनको छोड़ दिया। यह मामला हाईकोर्ट तक भी गया, फैसला उनका लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि यह पुराना पाइप घोटाला मुश्किल से बन्द हुआ था इतने वर्षों से। कई वर्ष तक वही-वही बात चलती रही। पाइप घोटाला, पाइप घोटाला। आप भी शायद निश्चिंत हो गये होंगे कि अब पाइप घोटाले से तो पीछा छूट गया है। लेकिन आज जब समाचार-पत्रों में पढ़ा तो वह पाइप घोटाले से भी आगे हैं। उसमें तो और भी कई प्रक्रियाएं अपनायी गयी थी। लेकिन यह तो सीधा-सीधा घोटाला है। आपने जैसे उस दिन यहां चीफ इंजीनियर साहब के लिए घोषणा की थी। ऐसी घोषणा आप इसके लिए भी करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अखबार की खबर पर ही कर दें क्या?

श्री हरजीराम बुरडक : आपको सब मालूम है। अखबार में नहीं तो आप यह तो करेंगे कि अखबार की जांच तो कराओगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने वह आदेश दे दिये हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : बहुत फुर्ति की आपने। इसके अलावा आपके विभाग की सबसे कमजोरी जो गांवों में पानी नहीं जाने की है, वह आपके यह जो पम्प चलाने वाले ड्राइवर या और जो लेबर क्लास के आदमी हैं वह आपके विभाग के अधिकारियों के कन्ट्रोल में नहीं है। आपने इसको अगर गहराई से देखा हो तो जैसे इस प्रकार के लेबर दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, बिजली में है, पी. डब्ल्यू. डी. में है, दूसरों में हैं। उनका व्यवहार दूसरे तरीके का है। आपके यह कर्मचारी वहां बिजली आती है तो पम्प चलाने वाला नहीं है। पाइप फूट जाता है तो ठीक करने वाला नहीं है। वह सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए

(श्री हरजीराम बुरडक)

आते हैं। यह आपके इंजीनियर कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे सामने की बात है, वह आपके अधिकारियों को बुरी तरह से फटकार देते हैं और यह कुछ नहीं कहते हैं। इतनी इनकी कमजोरी क्यों है? इसको मैंने आपको पिछले साल भी बताया था जब आपने मीटिंग बुलाई थी। उसमें मैंने यही कारण बताया था। आपने कहा था कि इसका कोई हल निकालूंगा। यूनियन है तो यूनियन सब जगह हैं। क्या पी. डब्ल्यू. डी. वालों की यूनियन नहीं है? वह भी ऐसे ही कर्मचारी है। बिजली वालों की यूनियन नहीं है? वह भी ऐसे ही कर्मचारी है। लेकिन उनके अधिकारियों का वह सम्मान करते हैं। उनकी वह मानते हैं। उनके कहने से काम करते हैं। आपके वाटर वर्क्स के कर्मचारी, एक भी आदमी ड्यूटी पर नहीं रहता है। स्कीम फेल होने का मेन कारण यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको जो सुझाव दिये मुझे आशा है आप उन पर कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 पर सदन में विचार किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी ही जीवन है और पानी की उपलब्धता और पानी को संरक्षण देने की आवश्यकता भी है। एक-एक बूंद पानी को किस प्रकार से बचाया जाए और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए इसके लिए लोक शिक्षण की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी प्राकृतिक धरोहर है और उस पानी को किस प्रकार से हम उपयोग करें, उसके साथ कैसा हम व्यवहार करें, यह भी इस सन्दर्भ में हमें विचार करना होगा। एक गिलास पानी की आवश्यकता है तो आधा गिलास पानी पीया और आधा गिलास पानी हमने निर्दयता के साथ फेंक दिया। इसके कारण पानी के प्रति जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वह कम है, प्राकृतिक रूप से पानी की उपलब्धता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि पानी की उपयोगिता और पानी के संरक्षण के लिए भी अपने विभाग में व्यवस्था करें और लोक शिक्षण के लिए हम सबको, जनता को इस बात को बताना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेगिस्तानी इलाके का व्यक्ति हूं। हमें पता है कि बूंद-बूंद पानी के लिए दूर गांव, ढाणियों में किस प्रकार से खोज के लिए निकलना पड़ता है, पानी किस तरह से हमें उपलब्ध होता है। इसलिए पानी के प्रति हमारा किस प्रकार का व्यवहार और कर्तव्य होना चाहिए इस पर हमें सदन में सोचना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद आज तक करोड़ों रुपये योजनाओं पर लगे उसके बाद भी आज पानी की मांग कम नहीं हुई। इसके पीछे

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

कारण क्या है? इसके पीछे यह कारण है कि हमारी जिस प्रकार योजनाएं पूरी होतीं है उसके साथ-साथ हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो भी योजना हम बनाते हैं, वह योजना इसलिए सफल नहीं होती है कि योजना पूरी होने के साथ-साथ डेढ़ी या दुगुनी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके लिए हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि पानी का उपयोग सीमित उपयोग है, उस सीमित उपयोग को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग करें। इस सन्दर्भ में हमें परिवार कल्याण की तरफ भी ध्यान देना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। 1990 में जब राजस्थान में भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आयी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी उसके बाद में कुछ योजनाएं बनाकर पूरे प्रदेश में पानी की कमी महसूस नहीं हो, इस सन्दर्भ में कई व्यवस्थाएं की गयी। इस व्यवस्था में हम सफल भी हुए उसके लिए माननीय मंत्रीजी को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं।

हमारे जोधपुर नगर में विशेषकर पानी का संकट है और हम जानते थे कि हमारा यह संकट इस बार हल हो जाएगा। इस संकट के हल होने में कोई कमी नहीं रही थी जो जोधपुर के पेयजल के स्थायी समाधान के लिए जोधपुर लिफ्ट कैनाल है, उस जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य करीब-करीब पूरा होने जा रहा था यदि 2-4 दिन में बरसात नहीं आती तो जोधपुर मूल योजना का पानी जोधपुर में पहुंच जाता और जोधपुर के लिए स्थायी समस्या का समाधान होता। पर भगवान को यह मंजूर नहीं था। चिरियानाथजी का जोधपुर के लिए जो श्राप है, उस श्राप के कारण जोधपुर में पानी आने में एक बाधा और पड़ गयी।_

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चिरियानाथ जी का या भैरोंसिंहजी का?

श्री राजेन्द्र गहलोत : चिरियानाथजी का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर लिफ्ट कैनाल की योजना जो 256 करोड़ की है वह योजना करीब-करीब पूरी हो चुकी है। बरसात आने के कारण सात किलोमीटर वह नहर टूट गयी। नहर के लिए माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उसका कार्य प्रारम्भ करें और उसका कार्य प्रारम्भ करके जोधपुर को पानी दें। आज जोधपुर की जिस प्रकार की स्थिति बनी है, जोधपुर का मुख्य जल का स्रोत जवाई बांध है उसके द्वारा मुख्य स्रोत जोधपुर लिफ्ट कैनाल है और उसके साथ-साथ आसपास के कुओं से जोधपुर को पानी आ रहा है। जोधपुर की प्रतिदिन की जो मांग है_

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : औसियां की जनता को भी धन्यवाद दो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अभी देऊंगा, साहब।

२१०

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आसपास के कुएं, कुएं कहां हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपका नम्बर नहीं है माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 1962 से सप्लाई कर रहे हैं आपको।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, कर रहे हो ना इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर भी आ रहा है, आप तैयार हो जाए, आप इस पर बोलेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलूंगा, लेकिन यह धन्यवाद दे रहे हैं एक तो महाराज उम्मेदसिंह साहब ने बनायी उसको, सन् 1962 से उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे एरिया को चूस लिया है और धन्यवाद भी हमें नहीं दे रहे हैं। तीस फीट गहरा पानी था, उपाध्यक्ष महोदय, आज 700 फीट पर चला गया है। वाह गहलोत साहब, वाह कमाल है।

एक माननीय सदस्य : भाटी साहब, औसियां से जोधपुर पधारेंगे तो पानी तो आपके साथ ही आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाटी साहब तो इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दूंगा कि इन्होंने हमारी योजना 5 साल के लिए विलम्ब करदी। योजना पर ऐसा भाटा डाला (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने मुझे इंगित कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का अनेकों बार ध्यान दिला चुका हूं। मुझे सौभाग्य भी मिला है आई.जी.एन.पी. के साथ पी.एच.ई.डी. का कार्य सम्भालने का। इनके मुख्य मंत्रीजी आन रिकार्ड है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं हूं, इनके मुख्य मंत्रीजी ने जितनी अड़चने हमारे एक-एक, दो-दो मुख्य मंत्रियों को वशीभूत करके आई.जी.एन.पी. की लिफ्ट कैनाल की योजना को जितना धक्का पहुंचाया मैं सोचता हूं संसार में ऐसा कोई + + + नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस शब्द को निकाला जाए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाटीजी ने सदन को गुमराह किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर एक दिन बहस हो जाए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, बहस हो जाए, मैं आपके सामने फैक्ट्स ही रख रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

पूछना चाहूंगा माननीय भाटी साहब को कि 1984 के अन्दर मादासर के अन्दर जोधपुर लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास हो गया था और उसका काम प्रारम्भ हो गया था तो 1985 के अन्दर आप मंत्री थे और लोगों को यह दिखाना चाहते थे तो चिरायी में किसलिए आपने शिलान्यास किया। उसके बाद उस समय आपको योजना स्वीकृत करनी चाहिये थी। क्या आपने वह योजना स्वीकृत की? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 से लेकर 1990 तक मात्र 31 करोड़ रुपये खर्च हुए 103 करोड़ की योजना में से और 1990 से लेकर आज तक 203 करोड़ रुपये खर्च हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोसिंहजी शेखावत, माननीय भंवरलालजी शर्मा, यदि इस योजना में भागीरथी प्रयास नहीं करते तो आज जोधपुर की जनता को एक बूंद हिमालय का पानी नहीं मिलता। आज कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। 1990 से लेकर आज तक_

श्री कालीचरण सराफ : भाटी साहब, बताओ कौन है + + + ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, अब आप फरमा रहे हैं कि मैं टोक रहा हूं। मुझे संकेत करके कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, दीजिये ना। हाउस में दे दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष-महोदय, जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य करना बड़ा कठिन था। 200 किलोमीटर की यह नहर है और 200 किलोमीटर के अन्दर 30 किलोमीटर पाइप है और उसके आठ पम्प स्टेशन हैं। आठों पम्प स्टेशनों का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। इस पर कोई भगवान की, चिरियानाथजी की मेहरबानी, कुदृष्टि पड़ गयी इसलिए माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जब आप फलौदी गये थे तब मैंने निवेदन किया था कि शिवजी का अभिषेक करवाओ वरना चिरियानाथजी जोधपुर पानी आने नहीं देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, यह बीच में समय लग गया था। माननीय मंत्रीजी से मैंने यह निवेदन किया था। पर आज जो स्थिति बनी है उस स्थिति के अन्दर माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जोधपुर में साल में थोड़ा-सा जवाई बांध से पानी मिलेगा वह पानी जवाई बांध में है नहीं, मात्र 7 फीट, मात्र 7 दिन का पानी है। उसके साथ-साथ इन्दिरा गांधी नहर का पानी आना बन्द हो गया है। जोधपुर में 250 लाख गैलन पानी प्रतिदिन चाहिये और आसपास के नलकूपों से मात्र हमें जो पानी मिल रहा है, वह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सिर्फ 50 लाख गैलन पानी मिल रहा है। जोधपुर में गर्मियों में हमारे माननीय मंत्रीजी ने विशेषकर पी.एच.ई.डी. सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ में मिलकर उन्होंने जोधपुर की जनता को इस बात की परेशानी नहीं होने दी कि जोधपुर में पानी की कमी है परन्तु आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गये हैं कि जोधपुर को एक बूंद पानी के लिये भी तरसना पड़ेगा 31 जुलाई के बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवदेन करना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति आज जोधपुर में प्राकृतिक विपदा के आधार पर बनी है उसके लिए माननीय मंत्रीजी विचार करें और उस समस्या का समाधान करें।

जोधपुर शहर के लिये 256 करोड़ रुपये लिफ्ट कैनाल पर लगा और 28 करोड़ रुपये जोधपुर शहर में वितरण व्यवस्था के लिये जो पुर्नगठन योजना बनायी गयी है इसके आधार पर जोधपुर शहर के जिन स्थानों या बस्तियों में पानी नहीं पहुंच रहा था उनमें 18 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में नयी पाइप लाइन डालने का कार्य तेजी से चल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब वे शिलान्यास करने गये तो 11 करोड़, 19 लाख रुपये की एक और योजना की घोषणा की। उसका काम भी प्रारम्भ हो गया है। माननीय मंत्रीजी, आपके भागीरथ प्रयास को जोधपुर भूल नहीं सकता। भाटी साहब कुछ भी कहे, इनकी तो कहने की आदत है, कहते रहेंगे पर जो काम हुआ है उसको भूल नहीं सकते।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरी न केवल कहने की आदत है मेरा अधिकार भी है और जनता की पुकार भी है। उसको मैं यहां अधिकाधिक रूप से स्टैण्ड लेकर कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरी बात तो पूरी होने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको 15 मिनट हो गये। 15 मिनट से ज्यादा मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय लूंगा और अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट नहीं देता हूं, एक मिनट देता हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में पानी की जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उसके समाधान के लिये हम सब परामर्श करके जो सुझाव हों उनके आधार मंत्रीजी समाधान खोजें।

जोधपुर में महामंदिर सीवरेज लाइन का कार्य जो मंत्रीजी ने स्वीकृत किया वह

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

भी प्रगति पर चल रहा है। उसके लिये आपने 5 करोड़ 7 लाख रुपये स्वीकृत किये। कार्य प्रारम्भ होने पर आपने कहा था कि पी.एच.ई.डी. के अलावा नगर सुधार न्यास, नगर निगम अपना हिस्सा देगी। वह हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। इसलिए माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि आप 70 लाख रुपये नगर सुधार न्यास और 20 लाख रुपये नगर निगम से दिलायें ताकि यह योजना पूरी हो सके।

जोधपुर के आसपास के शहरों जैसे फलौदी के लिये 5 करोड़, पीपाड़ के लिये 4 करोड़ की जो योजनाएं विचाराधीन हैं उनको पूरा करायें जिससे आसपास के कृषकों के लिये पानी की व्यवस्था हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती शोध संस्थान ने जो शोध और अनुसन्धान किये हैं उनमें कहा गया है कि लुप्त सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान के नीचे से होकर निकल रही है। उस शोध संस्थान में पी.एच.ई.डी. वाले भी अपना सहयोग करें कि उसका पानी कहां मिल सकता है और कहां उपलब्ध हो सकता है। इसका लाभ पश्चिमी राजस्थान में मिल सकता है। उन्होंने अनुसंधान से सिद्ध भी कर दिया है, कई जगह ऐसे ट्यूबवैल बनाये हैं, जहां अपार पानी है और यह राजस्थान को मिल सकता है और पश्चिमी राजस्थान की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

सरकार द्वारा गर्मियों में पानी के लिये जो प्रयास किये गये उसके लिये मेरी ओर से विशेषकर मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड पर नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जोधपुर कैनाल में जो 250 करोड़ रुपये लगा रहे थे...।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। मैं आपको समय नहीं दूंगा। आप प्रतिदिन एक...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड। मैं भाषण नहीं करूंगा...।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री विष्णु मोदी : मैं पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे औसियां की समस्या के बारे में कहना था लेकिन एक ऐसा बिन्दु खोल दिया है कि मैंने माननीय मंत्रीजी को पहले ही सुझाव दे दिये हैं और यह सदन के पटल पर रखता हूं। मुझे वाहवाही लूटने की आदत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार और उसके नेता पर मेरा आरोप है। वे कहते हैं कि मैंने राजस्थान के लिये यह कर दिया, वह कर दिया, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन मैं अकोर्डिंग टू डाकूमेंट अर्ज कर रहा हूं और मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। अभी राजेन्द्र जी ने लिफ्ट कैनाल का जिक्र किया। मंत्रीजी 1985 का जो केबिनेट नोट बना जिसके तहत राजस्थान कैनाल के बारे में न केवल इर्रिगेशन वाटर के लिये, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिये पी.एच.ई.डी. के लिये हमने जो वाटर अलॉटमेंट किया कि हम किस हिसाब से वितरण करेंगे, मेहरबानी करके अपने डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी महोदया को कह दें तो वह उसका अध्ययन करके आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगी। इससे काफी गलतफहमी राजेन्द्रजी गहलोत जैसे विधायकों की दूर हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रमित करने और जो "विजर्ड" शब्द चल रहा है असेम्बली में, आपके मुख्य मंत्रीजी मेरा ख्याल है कि राजस्थान क्या, संसार में भी बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भुगतभोगी हूं...।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि आप कंस्ट्रिक्टव सुझाव दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सुझाव तो मैंने दे दिये लेकिन अब तो मैं पश्चिमी राजस्थान पर ही बोलूंगा क्योंकि बड़ी भारी समस्या है और मैं उसका भुगतभोगी हूं। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सन् 1962 में हमारे वहां पर पानी की इमर्जेंसी हुई। मुझे पता नहीं कि खेतसिंहजी साहब उस समय जलदाय विभाग सम्भालते थे। सम्भालते थे क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, उसके बाद में। कोई दूसरा था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मथुरादासजी माथुर मंत्री होते थे। उन्होंने कहा कि हम मथानिया में जिसे हम नेड़ा एरिया कहते हैं। मथानिया, बिवड़ी, रामपुरा के बीच है। वहां पर मेरी कांस्टीटूएंसी में बहुत अच्छी सोयल और पानी की उपलब्धता थी। वहां पर बहुत अच्छे किसान हैं जिनमें राजेन्द्रजी के भाई भी काफी हैं। वहां पर मिर्ची भी होती है और मैं बहुत कुछ होता है और वहां आपका सोलर प्लांट भी आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां उस समय पानी की डेफ्थ 30 फुट थी। उस समय हमने और औसियां की जनता ने कहा तो

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कह दिया कि तीन साल में हम दूसरी योजनाएं ले आयेंगे और यह पानी लेना बन्द कर देंगे। आज 1996 हो गया लेकिन आज वहां की हालत का काश्तकार भुगतभोगी है। हम भी भुगतभोगी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी. ने यह किया, हम उसका ब्लैम लेते हैं लेकिन यह क्यों हो रहा है? यह इसलिये हो रहा है कि जैसे अभी मैंने सुझाव दिया कि समर 1996 का जो कंटीजेंसी प्लान है मेहरबानी करके उसको टेबल पर रखिये। मतलब जो भी समस्या आती है उसकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी विरोध इसलिये है कि जोधपुर की जनता के लिये आप जो भी प्लान बनायें वह 2025 या 2050 सन् तक का बनायें। अभी जोधपुर लिफ्ट योजना का जिक्र आया। यह दुर्भाग्य है कि यह कभी सफल नहीं हो सकती। मंत्रिमण्डल के डिसीजन पर मैंने सुझाव दिया पर मेरी गलती यह थी कि मैंने कहा कि एक मण भरा पानी लेकर के आप जोधपुर पधार जायें। इन्होंने मिल-मिलकर हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी प्रभावित कर लिया उस पर मंत्रिमण्डल की भी मंजूरी हो गयी थी। और यह मंजूर योजना विभाग को भी चली गयी। यहां तक आरोप हो गया कि नरेन्द्रसिंह भाटी ने उद्घाटन इसलिये करवाया है कि वहां उसके बाप की चार हजार बीघा जमीन है। उपाध्यक्ष महोदय, एक इंच जमीन नहीं थी लेकिन हुआ क्या? ठीक वहां से भाटी तो हट गया (व्यवधान) मेरा तो राज था। मेरा खुद का प्रधान मंत्री था समझे। लेकिन मेरे में यह भी हिम्मत थी घनश्यामजी कि कुछ बिन्दुओं पर स्टैण्ड लेने, इस्तीफा देने और बर्खास्त होने के बाद, आप माफ करें, आपके एक-दो मंत्री भी यह कर लें तो धूज जायें मुख्य मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने इस्तीफा थोड़े दिया था। आप तो बरख्वास्त हुए थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो राजस्थान की जनता के लिए शहीद हुआ था। (व्यवधान) सुन लो अब। तो, उपाध्यक्ष महोदय...

श्रीमती उजला अरोड़ा : शहीदे-आजम – 'बेरी गुड'

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इन्होंने क्या कि, कि भाटी तो हट गया वहां से...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बताइये क्यों हट गये?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जितनी बार यह टोकेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट और सीरियसली अर्ज कर रहा हूं कि थोड़ा खुला सा हो जाये। घनश्यामजी हैं, पुराने मंत्री महोदय हैं, इनको सबको तो...

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट। मैं इन्हें याद दिला रही हूं-

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वक्त कभी रूकता नहीं। वक्त चला जाता है और जब आप मंत्री थे तो आपने बरसों तक कुछ नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है।-

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो आपका प्रशंसक हूं-

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि आप टोकाटाकी को निमंत्रण नहीं दें।-

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोकाटाकी का निमंत्रण भी उजलाजी को दे रहे हैं और किसी को नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर जनता का ऐसा अहित हुआ है और मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने तो मेरे बजट भाषण में जितना खुलासा करना था उसमें विष्णुजी को भी थोड़ी नाराजगी हुई। भले ही हुई हो। विष्णु जी और दूसरे जो कांग्रेस के हैं और मुझे एक दो जनों ने और ने भी कहा कि आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस बात को नहीं लाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे यह पता है कि जिस शख्स के बारे में विष्णुजी ने कहा उनकी क्या टिप्पणी थी शाह कमीशन में, वह भी वह सोंचे, इन्दिरा जी के खिलाफ। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था ठीक है इन्होंने मेरी स्कीम को तो चेन्ज कर दिया। उसकी एवज में क्या लाये, एक लोटा भर पानी-

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह व्यावहारिक था क्या?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : व्यावहारिक नहीं होता तो प्लानिंग कमीशन में जाते ही नहीं। अब उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या आ रही है। मैं सुझाव भी दूंगा इसमें मंत्री महोदय को। ठीक है, आपने लिफ्ट कैनाल शुरू करदी। उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में मेरा प्रिडक्शन है, मेरी भविष्यवाणी है कि यह अगले 20 साल तक भी जो जवाई से पानी आ रहा है उसके बराबर अगले 20-25 सालों में भी पानी। लें आयें जोधपुर में तो मेरा चेलेंज हैं मिनिस्टर साहब को और इंजीनियर्स को भी। आ ही नहीं सकता। उसकी जो बनावट है, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह गहलोत साहब कह रहे हैं। आज यह टूट क्यों गयी वहां से? जिसको कह रहे हैं कि आप तुरन्त इसकी रिपेयर करवाइये। मंत्री महोदय यह तो एक अनहोनी घटना हुई। ऐसी बाढ़ आना असम्भव के समान था। जहां-जहां से टूटी है मेहरबानी करके वहां पर आप इसको पिलर्स पर लाइये ताकि इसका निकाल रहें क्योंकि यह बाढ़ तो अब और आयेगी। एक जबरदस्त क्लाइमेटिक चैन्जेज आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय। आज हम जुलाई के मिडिल में

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

आ गये हैं। बरसात आई नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, और आज से महीने भर पहले जबरदस्त बरसात आ गयी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि बनिस्पत इसके कि आपने रामपुरा मथानिया योजना बनादी आज वह 20 साल से चल रही है। जलस्तर 30 फुट से 700 फुट पर चला गया। फिर इमरजेन्सी आई तो आपने रणसी गांव की योजना बनादी। रणसी गांव की योजना जोधपुर में पानी सप्लाई कर रही है लेकिन वहां के गांव के लोग मंत्री महोदय रो रहे हैं। आज हालत यह हो रही है। देवीसिंह जी उस दिन बिराजमान थे आपके इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं मंत्री महोदय कि मेहरबानी करके आपके और इर्रिगेशन मिनिस्ट्री में एक तालमेल बनाइये। मेरा ठेठ से यह सोच है कि आज सबसे ज्यादा जो इम्पारटेन्ट बिन्दु, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जो आवश्यकता है वह है पेयजल की। जब तक आपने जितने भी डेम है बनिस्पत इसके कि आप कुए खोदें काश्तकारों को क्यों परेशान कर रहे हैं। जहां-जहां डेम्स हैं वहां पर आप प्रायोरिटी बनाइये जैसी आपने जवाई में बनाई। जवाई में आपने एक लेबल रख दिया कि इतने फिट के बाद इर्रिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा सिमिलरली आपके जितने भी डेम्स है बनिस्पत आप वहां कुएं खोदें एक लेबल तय कर लीजिए और वहां से आप पाइप लाइन लगाइये। वहां से आप उसको डिस्ट्रिब्यूट कीजिए और इर्रिगेशन वालों से कहिये कि जो इन्टेंसिव इर्रिगेशन हो रहा है, आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, उपाध्यक्ष महोदय। इर्रिगेशन वालों से कहिये कि जो क्रापिंग पैटर्न है कमाण्ड एरिया में। भले ही वह चम्बल में हो, भले ही वह इन्दिरा गांधी कैनाल में हो, भले ही वह जवाई बांध में हो जवाई बांध कमाण्ड एरिया है, माही है, इन सबमें उपाध्यक्ष महोदय, जितना भी हाई इन्टेन्सिटी क्रापिंग हो रहा है उसको बन्द कीजिए आप। आज इस देश को अनाज उपलब्ध है उपाध्यक्ष महोदय। कोई जरूरी नहीं है कि हम गेहूं उगाने के लिए पंजाब से कम्पीट करें। अगर पंजाब गेहूं ज्यादा उगा रहा है और अगर हम रायड़े की फसल ज्यादा उगायें जिसमें पानी कम लगता है और आपकी जनता के पास अगर खरीदने के लिये पैसा होगा और वह पैसा सरकार के पास आयेगा तो आप अपना गेहूं बाहर ले जा सकते हैं। आज रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में, इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया में मंत्री महोदय 200 परसेन्ट इन्टेन्सिटी फर्स्ट चीज में चल रही है। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहां पर क्रापिंग पेटर्न चेन्ज करदें तो आप 80 परसेन्ट, 70 परसेन्ट इन्टेन्सिटी से काम चला सकते हैं। अगर 70 परसेन्ट 80 परसेन्ट इन्टेन्सिटी से काम चल जाये तो वह जो पानी बचेगा उसको आप पेयजल

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

में लगाइये। उसको आप इण्डस्ट्रीज में लगाइये। आपकी जो भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उसमें काम में लीजिए। मैं तो वहां से यहां तक आता हूं मंत्री महोदय, कि आपका जितना पानी का वेस्टेज हो रहा है–एक छोटी-सी चीज लीजिए। आप कहेंगे कि कहां से आप इस पर आ गये। जैसे आपकी टाइलेट्स है, टाइलेट्स में टैक्स हैं। आप पेशाब करने पधारते हैं तो चार या पांच लीटर पानी खर्च होता है। आपके पास इतने वैज्ञानिक हैं। आप एल.एस.जी. मिनिस्टर भी हैं। कम्पलसरी कर दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ दो लीटर की टंकी लगेगी। कम्पलसरी कर दीजिए कि सिर्फ 1॥ लीटर की टंकी लगेगी। आप कहेंगे कि वह मेनुफैक्चर होने में टाइम लगेगा। आप सुझाव दे दीजिए जनता को कि उस टंकी में आप एक या दो ईंट रख दीजिए। ईंट रखने से वह पानी उतना ही भरियेगा जितनी कि रिक्वायरमेंट हो। छोटा-सा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह : यह करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, यह करना पड़ेगा। आप जितनी बार यूरीनेट करने पधारेंगे आप एफोर्ड नहीं कर सकते 5 लीटर पानी खर्च करना। इसलिए मैं आपको वापिस डेम की तरफ लाता हूं। आप ईरिगेशन मिनिस्टर के पास बैठिये। आपके मुख्य मंत्रीजी मैं तो वह नहीं है। आप बैठिये। मुझे आपसे आशा है। अरूणसिंह जी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं आपको देता हूं आप बैठिये और पानी को बचाइये, उपाध्यक्ष महोदय। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मंत्री जी को यह सोचना पड़ेगा कि आप यह भी चाहते हैं कि टूरिज्म इन्डस्ट्री हो। आपका जो प्लानिंग कन्सेप्शन होना चाहिए, माफ करना को-आर्डिनेशन नहीं है। आपके पास मेन्टीनेंस नहीं है। आप नये काम बहुत करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको नहीं कहता हूं, हमारे टाइम में भी पाइप घोटालों की बहुत बातें हुई हैं। मतलब करप्शन पर तो एक दिन हम डिबेट करेंगे। मैं डाइग्रेस नहीं होना चाहता हूं। लेकिन आप एल. एस.जी. मंत्री के तहत टूरिज्म मंत्री महोदया के साथ बैठिये, एक को- आर्डिनेटिंग मीटिंग बुलाइये। आज पुष्कर...।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : तीन चार मीटिंग हो चुकी हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मीटिंग तो होगी लेकिन जब तक आप नेता नहीं बदलोगे तो यह मीटिंग तक ही रह जायेगी उनमें परिवर्तन लाइये, उनको एजूकेटेड करिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : केसर क्यारी को हम दोनों ने मिलकर कम्पलीट कर दिया। आप हाथीग्राम करने वाले हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको बधाई देता हूं, मेरी जानकारी में नहीं होगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप तो अपना नेता नहीं बदल पाये इसलिए पार्टी बदल ली। (व्यवधान)।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने तो गजब कर दिया कल। थोड़ी हिम्मत रखकर वह लाते तो सही कल। 306 के के तहत, 274 हटा देते और बगैर नोटिस के युद्ध होने देते, आप भी बोलते और मैं भी बोलता तो सामने इतनी चीजें उजागर होती कि आप याद रखते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने तो स्थगित करा लिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव मेरी कांस्टीट्यूएंसी के तहत नजर की है, पटल पर रखे हैं, उसमें तो मंत्री महोदय, आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अन्त में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, मेहरबानी करके एम.एल.एज. को आप लाइटली न लें। अगर एम.एल.एज. राजनीतिकरण के कारण आपको कोई पर्सनल चिट्ठी लिखें, नार्मली तो एम.एल.एज. लिखेंगे नहीं, नार्मली मैं तो यह कहता हूं कि किसी मंत्री को जनता के कार्यों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। आप नहीं लाते, आप पर मेरा आरोप नहीं है। लेकिन holier than thou भी आपके कर्मचारी होते हैं वह सोचते हैं कि यह भाटी तो मुख्य मंत्रीजी से भिड़ रहा है, इसको इसकी कांस्टीट्यूएंसी में झटका दो। अब इसको कांस्टीट्यूंसी में झटका दो तो सफर कौन करेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो करूंगा नहीं, कांस्टीट्यूएंसी की जनता करेगी। मैंने जो लिस्ट दी है, उपाध्यक्ष महोदय, माफ करना, मैं आरोप लगाता हूं सरकार पर, ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि टंकी बन गयी, ट्यूबवैल खुद गये, ढाई साल मेरे पूर्व का काल और ढाई साल ये, 21 से 25 स्थान ऐसे हैं जहां टंकी और ट्यूबवैल के बीच में पाइप नहीं लगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक दो स्थानों के नाम तो बताओ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नाम दे दिये मैंने। रिडमलसर है, मथोड़ा है...

श्री राजेन्द्र गहलोत : बन गये वहां।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं कह क्या रहा हूं, रिडमलसर तो डूब भी गया आपको यह पता है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि मेहरबानी करके इनके जो इंजीनियर्स हैं उनको यह कह दीजिये कि एक तो अपने-अपने स्थान छोड़े नहीं। जो जहां अपाइंट हो वहां रहें। जहां ट्यूबवैल खुद गये, बिजली का कनेक्शन हो गया है लेकिन वहां पर पम्प नहीं है।

(220)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

इसलिए अन्त में मैंने जो सुझाव दिये, आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं राजस्थान के हित में चाहता हूं। मेरे और मुख्य मंत्रीजी के विचारों में भले ही मतभेद हो सकता है लेकिन राजस्थान के हितों में हम दोनों एक हैं। मैं सोचता हूं वह मेरे से ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं यह तो अलग बात है। आपने समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्त्वपूर्ण मांग पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय ने 8 अरब 92 करोड़ रुपये की मांग की है। वह इस सदन से यदि 8 अरब की जगह 9 अरब की भी मांग करते तो यह सदन निःसंकोच उन्हें 9 अरब स्वीकार करता। कारण उसका यह है कि मानव के लिए वायु के बाद में जल से अधिक कोई महत्त्वपूर्ण चीज नहीं है। कहते आये हैं कि–"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सून। पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार हर वर्ष इतनी ही रकम खर्च करती चली आ रही है और यदि हम देखें कि इन्होंने पिछली सालों में कितनी धनराशि खर्च की है, तो गत वर्ष में एक अरब 99 करोड़, उसके पहले 2 अरब, 66 करोड़, उसके पिछली साल में दो अरब, 45 करोड़। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि प्रतिवर्ष अरबों रुपये खर्च करते चले आ रहे हैं। सरकार के आंकड़ें भी यह बताते हैं कि राजस्थान के अन्दर 222 जो कस्बे हैं उन सबमें इन्होंने जल प्रदाय योजना कर रखी है और 37889 गांवों में से 37183 गांव पेयजल योजना से जोड़ दिये हैं। यह तो सरकार की कहने की भौतिक उपलब्धि। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पेयजल के सम्बन्ध में वास्तव में स्थिति क्या है। इसका इन्होंने एक बार 1.4.94 को सर्वे किया और उस सर्वे में आप स्वयं ने यह कहा है कि राजस्थान में 37889 गांवों में से 18942 गांव आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। 1.4.94 का सर्वे बताता है, और 16560 ग्रामों में 1.5 पी. पी. एम. से अधिक फ्लोराइड है और 14415 गांवों में 15 सौ पी. पी. एम. से अधिक खारा पानी नहीं है। यह मैंने आपको निवेदन किया कि इतने गांवों के अन्दर इतना रुपया खर्च करने के बाद भी पानी का नितान्त अभाव है। मतलब ६० पर्सेन्ट गांवों के अन्दर आज भी पानी का नितान्त अभाव है। मैं इसके लिए सरकार को या मंत्रीजी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन स्थिति यह है कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही है उसके

(श्री हरिसिंह)

हिसाब से अगर यही स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान में न शुद्ध वायु मिल पायेगी और न शुद्ध जल मिल पायेगा। अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत तारीफ हो रही है मंत्रीजी की, मैं भी कहने में कोई संकोच नहीं करता। लेकिन राजस्थान के अन्दर हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस साल जो गर्मी गयी है उसमें हालत बहुत नाजुक हो गयी है। मैं कोई अखबारों को पढ़ना नहीं चाहता लेकिन अगर उस समय के अखबार देखें तो यह मालूम पड़ेगा कि हालत त्राहि-त्राहि बन चुकी थी और राजस्थान के बहुत से कस्बों के अन्दर पानी नहीं मिलने से मची त्राहि-त्राहि, यह जोधपुर की खबर है।

(18.18)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष पदासीन)

"कोटा संभाग में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि", यह कोटा की खबर है। एक्यूट वाटर क्राइसिस इन राजस्थान। अलवर शहर में पेयजल का गम्भीर संकट, पीने के पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मची। यह खबर है अलवर शहर की। दौसा गर्मियों के साथ ही पेयजल संकट। यह त्रस्त क्यों था? मैं यह नहीं कहता कि आप अखबार की खबरों को सच मान लें लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि अलवर में या और शहरों के अन्दर पानी जैसी चीज बिक रही थी। जैसा मैंने कहा कि आपका या सरकार का दोष मैं नहीं मानता लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थीं, भौगोलिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जो जल के स्रोत थे वह सूख चुके थे, पानी की जो लाइनें थी, वह टूटकर के पानी नहीं पहुंच रहा था। इस परिस्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को करना क्या चाहिए, किस हिसाब से इस समस्या का समाधान हम कर सकें, हर जगह की हर जिले की अलग-अलग स्थिति है।

मैं अपने क्षेत्र का और भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे कुम्हेर क्षेत्र में हालत बहुत ही नाजुक रही। अभी कुंवर साहब चले गये। मेरे क्षेत्र में सिनसिनवार जाटों के गांव हैं और सिनसिनवारों के लिए यह श्राप मिला हुआ है कि जहां कहीं इनके ग्राम होते हैं वहां खारा पानी रहता है। तो यहां अधिकांश गांवों के अन्दर खारा पानी है। अभी वह कह रहे थे कि सिनसिनी के अन्दर टंकी टूट गयी। क्यों टूट गयी? वहां खारा पानी है, होते-होते खराब हो गयी और टूटकर गिर गयी। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, दूसरे आपके यह आंकड़े खुद कहते हैं, यह फिगर जो कहते हैं कि आपने 37 हजार जो गांव लाभान्वित किये हैं, उनमें से 23173 गांव आपने हैण्डपम्पों से लाभान्वित किये हैं,

(श्री हरिसिंह)

करीब एक लाख 21 हजार हैण्ड पम्प, अब मैं अपने क्षेत्र की बात निवेदन कर रहा हूं, जितने भी हमारे यहां हैण्ड पम्प हैं, उनमें से 60 से 70 प्रतिशत तक हैण्ड पम्प हर साल खराब हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आपने एजेंसी बनायी हुई है, उनमें बड़ा कन्फ्यूजन है। कभी तो आप मिस्त्री से ठीक कराते हैं और कभी आप अपने महकमे से ठीक कराते हैं। आपके महकमे वाले से कहते हैं तो वे कहते हैं कि मिस्त्री से ठीक कराओ और पंचायत समिति के मिस्त्री से बात करते हैं वह कहते हैं कि महकमें से ठीक करायेंगे, महकमे वाले जब अभियान चलायेंगे तब ठीक करवायेंगे तो उस हिसाब से मेरे क्षेत्र में तो कम से 60 प्रतिशत से अधिक हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और उनमें पानी नहीं मिल रहा है।

हमारे यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत, आपने जो पेयजल की क्षेत्रीय योजना बनाई वह काफी लम्बी बनायी। ठीक है, चुरु के अन्दर लम्बी योजना बन सकती है, वहां पानी का...

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने बताया कि यह जो हैण्ड पम्प खराब है या वे नाकारा हो गये हैं। कुछ तो वे होते हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई चीज छोटी-मोटी खराबी होने से खराब हो जाते हैं और एक वे बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, जो नाकारा हो गये हैं, अबंडंड हो गये हैं उन्हें तो सरकार रिप्लेस करने की योजना बनाकर चल रही है। वह तो आप रिप्लेस कर ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा जो खराब हो जाते हैं उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वही हैण्ड पम्प जिसको मिस्त्री 10 दिन पहले ठीक करता है, महीने भर बाद फिर खराब हो जाता है तो ऐसे 60-70 प्रतिशत हैण्ड पम्प हैं जिन्हें स्थायी समाधान के लिए, ठीक करने के लिए आपकी एजेन्सी अभी काम करने नहीं लगी है। न तो आपका विभाग ही काम करता है न हैण्ड पम्प ठीक काम कर रहे हैं तो हमारे यहां पर ज्यादातर, जैसे बताया कि राजस्थान के अन्दर 31 जिलों में एक लाख इक्कीस हजार हैण्ड पम्प हैं और 37183 गांवों में से 23171 गांव हैण्ड पम्प से लाभान्वित हैं तो हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में मैंने आपको समस्या बताई। क्षेत्रीय जल योजना 8673 गांवों में है और इसमें से मेरे क्षेत्र के बारे में आपसे अर्ज कर सकता हूं कि अधिकांश गांवों के अन्दर समस्या यह आती है कि गांव में जो स्त्रोत हैं, उसमें से 5-6 गांवों को होकर क्षेत्रीय योजना जा रही है और एक गांव वाला दूसरे गांव को पानी नहीं जाने देता। जिस गांव से पानी जा रहा है उसको तोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां पानी पर्याप्त पहुंचता नहीं हैं इसलिए हम पानी आगे नहीं जाने देंगे। उसको कोई प्रेस नहीं कर

(श्री हरिसिंह)

सकता। पुलिस में रिपोर्ट करा दें इस बात की कि पानी जाने दीजिये लेकिन न तो सरकार इनको ज्यादा फोर्स कर सकती है और न कोई कर सकता है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारे क्षेत्र में तो कम से कम बजाय इस प्रकार की लम्बी योजना बनाने के लिए आप ऐसी योजना बनायें, जनता जल योजना या हैण्ड पम्प टैंक स्कीम, वह आप काम करें। उसमें क्या दिक्कत आती है?

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जब राजस्थान की बात होगी कि एसई. लेवल पर एक पैसा भी खर्च करने की पावर्स नहीं दे रखी है आपने, जो भी स्कीम छोटी-मोटी बनती है। वह सब जयपुर मंजूर होने के लिए आती हैं और जयपुर आने में बहुत टाइम लग जाता है। एक गांव की भी स्कीम मंजूर होकर, ट्यूब वैल की स्कीम मंजूरी के लिए आयेगी, कई महीने लगेंगे तो कृपा करके आप ऐसा करें कि एसई. के लेवल तक आप कुछ पावर्स दें एक लाख रुपये खर्च करने की, दो लाख रुपये खर्च करने की, एक हैण्ड पम्प लगाने की, एक ट्यूब वैल लगाने की, कुछ तो आप उनको पावर्स दें जिससे कि समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

तीसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज भी हम गांव में जाते हैं तो गांव का हरिजन या हरिजन की औरत आकर कहती है, एम.एल.ए. साहब, मुझे पानी नहीं मिल रहा है इस गांव में, मैं प्यासी हूं। पानी, मैं या तो गांव में फेरी लगाकर ले सकूं, पानी मांगती फिरती है उसके लिए न तो किसी हैण्ड पम्प से पानी मिल रहा है न कोई कुआ पानी के लिए है, तो मैं सरकार से इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के हरिजन को पानी पीने के लिए आप अगर हैण्ड पम्प नहीं लगा सकते हैं तो एक कुआ जरूर बनवाइये। हमें याद है अच्छी प्रकार से, हमारे गांव के अन्दर हरिजनों का कुआ अलग से पहले था। अभी जैसे उस कुए पर सब चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि हरिजन के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अभी आप कह रहे हैं, अलग ही कुआ रखना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां बिलकुल, इसलिए रखना चाहते हैं कि सम्भव नहीं है कि उनको उस कुएँ से पानी भरने दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : क्यों सम्भव नहीं है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह समाज की परिस्थिति है। मैं तो चाहता हूं-

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप नहीं चाहते हैं कि (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो, मेरे घर में हरिजन को बुलाकर खाना खिलाता हूं। मैं तो हरिजन के यहां भोजन करता

(श्री हरिसिंह)

हूं। लेकिन गांव में स्थिति यह है कि आज उसके लिए आप जब तक अलग से प्रबन्ध नहीं करेंगे, हरिजन पानी मांगता फिरता रहता है। आप जाकर देख लीजिये, स्थिति यह है।

मेरा एक निवेदन यह है कि हमारी समस्या है कि गांव की प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। छोटी-छोटी बोतलें लेकर जाते हैं और उससे काम चला रहे हैं। आपने योजना बना दी क हर प्राइमरी स्कूल में हम हैण्ड पम्प लगवायेंगे लेकिन हैण्ड पम्प जहां लगवायेंगे, हमारे गांव में पानी खारा है। हैण्ड पम्प खारा निकलता है, उसमें पानी मिलता नहीं है और दूसरे गांवों से अभी तक योजना हमारे यहां पर है नहीं और कुंवर साहब ठीक कह रहे थे कि बाहर की तमाम योजनाएं समाप्त हो गयीं तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आप कम से कम इतना तो एश्योर कर लें कि हर प्राइमरी स्कूल पर पीने के मीठे पानी के लिए कोई स्रोत हो और यह एश्योर आप वहां मानकर कर लें। अब तो आपने कर लिया, सब जगह लग गये लेकिन इसके लिए एंश्योर करें सरकार की तरफ से कि वहां के सरपंच का या वहां के हैड मास्टर का इस बात का आप सर्टिफिकेट ले लें कि हमारे यहां स्कूल के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध है। फिर आपको पता चल जायेगा छह माह में कि कितने स्कूल में पानी है और कितने में नहीं है। आप देख लीजिये, यह प्रेक्टिकल बात है। आप आगे कर सकें उसको आगे कर दीजिये।

एक निवेदन मैं आपसे कर रहा था, हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की नहीं कहता, हो सकता है, हमारे यहां पर पहले सिस्टम यह था कि पोखरें थी ओर उन पोखरों के किनारे कुए भी थे और उन कुओं में पानी मिलता था। अब पोखरें निपट गयीं, कुए सूख गये, बाहर से पाइप का पानी आता नहीं है इसलिए आप अपने विभाग से या किसी विभाग से उन पोखरों को खुदवाकर कुए के अन्दर सफाई करा दीजिये। आप गांव के अन्दर बड़े-बड़े कुए हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं हो रही है। हम आपके पी.एच.ई.डी. के मिस्त्री को कहते हैं कि काम का है। गांव वाले कहते हैं कि इसके अन्दर इतना पानी है कि अगर आप इसकी सफाई करा देंगे तो उसमें से पूरे गांव को पानी मिल जायेगा पीने का, लेकिन सफाई करने के लिए आपके महकमे को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे यहां तो इसका कोई पैसा नहीं है, हम यह काम करा ही नहीं सकते। आप लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे कुओं के लिए, गांव में सफाई करने के लिए कुछ व्यवस्था करें, कुछ पैसा इसके लिए अलॉट करें।

इसके बाद, मैं आपसे अलग बात कहना चाह रहा था, अब सवाल यह आता

(श्री हरिसिंह)

है, जैसा अरुण सिंह साहब ने कहा कि आप भरतपुर से प्रसन्न भी हैं और नाराज भी हैं, दोनों बात हैं। नाराजगी आपकी शायद हो सकती है, हमने आपको कई बार निवेदन किया है कि हमारे यहां पर अगर बाहर से कहीं से पानी आ सकता है, स्रोत हो सकता है तो वह यमुना जल हो सकता है और आपका यू.पी. सरकार से समझौता भी हो गया है। तीन क्यूसेकल पानी आने का समझौता हो गया है, कुछ पैसा भी आपने जहां तक मुझे पता है, भर दिया है और उस स्कीम का उद्घाटन भी आपके पीएचईडी. मंत्री उस समय अशोक गहलोत थे, डीग में आकर उसका उद्घाटन भी कर आये थे, पत्थर भी अब तक उसका लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी वह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है। तीन क्यूसेक्स पानी की स्कीम है, उसकी आप यू.पी. से मंजूरी करा लेंगे तो हमारे भरतपुर के लिए भी और कुम्हेर के लिए भी उससे पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा आप 800 करोड़ रुपये जर्मन से, यहां से, वहां से सब खर्च कर रहे हैं और अगर आप उसको चम्बल योजना के लिए क्रियान्वित कर देते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के पास में गयी हुई है, उसको आप मंजूर कर देते हैं उससे भरतपुर का, धौलपुर का और हो सकता है पास के और क्षेत्रों का भी पेयजल संकट मिट सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पेयजल को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार बनने के बाद पहला बजट हमने शिक्षा को समर्पित किया। दूसरा बजट स्वास्थ्य और चिकित्सा को समर्पित किया और इस वर्ष का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल की समस्याओं को समर्पित किया है। इस वर्ष 754 करोड़ 12 लाख रुपये पेयजल की समस्याओं के समाधान हेतु खर्च करने का निर्णय लिया गया है। आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो मार्च, 1996 तक 37889 गांवों में से 37274 गांवों को पेयजल की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने प्रदेश की 45311 ढाणियों में से 33063 ढाणियों को विभिन्न पेयजल की योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया है। इस वर्ष 4500 गांव व बस्तियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और आगामी वर्ष में 5000 गांवों व बस्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

वर्ष 95-96 के दौरान 4554 ग्रामों व बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है और वर्ष 96-97 के दौरान मई, 96 तक 741 ढ़ाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। जिन प्राथमिक स्कूलों में 100 मीटर की परिधि में पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं उनमें चरणबद्ध रूप से पेयजल उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की योजना है। इसमें लगभग दस हजार स्कूल लाभान्वित होंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि राज्य सरकार ने पिछले तीन महीने में इनमें से आठ हजार स्कूलों में हैण्ड पम्प लगाने की योजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान कर दी। वर्तमान मापदण्डों के अनुसार 1991 की जनसंख्या के आधार पर पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पाइप पेयजल योजना स्वीकृत होती है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष चार हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव में पाइप पेयजल योजना का प्रस्ताव है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस योजना से प्रदेश के 400 गांव लाभान्वित होंगे। अभी तक पम्प और टैंक योजना 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए स्वीकृत की जाती थी परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय जलदाय मंत्रीजी को कि इस वर्ष उनकी योजना है कि 1500 की आबादी वाले गांवों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। पेयजल की अधिक आपूर्ति के लिए एक लाख से कम जनसंख्या वाले 35 कस्बों में पुनर्गठित योजना का सुदृढ़ीकरण करने का भी प्रस्ताव इस बार बजट में रखा गया है। आपको यह जानकार खुशी होगी कि उन 35 कस्बों में से_

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक लाख का नगर होता है या कस्बा होता है, क्या बोल रहे हो आप।

श्री कालीचरण सराफ : कस्बा। एक लाख से कम की बता रहा हूं मैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन तीन महीनों में 13 कस्बों की योजनाएं स्वीकृत भी हो गई। एक कीर्तिमान और, अबकी बार राज्य सरकार ने स्थापित किया है कि जो राजस्थान में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं और जिनमें से जो खराब हैण्ड पम्प थे, इस बार एक विशेष अभियान चलाकर उनमें से 51 हजार हैण्ड पम्प को ठीक करवाने का काम राज्य सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर से विधायक चुनकर आया हूं। जयपुर शहर में पानी का कोई प्रमुख स्रोत न होने के बावजूद भी, यहां कोई पानी की मुकम्मल व्यवस्था न होने के बावजूद भी इस वर्ष जलदाय विभाग ने भागीरथ प्रयास किये और इस बार की गर्मी में पिछले साल की तुलना में जिस प्रकार पेयजल की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार ने की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्तमान में जयपुर शहर की जनसंख्या 17 लाख के

(श्री कालीचरण सराफ)

लगभग है। वर्तमान में जयपुर शहर में 691 ट्यूब वैल कार्यरत हैं। इनके माध्यम से 2300 लाख लीटर पानी प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। रामगढ़ झील से वर्तमान में 360 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। जयपुर शहर में वर्तमान में लगभग 152 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। जयपुर शहर में 1546 हैण्ड पम्प और 1250 सार्वजनिक नल लगे हुए हैं। यह बात भी सही है कि जयपुर में मूलभूत सुविधा समुचित मात्रा में निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से पेयजल योजना पर लगातार सुधार के कार्य किये जा रहे हैं। शहर के विभिन्न भागों में कई सालों से मांग चलती आ रही थी कि जो तीन इंच से कम व्यास की पाइप लाइन है, जो लीकेज हो गई हैं, उनको चेंज किया जाय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि इस वर्ष...

श्री परसादीलाल मीणा : क्या करेंगे इतने साधुवाद का यह, वजन बढ़ जायेगा। कमजोर आदमी हैं यह।

श्री कालीचरण सराफ : आप चिंता मत करो। इस वर्ष 36 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन, जो दो इंच और एक इंच की थी, उसकी जगह तीन इंच की पाइप लाइन राज्य सरकार ने जयपुर में डलवायी है।

श्री परसराम मदेरणा : साधुवाद तो मैं भी अर्पित करने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद में, लेकिन माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे, अभी आप कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने गर्मियों के मौसम मे युद्ध-स्तर पर काम किया, क्या यह सेड कमेंटरी नहीं है कि हर गर्मी के मौसम में, समर सीजन में कन्टीजेंसी प्लान बनाना पड़ता है, हैण्ड पम्प्स को रिपेयर करना पड़ता है, टैंकर्स को लगाना पड़ता है। आज मैं चार साल से लगातार देख रहा हूं, जब से माननीय मंत्रीजी पधारे हैं क्योंकि यह उत्तर में अपनी बात कहेंगे, यह कन्टीजेंसी प्लान ईयर आफ्टर ईयर, इसका मतलब है कि आल ओवर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, आल द फोर केटेगरी, सुचारू रूप से इसका संचालन नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : युगों-युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। जब से आप इधर बिराजते थे तब से यह डिपार्टमेंट कन्टीजेंसी डिपार्टमेंट बनकर ही रह गया है। तब से ही चल रही है परिपाटी, चार वर्ष से नहीं। चालीस वर्ष से चल रहा है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : "नीड़ मनोहर कृत्यों का यह कर्मभूमि रंगस्थल है, परम्परा लग रही यहां ठहरा जिसमें जितना बल है।"

श्री कालीचरण सराफ : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा कि हर साल कन्टीजेंसी प्लान की आवश्यकता क्यों

(श्री कालीचरण सराफ)

होती है, यह आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रदेश में पिछले चालीस साल से कांग्रेस का राज रहा और राजनीतिक कारणों से जयपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप कर लो।

श्री कालीचरण सराफ : यदि बीसलपुर योजना से कांग्रेस की सरकार में जयपुर को जोड़ दिया जाता तो आज जो स्थिति हमें देखनी पड़ रही है और हर साल जो हमें कन्टीजेंसी प्लान लागू करना पड़ता है वह हमें नहीं करना पड़ता।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बीसलपुर से अजमेर को ही नहीं मिल रहा पानी, आपको कहां से मिलेगा?

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस की सरकार ने यह कहा था कि 1990 तक हम अजमेर को पानी दे देंगे और उसके बाद दूसरे चरण में 95 तक जयपुर को पानी दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : है ही नहीं पानी।

श्री कालीचरण सराफ : परन्तु कोई प्रयास नहीं हुए। तो मैं यह कह रहा था कि मैं इस बार शहर में 36 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन को चेंज किया गया। 25 पुराने ट्यूब वैल जो अवेन्डेड हो गये थे उनकी जगह 20 नये ट्यूब वैल बनाये गये। पांच नये ट्यूब वैल पर अभी काम चल रहा है। शास्त्री नगर क्षेत्र में 10 नये ट्यूब वैल बनाकर 36 लाख लीटर पेयजल की वृद्धि की गयी जिसमें शास्त्री नगर, नाहरी का नाका, हाऊसिंग बोर्ड कच्ची बस्ती की पेयजल समस्या का समाधान हुआ है। जवाहर नगर टीला कच्ची बस्ती जहां लगभग बीस हजार लोग रहते हैं, कई सालों से मेरी मांग थी कि वहां पानी की सप्लाई की जाय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार 30 लाख की योजना बनाकर जवाहर नगर कच्ची बस्ती में 3 नये ट्यूब वैल खोद कर पाइप लाइन से वहां के निवासियों को पानी देने की जो योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है, जिस पर काम भी चालू हो गया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार नाहरी का नाका कच्ची बस्ती में 2 नये ट्यूब वैल खोदकर जो काम चालू किया गया है उसका भी काम प्रगति पर है। मालवीय नगर पौधशाला कच्ची बस्ती में दो नये ट्यूब वैल खोदकर वहां पर जो काम चालू किया गया, वह भी प्रगति पर है। मालवीय नगर के सेक्टर नम्बर 9 व बरकत नगर में 2 नये जलाशयों एवं 2 स्वच्छ जलाशयों का निर्माण कर दिया गया है और पाइप लाइनों से उनको जोड़ दिया गया है जिससे वहां के पानी की समस्या का भी समाधान हुआ है। गत वर्ष शहर में 175 हैण्ड पम्प जो अवेन्डेड

(श्री कालीचरण सराफ)

थे उनकी जगह 163 नये हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं और 12 का काम प्रगति पर है। इसके लिए भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब प्रयासों के बाद भी जयपुर शहर की पानी की समस्या का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है और आज जिस प्रकार की योजना है_

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह सब होने के बाद?

श्री कालीचरण सराफ : और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है जयपुर की जनता को, कि 2011 तक हम बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी सप्लाई करने में सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, आज 691 ट्यूब वैल के आधार पर हम जयपुर को पानी की सप्लाई कर रहे हैं परन्तु जिस गति से आज जल-स्तर ट्यूब वैल का घटता जा रहा है, लगभग 40 फीट पानी इन तीन-चार सालों में नीचे चला गया है और यही गति यदि रही तो यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दो-तीन साल तक तो हम ट्यूब वैल के माध्यम से और रामगढ़ के बन्धे से जयपुर को पानी की सप्लाई समुचित रूप से कर सकेंगे_और आप बीसलपुर से पानी लायेंगे 2011 में। तीन साल में यह पानी खत्म हो जायेगा। आज हुआ है 1996, 2000 से 2011 तक जयपुर की जनता को पानी की सप्लाई किस प्रकार से करेंगे? मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर समस्या जयपुर के लोगों के सामने हैं और आज यदि यह अण्डर ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, ये जितने 691 ट्यूब वैल्स आपने खोद रखे हैं वो सूख गये तो जयपुर शहर में पानी की बड़ी जबरदस्त त्राहि-त्राहि मच जायेगी, पानी के लिये युद्ध होगा। आपने कभी सुना नहीं होगा। पर पानी के लिये यहां पर लोग आपस में लड़ेंगे-झगड़ेंगे; इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी विश्व में एक बड़ा पर्यटक स्थल है। आज यहां की जनसंख्या 17 लाख 2011 तक 42 लाख हो जायेगी। जयपुर की पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिये जिस गति से अभी काम चल रहा है वो बहुत धीमा चल रहा है।

अभी कहा गया कि बीसलपुर योजना को विश्व बैंक ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी। पिछली बार भी हमने पूछा था तो यही जवाब मिला था कि विश्व बैंक ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी। उससे पिछली बार पूछा तो कहा कि विश्व बैंक से वार्ता चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें यह मतलब नहीं है कि आप बीसलपुर से पानी देते हैं ईसरदा बांध से देते हैं, कि चम्बल से लाते हैं परन्तु जयपुर शहर की पेयजल की समस्या के स्थायी

(श्री कालीचरण सराफ)

समाधान के लिए यह आवश्यक है कि केवल यहां के अण्डर ग्राउंड वाटर का दोहन करने से जयपुर शहर की पेयजल समस्या को आप एक दो साल के लिए टाल सकते हैं, परन्तु स्थायी समाधान जयपुर शहर का तभी होगा जब यहां बाहर से पानी लाने की व्यवस्था तीव्र गति से की जाये।

• **श्री अध्यक्ष** : माननीय थोड़ा संक्षिप्त करने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो-तीन बात और हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अब शहरी क्षेत्र में आ गये, परन्तु वहां पानी के सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है जैसे खानियां, पालीमीणा, खोनागोरान, घाटीकरोलान, झालाणा गांव और सवाई गेटोर। ये बहुत पुराने गांव हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने क्षेत्रों के नाम बताये इनकी पेयजल योजनाएं बनायी जायं और मुझे जानकारी मिली है कि इनमें से कई गांवों की योजनाएं बन भी गयी हैं।

परन्तु अभी उनकी स्वीकृति नहीं हुई है तो ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां कहीं पांच हजार लोग रहते हैं, कहीं 7 हजार लोग रहते हैं इनकी निश्चित रूप से योजना बनायी जानी चाहिये और वहां पेयजल उपलब्ध हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में पी.एच.ई.डी. जो पानी सप्लाई करता है वो केवल जयपुर की 50 प्रतिशत जनसंख्या को करता है। आज जयपुर शहर की जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं चाहे वो शूकरखाना कच्ची बस्ती हो, चाहे वेदपुरी हो, चाहे गोरधनपुरी हो, चाहे जवाहरनगर कच्ची बस्ती हो, कटपुतली नगर कच्ची बस्ती हो, नाहरी का नाका की, जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं जिनमें लगभग दो-ढाई लाख लोग रहते हैं जयपुर शहर के उनमें पानी के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर भी नागरिक रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जिनको सार्वजनिक नलों से पानी भरना पड़ता है वहां पर पाइप लाइन स्वीकृत की जायं, पेयजल की योजनायं बनायी जायं और उनको भी पानी दिया जाये। इसी प्रकार से जयपुर शहर में लगभग चार लाख लोग कृषि भूमि पर मकान बना करके रह रहे हैं। गृह निर्माण सोसाइटीज ने जो कालोनीज डवलप की हैं उनमें भी वो अपने व्यक्तिगत सोर्सेज से पानी की सप्लाई ले रहे हैं। आज किसी कालोनी में कोई कुआ है तो उससे पाइप लाइन लेकर के वो अपना व्यक्तिगत कन्ट्रिब्यूशन करके

(श्री कालीचरण सराफ)

पानी ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि वो चार लाख भी जयपुर के नागरिक हैं उन कालोनीज में भी पेयजल की योजनायें बनायी जायं और उनको पानी किस प्रकार से सप्लाई हो इस बात की व्यवस्था की जाये।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में पानी के मुकम्मल वितरण की व्यवस्था होने के बाद भी कुछ बड़े लोग हैं जो बूस्टर लगाकर सारा पानी खींच लेते हैं और पानी का अच्छा दबाव होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसमें उस दौरान यदि बिजली बन्द कर दी जाये...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : यदि उस समय बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाये तो बूस्टर नहीं चलेंगे और बूस्टर नहीं चलेंगे तो सबको बराबर पानी का वितरण होगा।

एक मेरे क्षेत्र की समस्या और है कि जयपुर शहर में लगभग दो लाख लोग जवाहारात की मजदूरी करते हैं। अब जहां घाट का काम होता है, प्रसाण का काम होता है वहां एक कटोरी पूरे दिन में पानी काम आता है परन्तु पी.एच.ई.डी. क्या करता है कि जहां कोई मशीन लगा रखी है, घाट का काम हो रहा है वहां कामर्शियल चार्जेज है। तीन गुना चार्जेज वो उनसे लेते हैं जबकि केवल एक कटोरी पानी में काम आता है पूरे एक दिन में तो मैं यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि छोटी-छोटी जिन्होंने मशीनें लगा रखी हैं उन पर कामर्शियल चार्जेज नहीं लगाया जाये। एक बात और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जो चार खंड हैं वाटर वर्क्स के हिसाब से दो प्रोडक्शन के, दो रेवेन्यू के। परियोजनाएं कई और बन रही हैं मानसरोवर बन गयी, विद्याधर नगर बन गयी, सांगानेर भी जयपुर में सम्मिलित हो गया, आमेर भी सम्मिलित हो गया। इसलिए कम से कम सुचारू व्यवस्था के लिए प्रोडक्शन के जो दो खण्ड आपने बना रखे हैं उनको निश्चित रूप से तीन किया जाना चाहिये। एक खण्ड चारदीवारी के अन्दर का हो और दो खण्ड बाहर के...

श्री अध्यक्ष : कृपया, अब आप बिराज जायें।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार से मार्च, 1994 में...

श्री अध्यक्ष : अब आप माननीय मंत्रीजी रोज मिलते ही हैं, आप बात कर लेना।

श्री कालीचरण सराफ : जितना तकनीकी स्टाफ था उतना ही तकनीकी स्टाफ आज है। तीन साल हो गये। पापूलेशन बढ़ गयी इसलिए तकनीकी

(श्री कालीचरण सराफ)

स्टाफ भी जयपुर शहर में पी.एच.ई.डी. का बढ़ाया जाना चाहिये जिससे कि पूरी सुविधा लोगों को मिल सके। धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कंग साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग पूरी पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पूरी पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां राजस्थान में पानी की समस्या है, इसी तरह गंगानगर में भी पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है। नहरों में पानी नहीं आने की वजह से पानी डिग्गियों में पूरा स्टोर नहीं हो पाता। बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं होने की वजह से पानी आम गरीब तक पहुंचने में बड़ी समस्या आती है। इसी प्रकार जहां-जहां पानी डिग्गियों में पूरी तरह नहीं मिलता था वहां नल, हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं मगर गंगानगर के करणपुर क्षेत्र में जो कि पाकिस्तान के बार्डर के साथ है सारा पानी नीचे का, बहुत ही ज्यादा खराब है। सभी हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं। अतः उनको जो केमिकल एनालाइसिस पानी का किया गया है उसमें भी यह पाया गया है कि यह पानी पीने के योग्य नहीं है। मगर राजस्थान में एक तरह से यह कार्य ऐसा फैसला किया हुआ है कि जिस एरिया में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वहां किसी भी प्रकार की वाटर वर्क्स की स्कीम्स नहीं बनायी जाये तो इस राज्य सरकार के फैसले से करणपुर क्षेत्र का खासकर जो बार्डर का एरिया है वो स्वच्छ पानी पीने से बहुत समय से वंचित हो रहा है। इस प्रकार हमारे यहां जो गंगानगर में अगर कोई स्कीम बनायी भी जाती है तो पनघट स्कीम बनायी जाती है, गांव में पाइंट बना दिये जाते हैं और ऐसे सैकड़ों पाइंट पड़े हैं जिनमें आज तक भी पानी नहीं पहुंचा। यहां एक-दो बार डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई उसमें भी हमने यह निवेदन किया कि गंगानगर में जो स्कीम बनायी जाये उसमें सर्विस रिजरवायर होना काफी जरूरी है। इसके साथ-साथ क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति राजस्थान से एक अलग तरह की है बिजली की इतनी कमी रहती है कि गरीब आदमी सुबह उठकर खेतों में चले जाते हैं, रात

(श्री जगतार सिंह कंग)

को लेट आते हैं और जब बिजली रात को मिलती है तो पानी छोड़ दिया जाता है पनघट स्कीम्स में और पानी सारा बह जाता है मगर पीने के लिए गरीबों को पानी स्वच्छ नहीं मिलता।

इसके साथ-साथ खासकर जो हमारी हरिजन बस्तियां हैं उनमें एक या दो पाइंट दे दिये जाते हैं और जो आम गरीब आदमी हैं उनके पास पानी नहीं पहुंच पाता तो हमने यह सुझाव दिया था कि पहले हमारे गंगानगर में खासकर वाटर वर्क्स से लोगों को कनेक्शन देने की व्यवस्था करें। पता नहीं अब अगर हम रेवेन्यू की दृष्टि से भी देखें और लोगों के घरों के जिनके पास से पाइप लाइन जाती हैं उन्होंने कनेक्शन ले लिये हैं। कई जगह जेईएन. ने रोका, मुकदमेबाजी हुई और बात जब पंचायत में पहुंचती है या किसी भी ऐसे स्थान पर आती है तो यही कहा जाता है कि भाई पानी पीने के लिए लिया है इसलिए मुकदमा क्यों करवाते हो। ह्यूमेनिटेरियन ग्राउण्ड्स पर भी वह मुकदमा या यह बात सक्सैस नहीं हो पाती मगर कुल गंगानगर में हमारे हिसाब से 2 से 3, 4 लाख के बीच में अवैध कनेक्शन हैं। अगर राज्य सरकार कनेक्शन देने की अनुमति दे दे तो उनसे 20 रुपये पर कनेक्शन जो पर हाऊस चार्ज किया जाता है जिससे कि मैं समझता हूं कि 60-70 लाख रुपये रेवेन्यू का सरकार को मिलेगा। मगर इस स्कीम में पता नहीं इंट्रेस्ट सरकार का क्यों नहीं है क्योंकि ऐसे हमारी कई वाटर वर्क्स की स्कीम्स कम्पलीट पड़ी हुई है जिनमें न तो कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के बगैर वे स्कीम्स चालू नहीं हो पा रही है, लाखों रुपया लगा हुआ है तो मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह आश्वासन चाहता हूं कि एक तो गंगानगर में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के वाटर वर्क्स हैं उन सब में सर्विस रिजरवायर बनाने की व्यवस्था करें, लोगों को कनेक्शन देने की व्यवस्था करें ताकि रेवेन्यू भी आये और अपन उस ढंग से स्टाफ को भी और दूसरे खर्चों को भी मैनेज कर सकें। इसके साथ-साथ, मेरा यह भी निवेदन है कि जितनी भी हमारे बोर्डर एरिया की योजनाएं, उस एरिया में अभी बहुत समय से पेन्डिंग पड़ी आ रही हैं, किसी की स्वीकृति नहीं मिलती तथा उन योजनाओं को भारत सरकार एक तरफ हमें बहुत पैसा दे रही है, पेयजल को प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है और बोर्डर में इतना कैनाल सिस्टम होते हुए भी पानी की इतनी अव्यवस्था है, जब भी नहर हमारी 15 दिन के लिए बन्द हो जाती है तो गांवों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है तो हमारे जैसे मेरे पदमपुर शहर में, करणपुर शहर में जब हम बात करते हैं कि साहब, पानी नहीं पहुंच पाता तो वे कहते हैं कि आबादी बढ़ गयी है। पहले 4 इंच की पाइप लाइन थी, अब मेन लाइन 6 इंच की डालनी

(श्री जगतार सिंह कंग)

पड़ेगी। कहीं वे कहते हैं लाइन को बड़ा करना पड़ेगा तो कहीं वहां कोई पाइप देने की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी पैसा जमा करावे म्युनिसिपैलिटी के पास इतना फण्ड नहीं है। वे तो कर्मचारियों की पे बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और आश्वासन पड़ता हूं आपके माध्यम से कि हमारे जो शहरों में पानी की समस्या खासकर मेरे करणपुर में, पदमपुर में, गजसिंहपुर में और मेरे केसरीसिंहपुर में है उन समस्याओं के लिए पानी और पाइप की व्यवस्था करके हमें राहत दिलायी जाय। जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं।

"पानी रे पानी तेरा रंग कैसा या

पानी के विभाग तेरा ढंग कैसा,

दलाली में चला जाय ज्यादा पैसा

दिखने को सोना सा फिर भी है पीतल जैसा,

पानी के विभाग तेरा ढंग कैसा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में कर्तव्य भावना का भी कुछ स्थान है, प्रबल स्थान है। माननीय मंत्रीजी से मेरे भावनात्मक सम्बन्ध अच्छे हैं लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे बार-बार कह रहा है कि मैं कर्तव्यपरायण होकर भावना को थोड़ा-सा नीचे रखकर मेरी जनता की, मकराना के लोगों की समस्याओं के बारे में इस सदन को अवगत कराऊं। मैं समस्या और समाधान साथ-साथ ही कहता रहूंगा और संक्षिप्त रूप में भी बोलूंगा। मैं माननीय मंत्रीजी का व्यवहार हमारे किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में खराब हुए एक हैण्ड पम्प की तरह ही मानता हूं। अभी मैं थोड़े दिन पहले रास्ते से गुजर रहा था कि दो लड़के हैण्ड पम्प हिला रहे थे। मैंने कहा भाई, कुछ बूंदें गिर रही हैं, बेकार क्यों जाने देते हो? तो उन्होंने कहा कि यह बूंदें, मैंने कहा कब से हिला रहे हो, कुछ बूंदें गिर रही हैं, बेकार जा रही हैं, बरतन नहीं है क्या? बरतन कहां से लायें, ये बूंदें पानी की नहीं, हमारे पसीने की हैं, तो वे बूंदें पानी की नहीं थी उनके पसीने की थीं। वे आधा घण्टे से हिला रहे थे। वह हैण्ड पम्प खराब था। माननीय मंत्रीजी का व्यवहार भी ऐसा ही है। आओ, मिलो जैसे वह हैण्ड पम्प किसी को मना नहीं करता है, आओ, मिलो, हिलाओ और चले जाओ। मंत्री जी का व्यवहार भी ऐसा ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बता रहा हूं मंत्री जी जैसे किसी भी माननीय सदस्य को या जनता के किसी भी आदमी को मिलने में, बात करने में, शालीनता में, कभी मना नहीं करते, जिस तरह मैंने कहा

ी रूपाराम)

क हैण्ड पम्प जो हमारे रेगिस्तान में मेरे हने का मतलब मैं शायद मजाक में कह हा हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि जहां ण्ड पम्प की जरूरत नहीं हो वहां हैण्ड म्प नहीं लगवाये जाएं, न खुलाए जाएं, हां सम्मत नहीं होते हों, जहां उनका कुछ भाव नहीं हो, जहां स्थायी रूप से समस्या का समाधान नहीं करते हों उस जगह। यह मेरा सुझाव है। हैण्ड पम्प जनता के लिए खोदते हैं, उनकी पानी की समस्या खतम करने के लिए खोदते हैं, इतना हमारे पी.एच.ई.डी. विभाग का खर्चा होता है लेकिन हैण्ड पम्प खोदने वाली कम्पनियां करोड़पति हो गयीं और हैण्ड पम्प आज वैसे के वैसे पड़े हैं। जब लगातार इस तरह की वारदातें होती हैं, इस समस्या का बार-बार हम सामना करते हैं, सबको अच्छी तरह पता है कि किसी एरिया में जब हैण्ड पम्प कामयाब ही नहीं हो रहे हैं तो बार-बार क्यों खोदे जा रहे हैं? हमारे विभाग के, हां मैंने माननीय मंत्रीजी, बता दिया कि खराब हुए हैण्ड पम्प कुछ लोग हिलाते रहते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं आता, लोग आते हैं, हिलाकर चले जाते हैं। जो उनके शरीर में शक्ति होती है वह खत्म हो जाती है, तो शरीर में थोड़ी सी पानी की बूंदें थीं वह भी निकालकर बाहर आ जाती हैं। कुछ पास में खड़े लोग सोचते हैं कि यह पानी आ रहा है, नहीं पानी नहीं वह तो पसीने की बूंदें थीं। तो आज आपका व्यवहार भी उसी तरह मानता हूं। आपका मीठा व्यवहार है, किसी को मना नहीं करने वाला व्यवहार है, लेकिन मेरे हिसाब से केवल पानी के सम्बन्ध में मकराना के बारे में कह रहा हूं। आपने मुझे मकराना की जनता के लिए, अब तक, पानी के लिए मैं जानता हूं कि कुछ नहीं दिया, मकराना शहर के लिए। शायद कभी कांग्रेस के समय में एक बार पानी की योजना मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले कुचामन से आयी थी। मैंने अभी प्रश्न किया उसमें जवाब आया कि प्रति व्यक्ति को सौ लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता है लेकिन मकराना में अभी हम 18 लीटर पानी दे रहे हैं। वह 18 लीटर नहीं, 7-8 लीटर पानी प्रतिदिन दे रहे हैं। मकराना की जनता और 78 या 80 हजार आबादी वाला मकराना शहर पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है। 3-4 दफा मैंने सुन लिया कि सर्वे हो रहा है, अब 8 करोड़ मिलने वाले हैं, अब 9 करोड़ मिलने वाले हैं। ढाई-पौने तीन साल तो हो गये। क्या पता किस सरकार के राज में मिलेगा, किस पार्टी के राज में मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोगों के सामने जाते हैं तो अब तो यह आभास ही नहीं होता है कि मैं विधायक हूं, शर्म आती है। मैं भाग जाता हूं कि ढाई साल पहले कह रहे थे पानी आयेगा, अभी आयेगा, आने की संभावना है। आज सभी गांवों में हम जब यह पानी की जो योजना बनायी जा रही है। इसके बारे में

(श्री रूपाराम)

मेरा सुझाव है ये योजनाएं अल्पकालीन योजना हैं, दूरदर्शिता का पूरी तरह से अभाव होता है इन योजनाओं में। मैं राजस्थान की सभी योजनाओं की पानी के बारे में बात कर रहा हूं। पानी की जहां टंकी है वहां पानी नहीं, जहां नल लगे हुए हैं वहां टंकी नहीं, जहां कुआ खोद दिया वहां टंकी नहीं या पाइप नहीं। तो अगर इसमें दीर्घकालीन योजना होती या दूरदर्शिता का इसमें सम्मिलन होता।

(19.00)

या उसमें दूरदर्शिता का ज्ञान होता तो यह जो करोड़ों रुपये हमारे विभाग के खर्च किये जाते हैं वो बेकार नहीं जाते। मैं मकरांना क्षेत्र की बता रहा हूं, साल पहले माताबर में पानी की टंकी बनी कम से कम 10 लाख रुपये लग कर। उसमें बच्चे खेल रहे हैं। आज तक एक बूंद पानी की टंकी में नहीं आई, एक बूंद भी पानी नहीं आया। कम से कम 5-4 किलोमीटर तो पानी के लिये कोई पाइप ही नहीं है। तो वह कौन सी योजना के तहत मंजूर हुई, किसलिए हुआ, अब ये बातें महत्वपूर्ण है। विभाग का पैसा लगता है अभी जैसे 892 करोड़, और लगता रहेगा। लेकिन जब तक अधिकारी अपनी दूरदर्शिता से या जिम्मेदारी से किसी योजना को स्वरूप नहीं देंगे या क्रियान्वित करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये चर्चाएं अधूरी रहेंगी। पानी की योजना बनाते समय क्या केवल मनुष्य का ही ध्यान रखा जाता है। आज गांवों में पशुधन है। मैंने प्रश्न किया तो उसका जवाब केवल मनुष्य के लिए आया है। पशुधन को पानी नहीं चाहिए? पशु तो बहुत पानी पीते हैं और गांवों के लोगों के लिए, उनकी रोजी-रोटी के लिए पशुधन बहुत जरूरी है। तो जहां पानी की योजना बनायी जाए वहां पशुधन का भी ध्यान रखा जाए। आपके विभाग में जो सबसे ज्यादा कमी है या अव्यवस्था है, वो है आपके एईएन. या जेईएन. से नीचे जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके काम करने का बिल्कुल मानस है ही नहीं। उनमें अनुशासन नहीं है। अगर आप किसी की बदली कर दोगे या किसी को काम के लिये दबाओगे तो यूनियन बना लेंगे और नारेबाजी करेंगे। अगर उनको हटा दिया जाए, मैं समझता हूं कि जेईएन. से नीचे की सभी पोस्टें हटा भी दी जाएं तो आज गांव के लोग अपने आप में सक्षम हैं। यह बिजली और पानी दोनों की समस्या एक साथ आ रही है। लाइनमेन दोनों हैं न, वो पानी उलटा बन्द कर देंगे। गांव वाले मिलकर पानी खोलेंगे तो बन्द करेंगे। कहेंगे कि हमें या तो तुम पैसा दो, दारु पिलाओ, खाना खिलाओ। अगर उन लाइनमेनों को हटा दो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं, 40 पर्सेण्ट समस्या का

(श्री रूपाराम)

समाधान स्वतः ही हो जायेगा। वो लोग समस्या बढ़ा रहे हैं न कि समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक गांव चांडी में आज से 5 साल पहले, लाडपुरा गांव से पानी की योजना थी। दो साल पानी गया। पाइप डाल दिये। लाइनमेन 3-4 ऐसे आये कि गांव वालों ने उनको भी पटा लिया, लाडपुरा वालों ने कि चांडी में पानी मत दो। पौने तीन साल हुए उस गांव में एक बूंद पानी नहीं गया। शिकायतें करता रहा, विभाग में शिकायतें की, कलक्टर साहब से शिकायतें की, एसई. साहब से शिकायतें की। मैं अभी मौके पर गया लाडपुर तो मोटर चलाने वाला इनका कोई टेक्निकल कर्मचारी मिला। मैंने कहा कि तू चांडी में पानी क्यों नहीं दे रहा है जो यहां से 3 किलोमीटर है, पाइप डाला हुआ है? तो कहा कि साहब पानी कम है कुए में। तो मुझे वो पूछ रहा है कि आप कौन हो पूछने वाले। तो मैंने कहा कि मैं एमएलए. हूं। अच्छा एमएलए. साहब, मुझे ध्यान नहीं था। अरे भाई पानी तो नाड़ी भरी है, पास नाड़ी पड़ी है। टंकी थारी ओवरफुल हो मेली है। नाड़ी में नलो जावे है और तू कहे कि पानी कम है। तो यह व्यवस्था है। मैंने कलक्टर को कहा, अगर इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, सख्त से सख्त कार्यवाही करें उनके खिलाफ उनकी जिम्मेदारी ठहरायी जाए। योजना बनाते समय चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो अगर वो योजना फेल होती है तो चाहे रिटायर हो जाए, उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी ठहरायी जाए। जो सरकार का गलत पैसा लगा है, उसकी रिकवरी के लिये उस पर मुकदमा चलाया जाए। तब जाकर कोई सम्भावना बढ़ेगी वरना तो चल रही है, दे धूल में लट्ठ। कोई मने लागे कोनी इलाज हो बालो है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बीजपुरा गांव है। विभाग की तरफ से पानी की व्यवस्था है। ढाई साल पहले दो वर्गों में आपस में लड़ाई हो गयी। तो 25 घरों ने 7 घरों को पानी नहीं पीने दिया। मैंने कहा कि क्यों भाई? एक्सईएन. साहब से कहा कि एक्सईएन. जी देखना जाकर। तो एक्सईएन. गया तो गांव के लठ्ठ लेकर आ गये कि अन्दर आ गया तो टांगें तोड़ दूंगा। मैंने पूछा कि बंद करो इसको। उसमें क्या कमी हुई, अधिकारी ने क्या गलती की। जब कुएँ को वाटर वर्क्स के अधीन लेना था उसको तो उसने कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की। वो किसी की खातेदारी की जमीन में कुआँ है, उस पर ही मोटर लगा दी हमारे विभाग ने, बिजली लगा दी, चल रहा है, पानी आ रहा है और वो पानी से अपना कुए का काम कर रहा है। अपनी मनमर्जी वाले-जो घर हैं उनको दे रहा है। मैं ढाई साल से लिखता रहा। इस मामले में एक-दो छोटे कर्मचारी सस्पेंड भी हो गये। कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैंने कहा कि मैं धरना दूंगा। 8 घरों को लगातार

238

(श्री रूपाराम)

जो अनुसूचित जाति के हैं, इसमें 8 घर हैं। अब जाकर क्या हुआ कि बीजपुरा के लिये केवल 35 घरों में, एक तरफ विभाग की मोटर लगी हुई है, पानी आ रहा है, टंकी बनी हुई है। वो नहीं पीने देने की वजह से विभाग के पौने तीन लाख रुपये और केवल 7 घरों के लिये ट्यूब वैल मंजूर हुई। कब खुदेगा, पता नहीं। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। उस अधिकारी ने, जिसने इस तरह की वहां व्यवस्था की पानी के लिये, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। तो मेरा कहने का मतलब है कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक योजना हो, दूरदर्शिता हो। तब जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। और मैं आपको 5-7 गांव हैं जिनका नाम बताऊं जहां आज तक नहीं आया है। बांकापट्टी योजना है। बांकापट्टी योजना बहुत पुरानी है। इसमें आज भी हमारे क्षेत्र के लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीकर बीमार होते रहते हैं। उनके पशु मरते रहते हैं और कोई भी उसमें आज तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। रानीगांव, रामसिया, राधालिया, मंडावरा, पलाड़ा, मंगलपुरा, सिणिया, भरनाई, बिणजारी, गोल्डी, पदमपुरा, ढटाणा, भाकरो की ढाणी है जहां पानी की व्यवस्था है। जहां पानी के लिये साधन बने हुए हैं, खेली कोठा बने हुए हैं। उनमें आप साल-साल-भर जाकर देख लो कहीं पानी नहीं आता है। कहीं टंकियां हैं, कहीं नल हैं, कहीं कुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मेरे ज्यादा विचार नहीं रखकर, राजस्थान जो मेहमाननवाजी में अग्रणी है, और मेहमानों को, सबसे पहले मेहमानवाजी करने के लिये हमें पानी की मनुहार ही करनी पड़ती है। तो जब पानी ही नहीं है हमारे घर में तो हमारी इज्जत हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में कमजोर पड़ जायेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि रहिमन पानी राखिये। रहीम दासजी ने लगभग साढ़े चार सौ-पांच सौ साल पहले यह दोहा तो लिख दिया लेकिन उस समय उनको यह पता नहीं था कि पानी लगातार ही फोकट में मिलता रहेगा। नहीं तो पहले वो लिखते इस दोहे को चरितार्थ करने के लिये रहीमदासजी लिखते–"रहिमन मंत्री राखिए बिन मंत्री सब सून। मंत्री रूठे ना उबरे मोती, मानस, चून।" तो मंत्रीजी, जब आप पानी दोगे तो रहीम दासजी के उस दोहे को चरितार्थ करोगे। अन्यथा पांच सौ साल पहले लिखा हुआ दोहा भी चरितार्थ नहीं होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कन्हैयालाल जी, पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल की इस डिमांड में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे झालावाड़ जिले का अधिकांश भू-भाग पठारी है। जमीन के अन्दर पानी नहीं है।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

गर्मियां आते-आते लगभग 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। हैण्ड पम्प सूखने के बाद जो झालावाड़ जिले की पेयजल सम्बन्धी समस्या है, इतनी विकट रूप धारण कर लेती है कि हम सारे जन प्रतिनिधि हर 8 दिन, 15 दिन में मीटिंगें आयोजित करते हैं अधिकारियों के साथ और समस्या से निजात पाने के लिये विभिन्न तरीके सोचते हैं। यहां तक कि झालावाड़ जिले का जो मुख्यालय है झालावाड़, वहां भी गर्मियों में इतनी विकट समस्या पैदा हो जाती है कि नदी के 2-3 दहे से पानी लिफ्ट करके नियमित सप्लाई की आधी सप्लाई झालवाड़ को उपलब्ध करा पाने में विभाग सफल होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा, सम्पूर्ण झालवाड़ जिले में पेयजल समस्या से सबसे अधिक ग्रसित है। पिड़ावा में डार्क जोन घोषित किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, भू-जल विभाग वालों ने पिड़ावा में डार्क जोन घोषित किया। इसका मतलब जमीन के अन्दर पानी नहीं है और जिस क्षेत्र में डार्क जोन घोषित हो जाता है तो हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वहां की पेयजल समस्या कितनी गंभीर होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां लगभग 75 प्रतिशत हैण्ड पम्प तो दिसम्बर में या जनवरी में ही सूख जाते हैं। 20-25 प्रतिशत हैण्ड पम्प चालू रहते हैं और ऐसी कोई बड़ी योजना भी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति के लिए नहीं बनी हुई है कि जिससे हमारे क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इस साल जेताखेड़ी, गुणदी, ओड़िया खेड़ी, देचली, सांवत खेड़ा, धरोनिया आदि गांवों में या तो हमने टैंकर चलाए या गाड़ियों में ड्रम रखकर लोगों को पानी उपलब्ध कराया। इतनी विकट समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में है।

झालावाड़ जिले में और मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में जमीन में पानी न होने की वजह से वहां पेयजल समस्या के समाधान के लिए केवल एक ही विकल्प बचता है कि बहने वाले पानी पर स्टाप डेम या कॉपर डेम 2-3 जगह नदियों पर बना दिए जाएं। इससे हमारे झालावाड़ जिले का अधिकांश क्षेत्र पेयजल की समस्या से सामना करने में सफल हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमारी सरकार ने 15 सौ की आबादी वाले गांवों में पी. एन. टी. स्कीम चालू करने की योजना बनायी है। इसके लिए मैं माननीय जलदाय मंत्री का अत्यन्त आभारी हूं लेकिन इसमें मैं एक सुधार चाहता हूं। हम पी. एन. टी. बनाकर उसके ऊपर 2-3 टोटियां लगा देंगे उससे पूरे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि गांव में हम थोड़ी-सी पाइप लाइन बिछाकर यदि मोहल्लेवाइज 4-5 पी. एस. पी. लगा दें

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

तो उस सम्पूर्ण गांव की पेयजल समस्या से हम निजात पा सकेंगे, सम्पूर्ण ग्रामवासी उस पी. एन. टी. का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो इस वर्ष के बजट का अधिकांश भाग पेयजल को समर्पित किया है, उसके माध्यम से हमारे झालावाड़ जिले में यदि नदियों के ऊपर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, छोटे-छोटे स्टाप डेम बनाने का, उसके ऊपर खर्च किया जाए, पी. एन. टी. के ऊपर खर्च किया जाए और पाइप लाइन बिछाने पर खर्च किया जाए तो हमारे झालावाड़ जिले की पेयजल समस्या का काफी समाधान हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ पुरानी स्कीमें पूर्व से संचालित हैं लेकिन किसी के स्रोत में पानी सूख चुका है, कहीं पाइप लाइन टूट गयी है, कहीं टंकी टूट गयी है। ऐसी पुरानी स्कीमें धरोनिया, सालवी, रामपुरिया, गरवाड़ा, आजमपुर आदि हैं। इनका पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता है। इस बार भी इस सारी स्कीमों की वजह से इन सम्बन्धित गांवों में पानी की काफी परेशानी आयी है। जैसा कि पूर्व में निवेदन किया था कि जेताखेड़ी, ओड़िया खेड़ी आदि गांवों में हमें कई बार टैंकर चलाने पड़े। ऐसे समस्याग्रस्त गांव, मेरे क्षेत्र में, जो मैंने विभाग को भी बताए हुए हैं, उनमें शीघ्र ही स्कीम स्वीकृत कर बनायी जाए। जेताखेड़ी, ओड़िया खेड़ी, गुणदी, खटकड़, सांवतखेड़ा, देवची, सरखेड़ी, मगीसपुर, स्वांस, सेमलीखाम, धामनिया, दारुखेड़ी, निम्बाहेड़ा, बंजारी, झिकड़ी आदि ऐसे गांव हैं जो दिसम्बर-जनवरी में ही समस्याग्रस्त हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इन समस्याग्रस्त गांवों की स्कीमें बनवायी जाकर, वहां स्कीमें शीघ्र शुरू करायी जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के सुनेल, भवानी मण्डी व डग क्षेत्र का कस्बा दोनों के बीच आहु नदी के ऊपर एक आहू नदी स्कीम बनी हुई है जिससे दोनों कस्बों को पानी मिलता है। उस नदी के ऊपर तीन चार वर्ष पूर्व से एक कॉपर डेम स्वीकृत है। माननीय मंत्रीजी से भी दो-तीन बार निवेदन किया, अधिकारियों से भी सम्पर्क किया लेकिन उस कॉपर डेम का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उस कॉपर डेम के अभाव में सुनेल और भवानी मण्डी को प्रतिदिन मात्र 15 मिनट सप्लाई मिलती है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस कॉपर डेम को शीघ्र ही कार्यरूप में परिणित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब आप समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : इसी प्रकार मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

करना चाहूंगा कि मेरे पिड़ावा नगर में पेयजल स्कीम स्वीकृत है, पाइप लाइन का कार्य चल रहा है लेकिन कार्य को चलते हुए लगभग दो साल, डेढ़ साल होने को आया और पिड़ावा की पेयजल समस्या इतनी गम्भीर है कि वहां भी मात्र 15 मिनट सप्लाई मिलती है, उस पाइप लाइन के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं ताकि पिड़ावा कस्बे को पानी मिल सके। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो वर्षों से लम्बित सुनेल की समस्या चली आ रही थी टंकी निर्माण की आपने पिछले वर्ष उसको स्वीकृत कराया और आज वह टंकी निर्मित हो चुकी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी। आप सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि कल छुट्टी है और कई लोगों को जाना है, अतः सभी माननीय सदस्य 10-10 मिनट में निपटाने का कष्ट करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो माननीय सदस्य 22-22 मिनट बोल गये।

श्री अध्यक्ष : वे बोल गये, जो थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्याय की महिमा देखो साहब।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं होगा तो घण्टी बज जायेगी। आज की मांग बहुत महत्वपूर्ण मांग है।

श्री अध्यक्ष : कहना चाहें तो सब कह सकते हैं, इनको 7 मिनट में ही करा दिया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं जैसा महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि महत्वपूर्ण नहीं है, उसका एक कारण है। मान्यवर, सरकार कानून पर चले या कानून सरकार के आधार पर चले। यह बात भी होती है जनता का अपन ध्यान रखें या जनता अपना ध्यान रखें। ये दोनों बातें तो आपके पास हैं माननीय मंत्री महोदय। लेकिन आपने जयपुर के साथ अन्याय क्यों किया है? मैं जयपुर का मतदाता होता तो सोचकर वोट देता। आप बीसलपुर से जोड़ने की बात करके जयपुर के कण्ठ पर बैठ गये हो। जिस साल बरसात नहीं होगी बीसलपुर में पानी नहीं होगा। यदि आपकी ऐसी बात थी माननीय मंत्री महोदय, आप कर सकते हो, नीची गरदन करके जो लाइन पकड़ लोगे, हो जाएगी। चम्बल से जयपुर को पानी दिया जाए, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जयपुर के पानी का उपयोग किया जाए। आप जयपुर के पानी का उपयोग नहीं कर रहे हो स्थायी समाधान नहीं करना चाहते हो माननीय मंत्री महोदय। फिर आपने बेपकोस कौनसी कम्पनी है, उसके लिए पैसा क्यों खर्च किया? आपने अपने डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर की कमेटी क्यों बैठायी? हम कहते हैं, आप कमेटी बैठा

(श्री रामनारायण मीणा)

देते हो। 5 साल से मंत्री हो और जयपुर का भला भी चाहते हो लेकिन कृपा करके थोड़ा ध्यान दें। चम्बल के पानी का उपयोग मध्य प्रदेश भी कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था। लिफ्ट योजनाएं बनायी जा रही हैं। हम पीने के नाम पर चम्बल के पानी में कहीं भी रपट बनाकर, कहीं बांध बनाकर उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। आज की तारीख में कोई रोक नहीं है। आप बड़ी योजना बनाइये, भारत सरकार से आप कहिएगा।

सिंचाई मंत्रीजी से हम कहते हैं कि बीसलपुर का पानी किसानों को दो। "हम किसानों की सरकार हैं", किसानों की सरकार नहीं हो किसानों के बेरी हो, दुश्मन हो जिन्होंने 328 गांवों के किसानों को पानी से महरुम कर दिया। मानते हो न आप? इसलिए किया क्योंकि जो योजना बीसलपुर की नहीं बनानी चाहिए थी, वह तो आपने बना दी, चम्बल को आपने छोड़ दिया। क्योंकि आपके अधिकारी चाहते हैं कि हम जीआई पाइप कौनसा खरीदें, कौनसी कम्पनी अधिक पर्सेण्टेज देगी, यह हालत हो रही है। योजना बनी बनायी है, पहले कौन योजना को क्रियान्वित करे, कौनसा चीफ इंजीनियर इस योजना को कार्यान्वित करें, कौनसा अधिकारी कार्यान्वित करें, कहां पर्सेण्टेज मिले, यह परिपाटी आप छुड़ाओ और आप छुड़वा सकते हो। मान्यवर, हम तो समझते नहीं है, आपके विभाग में कितने पाइप हैं, क्या हैं। वह मैं ज्यादा नहीं समझता। टेक्निकल आदमी नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं मंत्री महोदय, इतना जरूर जानता हूं कि एक कम्पनी का टेण्डर आया। अच्छा लोएस्ट इसका है, मेरी जान पहचान की है। मैं अखबार की खबर के आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैंने साल भर पहले भी आपसे कहा था कि ऐसे इंजीनियर्स हैं कृपा करके चैक करो, एक-दो को सस्पेन्ड करो और डर बैठाओ। एक सीइ. को, जैन को कर दिया है, और कुछ कीजिए ना। आपने अभी एक जवाब दिया था, किसी माननीय सदस्य ने कहा हमने अखबार में समाचार पढ़ा है, आपने कह दिया अखबार के आधार पर कार्यवाही कर दूं? क्या ड्रिलिंग रिंग्स खरीदने की जांच कार्यवाही नहीं चल रही है? किसने रोका है आपको, क्यों प्रश्रय दे रहे हो, कार्यवाही कीजिएगा।

सीमेण्ट घोटाला बीकानेर में हुआ, क्या उसकी जांच खत्म हो गयी? सदन में बात नहीं आयी थी? क्या कारण है कि आप कलम नहीं चलाते हो? पैन नहीं हो तो मैं पेन दे दूं याद नहीं रहे तो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि सारी बातें आपको देखनी होंगी। माननीय भंवरजी, जिस श्रद्धा से हम आपको देखते हैं, विश्वास उठता जा रहा है, कितने घोटालों की बात करें। इस सदन में बहुत से घोटालों की बात हुई है, ऐसे ईमानदार

(श्री रामनारायण मीणा)

मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगा है। और जांच हुई है लेकिन मैं कहता हूं वे अधिकारी भ्रष्ट हैं। पर्सेण्टेज की बात करते हैं। पिछली बार भी आपने सदन में कहा था कि ढाई वाला, साढ़े तीन वाला पाइप इसलिये खरीदते हैं कि उसकी रेट कम पड़ती है। उसी ज्योतिन्द्रा कम्पनी का पांच और छह मीटर की लम्बाई का टेंडर कम आ गया। आपने उसके ऊपर ज्यादा खरीदने का आर्डर दे दिया, उस इंजीनियर ने। मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, मान्यवर, जिस "श्री" पाइप के बारे में हमारे यहां यह लोग जो यहां शासन में बैठे हैं, उन्होंने विरोध किया था कि इसका नहीं खरीदा जाना चाहिये इसमें। बहुत बेईमान कम्पनी है, भ्रष्ट कम्पनी है। पर्सेण्टेज आप इसमें ज्यादा खाते हैं इससे उसी "श्री" पाइप वाला, वैसे नाम तो बदल दिया गया और आपको पता होगा "इन्फ्रास्ट्रक्चर" नाम उसका रखा गया कि नहीं रखा गया? उससे क्यों खरीद की जा रही है ऐसे पाइप्स की? आपने भी कहा होगा? आपने नहीं कहा होगा तो किसी साथी ने कहा होगा कि यह बेईमान कम्पनी है। मैं ज्योतिन्द्रा की बात ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि आप दबाव में हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिन्द्रा से खरीद करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कीजिये और ऐसी चिट्ठियां आपके डिपार्टमेंट ने लिखी है। आप उन्हीं को दिखवा लीजिये। नहीं लिखी हो, मान्यवर, आपको डिपार्टमेंट नहीं बताता हो, कोई कमी हो, कमजोरी हो, तो चिट्ठियां तो बहुत हैं मेरे पास, एक दो का हवाला दे दूं। आपकी इजाजत हो जाय तो मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, और तारीख भी मैं बता दूं। 4 अप्रेल, 1996, नम्बर बताऊं मान्यवर मंत्री महोदय, 497 से 99। यह आपका चीफ इन्जीनियर हैड क्वार्टर पी.एच.ई.डी., राजस्थान जयपुर लिखता है कि डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड, इसका पता जो भी है, आप लिख लेना, ढूंढ लेना और बता दूं, इसमें लिखा है कि these pipes...to inform that firm M/s. Jyotindra Steel & Tube; 14/3, एड्रेस है उसका Mathura Road, Faridabad has supplied the ISI mark pipes against the above mentioned supply orders. These pipes have defective......पता नहीं क्या है आगे, अंग्रेजी कम पढ़े लिखे हैं न। ...not as per the specifications of rate contract. Kindly check and initiate suitable action for ensuring supply quality material... (व्यवधान) कौन साहब बोल रहे हैं? ...material which bears ISI mark. इसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये, उन्होंने कहा है। उसको आप ब्लेक लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मंत्री महोदय? ईमानदारी पर धब्बा तो लगाने की बात

(श्री रामनारायण मीणा)

नहीं करते हैं लेकिन धब्बा लग जाएगा अगर आपने इस पर कार्यवाही नहीं की तो। आपके अधिकारियों ने, चीफ इन्जीनियर ने एक चिट्ठी लिखी है। मैं दूसरी चिट्ठी बताऊं मान्यवर (व्यवधान) बहुत है, आप तो इसी को देख लीजिये। 18 जून, 1966 की चिट्ठी है। यह भी चिट्ठी चीफ इन्जीनियर ने लिखी है। उसी कम्पनी को लिखी है। क्या लिखा है– One lot of 3-75 meters of 125 MM dia MS Pipes, part was offered by you. The following defects : thread found damaged, trading is not concentrated to pipes, defective thread length on sockets is less due to excessive....

जो भी है। तो माननीय मंत्री महोदय, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दबाव में मत आओ। यह अधिकारी प्रमोशन लेने के लिये रोजाना हाजरी भी दे सकते हैं। मैं उस अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस अधिकारी के बारे में लोग कह रहे हैं। यह कौन अधिकारी है, मैं इसको तो नहीं जानता लेकिन अखबार की खबर मैं अब पढ़ रहा हूं। मुझे अखबार दिख गया है। इस खबर में कोई मिनिस्टर ओ.पी.गोयल हैं, ईमानदार होगा। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यह बात कर रहा हूं किसी इन्जीनियर का नाम नहीं है। यह इससे सम्बन्धित है [illegible] नहीं है, यह जरूर है। डीग से आने वा[illegible] माननीय विधायक ने आपके सेक्रेटरी साह[illegible] के लिये कुछ कहा। मैं सेक्रेटरी साहब [illegible] तो परिचित नहीं हूं लेकिन इतना जरू[illegible] जानता हूं, मैंने सुना है कि आपके विभा[illegible] के सैक्रेटरी जो भी हैं, कोशिश करेंगे क[illegible] मिले तो दर्शन करने की, शक्ल देख[illegible] दिखाने की लेकिन जो भी आपके विभा[illegible] के सेक्रेटरी हैं, मिसेज कृष्णा भटनाग[illegible] बताया, कोई बताया, लेकिन इतना जरूर [illegible] कि वह ईमानदार लेडी है। जब ईमानदा[illegible] है तो आप उसको खुली छूट क्यों नह[illegible] देते हो? सैक्रेटरी जब आपके ईमानदार है[illegible] अभी यह भी बात आयी थी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खुली छूट[illegible] का मतलब?

श्री रामनारायण मीणा : खुली छूट– का मतलब जांच करने की दीजिये।– खरीद में दीजियेगा। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिये आप ताकीद कीजिये। जो भी सैक्रेटरी है, जब विश्वास के लायक हैं तो आप विश्वास कीजियेगा। ताकि आपके ऊपर ब्लोट नहीं आये और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करें। जब सीमेन्ट का घोटाला है, रिंग्स कांड का घोटाला है, दूसरे पाइप रिंग का घोटाला है और एक ही कम्पनी लोएस्ट टेण्डर दे दें, उसी का खरीद लें, बार-बार खरीद लें। पांच साल में आप पचास हजार मीटर पाइप नहीं खरीदो और

(श्री रामनारायण मीणा)

एक ही साल में एक लाख से ज्यादा खरीद लो, क्यों? यह सारी बातें आपके देखने की है। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक ही महीने में दो-दो, तीन-तीन आर्डर दिये कि नहीं दिये लेकिन इतना जरूर है कि आपके सारे राजस्थान में जितने पाइप खरीदे गये हैं, जयपुर रीजन में उतने पाइप खरीद लिये गये। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है न जयपुर रीजन। ऐसे अधिकारी को हटा सकते हो तो हटाइएगा। मैं सस्पेंड की बात नहीं करता, जयपुर से हटाइएगा, ऐसे अधिकारी को। और हम तो सुनते ही नहीं है हमारा एक्सपीरिएंस भी है, सारी बात है, मान्यवर मंत्री महोदय, हाउस में बोला जाता है, राजस्थान की जनता के सामने बोला जाता है, जिस अधिकारी के बारे में यहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, सोच-समझकर उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये आपको। इसलिये कृपा करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था आपसे, बातें बहुत हैं, कहने को बहुत है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : वैसे ही रोज कहते ही हैं आप। आप रोज कहते ही हैं। इसको आप एक मिनट में समाप्त कीजिये। पूरे दस मिनट में।

श्री रामनारायण मीणा : बहुत कुछ हैं। मैं वह बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी। मैं यह बात रिपीट नहीं कर रहा हूं। जाना आपको भी है और जाना मुझे भी है। आज ही की तारीख में आपको सदन कल तक के लिये स्थगित करना है लेकिन आज की तारीख में आम बात कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि इस सदन में इतनी-इतनी मोटी जन लेखा समिति ने रिपोर्टस भी दी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिन कम्पनियों के खिलाफ दी है, एक हजार जगह जिस कम्पनी का नाम लिखा हो, जिसका नाम बदल दो और उससे पाइप खरीदे जाएं, क्या कारण है? कहने वाले आज सत्तापक्ष में आ गये इसलिए ईमानदार हो गये और इन्हीं से खरीद करते हो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...दो पर्सेण्ट।

श्री रामनारायण मीणा : दो पर्सेण्ट लो, दस पर्सेण्ट लो, ऐसे अधिकारियों को देखिये। जांच करिये। हमें मत कहिएगा कि अखबार के आधार पर यह करते हैं। आप तो बहुत काबिल मंत्री हो इसलिये आपको देखने की बात मैं निवेदन कर रहा हूं। अखबारों की बात मुझे नहीं करना चाहिये। पेयजल के लिये धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपका स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। पेयजल की समस्या का प्रयास नहीं करने का आरोप, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं और एक वृद्ध कहता है, उसका फोटो है–"पानी के लिये तरसता", यह हालत है, माननीय मंत्रीजी। हम आपको पांच साल से कहते हैं और आप भी चाहते हों नैनवां में भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिये। जिस फीडर को

(श्री रामनारायण मीणा)

बनाया जाना चाहिये वह फीडर आज दिन तक नहीं बना। आपकी चिट्ठी के बाद। बाबरा फीडर कम्पलीट नहीं है। मंत्रीजी, आपने कहा था हमारी मीटिंग आपने ली, आपने समय दिया, सब कुछ आपने किया, लेकिन सूर तालाब जो नैनवां के पास है, हम आपके अधिकारियों से कहते-कहते थक गये, क्यों नहीं आप स्कीम बना रहे हैं उसकी? ताकि फीडर का काम करे। पायवालापुरा बांध में, पायवालापुरा बांध से आप पानी लेंगे और पायवालापुरा बांध तोड़ दिया जाएगा, उसकी मशीनें तोड़ दी जाएगी, आपकी पाइप लाइन वहां से तोड़ दी जाएगी। किसानों को भी पानी चाहिये। आप फीडर तैयार कीजिएगा। आप करोड़ रुपया की स्कीम बना रहे होंगे लेकिन किसान भी आखिर वहां का इतना वह तो नहीं है...

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : पानी देना चाहें तो माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि सदन में जो बात आयी उस पर मनन करते तो हैं मंत्रीजी लेकिन आप ऐसे अधिकारियों से थोड़ा सतर्क रहें और...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी।

श्री रामनारायण मीणा : और जो ईमानदार अधिकारी हैं, कृपया, उनको कहिये, सैक्रेटरी साहब के लिये सारे लोग कहते हैं कि ईमानदार हैं, काम करना चाहते हैं। खुली छूट दीजिये। भ्रष्ट कर्मचारियों को एक-दो को निपटा ही दीजिएगा। एक चीफ इंजीनियर को तो आपने सदन में कर दिया बाकी आप अपने सहयोग से कुछ करिये। राजस्थान की जनता पानी जो चाहती है, जयपुर की विशेष तौर से मैं दुबारा आपको कहना चाहूंगा कि आप चम्बल से जयपुर को जोड़ने की बात करें। चम्बल के पानी का उपयोग करने की बात कहें। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम पानी का उपयोग करेंगे, कर नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वे +++ मुख्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री रामनारायण मीणा : यह तो जनता बतायेगी। जनता ने आपको कह रखा है, मेंडेट दे रखा है, जब तक आप ही काम करें। इसी आशा के साथ और अध्यक्षजी, कहने को तो बहुत है, कागज तो बहुत है डिपार्टमेंट के लिये...

श्री अध्यक्ष : बहुत है यह तो...

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये कृपा करके...

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी विद्वता में कोई शंका नहीं कर रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : पर आप मुझे इजाजत दें तो इतनी चिट्ठियां हैं...

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय निवाई से आने वाले मुख्य सचेतकजी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : निवाई से नहीं आया।

श्री रामनारायण मीणा : टोंक वाले जी। टोंक का भी मसला है मेरे पास, आप थोड़ा ध्यान दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्रीमती उजलाजी।

श्री रामनारायण मीणा : और इसके साथ आपको धन्यवाद और माननीय मंत्रीजी थोड़ा मनन कीजिएगा। अगर पता नहीं चले तो सदन में कहने के बजाय हमको बुला करके बात कर लीजिएगा। हम आपकी सारी...(व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह चुपचाप की, गुपचुप की बात नहीं चलेगी।

श्री रामनारायण मीणा : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने गंगा-यमुना के पानी के लाने के लिये प्रयत्न किया है और मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोले नहीं, टोके नहीं, बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि वे जिले के अनुसार मास्टर प्लान बनायें। जिले में पानी की उपलब्धता देखें। यहां नदियां नहीं हैं लेकिन बरसात का पानी जो हमारे यहां आता है वह पानी बहकर चला जाता है। यदि हम बंधों का निर्माण करायें, जल संग्रहण की स्थिति हमारी उपयुक्त हो तो पानी बह कर नहीं जायेगा और उस पानी से हमारी बहुत बहबूदी होगी।

क्यों साहब, मैंने आपकी क्या गलती कर दी? मेरा सुधार कर रहे हो क्या?

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत इन्फोर्मेशन हाउस के रिकार्ड में चली जायेगी। गंगा के पानी के शेयर के सम्बन्ध में आज दिन तक, इस सैकण्ड तक कोई भी समझौता राजस्थान सरकार के बीच में और दूसरी स्टेट के बीच में नहीं हुआ है। यमुना का हुआ है, गंगा का नहीं हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, इस सम्बन्ध में वर्षों से, आपकी जब सरकार थी तब भी मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अपने जल समझौते के सम्बन्ध में विधान सभा में प्रस्ताव पास कर लेते हैं और मैं आपके साथ, मेरे सदस्यों के साथ चलता हूं और इस सम्बन्ध में राज्य को कुछ उपलब्धता हो जाय। आपने प्रयास नहीं किया वो प्रयास में लगे हुए हैं, वह प्रयास सफल होगा।

(248)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इनको दो भागों में बांटना चाहिये। एक तो जल संग्रहण की स्थिति को अपने को सुदृढ़ करना चाहिये और एक जो पानी की वर्तमान में हमारे पास व्यवस्था है उसको हमको देखकर चलना चाहिये कि हम उसका किस तरह सदुपयोग कर सकें। यह जिले अनुसार मास्टर प्लान बनना चाहिये। यह मेरी मंत्री महोदय को राय है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसी में हमारा जयपुर जिला भी आ जाता है तो मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर जिले में और अन्य जिलों में जहां बरसाती नदियां हैं उनका बहाव देखते हुए उनके जल संग्रहण क्षेत्रों को भी सुदृढ़ करना चाहिये और संचित जल को इंजेक्ट करके कुओं के माध्यम से हमको अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग योजनाएं बनाकर पानी उपलब्ध करना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर को बीसलपुर से जोड़ने के लिये निरन्तर मैं सुनती आयी हूं। जब मैं विधान सभा की सदस्य नहीं थी तब भी। माननीय मदेरणाजी, माननीय विश्नोईजी यहां बैठे हैं, बड़े-बड़े हर्फों में अखबारों में छपता था कि बीसलपुर योजना लायी जा रही है और बीसलपुर से जयपुर को बनास का पानी उपलब्ध कराया जायेगा और जयपुर की पेयजल समस्या का समाधान किया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी, पता नहीं मुझे मालूम नहीं कि हमारे माननीय सचेतक महोदय के मन में क्या टीस है कि जैसे ही जैसे ही मैं बीसलपुर का नाम लेती हूं वैसे ही चौंक जाते है। अभी कालीचरणजी ने भी नाम लिया तब भी इन्होंने कुछ कहा लेकिन उसका मन्तव्य मुझे सही नजर नहीं आया। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना को–

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक तकलीफ यह है कि उनके क्षेत्र में किसान के क्षेत्र का पानी कट रहा है। यह सब से बड़ी तकलीफ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमान्, जो तकलीफ है उनके पेट में और आपके पेट में वो सब मुझे मालूम है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि योजना को स्पष्ट करें कि उसका पानी हमें आज, कल, परसों कब उपलब्ध होगा? ईसरदा से पानी आने वाला था, वह कब उपलब्ध होगा? और अगर आपको यहां कोई टंटा नजर आता है, इतना पैसा विश्व बैंक की सहायता से लेने की योजना चल रही है और फिर भी हमें उपलब्ध न हो तो हम अनिश्चितता की स्थिति में रहना नहीं चाहते। हमें चम्बल का पानी आप उपलब्ध करायें। मान्यवर, चम्बल का पानी लाने में भी जितना हम को बीसलपुर में खर्चा आयेगा, शायद उससे कम चम्बल में आयेगा और चम्बल का जो पानी है वह हमको ज्यादा टिकाऊ रहेगा और ज्यादा पानी हमें मिल सकेगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : चम्बल नदी हमारे सवाई माधोपुर जिले में है, हमें ही पानी नहीं मिल रहा है वहां का।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं मेरे ज्ञान के अनुसार बोल रही हूं, आप अपने ज्ञान के अनुसार बोल लेना।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमें बताया गया कि 2011 में यह बीसलपुर का प्रथम फेज तैयार हो पायेगा और तब तक जयपुर नगर का, जयपुर जिले का क्या होगा, मैं समझ नहीं पाती हूं। अभी। अभी भू-जल को जगह-जगह प्राप्त करके किसी प्रकार काम चलाया जा रहा है और जिस प्रकार काम चल रहा है, मैं आप को कहना नहीं चाहती हूं। अभी यहां पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें, टोका-टाकी नहीं करें। समय जाया न करें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां से जमवारामगढ़ का पानी बराबर जयपुर आ रहा है और कहीं भी रोकथाम की स्थिति हमने नहीं की। यहीं नहीं बल्कि 12-14 कुए ढूंढ नदी में बनाकर उसको भी पेयजल योजना से जोड़ा गया। यहीं नहीं, जयसिंहपुरा खोर के भी छह कुएं जोड़े गये हैं। उस सबको इस जल उपलब्धता के काम में लगाया जा रहा है। अभी मैंने पढ़ा तो मालूम पड़ा बांडी बेसिन का पानी भी जयपुर में आ रहा है। बांडी बेसिन वालों ने तो आपको पानी लेने ही नहीं दिया तो बांडी बेसिन का नाम क्यों लेते हो? उसके पास से आप पानी ला रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिये। तो बांडी बेसिन वाले यहां बैठे हैं, हमारी उदारता को देखो आप कि हम पानी दे रहे हैं और हम पानी के लिये तरस रहे हैं। हमारे यहां से पाइप लाइन आ रही है। हमारे रामगढ़ में पानी की कमी, सड़वा में टंकी खड़ी है। जयपुर में बनी हुई 54 टंकियां खड़ी है, काम के बदले अनाज योजना में बनी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह भूत बनकर हमें सता रही है। रात को इन्हें देखो तो डर लगता है, दिन को चलो तो इनसे डर लगता है। कहीं चले जायेंगे, हर आदमी यह कहेगा यह टंकी, टंकी है और उसमें कोई कनेक्शन नहीं, कोई योजना नहीं बना रहे हैं। मुझे बहुत दुःख है, मेरे यहां तो स्पेशल योजना बननी चाहिये थी जो इतनी उदारता से बिना पानी रोकें आपको पानी दे रहा है। तो उसकी यहां योजना यह है कि जयसिंहपुरा खोर से, जहां से छः कुओं का पानी लिया जा रहा है वहां पर 12-14 गांव एक भी हैण्ड पम्प के अभाव में परेशान हैं और वहां पानी नहीं है। पूरा पानी खेंच लिया जाता है। मेरी पूरी टंकी में पानी नहीं आता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, एक एके. भार्गव हुआ करते थे उन्होंने पूरा पानी देने की योजना बनायी थी लेकिन वो पूरा नहीं हुई और वे रिटायर हो गये, अब के लोग कुछ करेंगे या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कानोता बांध बन रहा है, वो सिंचाई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के निमित्त बन रहा है, उसको पेयजल से जोड़ा जा सकता है। उसमें डेप्थ नहीं है लेकिन उसको तैयार किया जा सकता है। जमवारामगढ़ के साथ लगकर वो जयपुर को पानी उपलब्ध करवा सकता है। यह पहले पेयजल के लिये था फिर सिंचाई के लिये बना। मैं आपसे आग्रह करूंगी इसको पूरा दिखवा लें और अगर इसको भी जयपुर की योजना में जोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे हैण्ड पम्प की भी योजना है, टंकी की भी योजना है लेकिन जहां-जहां टंकियां थी, अभी गोपीरामजी कह रहे थे जनसंख्या को कम करो, तो यह तो मेरे बस में इतना नहीं आयेगा मैं मेरे ऊपर कुछ लागू कर सकती हूं पर मेरे भी 11 बच्चे हुए, अब आप सुझाव दो तो उसको कहां से कम कर दूं, तो जो टंकियां हमारे पास है और कम पड़तीं है...

श्री रतन लाल ताम्बी : दो-चार बच्चे भंवर लालजी को दे दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उधार देने की स्थिति में नहीं हूं किसी को भी। मैं तो पाल-पोर्स कर बड़ा कर लूंगी और देश के सेवक बनाऊंगी। काम करेंगे और सुख देंगे।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : शांति बनाये रखें कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे और भी कम है, आप दे दो तो उन्हें भी पाल लूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगी कि जो हैण्ड पम्प की योजना है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता इस मायने में मानती हूं कि जहां पर अभी यह प्रशंसा कर रहे थे कि हैण्ड पम्प ठीक कर दिये गये पर पता नहीं मेरी दोनों तहसील में, जमवारामगढ़ और जयपुर तहसील में हैण्ड पम्प ठीक नहीं हुए और वो योजना कहां चली गयी, मुझे मालूम नहीं। मेरा यह कहना कि जो हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो सकते उसका ऊपर का हिस्सा उतारकर, मतलब टोपी उतार लो और हैंडिल उतारो, मतलब उसके हाथ उतार लो और उसका जो पेट होता है वह उतार कर उसको कहीं उपयोग करो। वो वहां काम ही नहीं आ रहा है। इतना पैसा तो बचेगा। उनकी संख्या रख लीजिये, उनकी गिनती रख लीजिये और अन्य जगह पाइप डालकर उन्हें उपयोग किया जा सके। यह काम मैं समझनी हूं कितनी बार समझा चुकी पर समझ में नहीं आता। न अधिकारियों के न माननीय मंत्री महोदय के।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह दोनों समझेंगे तब यह काम कर पायेगा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मेरा यह भी निवेदन है कि सड़वा में, जयपुर में पानी आ रहा है जमवारामगढ़ से, सड़वा पड़ता है बीच में, जयपुर से डेढ़ किलोमीटर पड़ता है, वहां मुस्लिम आबादी है, महिलाएं पानी भर कर कुएँ से नहीं ला सकती, टंकी मैंने सवा लाख रुपये में बनवा दी, उसके कनेक्शन के लिये कहते-कहते मैं बूढ़ी हो चली पर समझ में नहीं आयी।

श्री रतन लाल ताम्बी : भंवर लाल जी जवान हो रहे है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फालतू बात नहीं करते। मुझे टोकेंगे नहीं बिल्कुल। मैं आपके बीच में कतई नहीं बोलती हूं और अगर आप टोका-टाकी की बात करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं बोलने दूंगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें अब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं थोड़ा-सा और बोलकर खतम कर रही हूं। अब आप कहोगे तो मैं बैठ भी जाऊंगी, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट पूरे हो रहे हैं आपके। एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब की बार हमने अपने पैसे को भी जलदाय योजना में दे दिया है लेकिन इस नगर की समस्या का समाधान निश्चित रूप से होना चाहिये।

गलता पर पानी जा रहा है लेकिन कहते हैं आप खुद चलवाओ, पम्प को लगाने वाला मास्टर आप खुद लगाओ। गलता जैसे तीर्थ पर अगर पानी पहुंचा दिया जाये तो क्या दिक्कत है? मेरे लो लाईन एरिया है, सारा का सारा जलमहल में, जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वहां की पूरी गंदगी, सारे वातावरण को दूषित करती है। लेकिन उसमें तीन नाले तो सीधे आते हैं गन्दे बहाव के साथ और बाकी में ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता यह पोल्यूशन समाप्त करने का क्या तरीका है? एक तरफ तो ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है, उसमें कितने कर्मचारी लगे हुए है, कितना पैसा लगता है और तीन नाले सीधे जाकर उसको पोल्यूटेड कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय, से, कि इस सारे पोल्यूशन को दूर करें और जयपुर को सुनियोजित ढंग से जल दें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें । श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, यह बहुत

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

ही महत्वपूर्ण मांग है और पूरा राज्य इस मांग के बारे में इन्तजार कर रहा है कि हमारे राजस्थान के इन्द्र भगवान, जो विराजे हुए हैं यहां पर, यह कितना बरसेंगे। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो यहां पर विभाग ने दिये हैं अपने और उन आंकड़ों में अपनी उपलब्धियां भी बताने की कोशिश की गयी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है क्या मंत्री महोदय, हम इसका उपयोग ले पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर बहुत बड़ी पेयजल योजना इंदिरा गांधी नहर से शुरू की गयी और अपनी प्रगति रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि 80 लाख गैलन पानी जोधपुर पहुंचा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, 400 लाख गैलन की योजना है और हमारी सरकार ढोल और नगाड़े बजा रही है कि हमने 80 लाख गैलन पहुंचा दिया है। इसकी समय सीमा क्या थी? आप इतने बरसों से इस सरकार के अन्दर है आप मुझे यह बतायें, मंत्री महोदय, कि आपने इतनी महती योजना पर कितनी बार आपने जाकर निरीक्षण किया? वहां की कठिनाइयों को कितनी बार देखा? अभी आप पधारें। एक आध बार और कभी गये होंगे। मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आफिसर के बीच में कई तरह की बातें होती है और वह काम नहीं कर पाते और अब जिस तरह से उस नहर की हालत हो गयी है और आज जोधपुर शहर के अंदर स्थिति यह है कि 10 लाख की आबादी का शहर खाली होने की स्थिति में है। आप 80-82 लाख गैलन से ज्यादा पानी दे नहीं रहे हैं 250 लाख की एवज में। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे हैं बहुत चिन्ता की बात है। और वह नहर जिससे 80 लाख गैलन पानी देने के आपने ढोल बजाये, आपकी वह नहर टूट गयी है। ढाई करोड़ के टेण्डर्स आपने किये है पर 300 पर्सेंट रेट अबाव आ गयी है। आपने वह टेण्डर मंजूर किये नहीं, कर भी नहीं सकते। और न आप इस काम को तीन महीने के पहले पूरा कर सकते हैं। मंत्री महोदय, आप भी सिर्फ ऊपर देख रहे है और भगवान के नाम पर माला फेर रहे हैं। आपका प्रयास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। माला तो हम भी फेर रहे हैं। हम सरकार में नहीं हैं। हम भी वहीं कर सकते हैं जो आप उधर बैठकर कर सकते हो। आप इसके बारे में जब अपना उत्तर दें तो निश्चित रूप से आप बतायें क्योंकि जोधपुर में आज 15 दिन से ज्यादा का पानी शेष नहीं हैं। हालत बहुत खराब है।

जिस तरह से ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य तिवारी- मथानिया के पानी का लेबल 700 फीट बता रहे थे, मेरे क्षेत्र के अंदर भी रणसी गांव में जोधपुर से जो पानी टूटा, उस समय कहा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

था कि जोधपुर लिफ्ट बन जायेगी तब उस समय उस पानी को आपके गांव के अंदर देगे। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं जब महीने में बीस बार जाता हूं वहां पर, तो जगह-जगह पाइप लाइन टूटी हुई है, लम्बे-लम्बे फाउन्टेन चल रहे हैं। 20-20 फीट की ऊंचाई पर पूरा तालाब भरा हुआ है। उसकी मेन्टीनेंस नहीं हो रही है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था जब मैं बोला था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसके बारे में आप दिखाइये कि उसमें लापरवाही के लिये कौन जिम्मेदार हैं। मैं मंत्रीजी, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, विभाग की जो नाकामी हैं, एक पांच लाख की योजना बनती है, मैंने आपसे पूछा भी था और मैं स्पेसिफिक मेरे क्षेत्र की योजना का उदाहरण देना चाहूंगा। एक खेड़ी-बदंडा योजना है। आपने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी की और उसकी तकनीकी स्वीकृति कब जारी हुई। मंत्री महोदय नौ-नौ साल तक आपकी योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मंजूर नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताओ इस विभाग का भट्टा नहीं बैठेगा तो क्या होगा? क्या यह लोग आंखों पर पटटी बांधकर बैठे हैं?

मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने आश्वासन दिया था यहां सदन के अंदर। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि मैं इसी सत्र के अंदर जो योजनाएं हैं उनको पूरी करवा दूंगा। आपने कहा था या नहीं कहा? आपने यह भी कहा था कि मैं दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करुंगा। यह भी आपने कहा था पर उसका क्या हुआ? उसका मंत्री महोदय, कुछ नहीं हुआ और आपके यहां पर जो एश्योरेंस थे, उन एश्योरसों को इस विभाग ने भोगली कर दिया। आपकी नहीं चली। आप उसको देख लीजिये, आपकी क्या प्रगति है? आपके एश्योरेंस का क्या हुआ? साल भर बीत गया।

एक माननीय सदस्य : भोगली संसदीय शब्द है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : भोगली असंसदीय है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति यह है कि आप जोधपुर लिफट कैनाल से पानी लाना चाहते हैं जोधपुर में, और कह देंगे हम इतना दे रहे है। क्या आपके फिल्टर प्लांट कैपेसिटी है? यदि आप ला भी दें तो भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो पैसा मंजूर किया है, उसकी एवज में आप कितना खर्च कर रहे हैं। 28 करोड़ रुपये आपने इसकी सेंक्शन की है, दिसम्बर तक आपने खाली 10 करोड़ रुपये ही इस पर खर्च किए हैं। यह आपकी किताब बता रहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका कोई फिल्टर प्लांट वहां पर तैयार नहीं हैं। पानी आ जायेगा तो आप पिलायेगे कैसे? आपकी हालत बहुत खराब है और दूसरी जो आपकी योजना है, आज गांवों के अंदर हालत बहुत खराब है।

254

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आपके जो पम्प्स और मोटर्स है, विभाग ने क्या कोई मापदण्ड निर्धारित कर रखा है उसका कि एक पम्प और मोटर की उम्र क्या होगी? आदमी की भी उम्र होती है परन्तु आपका विभाग इतना बलशाली है कि वह खल में से भी तेल निकाल रहा है। आप समझ रहे हो न खल में से तेल कैसे निकालते है? जितनी कीमत है पम्प व मोटर की, उससे कई गुना उसकी रिपेयर में खर्च हो चुका है। एक- एक मोटर व पम्प की उम्र बीत चुकी है, 15-15 साल से वह पम्प और मोटर चल रहीं है और उसके बिल बनते जा रहे हैं और इतना ज्यादा बिलिंग हो रहा है कि आपका दिमाग काम नहीं करे यदि उन बिल्स को देख लो। यह हालत है। और वह बार-बार जल जाती है। उनके चेंज करने के बारे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपका खुद का मापदण्ड है उसको भी आप ध्यान नहीं रख रहे है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टयूबवैल खोदे गये हैं, डिपार्टमेंट ने खोद दिया है। आप इस बात का पता लगा लें एक मीटिंग इनकी इस बात की ले लें कि कितने टयूबवैल कब-कब से खुदे हुए थे, क्या उनको चालू किया है?

मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे स्वयं के क्षेत्र में ऐसे कई टयूबवैल है जो खुदे हुए थे पर विभाग ने चालू नहीं किये क्योंकि वह टाइम पर फाइल आर.एस.ई.बी. में जमा नहीं कराते हैं। रोज मुझे बाबू की तरह उनसे बात करनी पड़ती है। आज फाइल जमा कराओ। आज यह कराओ। रोज बात करता हूं। यह विभाग का काम है। टयूबवैल खुद गया, यह फाइल क्यों नहीं जमा कराते हैं? आप चैक कीजिये। आपका टयूबवैल खुदने के छह महीने तक यह फाइल जमा क्यों नहीं कराते? आप यदि संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील हैं तो यह क्या बात है? आप चैक करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जायेगी। आप एक ही बात देख लीजिये कब टयूबवैल खुदा,उसकी फाइल कब जमा हुई, आप कार्यवाही कर सकेंगे। यदि आपकी करने की मंशा होगी, यदि आप संवेदनशील होगें। स्थिति यह है और सबसे महत्वपूर्ण बातयंह है कि आपका यह डिपार्टमेंट हैण्ड पम्प और ड्रिलिंग का है। एक का तो निपटारा कर दिया जी.डब्ल्यू.डी. का। बहुत सही कदम उठाया है। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। यह दूसरा डिपार्टमेंट और है आपका। इसके अंदर बताया गया है कि इतनी इसके पास मशीनें हैं 3,287 हैण्डपम्प खोद दिये है दिसम्बर तक। 325 और खोद दिये। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा इनको टारगेट कितना दिया था?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूं डिपार्टमेंट को।

श्री अध्यक्ष : बकायदा सबका टाइम नोट कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : उधर की घड़ी धीरे चलती है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं-

श्री अध्यक्ष : जुबेर खान जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऊटपटांग आक्षेप नहीं लगायें तो अच्छा है। कुछ शालीनता सीखें अब।

श्री जुबेर खान : उधर की घड़ी धीरे चलती है, मैं अभी बता दूंगा अगले वक्ता में।

श्री अध्यक्ष : सबका समय नोट है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरा एक निवेदन है कि हैण्ड पम्प ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिये गये क्या वह- (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई लिमिटेशन नहीं है बोलने की। आप मर्जी आयें तब ही बोलने लग जाते हैं। -

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह डिपार्टमेंट टारगेट पूरा करता है। आपको इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिये। यह आपकी मशीनें खराब करके बैठ जायेंगे। जहां इच्छा होगी, खोदेंगे,जहां इच्छा होगी, नहीं खोदेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, मंत्रीजी। एक टयूबवैल के बारे में जिसका पैसा आज के ढ़ाई साल पहले जमा करा दिया गया पी.एचई.डी. डिपार्टमेंट के द्वारा। एक हाथ यह लेने वाला और यह देने वाला। मैंने आपसे यहां पर डेढ़ साल पहले निवेदन किया, यह सेक्रेटरी महोदया भी यहां बैठी हुई थी, डायरी में नोट किया इन्होंने। मुझे आश्वासन दिया, आपके चैम्बर में बात हुई। आज डेढ़ साल से ऊपर हो गया, पूरा ढ़ाई साल हो गया मगर वह अभी तक टयूबवैल् नहीं खुदा, क्या मतलब हुआ? आज इसकी स्थिति देख लो, इसका पैसा जमा किया हुआ है, स्कीम सेंक्शन है, तब यह हालत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी जो स्वीकृति स्कीमें हैं, मैं आपसे खुद स्कीम की बात कहूंगा। खुद मेरे क्षेत्र में एक गांव है, उसकी स्कीम सेंक्शन की उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई। आप बतायें उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी हो गयी क्या? उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। आज इतने साल हो गये। एक स्कीम बासनी रतकूडिया की नौ साल बाद में स्कीम सेंक्शन की उसकी तकनीकी स्वीकृति नौ साल बाद में जारी की है तो आप यह बतायें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह काम तो आपका ही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : और आपका ही पैसा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवदेन करना चाहूंगा, इस तरह की जो स्थिति है गांवों के अन्दर। आपके चालू

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

ट्यूबवैल जो है वह इसलिए बन्द हो जाते हैं कि उनकी मोटर जल जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर चीफ इंजीनियर का पद लगभग सालभर से खाली है इसलिए योजनाएं मंजूरी हेतु यहां आती है। यदि आपका चीफ इंजीनियर वहां हो जायेगा तो आपकी आठ लाख की योजनाएं की मंजूरी वहां हो जायेगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप गौर करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी। दस मिनट के हिसाब से ही बोलें आप।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : आपके आदेश की पालना करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब सात बजकर बावन मिनट हुए हैं।

(19.52)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : (माण्डलगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में करीब चार करोड़ रुपये की योजनाएं आपने स्वीकृत की है। इसके अलावा इस वर्ष गर्मी में जो मेरे क्षेत्र में भयकर पानी की समस्या रहती थी पूरे क्षेत्र में, उस पर आपके विभाग के अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया और कम से कम समस्या आने दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व एक आमां अर्सीपूरा की स्कीम सेंक्शन हुई थी। बारह तेरह गांव थे। परन्तु उसमें कुआ खुद गये थे और बाकी का काम नहीं हुआ था। मैंने माननीय मंत्रीजी को एवं विभाग के अधिकारियों को निवेदन किया। उन्होंने उसको पांच भागों में विभाजित किया, आमां, मुरलिया, रेणवास, अर्सीपुरा, भाकलिया, जित्या, तीसरी गेन्दलिया रेण चौथी सुटेपा उदलियास पांचवी जीवाखेड़ा दोवनी और छठी सरथला और इन बारह गांव की योजना को पांच भागों में विभाजित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्कीमें सेंक्शन हो गयी, स्वीकृतियां हो गयीं और इन पांचों की तकनीकी स्वीकृतियां भी हो गयीं और सोर्स भी वहां डवलप कर दिये गये। कनेक्शन भी हो गये। ये जी.एल्. आर. स्कीमें हैं पर इसके बाद आगे की जो कार्य की गति है वह कार्य की गति नहीं हुई, बिल्कुल कार्य भी नहीं हुआ। पाइप लाइन डलना, टंकियां

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

बनना। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ हो। इसके अलावा चार-पांच स्कीमें और सैंक्शन हुई उनकी भी यही स्थिति है। बाकी कार्य शुरु नहीं हुआ। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 58 हैण्ड पम्प लगे भी हैं, कुछ लग रहे हैं, कुछ और लगने वाले हैं।

बिजोलिया मेरे क्षेत्र का गांव है वहां पर भयंकर पेयजल की समस्या है। उस पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए डेढ़ करोड़ की रिवाइज्ड स्कीम बनायी। अधिकारियों की सदाशयता, मंत्रीजी की कृपा, डेढ़ करोड़ की स्कीम बन गयी। करीब छः महीने पहले यह सैंक्शन हुई। मैंने 4 जून को, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अजमेर, पुष्कर पधारे थे तब भी चीफ इंजीनियर को निवेदन किया था। उसके पहले दो महीने से लगातार मैं माननीय मंत्रीजी से कह रहा हूं। इस वर्ष भी वहां गर्मी में टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं की। पन्द्रह-बीस दिन हमें टैंकर लगाने पड़े। आखिर में डेढ़ करोड़ की योजना को बनाने में समय लगेगा, उसको पूरा होने में समय लगेगा ओर इस प्रकार की योजनाएं जैसा की माननीय खेतसिंहजी कह रहे थे, कि तकनीकी स्वीकृतियों में काफी दिनों तक योजनाएं लटक जाती है। तो कृपया इस ओर भी ध्यान दें। आपने पैसे भी भेज दिये और जिस रोज माननीय मुख्य मंत्री महोदय आये थे उस रोज चीफ इंजीनियर को भी निवदेन किया था, आपको भी निवेदन किया और उसके बाद अधिकारियों को भी बराबर निवेदन करता रहा हूं, आपने भी टेलीफोन किये। शून्यकाल में भी 27-28 तारीख को मैंने यह मामला उठाया था। मुझे अफसोस है कि आज दिन तक इस विषय में प्रशासन ने गम्भीरता से विचार नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि अपना गांव अपना काम योजना में आपने हैण्ड पम्प लिये हैं इसी प्रकार अपना गांव अपना काम योजना में आप पनघट योजना को भी सम्मिलित कर लें। पनघट योजना को आप सम्मिलित करेंगे तो काफी समस्या हल करने में मदद मिलेगी या ग्रामीण यदि कोई ट्यूबवैल खुदा दें तो बाकी की व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से करा दे तो काफी पेयजल समस्या हल होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प लगते हैं, अभी मेरे क्षेत्र में 58 हैण्ड पम्प लग गये। पर हैण्ड पम्प लगाने वालों को अपना अलग से ठेका देते हैं या विभाग की मशीनों द्वारा कराते हैं और उसका जो फाउंडेशन है या उस पर जो बाकी का सामान है, एसेसरीज

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

जो लगते हैं, वह दूसरे व्यक्ति को हम टेण्डर देते हैं या दूसरा विभाग करता है उसके कारण उनमें अन्तराल बहुत आ जाता है। हैण्ड पम्प लगने के बाद भी कभी-कभी छह महीने तक वह हैण्ड पम्प चालू नहीं होता है। तो इस ओर ध्यान दें कि हैण्ड पम्प लगने के बाद वह 10-15 दिन में चालू हो जाय, उसकी बाकी की जो रिकमण्डेशंस हैं वह पूरी हो जायं।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समर कन्टीनजेंसी प्लान के तहत कौन-कौनसी आपने योजनाएं बनायी हैं, किन-किन गांवों में पाइप लाइन सैंक्शन की, किस-किस ट्यूबवैल्स सैंक्शन किये, कहां हैण्ड पम्प सैंक्शन किये जो आपने सैंक्शन किये, कृपया 10-15 दिन में पूरे राजस्थान की जिलेवाइज विधान सभा क्षेत्रवार मंगा लें तो काफी कुछ तस्वीर आपके सामने स्पष्ट हो जायेगी कि वह कितना इम्पलीमेंट हुआ। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, पेयजल चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवदेन करना चाहता हूं अपने विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के सम्बन्ध में। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में यह वर्ष तो बड़ी परेशानियों से बीता है। कारण यह है कि सरकार ने भी काफी प्रयास किये, हैण्ड पम्प भी लगाये, ट्यूबवैल भी लगाये लेकिन निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी दोनों ही पंचायत समितियां डार्क जोन होने की वजह से जितने भी ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, अधिकांश काम असफल हो जाते हैं। जिससे सरकार के प्रयासों के बावजूद भी जनता को पेयजल की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में मेरा सुझाव यह है कि जब तक सिंचाई विभाग और पी.एच.ई.डी. सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे क्षेत्र की जल समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इस सन्दर्भ में प्रयास भी हुए हैं। बाड़ी मानसरोवर इसका उदाहरण है। बाड़ी मानसरोवर से छोटी सादड़ी को पानी दिया जाना तय है और चार करोड़ रुपये की योजना मंजूर हो गयी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाड़ी मानसरोवर में तो पानी अभी तक आया नहीं, रोका नहीं गया और पाइप लाइन पूरी हो गयी और वाटर फिल्टर प्लांट भी लग गया। पेयजल के हिसाब से चार करोड़ रुपये पूरे कर दिये लेकिन बाद में पानी पूरे साल तक प्रयास करने के बाद भी अभी तक रोका नहीं गया। संभवतः इस साल रोक दिया जाय। अगर यह पानी गये साल ही रूक जाता तो इस साल जो लाखों रुपये पानी के लिए छोटी सादड़ी में खर्च किये गये वह नहीं करने पड़ते। सरकार का पैसा भी बचता और

(श्री उदयलाल आंजना)

जनता की परेशानी भी कम होती। इसी प्रकार की परेशानी, चित्तौड़ जिले का सबसे बड़ा कस्बा है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में बहुत भारी परेशानी आ रही है। पानी का वाटर लेबल करीब 200 फीट से 300 फीट के बीच में मिलता है। सब हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल्स सूख गये हैं।

(20.00)

अगर इसके लिये भी जिस प्रकार छोटी सादड़ी की योजना बनायी, उसी अनुसार किसी बांध से योजना बनायी जायेगी तो ही उस समस्या का निराकरण होगा नहीं तो हर साल करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पनघट योजना चालू की गयी हैं लेकिन विधान सभा में प्रश्न लगाते हैं तो जवाब आता है कि सभी चालू हैं। अगर मौके पर जाकर देखें तो आज भी डेढ़-डेढ़ साल से दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये योजना पर खर्च कर रखे हैं उसके बाद भी वह बन्द पड़ी हैं और जवाब में यह आता है कि सभी गांवों में योजनाएं चालू हैं। जबकि नारायणी, जलूदा, तेलखड़ा, जलूदा जागीर, करजु, बम्बोरी, गारुन्दा, चरलिया, धनुरा, पुलवा, जावदा, मल्लाचारण और केड़ी। यह सब योजनाएं बन्द पड़ी हैं और उत्तर यह आया है कि सब जगह योजनाएं चालू हैं। तो, इस प्रकार गलत उत्तर दिये जाते हैं और सरकार ध्यान नहीं देती है। इस प्रकार जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये कम से कम जब प्रश्न लग जाय उसके बाद तो अधिकारी हरकत में आ जायं। उन योजनाओं को चालू करवा दें।

जिस प्रकार औसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वही की वही स्थिति मेरे यहां भी है। जाने किस वजह से, राजनीतिक द्वेषता की वजह से, कहीं दस फीट पाइप नहीं है तो कहीं बीस फीट पाइप नहीं हैं उसके पीछे योजनाएं रोक रखी हैं। हजारों बार, कितनी बार अधिकारियों से मिले लेकिन कोई कारगर कदम इस मामले में नहीं उठाया जाता। जब माननीय मंत्री महोदय निम्बाहेड़ा पधारे थे, एक मोहल्ले की समस्या के लिये निवेदन किया था। वहां पाइप लाइन लगी तो सही लेकिन करीब एक साल बाद लगी और उसके लिये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पाइप को लेकर कहें कि हमने यहां लाकर लगा दिये, इस प्रकार की सस्ती वाहवाही लूटने से क्या फायदा होता है। जनता की समस्या का समाधान करना चाहिये।

मेरा निवेदन यही है कि जो बंद पड़ी योजनाएं हैं उनको पुनः जल्दी से जल्दी चालू किया जाय। पेयजल के लिये हर साल समस्या आती है और जून के महीने में ज्यादा काम किया जाता है। जून के महीने में ज्यादा काम अभी इस वर्ष भी किया गया। इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ

(260)

(श्री उदयलाल आंजना)

है ड्रिलिंग के मामले में कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही है। जितने भी हैण्ड पम्प खुदे हैं 200 फीट, 250 फीट के खोदे गये हैं और पांच सौ फीट का पेमेण्ट उठाया गया है। जिसकी कलक्टर के यहां शिकायत की गयी है। शायद उनका पेमेण्ट तो रोक दिया गया है। उसको थोड़ा सीरियसली देखें कि इस प्रकार का ऐन मौके पर काम किया गया, भ्रष्टाचार हुआ। पाइप लाइन की खरीद में तो बहुत भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वह फाइलें भी रूकी हुई हैं। बीस रुपये फीट का पाइप पचास रुपये फीट की रेट से सप्लाई किया गया है। यह अखबारों में रोज ही आ रहा है। कल और भी तथ्य आपके सामने निवेदन कर दूंगा। अभी टेलीफोन आया था तब उन्होंने यह बात बतायी थी कि इस प्रकार कलक्टर साहब ने रोका है। तो यह और तथ्य भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पानी जैसी समस्या के लिये इस प्रकार की संवेदनशीलता रखनी चाहिये ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पेयजल की मांग पर विचार चल रहा है उसमें सबसे पहले तो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, डिपार्टमेंट पैसा हर साल खर्च करता है वह पैसा अगर सही रूप से खर्च हो तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन या तो पहले खरीद में गड़बड़ होती है और वहां से चले जायं तो वहां जाने के बाद अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से खर्च होता है। पाइपों का सामने है। उसी तरह मोनो ब्लॉक्स पम्प सैट्स जो पिछले साल सीकर में भेजे गये उनमें करीब-करीब में यह शिकायते हैं और ऐसे पम्प सैट भेजे जाते हैं। शायद सीकर जिले में तो उस कम्पनी का एक भी पम्प सैट आप खरीदना चाहें तो नहीं मिलेगा। अब कहां से लाते हैं किस आधार से लाते हैं और जितने भी 16-17 मेरे विधान सभा क्षेत्र में रिप्लेस किये गये थे, उनमें से करीब करीब सभी की शिकायत है। कोई भी चलने लायक नहीं है। दो भागों में हैं। जो स्कीम पहले से है उनमें और विशेष तौर से सीकर जिले में जो टीएसएस. सबसे ज्यादा है, और उनमें पाइप हर साल पांच फीट के करीब गहरा जाता है तो हर दो या तीन साल के बाद हर कुएं को गहरा करना पड़ता है लेकिन उसमें विभाग के पास जब तक वह कुआं बन्द नहीं हो तब तक उसको न विभाग का जेईएन. देखता है, न एईएन. देखता है। जब पानी बिल्कुल बन्द हो जाता है उसके बाद उसकी प्लानिंग बनायी जाती है। उसकी स्कीम बनाकर फिर वह एसई. के पास जाती है और एसई. कहता है मेरे पास कोई बजट नहीं है। फिर वह जयपुर एडिशनल चीफ इंजीनियर के यहां आयेगी

(श्री अमराराम)

और इस पूरी प्रक्रिया में तीन महीने लगेंगे और पूरी की पूरी गर्मी की सीजन चली जाती है।

इसलिये मेरा पहला तो यह निवेदन है कि जो स्कीमें चल रही हैं उनमें अगर गहराई की, बोरिंग की या मेंटीनेंस की, उनकी मरम्मत की अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से एईएन. की इसकी सैंक्शन की पावर होनी चाहिये और उसको आपको बजट देना चाहिये जिससे त्वरित गति से काम हो। जो जेईएन. है उसका एरिया है, उसके लिये गरमी का इन्तजार नहीं करें। वह इस बात को देखें कि जो स्कीमें चल रही हैं टी.एस.एस. चल रही हैं उनमें अगर खुदाई की, बोरिंग की आवश्यकता है तो वह प्लान बनायें और उसको सैंक्शन करके टाइम रखते हुए उसको पूरा करवाया जाय।

जहां तक उसके सामान का है, जो सामान लगा है कोई बीस साल से लगा हुआ है, पच्चीस साल से लगा हुआ है। अगर केबल जल गयी तो आप रिपेयर नहीं करते। आपने जो सामान दिया है, जो उसका पैनल बोर्ड दिया है उस पैनल बोर्ड को रिपेयर करने का कोई मिस्त्री नहीं है। स्टार्टर-अमूमन पूरे सीकर जिले में, झुन्झुनूं में, नागौर में चलते हैं अगर वह स्टार्टर दें तो अच्छी तरह से, जो पैनल बोर्ड देते हैं उसके कारण मोटरें भी जलती हैं और खराब हो गया तो डायरेक्ट चलानी पड़ती है और इससे सबसे ज्यादा मोटरें जलती हैं। इसलिये ऐसा सामान क्यों खरीदा जाय जो वहां रिपेयर ही नहीं हो सकता। आपके वाटर वर्क्स में जो स्कीमें हैं उनमें खरीदें। मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो टी.एस.एस. है जो गांवों में गांव के लोग उसको ऑपरेट करते हैं कम से कम उसमें ऐसा सामान नहीं दें जिसको रिपेयर करने के लोग वहां नहीं हों।

अब जहां तक इन स्कीम्स का है, इनका पावर एई.एन. स्तर से ऊपर नहीं रखा जाय। इनकी जो मौजूदा स्कीम्स हैं और नयी स्कीम्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्राब्लम क्या है कि पहले तो वह सैंक्शन नहीं होती। एडिशनल चीफ और चीफ इन्जीनियर से पहले कोई स्कीम्स नहीं हैं। और अगर सैंक्शन हो जाय तो वह लागू नहीं होती। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो एस.आर. खूड और भानुड़ा सैंक्शन हुए। दो साल हो गये और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी.एल.आर. सबलपुरा में सैंक्शन हुए चार साल हो गये। जब भी एक्सईएन. और एसई. से मिलते हैं तो कहते हैं कि ठेकेदार काम नहीं करता है। तो ठीक ढंग से उस ठेकेदार से काम कराएं और अगर नहीं करें तो कहते हैं हम चार्ज शीट देंगे, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। अब चार साल में इनको फुर्सत ही नहीं है। इसलिये ऐसी स्कीम्स जो पास हो जायं उन पर त्वरित गति से कार्य करना चाहिये और उनको विद लिमिट आपने सैंक्शन कर दी, टेक्निकल सैंक्शन

(श्री अमराराम)

दे दी तो कोई टाइम पीरियड बाउण्ड अप होना चाहिये कि इतने में यह चालू हो जाय।

दूसरा, दो विभाग हैं। मेरा तो यह सजेशन है कि ड्रिलिंग का जो समय है, अलग से विभाग है इसको इसी में मर्ज करके हर सर्किल आफिस पर इनकी जो मशीनें हैं, हमारे यहां जो भी ड्रिल करने हैं पम्पिंग सैट्स या हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल, इनके लिये मशीन कभी सीकर में पहुंचती ही नहीं है। यह लिखते रहते हैं। कभी जाती है तो पचास हैण्ड पम्प ड्रिल किये और वापस मंगा ली जाती है। इसलिये क्यों नहीं सर्किल जो आपने बना रखा है उनमें निश्चित रूप से इनका जो टेक्निकल स्टाफ है उन सर्किल में दे दीजिये और अपनी आवश्यकता के अनुसार वह उनका यूज करेंगे।

जो नयी स्वीकृतियां हैं, सबसे बड़ी समस्या कहां आती है जहां छोटे गांव हैं। वाटर वर्क्स वालों से जब बात की जाती है तो जो हैण्ड पम्प में हैं। गांव वालों ने कुआं बना रखा है, छोटी-मोटी टंकी भी बना रखी है। एक हैण्ड पम्प पर 75 हजार रुपया खर्च होता है। अगर वह 75 हजार रुपया आप उस कुएं में बिजली लगाने में खर्च करें तो परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। उस स्कीम के हैण्ड पम्प के बारे में कहते हैं यह तो चेन्ज करने का पावर हमारे एसई. को भी नहीं है। जो आपकी कमेटी है पी.पी.सी., उसके पास जाऐंगे तब चेन्ज होगा। अगर पांच सौ, चार सौ की आबादी है, वह रेवेन्यू बिलेज भी हो गया लेकिन हैण्ड पम्प से हम टी.एस.एस. में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने 75 हजार रुपये इस साल लगाये। चार साल के बाद पानी बीस फीट और गहरा चला जायेगा। आपका हैण्ड पम्प खराब हो गया फिर आपको एक हैण्ड पम्प लगाना पड़ेगा। डेढ़ लाख रुपया लग गया और 75 हजार में उस गांव को पानी मिल सकता है तो आप कम से कम सर्किल लेवल पर ऐसी पावर दें कि अगर चेन्ज करनी है, प्रेक्टिकली है तो–

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए उसको चेन्ज करने का पावर वहां दें और प्रेक्टिकली है तो चेन्ज कर दें। जहां तक जो जनता जल योजना है निश्चित रूप से इसको जारी रखना चाहिये। लेकिन जो इसमें समस्यायें हैं, सबसे पहली समस्या तो यह है, सीकर में तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा गांवों के लिये बेनिफीसियरी रही है। 100 से ज्यादा जनता जल योजना की स्कीम्स वहां चालू हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक तो पुनर्भरण जो बिल का है, गांव वाले पहले तो जो पांच सौ रुपया बिल का आया, आठ सौ रुपया आया उसको जमा करवायेंगे। जमा करवाने के बाद में रसीद लेकर के एईएन. के यहां जायेंगे। एईएन. साहब नहीं मिले

(श्री अमराराम)

तो दूसरे दिन फिर जाना पड़ेगा। डेढ़ सौ रुपया तो इसी में हो जाता है। फिर वह चैक काटेंगे। एईएन. को पावर नहीं है, एक्सईएन. के यहां भेजेगा। एक्सईएन. उसका चेक काटेगा। इसमें कौनसा फर्क पड़ता है, कौनसा इनवाल्वमेंट है। आप चाहे आठ सौ रुपये गांव वालों से जमा कर लें। लेकिन आप एक दफा जमा कर लें लेकिन कम से कम यह तो डायरेक्ट करें। जो गांव वालों ने बढ़िया काम किया है जो टी.एस.एस. चल रही थी जिनको जनता जल में आपने कन्वर्ट किया है उनमें 15 हजार तो बिजली का है। तो गांव वालों ने क्या गुनाह कर दिया टी.एस.एस. को चालू किया, पम्पिग सैट लगाया। उनमें अगर 15 हजार 20 हजार रुपये पहले बिजली के बकाया हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया कि आपकी स्वीकृति के पहले गांव वालों को पानी पिला दिया अभी बीस हजार रुपया बकाया है तो आप उनको जमा नहीं करवायेंगे, कि यह तो स्वीकृति बाद में हुई और पहले पानी निकाल दिया। तो पानी पिलाया है, खेती नहीं की उन्होंने। तो उस पानी के पैसे को बिजली बोर्ड का पैसा है, व्यक्तिगत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री उगमराज मेहता।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट सबको दिये हैं। 10 मिनट नहीं हुए हैं। जनता जल में बिल का है, जो पहले चल रहे थे तो उनमें से जो पहले का बिल है उसको भी जमा करवाया जाये। करंट बिल है। टी.एस.एस. की तरह वाटर वर्क्स उसको जमा करायें।

दूसरा इसमें यह है कि जो पम्पिग सैट डेजर्ट एरिया को दिया है लेकिन सीकर और जयपुर के इलाके को नहीं है। सीकर में ऐसे गांव हैं जहां पौने चार सौ फीट गहरा पानी है। आपको 20 एच.पी. की मोटर लगानी पड़े तो निश्चित रूप से मोटर में सबको शामिल करें। आपने जो आदेश निकाले हैं कि एक हजार रुपये रिपेयर के लिये हर साल जनता जल योजना में हैं उनको देंगे। लेकिन आपके अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें हमारे पास कोई फण्ड नहीं है। आदेश निकाल दिये कि पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। इसलिए यह जो स्कीम है।

खण्डेला में 135 गांव हैं, नीम का थाना में 2-2 हजार की आबादी है, आपकी एक टी.एस.एस. नहीं चल रही। चार हैण्ड पम्प हैं, कहां पानी पीयें। कुये बने हुए हैं। गांव वालों में जल सहयोग की बात करते हैं आप। कुयें बनाये हुए हैं। छोटी टंकी बनायी हुई है केवल आप उसको पम्पिग सैट दे दें और इसमें बिजली का कनेक्शन और ले दे तब गांव की समस्या का समाधान हो सकता है।

इसमें एक और है कि लोसल कस्बा है उसमे विशेष तौर से 30 साल

(श्री अमराराम)

पहले से पाइप लाइनें और सोर्सेज अच्छी तरह से डवलप्ड हैं, केवल मात्र उसकी पाइप लाइन जो 30 साल पहले थी, अभी जब बाढ़ आयी और उसकी पाइपें टूटी तब पता लगा कि आधी से ज्यादा पाइपों के अन्दर जंग आकर खराब हो गयी है। सोर्स पूरा है। अतः लोगों तक पानी पहुंचे इसके लिये पाइप लाइन को बदल दिया जाये तो इसका सोल्यूशन हो सकता है।

लेकिन आपके विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पानी पूरा जा रहा है। इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसे अच्छी तरह से देखें। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। यह पता जब लगा, पहले भी लोगों ने शिकायत की। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर योजना के अन्तर्गत इन टेक वेल बन गया। फिल्टर प्लांट बन गया, नसीराबाद तक पाइप लाइन आ गयी। पाइप लाइन टेस्ट हो गयी। बीसलपुर में जो 315 मीटर गेट लगने थे सिंचाई विभाग द्वारा, वह गेट नहीं लगे और गेट नहीं लगने के कारण 1995 में ही जो काम पूरे होने थे, नहीं लगने के कारण इस साल वहां पानी पीने के लिये उपलब्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार उस बांध के ऊपर दो मीटर दीवार और बननी थी वह अभी बनी नहीं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी टाइम है आप इस योजना को जिस प्रकार से 1994 में, मानीटरिंग इस प्रकार से की थी भाभड़ा साहब ने, माननीय मंत्री महोदय ने, श्री महावीरजी जैन ने, उस प्रकार से मानीटरिंग करके इस काम को पूरा करें। ब्यावर की तरफ बड़ी पाइप लाइन जो 1995 में पूरी होनी थी, यह आश्वासन दिया गया था कि जनवरी, 1996 में 40 लाख गेलन पानी ब्यावर को दिया जायेगा। लेकिन पाइप लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई। गत 4 जून को अजमेर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सम्भागीय मीटिंग ली, सारे अधिकारी मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे, गृह मंत्रीजी भी वहां मौजूद थे, महावीरजी जैन भी मौजूद थे चिकित्सा मंत्री भी मौजूद थे, यहां के हमारे प्रभारी मंत्री मौजूद थे, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूछा कि क्या बात है, यह ब्यावर की पाइप लाइन अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? उस समय इन्होंने आश्वासन दिया मुख्य मंत्रीजी के सामने और माननीय मंत्रीजी के सामने कि इस साल दिसम्बर में काम पूरा कर लेंगे, टेस्टिंग का काम पूरा हो जायेगा और टंकियां जो दो और बननी है ब्यावर में, वह भी काम पूरा हो जायेगा। मुझे यह आश्वासन दिया गया कि जनवरी, 1977 में 40 लाख गैलन पहाड़ी पानी बड़ी पाइप लाइन से ब्यावर को दे दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से

(श्री उगमराज मेहता)

निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी मानीटरिंग जिस प्रकार से अब हो रही है और पहले भी हो रही थी उसी प्रकार से जारी रखें ताकि काम पूरी रफ्तार से चलें।

मंत्री महोदय, आपने 15 सौ की जनसंख्या वाले गांवों के लिये जो योजना बनायी है उस बारे में गांव वाले भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की योजना बनने से हमारे गांव में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से कोटड़ा, बाघोला, बागमाल, माधोवाड़ा, नाथुवाड़ा, खेड़ा, खेंड़ाकलां, सूरड़िया, कालिजा की इस प्रकार से 15-16-17 और 18-18 लाख की जो स्कीम है यह बनाकर भेजी है। मेहरबानी करके इस योजना को तुरन्त चालू किया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से पानी की जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो सके। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में मैंने एक मसला उठाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक भोमादा बांध है और भोमादा बांध के बारे में आपका जवाब भी आया था कि इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 15 लाख रुपये की योजना है और इससे 21 गांवों को उसका लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके पास में एक चूड़ेदा बांध भी है। इन दोनों बांधों का पानी सिंचाई के काम में नहीं आता और साल भर तक पानी भरा हुआ रहता है। अंतः इस प्रकार से योजना बनायी जाये कि पूरे तारागढ़ से लगा करके जो कम से कम 15, 16 पंचायतें हैं उन सारे गांवों को इस योजना से लाभ मिले और उनको शुद्ध पेयजल मिले। यह आपके उस प्रश्न के जवाब में भी है कि इस क्षेत्र में 81 गांवों में थ्री पी.पी.एम. से ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो फ्लोराइड का पानी पीने को मिलता है, यह भी उन ग्रामीण भाइयों की एक समस्या है तथा इसका समाधान हो जायेगा। इसी प्रकार से बाल्या पंचायत में गोटों का नाका बांध, जो इस साल मैंने डी.आर.डी.ए. में 30 लाख रुपये की स्वीकृति के लिये भेजा है, काम अगर हो जाये, 30 लाख रुपये में बांध बन जायें, तो उन पांच पंचायतों में भी पेयजल की योजना आप तैयार करें ताकि उन गांव वालों की समस्या का समाधान हो सके। इसी प्रकार से कोटड़ा के पास में एक कोटाकोराना का बांध, **जिसमें** अभी अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम चल रहा है तो उन पंचायतों में भी इससे पेयजल की समस्या का समाधान हो जायेगा। नीलकंठ महादेव से जो ब्यावर पाइप लाइन से पानी आ रहा था वह पानी अभी ब्यावर नहीं आ रहा है और उस पानी का आप उपयोग लें। उसके आस-पास में जो चार-पांच गांव हैं वहां उन पंचायतों में उस पाइप लाइन से उनको पानी उपलब्ध करवाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज का पेयजल का जो पानी चलता है उसमें हमें भी ध्यान

(श्री उगमराज मेहता)

रखना चाहिये। आप अपने अधिकारियों को कहें कि जिस प्रकार टूंटियां चलती हैं वह नल ही नहीं लगाते, टूंटियां ही नहीं लगाते हैं। जिस समय नल आता है वह टूंटियां बिल्कुल खुली पड़ती रहती है और सड़कों पर पानी बहता है और पानी फालतू बहता है। इस प्रकार उसके ऊपर भी पाबन्दी लगाई जाये कि जिस समय पानी भरें उस समय पानी भरने के लिए उस नल के ऊपर टूटियां लगी हुई हों। शहर के अन्दर आजकल स्केयरसिटी के कारण टूंटियां लगाना ही बन्द कर दिया है। अब जब 48 घण्टे में सप्लाई आ रही है तो पानी भरने के बाद में वह पानी बेकार सड़कों पर जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आपने ब्यावर के लिए 90 लाख रुपये की पाइप लाइन सैंक्शन की है। पाइप लाइन आ गयी है। लोग-बाग तो यहां कह रहे थे कि हमारे यहां पाइप नहीं है। वहां पाइप आये हुए पड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 20 कालोनियों में जहां पाइप लाइन बिछानी है और अन्य जगह जो पाइप लाइन चेन्ज करनी है वह पाइप लाइन का काम जल्दी करवायें। कारण यह है कि अभी 40 लाख की सड़कों के टेंडर हो गये हैं और वे सड़कें बनाना चालू हो गयी हैं। सड़कें बनने के बाद पाइप लाइन डलेंगी तो फिर सड़कें टूटेंगी। इसलिये उसका काम जल्दी से जल्दी हाथ में लें और पाइप लाइन का काम पूरा कराया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल पर जो चर्चा हो रही है, उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पेयजल के मंत्री आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा हैं, 9 महीने तक इनका विभाग कुछ करता नहीं और गर्मियों के 2-3 महीनों में लिए हर वर्ष मंत्री प्रभारी बदल-बदल कर जिलों में भेज देते हैं। मैं आपको अलवर का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि गत वर्ष वहां ललित किशोर जी चतुर्वेदी को भेज दिया। उन्होंने यहां विधान सभा परिसर या मंत्रिमण्डल कक्ष में मीटिंग ली। सारे उच्चाधिकारियों को बुलाया और जैसा उनका स्वभाव है कि आइ वांट स्पेस्फिक डेट, सात दिन के भीतर यदि काम नहीं हुआ तो कान खींच लूंगा। लेकिन उसके बाद गायब हो गये। अब की बार आदरणीया नरेन्द्र कंवर जी और सुनील अरोड़ा जी चले गये। जिस दिन इन्होंने मीटिंग ली, उस दिन हमारी पीड़ा से ज्यादा ये लोग पीड़ित थे कि अलवर में पेयजल की स्थिति क्या हो रही है? दुःख इस बात का होता है कि हम तो साल भर आप लोगों के सामने चक्कर लगाते रहते हैं। माननीय मंत्रीजी को ज्ञापन देते रहते हैं, एक्सईएन. को देते रहते हैं, एसई. को देते रहते हैं, चीफ इंजीनियर को देते रहते हैं। लेकिन जो शब्द आदरणीया नरेन्द्र कंवर जी के और सुनील अरोड़ा जी के थे, अगर कोई शर्मदार कर्मचारी होता तो

(श्री जुबेर खान)

उसी दिन त्यागपत्र दे देता। यह उनके अलफाज थे। उस मीटिंग में। मैं अलवर के मामले में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समय बदल गया है। आजादी के समय जो अमीर थे वे आज गरीब हैं। जो भिखारी था वह राजा है, खण्डहर पांच सितारा बन गये और पांच सितारा खण्डहर बन गये। अलवर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहां पानी बहुत है। वहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप भली-भांति परिचित हैं कि जिस अलवर की जरूरत 56 मिलियन लीटर पानी की है वहां सिर्फ 28 मिलियन लीटर पानी दिया जा रहा है। 50 परसेन्ट की पूर्ति हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मांग उठती है तो कहा जाता है कि यहां तो पानी की कमी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, अलवर को आपको आगामी और दूरदृष्टि से देखना है क्योंकि नेशनल केपिटल रीजन में आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अलवर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप जब तक सिलिसेढ़ या जयसमन्द से पेयजल की व्यवस्था का विचार नहीं करेंगे तब तक अलवर का उद्धार नहीं हो सकता। आप गांवों में लगा देते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आज आप निर्भर कर रहे हैं नसोपुर योजना पर जो रामगढ़ तहसील में है। आप 24 इंच के 18 बोरिंग वहां करा रहे हैं। वहां 3 लाख की जनसंख्या आज है। आगामी दिनों में जैसा ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वहां के काश्तकारों का क्या हाल होगा? अलवर से नसोपुर 30 किलोमीटर है जबकि सिलिसेढ़ और जयसमन्द का जो नहरी क्षेत्र है उसमें सबमें आज आबादी बस गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सिलिसेढ़ की नहरों से पानी जाता था, अलवर शहर के कम्पनी बाग में, बिजली घर में, कलक्टर की कोठी में, सर्किट हाउस में, लाल डिग्गी में और जितने भी गार्डन थे। आज सब नहरों पर अतिक्रमण होकर वहां पानी नहीं जाता है। मेरी आपसे यह मांग है कि अलवर जिले के गांव के किसानों को मत उजाड़िये। आप सिलिसेढ़ से पानी की व्यवस्था कीजिये। इसमें कोई शक नहीं कि अलवर में पानी की पूर्ति थी। अलवर में महाराजाओं के टाइम में 200 बांध थे। लेकिन आपके सिंचाई विभाग के टाइम में 20 भी गिनती के नहीं रहे हैं। जो फूट जाते हैं उनकी मरम्मत नहीं होती है। इसलिए अलवर में पानी का लेबल नीचे जाता जा रहा है। अलवर में एनडी़ब्री. एक्सटेंशन तुलेड़ा हाउसिंग बोर्ड की योजना है। हाउसिंग बोर्ड ने पूरा पैसा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया। वहां लोग तीन साल से पजेशन लेकर बसे हुए हैं और पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है। आदरणीया मंत्रीजी

(श्री जुबेर खान)

आई थीं, इनको लोगों ने ज्ञापन दिया था और मौके पर लेकर गये थे। अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हां, पानी चला दिया जायेगा। हाउसिंग बोर्ड का कोई कसूर नहीं जितना पैसा मांगते थे उन्होंने दिया। एक्सईएन. साहब से मिले, एक्सईएन. साहब ने एईएन. को चिट्ठी लिखदी कि कनेक्शन के लिए उनकी फाइल लगवायी जाए। एईएन. के पास फाइल लेकर गये तो एईएन. ने चिट्ठी लिख दी कि अभी तक पाइप लाइन ही नहीं डली है, जहां ट्यूबवैल है वहां से तो कनेक्शन किस बात के। यह विरोधाभास आपके विभाग में है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि रामगढ़ में जो आपकी 20 साल पहले पानी की केपेसिटी थी वही आज 20 साल बाद है। कस्बे कितने बढ़ गये हैं। आपके यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो जाती है, फाइनेंशियल सैंक्शन हो जाती है लेकिन टैक्नीकल सैंक्शन आपकी चार-चार, पांच-पांच साल नहीं होती है। उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं और आपकी योजनाएं खटाई में डल जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, गोविन्दगढ़ में जहां एक क्षेत्रीय योजना है, रीजनल स्कीम है सलालपुर डूंगरी, कहने को तो आप उसमें आठ गांवों को पानी दे रहे हैं। 15 साल पहले योजना बनी थी उसका जो ओवर हैड टैंक बना हुआ है माननीय मंत्री महोदय, आज तक एक बूंद पानी उसमें नहीं चढ़ा है। मैंने विधान सभा में सवाल लगाया था तो आपने आश्वासन दिया था कि जांच करायेंगे और जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा। इतना पैसा सरकार का लग गया वहां पर पानी कैसे नहीं चढ़ाया गया। आपके आश्वासन देने के बाद आज तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गोविन्दगढ़ के साथ तो इतना पक्षपात होता है कि छः महिने जेइ.एन. रामगढ़ के अंडर में, और अगले छः महिने लक्ष्मणगढ़ के अंडर में रहता है। यह स्थिति है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव आया हुआ है, गोविन्दगढ़ पुरानी पंचायत समिति रही है किन्हीं कारणवश पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ चली गयी है, आप वहां जेईएन. की पोस्ट सैंक्शन करायें। उस एरिये के साथ बड़ा अन्याय होता है।

मेरा एक निवेदन और है कि बाढ़ में बिजली की लाइन गिरने के बाद आज तक भी मुबारिकपुर कस्बे में पेयजल की मोटर का कनेक्शन नहीं किया गया है। आज तक भी लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहां एक भी हैण्ड पम्प आपका नहीं है क्योंकि वहां आपकी पेयजल योजना आ गयी है। एक निवेदन और है कि जिन कस्बों में आपकी पेयजल योजनाएं हैं और उसी कस्बे के गांव, छोटी-छोटी ढाणियां, जो एस.सी., एस.टी. की वहां बनी हुई हैं उनमें आपका विभाग न पाइप लाइन डालता है और न हैण्ड पम्प

(श्री जुबेर खान)

करता है। हैण्ड पम्प इसलिए नहीं लगाता कि पेयजल स्कीम है और उन मोहल्लों में आपका विभाग पानी नहीं दे रहा है।

आपके विभाग पर मेरा एक आरोप है कि जिन कस्बों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों के मोहल्ले होंगे वहां एक इंच की पाइप लाइन मिलेगी और जहां समृद्ध लोगों के घर होंगे वहां दो-दो और तीन-तीन इंच की पाइप लाइन मिलेगी। यह एक उदाहरण है। आप अगर इसकी जांच कराना चाहें तो रामगढ़, नौ-गांवां और गोविन्दगढ़ का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। आप इन पिछड़े लोगों के साथ क्या अन्याय करना चाहते हैं? आप एक तरह से बरतिये। जब आप अच्छे मोहल्लों में, धनपतियों के मोहल्लों में, सवर्णों के मोहल्लों में पाइप लाइन बदलते हैं तो हरिजनों के मोहल्लों में क्यों नहीं पाइप लाइन बदली जाती।

आपके विभाग में यह नार्म्स हैं कि जो सोर्स विलेज हैं, उस विलेज को जरूर पेयजल की व्यवस्था कराई जायेगी। रामगढ़ कस्बे को बड़ौद गांव से पीने के लिए पानी आ रहा है। रामगढ़ को जाता है अच्छा है। लेकिन बर्डोद में आज तक भी पेयजल की योजना नहीं है। वहां 10-20 मीटर पाइप लाइन डाल दें तो आपका क्या जाता है? जिस गांव का पानी आप ले रहे हैं उस गांव में भी लोग पानी पी लें इसमें कहां आपत्ति है। आपका विभाग कहता है होना चाहिए, आप सवालों के जवाब में कहते हैं होना चाहिए। लेकिन मौके पर होता नहीं है। मेरा एक और आपसे निवेदन है कि आपने 1500 का क्राइटेरिया बना रखा है। अलवर में तीन पंचायत समिति ऐसी हैं जहां पहाड़ी क्षेत्र है, अनुसूचित जाति, जनजाति का पहाड़ी क्षेत्र है। पंचायत समिति रेणी, पंचायत समिति राजगढ़, पंचायत समिति थानागाजी। इनमें आप जनसंख्या का मापदण्ड उसी तरह से रखिये जैसे आपने पश्चिमी क्षेत्र और ट्राइबल एरियाज में रखा है। क्योंकि वहां पर पहाड़ ऊंचे-नीचे हैं। एनीकट के बगैर वहां पानी रूक नहीं सकता और इतनी गहरायी पर पानी है कि 100-100 फीट नीचे कुएं से पानी खींच कर लाया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी व्यवस्था करिये। इन तीन पंचायत समितियों का वही मापदण्ड बनायें जो आपने पश्चिमी राजस्थान का बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उपाध्यक्ष बनकर बैठ गये, पांच मंत्री बनकर बैठ गये। लेकिन डी.आर.डी.ए. की

(श्री जुबेर खान)

मीटिंग में जिस तरह से उपाध्यक्ष होते हुए और पांच मंत्री होते हुए पेयजल के लिए गिड़गिड़ाते हैं वह हमारे जिले के लिये बड़े शर्म की बात है। इतनी स्थिति खराब है, आप याद करिये आपका स्वरूप जब आप डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में बैठते हैं और याद करिये जब आप आसन पर बैठते हैं। मंत्री भी यह याद कर लें। उद्योग राज्य मंत्री ने आपके सामने डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में कहा था–

श्री उपाध्यक्ष : काफी लोगों को बोलना है कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग 35 हजार रुपये में मैदानी क्षेत्र में बोरिंग करता है और हैण्ड पम्प लगाता है। वहां के जन प्रतिनिधियों ने पेयजल की योजना की मीटिंग में, डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में यह कहा है कि 10 हजार में हम आपको हैण्ड पम्प लगाकर देंगे। आप किसी तरह से इसको चाहे पंचायत समितियों के अधीन दे दीजिये, एक दो मंत्रियों ने तो यह कह दिया कि आप हमें जिम्मेदारी दीजिये, हम 10 हजार में आपको कमीशन करके देंगे। आप क्यों नहीं अनुभव करते ? क्योंकि आपका विभाग का कमीशन जाता है, आपके अधिकारियों के पेट पर लात लगती है। आप पंचायत समितियों से मैदानी बोर कराइये, आपको 10 हजार में हैण्ड पम्प लगाकर देंगे। जिस तरह से किसान का एक बोरिंग 15-15 साल तक सिंचाई करता है, आपका वह हैण्ड पम्प भी आपके लोगों को पानी देगा। एक मेरा आपसे निवेदन है, हर साल गर्मियों में रामगढ़ के 10 गांवों में टैंकर से पानी दिलाया जाता है क्योंकि दो-दो किलोमीटर में मीठा पानी नहीं है और गर्मियों में ट्यूब वैल भी बन्द हो जाता है, सिंचाई नहीं होती है। बांधोली और खोजाका की एक रीजनल स्कीम की आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन तो दे दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद लेकिन तुरन्त प्रभाव से इसकी टेक्नीकल सैंक्शन देकर उसका कमीशन कराइये ताकि अगली बार टैंकर नहीं लगाने की जरूरत पड़े, यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भीमराजजी भाटी।

श्री जुबेर खान : अन्त में एक ही बात कहूंगा कि आप नसोपुर योजना का ख्वाब छोड़ दीजिये। आपके अधिकारी बार-बार बहकाते हैं। नसोपुर बहुत दूर पड़ता है और वहां के गांव के लोग आपको वहां पर बोरिंग भी नहीं करने देंगे। अलवर शहर प्यासा मरेगा इसलिए आप नसोपुर को छोड़कर इधर सिलिसेढ़ की तरफ चलिये या जयसमंद की तरफ चलिये जहां पानी का वाटर लेवल भी ज्यादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयसमंद और सीलिसेढ़ का कैचमैंट एरिया और नहरी क्षेत्र है, पांच किलोमीटर से

(श्री जुबेर खान)

ज्यादा रेडियस नहीं हैं, वहां पानी का अपार भण्डार है। आप अलवर के लिए इधर से पानी दिलाने की कोशिश करिये, यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय को धन्यवाद देऊंगा कि उन्होंने पाली शहर के लिए 14 करोड़ 31 लाख रुपये की एक आगमेंटेशन की योजना सम्मिलित की।

श्री उपाध्यक्ष : केवल 10 मिनट हैं आपके सामने और इसमें धन्यवाद दें लो, कुछ भी कर लो।

श्री भीमराज भाटी : हां, 10 मिनट में खतम करूंगा। मैं सब कुछ कर लूंगा, धन्यवाद भी दे दूंगा, मांग भी कर लूंगा और मेरी तकलीफ है वह भी बता दूंगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ एक विनती करता हूं, इस स्कीम का इम्पलीमेंटेशन, इस स्कीम को जल्दी से जल्दी चालू करायें ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बारिश नहीं हुई है। गांव में जो पानी की सप्लाई स्कीम है और आपको पता है कि हमारे यहां जंवाई नहर के पानी से रूरल वाटर सप्लाई होता है। इधर तो जोधपुर में पानी की समस्या, उधर जंवाई बांध में पानी की समस्या। हमारे इलाके में विशेषकर के रोहिट पंचायत समिति के इलाके में पानी की बड़ी भारी समस्या है। जो पानी के अभी टैंकर्स चालू थे अकाल के समय, वे टैंकर्स अभी सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये हैं। कई ऐसी छोटी-छोटी ढाणियां हैं, कई ऐसे छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां किसी तरह के कुएं नहीं हैं, अण्डर ग्राउण्ड पानी नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। टैंकर्स हैं उनको वापस कन्टीन्यू करवायें नहीं तो वहां बड़ी भारी तकलीफ होगी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो बड़े दयालु हैं, मैंने यह कहा था कि जैतपुर के तालाब को जवाई बांध से नहीं भरवा दिया जाएगा और जैतपुर की जलप्रदाय योजना से दूसरे गांवों को पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक रोहिट पंचायत समिति के गांवों को पानी नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो आदेश कर दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने मौखिक तौर पर मंत्रीजी को कह भी दिया है लेकिन उस योजना की क्रियान्विति अभी तक सरकारी अधिकारियों ने नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं

(272)

(श्री भीमराज भाटी)

कि पाली से मूलियावास तक तो पानी जाता है उसके बाद नेचुरल ग्रेडिएंट इस तरह का है, हम लोग हमारे किसानों को लगाकर, स्वयं को लगाकर, हमारे साधनों को लगाकर, किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, कंकरीली जमीन है वहां पर किसी भी तरह का कोई पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। ये सरकारी अधिकारी आपको बिना मतलब मिसगाइड करते हैं और बिना मतलब लाखों रुपये की योजना बनाते हैं, उल्टी सीधी योजनाएं बनाते हैं। नेचुरल ग्रेडिएट से जो पानी जाने वाला है, हम सरकार से एक पैसा भी नहीं चाहते, हम हमारी व्यवस्था करके जो पानी मूलियावास तक जाता है उसको हम जैतपुर के तालाब में लाकर डाल देंगे। जैतपुर में आपकी योजना बनी हुई है वहां से वाटर सप्लाई आलरेडी हो रहा है। तो जब तक जैतपुर का तालाब पानी से नहीं भरेगा, जवाई बांध से नहीं भरा जाएगा। अभी जंवाई बांध की नहर से बुरासनी से रोहिट लाते हैं और रोहिट से जैतपुर देते हैं जो ऊंचाई पर है। तो जब तक जैतपुर का तालाब नहीं भरेगा रोहिट पंचायत समिति के पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि हमारे इलाके में 50 साल के बाजवूद भी मीठा पानी लोगों को गांवों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे-ऐसे बेकार कुएं हैं जिनमें अच्छा पानी है ही नहीं। जो पुराने कुएं थे उन पर ट्यूब वैल लगाकर, पम्पिग सेट लगाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैकरिया, बुरढिया, धोलेरिया कला, धोलेरिया जागीर, खेतावास, सौफास, सोमानिया, बुमादड़ा, नीमलाखेड़ा ऐसे-ऐसे गांवों में 50 साल के बाद भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है और इतना खराब पानी पी रहे हैं कि जानवर जो चारा खाते हैं उनका चारा पचता नहीं हैं तथा आदमियों के कूबड़े होने की स्थिति आ गयी है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर जो गांव बचे हैं उनको मीठा पानी अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। हमारे यहां हालत यह है कि 15-15 दिन तक पीने का पानी सप्लाई नहीं होता है। जलदाय विभाग और विद्युत विभाग का आपस में सामंजस्य नहीं है। विद्युत, जलदाय विभाग के छोटे लेबल के कर्मचारी हैं वे पूरी ड्यूटी नहीं देते हैं। गांव में कर्मचारी मटरगश्ती करते हैं और अपने हाल में मस्त रहते हैं, बराबर ड्यूटी करते नहीं। तो मेहरबानी करके उन लोगों को बाध्य करो। जलदाय विभाग अपनी गलती को छिपाने के लिए विद्युत विभाग के ऊपर डाल देता है कि बिजली नहीं आ रही है, पावर फेल्योर हो गया है। उस पावर फेल्योर का बहाना लेकर वे लोग पानी सप्लाई में परेशानी कर देते हैं। आदमी तो फिर भी कहीं से, ट्रेक्टर से पानी लेकर आ जाता

(श्री भीमराज भाटी)

है लेकिन जानवरों को पीने के पानी के लिए बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां वाटर वर्क्स में संयोग से जोधपुर के अधिकारी हैं, ज्यादातर जोधपुर के लोग बैठे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई कहीं का हो लेकिन जोधपुर में पीने के पानी के लिए बहुत हल्ला-गुल्ला मचता है। जोधपुर में पीने का पानी इन्दिरा गांधी कैनाल से लाया जा रहा है, जवाई बांध् से भी पानी लिया जा रहा है। लेकिन मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से माननीय जलदाय विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जैसे ही इन्दिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर पहुंचे, चाहे साल लगे, चाहे छह महीना लगे, चाहे दो साल लगे लेकिन इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी जोधपुर पहुंचने के बाद जो जवाई बांध का पानी है उस पानी से हमारे पाली जिले के लोगों को वंचित नहीं किया जाए। हमारे इलाके में अण्डर ग्राउण्ड पीने के पानी का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, किसी तरह का कोई मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके इसके ऊपर विशेष ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों की स्थिति तो क्या मैं शहर की स्थिति बताता हूं, मैं दो साल से वहां पर रह रहा हूं। केशवनगर जो डॉक्टर हेगड़ेबार साहब के नाम से पाली शहर में बना रखा है, उस जगह पीने के पानी की उपलब्धि नहीं है। हैदर कालोनी, राम रहीम नगर, गरीब नवाज कालोनी, राइको की ढाणी, ऐसी जो छोटी-छोटी बस्तियां हैं जहां पर हजारों की तादाद में ये लोग रह रहे हैं उन बस्तियों में 7 दिन तक पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी बस्तियों में पीने का पानी अवेलेबल करवाने के लिए आप जरा मेहरबानी करके विशेष ध्यान दें।

माननीय मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं उनसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहर में पानी के बिलों की हालत आज यह हो गयी है कि जिन लोगों के 20-20 और 50-50 रुपयों के बिल पानी के आते थे आज उनको 200-200 और 400-400 रुपये के बिल थमाये जा रहे हैं। यह काम विभाग अपने कन्जूमर्स के साथ जान बूझकर कर रहा है। बिलों को कम कराने के लिये रोज दो-दो सौ चार-चार सौ आदमियों की भीड़ जलदाय विभाग में लगती है। इन बिलों को कम करने के लिये रिश्वत ली जा रही है, पानी के गलत कनेक्शन दे रखे हैं। इससे हालत यह हो गयी है कि जलदाय विभाग कर्मचारियों ने वहां अपनी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली हैं। यहां तक कि पचास-पचास लाख और एक-एक करोड़ की ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां खड़ी कर ली हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि पचास रुपये के

(श्री भीमराज भाटी)

बिल की जगह दो सौ रुपये का बिल भेजा जाये और उस बिल को पचास रुपये में सैट करते हैं। इस तरह रोज सौ-सौ, दो-दो सौ आदमियों के बिलों को सैटिंग करके अपने घर भर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आज हालत यह हो गयी है कि उन लोगों ने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली है। वहां पर रंगाई छपाई और रा-मैटीरियल की फैक्ट्रियां हैं उनमें इल्लीगल कनेक्शन दे रखे हैं। समय-समय पर जलदाय विभाग के ईमानदार अफसरों ने उसके नोटिसेज भी निकाले हैं लेकिन उन नोटिसेज का कब क्या होता है, कब उन नोटिसेज की फाइलें नीचे दबा दी जाती है किसी को कोई पता नहीं लगता। जो अधिकारी वहां बैठे हैं वे अपनी जेबें भरेंगे चाहे कोई आये और यह आज से सिलसिला नहीं चल रहा, पिछले दस-पन्द्रह सालों से चल रहा है। मेहरबानी करके पानी की चोरी, पानी की बेफिजूलखर्ची और कंजरवेशन ऑफ वाटर, जब तक अपन पानी की बूंद-बूंद बचत का सदुपयोग करने की नहीं सोचेंगे और इसे रोकेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता।

घटिया सामग्री और घटिया पाइप और घटिया टैप्स खरीदे जा रहे हैं मेहरबानी करके उसको रोकें। जल ही जगदीश है, आज जीवन में जल महत्वपूर्ण चीज है। आदमी रोटी खाये बिना रह सकता है पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी के मामले में मेहरबानी करके गलत पाइप सप्लाई करने वाले लोगों जिन्होंने ऐसे पाइप सप्लाई किये हैं कि जो पानी छोड़ते ही ब्रस्ट हो जायें, ऐसे सप्लायरों और अधिकारियों को पिन पाइंट करके रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करके बहुत कठोरता से, बिना किसी दया और राजनीति के, कठोर से कठोर कदम उठायें ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। मुझे खुशी है और मैं बहुत आभारी हूं मंत्री महोदय का कि इन्होंने एक मामले में बहुत बोल्ड डिसीजन लेकर एक बहुत बड़े इंजीनियर को सस्पेण्ड किया। पाइप लाइन बिछती है, बड़ी मेहनत से तो टंकी खड़ी होती है लेकिन पानी छोड़ते ही पाइप ब्रस्ट हो जाती है ऐसी गलत क्वालिटी का मैटीरियल सप्लाई करने वालों या खरीदने वालों की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, पेयजल पर चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए मेरे क्षेत्र की कुछ बातें रखूंगा। वैसे पूरे बारां जिले में पानी का क्राइसेस है, अटरू में बहुत ज्यादा है, बाकी मैं मेरे क्षेत्र की बात रखूंगा। मैं 1990 में स्वीकृत हुई स्कीम को चालू करवाने के लिये माननीय मंत्री महोदय और अधिकारियों से मिलता रहा हूं लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुई है। बटावदा, उच्या, निकानिया स्कीम,

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

चौकी मोतीपुरा स्कीमें भी आज तक पूरी नहीं हुई है। उनको पूरा करने में अधिकारी हमेशा बहाना बना देते हैं। 1990 में स्वीकृत स्कीमें आज तक मंजूर क्यों नहीं हुई हैं? इसके बारे में मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें।

अभी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बारां गये थे और वहां पेयजल के बारे में मीटिंग ली थी। वहां मैंने उनको बताया था कि देवरी मूण्ड दीगोद जागीर में एक वर्ष से ट्यूबवैल स्वीकृत है, आज तक नहीं खुदाया। मखमपुरा में ट्यूबवैल लगाने की बात हुई, एडीशनल चीफ इंजीनियर मौजूद थे उन्होंने कहा कि मैं सैंक्शन दे दूंगा, लेकिन आज दिन तक यह सैंक्शन नहीं हुई है कृपया यह सैंक्शन दिलायें। इसके अलावा तीजपुर, मण्डोवा, अजनावर, सेवन खेडी, पाली मूण्डला में नये ट्यूबवैल लगायें। ढोलम, कांच्या, गोरधनपुरा में पानी की टंकी बनायें। सन 1985-86 में छीपा बड़ौद में सीड़ब्ल्यू.आर. बना था वह इंजीनियरों की गलती की वजह से आज तक चालू नहीं हुआ है। इन लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा के कुछ प्रोफेसर्स से जांच भी करवायी कि किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं पर इंजीनियरिंग कॉलेज की जो रिपोर्ट आयी है उसमें कुछ इंजीनियर्स को दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कृपया कार्यवाही करायें।

स्कूलों के पास हैण्डपम्प लगाने बाकी थे वह भी अभी तक नहीं लगाये गये, वे हैण्डपम्प भी लगायें। गर्मियों के दिनों में बहुत क्राइसेस हो जाता है। हाई स्ट्राटा होने से वहां हैण्डपम्प खोदने में दिक्कत आती है, मशीनें नहीं मिलती हैं इसलिये विभाग स्वयं मशीनें और रिंग खरीदे।

पी. डब्ल्यू. डी. वाले हैण्डपम्प लगा जाते हैं लेकिन वाटर वर्क्स वालों को महीने दो महीने तक पता ही नहीं लगता है कि वहां हैण्डपम्प खुदा है इनमें को-आर्डिनेशन बैठायें ताकि लोगों को राहत मिले।

आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुरसिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गंगापुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की पीड़ा को सुना और इसके साथ-साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया। इन्होंने गंगापुर नगर के लिये 112 लाख रुपये स्वीकृत किये उसके अंतर्गत ट्यूबवैलों का निर्माण हुआ। गंगापुर जहां के लिये 20 लाख गैलन पानी का डिस्चार्ज था वहां आज 60 लाख गैलन पानी गंगापुर की जनता को मिल रहा है लेकिन इसमें थोडी कमी रह

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

गयी है कि गंगापुर में पानी की जो स्टोर कैपेसिटी है उसके लिये दो पुरानी टंकियां बनी हुई हैं जिनमें 18 लाख गैलन पानी आ सकता है। दो टंकियां अण्डरग्राउण्ड है उनमें 13.5 लाख गैलन पानी आ सकता है इस प्रकार टोटल 31.5 लाख गैलन पानी उसमें एक साथ एकत्रित हो सकता है। समस्या यह है की पानी का उत्पादन तो 60 लाख गैलन हो गया, गंगापुर की जनता को जो पानी मिलना चाहिये वह पूरा नहीं मिल सकता है। इसलिये आप जो नयी कॉलोनियां , नयी बस्तियां बस गयी है, नगरपालिका में और कॉलोनियों को सम्मिलित किया है वहां एक टंकी का निर्माण करवा दें। आपने जब इतनी समस्या का समाधान किया है तो इस एक टंकी का निर्माण और करवा दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : इसमें अंदाजन कितना खर्चा लगेगा?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह तो विभाग बतायेगा। मैं तो सोचता हूं कि 10-15 लाख रुपये तो लगेगें ही। मैं दूसरा धन्यवाद भी मंत्रीजी को देना चाहता हूं मैं सही कह रहा हूं, मैं अपनी आत्मा की बात कह रहा हूं। वैसे तो मुझसे इन्हें विशेष प्रेम है। टेक्नीकल डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं आप उनसे पूछ लीजिये कि कितना खर्च आयेगा। आप इसकी तो घोषणा आज ही कर दीजिये। आपने ग्रामीण जनता की समस्याओं को सुना, आपने फ्लोराइड युक्त क्षेत्रों के लिये 1 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब उसमें थोड़ा-सा डिले हो रहा है। डिले होने का कारण क्या है जो आपकी टेक्नीकल स्वीकृति है वह नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? आपका विभाग तो चाहता है कि इसके लिए हमको गंगापुर फीडर से बिजली दी जाये और आपका टेक्नीकल डिपार्टमेन्ट यह कहता है कि गंगापुर फ़ीडर से क्यों, आपको बजीरपुर फीडर से क्यों नहीं दी जाये? मेरा इसमें निवेदन है कि बजीरपुर का जो फीडर है वह तो ग्रामीण का है और गंगापुर का जो फीडर है वह नगर का है जहां पर चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध है। अगर बजीरपुर फीडर से आपने बिजली दे दी तो माफ करना आपकी जो योजना है वह धरी की धरी रह जायेगी। जो 1 करोड़ 82 लाख की आपने स्वीकृति दी है उसमें गंगापुर फीडर सम्मिलित है। इसलिए टेक्नीकल डिपार्टमेन्ट से यह कह कर कि इसकी स्वीकृति निकलवा दीजिए।

तीसरे आपने जो महू योजना के लिए 25 लाख रुपये मन्जूर किये थे मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि वह कार्य सम्पन्न हो गया। याने समय के ऊपर सारे कार्य सम्पन्न हो गए इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद दे रहा हूं।

मंत्री महोदय, एक मेरा और निवेदन है कि सन 1991 के अन्दर एक खली की योजना मन्जूर हुई थी। उस खली की योजना के अन्दर ग्रामवासियों ने ट्यूबवैल

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नहीं खोदने दिये तो तत्परता दिखाते हुए ओपन वैल के लिए आपने अन्य डिपार्टमेन्टों से उसका सर्वे कराया, ज्वोलाजीकल सर्वे से सर्वे करायो और उनसे सर्वे कराने के बाद यह कहा कि ओपन वैल बना दिये जायें तो कम से कम गांव वालों को पानी मिल सकेगा और इसमें गांव वाले भी आब्जेक्शन नहीं करेंगे। मैं जहां तक समझता हूं वह स्वीकृत हो चुकी है लेकिन मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी काम चालू करवा दीजिए।

इसके अलावा मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र गंगापुर के अन्दर 600 हैंडपम्प लग चुके हैं 86 से लेकर अब तक लेकिन आज स्थिति यह है कि उनमें से 160 हैंडपम्प ऐसे हैं कि जो 86-87 और 88-89 के अन्दर लगे थे। वह बिलकुल खराब हो चुके हैं। तो मेहरबानी करके उन ट्यूबवैलों को जहां हैंडपम्प लगे हुए हैं उनको आप बदलवा दीजिए। जो बिलकुल नकारा हो चुके हैं उनको आप बदलवा दीजिए। वह हरिजन बस्ती में भी लगे हुए हैं, ढाणियों में भी लगे हुए हैं यानि कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जगह ऐसे ट्यूबवैल तो लगाने ही पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ मंत्री जी से यह भी निवेदन करुंगा कि आप तो जानते ही हैं कि पानी का जलस्तर दिन प्रति दिन नीचे गिरता जा रहा है। 5 मीटर से लेकर गंगापुर क्षेत्र के अन्दर 15 मीटर तक जल स्तर नीचे चला गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि प्रापर गंगापुर के अन्दर आपके करीब 45 ट्यूबवैल है इस योजना के पहले उनके अन्दर से 25 ट्यूबवैल तो ऐसे हो चुके हैं कि जिनके अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं है। अब आने वाले दस पन्द्रह सालों में जो स्थिति बनेगी उससे मैं आपको आज ही अवगत करा देना चाहूंगा। ऐसा है कि चम्बल का पानी तो क्या मिलेगा, बनास नदी जो सवाईमाधोपुर जिले में टेल के ऊपर हैं, बीसलपुर बांध बना दिया जितना पानी बचता है वह चम्बल नदी में गिरता है। अगर सवाई माधोपुर शहर को आप बनास नदी से पानी देते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि बनास नदी के ऊपर जो टेल के ऊपर है अगर वहां पर एनीक्ट बना दें, आप सवाई माधोपुर को पानी तो दे रहे हैं। कितना पानी दे रहे हैं? बाबाआदम के जमाने की तो पाइप लाइन डली हुई है, जगह जगह से पाइप लाइन फूट रही है आप कितना पानी दे पाते हैं। एक तो जो लाइन बिछी हुई है उसको आप बदलवा दीजिए। दूसरी बात यह है कि कहीं भी अगर बनास नदी के पानी को रोक दिया जाये तो गंगापुर को भी पानी मिल सकता है, सवाईमाधोपुर को भी पानी मिल सकता है और जो ग्रामीण एरिया है उसको भी पानी मिल सकेगा। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो जो कालीसिंध बांध जो कि सिंचाई के काम में आता है, मैं यह नहीं कहता कि

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

आप उससे सिंचाई मत करवाइये, सपोटरा क्षेत्र में है लेकिन मैं कहूंगा कि उस बांध को यदि आप दो तीन फुट रैज कर दें और पीने के पानी के लिए सुरक्षित रख लें तो आगे आने वाले समय में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मेरा सुझाव यह है कि मंत्रीजी आप उसके ऊपर गौर करें।

आपके क्षेत्र की भी मैं एक निवेदन कर दूं। कालीचरण जी जौहरी बाजार से आते हैं, आप हवामहल क्षेत्र से आते हैं। मैं भी उस क्षेत्र के अन्दर निवास करता हूं। पानी का प्रेशर घी वालों के रास्ते में, हल्दियों के रास्ते में, गोपाल जी के रास्ते में, मोतीसिंह भौमियों के रास्ते में बहुत ही कम आता है। इसलिए मेहरबानी करके जो पानी का दबाव है उस दबाव को आप बढ़ाइये। आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पर वाद विवाद हो रहा है उसमें मैं भी कुछ विचार रखूंगा। राज्य में पानी की बहुत कमी है और इसलिए राज्य सरकार ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 1990 में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में उसने पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। यह इसी बात से स्पष्ट है कि जहां शहरी क्षेत्र में 1985 से 90 के बीच में 196 करोड़ रुपये खर्च हुए वहां 1990 से 95 के बीच 455 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जहां 1985 से 90 के बीच में 398 करोड़ खर्च हुए वहां 1990 से 95 तक 643 करोड़ रुपये खर्च हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पेयजल को अगले वर्ष के लिये 1996-97 के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यह पेयजल को समर्पित बजट है तथा इस हेतु 354 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। जहां 1995-96 में 5 हजार गांवों में पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की व्यवस्था थी वहां 1995-96 में 4500 गांवों को पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की व्यवस्था थी वहां अगले वर्ष 1996-97 में 5000 गांवों को पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने का इसमें प्रावधान है। इसके साथ ही साथ 10 हजार स्कूलों में जहां 100 मीटर के आसपास में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है 100 मीटर के व्यास में वहां स्कूलों में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था की है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

इसके साथ ही 1991 की जनसंख्या के आधार पर जहां 5 हजार की आबादी पर पाइप पेयजल योजना स्वीकृत हो रही थी इस बजट में उसको घटाकर 4500 की पापुलेशन पर किया वह भी स्वागत योग्य है। पर इसमें अगर 4000 की जनसंख्या का आधार बनायें तो उसमें

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

ज्यादा गांवों को लाभान्वित किया जा सकेगा, ऐसा मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ पम्प और टैंक योजना जो कि पूर्व में 2000 जनसंख्या वाले गांवों में यह स्कीम चल रही थी इसको घटाकर 1500 की जनसंख्या वाले गांवों में लागू की वह भी स्वागत योग्य है इसका ग्रामीण क्षेत्र में असर बहुत अच्छा पड़ेगा। लोगों को पीने के पानी की सुविधा होगी। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय, से कहूंगा कि जब यह बजट पेयजल को समर्पित है और अपनी इच्छा है, और हम जनता को पेयजल सुलभ कराने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि 1500 से घटाकर 1000 की जनसंख्या तक करें तो निश्चित रूप से ज्यादा क्षेत्र को लाभान्वित कर सकेंगे और ज्यादा जनता इसमें लाभान्वित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी है। जनता भी जागरूक है और गांव गांव में इस योजना से फायदा है। इसका भी स्वागत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की अधिक पूर्ति के लिए जहां एक लाख की कम आबादी वाले शहर है उनमें भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जहां 35 कस्बों में योजनाओं को पुनर्गठित करने, पाइप लाइन डालने के लिए भी जो प्रावधान रखा है निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है। टी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत पुराने सेटों की और पम्प सेटों की मरम्मत आदि के लिए भी एक करोड़ की व्यवस्था रखी है। इस ओर पिछले काफी बरसों से धन नहीं दिया जा रहा था और भले ही अनआफिशियली पम्प ठीक हो रहे थे और कहीं मशीनरी, पुर्जे या पाइप बदले जा रहे थे लेकिन आफिशियली इसका काम नहीं हो रहा था। इस बार जो यह प्रोवीजन रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अगले वर्ष जिला स्तर पर 30 जिले 30 काम चाहे संसद कोष से हो या चाहे किसी भी फण्ड से हो या अपना गांव अपना काम की योजना हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि पेयजल पर पैसा खर्च हो और सब योजनाओं का प्लानिंग बनाकर जलपूर्ति के लिए जो बनी उसमें खर्च होगा–यह योजना बन रही है, यह भी बहुत स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर जिले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो मैं मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को और पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब श्री भंवरलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अजमेर की बीसलपुर योजना को पूरा कराने के लिए और अजमेर को पानी देने

(280)

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

के लिए जो पिछले तीन चार साल से मानीटरिंग आपने स्वयं ने की और समय समय पर अजमेर जाकर जो वहां देखा उसी का परिणाम है कि अजमेर को, ब्यावर को, किशनगढ़ को, नसीराबाद को, केकड़ी को, बीसलपुर का पानी मिलने लगा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(21.00)

इसके साथ साथ जिस नियत से, जिस काम से, जिस इच्छा से बीसलपुर योजना की समय पर पूर्ति होनी चाहिए थी, जनता को पानी मिलना चाहिए था लेकिन उसमें अभी कमी है। अभी जो पाइप लाइन बिछाने के लिए अजमेर प्रोपर में साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये दिये और पाइप लाइन भी खरीद ली गयी लेकिन सारी बस्तियों में अभी पाइप लाइन पूरी नहीं बिछी। मैं चाहूंगा कि इस को जल्दी से जल्दी पूरी की जाय और बहुत जल्दी ही जनता को लाभान्वित किया जाय।

इसके साथ साथ पानी के स्टोरेज के लिए जो विभिन्न कालोनीज में टंकियां बनने वाली थीं, समय पर बनने वाली थीं लेकिन वह बन नहीं पायीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और पानी के स्टोरेज के लिए, जब पानी बीसलपुर से आने लगेगा तो स्टोरेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसके लिए भी कार्य पूरी तरह से करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के लिए दो साल से पाइप लाइन बिछी हुई थी लेकिन बीच-बीच में टूटी हुई थी। जब बीसलपुर का पानी आने लगा तो किशनगढ़ में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र भी है और वहां पानी की भयंकर समस्या है, उसमें भी तत्परता से काम हो। पाइप लाइन जुडे, वहां पानी पाइप लाइन से टेस्ट करें और आगे पानी पहुंचाएं, इसकी मैं मांग करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर का पानी ब्यावर में पहुंचने लगा है और बड़ी पाइप लाइन भी बिछी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने टाइम तक तो ब्यावर में बहुत समस्या थी, अब पानी की धीरे-धीरे व्यवस्था ठीक हो गयी तो ब्यावर के एटजोइनिंग जो गांव हैं जिनसे कभी, जो मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं जिनसे कभी ट्रांसपोर्टेशन होकर सारा पानी ब्यावर के लिए जाता था, अब ब्यावर में पानी आ गया तो वहां के पांच किलामीटर के एरिया की, जहां पंचायत एरिया है ब्यावर के म्युनिसिपल एरिया के बाहर, जहां से पहले संकट में पानी ट्रांसपोर्टेशन होता था, अब उनमें पानी की सुविधा है, कनेक्शन दें और वहां पानी पहुंचाने की कृपा करें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा कि जब संकट था तो वह उस

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

एरिया वाले पानी देते थे और अब पानी पहुंच गया तो निश्चित रूप से उनको दें।

मैं मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। 1990 से पहले मसूदा और ब्यावर की स्थिति बहुत भयंकर थी। यहां जितने अधिकारी बैठे हैं वह मसूदा, ब्यावर और अजमेर में रहे होंगे। ज्यों ही मसूदा और विजयनगर का नाम लेते हैं वह एकदम चमकते हैं। वहां विजयनगर में जहां 120 घंटे में पानी पहुंचता था, मसूदा में 15 दिन में एक बार पानी आता था, पानी की विकट समस्या थी लेकिन 90 के बाद माननीय मंत्री महोदय ने मसूदा की स्कीम को पंचायत से लेकर पी.एच.ई.डी. को दी और पैसा भी दिया, स्कीम भी सैंक्शन हुई, पाइप लाइन भी सैंक्शन हुई। आज मसूदा गांव की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि वहां हर दूसरे रोज पानी मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, विजयनगर, जहां 120 घंटे में पानी मिलता था लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था ठीक करते हुए 7 घंटे में पानी हुआ लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। इस बार तीन ट्यूब वैल खोदे, तीनों ड्राई निकले। सथाना एक गांव हैं वहां भी ड्राई निकला, किरपाय में भी ट्यूबवैल खोदा, ड्राई निकला। मसूदा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी का लेबल बहुत नीचा है। फिफ्टी पर्सेण्ट हैण्ड पम्प अप्रेल, मई, जून, जुलाई में ड्राई होते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मसूदा और विजयनगर के लिए कोई व्यवस्था की जाय।

अजमेर जिले में म्युनिसिपल एरिया केकड़ी, नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ हैं जो बीसलपुर योजना से जुड़े हुए हैं। केवल विजयनगर म्युनिसिपल एरिया अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है जहां सबसे ज्यादा प्रोब्लम है लेकिन उसको बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। वैसे बीसलपुर योजना ग्रामीण एरिया की बनी हुई है, 607 गांवों की एक योजना बनी उसमें विजयनगर, मसूदा के 115 गांव हैं। वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट के लिए यहां से भिजवा भी दी गयी लेकिन किसी ऑब्जेक्शन में वापस आयी है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इस ओर थोड़ी अच्छी मानीटरिंग हो और तत्परता से काम हो। इसके तीन पार्ट थे। एक केकड़ी का पार्ट था, एक नसीराबाद का और एक मसूदा था। तो केकड़ी के लिए स्कीम सैंक्शन हो गयी, नसीराबाद के लिए स्कीम सैंक्शन हो गयी पर विजयनगर के लिए और मसूदा के लिए अब होने वाली है तो कृपया इसमें तत्परता से काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक केशवपुरा गांव है। वह फ्लोराइडग्रस्त है। वहां कपड़े धोयें तो फट जाते हैं और पीने

282

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

से कूबड़ हो जाते हैं, दांत वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। इसकी जानकारी भी होगी, इसके सैम्पल भी भर लिये, इसका सब कर लिया लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के गांव वाले दो किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। मैं यह चाहूंगा कि इसकी तुरन्त जांच हो और उस एरिया में कहीं न कहीं उस पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : दो मिनट। इस विभाग में 30 पर्सेण्ट पद रिक्त पड़े है...

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बहुत ज्यादा होते हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : 30 पर्सेण्ट पद रिक्त पड़े हैं और वह भी एडिशनल चीफ से लेकर एईएन., जेईएन. तक। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा कि यह पद भरे जायं जिससे काम में निपुणता आये और जो कमी है वह दूर हो। जिस प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई भी ढाई-तीन करोड़ की स्कीम बनती है तो तुरन्त उसके एक एक्सईएन. का आफिस खुल जाता है। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. में कोई इतनी बड़ी स्कीम बने तो निश्चित रूप से उसका अलग से करें जिससे मानीटरिंग हो सकें।

जैसे अभी सामने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि टंकी बन गयी, और सारा हो गया लेकिन पाइप लाइन नहीं जुड़ी, कहीं क्या नहीं हुआ। अगर इसकी अलग से व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से काम होगा।

मैं एक सबसे बढ़िया सुझाव दूंगा कि अजमेर जिले में साढ़े चौदह सौ तालाब है और अजमेर जिले में पानी की भयंकर समस्या है। 31 मार्च को छोटे तालाब और बड़े तालाब में, छोटे तालाब में तीन फीट और बड़े तालाब में और बांध में 6 फीट पानी रोक दिया जाय तो निश्चित रूप से अजमेर जिले की समस्या कम होगी। यह पानी काश्त के लिए 31 मार्च से पहले खोल दिया जाता है और 15 दिन बाद ही गांव वाले कहते हैं कि जानवरों के पीने का पानी नहीं है। हैण्ड पम्पों में पानी सूख गया। तो मैं यह चाहूंगा कि यह अजमेर जिले में लागू कीजिये। अगर इससे पानी की समस्या का कोई हल होता हो तो राजस्थान में लागू करें। यह मेरा सुझाव हैं। मेरे विजयनगर के पास भी एक एनीकट है, वह एग्रीकल्चरल काम में आता है। अगर आप उससे 6 फीट रोक लें, पीने के पानी के लिए रिजर्वेशन कर लें तो विजयनगर

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

की समस्या 80 प्रतिशत हल हो जायेगी और जो पानी का लेबल 120 तक पहुंच जाता है, पानी का लेबल उतर जाता है वह निश्चित रूप से विजयनगर में इस हिसाब से हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना में कुछ कठिनाई है। सरपंच से पहले फार्म भरवाये जाते हैं और उसमें वह पहले तो हिचकते हैं कि हम दस्तखत करें या नहीं करें। फिर उसके बाद उनको पहले पैसा भरना पड़ता है। उसके बाद रिएम्बर्स होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि पैसा जब पी.एचईडी. भरता है तो चाहे पहले भरे या बाद में भरे। तो आप यह निश्चित रूप से करें कि पहले आप बिल ही मंगवायें और भरें तो इसका फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई। कृपया, समाप्त करें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : टी. एस. एस. स्कीम को भी अगर जनता जल योजना में ले लें तो निश्चित रूप से इसमें भी जनता का हित होगा और यह जो योजना है वह निश्चित रूप से होगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब सुझाव आ चुके। श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 जलदाय विभाग पर जो बहुत महत्त्वपूर्ण बहस हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

सभी माननीय सदस्यों ने मंत्रीजी को धन्यवाद दिया। मैं किस बात का धन्यवाद दूं? देना तो चाहता हूं मगर जालौर जिले के अन्दर पिछले तीन साल से मैं देखता आ रहा हूं कि कोई बजट जालौर जिले के अन्दर नहीं दिया गया है, तीन साल से कोई नयी स्कीम जालौर जिले के अन्दर और मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में शुरू नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आपके महकमे से तो आपने कोई बजट देकर काम नहीं करवाये पर सांसद कोटे से पिछले 1994-95 में मैंने 30 से 35 लाख रुपये की स्वीकृति दिलायी और मेरे विधायक कोटे से भी मैंने एक दो स्वीकृतियां दी थीं लेकिन आज दिन तक वह स्वीकृतियां अधरझूल में रही हैं। एक भी काम पूरा नहीं हुआ। इससे ज्यादा क्या अन्याय हमारे साथ हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस एरिया से आ रहा हूं वह वहां से 800 किलोमीटर पर है और सांचोर तहसील जालौर जिले में एकदम बैकवर्ड, गुजरात और बाड़मेर के कार्नर पर आयी हुई तहसील है। सांचोर तहसील के एक तरफ तो गुजरात है और

(श्री हीरालाल विश्नोई)

दूसरी तरफ बाड़मेर है। गुजरात में भगवान की मेहरबानी है, वहां पानी बहुत अच्छा है, पानी बहुत है और वहां की सरकार पैसे भी बहुत खर्च कर रही है। बाड़मेर के अन्दर भारत सरकार की कई स्कीमों के तहत पैसे आ रहे हैं और कई तरह के काम हो रहे हैं। मगर दुर्भाग्य से मेरी सांचोर तहसील में 1988-90 तक जो काम हुए उसके बाद आज दिन तक इक्का-दुक्का भी काम नहीं हुआ और इतनी द्वेषतापूर्ण भावना से वहां के अधिकारियों को क्या दोष दूं। मैं उन मंत्री महोदय के पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को दोष देता हूं और जब ये छोटे अधिकारी जेईएन., एईएन. के लेवल के रहते हैं, उनको कहते हैं कि खबरदार, इस गांव के अन्दर अगर पानी पहुंच गया तो तुम्हारी कल बदली करा देंगे। यह जो मैंने स्कीम बनायी है, सांसद कोटे की स्कीम मैंने लायी, उसमें भी हमारे वहां के कार्यकर्ता लोग उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इस योजना में पाइप लाइन नहीं जुड़नी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, यह बतायें, आपने सांसद कोटे की योजना बनायी, यह योजना क्या है और कौन पूरी करेगा इसको। आप कलक्टर से करवा रहे हैं या हमारे विभाग से करवा रहे हैं?

श्री हीरालाल विश्नोई : वहां आपके अधिकारी करते हैं। डी.आर.डी.ए. से पैसा सैंक्शन हो गया और आपके अधिकारी लोग करते हैं। कोई टंकी बना दी, जी.एल.आर. बना दिया, मौके पर वहां पर पाइप लाइन पड़ी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इसकी सूची देंगे मुझे?

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं अभी देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे दे दें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मंत्री महोदय, यह आपका पी.एच.ई.डी. का पैसा ट्रांसफर होता है विधायकों का और एम.पीज. का और आप सूची लेना चाहते हैं तो बेशुमार सूचियां हैं। 2-2 साल से काम नहीं हो रहा है और सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि वह नहीं करना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सूची दें मुझे।

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर में बावनला गांव में मेघवालों और विश्नोई की बस्ती और चितलवाणा में–

श्री उपाध्यक्ष : आप सूची दे दीजिये, आपका काम तो हो गया।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह दे देता हूं। दूसरी आपकी स्कीम जो 1990-91 में सैंक्शन थी, भूरे की ढाणी 1990-91 में स्वीकृत स्कीम थी। यह भूरे की ढाणी,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

जांगवों की ढाणी, गिरधरधोरा, चितलवाणा, राणियों की ढाणी से बन्ने की ढाणी, जाणवी, इतनी स्कीम्स 1990-91 से सैंक्शन्ड हैं। वहां के अधिकारियों से मिलता हूं। एक्सईएन. से मिलता हूं और हमारे चीफ साहब भार्गव साहब से भी मैं कई बार मिल चुका हूं, इस बारे में निवेदन कर चुका हूं कि चीफ साहब, यह हमारा काम जल्दी पूरा करवाइये। वहां एक्सईएन. से मिलता हूं। वह कहते हैं, एम.एल.ए. साहब, हमारे ऊपर इनकी पार्टी के अधिकारियों का दबाव है कि आपका यह काम नहीं होना चाहिए। इस भावना से आप लोग जब तक ऊपर उठकर काम नहीं करेंगे, अधिकारियों पर दबाव नहीं रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ऊपर आरोप तो क्या लगाऊं, अभी आरोप तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि पानी जैसी चीज, जो लोग पानी के लिए शहीद हो गये। वह हीर-रांझा की कहानी है कि तू पी तू पी, करके शहीद हो गये। इस तरह का मामला इन्होंने अपना रखा है और पानी की एक बूंद जहां आपका जी.एल.आर. बना हुआ है, वहां पर पानी पहुंचता नहीं है। 1988-90 के अन्दर पानी पहुंचता था लेकिन वहां जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंचता है। मेरा क्षेत्र नहरी इलाका है, 80-90 गांव सुरावा सोर्सेज से जुड़े हुए हैं। एक एरिया सुरावा से लेकर जाणवी तक 50 कि.मी. लम्बी लाइन है। यह बहुत पुरानी लाइन है। कई जगह से लीकेज हो गये हैं। आज दिन तक उन पाइपों को बदला नहीं गया है और वह 4" की पाइप लगायी थी–तब सांचोर की आबादी 20-25 हजार की थी। आज कम से कम 40-50 हजार की सांचौर प्रोपर की आबादी हो गयी। हाड़ेता गांव की 10-15 हजार की आबादी हो गयी। हाड़ेता गांव के अन्दर एस.आर. बना हुआ था 89-90 में, उसकी बहुत बड़ी समस्या है..

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें। आप लिस्ट दे दीजिये माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई: लिस्ट तो मैं दे दूंगा, मगर महत्वपूर्ण बात है जो मुझे मंत्री महोदय को कहनी है। वैसे तो रोज मैं इनसे मिलता रहता हूं, अधिकारियों से मिलता रहता हूं मगर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं जिस गांव में जाता हूं, उस एरिया में 40 कि.मी. तक पानी नहीं है और लूणी नदी के बेल्ट में आया हुआ एरिया है और नदी का खारा पानी है। उसके अन्दर 2-2, 3-3 फीट से पानी खोदकर वे पानी पीते हैं। उस पानी से कुबड़ापन होता है, बीमारियां होती हैं। वहां कोई अस्पताल नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। उसमें आये दिन हजारों जानवर मर रहे हैं। लोग वहां से पलायन होकर गुजरात जा रहे हैं, एरिया खाली हो गया है मगर कोई कार्यवाही नहीं होती है सरकार की तरफ से। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री हीरालाल विश्नोई)

करना चाहता हूं कि हमारा एरिया ढाणियों में बसा हुआ एरिया है। दूसरे कई-कई एरिया में अलग-अलग अपनी-अपनी तकलीफें होती हैं। हमारा जो एरिया है वह ढाणियों में बसा हुआ एरिया है। अब राजीव गांधी मिशन के अन्दर 60 से 70 ढाणियों की स्कीम वहां से बनवाकर यहां चीफ साहब के आफिस में भिजवायी। आज तक अधरझूल में झूल रही है और राजीव गांधी मिशन का भारत सरकार का पैसा और वाहवाही राजस्थान सरकार लूटे। इसमें भी वह काम नहीं हो रहा है। इतनी भयंकर समस्या हमारे इलाके में है।

अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, चितलवाणा गांव, वह अब उप-तहसील हो गया है, पंचायत समिति बनने वाला है और 86-87 के अन्दर भारत सरकार से वह स्कीम मंजूर करवायी थी, 40 लाख की स्कीम थी। वह आज दिन तक अधरझूल में पड़ी हुई है। उस स्कीम के लिए कहीं से पाइप लाये वे टूट गये। टेस्टिंग में गयी तो पाइप टूट गयी। पानी उस गांव के अन्दर पहुंचता नहीं। उस स्कीम से रतनपुरा, सांगलवा, गोमली और 20 गांव जुड़े हुए हैं। वहां तक पानी जाने का सवाल ही नहीं, वहां चितलवाणा में ही नहीं जा रहा है तो वहां पानी कैसे जायेगा और चितलवाणा में आज से सात साल पहले एस.आर. 3-4 बना दिये, स्टोरेज के पानी का बना दिया, हैण्ड पम्प का सैट बना दिया और पानी की पाइप का पता ही नहीं था आज दिन तक। वह स्कीम अधरझूल में झूल रही है।

परावा के अन्दर इतना फ्लोराइड का पानी निकला, यह आपके प्रश्न में लिखा है कि यह पीने योग्य पानी नहीं है और मैंने वह स्कीम बनायी तो परावा का पानी दूर है तो आप इसको आकोली से जोड़िये। आज दिन तक वह स्कीम आपके यहां पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री अमराराम चौधरी।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया की समस्या कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया है। अब आप समाप्त करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपने इतना बड़ा बजट पेश किया, 9000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार का बजट आपने पेश किया। मैं तो आपसे चाहूंगा कि हमारे जिले के अन्दर आप 20-25 करोड़ रुपया एक बार उन समस्याओं के निराकरण के लिए, कम से कम जिलेवाइज जिसको जितना बजट देते हैं, हमारे जिले के अन्दर 25 करोड़ रुपये इस बार देंगे तो हमारी समस्या का काफी समाधान हो जायेगा तो मैं आपको हमेशा धन्यवाद देता

(श्री हीरालाल विश्नोई)

रहूंगा और आपके ही गुण गाता रहूंगा और सचिव महोदया बिराजमान हैं। वे जानती हैं कि पानी की समस्या सबसे ज्यादा महिला को होती है और महिला घड़े उठाकर लाती है इसलिए उनके लिए आपके ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये माननीय सदस्य। अब बिराजें।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जिन स्कीम्स के लिए कहा है, मंत्री महोदय ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 के बारे में अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। एक कल्याणकारी स्टेट का सबसे पहला कर्तव्य जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। पिछले दिनों जब मैं मंत्रीजी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जोधपुर जा रहा था तो मैंने देखा जोधपुर में पानी की बहुत किल्लत है। मंत्रीजी जा रहे हैं, शायद कहीं न कहीं लोग आपको ज्यादा ओलमा देंगे लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि उस दिन बरसात हो गयी। मंत्रीजी आप आते रहें और वहां बरसात होती रहे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि इण्डियन एक्सप्रेस की कटिंग सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य पढ़ रहे थे कि 320 लाख गैलन पानी इन्दिरा गांधी कैनाल से जोधपुर को मिलेगा और दिसम्बर में मिल जायेगा, आने वाले दिसम्बर में। तब मैंने भी यह सोचा, मेरा एक सपना था कि जब यह 320 लाख गैलन पानी जोधपुर को आ जायेगा इन्दिरा कैनाल का, यह भागीरथ प्रयास पहले से ही जहां जगदीश हिमालय पर बिराजते हैं और इन्दिरा गांधी ने और हमारे तत्कालीन मंत्री ने इन्दिरा नहर लाने का बहुत प्रयास किया और उसके बाद में अब आप प्रयास कर रहे हैं कि जोधपुर में इतना पानी आयेगा, तो मैंने आपसे भी निवेदन किया था और मेरी सबसे पहली मांग यही है कि फिर जवाई नहर का पानी जो सवा सौ लाख गैलन आप ले रहे हैं वह पानी आप बालोतरा तक पहुंचा दें। इन्दिरा नहर का पानी तो बालोतरा में आना बहुत मुश्किल है और यहां तक जो जोधपुर के लगते गांवों में माननीय राज्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि सब जगह पाइप लाइन भेज रहे हैं, धवा में भी भेज देंगे तो फिर धवा वाले अगर नहर का पानी पियेंगे तो डोली वालों ने क्या गुनाह किया, शिवनगरी वालों ने क्या गुनाह किया। पास के गांव जो हमारे हैं उन गांवों को तो कम से कम आप यह पानी जरूर दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने शहर के लिए जो 6 करोड़ 72

(श्री अमराराम चौधरी)

लाख की स्कीम स्वीकृत की, अब उसमें हमारे अध्यक्ष ने आपको 20 प्रतिशत का कह दिया था कि हम देंगे, नगरपालिका दे देगी, नगरपालिका प्रस्ताव ले चुकी है और सारे मैम्बर जो आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि यह 33 लाख रुपये जो होते हैं, वह नहीं देंगे। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसी के कारण से इस कार्य को नहीं रोकें। बालोतरा के लिए जो बहुत पहले पाइप लाइन लगी थी जिसका आग्मेंटेशन होना बहुत जरूरी है, रिआर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है इसलिए आप जल्दी से जल्दी दो ओवरहैड टैंक बनावें। कच्ची बस्तियों में पानी नहीं जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में जा नहीं रहा है। अभी आप बजट में ज्यादा से ज्यादा बस्तियों को कवर करने जा रहे हैं, तो यह जो आपने स्वीकृत की है, कब तक प्रारम्भ हो जायेगी, ओवरहैड टैंक कब तक प्रारम्भ हो जायेंगे। एक मेरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में सिर्फ दो आपके जी.एल.आर. बने हुए हैं। एक तो तरली के अन्दर जो जी.एल.आर. बना हुआ है वह आज से 10-15 साल पहले बना था, वहां पानी आज तक एक बूंद नहीं गया। इसके लिए मेरा निवेदन है कि पचपदरा से पानी वहां जायेगा नहीं, लापुरड़ा में पानी आपका जाता नहीं और लापुरड़ा के आगे तरली है तो यह गीड़ा से जल्दी से जल्दी जोड़ दिया जाय। इसके अलावा मोहनपुरा में सिंधियों की बस्ती में आपका जी.एल.आर. बना हुआ है उसको भी 12 साल हो गये और सिर्फ मोहनपुरा में जो कुआ है, उससे उस जी.एल.आर. को जोड़ना है, डेढ़ किलोमीटर या एक किलोमीटर की पाइप लाइन लगती है, ढ़ाई साल से मैं लगातार कह रहा हूं, वह आपने जोड़ी नहीं है। यह दोनों जी.एल.आर. पाइप लाइन से जोड़कर नियमित पानी उसमें जावे, यह व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी अधिकारियों को कहकर कराने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे गांव सारणों की बेरी और सारणों की बेरी के अन्दर जो आपकी स्कीम पहले बन चुकी, मूल की ढाणी और इधर सारणों की बेरी लेकिन सारणों की बेरी को अभी तक पानी से नहीं जोड़ा गया, सोंखड़ों की बेरी को भी अभी तक पानी से नहीं जोड़ा गया। तो इनको भी आप जल्दी से जल्दी जोड़ें। बाकी बबलाई नाडी, जो आपके मेघवालों की पूरी बस्ती है, पाइप लाइन लगी हुई है लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं गया। आज जो जो स्कीम बनी है और जो-जो सोर्स हमने बताये हैं वह आज दिन तक कामयाब रहे हैं। नेबरीक में आज 12-13 गांवों को पानी मिल रहा है। आपके रिणिया देसुपड़ा से पानी मिल रहा है। अभी आप देहरिया से सारी जगह, चार-पांच गांवों को पानी दे रहे हैं। लेकिन जिस खारंडी के अन्दर हमेशा वहां की हौदी ओवरफ्लो होती थी, आज ढ़ाई-तीन साल से एक बूंद भी पानी नहीं

(श्री अमराराम चौधरी)

गया है खारड़ी में और इसीलिए लोगों ने इस चुनाव के अन्दर वोटों का बहिष्कार किया। यह कल्याणकारी राज्य है, इसका पुनीत कर्तव्य यही है, जिस गांव में हमेशा पानी जाता था, आज वह पानी कहां गया, उलटे ट्यूब वैल तो हमारे ज्यादा हो गये। बिटूजा के अन्दर पहले कितने ट्यूब वैल थे, आज बहुत ज्यादा ट्यूब वैल हो गये। किटनोद में ट्यूब वैल हो गये। किटनोद से आपका सारा काम; पानी ले रहे हैं। इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि आज ज्यों-ज्यों पानी की कमी होती जा रही है इसके लिए हमें स्वयं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इस प्रकार की स्कीम में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। ब्यावर की घटना पिछले साल हुई। अगर जगह-जगह शहर के अन्दर, आप नगरपालिका के भी मंत्रीजी हैं, वहां यह कम्पलसरी कर दें, चार हजार गैलन का एक टांका तो अवश्य ही ड्राइंग रूम की तरह बनेगा। धोने में, पीने में, इमरजेंसी में, लाइट नहीं आयी, वह नहीं आयी, यह बार-बार आप हड़ताल करते हैं, औरतें आकर मटके फोड़ती हैं, आपके दफ्तर के सामने, यह अगर आप नहीं करेंगे टांका बनाना कम्पलसरी, उनको एन.ओ.सी. मत दो मकान बनाने की, जो नये मकान बन रहे हैं और यह करना पड़ेगा। गांवों में जो लोग आज बैठे हैं, आपकी इस पाइप लाइन के भरोसे नहीं हैं। उन्होंने अपने टांके बना भी रखे हैं। आप शायद कहीं भी पानी नहीं भेजें लेकिन आप पधारोगे, सबसे पहले आपको जल पिलायेंगे, लो साहब यह। आप जो मिनरल वाटर पीते हैं न, उससे भी बढ़िया पानी पिलायेंगे। गांवों में जिनके पानी नहीं है वह पानी का संचय करके रखते हैं। यह आदत शहरों में भी हो गई। अभी बता रहे थे औसियां से आने वाले माननीय सदस्य कि हमारे बाथ रूम में जो पानी की व्यवस्था है, हम ढ़ोलते रहते हैं चार-पांच बाल्टी, एक बाल्टी से काम चल सकता है। यानि पानी को किस प्रकार से हमें बचाना चाहिए। आज ठीक है कि बाढ़ आ गयी, सब कुछ हो गया और हमारे यहां भी बरसात हो गयी इसलिए गांवों में तालाबों में पानी है। बाकी जो एनीकट हैं कहीं पर और उनमें से जो टूट गये हैं उनको ठीक कराना है। जैसे वरीया का एनीकट है वह टूट गया था उसको ठीक किया ही नहीं है। नहीं तो वरीया से आठ-दस गांवों को पानी मिल रहा था और आज सिर्फ एक किलबाणिया को ही पानी मिल रहा है। सब आसोतरा से और किटनोद से और बिटूजा से पानी जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्री अमराराम चौधरी : दो मिनट में माननीय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : आधा मिनट

(श्री अमराराम चौधरी)

में। मेरे यहां पर कुछ एरिया ऐसा है। सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, बलाऊ है, रोड़वा कलां हैं, रोड़वा खुर्द है, इनमें एक-दो तो गांवों में कुएं हैं, वह आपको पी.एचईडी. के लिए देने के लिए तैयार हैं, आप बलाऊ से पानी ला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है बलाऊ से लाने की। हम आपको कुआ दे देंगे और आप उस पर मोटर लगवा दें। बाकी हैण्ड पम्प का जहां तक सवाल है, मुखनाणियां की ढाणी में स्कूल के अन्दर पीने के पानी की किल्लत है, वहां पर आप हैण्ड पम्प लगाइये। इसके अलावा रोडराकलां के अन्दर रामदेव जी के मन्दिर में हैण्ड पम्प करवाइये और अपानाड़ा में आपने जो हैण्ड पम्प किया साल भर हो गया उस पर कार्य अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है उसका हैंडल वगैरह लगा ही नहीं है तो बहुत सी जगह जहां हैण्ड पम्प होने चाहिए वो जल्दी करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट माननीय सदस्य, यह जो नगरपालिका ने अपना मैचिंग ग्रांट देने की बात कही थी न आपने, बालोत्तरा में नगरपालिका ने अपने—(व्यवधान)—

श्री अमराराम चौधरी : नगरपालिका ने नहीं सिर्फ एक व्यक्ति ने की थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो एक मिनट, कितने रुपये देने की बात की थी? कितने पर्सेंट देना था?

श्री अमराराम चौधरी : 20 प्रतिशत।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो लगता है कि दे देंगे वो?

श्री अमराराम चौधरी : वो 20% एक वापस प्रस्ताव पास हो गया कि नहीं दी जाये, यह म्युनिसिपैलिटी ने आपकी खुद की पार्टी की म्युनिसिपैलिटी ने उसने यह प्रस्ताव किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो यह फिर हम ही लगा देंगे पूरा पैसा।

श्री अमराराम चौधरी : आप ही दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : दे देंगे हम।

श्री अमराराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय—(व्यवधान)—अभी कहा था कि पानी की टंकी बनाने के लिए 15 लाख रुपये चाहिये जिसके अन्दर पाइप लाइन और पानी की टंकी बन जायेगी यह मैंने जान लिया है तो इसलिए मेहरबानी करके आज यह घोषणा कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कन्हैयालाल जी साहब।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 754 करोड़ रुपये जो पेयजल के लिए स्वीकृत करके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी–

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : मुझे आपने आश्वासन दिया था कि बाद में नम्बर दे देंगे। मेरे समय का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या हुआ, आपका नम्बर आयेगा और कुछ नहीं हुआ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : और कस्बों में जो योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करायेंगे उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने जो पांच हजार गांवों और बस्तियों को लाभान्वित करने और 10 हजार स्कूलों में जो हैण्ड पम्प स्वीकृत कर पहली बार आपने जो यह कदम उठाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिला जयपुर में जो 154 टंकियां 1980-81 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनायी गयी थीं और जो एकदम बेकार पड़ी हुई थीं लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ पड़ा था। लेकिन आपने तीस जिला तीस काम के तहत स्वीकृत करवाकर के जयपुर जिले की इन टंकियों का जो कार्य चालू करने के लिए आपने स्वीकृति दी है उसके लिए जयपुर जिला आपका आभार व्यक्त करना चाहता है। साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 30 जिला 30 काम योजना के तहत जो 37 टंकियां पेयजल स्कीम की बनाकर के आपने जो बस्सी विधान सभा क्षेत्र में दी हैं उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही आपने चाकसू में जो 5.6 करोड़ की फ्लोराइड युक्त प्रोजेक्ट बनाकर के और कार्य प्रारम्भ किया उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। बस्सी की डेढ़ करोड़ रुपये की योजना आपने बनाकर के और स्वीकृति करने के लिए आपके पास विचाराधीन है और आप उसको स्वीकृत करके जल्दी ही हमारी जनता को जो पानी की असुविधा है उसको दूर करेंगे उसके लिए मैं एडवांस में आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक इतनी बड़ी स्कीम को हाथ में ली।

मैं आपसे मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी में अभी जो लकवा की बीमारी की समस्या सामने आयी थी उसमें बड़े-बड़े कस्बों में जो पानी को फिल्टर करके और सप्लाई करने की व्यवस्था थी वो एक टंकी बस्सी में लागू की जाये। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सौ से ज्यादा ऐसी ढाणियां जिनकी एक हजार से ज्यादा जनसंख्या है पूरे विधान सभा क्षेत्र में और उन ढाणियों को जो चिन्हित भी आज तक नहीं की गयी हैं ऐसी ढाणियों में आप

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आदेश दें आज ही कि ऐसी ढाणियों का सर्वे करके उन ढाणियों में हैण्ड पम्प स्वीकृत कराये जाने की कृपा करें।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक कि जो आपने डेढ़ किलोमीटर की दूरी में एक हैण्ड पम्प लगाया जाये इस डेढ़ किलोमीटर की दूरी को जो एक व्यक्ति अजमेरी गेट से चलेगा पानी भरने के लिए और विधान सभा के पास आकर के पानी भरकर ले जाय यह बहुत समय लगेगा और यह न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पांच सौ मीटर से ज्यादा दूरी नहीं की जाये। हैण्ड पम्प लगाने की जो दूरी है उसको। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वीकृत कार्यों में इतनी देरी होती है कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पेयजल स्कीम में प्रोजेक्ट बनाने में 12-12 महीने 2-2 वर्ष लग जाते हैं। स्वीकृत होने के बाद टेण्डर जब होता है उसके बाद भी 6 महीने या 12 महीने तो लग जाते हैं काम को शुरूआत करने में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो समय लगता है स्कीमें बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में या कार्य को चालू करने में, इसमें सुधार लाया जाये जिससे कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक निश्चित नीति हो। कभी तो जनता जल योजना, कभी कोई पाइप वाली योजना, कभी हजार वाली योजना, चार हजार वाली योजना, कभी कहीं हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें एक निश्चितता होनी चाहिये जिससे गांव वालों को यह चर्चा रहे कि गांव वालों की जो जनसहभागिता के आधार पर यदि कहीं गांव के अन्दर आप 10 हजार लें या पांच हजार लें या उनकी तरफ से जो प्रावधान रखा जाये एक निश्चित होना चाहिये। जिससे गांव वालों को कुछ जनसहभागिता के आधार पर 10 हजार जमा कराने पर उनको पानी की टंकी बना करके या उसको चालू करने के लिए उसकी एक निश्चित नीति होनी चाहिए। जनता जल योजना को अन्य सात जिलों में जैसे 50 हजार की जो स्वीकृति आपने दी है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य जिलों में भी यह 50 हजार की जो टी. एस. एस. योजनाओं के तहत या अन्य स्कीमों के तहत जो 50 हजार रुपये प्रति गांव वाइज आपने देने की घोषणा की है वो अन्य जिलों में भी लागू की जाये जिससे वो गांव वाले उस स्कीम को अपने आधार पर चला सकें।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो फ्लोराइड युक्त शेष गांव जो विधान सभा क्षेत्र में रह गये हैं और जो गांवों में अपने फ्लोराइड युक्त प्रोजेक्ट बनाकर के पेयजल स्कीम चालू करने का जो प्रावधान रखा है लेकिन वो गांवों में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आधे से ज्यादा लोग ढाणियों में बसे हुए हैं और दो सौ से ज्यादा की ढाणियां जो दो किलोमीटर, चार किलोमीटर तक बसी हुई हैं और आज भी फ्लोराइड युक्त ढाणियां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी ढाणियां जिन गांवों में आपने पेयजल स्कीम चालू कर दी लेकिन वो ढाणियां उससे वंचित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दो सौ से ज्यादा की आबादी वाली जो ढाणियां हैं वहां भी एक फ्लोराइड युक्त प्रोजेक्ट बना करके और पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करवायें।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समर कंटीजेंसी हेतु जो बद्रीजी गुरुजी ने सुझाव दिया है उसको लागू किया जाये और जितने कार्य जो स्वीकृत हुए हैं उन कार्यों की जल्दी शुरूआत की जाये।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 40 लीटर की जो स्कीम आपने बनाकरके दी है वो 40 की बजाय 100 लीटर की जाये क्योंकि पशुओं को भी पानी पीने के लिए कम से कम 35 लीटर का प्रावधान रखा गया है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 40 लीटर की बजाय उसे सौ लीटर की बनायी जाये।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के जो सामरिया गांव हैं, माशीपुरा, हीरावाला, गिलानी नांगल, खेड़ी, खोखला, रामसर पालावाला, जीतावाला, बूरथल, खिजूरिया, ब्राह्मणाना, पालानाला नाटान, दयालपुरा, टोडाभाटा, दणा, दणाऊ कला, देवगांव, अणतपुरा, पाटन, पड़ासौली, बड़वा, झर्र, दूधली, चोरेवाड़ा ये ऐसे 23 गांव हैं जिनमें हैण्ड पम्प जो लगे हुए थे उन हैण्ड पम्पों में पानी नीचे चले जाने की वजह से वहां पर इन 23 गांवों में पेयजल स्कीमें बनायी जाकर के और पानी टी.एस.एस. के तहत सप्लाई किया जाये। यह सारे गांव वाले अपने स्तर पर 5 आदमियों की कमेटी बनाकर जनता जल योजना के तहत चालू करना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनता जल योजना जो लागू की जाय। इसको एक बार डिपार्टमेंट पूरी तरह से चालू करके गांव वालों को दे दें। बिलों का भुगतान भी गांव वाले करने को तैयार हैं। आगे की मेंटेनेंस भी करने के लिए गांव वाले और पंचायत तैयार है लेकिन एक बार आप स्कीम को चालू करके जिस प्रकार आपने पहले कुछ पैसे गांव वालों की तरफ से, पहले एडवांस में जमा कराया जाय। वह पहले जमा करने की जो स्कीम है उसको खतम करके और पैसे जो बिल जमा कराने का था, बिल विभाग की तरफ से जमा नहीं कराके चाहे गांव वाले उसको जमा करा लेंगे। यह स्कीम आपकी ओर से चालू की जाय। साथ ही, मैं आपको इसके लिए–

श्री भंवरलाल शर्मा : आप उन गांवों की सूची दे दें। जो आपने प्रस्ताव रखा है कि जमा आप करा देंगे बाकी हम पूरी कर दें, पैसे पहले हम जमा करा दें। उन गांवों की सूची दे दें। जिन गांवों में आप ये योजना लगाना चाहते हैं उनकी सूची दे दें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : ठीक है, मैं सूची दे दूंगा साहब। (व्यवधान) वैसे तो पूर्व में भी मैं सूची दे चुका हूं इन 35 गांवों की।

श्री हरजीराम बुरडक : 40-70 वाला थोड़ा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसके साथ ही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने जिस प्रकार का (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि गांवों की सूची दे दो, मैं कर दूंगा। किस स्कीम में क्या करोगे, हमें समझाओ तो सही आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय, मैं यह कह रहा था कि जनता जल योजना जो स्कीम है उसमें माननीय सदस्य ने कहा कि आप एक बार स्कीम को पूरी चालू कर दीजिये ताकि ये उसको चला सकें आसानी से। वह करने के बाद ये खुद ही चला लेंगे, खुद ही संभालेंगे तो मैंने यह कहा कि यह सूची आप मुझे दे दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपकी जनता जल योजना जो आज है...

श्री कन्हैयालाल मीणा : नहीं, नहीं बिलकुल दे देंगे, चला लेंगे बिलकुल। चलनी ही हैं हमारे तो 10 पहले ही चल रही हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : उसमें आपके यहां कोई प्रावधान नहीं है कि पूरी स्कीम आप चालू कर सको। आपने डेजर्ट इलाके में तो 50 हजार रुपये दिया है और बाकी में आपने कुछ भी नहीं दिया है इसलिए आप कैसे इसको पूरी करोगे? जनता जल योजना का खर्चा कहीं डेढ़ लाख आता है, कहीं दो लाख आता है तो आप यहां हाऊस में एश्योर करते हो कि क्या कि जनता जल योजना की स्कीम पूरी करके आप दे दोगे और फिर गांव वाले चला लेंगे तो हमें मंजूर है। लेकिन आज वह स्कीम है ही नहीं, आप तो सिर्फ 50 हजार रुपये एक-एक में दे देते हो और बाकी नहीं देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : कन्हैयालाल जी समाप्त करें। जल्दी करिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भू जल मण्डल में आपने 18 करोड़ का प्रावधान करके उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की सोची है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वाटर लेबल नीचे चला गया है और आज एरिया जो डार्क

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

जोन के एरिया घोषित हैं उसको गांवों में कम रेट के अन्दर जो ओपन बैल हैं उनके अन्दर आप डी.सी.बी. उसमें करवाने का प्रावधान रखें और गांव वाले जो आज खेती के लिए जब तक ट्यूबवैल नहीं करवा पाते हैं उसकी व्यवस्था आप करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल पर चर्चा हो रही है। हमारा पूरा दौसा जिला डार्क जोन में आता है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी डार्क ज़ोन में है। आज से 10 साल पहले जो हैण्ड पम्प लगे थे थे सब डार्क हो गये और मंत्रीजी का नजरिया शहर के अलावा गांव की तरफ जाता नहीं। आपकी यह जो योजना है शहर के लिए और ग्रामीण के लिए, मैंने पिछले साल भी मंत्री जी को निवेदन किया था कि मंत्री जी आप अपना नजरिया शहरों और गांवों की तरफ, एक करोड़ की आबादी के लिए आपने 198 करोड़ रखे और साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण जनता है उसके लिए आपने 140 करोड़ रखे हैं। अब इससे देख लीजिये गांवों की समस्या का समाधान, उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह होगा। जो हैण्ड पम्प लग गये, मंत्री जी ने यह घोषणा की थी गत वर्ष कि हम हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की जो दोहरी व्यवस्था है उसको आज से ही खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, इसका जवाब भी देवें, न तो इधर की व्यवस्था रही न उधर की रही। पंचायत समिति के जो मिस्त्री हैं उनके पास सामान नहीं, पी.एच.ई.डी. वाले उनको सामान नहीं देते। आखिर ये घोषणाएं यहां पर करते हैं। अभी कह रहे थे कि टंकी बना दूंगा, किसी को कहते हैं यह करा दूंगा। जितनी घोषणाएं गत वर्ष इन्होंने अपनी डिमाण्ड के समय की। मैं आपको एक-एक याद दिला रहा हूं मंत्री जी।

आप जनता जल की बहुत वाहवाही करते हैं। आपकी यह जनता जल योजना एक शगूफा है। यह कहीं भी क्रियान्वित नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे गांव में ग्राम बाड़बड़दा की जनता जल योजना की स्वीकृति भी निकल गयी, विधायक कोटे से मैंने 50 हजार रुपये के लिए लिख दिया, उसकी प्रशासनिक सैंक्शन भी निकल गयी। एक आपके एडीशनल चीफ हैं। गांव के लोग कम से कम तीन बार यहां पर आ गये। आपकी टेक्निकल सैंक्शन नहीं हुई जिससे उस टंकी का निर्माण नहीं हुआ। गांव वाले मोटर ले आये, कनेक्शन की कार्यवाही कर दी। आखिर यह चलेगा कैसे आपका विभाग? यह प्रेक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। आखिर यह चलेगा कैसे? मैंने मुख्य मंत्री जी को, मंत्री जी अगर गांवों में आप जो बजट देते हैं उसमें आपको शहर के अलावा गांव कहीं नहीं दिखता क्योंकि

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपका दृष्टिकोण, आपका राजनैतिक कार्य क्षेत्र शहर रहा है। आप इस पी.एचईडी. को अगर छोड़ दें, किसी अच्छे गांव के व्यक्ति को जो गांवों से सम्बन्ध रखता हो उसको अगर दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाय। नहीं आप सांप बनकर इसके ऊपर बैठे रहो, गांव के लोग रोते रहेंगे और आप इस तरह चलते रहेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी एक भी योजना कहीं सफल नहीं हुई। गांव में ये कह रहे हैं हमने साढ़े चार हजार ढाणियों में हैण्ड पम्प लगा दिये। राजस्थान सरकार ने एक भी हैण्ड पम्प पूरे राजस्थान में नहीं लगाया है। जो साढ़े चार हजार हैण्डपम्प लगे हैं वह राजीव गांधी मिशन योजना के तहत लगे और अपने बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी कहेंगे जब कहीं राजीव गांधी मिशन का नाम तक नहीं लेते, कहीं नहीं लेते नाम। आपका कोई लेना-देना नहीं है। राजीव गांधी मिशन से हैण्डपम्प आयेंगे। इनके अधिकारी एक हैण्डपम्प जो 20 हजार में लगता हो, 25 हजार में लग जाय उसके 45 हजार रुपये यह पेमेन्ट लेते हैं चाहे उसकी गहराई सौ फीट हो चाहे 70 फीट हो चाहे डेढ़ सौ फीट हो। इनका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकलते, 45 हजार की कास्ट को ये लेते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अब 49 कर दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : 49 कर दें, 50 कर दें इनका जितना कमीशन बढ़ेगा। यह कमीशन के लिए केवल काम करते हैं। राजीव गांधी मिशन के मंत्री जी, कई हैण्डपम्प ऐसे लगाये हैं आपके अधिकारियों ने जो तीन दिन भी नहीं चले। कई बार हमने ये शिकायत लिख दी उनको पर ठीक करने नहीं जाते। मैंने एक कटमोशन दिया है, आप उस उदाहरण को देख लीजिये। 45 हजार रुपये आपके ड्रिलिंग वालों ने उसका पेमेन्ट लिया है ग्राम मण्डावरी का। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि वह एक घण्टा भी नहीं चला हैण्ड पम्प। एक साल से पड़ा हुआ है। आप जो भारत सरकार से जो राजीव गांधी मिशन का पैसा आ रहा है उसको आपके अधिकारी लूट रहे हैं। आपके अधिकारी सारे, एक साल में कोई एक जो नौकरी लगेगा वह एक साल में करोड़पति हो जाता है। आखिर आप इस विभाग को चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? क्या सुपरविजन कर रहे हैं आप? सुपरविजन करने के लिए आपको ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ेगी। आप बार-बार कहते हैं जनता जल योजना, हम कांग्रेस के एम.एल.ए. हैं दौसा जिले में। आपने इस कंटीजेंसी में दौसा जिले को एक हैण्ड पम्प नहीं दिया। लालसोट में एक दिन एक हैण्डपम्प पहले जो सैंक्शन थे लगाने गयी, आपने दौसा से वापस सिटी में मशीन को मंगवा लिया। वहां एक हैण्ड पम्प लगाया हो तो बता दीजिये

(श्री परसादी लाल मीणा)

आप अधिकारियों से पूछकर। दौसा जिले में एक दिन आपकी मशीन नहीं गयी। आपका काम क्या है? दौसा जिले के लोग पानी नहीं पीयेंगे? क्या दौसा जिले के लोगों को पानी नहीं चाहिए? आप यदि अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, आप सारी चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हैण्डपम्प खातेदारी में लगवा दिया, आपका एक कार्यकर्ता हो, 50 घर रह जायं, इसका क्राइटेरिया और हैण्ड पम्प लगाने के लिए कोई पालिसी बनाइये कि हैण्ड पम्प कहां लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी पापुलेशन होनी चाहिए, किस तरह से वहां पर उसका उपयोग होगा। आपके तीन आदमी रहते नहीं, वहां हैण्ड पम्प के आर्डर आप कर देते हैं, नीचे से कोई हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत कहां प्रपोज करती है। आपका कार्यकर्ता सीधा आपके पास आता है आर्डर कराकर कि यहां लगा दिया जाय। अब किसकी हिम्मत है? आपका आर्डर हो जाय और उस आर्डर को टाले, बचा उस एक्सईएन. को रहना नहीं है वहां? मेहरबानी करके राजनीतिक आधार पर जो यह कार्यवाही कर रहे हैं, इसको बन्द करें। मैं आपको कहना चाहूंगा–

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो जनता जल योजना है, इसमें क्या-क्या दिक्कत आती है, जरा यह बात बता दो।

श्री परसादी लाल मीणा : मैंने बतायी न आपको। दिक्कत आयी, आप देख लीजिए–

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, क्या-क्या आती है जरा यह समझाएं मुझे।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं बता रहा हूं आपको। जनता जल योजना में गांव वाले, बाढनवा का उदाहरण ले लो। आप अपने अधिकारियों से पूछिए कि वो योजना लागू क्यों नहीं हुयी। मैंने अपने विधायक कोटे से टंकी के लिये पैसा दे दिया। गांव वालों ने मोटर की सारी कार्यवाही कर ली। आपके अधिकारियों से पूछिए कि उसकी टेक्निकल सैंक्शन क्यों नहीं दे रहे। आपके एडिशनल चीफ से मैंने तीन बार टेलीफोन पर बात की है। 20 आदमी गांव वाले आपके एस. ई. के पास आये। आपके एक्सईएन. के पास आये तो एस. ई. के पास भेज देंगे, एस. ई. के पास आये तो वहां भेज देंगे। एक साल से यह उठा-पटक आपकी चल रही है। इसलिए एक योजना लागू नहीं हुई, दूसरी के लिये कोशिश नहीं की। एक पंचायत समिति में एक-दो योजनाएं अगर लागू नहीं होगीं, पहली बार में ही अगर दिक्कत आ जायेगी तो दूसरी लगाने की, मंत्री जी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा आप एक बात और सुन लीजिए पानी के कनेक्शन में जब हमारे कांग्रेस का राज था। 50 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा होती थी कनेक्शन के लिये। आप बताइए आपने क्या कर रखा है आज? एक हजार रुपया आप सिक्योरिटी राशि के जमा करते हैं। गरीब आदमी कोई कनेक्शन ले पायेगा आज?

298

(श्री परसादी लाल मीणा)

यह पानी पिलाने का आपका तरीका है। यह कठोर कानून। गरीब आदमी जिसके पास हजार रुपये साल भर में इकट्ठा नहीं हो वो पानी का कनेक्शन कैसे लेगा? आप 50 रुपये से एकदम एक हजार रुपये पर चले गये, यह शर्म आने लायक बात है। कितना अन्याय पानी के लिये आप कर रहे हैं। आप 50 रुपये से एक हजार रुपये पर सीधे पहुंच गये सिक्योरिटी राशि के लिये। आपको इस दृष्टिकोण को, जब शहर का आदमी ले सकता है, मंत्री जी, गांव का आदमी कनेक्शन नहीं ले पायेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तो मेरे दो मिनट, तीन मिनट हुए हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है बोलने की।

श्री परसादी लाल मीणा : तैयारी तो पूरी है पर मैं कहूं क्या साहब। मैं कहना बहुत चाह रहा हूं। आपने अभी कहा कि जनता जल योजना की तरह एक स्कीम बनायेंगे और उसमें गांव वाले 10 हजार रुपये जमा करायेंगे। आप उसमें करना क्या चाहते हैं। 10 हजार रुपये लेकर? वो जनता जल योजना है, कोई दूसरी योजना है, क्या योजना है? मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या योजना है। आपने बजट में भी इसका उल्लेख किया है। आप जनता जल योजना के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान बनाइए, उसकी जानकारी दीजिए। इस तरह की जो बात है आप उनको देख करके। आपने टैंक और ये 15 हजार की पापुलेशन में हम करेंगे। मंत्री जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे लालसोट में आपने एक योजना के लिये 1992 में कहा था। वो योजना कोई 20 बार तो आपने उसको आब्जेक्शन में भेज दिया। 1992 से आज तक जो योजना क्रियान्वित नहीं हुयी। बार-बार उसको भेज देते हैं। आपने अपने कार्यकाल में एक योजना तो मेरे गांव में दी थी। उस योजना का आज तक कोई टेण्डर नहीं हुआ, न कोई टेक्निकल सेंक्शन हुई। आखिर इन योजनाओं का हम बनवाये क्या? आपके अधिकारियों को हम कहते हैं कि योजनाएं बनाइए। मेरा लालसोट ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपकी गिनती की 4-5 योजनाएं हैं। 5-7 योजनाओं से ज्यादा नहीं है। बड़े-बड़े गांव हैं और आप योजनाएं बनाते नहीं। आपके अधिकारी बनाते नहीं। आप किस तरह इस विभाग को चलाना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो खराब हैण्ड पम्प पड़े हैं आपके, उनकी जगह नये हैण्ड पम्प लगाइए, अगर नहीं लगायेंगे तो आपका जो 50 परसेंट से नीचे सर्विस लेबल जा रहा है उस सर्विस लेबल को आप ठीक कराएं नहीं तो गांवों में पेयजल का, जहां डार्क जोन है, वहां गम्भीर संकट होने का खतरा है।

आप अभी लालसोट गये थे। लालसोट में आपने उस योजना का

(श्री परसादी लाल मीणा)

उद्घाटन किया। आपको ढाणियों का जो, आधा गांव तो सिटियों में बसा हुआ है, आधे गांव की पापुलेशन बाहर बसी हुयी है। जहां पर पहले यह योजना थी, पहले जहां तक आपका पानी जाता था, उससे एक इंच आपने उस योजना को नहीं बढ़ाया है। क्या फायदा हुआ वहां की जनता को। ढाणियों में भी ऐसे के ऐसे पाइप लाइनें रह गयीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो योजनाएं बनती हैं, आपका जो तरीका है कि तीन-तीन साल तक योजनाएं नहीं बनतीं, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं मंत्रीजी, 31 मार्च, 1995 को जो यह साल खत्म हुआ है, उसमें आपके अधिकारी को हुडको से ऋण मिल गया। 6-7 महीने तक उसको काम में नहीं लिया। आपके जो आडिट आब्जेक्शन आये हैं उसमें जो आपका ब्याज का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस की है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम ने विभिन्न जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से 31 मार्च, 1990 को रुपये 367 लाख का ऋण प्राप्त किया। सम्पूर्ण राशि एक वर्ष तक अप्रयुक्त रही, राशि विभिन्न जल आपूर्ति सीवरेज योजनाओं को मार्च, 1991 को दी गयी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड डीग को आबंटित रुपया 80 लाख की राशि मार्च, 1995 तक अप्रयुक्त रही। इसके परिणामस्वरूप राशि रुपया 67 लाख 48 हजार के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इस तरह के जो आपके ऑडिट आब्जेक्शन आ रहे हैं आपने पैसा ले लिया उसको काम में नहीं लिया, आपकी योजनाओं की टेक्निकल सैंक्शन टाइम पर होती ही नहीं। दूसरा मैं उदाहरण आपको एक और बताना चाहता हूं-

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा बिलाड़ा और जेतारण की जो स्कीम आपकी बनी मार्च, 1994 में वो भी आपने 6 महीने तक ऋण ले लिया। उस पैसे को काम में नहीं लिया, पैसा पड़ा रहा। आपको 6 लाख 20 हजार के ब्याज का जो नुकसान हुआ वो भी आपके आडिट आब्जेक्शन में मंत्रीजी, आखिर इतने ब्याज का नुकसान, आपके राजकोष पर जो भार पड़ा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी आप फिक्स कर रहे हैं आडिट आब्जेक्शन की? आखिर इस विभाग को चलाने के लिये आपको इच्छा-शक्ति पैदा करनी पड़ेगी नहीं तो यह विभाग आपका चलेगा नहीं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इस तरह करोड़ों रुपये के जो आडिट आब्जेक्शन हैं, आपके जो पाइपों के घोटाले हैं, आपके दूसरी खरीद-फरोख्त में है, जिस तरह से हैण्ड पम्प में 45-50 हजार रुपये का खर्चा ले रहे हैं, इसमें

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपके अधिकारी मनमाना कमीशन खा रहे हैं। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपने खुद ने मंजूर किया है पी.सी. जैन को सस्पेंड कर दिया आपने और आज तक आपके आर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। आज तक वो अधिकारी काम कर रहा है। आपने घोषणा करदी यहां, क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है और आज तक वो अधिकारी काम कर रहा है। इस तरह आपके विभाग पर आपकी पकड़ नहीं है। आप इस विभाग को थोड़ा एक्टिव करिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। जयन्तिलाल जी।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 पेयजल पर आज चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन दो सालों के अन्तराल में पीने के पानी की व्यवस्था जो सरकार ने की है वो बड़ी ही नेक और अच्छी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस तरह से अवगत कराऊंगा कि सिरोही जिले में जिस तरह से पानी की व्यवस्था आज से पूर्व थी और अभी जो है, वह बड़ी अच्छी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र हालीवाड़ा गांव जो फ्लोराइड से युक्त था, वहां पर सरकार ने तीन किलोमीटर दूर कुआ खुदवाकर के पाइप लाइन डाल करके और वहां से हालीवाड़ा में टंकी बनवाकर जनता को पानी की व्यवस्था करायी। इसी तरह आबू रोड़ तहसील के जनार गांव भी फ्लोराइडयुक्त था। वहां पर भी पानी बाहर से कुआ खुदवाकर पाइप लाइन डालकर वहां टंकी बनाकर व्यवस्था की गयी।

(22.00)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई अनेक गांवों में पानी की व्यवस्था करायी गयी है। चन्नार, सुलीबा, हालीवाड़ा, सोनेला, बासनवास अनेक गांवों में पानी की टंकी की व्यवस्था करायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस अन्तराल में कुछ ऐसे गांव हैं जो फ्लोराइडयुक्त रह गये हैं। उनके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी इसी बजट में लेकर जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें। सिरोही तहसील के जैला, फलबदी, नून, फूगणी, मोहब्बतपुरा, गुडा, नवारा, बावली, मडिया, हालीवाड़ा, मीरवाड़ा और सिलदर, इन गांवों में भी फ्लोराइडयुक्त है। इनको भी नयाकरण कराने का माननीय मंत्री महोदय कष्ट करावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो व्यवस्था हैण्ड पम्पों की है तो

(श्री जयन्तिलाल कोली)

सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चार महीने अभियान चलाते हैं उस समय तो हैण्ड पम्प अपन सरकार से ठीक कराते हैं। उसके बाद पंचायत समिति जो हैण्ड पम्प ठीक करवाती है, उसमें बजट तो अपन देते हैं लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से समय पर हैण्ड पम्प ठीक नहीं होते। यह भी मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेवदर पंचायत समिति में 12 लोग जो अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे थे, दो महीने पूर्व हटा दिये गये, यह भी मेरी सरकार से मांग है कि व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र के मंडार, सिरोही, दातराई और रेवदर, जो बड़े कस्बे हैं उनमें पाइप लाइन पुरानी हो चुकी है। उसको भी बदलने की आवश्यकता है, यहां चेंज करके बड़ी पाइप लाइन डालने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी पाइप लाइन चेंज करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2-4 गांव ऐसे हैं जहां पर टंकी बनी हुई है, कुआ खुदा हुआ है लेकिन पाइप लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए खाण में भी टंकी बनी हुई हैं और कुआ खुदा हुआ है, लेकिन वहां पर पानी की सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उसको जुड़वाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में भडाणा गांव है। वहां पर पीने के पानी की बहुत समस्या है। माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी वहां पधारे थे, पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर मांग की थी। वहां की स्थिति यह है कि कोई भी बाप शादी करने के लिए अपनी बेटी नहीं देता कि वहां पर लड़की जाकर पानी कहां से पीएंगी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि भडाणा गांव में एक बड़ी टंकी बनाकर वहां पर पानी दिलाने का कष्ट करें। इसी तरह डवाणी और जो अन्य गांव फ्लोराइडयुक्त हैं, उनका भी निराकरण करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्षजी, पेयजल की मांग पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा राजस्थान पानी की दृष्टि से, जल-स्रोतों की दृष्टि से बहुत ही समस्या-मूलक राज्य है। सारे हिन्दुस्तान का करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र है लेकिन जल-स्रोत केवल एक प्रतिशत ही हैं। ऐसे राज्य में पेयजल समस्या का समाधान करना बड़ा दुरूह कार्य है फिर भी राज्य सरकार भारत सरकार के सहयोग से योजनाओं की क्रियान्विति के लिए धनराशि खर्च करती है। राजस्थान में हर वर्ष हमारे जल-स्रोत कम होते जा रहे हैं। हमें

(श्री भीमसेन चौधरी)

दीर्घकालीन दृष्टि से सोचना है कि हमारे जो जल-स्रोत कम होते जा रहे हैं, इनकी पूर्ति के लिए क्या हमें व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हमने यमुना नदी का समझौता किया। गंगा फ्लड वाटर समझौते के लिए राज्य सरकार को तत्परता से कार्यवाही करके इस गंगा फ्लड वाटर के हिस्से के बारे में जितना जल्दी फैसला करवाया जाए उतना ही हमारे राजस्थान राज्य के लिए हितकर होगा। उस जल से हम राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जल संग्रहण की योजना बनाकर, हमारे सूखते हुए, कम होते हुए जल-स्रोतों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी हमारे यहां पर जो योजनाएं संधारण की जाती हैं। उसमें मुख्य समस्या यह है कि गांवों में हमारे कर्मचारी मौके पर रहते नहीं हैं, अपना काम करते नहीं हैं। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव के स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनका नियन्त्रण आप ग्राम पंचायत को दें। उनकी तनख्वाह अगर ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र के आधार पर आप देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मचारी गांव में रहेंगे और कार्य करेंगे तथा जनता को पूरा लाभ मिलेगा तो सरकार को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्षजी, हमारे सिंचित क्षेत्र में जो डिग्गियां बनी हुई हैं, उन डिग्गियों की मेंटिनेंस के लिए आपका विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है और उन गांवों में जो रहते हैं उनको गन्दा पानी पीना पड़ता है। न उनके लिए ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था है और न उनकी सफाई की कोई व्यवस्था है। उन सिंचित क्षेत्रों में गांव के जो लोग रहते हैं, उनको स्वास्थ्यवर्द्धक पानी नहीं मिलता है। इनकी मेंटिनेंस भी सही ढंग से नहीं होती। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन डिग्गियों की मेटिनेंस के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ग्राम पंचायतों को आप यह काम देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतें भी इनका संधारण कर सकेंगी, लेकिन उनके लिए अगर आप समुचित व्यवस्था, कोई आर्थिक प्रावधान करेंगे तभी वे गांव के लिए उसको मेन्टेन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल जी।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पर पेयजल समस्या के बारे में जो विचार चल रहा है, उसमें मैं आपने आपको शामिल करना चाहता हूं। मेरे रूपवास क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण रूपवास, उच्चैन, खानवा तीनों कस्बों का गर्मियों में बुरा हाल है।

(श्री मोतीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां से पानी भरतपुर के लिए सप्लाई हो रहा है। भरतपुर के लिए लाइन डल गयी, मरौली स्कीम पर 10-12 करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन मेरी तहसील के लिए मंत्री महोदय ने आज तक यह भी नहीं किया कि कम से कम 2 टंकियां मंजूर हो जाएं, उच्चैन और रूपवास की, जिससे कस्बों को पानी मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उच्चैन और रूपवास दोनों की टंकियां का एस्टीमेट बनकर आया हुआ है। उच्चैन की टंकी के साथ-साथ दो पंचायतें और लगती हैं जिनका पानी पीने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्लोराइड होने के कारण डाक्टर ने वहां का पानी फेल किया हुआ है। अतः उच्चैन और रूपवास, दोनों की टंकियां जल्दी से मंजूर करें। क्योंकि इस साल माननीय भैरोंसिंहजी ने बजट पानी के ऊपर रखा है इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि शायद मेरे रूपवास की समस्या सोल्व हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी हिसाब से पहाड़पुर क्षेत्र में पहाड़ी इलाका पड़ता है। सेण्ड स्टोन के इलाके की वजह से वहां पर सारे हिन्दुस्तान से व्यापार मण्डल आता है। उसका भी यही बुरा हाल है कि वहां पर बिल्कुल पानी नहीं है। जोहड़ों से पानी पीना पड़ता है। पता नहीं, अलवर में जी.डब्ल्यू.डी. की कोई स्कीम है उसके माध्यम से पानी चैक किया गया तो मीठा पानी निकला है। वहां भी आप टंकी बनवाने की कृपा करें तो कम से कम रेल्वे स्टेशन और व्यापार मण्डल की जगह पर और उस गांव में जो 4 हजार की आबादी के करीब है बंजी पाखर, वैसे भी आपके नियमों के अनुसार यह आ चुका है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी हिसाब से रूपवास से आगे धौलपुर रोड पर घाटा गांव पड़ता है। उसके करीब 10-12 गांवों में डाक्टरों ने पानी फ्लोराइड-युक्त घोषित किया हुआ है। जैसे इब्राहिमपुर, कारइये और ऐसी कई बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, उस इलाके में टंकी बनवा दी जाए। मात्र एक घाटे में पानी मीठा है, या फिर सरीनक से जाते हैं, यूपी बार्डर में तो हमारे रूपवास के घाटे से करीब एक किलोमीटर आगे जाकर मीठा पानी है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको और मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे रूपवास की कोई ज्यादा लम्बी समस्या नहीं है। मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपये की स्कीमें हैं। इनको मंजूर कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल जी।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-27 पेयजल पर जो चर्चा हो रही है,

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गिरते हुए जल स्तर के कारण आज राजस्थान में जो पेयजल की समस्या है, वह पूरे सदन के लिये और पूरे राजस्थान के लिये चिन्ता का विषय है। मान्यवर, पेयजल विभाग में कार्य की धीमी प्रगति और शिथिलता देखते हुए यह लगता है कि 1996-97 के बजट में पेयजल के लिये जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है, उसका हम कितना उपयोग समय के अनुसार ले पाते हैं, यह भी काफी चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मैं कुछ पाइंटों के आधार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इटावा, खातोली, पीपल्दा और गेंता जो चार नल योजनाएं थीं उन नल योजनाओं में खातोली में हरिजन बस्ती, इटावा के सरोवर नगर और गेंता की हरिजन बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य आज से दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। मान्यवर, दो साल के अन्तराल के बाद भी विभाग द्वारा कभी ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है, कभी टेण्डर दिये जा रहे हैं, कभी वर्क आर्डर जारी किया जा रहा है। इस तरह के बहाने लगाकर आज दिन तक जो दो वर्ष पूर्व पाइप लाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत किया गया है, वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है1 तो इससे आप अन्दाजा लगा लीजिये कि जो बजट आपने इस साल स्वीकृत किया है उसका कितना उपयोग ले पाओगे।

दूसरी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आयाना और लुहावत की जो नयी नल योजनाओं के प्रस्ताव विभाग के पास गत दो साल पहले भेजे थे, वे कभी बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं, कभी जनता जल योजना के नाम से सरपंचों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। दो वर्ष से आपके डिपार्टमेंट में आयाना और लुहावत की जो नल योजनाओं के प्रस्ताव बनकर आये हुए हैं, उनकी अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हो पायी है। अभी कोई प्रक्रिया नहीं हो पायी है, दो साल उनको हो गये। इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कुछ एरिया इस तरह का है जहां पर पानी का विशेष प्रॉब्लम है। बारां जिले के अन्तर्गत आने वाला जो मांगरोल का हिस्सा है, उसमें ग्राम हरसोली, श्यामपुरा और हिंगोइयां, यहां का जल-स्तर डाउन है और इसी तरह से बूंदी में आने वाला जोबलबन का हिस्सा है, पंचायत मुख्यालय है और यहां पर यह बलवन पंचायत मुख्यालय चम्बल नदी के किनारे होने के कारण यहां का जल-स्तर काफी डाउन है और गर्मी के समय में यहां पर जानवर और मनुष्य एक-एक बूंद पानी को तरसते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गत दो सालों से मैं माननीय मंत्रीजी और विभाग से लगातार इन गांवों में ट्यूबवैल स्वीकृत कर लगाने की मांग करता आ

(श्री रामगोपाल बैरवा)

रहा हूं। आज दिन तक भी यहां पर किसी तरह का कोई पैसा स्वीकृत नहीं किया गया है। यहां की जनता को पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसना पड़ता है।

इसी तरह से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो स्वीकृत हैण्ड पम्प हैं जो नये स्वीकृत किये जाते हैं, आज भी काफी गांवों में जो ढाणियां हैं, जो मजरे और ढाणियां हैं, आवश्यकता आज जो हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाते हैं, उन मजरों और ढाणियों में है लेकिन पी.एच.ई.डी. और ड्रिलिंग मशीन विभाग में, दोनों में समन्वय नहीं होने के कारण हैण्ड पम्प, जो स्वीकृत किये जाते हैं यह उन्हीं गांवों में लगा दिये जाते हैं जबकि आवश्यकता उन मजरे और ढाणियों में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पी.एच.ई.डी. विभाग और ड्रिलिंग विभाग में जो सामंजस्य का अभाव है, उस सामंजस्य को बनाये रखें और जिन मजरों और ढाणियों में उस हैण्ड पम्प की जरूरत होती है, वहां पर यह हैण्ड पम्प लगाया जाय, अन्यत्र नहीं लगाया जाय। आपका विभाग कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर, कुछ राजनीतिक प्रभाव में आकर के यह हैण्ड पम्प उस स्थान पर लगा देता है, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ग्राम आसीदा, जहां पर पूरा का पूरा पानी खारा निकलता है और उस पानी को मनुष्य ही नहीं, जानवर भी उस पानी को पीने के काम में नहीं लेते हैं औरा यहां के ग्रामवासियों को एक-डेढ़ किलोमीटर दूर जाकर के आज भी पानी लाना पड़ता है। मान्यवर, यह आसीदा गांव पूरा का पूरा आपके जिला प्रशासन और पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों की नालेज में हैं कि यहां यह बात है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गत वर्ष में जब उप मुख्य मंत्रीजी ने कोटा में जाकर पेयजल की मीटिंग ली थी, उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था। अधिकारियों ने यह कहकर कि इसके लिए एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं, इसके लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं लेकिन आज दिन तक तक वे प्रस्ताव नहीं बने हैं, कहां वे योजनाएं आपकी हुई हैं? आज भी वहां के लोग एक-डेढ़ किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाते हैं। इस तरह की गलतियां आपके विभाग में हो रही हैं। आज दिन तक एक भी ट्यूबवैल मेरे पूरे के पूरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नहीं किया गया है। आपने पूरी तरह से इन योजनाओं का राजनीतिकरण कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री रामगोपाल बैरवा : मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि गरवार गांव के पास में जो मोगिया

(श्री रामगोपाल बैरवा)

की बस्ती है, जो पूरी की पूरी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है, यह गांव आजादी के पचास साल निकलने के बाद भी आज गंदे नाले में बहने वाले पानी को पीता है। वहां पर एक हैण्ड पम्प आपका विभाग नहीं लगा पाया है। मैं माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह की मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नल योजनाएं हैं, जो पाइप लाइन स्वीकृत पड़ी हुई है, उनके कार्य शीघ्रताशीघ्र कराये जायं और यहां पर यह चार गांव हिंगोइया, बलबन, हरसोली और श्यामपुरा में पानी की विशेष किल्लत रहती है। यहां पर नये ट्यूबवैल की स्वीकृति दी जाय। जय हिन्द।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-27 पर जो चर्चा चल रही है, उसमें मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में दो पंचायत समितियां आती हैं, एक चाकसू और एक फागी। चाकसू के लिये तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने फ्लोराइड स्कीम में इस पंचायत समिति को, इस तहसील को लेकर 5.6 करोड़ रुपये की योजना मंजूर करायी, जिसके कुछ कार्य चालू हो चुके हैं, कुएं खुद रहे हैं, पाइप लाइनें आ चुकी हैं परन्तु उसमें थोड़ा सा यह है कि यह 1994 में सैंक्शन हुई थी, 1996 चल रहा है, इसका जो काम धीमी गति से चल रहा है, वह जरा जल्दी चलाऐं, जिससे कि जहां पर खारा फ्लोराइड पानी है वहां व्यक्तियों को मीठा पानी उपलब्ध हो सके। इस सम्बन्ध में, मैं आपको एक अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गांव हैं, बासभगवतपुरा और बास काकरिया। दोनों में इतना फ्लोराइड है कि बच्चों के पानी पीने से, लोगों के पानी पीने से पांव टेढ़े हो जाते हैं। इस योजना में इनको सम्मिलित नहीं किया गया था, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन दोनों गांवों को इस योजना में सम्मिलित करके इन गांवों के वासियों को इसका लाभ दिलायें।

दूसरा है विनोदीलालपुरा, जहां बिल्कुल खारा पानी है। अभी टैंकर से सप्लाई हो रहा है, लास्ट ईयर भी टैंकर से सप्लाई हुआ था। मैं निवेदन करूंगा कि गांव विनोदीलालपुरा को भी इस योजना के अन्तर्गत जोड़कर ग्रामवासियों को लाभ दिलाया जाय और इसमें कृपाराम पुरा में जो टंकी बनी हुई, 1984 में बनी थी, 1994 में चालू हुई थी, एक साल चली और उसके बाद वह बंद पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा कि पानी की इस टंकी को वापिस चालू किया जाय, जिससे कि ग्रामवासियों को पानी की सुविधा जो पहले उपलब्ध थी वह जारी रहे। चाकसू के लिये तो आपने बहुत अच्छा काम किया,

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

टाइम टू टाइम आपने हैण्ड पम्प विशेष प्रोग्राम चलाकर ठीक करवा दिये और कुछ हैण्ड पम्प आवश्यकतानुसार नये भी लगाये परन्तु फागी के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फागी पंचायत समिति फ्लोराइड और खारे पानी से पूरी ग्रसित है। यहां मैं आपको गांव गिनाऊं कि गुकनी, पिनाच, पचाला, मण्डावरा, मण्डावरी, गठिहाली, छापरी, नारेड़ा, गोंदी, लदाना, चोरू, चकवाड़ा, बाप री जोगियान, गणेशपुरा, चांदवा कलां, दुआलया, सम्मेलिया, इतने गांव हैं जो सारे के सारे खारे पानी से युक्त है और यहां पर फ्लोराइड से युक्त है।

माननीय मंत्री महोदय, यह बजट पानी को समर्पित बजट है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब से मैं एम.एल.ए. बना हूं तब से इस क्षेत्र में एक भी उच्च जलाशय नहीं बना है और इस सारी पंचायत समिति, सारी तहसील के अन्दर खारा पानी और फ्लोराइड युक्त है। मैं आपसे मेरी ओर से और मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से विशेष अनुरोध करूंगा कि यहां पर कम से कम तीन चार उच्च जलाशय बनाकर इन ग्रामवासियों को मीठा पानी उपलब्ध करायें। अगर इस बात की आप अभी घोषणा कर दें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोर्स के लिये फागी पंचायत समिति में दो नदियां बहती हैं, एक बांडी और दूसरी मासी। अगर आप मीठे पानी का सोर्स चाहें तो दोनों नदियों में मीठा पानी उपलब्ध है और जो अराउण्ड पंचायत समिति, फागी के बीच में से निकलती है। मीठे पानी का सोर्स यहां पर उपलब्ध है। काम सिर्फ इतना सा है कि आप इन योजनाओं को सैंक्शन दें, लोगों को खारे पानी, फ्लोराइड पानी की जगह मीठा पानी उपलब्ध करायें।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अभी जो भी आपने पानी की पाइप लाइनें बिछा रखी है, जी.एल. भारज बना रखी हैं, जैसे गोंदी हैं, लदाना हैं, फागी है, माधोराजपुरा है, चोरू है, चकवाड़ा है, इनमें आपने जी.एल.आर. बना दी परन्तु यहां पर पानी प्रोपर वे में सप्लाई नहीं होता। सात दिन में एक दफे टंकी भरती है। कभी-कभी पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक पानी नहीं पहुंचता। हथेली में जी.एल.आर. बने आज दो साल हो गये परन्तु आज तक उसमें पानी नहीं पहुंचा। अभी कोई पांच-सात रोज पहले एक-दो दफे पानी से भर गये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : एक मिनट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जी.एल.आर. बने हुए हैं, जो टंकियां बनी हुई हैं, जो पाइप लाइन बिछी हुई है, उसकी मानीटरिंग और मेंटिनेंस सुचारू रूप से की जाय तो अभी जो योजनाएं बनी हैं, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

(308)

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई साहब।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम..

श्री अध्यक्ष : आप को भी बोलना है क्या, हरिसिंहजी? आप तो वैसे बोलते ही हो हमेशा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज बहुत फीगर्स हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। आप फरमाएं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आज जो हम अरबों रुपया पेयजल पर खर्च कर रहे हैं और ज्यों-ज्यों अधिक खर्चा कर रहे हैं त्यों-त्यों हर जिले से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। अब पेयजल की शिकायत भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालवाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ सब में पानी की शिकायत हैं। मदेरणा साहब का गांव, मेरी कांस्टीट्यूएंशी में समझ लीजिये, कितना गहरा है, अंदाजा लगाइये यहां कुआ है तो सवा फुटबाल फील्ड होना, वहां पर जब ऊंट जाता है जब चड़स बाहर निकलता है। वहां भी समस्या है। इलाज कुल मिलाकर के हम कर रहे हैं, एक तरफ तो यह आ रहा है कि भू-जल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और 10-15 साल बाद शायद पश्चिमी राजस्थान में भू-जल खतम ही हो जाय क्योंकि पेयजल की योजनाएं उसमें चलती हैं और खेती उसमें चलती हैं।

मेरा सुझाव है कि दो भागों में विभक्त करो। एक तो बड़े-बड़े अरबन सेंटर्स या इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, तो उनके लिये तो पानी के बड़े स्रोत चाहिये, चाहे कोई बड़ा बांध हो या राजस्थान नहर, जैसा हो उससे पानी दिया जाय। लेकिन हर गांव को ही, पश्चिमी राजस्थान में मांग सीकर, झुन्झुनूं से आ रही है कि राजस्थान कैनाल से पानी देओ, चूरू को राजस्थान कैनाल से गांवों में पानी देओ, जैसलमेर को उससे देओ, जोधपुर को दे रहे हैं, नौखा और नागौर को देओ। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में एक ही जल का स्रोत है उससे चाहे तो खेती कर लो और चाहे पानी पी लो। खेती नहीं करेंगे तो इस बढ़ी हुई आबादी के सामने बड़ी भारी खाद्य समस्या खड़ी हो जायेगी। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि जिसके बारे में विभाग ने और हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक एकड़ में एक इंच बरसात हो तो 25 हजार गैलन पानी पड़ता है, यानि सवा सौ लीटर पानी पड़ता है एक एकड़ में। हमारे फलौदी का बरसात का एवरेज है ढाई सौ मिलीलीटर, 10 इंच यानी ढाई लाख गैलन पर एकड़। तो मेरा इसमें सुझाव है कि वर्षा के जल को वाटर हारवेस्टिंग को छोटे-छोटे चाहे गांव हों, चाहे मजरे हों उसमें इस पर खूब खर्चा करो, ज्यादा टांके बनाओ, शहर के अन्दर भी लोगों को इस बात के लिये बाध्य करो कि जो मकान बनायेगा वो अपना पानी हारवेस्ट करके और कम से

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

कम तीन-चार महीने का पानी हर मकान बरसात में शहर में भी एकत्र कर सकता है। और बाहर गांवों के अन्दर भी जो टांका बनावें, हरेक के लिये लाजमी हो और उसके लिये आप को बड़ी भारी सब्सिडी देनी चाहिये। तालाब हैं, आप जानते हैं, अमरारामजी यहां नहीं हैं लेकिन परसरामजी जानते हैं, उनके यहां पर मदेरणा साहब का देखा...

एक माननीय सदस्य : बैठे हैं अमरारामजी।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हां वो बैठे हैं। गंगावा करके एक तालाब है 20 गांव उसमें पानी पीते हैं। एक छोटी-सी पहाड़ी है कोई आधा किलोमीटर लम्बी, उस पर 20 गांव पानी पीते हैं और बारह मास भरा रहता है और कहावत चलती है कि यहां तो पानी के गंगावे भरे हुए हैं। हां, रेवाड़ा और बहुत-से तालाब हैं इनके एरिया में, बहुत अच्छे-अच्छे तालाब हैं। उनके बारे में शिकायत यह है कि उससे वाटर बोर्न डिजिजेज होती हैं। तो उसके लिये कोई सरल-सी विधि निकाल दीजिये। क्या हमारे इतने वैज्ञानिक तालाब के पानी को स्वच्छ करने की कोई सरल विधि नहीं निकाल सकते हैं? समस्या तो इतनी ही है। पुराने जितने तालाब बचे हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिये, उनका केचमेंट एरिया बढ़ा दीजिये, उसमें गंदगी मत आने दीजिये। आपकी पूरी समस्या, बड़े अरबन सेंटर्स की है उसका तो समाधान नहीं हो सकता लेकिन गांवों के अन्दर पेयजल के लिये इतनी दिक्कत नहीं आयेगी और बहुत कम खर्चे पर अपन उस समस्या का हल कर सकते हैं। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी सोढ़ा।

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-27 पर अपने आपको शामिल करते हुए विधान सभा क्षेत्र शिव की कुछ समस्याएं और उसके बारे में सुझाव पेश करूंगा।

विधान सभा क्षेत्र शिव में आज भी सैकड़ों की तादाद में गांव और ढाणियां ऐसी हैं जो पानी की सुविधा से नहीं जुड़ी हैं और जो पाइप लाइन से जुड़े हुए गांव हैं उनको 15-15, 20-20 साल हो गये हैं पाइप लाइन है, होदी है लेकिन वहां पर पानी नहीं है। लाखों रुपये खर्च कर दिये। पहले उन्होंने सोर्स नहीं ढूंढा, पानी की कैपेसिटी नहीं देखी और पैसे खर्च करके वहां होदियां तो बनवा दीं और पाइप लाइन लगवा दीं। तो अब जैसलमेर जिले के अन्दर एक हवा चली थी, न मालूम क्यों चली कि पहले पाइप लाइन लगाओ फिर मकान बनाओ और उसके बाद में सोर्स ढूंढों। सोर्स नहीं मिलने पर आज कबूतर बैठे हैं, जानवर उनमें रहते हैं।

(श्री हरिसिंह सोढ़ा)

एक लाखों रुपये का घोटाला जैसलमेर में हुआ है तो उसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे एरिया में 50 प्रतिशत अभी तक सर्वे नहीं हुए, सर्वे करवाकर पानी ढूंढें और वहां पानी है लेकिन पानी नहीं ढूंढने से और ट्यूबवैल नहीं करने से समस्या रहती है। लार्ज स्केल पर सर्वे करवाया जाय और पानी ढूंढा जाय।

इसमें कई गांव ऐसे हैं, मैं आपसे उदाहरण के लिये कहूंगा, चाडी, सेतलाऊ, जगमाल का तला, लद्दे का पार, केलन का पार, सज्जन का पार, गरड़िया, सेलाऊ, बीशू, बलाई, नेगलड़ा यहां होदियां बनी हुई हैं, पाइप लगे हुए हैं पानी नहीं पहुंचता है। इसके लिए मंत्री महोदय से मैंने साल भर पहले निवेदन किया था, एक लाइन चेंज करके बीशू और बलाई लगायें। आपने वादा किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस पर कोई अमल नहीं किया। आज भी पाइप लाइन नहीं लगी। साल भर तक डिपार्टमेंट ने मंत्री का वादा किया हुआ काम नहीं करा, इससे आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।

सुझाव के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि एक तो सर्वे कराया जाय। दूसरा, लम्बे समय के लिये इंदिरा गांधी नहर से शिव विधान सभा क्षेत्र और बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के लिए यह जो गलड़ा रोड ब्रांच है उसको जल्दी तैयार किया जाय और बाड़मेर के लिये नहर बनवायी जाय जिससे पानी की समस्या हमेशा के लिये खत्म हो जायेगी नहीं तो आप रोज पैसे खर्च करते जाओ उसको कोई फायदा नहीं रहेगा।

तीसरा, छोटे-छोटे ढाणियों व स्कूलों में टंकियां न बनाकर टांके बनवायें जाएं जिससे पानी वेस्टेज नहीं हो और वह पानी अच्छी तरह से काम लिया जाय और कनेक्शन दिये जाएं।

चौथा, हमारे यहां पर आप जो अधिकारी भेजते हैं वह शिकायत पर भेजते हैं कि भेज दो बाड़मेर, भेज दो शिव और हम उनसे कहते हैं कि काम करो नहीं तो हम शिकायत कर देंगे। वे कहते हैं आपके हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हमको पाकिस्तान भेज दें। वे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। वहां पर जो अफसर भेजे जायं वे नये और प्रमोशन देकर भेजे जायं तो वे वहां पर काम करेंगे आप शिकायत पर भीलवाड़ा भेजो, कहीं भी भेजो हमारे यहां पर शिकायत पर मत भेजो।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे यहां क्यों, साहब?

श्री अध्यक्ष : बात जोरदार कही है।

श्री हरिसिंह सोढ़ा : क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं, आप उन पर काबू कर सकते हैं हम उनको कैसे काबू करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रेक्टिकल बात है। (व्यवधान) कृपया सुनें। अमरारामजी, आप रोज ही बोलते हो इनको बोलने दें आप।

श्री हरिसिंह सोढ़ा : दूसरा, हमारे वहां यह स्कीमें बहुत लम्बी हैं इन स्कीम्स को चैक करने के लिये आदमी पैदल नहीं पहुंच सकता, तो कम से कम जेईएन. तक मोटर दी जाय। जो कम से कम 40-40, 50-50 किलोमीटर तक बगैर सड़क के वहां जा नहीं सकते इसलिये कम से कम दो-तीन जेईएन. के बीच में एक तो गाड़ी देना जरूरी ही है। और आप गाड़ी नहीं देंगे तो उसकी मेंटिनेंस की न कोई इत्तला मिलेगी न कोई दूसरी चीज़ मिलेगी। तीसरा, जो पम्पिंग सैट लगे हुए हैं एक स्कीम के दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वहां पर टेलीफोन सुविधा दी जाये। इससे उनका एक-दूसरे से कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक उनको मालूम नहीं होगा कि पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। बीच में पानी फूटा या नहीं फूटा। पैदल आदमी जाकर उसकी जांच कर नहीं सकता।

पीडब्ल्यूडी. लाखों रुपये खर्च करती है। कई स्कीमें ऐसी बनी हुई हैं जो 40-50 गांवों को जोड़ती है परन्तु उस स्कीम पर कोई सड़क नहीं है, न आने-जाने के कोई साधन हैं। इसलिए उन स्कीमों पर पीडब्ल्यूडी. द्वारा सड़कें बनायी जायें जिससे आदमी वहां पहुंच सकें और अफसर वहां रह सकें और उनको सुविधा नहीं मिलती है तो वहां न जेइएन.रहता है, न एईएन. रहता है, न उनको चैक करने के लिये कोई जाता है वह बिल्कुल भगवान भरोसे ही रहते हैं।

दूसरा, वहां पर नोर्म्स बने हुए हैं। शहर और गांव के नोर्म्स एक हैं। शहर में ज्यादा और गांव में कम है। हमारे पास मवेशी ज्यादा हैं। मवेशी भी आजकल इन्हीं स्कीमों पर डिपेण्ड रहते हैं कोई पानी नहीं पिलाता है। मवेशी के लिये अपना कुआ जोते तो उस आदमी को कम से कम बीस हजार रुपये हों तो वह कुआ जोत सकता है। नहीं तो बीस हजार के बगैर वह कुआ नहीं जोत सकता। कुएं के लिये दो ऊंट चाहिये जिसकी, कीमत 15 हजार रुपये हैं, लाव चाहिये जिसकी कीमत कम से कम 2 हजार रुपये हैं। वैसे कुल मिलाकर 20 हजार रुपये के बगैर वह कुआ नहीं जोत सकता। वहां जो धनवान आदमी हैं और साधन-सम्पन्न हैं वह तो कुआ जोत लेते हैं परन्तु गरीब आदमी उन पर डिपेण्ड रहते हैं और घड़ा लेकर जाते हैं, वह पानी पिलाते हैं और उसके बदले उनसे बेगार लेते हैं। बेगार नहीं करेंगे तो पानी नहीं पिलायेंगे। पहले उन गांवों के लिये सोचकर उन गांवों की समस्या का समाधान किया जाये।

श्री अमराराम (धोद) : पानी के बदले बेगार हो रही है राजस्थान में।

3.12

श्री हरिसिंह सोढ़ा : पहले भी थी और अब भी है। गरीबी के कारण ही आदमी मजदूरी पर नहीं जा सकता और रात-दिन उस पानी पर डिपेण्ड रहता है। गरीब भी ज्यादातर इसीलिए हैं।

कुछ जी.एल.आर. बने हुए हैं, कई सालों से उनको जोड़ा नहीं गया है। वह ज्यादातर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है। वहां एक बात चली थी पशु पेयजल कुण्ड बनाने की। कुण्ड बना दिये लेकिन न उनके पास कोई सोर्स है, न वहां पाइप लाइन गयी है, कम से कम आप उनका सर्वे तो करायें कि यह पशु कुण्ड कितने हैं, उनमें कितने जुड़े हैं और कितने बाकी हैं। आपके डिपार्टमेंट में मालूम तो हो कि कितने लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। वह आप जांच कराओ। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, अब जवाब दिलाओ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट--.

श्री अध्यक्ष : नहीं, पांच मिनट तो मैं देऊंगा ही नहीं किसी को। आप विराजें। (व्यवधान) अब मैं रामस्वरूप जी को कहूंगा तो यह तो भाषण बोलते हैं और एक घण्टे तक छोड़ेगे नहीं। इसलिए मैं आज आपको चांस नहीं देना चाहता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन पन्ने पढ़ने हैं।

श्री अध्यक्ष : तीन पन्ने पढ़ने जितना है ही नहीं टाइम।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमें समय दे दो साहब।

श्री अध्यक्ष : अब आप तो रोज बोलते ही हैं। राजेन्द्र जी पारीक (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप जी। (व्यवधान) लिस्ट के अनुसार ही दे रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आखिरी में-

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बात करिये सिर्फ, लम्बा-चौड़ा भाषण मत दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सब पन्द्रह मिनट बोले हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट तो दे दो आप। सुबह ग्यारह बजे से आता हूं रात्रि को दो बजे तक बैठता हूं-।

श्री अध्यक्ष : फिर भाषण देने लग गये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसका फल यह है कि आप मुझे दो मिनट ही देंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से नाम नहीं दिया हुआ है। यह तो आप मेरी कृपा समझो। इसलिए ज्यादा बोलने की चेष्टा मत करो। पांच मिनट में बात करो अपनी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी कृपा के लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपया कृपा दृष्टि ऊपर करें आपको इतना पुण्य विभाग मिला है। सबसे बड़ा दान जलदान ही माना गया है। इतना बढिया पवित्र विभाग आपको दिया गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र विभाग में पवित्र आदमियों की कद्र करें और जो लोग गड़बड़ हैं, जो घोटाले हुए हैं उन घोटाले वालों के घोटालों की जांच करवायें।

मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर किसी व्यक्ति ने घोटाला किया है और वह घोटाले में दोषी साबित नहीं होता है तो इज्जत करें उसकी। उसका मान करें। उसको इनाम दें आप उसके लिये। लेकिन जांच जरूर करवाना वरना यह घोटाले का सारा आपके ऊपर आ जायेगा बोझ। मैं इसके बारे में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यदि कोई बात कहना चाहें तो ठीक है। यह तो रोज ही सुनता हूं मैं आपकी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र का निवेदन कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र के अंदर एक सहायक अभियन्ता है जिसको वहां पर 15 साल हो गये टोडाभीम के अंदर। सब-डिविजन हिण्डौन को छोड़कर आज तक नहीं गया। इसके कारनामों के लिये मैंने 1992 से लगातार आपको देता आया हूं। उतने चार ट्यूबवैल लगाये हैं। बिना किसी जांच के, बिना भू-वैज्ञानिकों की राय, तकनीकी पूर्ति किये हुए ट्यूबवैल लगाये। और वहां लगाये जहां नहीं लगाने चाहिये। उसके बारे में मैंने आपको लिखकर दे रखा है। माननीय मंत्री महोदय, आप कृपया और कुछ करें या नहीं करें उसकी तो आप जांच करवा देना। आपके सामने सच्चाई आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार रिपीट मत करो। अब हो गया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपने लाड़ले को अपने वहां बुला लें अपने क्षेत्र के अंदर पता लग जायेगा आपको, कैसा आदमी है। रात-दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। जनता का कोई काम नहीं करता है। 62 जी.एल.आर. हैं, एक भी नहीं भर रही है, न टंकी भरती है, न ट्यूबवैल चलते हैं और मस्त सोता रहता है रात-दिन। मैं आपसे निवेदन करुंगा आप इस सदन के अंदर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रेवतराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय भैरोसिंह जी यहां मौजूद हैं, भंवरलाल जी यहां मौजूद हैं, भार्गव साहब यहां मौजूद हैं और देवीसिंह जी भी यहां बैठे हुए हैं यह सारे भम्मे मेरी नहीं सुन रहे हैं। अगर आप मेरी नहीं सुनोगे तो ऊपर वाला सुनेगा।

(314)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। रेवतराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जांच कराइये इसकी और दोषी को सजा दें और उसको दण्डित करें आप उस बात के लिये। अध्यक्ष महोदय, अन्त में यही कहूंगा कि मेरे यहां के ट्यूबवैल के लिये 48 लाख रुपये जो मुझे आपने दिये हैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज स्कीम चालू नहीं हुई उसके लिये मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : अब बैठें। रेवतराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये अगर आपको धन्यवाद लेना है तो...

श्री अध्यक्ष : बैठें। रेवतराम जी बहुत कम बोलते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : राम राज नहीं रावण राज को बुला लो। अपने यहां बुलाकर बैठाओ अपने क्षेत्र के अंदर और उसका काला मुंह करो और ट्यूबवैल को चालू करवाओ।

श्री अध्यक्ष : रेवतराम जी। बिराजिये, रामस्वरूप जी।

श्री रेवतराम पंवार (नोंखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संदन में मांग संख्या-27-पेयजल पर जो चर्चा चल रही है उसमें मैं मेरा निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा जो निम्न प्रकार है।

पहले से धन्यवाद देना ही ज्यादा उचित समझूंगा ताकि जो मांगू वह बाद में सही मिले। मेरे जो दो सब-डिविजन थे नोंखा में उसका एक राइजब का तीसरा सब-डिविजन खोलकर और उसके लिये ढाई करोड़ रुपये की राइजब स्कीम की बनायी और उसके तहत नलकूप खोदे गये। उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्ष 1995-96 में नोंखा नगर पालिका क्षेत्र के लिये 4.87 करोड़ रुपये की जो स्कीम मंजूर की उसमें 45 किलोमीटर पाइप लाइन और तीन ओवर हैड टैंक, दो बड़े जल हौज और 23 नलकूपों की यह जो योजना मंजूर की है, वह नोंखा नगर पालिका क्षेत्र की है। इससे लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष 47 ट्यूबवैल जो मंजूर हुए थे उसमें से ज्यादातर बन गये हैं और बाकी जो बचे हैं उनके लिये निवेदन करूंगा कि जल्दी बनवायें ताकि लोगों को सुविधा मुहैया हो सके।

इसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पिछले बजट में एस्टबलाइजर की मांग की थी मंत्री महोदय से, उन्होंने चूरू, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर के लिये एस्टबलाइजर की व्यवस्था थी। लेकिन वह कम मात्रा में हो पायी। जो की उसके लिये धन्यवाद और जो बाकी है उसके लिये आग्रह है क्योंकि नोंखा बिजली के हिसाब से टेल पर पड़ता है और बिजली की कमी रहने के कारण से वोल्टेज सही

(श्री रेवतराम पंवार)

नहीं मिलता है और वोल्टेज नहीं मिलने के कारण कुएं चलते नहीं हैं और पानी की दिक्कत रहती है इसलिए जहां और आवश्यकता हो एस्टबलाइजर की, वहां एस्टबलाइजर दिये जायें।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : चूरू, बीकानेर के लिये क्या व्यवस्था की, क्या कहा आपने?

श्री रेवतराम पंवार : चूरू, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर के लिये शक्तियां जो बोलते हैं न अपने गावों में, उसकी व्यवस्था की थी पिछले बजट में। वर्ष 1996-97 को गवर्नमेंट पेयजल के लिये अपना बजट समर्पित कर रही है। उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पारम्परिक जल स्रोत हैं वह नोंखा में तो आठ हैं जैसे माडियां, साजनवासी, गेन्दूसर, उड़सर, उदासर, साईस, नाथुसर और घरणोद और लूणकरणसर में एक है सहजरासर। बीकानेर तहसील में खारा, पेमासर, करणीसर वीकान और तेजरासर हैं। यह जो तेरह हमारी टी.एस.एस. की स्कीम हैं इनको रेगुलर स्कीम में लायें ताकि लोगों को उसमें सुविधा मिल सके और जनता जल योजना की जो बात है उसमें जो टी.एस.एस. की स्कीम है इनको रेगुलर स्कीम में लायें ताकि लोगों को उसमें सुविधा मिल सके और जनता जल योजना की जो बात है उसमें जो टी. एस. एस. के कुएं हैं वह भी आप अपनी रेगुलर स्कीम में लें ताकि लोगों को उसका पूरा फायदा मिल सके नही तो जो कहते हैं सिरोही जो भैंस होबे हैं वह पाडौ लावे हमेशा। सिरोही भैंस जो होती है न उसकी कोई संभाल तो करता नहीं है सो जाते हैं सारे सुबह उसका पाड़ा मिलता है, पाडी नहीं मिलती है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। जागते रहोगे तो पाडी मिल जायेगी। बिराजिये आप। श्री राजेन्द्र जी पारीक (संक्षेप में)

श्री राजेन्द्रपारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह 11.00 बजे से आकर बैठते हैं और रात को 1.00 बजे जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : फिर आप भाषण देने लग गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन लोगों को आपने बीस-बीस मिनट दिये हैं, भाषण ठोके और वह बाहर चले गये और हम बोलने खड़े हुए नहीं उससे पहले आपने कह दिया कि पांच मिनट बोलना। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई बात कह रहा हूं, ध्यान से सुन लें। इधर-उधर की बातें करने से क्या मतलब है अब?

श्री राजेन्द्र पारीक : बिलकुल ध्यान से माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन लोगों का तो टाइम हो जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह खारा पानी पीते हैं और मैं मीठा पानी पीने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष : बोले आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, कहीं खारा पानी कहीं मीठा पानी, कहीं जल स्तर 150 मीटर नीचे, कहीं जल स्तर 70, इन सारे हालात को देखते हुए निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं भविष्य के लिए बनानी होंगी जिससे यह राजस्थान आने वाले समय में, पानी की जो गम्भीर समस्या हमारे सामने आने वाली है, इससे निजात पा सकें और उस रूप में हमें, एक तो जो हमारी तात्कालिक व्यवस्था है वह करनी होगी और कुछ योजनाएं हमें भविष्य के लिये निर्धारित करनी होंगी। उसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो एक्सप्लोरेटरी ट्सूबवैल बनाती है, उनको वहां पर कुछ ऐसे कान्ट्रेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि इन विलेजेज में जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वहां एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्स बनाकर, पानी की खोज भी हो जायेगी और भविष्य में आने वाले समय में ट्यूबवैल्स जो हैं वह काम भी आयेंगे।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एक तो सबसे बड़ी विकट समस्या है, विभाग पैसा देता है, विभाग के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, स्कीम सैंक्शन हो जाती है, टेक्निकल सैंक्शन निकल जाती है इसके बावजूद केवल संवादहीनता की वजह से गेप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जहां आपको ट्यूबवैल लगाना है, वहां आपका हाइड्रोलोजिस्ट, बार-बार कहने पर भी पहुंचता नहीं है इसलिए जिस जगह यह समस्या है, वह समस्या बरकरार रहती है और यह समस्या एक दो महीने की नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, महीने दर महीने और यहां तक कि 12-12 महीने होने को आ जाते हैं लेकिन आपका हाइड्रोलोजिस्ट उस स्पोट को चिन्हित नहीं करता, जिससे यह समस्या भी बनी रहती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है इन दोनों का आफिस कम से कम आप एक जगह करें ताकि इनके बीच में संवादहीनता नहीं हो और यह दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करें। इसके साथ ही आपको जोड़ना पड़ेगा बिजली विभाग को। बिजली विभाग के और आपके विभाग के अधिकारियों के बीच में संवादहीनता उसी तरह से बनी हुई है। यदि यह संवादहीनता कम होगी तो जहां कहीं भी ट्यूबवैल बना हुआ है, उसमें आपने ऐसा कुछ कर दिया, आपने पैसे जमा करा दिये। बावजूद इसके कि उसका इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ और निजी व्यक्ति को पानी की सप्लाई नहीं मिल पायी। यह तो कुछ ऐसी बातें हैं आपके विभाग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब्लम्स हैं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जिनको आप अच्छी व्यवस्था के चलते सुधार सकते हैं वह है। बाकी कुछ समस्याएं अलग ढंग की हैं।

मंत्री महोदय, संसदीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से समय-समय पर मीटिंग आयोजित करते हैं, पहले करते थे लेकिन वह आजकल आपने बन्द कर दी है। इसके बावजूद आपने जब बिलकुल सिर पर आपके आफत यह आ जाती है कि गर्मी बहुत चरम सीमा पर है और समस्या खूब बढ़ गयी है उस वक्त मिनिस्टर कन्सर्नड को आप इन्चार्ज बनाते कि आप सीकर के इन्चार्ज हो, आप जोधपुर के इन्चार्ज हो, आप जैसलमेर के इन्चार्ज हो। मेरा निवेदन यह है कि आपको जब इन्चार्ज ही बनाना है, आपको जिलों में यह व्यवस्था देखनी ही है तो बजाय गर्मी चरम पर आये तब आप देखें, इसके पहले आप जनवरी के महीने में ही यह सुनिश्चित कर लें, सम्बन्धित एम.एल.ए. को आप बुलायें, विभाग के सभी अधिकारियों को आप बुलाये, सेक्रेट्री को आप बुलाये, आपकी मौजूदगी में उस समस्या के बारे में एम.एल.ए. आपको अच्छी तरह से सारी बात बता देगा तो बजाय टहलाकर कि साहब यह देखिये वह करिये, आपकी आंखों के सामने समस्या आयेगी, उसका निदान हो जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने स्वयं उपस्थित होकर आपको दस दफा अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया आपने सम्बन्धित अधिकारी को आदेश दिये कि आप यहां पर 13 हैण्ड पम्प स्वीकृत करेंगे, सीकर की जो पाइपों की योजना है उसको पास करेंगे, उस अधिकारी ने इन योजनाओं को, उन पाइपों को और उन हैण्ड पम्प्स को स्वीकृत नहीं किया। मैंने आपको कई बार निवेदन किया। मजबूर होकर मुझे मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, मुझे एक्नोलेज किया मुख्य मंत्रीजी ने कि मुझे आपकी चिट्ठी मिल गयी है और मैं उसको दिखवा रहा हूं। मैंने स्पष्ट आरोप लगाये थे कि सीकर जिले में आठ इंची पाइपों की जो सप्लाई हुई है वह पानी की पाइप्स पानी की रिक्वायर्ड प्रेशर को नहीं झेल पाती है और पाइपें जगह-जगह से लीकेज होती है लीकेज होने से उसका पानी वेस्टेज होता है। सबसे बड़ी समस्या जो इसमें होती है, वाटर पोल्यूशन की, बड़ी से बड़ी समस्या उसकी वजह से होती है, बड़े बड़े पाइप लीकेज हो रहे हैं, लीकेज होकर के सारा गन्दा पानी उसमें मिल जाता है और सीकर में आप इन्क्वायरी करवायें। मेरा इस बात के लिए चैलेंज है, अभी पिछले तीन महीनों में करीब दस मौहल्लों में ऐसी स्थिति बनी कि विभाग को कनेक्शन काटने पड़े और तीन-तीन दिन तक मौहल्लों वालों को पानी नहीं मिला और समस्या वही है, आप उसकी जांच करवाना नहीं चाहते। आपने अधिकारी को और चीफ इंजीनियर को दोनों को मेरी मौजूदगी में यह कहा था कि आप इन पाइपों की जांच करवायेंगे। बावजूद इसके कि जांच आज तक नहीं हुई, आप स्वयं को इस

318

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बात का इल्म है कि पाइपों की जांच नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब संक्षिप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1964 से सीकर में पाइपें लगायी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात परसों भी कही है आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं-नहीं, मैं अलग बात बोल रहा हूं, स्कीम रीआर्गेनाइज नहीं हुई। सीकर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। स्कीम जब रीआर्गेनाइज नहीं हुई तो जिन क्षेत्रों में दो इंच की पाइप थी, मुश्किल से सौ कनेक्शन थे, आज उनके हजारों कनेक्शन हो गये। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी था, मैंने स्कीम बनाकर भी दी स्वयं ने अपनी तरफ से हर मौहल्ले को चिन्हित करके, पर्टिक्यूलर गली के बारे में आपको इस बात की जानकारी दी कि आप इस गली में दो इंची पाइप की बजाय चार इंच की डाल दें, चार इंच की बजाय आप छः इंच की डाल दें लेकिन नतीजा सिफर और उसका कारण क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही एडीशनल चीफ इंजीनियर जिसके लिए मैं बार-बार आपसे शिकायत करता रहता हूं। वही एडीशनल चीफ इंजीनियर उसमें माध्यम बन गये थे।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री राकेशजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक छोटा सा निवेदन और है। आज नवज्योति में छपा है कि जलदाय विभाग में एक और पाइप घोटाला। निश्चित रूप से पाइप घोटाले हैं। आप तो मंत्री महोदय से यह कहलवा दीजिये कि जो एम.एस. पाइप ढाई और तीन मीटर के बजाय पांच और छः मीटर के खरीदे गये हैं, उनमें यदि घोटाला नहीं हुआ है तो आप बताइये कि किससे जांच करवायेंगे? जोतिन्द्रा पाइप स्टील्स से पाइप जो इस तरह से इन्होंने खरीदे हैं और चीफ इंजीनियर के लेटर्स भी बार-बार जोतिन्द्रा स्टील्स को दिये गये हैं_

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि आपने सब स्टैण्डर्ड पाइप सप्लाई किए हैं।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल हेतु इस वर्ष 754 करोड़ बारह लाख रुपये_

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं दो ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक सैकिण्ड रूको।

श्री राजेन्द्र पारीक : चीफ इंजीनियर महोदय ने जोतिन्द्रा स्टील को इसके लिए लिखा है कि सब स्टेण्डर्ड पाइप आपने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दी है। उसकी आज तक जांच नहीं हुई, क्या आप जांच करवायेंगे? हम यहां पर किसी की शिकायत करने नहीं आये। हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमारी जरूरत है तो सिर्फ इतनी-सी है कि हम जिस क्षेत्र से यहां विधायक चुनकर आते हैं। हम अपने क्षेत्र की जायज मांग आपको कहें, आप उस समस्या को दूर करें। हमारा तो कहना सिर्फ इतना-सा ही है बावजूद इसके हमें वहां पर बार-बार पोलुटेड़ वाटर पीना पड़ता है, योजनाएं आपकी लागू हो जाती है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि विभाग पैसा दे रहा है, वहां पर सीनियर आफिसर्स जो हैं, चीफ इंजीनियर लेबल पर और सेक्रेटरी लेबल पर, इन्होंने स्कीम सैंक्शन करदी, मात्र एक व्यक्ति कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं जो स्कीम को एक्जीक्यूट करने के लिए वहां पर भेजते नहीं। एम.पी. कोटा का पैसा जो सैंक्शन होता है, तीस जिला तीस काम और आपकी निर्बन्ध राशि के पैसे होते हैं, उनकी वहां पर यह एन.ओ.सी. नहीं भेजते। इस तरह की जो समस्याएं हैं। हम यहां पर किसी की शिकायत करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यह चाहते हैं कि यह विभाग जो है हर आदमी की, उसकी जरूरत के मुताबिक उसके हिसाब से समस्या का निराकरण करे।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अन्त में मेरा आपसे यह निवेदन है कि कन्टींनजेंसी की जो स्कीम्स थी, कन्टीनजेंसी में आप पैसा देते थे, इस बार आपने सीकर जिले को एक नया पैसा नहीं दिया। टी.एस.एस. की जो स्कीम है, जिसमें गांव वालों को अपने क्षेत्र की मोटर ठीक करवानी पड़ती थी। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी तब विभाग उन मोटर्स को ठीक करवाता था केवल इसलिए कि संबंधित गांव का व्यक्ति मोटर को ले जाकर किसी दुकानदार के यहां रखेगा, वह दस दिन उसको ठीक करने में लगायेगा, इनके विभाग की व्यवस्था हुआ करती थी ताकि दूसरे दिन वह लग जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इन सब बातों में आप सुधार करेंगे मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेशजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने सीकर को जो कुछ भी योजना के माध्यम से दिया, भले ही उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ हो। इसके बावजूद भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कम से कम इन अधिकारियों पर अंकुश रखें और आपकी कही हुई बात पर भी वह गौर नहीं करते हैं तो ऐसे अधिकारियों को आप कम से कम प्रताड़ित करें ताकि यह व्यवस्था सुन्दर, सुचारू और सुदृढ़ बन सकें। धन्यवाद।

320

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ही बात कहना।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : टू दी पाइंट ही है लेकिन धन्यवाद तो सरकार को देना पड़ेगा। पेयजल समस्या हेतु इस वर्ष 754 करोड़ 12 लाख रुपये प्रस्तावित कर राजस्थान सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंह जी शेखावत और माननीय भंवरलाल जी शर्मा ने जो कीर्ति स्थापित की है उसके लिये राजस्थान सरकार की जनता भूरि-भूरि प्रशंसा करती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि यह 754 करोड़ की जो योजना है, छोटी-छोटी योजना बनाओ और बनाकर प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी को टच किया जाय। कहीं ऐसा न हो कि किसी एक ही तहसील और एक ही योजना में बड़ा बजट लगा दिया जाय और कई छोटे-छोटे गांव और ढाणियां वंचित न होने पाएं। इसलिये छोटी-छोटी योजना बनाकर प्रत्येक गांव ढाणी को टच किया जाय।

सबसे पहले मुख्य प्राथमिकता जहां गर्मी में अभी टैंकर लाने की व्यवस्था की थी सूची में वह गांव पहले प्राथमिकता के आधार पर लिये जायं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह बजट अलाट करने से पहले पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी हो रखी हैं उनका काम अतिशीघ्र करवाया जाय ताकि यह पैसा मिल भी जाय और काम नहीं हो उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छोटे-छोटे मोहल्ले, ढाणियां और गांव हैं, बड़ी योजना स्वीकृत हो जाती है लेकिन उन छोटी-छोटी ढाणियां, गांव और मोहल्लों को न पाइप लाइन से जोड़ा जाता है और न कोई वहां ट्यूबवैल और पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। इसलिये इसको भी मुख्य प्राथमिकता के आधार पर गांव, ढाणी और छोटे मोहल्लों को अनुसूचित जाति के मोहल्लों को मुख्य प्राथमिकता दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज एक स्कूल है, एक होस्पिटल है या आयुर्वेदिक औषधालय है, वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे कहां से पानी पिएं, घर से केतली भरकर ले जायं इसलिये प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक स्कूल, हॉस्पिटल और औषधालय को लें।

श्री अध्यक्ष : यह कई माननीय सदस्य कह चुके हैं आप अपने एरिये की बात कहें। रिपीटेशन होगा तो समय और जाया होगा।

श्री राकेश मेघवाल : मैं मेरे नागौर जिले की बात कह रहा हूं। छोटी-छोटी योजना चीफ इंजीनियर साहब के पास कई योजनाएं लम्बित हैं। बार-बार मैंने निवेदन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिला पेयजल की सुविधा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। रेगिस्तानी भाग का

(श्री राकेश मेघवाल)

काफी एरिया इसमें आता है। इसलिये यहां अगर ट्यूबवैल खुदवाया जाय पैसा ज्यादा लगता है, हैण्ड पम्प खुदवाया जाय तो पैसा ज्यादा लगता है। इसलिये राजस्थान का सबसे ज्यादा बजट नागौर जिले को दिया जाय ताकि वहां का काम सुचारू रूप से चले और ट्यूबवैल भी ज्यादा खुदें और बजट भी ज्यादा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक परबतसर तहसील से मेड़ता तहसील के बीच में सौ किलोमीटर की दूरी है। एक्सईएन. परबतसर का बैठता है मेड़ता। दूसरा एक्सईएन. मकराना का बैठता है मकराना। इसका प्रपोजल बनाकर चार बार भेज दिया लेकिन एक्सईएन. मकराना के अधीन परबतसर को देने में कहां दिक्कत आ रही है। सिर्फ बीस किलोमीटर मकराना और परबतसर के बीच में दूरी है बल्कि आधा परबतसर क्षेत्र मकराना एक्सईएन. के अण्डर में आता है। बांकापट्टी का जो गच्छीपुरा का एरिया है, वह पेयजल का पूरा एरिया मकराना एक्सईएन. के अण्डर में आता है। इसलिये मेड़ता के बजाय एक्सईएन. का आफिस मकराना के अधीन देवें। यह आपसे मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं ताकि सौ किलोमीटर की दूरी से वंचित रह जायं।

अध्यक्ष महोदय, परबतसर क्षेत्र में जीप नहीं है। एईएन., जेईएन. पचास या सौ किलोमीटर के एरिये में चैक करने जाएंगे तो जीप वहां है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। हरिसिंह जी।

श्री राकेश मेघवाल : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नागौर जिले में लायी जाय। नागौर क्षेत्र को पानी की होने वाली समस्या से राहत दिलायी जाय। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी परबतसर के बागौर गांव में पधारे थे और उच्च जलाशय की घोषणा करके आये थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि पीपलाद दीब्याद और बागौर में उच्च-जलाशय बनाया जाय। परबतसर में एईएन. का पद रिक्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तुरन्त इस पद को भर दिया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है भगोहा, वहां पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। चार लाख रुपये करीब वहां पर लग गये, एक ओपन कुआ खुद रहा है कृपया उस कुए में आप थोड़े पैसे और दिलाएं ताकि वह कुआ बन सकें। कुछ बराड़ की ढाणियां, तिवाड़ी की ढाणियां और कसाड की ढाणियां हैं वहां का पानी इतना खारा है कि आप जबान पर भी नहीं रख सकते। उस गांव में आप पानी की व्यवस्था कराएं। साथ में भुडाखुर्द एक विलेज है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहां पानी की समस्या है, वह कराएं सीकर में कम से कम दो उच्च जलाशय आप दिलायें..

श्री अध्यक्ष : यह बातें आप पहले ही कह सकते थे इधर-उधर की बातें नहीं कहके बैठें आप। श्री हरिसिंह जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : ताकि सीकर शहर में पानी के मामले में सही वितरण व्यवस्था हो सके।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, समय की पाबन्दी को देखते हुए और मैंने आपसे वायदा भी किया है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की आठ रीजनल स्कीम्स हैं, उनकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। प्रश्न भी पूछे, मंत्रीजी महुआ गये, एडिशनल चीफ साथ ले गये, एसई. साथ था, एक्सईएन. साथ था। एक-एक स्कीम के सम्बन्ध में मंत्री जी ने पूरी डिटेल में वहां डिस्कशन किया। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये। लेकिन मंत्री जी की वह स्थिति वहां की वहीं हैं, यथावत बनी हुई है। उसमें लेशमात्र फर्क नहीं आया है। मैं आपसे अनुरोध करूं, मैंने 1992 में एक प्रश्न पूछा था कि कितनी जलदाय योजनाएं काम कर रही हैं और कितनी स्वीकृत हुई हैं? इन योजनाओं में हुई धीमी प्रगति का कारण क्या है तो जवाब था योजना में सम्मिलित गांवों को लाभान्वित करने में विलम्ब का मुख्य कारण लम्बी अवधि तक विद्युत सम्बन्ध एवं अन्य आवश्यक पाइप उपलब्ध न होना है। यह जवाब आया।

मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूं, एक योजना, मेरे यहां क्षेत्रीय जलदाय योजना पीपलखेड़ा खोतपुरी, तेइस गांव सम्मिलित। 1978-79 में यह योजना मंजूर हुई। आप आश्चर्य करेंगे सोलह सालों में तेइस गांवों में से मात्र दो गांवों को पानी उपलब्ध हुआ है। इक्कीस गांव आज तक पानी की बाट देख रहे हैं। सरकार की तरफ मुखातिब है। पाइप लाइन डाल दी गयी हैं, टंकियां बन गयी हैं लेकिन टैस्टिंग नहीं हुई। इसी प्रकार से फौजीपुर ताजपुर, यह भी 1978-79 की योजना है। मैंने पिछले साल इस दसवीं विधान सभा के पहले दिन पहला प्रश्न वही किया था मन्त्री जी आपने कहा मुझे बड़ा क्षोभ है, 1978-79 की योजना में कोई पानी नहीं मिला। उस दिन आपने बहुत जोरदार आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से अब तक चाहे न मिला हो लेकिन अब इस योजना में पानी देंगे। आपकी बात वहां की वहीं है, योजना वहीं की वहीं है और एक भी नये गांव को पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उस योजना में भी 17 गांव हैं।

(23.00)

मैं आपको बहुत संक्षेप में अनुरोध कर रहा हूं। इसके अलावा क्षेत्रीय जल योजना

(श्री हरिसिंह)

खेडला बुर्ज, इसमें 13 गांव हैं, 13 में से मात्र तीन गांवों को पानी मिल रहा है। एक तो इसलिये कि सोर्स विलेज है गोंडी, दूसरा खोरलामुलां वहां के जिला प्रमुख का गांव हैं, तीसरा खेडलाबुर्ज, वह मेरा गांव हैं। शेष किसी को नहीं मिला बाकी सारे भाड़ में जाओ। दूसरी योजना है क्षेत्रीय जल योजना पीपलखेड़ा खोसपुरी जिसके सम्बन्ध में मैंने अभी आपसे निवेदन किया इसके अलावा क्षेत्रीय जल योजना सिल्दुकी टोडरा 1984-85 में स्वीकृत हुई और इस योजना में एक गांव जो सोर्स विलेज है सौंदखी। उसको पानी मिल रहा है। दस गांव योजना में सम्मिलित हैं, नौ गांव आज भी बाट देख रहे हैं। क्षेत्रीय जलदाय योजना कोट दौलतपुरा में सोर्स विलेज तक किसी गांव को पानी नहीं मिल रहा है। और यह 1988-89 की स्वीकृत योजना है। क्षेत्रीय जलदाय योजना कुंटूमसरावली में पांच गांव सम्मिलित है। एक गांव वंचित है, चार को पानी मिल रहा है। क्षेत्रीय जलदाय योजना रोधड़िया में पांच गांव हैं। एक गांव सोर्स विलेज है, उसको पानी मिल रहा है। क्षेत्रीय जलदाय योजना सारड़ा में छः गांव हैं जिसमें 2 गांवों को पानी मिल रहा है तातली, अलीपुर तथा शेष गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आप बनायें। आप डिस्कशन करके वहां गये, एडिशनल चीफ को साथ ले गये। मुझे भी थोड़ी हिम्मत बंधी। मैंने लोगों को हिम्मत बंधवाई। महुआ की योजना को आपने मोटिफिकेशन करने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, महुआ में स्थिति यह है कि रास्ते के किनारे पर तीन-तीन फीट गहरे गड्ढे पानी के लिये कर रखे है। लोगों को पानी की एक घंटे सप्लाई मिलती है किसी मकान में अंदर एक बूंद पानी की नहीं जा रही है। जो स्थिति जलदाय योजना की है, मुझे मजबूरी में फिर यह कहना पड़ता है कि "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा" आपकी मानने वाला कोई है नहीं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा। मैं दो मिनट कह रहा हूं, बड़ी चर्चा यहां कई माननीय सदस्यों ने की है स्टील, ज्योतिन्द्रा, महेन्द्रा और राजेन्द्रा की । ज्योतिन्द्रा का जिस प्रकार से टैण्डर हुआ, किस प्रकार से टैण्डर मंजूर हुआ, किस प्रकार के पाइप की सप्लाई ज्योतिन्द्रा ने की जयपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर्स ने कितने आडर्स दिये, बाकी के चीफ इंजीनियर्स ने कितने आडर्स दिये, यह एक जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से उम्मीद करूंगा कि मंत्रीजी इसकी जांच करवायेंगे।

साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा। जयपुर के एडीशनल चीफ इंजीनियर और मुख्यमंत्रीजी ने उनकी सी.आर. देखी और उस समय वह वर्किंग अरेंजमेंट पर काम कर रहे थे आपने उनको कन्फर्म कर दिया और मुख्यमंत्रीजी ने उनकी सी.आर. मंगवा कर के देखी और उनको रिवर्ट कर दिया। और रिवर्ट

(श्री हरिसिंह)

करने के बाद में वह हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट से स्टे लाये और हाई कोर्ट के माननीय जज श्री केजड़ीवाल ने उसमें यह कहा कि विभाग चाहे तो इस स्टे का जवाब 15 दिन के अन्दर दे अगर 15 दिन में इसका जवाब नहीं दिया तो स्टे कन्फर्म कर दूंगा। आपके विभाग के सैक्रेटरी क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विभाग की, सेक्रेटरी की मिलीभगत थी। आपके अधिकारियों की मिलीभगत थी। आपकी खुद की तमन्ना यही थी कि हाई कोर्ट को जवाब मत दो और स्टे को कन्फर्म होने दो। यह आपके विभाग की स्थिति है और वही व्यक्ति जिसको आप चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप इस सदन में बारबार लगते रहे हैं। एल.एम.पी. की एफ.आई.आर. दर्ज हुई उसका क्या हुआ? बीकानेर के पाइप घोटाले का क्या हुआ, सीमेंट घोटाले का क्या हुआ? और वह व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा प्रिय बना हुआ है और यहीं जयपुर में रहता है और आपके विभाग के चीफ इंजीनियर वगैरह सब उसके यहां हाजरी देते हैं। और राजस्थान का चीफ इंजीनियर वह व्यक्ति बना हुआ है। आखिर कौनसी बात, कौनसे कम्पल्जन्स पर आप उस व्यक्ति की जांच नहीं करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलालजी खोईवाल। श्री हरिनारायण जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि हाई कोर्ट में जिस प्रकार से (व्यवधान) हुए। माननीय मंत्रीजी, आप उसकी जांच करवायें।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-27 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए मेरे क्षेत्र की जो पेयजल समस्या है, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र खंडार चम्बल और बनास दोनों नदियों के पास में बसा हुआ है, दोनों नदियां मेरे क्षेत्र में होकर के निकल रही हैं। नदियों के किनारे वाले गांव हैं उनमें पानी इतना गहरा है कि गांव वाले उस पानी को प्राप्त नहीं कर सकते, इतने गहरे कुए नहीं खोद सकते। इसलिये जो गांव इन दोनों नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनमें अलग से पेयजल योजना बना करके उनमें पेयजल की समस्या का समाधान किया जावे। और भूरी पहाड़ी, जार दा कलां, तलावड़ा, कोतरा गोठडा, खन्नखोर, लखोडा, पांचोला, उर्तला, पांवाडेरा, रिडाई, धापुर यह ऐसे गांव हैं जहां दो हजार से ज्यादा की जनसंख्या हो चुकी है। अतः इनको जनता जल योजना में सम्मिलित किया जावे और जनता जल योजना में जिन गांवों को आपने सम्मिलित करके

(श्री हरिनारायण)

योजना चालू कर दी है वह पंचायतों के अधीन नहीं दी जा कर के जलदाय विभाग के अधीन रहने दिया जाये। नहीं तो इन योजनाओं का वही हाल होगा जोकि कृषि उपज मंडी की सड़कों का हो रहा है। इसी प्रकार ग्राम चकचेनपुरा नगरपालिका सवाई माधोपुर का वार्ड नम्बर 1 है, अनुसूचित जाति की 100 प्रतिशत बस्ती है। उस पूरे नगर में नल योजना है लेकिन उस बस्ती में नल योजना नहीं है। इसलिय वार्ड नं.1 नगर पालिका, सवाई माधोपुर के चकचेनपुरा को नल योजना से जोड़ा जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीमान् जहूरधीन जी जेईएन. को लगा रखा है। उनके पहले भी अखबारों में कई प्रकार के घोटाले छप चुके हैं और अब भी उनके फर्जी बिलों के कांड चल रहे हैं। अतः उनको मेरे विधान सभा क्षेत्र से हटाया जाये। क्योंकि अभी भी एक लिखा हुआ मेरे पास में आया है कि 250 एच. बी. पैनल बनास नदी पर सी.एम. चार्ज आफ कान्ट्रेक्टर पुराना रिपेयर करके 20.6.96 को लगाया, 24.6.96 को जलना बताया जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपये है। खरीद दिखा कर उठा लिये गये हैं। 30.6.96 को मोटर, डायरेक्ट मेन स्वीच से चल रही है जिसको जलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी रिमाइण्डिग कोस्ट करीबन 32 हजार रुपये बनती है। जब यह मोटर डाइरेक्ट ही चल सकती थी तो खरीदने की क्या आवश्यकता थी और यह मोटर जल गयी तो सवाई माधोपुर में पानी के लिये त्राही-त्राही मच जायेगी। इसी प्रकार बनास से जो पाइप लाइन आ रही है उसको इन्होंने तोड़ करके खुद की खेती के काम में ले रखी है और दूसरों को भी पानी देते हैं। जो फलौदी गांव है वहां भी कर्मचारी लाइन तोड़ करके सिंचाई के काम में लेते हैं, लोगों को पानी देते है और पानी पीने की समस्या बनी हुई है। भगवतगढ़ के अन्दर जो कर्मचारी हैं, वह उसी गांव के है और 10-15 साल से वहीं टिके हुये हैं और पूरे गांव में जहां उनकी इच्छा होती है वहीं पानी देते हैं। एक मौहल्ले को हमेशा पानी नहीं देते है। उनका नाम है श्री जगदीशसिंह जी बहिल, उनको गांव से हटाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आसन ने व्यवस्था दी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मदेरणा साहब बोलें उसके पहले दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। दो प्रश्न इम्पार्टेंट उठाये हैं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामला सदन में अभी हरिसिंहजी ने, माननीय राजेन्द्रजी ने उठाया है। मंत्री महोदय दो तीन बात क्लीयर कर दें जो क्लीयर करना उचित है। पहली बात यह थी कि सदन की जन लेखा समिति ने जो रिपोर्ट दी थी कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पाइप की खरीद और इन मामलों में वित्त समिति फैसला करें और रेट कान्ट्रेक्ट तय करे उसके आधार पर खरीद करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जांच के लिये मंत्री महोदय ने कह दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, जांच की मांग कर रहा हूं मैं, सुन लो आप।

श्री अध्यक्ष : जल्दीबाजी मत करो इससे वकालत नहीं चलती।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लीपा-पोती का ध्यान रखता हूं मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बहुत ध्यान रखते हो, बहुत समझदारी है। सब समझते हैं इस समझदारी को। तो यह रेट कान्ट्रेक्ट, पहला प्रश्न है मेरा, जांच के लिये कि एम.एस. पाइप की खरीद का रेट कान्ट्रेक्ट हुआ कि नहीं हुआ और वित्त कमेटी द्वारा सैंक्शन हुआ या उस अधिकरी ने अपनी मन मर्जी से आर्डर दे दिये। पहला तो, इस बात की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिये दूसरी इस बात की जांच होनी चाहिए कि अधिकारियों को डायरेक्ट आर्डर देने के हमारे यहां जो वित्तीय रूल्स हैं उनमें प्रावधान नहीं है। इस मामले में नवज्योति अखबार में आज भी लिखा है कि डायरेक्ट आर्डर दिये गये हैं। नियम यह है कि जो कमेटी तय की थी कि नीचे से एक्सईएन. और एसई. के द्वारा मांग पत्र आयेगा और मांग पत्र आने के बाद में एडिशनल चीफ के द्वारा वह मांग पत्र जाएगा चीफ इंजीनियर के हाथ में और चीफ इंजीनियर के यहां से मांग पत्र स्वीकृत होकर उसके बाद एडिशनल चीफ इंजीनियर आर्डर जारी करेगा। और एक्सईएन. पर्चेज करेगा। इसमें एक्सईएन. ने पर्चेज किया है या नहीं किया है मूल बात यह है। अगर यह एक्स. ईएन. ने पर्चेज नहीं किया है तो वह अधिकारी जिसने आर्डर दिये है चाहे वह एडिशनल चीफ इंजीनियर है चाहे चीफ इंजीनियर है वह निश्चित रूप से दोषी है। इसके अलावा एक बात और है जो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह टेक्नो इकोनामिक, पहले यह था कि 6 फिट के पाइप खरीदे जायें या 5 फिट के या साढ़े 3 फिट के। किस आधार पर 6 फिट के पाइप खरीदने का तय किया गया? फिर एक नियम है। नियम यह है कि पाइप आई.एस.आई. मार्का के आने चाहिये। ये पाइपें दो-तीन तरह के आये हैं वे आई.एस.आई. मार्का के थे या नहीं? जब इन पाइपों को कंडेम किया गया, गलत किया गया तो उसके बाद भी आर्डर क्यों दिया गया और इन पाइपों को बदलवाया गया कि नहीं बदलवाया गया, इन बातों की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये। जन लेखा समिति ने जो सिफारिश की थी उसके अनुरूप हैं या नहीं? अब मेरा एक प्रश्न और है। मैं उस समय जन लेखा समिति का चेयरमैन नहीं था मैम्बर था, चेयरमैन तो रघुनाथजी विश्नोई थे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह सिस्टम जो तय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया गया था, उसके आधार पर काम चलता है या नहीं चलता हैं? जन लेखा समिति ने जो सिस्टम तय करके भेजा था यदि उसका उल्लंघन होगा, बिना मांग पत्र के यदि आदेश दिये जायेंगे तो जो अधिकारी आदेश देगा उसको दोषी निश्चित रूप से करार दिया जाना चाहिये। आई.एस.आई. मार्का है या नहीं, यह देखना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि कंडेम हुए पाइपों को बदलवाया गया कि नहीं बदलवाया गया? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों की जांच करके रिपोर्ट सदन के सामन दो दिन, पांच दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन, एक महीना किसी अधिकारी से या आप स्वयं जांच करके अवगत करायें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : 1995 में तो ढाई मीटर और साढ़े तीन मीटर के पाइप जयपुर में कितने परचेज किये गये, 1996 में कितने पाइप परचेज किये गये? ये पाइप मूल रूप से कहां-कहां काम आते हैं? ये ड्रिलिंग में ही काम आते हैं या आपके पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट में इटसेल्फ में काम आते हैं इस बात की जांच करें और आप इस बात की भी जानकारी दें कि किस तरीके से पाइप खरीदे गये?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, फील्ड से हमको सूचना मिल रही है कि 63 एम.एम. के पी.वी.सी. पाइप इस साल जो खरीदे गये हैं। 1995-96 में, वे जहां भी लग रहे हैं लगते ही पानी पहली बार पहुंचते ही फट जाते हैं। ये कहां से खरीदे गये, किसने खरीदे किस लेवल से खरीदे क्या यह सही है कि उसके लिये कुछ फर्मों को ब्लेक लिस्ट भी किया है और उनको पनिश कर रहे है? खरीदने वाले किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी यह भी मंत्री महोदय बतायें। दूसरी बात, जैसे ओपन वैल कॉर्नर में मेरे घर में, मेरे खेत में कुआं खुदवाऊंगा, 70-80-90 हजार में बढ़िया से बढ़िया कुआ बनेगा, हमारा डिपार्टमेंट कितने में खुदवा रहा है? मैं ट्यूबवैल मेरे घर में खुदवाऊंगा वह लाख तथा सवा लाख रुपये में खुदेगा, डिपार्टमेंट कितने में खुदवा रहा है? मैं जी.एल. आर. मेरे घर के लिये बनवाऊंगा तो बीस पच्चीस हजार में बनेगा डिपार्टमेंट साठ हजार रुपये में बनवा रहा है, ढाई गुना तीन गुना कोस्ट क्यों आ रही है इस बारे में मंत्री महोदय, जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : मैं मदेरणा साहब से निवेदन करूंगा कि एक-दो माननीय सदस्य एक-एक,दो-मिनट लेंगे, फिर आप फरमायेंगे तो हमको आनन्द रहेगा। क़मल जी। मंत्रीजी, आप बाद में फ़रमा देना। एक-दो माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय हरिसिंहजी और घनश्याम तिवाड़ी ने जो बात रखी_।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : रिप्लाई में दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बाद में ही दे दें तो ठीक है, दो-चार माननीय सदस्य, जिनका मौका कम ही आता है इसलिये मैं चाहता हूं कि वे बोल लें। कमलजी।

श्री कमल (हिण्डौन) : मांग संख्या 27 पर मैं कुछ बातें सदन में निवेदन करना चाहूंगा। पानी की जो समस्या आज पैदा हुई है उसके पीछे उसका जो दोहन हम आज कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, उससे उत्पन्न हुई है। अध्यक्ष महोदय, पानी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और हम राजनीतिक लाभ कमाने के लिये असली समस्या पर डिसकस नहीं करते और अपने को राजनीतिक फायदे वाली बातें ज्यादा बोलते हैं। समस्या का मूल यह है कि जब तक हम भू-जल को प्रीजर्व नहीं करेंगे समाधान नहीं हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात माननीय मंत्री महोदय से अलग से डिसकस करना चाहूंगा। और उसके लिये अलग से टाइम लूंगा। अब कुछ समस्या मेरे क्षेत्र में है उसको भी बताना चाहूंगा। हिण्डौन के एक-दो गांवों में हैण्डपम्प को कम महत्व दिया जाय और ट्यूबवैल ज्यादा बनवायें जाये क्योंकि हैण्डपम्प अधिकतर चल नहीं पाते इसलिये ट्यूबवैल की व्यवस्था हो। और वहां हैण्डपम्प पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और वहां भी कनेक्शन देना हो उससे दे दिये जायें। पी.एच.ई.डी. के अधिकारी पता नहीं योजनाओं को इतना अधिक खर्चीला क्यों बना रहे हैं। हिण्डौन में 30 प्रतिशत तक कमीशन देकर विभाग कार्य कर रहा है। इस पर रोक लगानी चाहिये हमारे यहां पर 100 फीट हैण्डपम्प लगा दियें जायें तो वह काफी समय तक चलेंगे। मेरे घर में 50 फीट का हैण्डपम्प लगा है और वह आधे से ज्यादा गांव को पानी पिला रहा है। विभाग क्यों 50 हजार रुपये हैण्डपम्प लगाने में खर्च करता है और मेरे जैसा हैण्डपम्प 10 हजार रुपये में लग जाता है। अतः महोदय, इस पर कन्ट्रोल किया जाये। हिण्डौन के वाटर फिल्टर प्लांट में विभाग पता नहीं क्यों देरी कर रहा है, उसको शीघ्र बनवाया जाये। हिण्डौन में रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के एरिया में ओवर हैड टैंक बनवाया जाये वहां पानी की बहुत समस्या है। जिला सवाई माधोपुर के लिये चम्बल से एक दीर्घकालिक योजना बनवाकर पानी उपलब्ध कराया जाये। जो भी कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हैं उनको समय पर पूरा कराया जाये। कुछ गांवों में हैण्डपम्प और ट्यूबवैल लगाने की बहुत आवश्यकता है उनके नाम मैं बोल रहा हूं। उनमें जल्दी से जल्दी हैण्डपम्प और ट्यूबवैल स्वीकृत कर लगाये जायें। उनमें खोरा, भंगू, जमालपुर, पोंछड़ी तारापुर, हाडौली आदि। शेरपुर में एक ओवर हैड टैंक बनवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी।

श्री गुलाबसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री गुलाबसिंह)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पी.एच.इ.डी. डिपार्टमेंट के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उन्होंने पहले कभी क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसलमेर के लोग ऊंट के पेट में से पानी निकाल कर पी लेते हैं अब ऊंट के पेट का भी पानी सूख गया है। इसलिये कृपया यह तो अपने दिमाग से निकालें और जैसलमेर जिले की तरफ ध्यान दें। हमारे यहां जितनी भी स्कीमें सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थीं वे 1985 से लेकर आज तक कुल तीन चार करोड़ की होगीं लेकिन एक भी सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। राज मथई की स्कीमें चार अलग अलग बनायी गयी थीं उनको आज तक ठीक नहीं किया गया है। जहां जहां पानी पहुंचता था वहां पाइप लाइनें नहीं पहुंची हैं। खैर, अब नये सिरे से लाखों रुपयों का नुकसान करके नये सिरे से तय किया जा रहा है कि यहां ट्यूबवैल बना दिया जाये। ट्यूबवैल ही बनने की स्थिति थी तो पहले ये लाखों रुपये करोड़ों रुपये बरबाद करने से क्या मतलब था? नाचना में 1985-86 में जो स्कीम सैंक्शन हुई थी उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं। उसकी मंत्री महोदय जांच भी करवा चुके हैं। लेकिन वह वैसी की वैसी पड़ी है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। तेजमालता में 10 इंच की लाइन जुनजुनाली तक पहुंचाई हुई है अगर उसको तैयार करके पानी पहुंचाते तो कई गांवों की तकलीफ दूर हो सकती थी। इस तरह जो स्कीमें फलसूर, राजमथाई, नाचना और जैसलमेर के सभी गांवों की अधूरी पड़ी है उनको जल्द से जल्द पूरी करायी जाये ताकि जैसलमेर को पानी सही ढंग से मिल सके। हैण्डपम्प 50 प्रतिशत खराब पड़े हैं उनको कोई देखने, सम्भालने वाला नहीं। छोटे-छोटे सामान के लिये वहां के अधिकारी परेशान होते हैं। मशीने ऐसी आयी हैं कि एक-एक ट्यूबवैल में जैसे ही लोरिंग होती है, जलकर बाहर आती है उसके लिये कई बार निवेदन किया जा चुका है कि पुराने मोटर पम्पों के स्थान पर नये दिये जायें। हमारे गहरे ट्यूबवैल हैं। उनके अन्दर पुरानी मशीनें कामयाब नहीं हो पायेंगी लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसी कम्पनी से ये मोटरें ली गयी है। स्थिति यह है कि सात दिन से ज्यादा वे मोटरें चली नहीं। जहां-जहां से खारिज होती है वे सब मोटरें जैसलमेर भेज दी जाती है या पता नहीं हमारे ट्यूबवैल् अक्सर बंद रहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले के ऊपर रहम करें। पहले भी प्यासे थे और अब तो प्यासे नहीं रहने दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि जिस तरीके से फाइनेंस के दो डिपार्टमेंट है एक एक्सपेंडीचर और एक रेवेन्यु, ठीक उसी तरह से माननीय मंत्री महोदय, हमारा विभाग है वह केवल धरती से पानी निकालने का काम कर रहा है और हम धरती से ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल रहे है, पानी का दोहन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 10-15 साल बाद की जो जनता है, पब्लिक है वह हमसे पूछेगी कि आज जो मंत्री महोदय थे, आज जो राजस्थान की सरकार शासन में थी, आज जो विधायकगण थे उन्होंने क्या चिन्ता की थी। आने वाले 10-15 सालों के लिए मेरा निवेदन करना यह है कि इस विभाग के दो खण्ड होने चाहिये। एक तो यह खण्ड हो जिस पानी पर आज चर्चा दिन भर हुई है, दूसरा खण्ड यह हो कि बारिश का पानी जिस तरीके से धरती के अन्दर नीचे जाये, उसको देखे, उस पर उतना ध्यान दिया जाये, उस पर इतनी चिन्ता व्यक्त की जाय, उस पर मशीनरी का उतना ही यूज किया जाय कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में ही रहे। मेरा क्षेत्रीयवाद से मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि पानी का संधारण वाटर शेडस लगायें। आज वाटर शेड्स के लिए , तलाबों की खुदाई के लिए, किसी तरह से बोरिंग से वाटर ऊंचा कर वापस री-साइकिलिंग का जो सिस्टम है वह डवलप हो। उसके लिए कितने चिन्तित हैं? राजा-महाराजाओं की चाहे कितनी बुराई कर लो लेकिन वे इतने चिन्तित थे कि आज भी उनके नाम की 200-250 साल की बावड़ी नजर आती है, हर गांव में टांके नजर आते हैं। आज टांके, और बावडी अगर हमने नहीं लगायी तो आने वाले 20 साल या 30 साल बाद वाली जो जनता है वह आपको, मेरे को, सब को धिक्कारेगी कि वे लोग बडी-बडी मोटर लगा कर पानी का अगमेंटेशन कर रहे थे, पानी निकाल लिया धरती में से लेकिन धरती पानी घुलने की कोई योजना नहीं बनायी। मेरा यह निवेदन करना है कि आप विभाग के दो खण्ड कीजिये और दूसरे खण्ड से वापस से री-साइकिलिंग चार्जेज को डवलप करने के लिए योजना बनायें।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है, आपने कहा कि जनता जल योजना पर मैं विचार दूं। मुझे एक ही बात कहनी है कि जनता जल योजना है वह इतनी डिफेक्टिव है कि यह जनता जल योजना नहीं बल्कि झंझट जल योजना हो गयी है। इस बारे में पूरी डिफेक्टिव प्लानिंग क्या है वह मैं आपको निवेदन करूंगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के लिए 4.8 करोड़ की योजना बनायी थी और वह स्वीकृत भी हो गयी थी। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस 4.8 करोड़ की योजना की एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति मिल गयी थी और फाइनेंशियल स्वीकृति

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मिलने जा रही थी उसको रद्द कर दिया जानबूझ के और बांदीकुई की योजना जो बाण गंगा से पानी बांदीकुई नगर को देने की थी वह भी रद्द करदी गयी और उसकी जगह कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनायी गयी। यह बहुत ही शर्म की बात है। माना कि दौसा जिले में 5 में से 4 जगह कांग्रेस जीती है। इसका मतलब यह नहीं कि दौसा जिले में कंटिजेंसी में एक हैण्ड पम्प नहीं लगे, इसका मतलब यह नहीं है कि दौसा जिले में किसी भी बड़े शहर में कोई योजना नहीं बने, इसका मतलब यह नहीं कि जहां पर पानी का क्राइसिस है वहां के लिए कोई योजना नहीं बनायेंगे और आप रद्द कर देंगे। आपने मात्र बसवा के लिए, एक दीमापुरा के लिए दो ट्यूब वैल खोदकर पानी की 1.3 लाख की योजना बना दी और उसके बाद पूरी नहीं की। मेरा निवेदन करना है कि इस तरह से घोर अन्याय राजनैतिक दृष्टिकोण से, भेदभाव से नहीं किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे यहां 80 ढाणियों में राजीव गांधी टेक्नीकल मिशन के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने थे, चिन्हित जगह थी उसके बाद भी हैण्ड पम्प नहीं लगे जबकि राजीव गांधी टेक्नीकल फाउण्डेशन का पैसा पेयजल योजना का है वह सेन्ट्रल गर्वनमेंट दे रही है इसमें राज्य सरकार की कोइ मेहरबानी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार उस जगह नहीं लगा रही है, उस जगह रिंग्स नहीं पहुंचा रही है जिस जगह कांग्रेस के एम.एल.ए. हैं बल्कि उस जगह पहुंचा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी के एम.एल.ए. हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित लोग हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि आपने 35 प्राइमरी स्कूलों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना बनायी। मेरे यहां 35 स्कूलें ऐसी हैं जहां पर अभी तक हैण्ड पम्प नहीं लगे आपकी घोषित योजना के बावजूद भी।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि 1500 की आबादी के लिए एक जल योजना बनायी किन्तु मेरा यह कहना है कि आठ महीने से आपके डिपार्टमेंट का हाइड्रोलोजिस्ट, माननीय मंत्री महोदय मैं यह कह रहा हूं कि...

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पर-

श्री शैलेन्द्र जोशी : मांग संख्या 27 पर आप बोलें लेकिन मेरा यह कहना है कि आपका हाइड्रोलोजिस्ट नहीं पहुंचा। कृपया हाइड्रोलोजिस्ट को भेजें जिससे मेरे यहां जो योजना बनी है उसकी टेक्नीकल सेंक्शन आ सके। आठ महीने से हाइड्रोलोजिस्ट नहीं बांदीकुई नहीं पहुंचा जिससे 15 योजनाएं बन्द हो गयी है।-

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया, अब आप तो रोज ही बोलते हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पर सदन विचार कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार...

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा मेरा यह भी कहना है, माननीय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मेरा यह कहना है कि अभी जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी जिसमें तीन करोड़ के पाइप की खरीद हुई है और 19 लाख रुपये कमीशन के दिये गये हैं। यह 19 लाख रुपये किसको मिले, कौन-कौन इसको लेते हैं ? इसकी जांच होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा यह कहना है कि जो पाइप हैं वे डिफेक्टिव पाइप हैं, आई.एस.आई. मार्का नहीं हैं, फर्जी मार्का दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि सिस्टम में जो घोटाले हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिये और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय, आप जांच समिति बनायें। केवल लीपापोती से काम नहीं चलेगा, इसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया। रोज ही करते हैं लीपापोती।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पर सदन विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट विभाग को समर्पित किया है उसके लिए सरकार की, मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का थोड़ा सा आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पेयजल योजना इस बार राजस्थान की जनता को बजट के रूप में समर्पित करके इस सरकार ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर जिले की योजना के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। जो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के लिए एक पर्यटक-स्थल है। यहां पर काफी वर्षों से कुछ योजनाएं जो सरकार के विचाराधीन हैं। उसमें विशेष रूप से जयसमंद योजना को सरकार ने पूरी करली है। लेकिन उदयपुर शहर को जितना पानी मिलना था वह नहीं मिला। उसके पीछे एक कारण था कि पूरे पम्प नहीं लगना। पम्पस का आर्डर दे देना लेकिन नहीं लगाने के पीछे पता नहीं सरकार का या विभाग का क्या कारण रहा ? मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि पम्पस पूरे लग जाएं ताकि उदयपुर शहर को पूरा पानी मिले और उदयपुर में पानी की जो क्राइसिस आती है वह नहीं आये। आज जयसमंद योजना के कारण उदयपुर को एक आशा बंधी थी कि शहर में पानी का क्राइसिस नहीं रहेगा लेकिन पूरे पम्पस नहीं लगने के कारण आज पूरा पानी उदयपुर शहर को नहीं मिल रहा है। जयसमंद योजना के तहत रास्ते में आने वाले जो गांव जनजाति क्षेत्र के या दूसरे गांव के कस्बे थे उनको जोड़ने के लिए भी चुने हुए प्रतिनिधियों ने सरकार से आग्रह किया

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

था, निवेदन किया था कि इन गांवों को योजना में जोड़ना है। वहां कुछ आंशिक लाभ भी मिला लेकिन उसमें कुछ नहीं कमियां रहीं। वहां टेक्निकली त्रुटियां रहीं, पर कनेक्शन दिये गये, लेकिन जनसंख्या के आधार पर कनेक्शन नहीं देकर आंशिक रूप से कनेक्शन दे दिये उसके कारण से आज उन गांवों को जितना पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। वहां की जनता ने सरकार का विरोध किया कि हमको पूरा उपलब्ध पानी नहीं मिलता है। तो मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों की योजना बनी है उन गांवों में जनसंख्या के आधार पर कनेक्शन दिये जाएं और लीगल कनेक्शन दिये जाये। वहां पर योजनाबद्ध कनेक्शन दिये जाएं, मीटर लगाये जाएं ताकि कम से कम राठौड़ी में कनेक्शन नहीं लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता कनेक्शन चाहती है उनको विधिवत और लीगल कनेक्शन दिये जाएं। जयसमंद योजना के साथ-साथ में झाबरकोटा की योजना के बारे में कहना चाहूंगा, वैसे विभाग को और मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अल्प समय में इस पूरी लाइन को जोड़ करके उदयपुर को पानी उपलब्ध कराया लेकिन 80 लाख लीटर के बजाय 20 लीटर ही पानी उदयपुर को उपलब्ध हो रहा है उससे सैक्टर 3-4-5 को लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि वहां सैक्टरवाइज योजना बनाकर फिल्टर प्लांट लगाकर सैक्टरवाइज अगर इस पानी को सप्लाई करेंगे तो उदयपुर की जनता को विधिवत ढंग से पानी मिलेगा और जितना उदयपुर को पानी मिल रहा है उसका सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका सैक्टरवाइज प्लान बनायें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों से मानसी बाकल के नाम से राजनैतिक रोटियां सेकी गई हैं। चाहे वह देबास योजना के नाम से हो, चाहे मानसी बाकल के नाम से हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी गत वर्ष एक बैठक ली थी कि इस योजना को जल्दी प्रारम्भ किया जाए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उसका शुभ मुहर्त क्यों नहीं आ रहा है। मैं सरकार से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विघ्न आया था, जो परेशानी आयी थी वह दूर हो गयी है। हाईकोर्ट से जो स्टे लिया था वह स्टे भी खारिज हो गया है। अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय और भी हैं। मावली क्षेत्र में गुड़ली जो औद्योगिक क्षेत्र आता है। भू-भर्ग से पानी लिया जाता है और वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में पानी की नितान्त आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

मानसी बाकल योजना अगर जल्दी बन जायेगी तो हिन्दुस्तान जिंक को भी हम पानी देने वाले हैं। उसके साथ अगर गुड़ली इंडस्ट्रियल एरिये को भी पानी देंगे तो वह भी पानी मिलने के कारण बहत सरवाइब होगा। इसलि... माननीय मंत्री महोदय ... का मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को शीघ्र पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में जो योजनाओं के नार्म्स बने हुए हैं उन नार्म्स में रियायतें दे ताकि जनजाति क्षेत्रों में जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उसका लाभ जनजाति क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी को मिले...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री पराक्रम सिंहजी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसलिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण में आज घोषणा करें कि जनजाति क्षेत्र में हैण्ड पम्प, ट्यूब वैल और नल योजना में कुछ रियायतें दें ताकि जनजाति क्षेत्र में लाभ मिले...उदयपुर जिले के कई कस्बों में...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंजीनियर्स हैं (व्यवधान) वह हैड क्वार्टर पर रहें ताकि जन सेवाओं की सारी योजनाएं चलें। अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात नहीं हुई है। फिर भी आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज पानी के ऊपर बहस चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि निश्चित रूप से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि ... विश्व ... भारतवर्ष में, पूरे ... पीने के पानी की कमी है। राजस्थान में आज आवश्यकता इस बात की है कि इस वाटर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश करें। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज कुछ एरियों में हम ट्यूब वैल खोदने जा रहे हैं। ट्यूब वैल खोदने से लोगों को पानी तो मिलता है लेकिन उन गरीब काश्तकारों का पानी छीन लिया जाता है और पीने के पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही हमारे जो पुराने पीने के पानी के स्रोत थे मैं पिछली बार इस विषय पर बोला था। माननीय सदस्य पूनमचन्द जी बोले थे उन्होंने उदाहरण भी दिया था बाई जी के तालाब का। अभी भी अगर हमने उन पुराने स्रोतों का ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या और आ सकती है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, जलदाय मंत्रीजी को गत वर्ष पानी के लिए यथेष्ट चेष्टा कर पूर्ति करने के लिए धन्यवाद और इसके

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

परिणाम यह ... आये कि इस वर्ष ट्रांसपोर्टेशन आफ वाटर में बहुत कम खर्चा हुआ। मैं मेरे क्षेत्र की और जिले की बात स्वीडिश टीम जो एक्सपर्टस की आई थी, राजस्थान नहर का नागौर जिले में पानी लाने का सर्वे करने के लिए, उस पर 36 लाख या इससे अधिक खर्चा किया गया। पौने दो साल हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार में थी उसका क्या हुआ, मंत्री महोदय अपने जवाब में बताने की कृपा करें।

मैं पानी के उपयोग के लिए निवेदन करूं कि डोमेस्टिक यूज के वाटर के लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक्ट बनाया जाये। नुकसान तो इतना हो रहा है कि जितने भी मीटर्स हैं वह फ्लेट रेट रखकर के कंज्यूमर को छुट्टी दे रखी है कि कितना ही पानी गिराओ, ढोलो कुछ भी करो। या तो इमिजियेट पहला काम यह करें कि मीटर्स ठीक करायें इसके साथ कंजर्वेशन आफ वाटर एक्ट करें। गांवों में परम्परागत स्रोत तालाबों को खुदवाएं व सुधरवाएं। शहरों में नव-निर्मित भवनों में टांके बनवाना आवश्यक कर दें। जब तक टांका नहीं बनायें नक्शा पास नहीं करें। गांवों में टांके बनवाने के लिए आप प्रोत्साहित करें और उनको अनुदान दें।

जनता जल योजना में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कर्मचारी जल-आपूर्ति नहीं करते हैं। उस ध्येय से यह ... जनता जल योजना बनी थी। आप सारा सामान दें, बिजली का बिल जलदाय विभाग चुकाये। सिर्फ आदमी जो रखा जायेगा उसको आप मामूली पैसा दें पार्ट टाइम का। इससे आपको फायदा होगा, आपके परमानेन्ट एम्पलाई नहीं होंगे वरना यह जनता जल योजना कभी न कभी फेल हो जायेगी। निजी गांव डांगावास के बीच बाजार में एक टंकी है, कई सालों से काम नहीं आ रही है। कभी न कभी वह गिरेगी। उस टंकी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन आज तक वह टंकी को डिसमेण्टल नहीं किया गया है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां दो श्रेणियों के लोग हैं कुछ लोग हैं जो रात को सोते हैं।_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाय रे इंसानों की मजबूरियों, पास रहकर भी हैं इतनी दूरियां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी रियाया हैं_

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय ताम्बी साहब। आपके दिमाग में यह नहीं रह जायें कि मुझे नहीं पुकारा।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं बोलना है।

[illegible] अध्यक्ष महोदय,

श्री मदन मोहन : [illegible] मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना है। आजकल रोज हम कह ही रहे हैं। बिराजें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 के ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो पानी की समस्या विकट से विकटतम और गम्भीर से गम्भीरतम होती जा रही है, उस ओर राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षित किया है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। वह प्राइम मिनिस्टर जी ने इसलिए बुलाई थी कि सोशल सेक्टर में, सोशल सर्विसेज में किसको प्रायोरिटी दी जाये। जैसी कि अखबारों में खबर थी पेयजल को चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में कंसेसस थी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की।

जिस दिन प्रधानमंत्रीजी 30 जून को यहां बाढ़ क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए आये थे। जब वह प्लेन में बोर्ड कर रहे थे मैंने उनके एक दो मिनट लिये थे। मेरी उनसे यह रिक्वेस्ट थी कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से बिल्कुल भिन्न हैं और पिक्युलिर है। यहां पर गांव का कंसेप्ट्स जो आप आज मानकर चल रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि 12 तारीख को आपने कान्फीडेंस मोशन में [illegible] को एक मॉडल प्रस्तुत किया था, [illegible] स्थिति बहुत लोकसभा में। लेकिन वह [illegible] भिन्न है। हमारे यहां गांव नहीं हैं क्षेत्रीय आबादी है। लोग मीलों तक ढाणियों में बसे हुए हैं। इसलिए पूरे देश का 10 फीसदी क्षेत्रफल का यह प्रान्त है। इस प्रान्त में अंडरग्राउण्ड ऑफ सरफेस वाटर एक फीसदी है। वह एक फीसदी भी नहीं है। बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिकीकरण की वजह से बड़े-बड़े कस्बों के पास में पीने के पानी का पोल्यूशन है। अकाल की वजह से पानी का लेबल गिरता हुआ जा रहा है। जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य अनुभव के आधार पर आपको बता रहे थे कि पानी का जो ड्राबल हो रहा है वह चाहे पी.एच.ई.डी. के ट्यूब वैल से हो रहा है, चाहे हैण्ड पम्प से हो रहा है और चाहे एग्रीकल्चर बैल्ट से हो रहा है। वह इतनी तेज गति से हो रहा है, पानी अंडरग्राउण्ड बहुत कम है। उसका लेबल लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। केवल पानी का लेवल ही नहीं गिर रहा है पोर्टेबल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जिसकी फिजिकल और केमिकल क्वालिटी प्रेस्काइब्ड पेरामीटर्स है गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के, उससे हम मीलों दूर हैं। हम आज जो पानी दे रहे हैं उसमें टी.डी.एस., क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, ब्रेकिंस, ब्रेकिंस को तो दे ही नहीं सकते लेकिन इसकी मात्रा जो पैरामीटर से ज्यादा होते हुए भी हमें उसमें एक्सेप्सन करना

(श्री परसराम मदेरणा)

पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। ऐसी सूरत में यहां पर 15 मार्च को मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया था उसमें पेयजल को प्राथमिकता दी है, उसमें 754 करोड़ 12 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, आउटले के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर भी है, मेन्टीनेंस भी इसमें सम्मिलित हैं, सेलेरी भी इसमें सम्मिलित हैं और प्लान के अन्दर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा जिसमें सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम को भी मैं सम्मिलित समझता हूं जो कि 100 करोड़ के आसपास हैं और आपके प्लान का पैसा है लेकिन यह जो पैसा 754 करोड़ का आंकड़ा यहां बताकर यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम समस्या का समाधान कर लेंगे। इस समस्या के फ्रिन्ज को भी टच नहीं कर सकते। जो आपने मेमोरेन्डम 1990 में दिया हुआ है 10वें फाइनेन्स कमीशन को। उस मेमोरेन्डम में आपने इस बात का उल्लेख किया है, उसके पेज 24 पर लिखा है :

"On account of recurring droughts resulting in receding water table, assured source of drinking water supply to most areas of the State is eluding a solution. Past investments made in tubewells, handpumps and piped water supply schemes have become infructuous on account of recedijng water table. For augmenting the existing water sources and providing a minimum service level of water supply in the rural areas alone, an investment of Rs.7000 crores at current prices would be required on a conservative basis."

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में इस सदन की एक कमेटी कांस्टीट्यूट हुई थी जिसका मैं भी सदस्य था और जालौर से आने वाले माननीय सदस्य भी सदस्य थे। इसमें हमने जो सजेशन्स और प्रस्ताव दिये उसमें प्रस्ताव 11 इस प्रकार है–

"राजस्थान की 45311 ढाणियों में न्यूनतम सर्विस लेबल तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दसवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन में 7000 करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है, वह अपर्याप्त है।"

यहां पर मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूं कि यह बात आपने केलकुलेट कर ली कि यह 7000 करोड़ रुपये किस प्राइसेस पर है। उस वक्त की करेन्ट प्राइसेस पर है जिसको आज करीब 9 या 10 साल हो गए–

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 7000 करोड़ (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं मैं आगे पढ़ रहा हूं। इसलिए इसके लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार संसाधन जुटाने की व्यवस्था की जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय अपना विचार जो था...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय तैयारी तो मैं यह करके आया था कि बहुत लम्बी चौड़ी बात कहनी है मुझे यहां पर क्योंकि अभी 23 जुलाई को सेन्ट्रल बजट प्रस्तुत हो रहा है उससे पहले चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हो रही है इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं सरकार को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान का जो अण्डरग्राउण्ड पानी है वह अब 1 परसेण्ट भी है या नहीं इसमें भी मुझे बहुत शंकायें हैं। जिस वक्त मथानिया और ओसियां से आने वाले माननीय बोल रहे थे मैं उस समय सदन में अनुपस्थित था। जिस वक्त बिजली आई थी 1990 में, पानी का लेवल 60 फुट पर था और आज पानी का लेवल 650-700 फुट पर है और 50-50 हार्स पावर के सबमर्सिबल पम्प लगे हुए हैं क्योंकि काश्तकार के पास दूसरा आकुपेशन है नहीं इसलिए निश्चित तौर पर वह हर साल 50-60 फुट बोरिंग कराता है। टेक्नालाजी के एडवान्समेन्ट की वजह से माननीय मंत्रीजी जोधपुर की ड्रिंकिंग वाटर की लिफ्ट योजना का जो सबसे बड़ा पम्प है वह 1133 हार्स पावर का है। पहले जो कुछ भी कुए थे अर्थ पर 12 महीने में जितना पानी वह काश्तकार ड्रा करता था 50 हार्स पावर का पम्प एक दिन में उतना पानी ड्रा कर लेता है। पानी नीचे जा रहा है। आपने कोई भी प्रोस्पेक्टिव एक्शन प्लान बनाया या नहीं बनाया। आप 752 करोड़ के ऊपर राजस्थान की विकटतम समस्या का समाधान आप करना चाहते हैं, इसके फ्रिंज को टच नहीं कर सकते, क्योंकि चार साल तो यह विभाग मेरे पास में भी रहा है।

इसलिए मेरे दो तीन सजेशन्स है आपको। आप कहां दे पाते हैं पानी? अभी महुआ से आने वाले माननीय सदस्य रीजनल पाइप लाइन की बात कर रहे थे। आपकी रीजनल पाइप लाइन में तो बहुत थोड़े गांव हैं और मैं इस सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में दस ग्यारह जगह ही पानी है जो उपलब्ध है और वह भी नीचे जा रहा है। बीठिजा की जो योजना है वह 110 गांवों की है, पाइदरू मिठूड़ा की जो योजना है वह 45 गांवों की है, मटाला की जो योजना है वह 6 गांवों की हैं। जोगासरिया, नगाना तला, खानजी काकला की योजना 50 गांवों की है, यह रीजनल पाइप लाइन्स हैं। भीमड़ा की योजना 20 गांवों की हैं, ऊंडू की योजना 75 गांवों की है और रिवाइजड में वह 102 गांवों

(श्री परसराम मदेरणा)

की कर दी है और उसके साथ ही नम्बिला शिव की योजना 25 गांवों की है, स्वरूपतलां की योजना 35 गांवों की है, गरिब खडीन की योजना 40 गांवों की हैं और खानियान करीमकार की योजना 29 गांवों की है। विलेजेज में पानी नहीं पहुंच रहा है और उसमें से आप हेवीटेशन ढाणियों को उसमें से आप कवर करना चाहते हैं लाभान्वित करना चाहते हैं वहां भी पानी पहुंचने वाला नहीं है। यह आपके सामने समस्या है और एक प्रोजेक्ट बना था 1984 में जिसमें राजस्थान गर्वनमेंट को सेन्ट्रल लाइन है उसमें से दो योजनायें ली हैं एक चुरु की और दूसरी जोधपुर की। जोधपुर में शहर की प्रॉब्लम बहुत एक्यूट होने जा रही है। मैं समझता हूं कि 15-20 दिन का पानी है। जवाई बांध में पानी नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : 29 जुलाई तक का ही है।

श्री परसराम मदेरणा : उसकी मिकदार कम कर दो तो 2-10 पकड़ लेगा। जहां पानी नहीं हैं और यह इसलिए आ गया है कि काहिलाने में और तख्त सागर में कुछ दिन के लिये पानी आ गया था नहीं तो समस्या खड़ी हो जाती। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि लीटर परकेपिटला परहेड का जो आपका स्टेन्डर्ड है उसमें आधा भी वाटर सप्लाई की लेवल नहीं है। चाहे शहरों में देख लीजिए। या गांवों में देख लीजिए। जयपुर शहर में भी देख लीजिए जहां पानी की पाइप लाइन अच्छी बिछी हुई है फर्स्ट पाइण्ट पर तो पानी आपको 70 लीटर मिल जायेगा लेकिन उसी शहर में कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिनमें सर्विस लेवल 20 लीटर ही नहीं है पानी। यह स्थिति है। राजस्थान की जब मैं जियोफिजिकल पिक्यूलियर सिच्युएशन की बात करता हूं भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। जोधपुर में जो पानी जा रहा है उसकी डिस्टेन्स 211 किलोमीटर है। जवाई 180 किलोमीटर है। भीलवाड़ा को मेजा से आ रहा है, बंधबरेठा से भरतपुर में आ रहा है और गंगानगर के बहुत से इलाकों में पानी राजस्थान कैनाल से आ रहा है। लॉंग डिस्टेन्सेस से आपको पानी लाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आपसे कि भारत सरकार को आप कहें कि हमारे यहां जो विलेज का कंसेप्ट बिल्कुल दूसरा है। लोग ढाणियों में रहते हैं और वही जो छितरी हुई आबादी है और एक-एक खेत में, एक ढाणी है इसलिए आपने जो स्टैण्डर्ड मुकर्रर कर रखा है सप्लाई का, वाटर पाईंट का 1.6 किलोमीटर रेडियस। मैंने अखबार में पढ़ा था कि मुख्य मंत्रीजी ने उसके सम्बन्ध में सजेशन दिया है कि यह 500 मीटर का होना चाहिए। मैं उनका जो प्रस्ताव है उसको एण्डोर्स कर रहा हूं और भारत सरकार को निश्चित तौर पर इस क्राइटेरिया को बदलवाना होगा।

340

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा, आज से 10 साल पहले जो प्राब्लेमेटिक विलेजेज थे करीबन फिफ्टी पर्सेण्ट प्रॉब्लेमेटिक होंगे, आज आप कवरेज 37 हजार और कुछ गांवों की बात कर रहे हैं, यह आप बहुत होशियारी से, चतुराई से आपने लिखा कि आंशिक और पूर्णतया हमने इसको लाभान्वित कर दिया है। यह आंशिक-वांशिक तो कुछ नहीं हैं। कई जगह बिल्कुल पानी नहीं जाता है। हैण्ड पम्प सारे खराब पड़े हुए हैं। गर्मियों के मौसम में इस वैदर के अन्दर आप मिनिस्टर्स को इंचार्ज बना रहे हैं कंटीजेंसी प्लान का। आज पानी की इतनी क्रीटिकल सिचुएशन जो राजस्थान में उत्पन्न हो गयी है, 11 लाख की आबादी प्रतिवर्ष बढ़ रही है और सर्विस लेबल घट रहा है, वाटर लेबल घट रहा है। पानी के अन्दर ऐसे केमीकल्स है वह पोटेबल और पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। अगर आप देखेंगे, आपका जो फिजिकल केमीकल स्टैण्डर्ड हैं उसमें लिखा है कि इसके बाद में रिजेक्ट करो। वह स्टेण्डर्ड रिजेक्ट करने वाला है रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और लोगों को आप पानी पिला रहे हैं।

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के अन्दर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी सोर्सेज को टेप करना पड़ेगा और अगर आने वाले, अगर प्रोस्पेक्टिव एक्शन प्लान बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आने वाले 20 साल का अगर प्रोस्पेक्टिव एक्शन प्लान आपने नहीं बनाया है तो निश्चित तौर पर मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह आपकी सिचुएशन पोजिशन 2003 में बहुत ही क्रीटिकल हो जायेगी। जो आज डबल हो रहा है, कवरेज मिस्नोमर है। मुख्य मंत्रीजी ने यहां 754 करोड़ में अभी सब धन्यवाद दे रहे थे, सब कह रहे थे कि हमने यह समर्पित कर दिया। इसमें वर्ड "समर्पित" नहीं लिखा है, प्राथमिकता दी है। यह कई प्लान तक प्राथमिकता देने वाली यह बात 1984 से मैं पहले भी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में कह चुका हूं। इसलिए मेरा दूसरा सजेशन यह है कि जिस तरह से योजना के आकार के अन्दर और योजना के आकार में आपको आउट ले निर्धारित करने के अन्दर कोर सैण्टर है, इर्रिगेशन है, बिजली है। आप ड्रिंकिंग वाटर को तो, यह भारत सरकार को चाहिये कि पानी की समस्या को अगर वर्तमान केन्द्रीय सरकार प्राथमिकता देना चाहती है तो इसको कोर सैक्टर में सम्मिलित करें। कोर सैक्टर में अगर इसको सम्मिलित नहीं करते हैं तो राज्य सरकार के इतने संसाधन नहीं है कि समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऊपर वाला ही करेगा।

श्री परसराम मदेरणा : ऊपर वाला करेगा तो फिर आप यहां क्यों हो। मुख्य

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह कहा है कि सेन्ट्रल स्पोंसर्ड योजनाओं में प्रतिवर्ष 15 से लेकर 20 पर्सेण्ट तक उसका आउट-ले इन्क्रीज करना चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति और इन्फैक्चुअस ट्रेड है इकोनोमी के अन्दर। एक तरफ आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और दूसरी तरफ आप यहां ढोल पीट रहे हैं योजना के आकार का। अगर एक साल में 15 पर्सेण्ट उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो सात साल में कितनी बढ़ गयी? 60 पर्सेण्ट और आधी हो गयी आपकी योजना साढ़े पांच हजार करोड़ की। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की जो गम्भीरतम समस्या है, अण्डरग्राउंड पानी कितना है, मेरे गांव की पूनमचन्दजी ने बात करली कि वहां पर साढ़े चार सौ फीट है। लेकिन बहुत से गांवों में पानी 650 फीट है जहां से आप ड्रा कर रहे हैं। यह मैं डेजर्ट की बात कर रहा हूं, डेजर्ट के अलावा भी दूसरे इलाके हैं, अभी चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां फ्लोराइड है। आज भरतपुर की जमीन ब्लेक सोइल है लेकिन भरतपुर जिले की पांच तहसीलों के अन्दर पानी ब्लेकिस है। यह आपकी सावा योजना जो आ रही है, आप आज यह समझते हो कि चुरु की पानी की समस्या इस एक योजना के आने से हल हो जायेगी, यह नहीं है। आपके डूंगरगढ़, रतनगढ़ जो उप मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी है, यह जाते हैं, कोशिश करते हैं पानी दिलवाने की। अभी आपकी जो मीटिंग हो रही थी जिसमें कोल्ड स्टोरेज के आलू की चर्चा हो रही थी, रिजोल्यूशन आप पास कर रहे थे, उप मुख्य मंत्रीजी उस वक्त पीने के पानी की व्यवस्था कराने के लिए अपनी कांस्टीट्एंसी में घूम रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार के सामने हमारी जो आज स्थिति है इसको बहुत स्पष्ट तौर से आपको रखना चाहिए। आज जो सिचुएशन है उसको ठोस तरीके से रखना चाहिए, राजस्थान के हित में यह है।

मैं बहुत से और सजेशन भी आपको देता लेकिन अब केवल एक सजेशन दूंगा। यहां पर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने, विश्नोई जी ने और बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रेसिनल सोर्स ऑफ वाटर की चर्चा थी। ट्रेडिशनल सोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने स्टेप लिया है या नहीं लिया। कुल मिलाकर जो आज स्थिति, पिक्चर जो दृष्टिगोचर हो रही है उसमें वन स्टेप फारवर्ड एण्ड टू स्टेप्स बैकवार्ड। आज हर चीज में यह पीछे जा रहे हैं। यही स्थिति रही तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पेयजल की राजस्थान में खड़ी हो जायेगी। इसलिए माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, उसमें कुछ अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात रखी है उसका तो उत्तर आप देंगे ही, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। लेकिन आप राजस्थान की बढ़ती

(श्री परसराम मदेरणा)

आबादी की वजह से इण्डस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पाल्यूशन की वजह से, गिरते हुए पानी के स्तर की वजह से, सर्विस लेबल के घटने की वजह से और ट्रेडिशनल सोर्सेज को स्ट्रेंथन करना और जहां पर भी बड़े-बड़े तालाब वगैरह हैं या बड़े टैंक हैं उनसे लिफ्ट योजना को आपको हाथ में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको रूज अमाउंट की आवश्यकता है। यह राजस्थान की पिक्चर इस सदन की कर्सेंसस है। अब जब नया बजट आ रहा है, चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में जब कर्सेंसस बन गयी है कि ड्रिंकिंग वाटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाय। राजस्थान की पिक्युलियर सिचुएशन से भारत सरकार को अवगत कराना चाहिए राजस्थान को दूसरी स्टेट के एटपार ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से स्पष्ट कहा था कि यह कर्नाटक को आप राजस्थान मत समझिये, राजस्थान में सिचुएशन बिल्कुल दूसरी है और बड़ी जटिल समस्या है। यह बात भारत सरकार तक पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, इस सरकार को कल चिटबली पाइंट ऑफ व्यू, इमिजिएटली सदन की कर्सेंटस से इसको रखना चाहिए, यह समस्या बहुत विकट बन गयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय,_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, 12 बज गये हैं।

(24.00)

श्री परसराम मदेरणा : 12 बजे हैं। मैं एक पाइंट और कह देता हूं। यह आपके पी.एच.ई.डी. विभाग ने उप मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनायी थी, उसमें हमको यह आश्वासन दिया था कि प्रस्ताव वाटर रिसोर्सेज कौंसिल सी.एम. की अध्यक्षता में बनाने की बात की थी ताकि सरफेस और ग्राउण्ड वाटर का, दोनों के सम्बन्ध में समन्वित और हारनेसिंग करके राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का हल किया जाये और इर्रिगेशन में भी उस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाये, उसका हमको बताया गया कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी भी विचाराधीन है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी विचाराधीन है तो आप स्टेट्समैन नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कभी-कभी मेरे बारे में उन्होंने कहा कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं कि मैं पोलिटिशियन नहीं हूं, पोलिटिशियन से कई दफा हट जाता हूं। मैं स्टेट्समैन का दावा नहीं करता लेकिन निश्चित तौर पर जब एक

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रस्ताव आपके सामने आया है और आपकी हाई पावर कौंसिल नहीं बनेगी तो इस सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिव एक्शन प्लान बनना मुझे बहुत असम्भव दिखता है इसलिए इस सम्बन्ध में अभी तक नहीं बना है और कौंसिल नहीं बनी है तो उस कौंसिल को कांस्टीट्यूट करना चाहिए और सब आस्पेक्ट्स पानी के, अण्डर ग्राउण्ड और सरफेस वाटर के, यूनिफाइड प्लान बनाकर राजस्थान में एक्जीक्यूट किया जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस मांग पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की एक कड़ी है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हवा के बाद यदि मनुष्य को जिन्दा रहने की आवश्यकता है तो वह पानी की है और राजस्थान में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, माननीय सदस्यों ने उनका ठीक से वर्णन किया है और अन्त में अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो चित्रण प्रस्तुत किया है वह हमारे सबके लिए चिन्ता का विषय है और मेरा यह मानना है, आज की चर्चा में जितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, वह सब इसी प्रेरणा से, कि विषम परिस्थितियां हैं। यही एक मन में बात रही है और उन्होंने बहुत ही गहन चिन्तन कर अपने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन सबका आभारी हूं और मैं समझता हूं यह विषय कोई इस पक्ष का और उस पक्ष का नहीं है। यह राजस्थान की जनता का, हम सबका मिला-जुला प्रश्न है (व्यवधान) राजस्थान में पानी को उपलब्ध कराने के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसमें हम ग्रामीण इलाके को यदि लें तो हैण्ड पम्प हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। माननीय सदस्यों ने मांग भी की है इसकी और हमने विचार भी किया है। एक ऐसा साधन है जो आज छोटे-छोटे स्थान पर भी उपयोग किया जा सकता है और इसलिए इस बार यह विचार किया गया है कि हैण्ड पम्प पर हम अधिक विशेष ध्यान दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : विलोम हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखते हैं क्या। लो विलोम हैण्ड पम्प, विलेज लेवल मेंटीनेंस तकनीक नयी आयी है। आपका कोई विचार है क्या? विभाग भविष्य में विलोम हैण्ड पम्प लगायेगा? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप विचार सुनो तो सही। (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आलरेडी इन्ट्रोड्यूस हो चुका है और आप अपने विभाग के उच्चाधिकारियों से इस बात में राय लें।

श्री परसराम मदेरणा : हैण्ड पम्प के जो सुझाव आये, निश्चित तौर पर हैण्ड पम्प खोदे जाने चाहिए लेकिन यहां पर

उ५५

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बात भी आयी है कि हैण्ड पम्प खुद गये हैं पर अभी तक प्लेटफार्म नहीं बना है और 50 प्रतिशत खराब पड़े हैं। आप पालिसी डिसीजन हमेशा के लिए ले लीजिए। अभी तो रिपेयर का जिम्मा दे देते हैं पंचायत को, पंचायत समिति को, फिर क्रिटिकल स्थिति आती है तो आप खुद उसकी मेंटिनेंस करते हैं। हैण्ड पम्प का मेंटिनेंस और उसका संधारण पूरा का पूरा विभाग के पास रहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसी समस्या को देखते हुए कि इसकी मेंटिनेंस ठीक से नहीं हो पा रही है इसलिए कुछ विलोम हैण्ड पम्प जो नये इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनका संधारण ग्राम लेवल पर भी हो सकता है और उसका नाम भी इसीलिए विलोम रखा है यानि विलेज लेवल मेंटिनेंस और आपके विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है तो सरकार ऐसे हैण्ड पम्प यदि कोई इंट्रोड्यूस हुए हैं तो लाने का अपना मानस रखती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। पूरा बोलने दें पहले, बाद में और कोई बात हो तो कर लें।

श्री रोहिताश्व : इसकी टेक्नोक्रेट ओपिनियन आपसे ले लेंगे बाकी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हैण्ड पम्प हर वर्ष लगाये जाते थे और उनकी संख्या करीब-करीब 5000 प्रतिवर्ष रहती थी लेकिन गम्भीर समस्या को देखते हुए पिछली बार राज्य सरकार ने निर्णय किया था कि हम 10,000 हैण्ड पम्प स्थापित करेंगे और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने पिछली बार इस टारगेट को पूरा किया है और हमने 10,000 से अधिक हैण्ड पम्प राजस्थान में लगा दिये हैं। इस बार भी यह विचार है कि पिछली बार जो 10,000 हैण्ड पम्प लगाये थे हमने, उस संख्या को कम नहीं किया जावे और 10,000 के लगभग हैण्ड पम्प इस बार भी खोदे गये, उसमें (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, एक सवाल। आप नये हैण्ड पम्प लगा रहे हैं, पुराने जो हैण्ड पम्प खराब हो रहे हैं। उसके लिए आपकी एक पालिसी है कि 75 प्रतिशत यदि खराब हो जाते हैं तो रिप्लेस करेंगे। क्या आप हर हैण्ड पम्प को जो खराब हो गया है, रिप्लेस करने वाले हैं क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी हैण्ड पम्प का चैप्टर शुरू नहीं किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह रिसर्च का विषय है। इसके लिए रिसर्च करेंगे कि क्यों होता है ऐसा।

श्री अध्यक्ष : डिबेट चालू नहीं करें। कृपया शान्ति बनाये रखें और नयी

(श्री अध्यक्ष)

डिबेट चालू नहीं हो। माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दें। आखिर 9-10 घण्टे की बहस हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछली बार, बहुत लम्बे समय से...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को जवाब देना है। आप मेरे कहने से और आपके सजेशन्स बहुत अमूल्य रहे हैं पर मंत्रीजी जब तक नहीं कहेंगे तब तक अपन को क्या पता लगेगा कि क्या चाह रहे हैं। कृपया सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछले समय में यह नोर्म्स थे कि जहां 50 प्रतिशत से नीचे अगर हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं तो वहां ही नये हैण्ड पम्प लगाये जाते थे वरना नहीं लगाये जाते थे। इस बार यह तय किया है कि यह नोर्म्स हमने हटा दिये हैं। इसकी अब यह शर्त नहीं है। अब जितने हैण्ड पम्प जिस गांव में जिस स्थान पर है, यदि उनमें से एक हैण्ड पम्प भी खराब होता है या जो परित्यक्त होता है, उसके स्थान पर नया हैण्ड पम्प लगा देंगे और इस क्रम में यह शुरूआत करेंगे। एस.सी.. एस.टी. के मौहल्ले हैं, वहां से इसकी शुरूआत करेंगे और वहां से चलकर पूरे राजस्थान में कवर करेंगे तो पिछली बार यह शर्त रहा करती थी कि जब तक अगर 10 में से 6 हैण्ड पम्प भी काम कर रहे हैं तो पहले परिवर्तन नहीं करते थे तो जैसा मैंने निवेदन किया कि आपकी भी, सबकी इच्छा थी, उसके अनुरूप अब यह शर्त खत्म और...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत बढ़िया काम किया, हमारी इच्छा को मान लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके बाद हैण्ड पम्प लगाने के स्थान के चयन पर कई बार विवाद रहता था तो हमने यह भी तय किया है, जो आइडेंटिफाई स्थान हैं जो आपकी जिला समितियों में तय होते हैं, उन स्थानों पर यदि पंचायत यह कहेगी कि हमको यहां पर लगाना है तो हम उसको उसका खर्चा देंगे और वह अपनी देखरेख में स्वयं लगा देंगे, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। पंचायत द्वारा जो स्थान आइडेंटीफाइड है जहां हैण्ड पम्प लगता है, निर्विवाद स्थान है उन स्थानों पर यदि वहां की पंचायत समिति या ग्राम पंचायत यह मांग करती है कि वहां हमारे हैण्ड पम्प लगना चाहिए और हमारे नार्म्स में आता है तो हम जो लगाया करते थे, अब हम नहीं लगायेंगे, पंचायत अपने साधनों से लगायेगी और उसका खर्चा हम देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर पंचायत में राजनीति व्याप्त हो तो फिर गांव कहां जायेगा। आज तो हर हैण्ड पम्प पर लड़ाई होती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, वह स्थान तय है।

३५९८

श्रीमती उजला अरोड़ा : और यह हाथ में उनको देना ठीक नहीं है। ईयर मार्क जगह पर ही लगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात सुनिये। निर्विवाद स्थान।

श्री अध्यक्ष : अब आपने अपना सजेशन दे दिया है, इनकी बात सुनें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए ग्राम पंचायतें यह काम करेगी, वही अपना लगायेगी, खर्चा हम देंगे। इसके अलावा कई बार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई पंचायत लगाना चाहे तो फंसने की कोई बात नहीं है, निकलने की बात है। पूरा कोई सुनता नहीं है और फिर बोलना चालू।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम तो लगायेंगे ही लेकिन अगर मांग करेंगे तो हम उनको देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन इनकी एक योजना है, ऐसी योजना बनाई थी इन्होंने, 'जनता जल योजना', यह हुई है फ्लाप और यह दूसरी वाली भी फ्लाप।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, अगर आपका यह मत है, या तो मैं ठीक से कह नहीं सका...

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, यह ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, पर एक बुजुर्ग तो कहते हैं कि ठीक है और उससे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गांवों में पार्टीबाजी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरा सुनें। कृपया बिराजें। यह नयी डिबेट चालू हो गयी, वापस दो घंटे और लग जायेंगे, सुबह नौ बज जाने हैं, बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यहां खुदवाओ और यहां खुदवाओ, यह आप करते ही क्यों हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं फिर दोहराता हूं। जो निर्विवाद स्थान हैं और नोर्म्स में आते हैं, कोई पंचायत समिति या पंचायत यह मांग करती है और यदि वह चाहे, हम कोशिश करेंगे कि हम अनको पैसा देंगे पूरा...

श्री अध्यक्ष : उजला जी। बिराजें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : खर्चा पूरा हमारा और खोद उनको करना है। क्या दिक्कत है इसमें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं। पहले मिनिस्टर अपनी बात पूरी करे, उसके बाद कहें।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : राजनीतिक पक्षों में लड़ाई होगी। अगर किसी भी पक्ष का, विपक्ष होगा तो नल नहीं लगेगा, सिर फूटेंगे। वहां पर सिर फूटेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप पहले पूरी बात सुन लें और उसके बाद कोई बात पूछनी हो तो पूछें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, निर्विवाद के चक्कर में राजनीति में फंस जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इससे सारा डिस्टर्बेंस होता है, कृपया बिराजें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह हो कि एम.एल.ए. जहां कहे वहीं पर आइडेन्टीफाई हो जाय और वहीं पर लग जाय।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : तो फिर साहब, सरपंच अपनी मरजी से करेगा।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों से निवदेन है कि वे तसल्लीपूर्वक सुनें और उसके बाद मान लो नहीं रोक पा रहे हैं और बोलना जरूरी ही हो तो मंत्रीजी जब वक्तव्य पूरा कर दें उसके बाद पूछें वरना आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : या माननीय ऐसा करें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो चलने दें सुबह पांच बजे तक।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर खड़े हो गये आप, अभी सुना नहीं आपने, मैंने क्या कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका एक और तरीका है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर चेयर की भी कोई व्यवस्था होती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक-एक बजे तक बैठते हैं अध्यक्ष महोदय तो इसलिए बैठते हैं कि अपने क्षेत्र की बात करें।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि आप खड़े नहीं हों, माननीय मंत्रीजी को अपनी बात पूरी करने दें। यह बहुत ही गलत नोशन्स पड़ गये हैं और यह मैं समझ रहा हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : मुश्किल से एक दिन काबू में आते हैं, उसके बाद हाथ नहीं लगते।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कर रहे हो। यह हो क्या गया आपको, बार-बार खड़े हो रहे हो आप। मैं माननीय निवेदन कर रहा हूं, बिराजें आप। इतना जल्दी उकताने की और यह ताब खाने की जरूरत नहीं है, पूरी बात सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह और सुझाव है कि मेरा यह वक्तव्य और जो घोषनाएं मेरे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पास लिखित में है, आप कहो तो मैं इनको दे दूं और आप मेरी मांगे पास कर दो। अगर नहीं सुनाना चाहो तो आप। (व्यवधान) ऐसा कैसे होगा, आखिर मैंने दिन भर सुना है आप लोगो को।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, सुनाओ।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम सुनना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी कभी ऐसी मांग आती है, कोई धार्मिक स्थान है, कोई धर्मशाला है, जहां हेबिटेशन तो नहीं है लेकिन लोगों का आना-जाना रहता है, वहां पानी की आवश्यकता रहती है। वहां यदि कोई हैण्ड पम्प लगाना चाहेंगे, कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई पंचायत समिति कोई भी, तो उसके खर्चे के हम बीस हजार रुपये देंगे, बीस हजार तक हम खर्चा देंगे और वहां लगा देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : अच्छी तरह तो कहो, आप कहना क्या चाहते हैं, आप उधर कह देते हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : समझें नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखे, कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोहू न काहू की कांजी करे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बाद सरकार की यह योजना है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वहां हम प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक हैण्ड पम्प लगा देंगे। कभी कभी (व्यवधान) अब देखो पूरा सुनने दीजिये साहब, यह कोई मतलब नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : मिडल आ आयेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो बात आप कह रहे हो वह मेरे दिमाग में है। कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां अच्छा पानी नहीं है, हैण्ड पम्प नहीं लग सकते, या सफल नहीं है, तो हमने यह विचार किया है कि वहां एक टांका बना दें, जैसे आप भी कह रहे थे, पूनमचंदजी साहब ने भी कहा है, शुरूआत करने के लिए एक टांका बना देंगे और उसमें बरसात का पानी भरेगा। उस पर एक छोटा हैण्ड पम्प लगा देंगे, वह विद्यार्थियों के काम आ सकता है, गांव के काम आ सकता है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह स्कीम नहीं चलने वाली आपकी।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं चलेगी, पर कोशिश करते हैं। नहीं चलेगी तो क्या करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके इधर पानी बहुत है इसलिए नहीं चलेगी लेकिन जहां रेगिस्थानी इलाका है वहां चलेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी पिछली बार एक चर्चा, जो वास्तव में हमारे सामने एक समस्या रहती है कि इन हैण्ड पम्पों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को कौन ठीक करे। यह साल भर के करीब-करीब तो पंचायतों के पास रहते हैं और फिर साल में एक बार हम उसको, गर्मी को नजदीक देख कर हमारा विभाग अभियान चलाकर ठीक करता है। यह निश्चित रूप से दोहरी व्यवस्था है। अभी यह तय नहीं कर पाये हम लोग कि पंचायतों को दें या हमारे पास रखें। पंचायतों का यह कहना है, पंचायत का यह मानना है_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पंचायतों को अधिकार अधिक दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, इसके पीछे तर्क यह रहता है कि पंचायत के पास आप स्कूल नहीं दो, अस्पताल नहीं दो, आयुर्वेद नहीं दो तो फिर वह करे क्या। इसलिए मैंने जैसा निवेदन किया कि यह बड़ा ऐसा विषय है, तय नहीं हो पाया अभी तक।

श्री राजेन्द्र पारीक : और कुछ भी दो लेकिन पानी मत दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तक नहीं है। लेकिन इसी योजना के अन्तर्गत अभी पिछली इस गर्मी में_

श्री सुजानसिंह यादव : पंचायतों को दो ही मत, विभाग के पास ही रखो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैण्ड पम्प एक भी ठीक नहीं हुआ, मेरे को आया ही नहीं_

श्री परसादीलाल मीणा : पी.एच.ई.डी. को ही दे दो साहब यह।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोषणा कर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : चलो पी. एच. ई. डी. में रख देंगे। इस समय राजस्थान में 134715 हैण्ड पम्प हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह दोहरी व्यवस्था का क्या हुआ संधारण का?

श्री भंवरलाल शर्मा : तय करेंगे भई। आपकी राय आ गयी ना।(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पिछली साल भी आपने यही कहा था और अब कह रहे हैं कि करेंगे, कब करेंगे? _(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वोट करवा दीजिये, सुनना नहीं चाहते, वोट करवा लीजिये। _(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप पीड़ित नहीं हैं क्या इस दोहरी व्यवस्था से?

एक माननीय सदस्य : आप भी पीड़ित हैं। _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब सुनें। इस तरह से न करें। यह ठीक नहीं है। यह अच्छा नहीं लगता है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह क्या जवाब है साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जवाब है। जैसी अक्ल है वैसा जवाब है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकेले तो हम क्या करें इसलिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके कपड़े फाड़ने होंगे तो वैसे ही फाड़ेगे वह, कोई रूकने वाला नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दौसा जिले के पानी का टैस्ट करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप एक माननीय सदस्य की वजह से सब का समय जाया हो, यह ठीक नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस अभियान में 134715 हैण्ड पम्पों में से 71548 हैण्ड पम्प खराब पाये गये। इसमें से हमने 70458 ठीक किये। मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में, माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि उस समय चुनाव का समय था, जब यह अभियान चलाया तो उस समय चुनाव थे, हमारी गाड़ियां भी, हमारे अधिकारियों को चुनाव में लगाया गया था, उसके बावजूद 71548 में से 70458 हैण्ड पम्प ठीक कर दिये, यह बहुत ही संतोषप्रद है इतने कम समय में, मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों ने शिकायत भी की है, यह एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे दौसा में कुछ नहीं हुआ। दौसा में 500 हैण्ड पम्प, 760 हैण्ड पम्प आपके जिले में लगे हैं आप कहते हो एक भी लगा नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई दूसरे दौसा जिले में लगे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हो सकता है मेरी सूचना ठीक नहीं हो पर इतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती कि आपके एक भी नहीं लगा और मैं आपके सात सौ बताऊं। और आपकी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 149 हैण्ड पम्प लगे हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके चुनाव क्षेत्र में 149 हैण्ड पम्प लगे हैं। हो सकता है आप उस समय पधारे नहीं होंगे और पीछे से लग गये होंगे। लेकिन 149 लगे हैं।(व्यवधान) मेरे जाने की जरूरत नहीं है।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे राजस्थान में गांवों का कंसेप्शन है यहां ढाणियां भी हैं और ढाणियों की संख्या भी काफी बड़ी है तो हमने तय किया है कि आगे जाने वाले समय में ढाणियों में से 4500 ढाणियां हम कवर करेंगे। इस वक्त राजस्थान में केवल 12 हजार ढाणियां शेष हैं जिनमें कोई जल की योजना नहीं है। उसमें से हम साढ़े चार हजार इस बार लेंगे और अगली बार फिर पूरी कर देंगे। 'जनता जल योजना' के बारे में कई प्रकार की दिक्कतें हैं वो मैंने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी अनुभव की है। इस समय व्यवस्था यह है कि यदि आपको 'जनता जल योजना' में अपना गांव लेना है तो पहले बिजली का बिल जो आता है वो पंचायत जमा कराती है और फिर वो हमारा विभाग उसको रिएम्बर्स करता है। यह एक बड़ा संकट का काम था तो हमने यह तय दिया कि हमारा एक्सईएन. ही सीधा जमा करायेगा, गांव वालों को जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हम कर देंगे। और इस काम के लिए अभी तक हमने कोई बजट नहीं रखा था पिछली बार तो यह दिक्कत समझ कर हमने यह तय किया है कि एक करोड़ रुपया इसी के लिए बजट हमने अलग से निकाल दिया जो इस योजना के काम में आयेगा।

इसके बाद जो समस्या आती है वह यह आती है कि इसको चलाये कौन तो हमने यह तय किया है कि इसको चलाने के लिये कोई भी जो पंचायत समिति या संस्था इसको लेती है, उसी गांव का कोई व्यक्ति रख ले पार्ट टाइम उसको 500 रुपये हर महीने सरकार देगी। फिर सरकार ने यह भी अनुभ्व किया कि जब चलायेंगे आप मोटर को तो खराब होने के भी चांसेज रहते हैं, खराब होती रहती है वो इसलिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके लिए यह तय किया है कि जो जितने हार्स पावर की मोटर होगी उसे प्रति होर्स पावर के हिसाब से 400 रुपये महीना और देंगे। 400 रुपये प्रति होर्स पावर महीने, नहीं साल भर का। अब इसके बाद कभी कोई उसमें बहुत बड़ी खराबी या मान लीजिये जलस्तर नीचे चला गया और बोरिंग करना होगा या उसमें कोई बड़ा खर्चा करने की बात होगी तो वो भी हमारा विभाग उसमें खर्च करेगा और पैसा लेगा नहीं। इससे जल योजना के अन्तर्गत जब कभी यदि उसका रेवेन्यू आयेगा पानी का जो सिस्टम, पानी का जो कनेक्शन मिलेगा उससे मिलने वाली जो रकम है उस पर सरकार के डिपार्टमेंट का कोई अधिकार नहीं होगा वो पंचायत की सम्पत्ति होगी। जो बिल आप उसका लोगे उसका पैसा भी। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि यह या तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती और वो इस बात से पहले तो इसी बात से संकोच रहे कि पहले बिल जमा कराओ फिर हमारे दफ्तरों में चक्कर लगाओ तो कौन इस झगड़े में पड़े और दूसरी बात यह थी कि पिछली बार जब हमने योजना चालू की थी उस समय पंचायतें नहीं थीं, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। अब पंचायतों के चुनाव हो गये तो हर स्थान पर जिम्मेदारी लेकर चलने वाला प्रतिनिधि खड़ा है। पहले तो कौन इस बात को स्वीकार करे, कौन कमेटी बनाये और कई सारी दिक्कतें थीं लेकिन जब से पंचायतों के चुनाव हो गये

352

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो हर जगह अब ऐसी संस्था खड़ी है जो इस काम की जिम्मेदारी ले सकती है और सरकार पूरी उनकी मदद के लिए खड़ी है, आर्थिक दृष्टि से करेंगे और कभी कोई बड़ा संकट आया उसको भी पूरा करेंगे।

रेगिस्तानी जिलों में विद्युत सम्बन्ध के लिए हमने कुछ जिलों में 50 हजार रुपये की मदद करने की बात की थी वो 7 जिले थे। अब हमने जितने भी मरूस्थलीय जिले हैं उन सबमें यह व्यवस्था लागू कर देंगे कि 50 हजार तक के बिजली के कनेक्शन का खर्चा हम देंगे। इस राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जो नाम तो गांव है लेकिन अभी वो पानी से लाभान्वित नहीं हुए।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो टी.एस.एस. योजना है उसमें अगर 50 कनेक्शन कोई ले लेंगे तो हम उसको भी जनता जल की सुविधाएं दे देंगे, और जनता जल में उसको इन्क्लूड कर लेंगे। पिछली बार से यह मांग आती रही है कि हमारे हैण्ड पम्प खोदे जायें। आयेगी वो, लेकिन विभाग के पास रिग्स नहीं है। हमको या तो किराये पर करनी पड़ती हैं और कुछ रिग्स ऐसी है जो किराये पर भी नहीं मिलती है जहां बोल्ड स्ट्रेटा है वहां पानी के लिए वो काम नहीं कर सकती इसलिए विभाग ने यह विचार किया है कि इस बार कुछ विशेष स्थानों हेतु जहां भूमि पथरीली एवं बोल्डयुक्त है योजना के क्रियान्वयन में देरी का कारण उपयुक्त प्रकार की ड्रिलिंग रिग्स का विभाग में उपलब्ध न होना था। विभाग द्वारा अब विभिन्न प्रकार की 14 नयी रिग्स क्रय किये जाने की कार्यवाही की गयी है जिनमें 10 डी.टी.एच., दो रोटेरी एवं दो कंबीनेशन रिग्स सही रहेगी। इतना खरीदने के बाद मैं समझता हूं ये जो जगह-जगह कई बोल्ड स्ट्रेटा के कारण तकलीफ पाते थ अब ये रिग्स खरीदने के बाद यह जो हैण्ड पम्प खोदने का काम है यह बहुत तीव्र गति से होगा और यह तकलीफ खत्म हो जायेगी।

गत वर्ष हमने पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक 900 से भी अधिक नलकूप बनाये। 900 से भी ज्यादा नलकूप बनाये। केवल बीकानेर संभाग में, बीकानेर संभाग के माननीय सदस्य यहां होंगे, जहां पर 1994-95 में 33 नलकूप बनाये गये थे, गत वर्ष 105 नलकूप बनाये गये हैं। 999 में से 105 वहां। पिछली बार हेबीटेशन की योजना में लाभान्वित के लक्ष्य के विरूद्ध हमने 4554 जो ढाणियां थी उन ढाणियों में पिछली बार हमने 4554 ढाणियों को लाभान्वित किया है और जैसा मैंने अर्ज किया था इस बार भी साढ़े चार हजार ढाणियों को लाभान्वित करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : बजट में पांच हजार है आपके।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं साढ़े चार हजार।कोशिश करेंगे।(व्यवधान) अच्छा पांच हजार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, वो तो बजट में ही यह आया है कि अगले साल का मतलब है कि 15 मार्च को बजट स्पीच दी। भैरोंसिंहजी ने, कहा था कि इस साल हम साढ़े चार हजार कर रहे हैं, अगले साल हम पांच हजार करेंगे। आप साढ़े चार हजार पर आ रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसलिए निवेदन करता हूं आपको कि जो पहले ढाणियां नजदीक थी, पानी नजदीक था वो पहले आ गयी। अब जो बची हुई हैं वो डिफीकल्ट है थोडी-सी, फिर भी आपने आदेश दिया तो पांच हजार की बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई ऐसे राजस्व ग्राम हैं जो अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं। इस बार हमने तय किया है कि 31 जिलों में से 23 जिलों में 20 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, यानि जहां भी 20 की जनसंख्या है। अपने पास 31 जिले हैं उनमें से हमने छांटा है और 23 जिले ऐसे होंगे जिनमें 20 से अधिक जनसंख्या या 20 की जनसंख्या है उन सारे के सारे गांवों हम लाभान्वित कर देंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 20 का कोई गांव होता है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : बस 20 बता रहे हैं 20। 20 की जनसंख्या है यही क्राइटेरिया है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : जैसे कोई ढाणी है, मजरा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं वह अलग है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी, आपको यह कहने में क्यों संकोच हो रहा है कि यह राजीव गांधी मिशन का निर्धारित लक्ष्य है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों क्या हो गया?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको नाम लेने में कोई शर्म आ रही है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कोई नहीं आती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो कहिये न कि राजीव गांधी मिशन ने तय किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे जो कहना है वह कहूंगा। इसमें क्या बात हुई?

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो कहिये न आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्रीजी, राजीव गांधी का नाम तो लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे पास जो लिखा हुआ है, वह पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनायें। 20 का मतलब यह है कि 4 घर 5 घर

354

(श्री अध्यक्ष)

हैं वहां पर भी पानी का इंतजाम होगा। (व्यवधान) कृपया शांति रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी कि हम काम करते समय राजनीतिक भेदभाव करते हैं। आप स्वतंत्र है, आप कोई भी चार्ज लगा सकते हैं। कभी-कभी तो राजनीति का ही चार्ज लगाते हैं और कभी अति उत्साह में इससे भी आगे बढ़कर चार्ज लगा देते हैं लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, गंगानगर जिला ऐसा है जहां से एक बी.जे.पी. का मेम्बर जीतकर नहीं आया, माननीय सदस्य एक भी नहीं आया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मंत्री कितने हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : एम.एल.ए. की बात कर रहा हूं मैं।

श्री सुजानसिंह यादव : बात तो सुनो आखिर क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। पूनिया साहब, विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : गंगानगर के लिए 36.28 करोड़ रुपये की पुनर्गठित योजना स्वीकार की है हमने। एक भी विधायक नहीं है हमारा वहां फिर भी हमने तो राजनीति भेदभाव किया नहीं। पश्चिमी राजस्थान में माननीय सदस्य कह रहे थे ये बाड़मेर एक बड़ा (व्यवधान) इलाका है। जहां काफी तकलीफ रहती है तो हमने तय किया है कि बाड़मेर में 25 करोड़ रुपये जल विकास के लिए खर्च किये जायेंगे। नागौर जिले में। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : समझते हो, काठ का समझते हो क्या? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार नागौर में, देखिये इस भाषा का उपयोग नहीं करें तो अच्छा है क्योंकि मेरे सामने जितने भी माननीय सदस्य आते हैं या कोई भी आता है तो मैं तो बड़े सम्मान से देखता हूं और अगर मेरे से बड़ा है तो उनको बड़ा भाई समझता हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो मुस्करा दिया करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मुस्कराते नहीं हैं क्या हम?

श्री महावीर प्रसाद जैन : शक्ल देखकर मुस्करा देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नागौर में पहले गर्मी के दिनों में 450 टैंकर लगाने पड़ते थे पानी की सप्लाई के लिए। इस बार केवल 25 टैंकर लगाये थे। यह इस बात का द्योतक है कि जलदाय विभाग ने वहां पर व्यवस्था की। अभी माननीय राकेश जी ने एक मांग की थी, आपने एक मांग एक्सईएन. के यहां पेश की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

थी। कहां चाहते हो? मकराना से परबतसर चाहते हो? नहीं,नहीं परबतसर नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, आप नागौर की बात कह रहे हैं। नागौर में आपने टैंकर की बात तो कह दी लेकिन लिफ्ट कैनाल से जो पानी ले रहे थे, उसका क्या हुआ? आपने स्कीम बनाकर छोड़ दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे का? वह आयेगा साहब, बिल्कुल आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आयेगा, आयेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आयेगा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : एक गाना था न, आयेगा आने वाला।

श्री भंवरलाल डांगावास : राकेश जी का कहना यह था कि मकराना के आसपास का क्षेत्र जो मेड़ता में आपका डिवीजन है उसको परबतसर डिवीजन में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक-एक के लिए बात चालू हो गयी तो वही डिबेट चालू हो जायेगी। जो इनको कहना है कह दें, बाद में सब पूछ लेना, विराजें आप। मंत्रीजी कम्पलीट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा तो कम्पलीट हो गया साहब। मेरा निवेदन है इसको पास करें आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजें, परबतसर कहां आ गया बीच में?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो अभी तक अपना भाषण कर देते लेकिन स्टेट मिनिस्टर धीरे-धीरे एक एक कागज पकड़ा रहे हैं, सभी साथ पकड़ा दो यह लेकर के। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : टोडाभीम का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : हां, सब हो जायेगा, टोडाभीम का भी हो जायेगा, बैठो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज प्रातःकाल नवज्योति में एक समाचार पढ़ा था मैंने उसमें मेरे विभाग में कोई पाइप घोटाले के या कुछ इस बात का एक चार्ज लगाया था तो मैंने यहां आते ही सुबह हमारे विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं उनको मैंने आदेश दिये हैं इस मामले में जानकारी करें और माननीय घनश्यामजी ने जो बिन्दु रखे हैं वह मेरे विभाग में तो नहीं थे लेकिन आपने यहां रखे हैं और मेरी सचिव यहीं बैठी हैं तो इन बिन्दुओं पर जांच करके वह मुझे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट देंगी, इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं हैं तो जांच का आदेश सुबह ही दे दिया था (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे एईएन. का क्या हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी अभी इस एईएन. का क्या हुआ? मैंने जांच के लिए-

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल रहा हूं, बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या छोटी-छोटी बातें लेने लग गये एईएन. की। बैठो आप (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों में सामान्यतया गरीब लोग रहते हैं और वे अधिक व्यय नहीं कर सकते। इसलिए इस पर हमने जहां कच्ची बस्तियां हैं उनके पीने के पानी के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और यह तो पुरानी पाइप लाइन्स हैं (व्यवधान) उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान कर दिया हमने। प्लान 10 करोड़ रुपये का (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय मंत्रीजी, बांकापट्टी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, सब बांकापट्टी ही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरे क्षेत्र में एक ही बांकापट्टी ही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें न, आप क्या कर रहे हैं यह?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे विभाग में 3960 बेलदार काम करते थे उनको हमने तरक्की करके हेल्पर के पद पर नियुक्ति दे दी, तरक्की कर दी उनकी।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च,1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,92,25,33,000/- (आठ अरब बानवे करोड़ पच्चीस लाख तैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 00.41 बजे सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1996 के 11.00बजे तक के लिये स्थगित हुयी)

357

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या-2 का विवरण

परिशिष्ठ "क"

डेयरी फैडरेशन में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण

क्रम संख्या नाम	पद	पदस्थापन स्थान	पैतृक विभाग
01- श्री चुन्नीलाल	संस्थागत विकास अधिकारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग जयपुर
02- श्री एम.बी. हिंगोरानी	निरीक्षक कर्मचारी	आरसीडीएफ मुख्यालय जयपुर	सहकारी विभाग
03- श्री छाजूसिंह चौहान	निरीक्षक कर्मचारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
04- श्री ए.के. जैन	ओ.एस.डी.	दुग्ध संघ, अजमेर	एनडीडीबी
05- श्री मोद्‌गिल	प्रबन्ध संचालक	दुग्ध संघ, उदयपुर	एनडीडीबी
06- श्री डी.के. शर्मा	विशेषाधिकारी	एपीएस, जयपुर	एनडीडीबी
07- श्री एन.के. विश्वास	प्रबन्ध संचालक	दुग्ध संघ, बीकानेर	एनडीडीबी
08- श्री नरेन्द्र सिंह	प्रबन्ध संचालक	दुग्ध संघ, हनुमानगढ़	एनडीडीबी
09- श्री आर.सी. बोहरा	प्रबन्धक	दुग्ध संघ, जोधपुर	एनडीडीबी
10- श्री आर.के. सिंह	प्रबन्धक	दुग्ध संघ, भीलवाड़ा	एनडीडीबी
11- श्री आर.एस. खन्ना	प्रबन्ध संचालक	आरसीडीएफ मुख्यालय जयपुर	एनडीडीबी
12- श्री वी.के. लधानी	विशेषाधिकारी	दुग्ध संघ, गंगानगर	एनडीडीबी

डेयरी फैडरेशन में विगत 5 वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी, जो अपने मूल विभाग वापस चले गये हैं, का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पद	पदस्थापन स्थान	पैतृक विभाग
01-	श्री एस.पी. मित्तल	प्रबन्ध निदेशक	आरसीडीएफ मुख्यालय, जयपुर	एनडीडीबी
02-	श्री हरकीरतसिंह	सहा. रजिस्ट्रार	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
03-	श्री जे.एस. महावल	सहा. रजिस्ट्रार	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
04-	श्री के.बी. सैनी	निरीक्षक कर्मचारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
05-	श्री पी.सी. जैन	निरीक्षक कर्मचारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
06-	श्री रमेश चन्द्र जैन	निरीक्षक कर्मचारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	सहकारी विभाग
07-	श्री एस.के. अग्रवाल	विशेषाधिकारी	आरसीडीएफ मुख्यालय	एनडीडीबी
08-	श्री आलोक श्रीवास्तव	उप्रबन्धक	आरसीडीएफ मुख्यालय	एनडीडीबी
09-	श्री जसवन्त सिंह	अतिप्रबन्ध	आरसीडीएफ मुख्यालय संचालक	एनडीडीबी
10-	श्री जे.के. सूद	विशेषाधिकारी	दुग्ध संघ, गंगानगर	एनडीडीबी

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

अतुल कुमार गुप्ता

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक
लेखा/भू.अ/90/2858

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट

बून्दी

दिनांक **20.6.1990**

प्रिय श्री

इस जिले के 3 भू अभिलेख निरीक्षक भवन तथा 20 पटवार घरों के निर्माण की स्वीकृति जवाहर रोजगार योजना अकाल के तहंत जारी की गई है। प्रस्तावित भू अभिलेख निरीक्षक भवन एवं पटवार घरों हेतु अनुमानित लागत का तकमीना जो कि अधिशाषी अभियन्ता सानिवि. बून्दी द्वारा अनुमोदित किया गया है, क्रमशः 1,54,445 /- रुपये तथा 1,02,760/- रुपये है। यह अनुमान पीडब्ल्यूडी. वृत्त कोटा की 1989 की बी.एस.आर. पर आधारित है।

उक्त भवनों के लिए कुल 25,18,535/- रुपये की आवश्यकता होगी। इस राशि में से 50 प्रतिशत श्रम मद की तथा 50 प्रतिशत सामग्री मद में व्यय की जायेगी। श्रम मद की अनुमानित राशि 12,59,268/- रुपये जवाहर रोजगार योजना अकाल के अन्तर्गत व्यय किये जावेंगे। भवनों का निर्माण संबंधित तहसीलदारों द्वारा करवाया जा रहा है।

सामग्री मद में अनुमानित राशि 12,59,268/- रुपये व्यय किये जावेंगे। कृपया उक्त राशि शीघ्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें, जिससे भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करवाया जा सके।

सद्भावी
ह./-
(अतुल कुमार गुप्ता)

श्री डी.डी. सूद
निबन्धक
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बूंदी

क्रमांक : प.6(3)(3) II/लेखा/भू.अ./93-94/ **दिनांक :**

प्रेषिति

उप शासन सचिव
राजस्व(ग्रुप-2) विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय : जिला बूंदी के पटवारघर सर्किल मुख्यालय धानुगांव में पटवारघर का निर्माण करवाये जाने बावत याचिका संख्या 17/92

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक प. 9(25)(राज) ग्रुप-2/92/दिनांक 29-7-94

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पटवार सर्किल मुख्यालय धानुगांव में पटवार भवन का निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 94-95 में राजस्व मण्डल राज. अजमेर से अब तक कोई राशि का आवंटन प्राप्त नहीं होने से पटवारघर का अग्रेतर निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। राजस्व मण्डल अजमेर से राशि का आवंटन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा।

भवदीय

ह.

जिला कलक्टर (भू.अ)

बूंदी

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बूंदी

क्रमांक : प.6(3)(3)/लेखा/भू.अ./भ.नि./93-94/628 **दिनांक 22.3.95**

प्रेषित,

अति. निबन्धक
(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राज.,
अजमेर।

विषय : मद 4059 पटवारघर धानुगांव तहसील नैनवां के नव-निर्माण हेतु बजट आबंटन के क्रम में।

प्रसंग : विधानसभा प्रश्न सं.-1/राजस्व मंत्री/राजस्व/द्वारा श्री रामनारायण मीणा/वि.स/139.

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि तहसील नैनवां में पटवार घर धानुगांव का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत चालू कर नींवें खुदवाई गई थी। इसके पश्चात् इस अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने हेतु राशि का आबंटन नहीं होने से यह कार्य अपूर्ण है।

राज्य विधानसभा में इस कार्य को पूर्ण करवानें हेतु प्रश्न उठाया गया है। अतः पटवारघर नव-निर्माण हेतु मद 4059 में शीघ्र बजट आबंटन की व्यवस्था करावें।

भवदीय

ह.

जिला कलक्टर (भू.अ)

बूंदी

(3.62)

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

विधानसभा क्षेत्र पचपदरा की स्वीकृत सड़कें

6. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में कितनी सड़कें वर्ष 1995-96 में स्वीकृत की गई, सूची सदन की मेज पर रखें। इन सड़कों पर कितने स्थानीय मजदूर लगाये गये? क्या इन सड़कों को पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि लापूदड़ा से तरली और सोहड़ा से डेलुओं की ढाणी आर-आई सर्किल गिड़ा सड़क उक्त अवधि में स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या ये सड़कें पूरी की जा चुकी हैं?

(3) क्या यह सही है कि बालोतरा से पचपदरा सड़क को चौड़ा करवाने के लिए आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो 1 अप्रैल,1996 से 31 मई, 1996 में कुल कितने मजदूर इस कार्य पर लगाये गये?

(4) क्या यह सही है कि बालोतरा से पचपदरा सड़क पर ट्रेक्टर लगाकर सड़क चौड़ी करवाने का कार्य मजदूरों से नहीं करवाकर ठेके पर करवाया गया? यदि नहीं, तो मजदूरों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी गई तथा उक्त दोनों माह में मजदूरों की कुल संख्या क्या थी?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में वर्ष 1995-96 में 34 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन सड़कों पर 1995-96 में 7337 स्थानीय मजदूर लगाये गए थे। स्वीकृत 34 कार्यों में से 33 कार्य प्रगति पर हैं जिनको इसी वित्तीय वर्ष 1996-97 में पूरा करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। एक कार्य श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण बन्द रहा।

(2) जी नहीं, उक्त सड़क कार्य वर्ष 1995-96 में स्वीकृत नहीं किया गया था।

(3) जी हां, यह कार्य आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत 18.12.95 को स्वीकृत किया गया था, 1 अप्रैल, 96 से 31 मई, 96 तक इस कार्य पर 976 मजदूर लगाये गये थे।

(4) जी नहीं, यह कार्य अप्रैल, 96 से मई, 96 की अवधि में 976 मजदूर लगाकर करवाये गए थे तथा श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य की माप के आधार पर प्रतिदिन की मजदूरी दी गई थी।

विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में वर्ष 1995-96 में स्वीकृत सड़क-कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति संख्या/दिनांक
1.	योजना पचपदरा साल्ट सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0 को चौड़ा करने का कार्य	5.00	74-84/29.6.95
2.	–„–2/0 से 4/0	5.00	–„–
3.	–„–4/0 से 6/0	5.00	–„–
4.	–„–6/0 से 8/0	5.00	–„–
5.	–„–8/0 से 10/0	5.00	–„–
6.	–„–10/0 से 11/0	2.50	–„–
7.	पैदल सड़क कोरना से परालिया कि.मी. 0/0 से 2/0	5.00	233 दि. 19.6.95.
8.	–„–2/0 से 4/0	5.00	–„–
9.	–„–4/0 से 5/50	3.75	–„–
10.	जोधपुर-पचपदरा-बालोतरा सड़क कि.मी. 94/0 से 96/0 चौड़ा करने का कार्य	5.00	2656 दि.18.12.95.
11.	–„–96/0 से 98/0	5.00	–„–
12.	–„–98/0 से 100/0	5.00	–„–
13.	–„–100/0 से 102/0	5.00	–„–
14.	–„–102/0 से 104/0	5.00	–„–
15.	–„–104/0 से 105/0	2.50	–„–
16.	मेटल सड़क परालिया से मूल की ढाणी 1 कि.मी.	2.00	2869/11.1.96
17.	सम्पर्क मेटल सड़क आकड़ली बक्सीराम 2 कि.मी.	4.00	–„–
18.	मेटल सड़क परेऊ से खोखसर कि.मी. 0/0 से 4/0	10.00	360/28.6.95 सानिवि. बाड़मेर
19.	–„–4/0 से 8/0, 8/0 से 12/0 व 12/0 से 14/0	11.25	379/" "

364

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति संख्या/दिनांक
20.	बाड़मेर-बागुण्डी से सम्पर्क सड़क समतरा किमी. 3/0 से 16/0	32.50	–,,– "
21.	सम्पर्क सड़क लेगो की ढाणी किमी. 3/0 से 5/0	5.00	–,,– "
22.	सम्पर्क सड़क कानोड़-गिड़ा सोहड़ा किमी. 3/0 से 5/0	5.00	–,,– "
एम.एन.पी. में स्वीकृत			
23.	सम्पर्क सड़क खोखसर कानोड़ से गिड़ा सड़क से किमी. 13/	13.00	164/7.6.95 "
24.	सवाऊ पदमसिंह से रतेऊ	4.00	–,,– "
25.	सम्पर्क सड़क सणतरा बाड़मेर बागुण्डी सड़क किमी. 16	16.00	–,,– "
26.	कानोड़-परेऊ से लेगो की ढाणी किमी. 5	10.00	164/7.6.95 " सा. नि. वि. बाड़मेर
27.	कानोड़-परेऊ सेसोहड़ा किमी. 5	10.00	–,,– "
ज.रो.यो.-II से स्थानान्तरित			
28.	मेटल सड़क आसोतरासे बिठूजा किमी. 0/0 से 2/0	5.00	627-635/29.7.95
29.	–,,–2/0 से 4/0	5.00	–,,–
30.	–,,–4/0 से 5/5	3.75	–,,–
31.	पचपदरा से बागुण्डी बाड़मेर किमी. 45/0 से 47/5 को चौड़ा करने का कार्य	5.00	–,,–
32.	–,,–47/5 से 50/0	5.00	–,,–
33.	–,,–50/0 से 52/0	5.00	–,,–
ती.जि.ती. का योजना			
34.	बालोतरा खेड़ सड़क से सम्पर्क सड़क हनुमान नाड़ी को चौड़ा करने [illegible]करण का कार्य	2.10	1343-48/27.12.95

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
बाड़मेर

अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय

7. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक गृह मंत्री एवं राज्य के अन्य पुलिस अधिकरियों द्वारा अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में विभिन्न जिलों की यात्रा की गई थी? यदि हां, तो किस-किस द्वारा किस-किस जिले की यात्रा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रा के समय गृह मंत्री/पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा स्थानीय सांसद/विधायकों से भी विचार विमर्श किया गया? यदि हां, तो किस-किस से? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में उक्त अधिकारियों के जिलों पर दौरे पर जाने पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उनसे सहयोग लेने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एक अप्रैल, 1995 से 31 मार्च,1996 तक गृह मंत्री एवं राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों की यात्राओं, जिनमें अपराधों की रोकथाम बाबत भी समीक्षा की गई, करी गई। सूचना परिशिष्ट "क-1" व "क-2" पर संलग्न है।

(2) यात्राओं के दौरान आवश्यकतानुसार समय-समय पर जन प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाता है। जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श/सम्पर्क का अभिलेख संधारित नहीं होने से उक्त विवरण देना सम्भव नहीं है।

(3) गृह मंत्रीजी जब यात्रा पर किसी जिले में जाते हैं तो उसकी सूचना संबधित विधायकों को दी जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जब किसी जिले में जाते हैं तो कार्य की आवश्यकतानुसार वह वहां के सांसद/विधायकों से भी मिलते हैं।

366

परिशिष्ट–क

श्री कैलाश मेघवाल, माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न जिलों में किये गये दौरों की सूचना

क्र.सं. दिनांक दौरा	स्थान	जिला
1. 9.4.95	अलीगढ़	टौंक
2. 13.5.95	छापड़ा	झुन्झुनू
3. 29.5.95	बेगू	चित्तौड़गढ़
4. 5.6.95	अजमेर	अजमेर
5. 8.6.95	मारवाड़ जंक्शन	पाली
6. 11.6.95 से 12.6.95	सुमेरपुर	पाली
	अजमेर	अजमेर
7. 18.6.95	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
8. 20.6.95 से 22.6.95	बिजोलिया	भीलवाड़ा
	शाहपुरा	भीलवाड़ा
	उदयपुर	उदयपुर
9. 29.6.95 से 30.6.95	उदयपुर	उदयपुर
10. 5.7.95	बड़ला	भीलवाड़ा
11. 9.7.95 से 10.7.95	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
12. 17.7.95	भीलवाड़ा, फूलियाकला	भीलवाड़ा
13. 4.8.95 से 5.8.95	भीलवाड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा	भीलवाड़ा
	अजमेर	अजमेर
14. 7.8.95 से 9.8.95	भीलवाड़ा, बिलाड़ा	भीलवाड़ा
15. 14.8.95 से 18.8.95	शाहपुरा	भीलवाड़ा
16. 28.8.95 से 31.8.95	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
	अजमेर	अजमेर
16.ए 18.9.95 से 20.9.95	भीलवाड़ा, शाहपुरा	भीलवाड़ा
16. बी 24.9.95	छारसा	जयपुर
17. 26.9.95 से 27.9.96	सूरडिया	भीलवाड़ा

क्र.सं.	दिनांक दौरा	स्थान	जिला
18.	2.10.95	चिराणा	सीकर
19.	4.11.95	अजमेर	अजमेर
20.	6.11.95	मकराना	नागौर
21.	7.11.95 से 8.11.95	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
22.	18.11.95	बड़ला	भीलवाड़ा
23.	26.11.95	उदयपुर	उदयपुर
24.	29.11.95	कांस्या	भीलवाड़ा
25.	1.12.95 से 2.12.95	श्री डूंगरगढ़	चुरु
26.	5.12.95 से 6.12.95	उदयपुर	उदयपुर
27.	23.12.95 से 24.12.95	टौंक	टौंक
		कोटा	कोटा
28.	4.1.96	जैतारण	पाली
29.	6.1.96 से 7.1.96	अजमेर	अजमेर
		भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		आमेट	राजसमन्द
30.	12.1.96 से 13.1.96	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		अजमेर	अजमेर
31.	23.1.96 से 26.1.96	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
		बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
32.	20.1.96	मकराना	नागौर
33.	1.2.96	शाहपुरा	भीलवाड़ा
34.	8.2.96 से 9.2.96	अजमेर	अजमेर
		पाली	पाली
35.	14.2.96	अलवर	अलवर
36.	24.2.96 से 25.2.96	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
37.	1.3.96	हिन्डौन सिटी	स. माधोपुर
38.	9.3.96 से 10.3.96	शाहपुरा	भीलवाड़ा

368

परिशिष्ट "ख"

पुलिस के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए दौरों की सूचना

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	दिनांक दौरा	जिला
1.	श्री देवेन्द्र सिंह,	7.12.95 से 9.12.95	अजमेर
	महानिदेशक पुलिस, राजस्थान	14.12.95 से 16.12.95	उदयपुर
		29.12.95	जोधपुर
		29.1.96	मकराना
		9.2.96 से 11.2.96	बीकानेर
		17.2.96 से 18.2.96	कोटा
2.	श्री अमिताभ गुप्ता, अति. महानिदेशक पुलिस (प्रशासन) राजस्थान	30.1.96	दौसा
3.	श्री श्यामप्रताप सिंह राठौड़,	4.5.95 व 24.1.96	अजमेर
	अति. महानिदेशक पुलिस	11.5.95	उदयुपर
		26.5.96	बहरोड़
		31.5.96	बीकानेर
		16.1.96	धौलपुर
		1.3.96	किशनगढ़
		18.1.96	धौलपुर
		8.3.96	अलवर
		1.3.96	किशनगढ़
		28.1.96	मकराना
		6.2.96	भिवाड़ी, किशनगढ़ (अलवर)
		26.4.96	गंगानगर

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	दिनांक दौरा	जिला
4.	श्री अशोक भण्डारी, अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टे) राजस्थान		अजमेर
5.	श्री बलभद्रसिंह राठौड़, महानिरीक्षक पुलिस, आरएसी, राज.	13.8.95	सिरोही
		22.8.95	अजमेर
6.	श्री नमोनारायण मीणा, महानिरीक्षक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान	25.8.95	राजसमन्द
		11.9.95	टौंक
		15.10.95	नागौर
		29.1.96	नागौर
		1.3.96	स. माधोपुर
7.	श्री एस.एन. जैरथ, महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना एवं कल्याण, राजस्थान	6.12.95	उदयपुर
		21.12.95	बीकानेर
		25.12.95	कोटा
		20.1.96	पाली

मदिरा विक्रय केन्द्रों की निगरानी हेतु गठित समितियां

8. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि देशी व विदेशी शराब की बिक्री हेतु स्वीकृत दुकानों की निगरानी हेतु प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है।

(2) यदि हां, तो झुन्झुनूं जिले में इस कमेटी की जनवरी, 1995 से मई, 1996 के बीच कितनी बार किस-किस तिथि को बैठक हुई ?

(3) इस कमेटी की बैठकें कौन बुलाता है तथा इस कमेटी में किन-किन विषयों सम्बन्धी चर्चा की जा सकती है? क्या इस कमेटी का निर्णय मान्य होता है, या यह कमेटी सिर्फ सुझाव ही दे सकती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 4 (20) वित्त/आब/95., दिनांक 17.4.95 द्वारा शराब की स्वीकृत दुकानों के लोकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने हेतु एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

(2) झुन्झुनूं जिले में माह जनवरी, 95 से मई, 96 के बीच एक बार दिनांक 25.5.95 को कमेटी की बैठक हुई है।

(3) कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर द्वारा इसकी बैठक बुलाई जाती है। बैठक में शराब की दुकानों के स्वीकृत लोकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर विचार किया जाता है। यदि जनहित में मदिरा दुकान के स्वीकृत स्थल को परिवर्तन की अनुशंषा करने का निर्णय समिति द्वारा लिया जाता है तो उपलब्धता के दृष्टिगत वैकल्पिक स्थान का सुझाव भी समिति को देना होता है। कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय को आबकारी विभाग स्वीकार करता है एवं तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं का भर्ती प्रकरण

9. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की सीधी भर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो कितने अभ्यार्थियों ने अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये?

(2) साक्षात्कार हेतु बुलाये अभ्यार्थियों की मेरिट कितने प्रतिशत रही तथा कितने पदों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती की गई? मेरिट प्रतिशत मय नाम एवं पता सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

कुल प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का विवरण : —

सिविल	विद्युत	यांत्रिक
1317	443	245

(2) साक्षात्कार हेतु योग्यता क्रम से बुलाये गये अभ्यार्थियों की प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है। कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) के 80, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के 11 एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के 2 पदों पर चयनित अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। मैरिट प्रतिशत मय नाम एवं पता सहित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला नागौर के विभिन्न चिकित्सालयों की एक्स-रे मशीनें

10. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला नागौर के किन-किन चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें लगी हुई हैं और कहां-कहां पर एक्स-रे तकनीशियनों के पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त एक्स-रे मशीनें कहां-कहां पर कब-कब से खराब हैं तथा गत वर्ष और चालू वर्ष में कौन-कौन सी मशीन कब से कब तक चालू रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एक्स-रे मशीनें अधिक समय तक खराब रहने के क्या कारण हैं और इन कारणों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) जिला नागौर में उपलब्ध कराई गई एक्स-रे मशीनों एवं एक्स-रे तकनीशियनों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नागौर जिले के अस्पतालों की एक्स-रे मशीन में से निम्न अस्पतालों की मशीनें उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि से खराब है : —

1- राजकीय चिकित्सालय डीडवाना–28-7-94

2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा–8-4-94

गत वर्ष राजकीय चिकित्सालय लाडनूं की एक्स-रे मशीन अगस्त 95 में खराब हुई थी, जिसे 15-3-96 को ठीक करा दिया गया है एवं वर्तमान में चालू हालत में है। इनके अतिरिक्त शेष समस्त एक्स-रे मशीनें चालू हालत में हैं।

(3) एक्स-रे मशीन समय पर ठीक नहीं होने के मुख्य कारण मशीन के स्पेयर

(372)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पार्टस समय पर उपलब्ध नहीं होना तथा इंजीनियर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही न करना है। सरकार द्वारा मशीनों को तत्काल ठीक कराये जाने हेतु एक परिपत्र जारी किया हुआ है जिसमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों को खराब मशीनों को ठीक करवाने हेतु पाबन्द किया गया है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कम्पनी को भी लिखा गया है।

जिला नागौर में एक्स-रे तकनीशियन (रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का विवरण)

क्र.सं. संस्थान का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त विवरण है
1. जिला क्षय निवारण केन्द्र, नागौर	1	5/90 से
2. राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	1	7/95 से
3. –यथा– परबतसर	1	10/95 से
4. –यथा–नॉवां	1	10/92 से
5. –यथा–डीडवाना 2	1	पद 8/94 से
	1	पद 2/95 से
6. सामुदायिक स्वा.केन्द्र, मकराना	1	स्वीकृति से (2 पद स्वीकृत है)
7. –यथा–रियावड़ी	1	स्वीकृति से
8. –यथा–मौलासर	1	2/96 से
9. –यथा–लालास	1	स्वीकृति से
10. –यथा–कुचेरा	1	5/95 से
11. –यथा–छोटीखाटू	1	स्वीकृति से
12. –यथा–डेगाना	1	स्वीकृति से
13. –यथा–निम्बीजोधा	1	स्वीकृति से

(जिला नागौर के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध एक्स-रे मशीनों का विवरण)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	क्रम संख्या	संस्थान का नाम
1.	जिला चिकित्सालय, नागौर	9.	–यथा–मेड़ता सिटी
2.	जिला क्षय निवारण केन्द्र, नागौर	10.	–यथा–जायल
3.	राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	11.	–यथा–रियावाड़ी
4.	–यथा–परबतसर	12.	–यथा–मौलासर
5.	–यथा–नॉवां	13.	–यथा–लालास
6.	–यथा–डीडवाना	14.	–यथा–कुचेरा
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकराना	15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरावड़
8.	–यथा–कुचामन सिटी	16.	यथा – नोखा चन्द्रावता

मजरा अजयपुरा (कुम्हेर) का राजस्व ग्राम में परिवर्तन

11. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील कुम्हेर में ग्राम सिकरोरी के मजरा अजयपुरा को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग विभाग के समक्ष जिला स्तर या उसके ऊपर के स्तर पर विचारधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है?

(2) क्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जो मजरा पृथक से राजस्व ग्राम घोषित होना चाहिए उनके सम्बन्ध में सरकार अपने स्वविवेक से कार्यवाही कर उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, कुम्हेर तहसील के ग्राम सिकरोरी के मजरा अजयपुरा को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 23-2-94 को समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिये हैं कि राजस्व ग्राम घोषित करने की ग्रामीणों की मांग हो अथवा नहीं, यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते है कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढ़ाणियों में बसी है, और उनका क्षेत्र काफी फैला हुआ है,

374

(राजस्व मंत्री)

तो वे अपने स्तर से यह प्रस्ताव जिला कलक्टर, राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवायें। इन्हें यह भी निर्देश दिये हैं कि ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांवों की आबादी 250 से कम नहीं हो तथा क्षेत्र की दृष्टि से भी वह सुगठित व सुविधाजनक रहे।

कमजोर वर्गों हेतु स्वीकृत केन्द्रीय योजनायें

12. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनायें राज्य के लिये स्वीकृत की गई हैं तथा उनमें कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्राप्त सूचनानुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिये राज्य के लिए मुख्य स्वीकृत योजनाएं एवं उनके लिए आवंटित राशि निम्नानुसार हैं : —

योजनाएं	आवंटित राशि (लाखों में)
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	552.07
2. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	202.67
3. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	266.89
4. ग्रामीण समूह बीमा योजना	4.65
5. गांधी ब्लाक योजना	80.00
6. प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम	506.27

राज्य के थानों में दर्ज हरिजन उत्पीड़न प्रकरण

13. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) एवं श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रदेश में वर्ष 1995 से जून 1996 तक हरिजन उत्पीड़न के कुल कितने प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज किए गए और उनमें से कितने प्रकरण जांच उपरान्त न्यायालय में पेश किये जा सके तथा कितने प्रकरण में एफ.आर. दे दी गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न प्रकरणों की संख्या में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कोई मुकम्मल कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या?

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1995 से 1 जून, 1996 तक हरिजन उत्पीड़न के कुल 8844 प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज किये गये। उक्त प्रकरणों में से वाद तफ्तीश 3373 मुकदमों में चालान व

(गृह मंत्री)

4215 मुकदमों एफ.आर. दी गई। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। कानूनी प्रावधानानुसार ऐसे अभियोगों का अन्वेषण उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। जिसकी समीक्षा एवं नियन्त्रण सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक इस सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन उप-महानिरिक्षक पुलिस रेंज एवं पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करते है। जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि अनु.जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ कोई अत्याचार एवं उत्पीड़न ना हो। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष न्यायालय गठित कर प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार उत्पीड़न के मामले रोकने के लिए पूर्णतया सजग है जिन प्रकरणों में परिवादी अनुसंधान से संतुष्ट नहीं होता है उन प्रकरणों के अनुसंधान एवं समीक्षा हेतु जिलाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है जो हर महीने ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करती है एवं उचित दिशा निर्देश जारी करती है। राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों की रोकथाम तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही के प्रति निरन्तर सजग तथा प्रयत्नशील है जिसके फलस्वरूप राज्य में इस प्रकार के अपराध क्षेत्र विशेष में अथवा संगठित गिरोह द्वारा नहीं किये गये है।

परिशिष्ट "क"

अनु.जाति/जनजाति वर्गों पर अत्याचारों से सम्बन्धित अपराधों का विवरण वर्ष, 1995

क्रम	नाम जिला	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. अदम वकू	एफ.आर. अदमवता	एफ.आर. अदम सबूत	पेन्डिंग पुलिस
1.	अजमेर	173	63	83	-	-	27
2.	भीलवाड़ा	279	113	151	-	-	15
3.	नागौर	263	86	157	3	-	17
4.	जयपुर शहर	150	53	84	-	-	13
5.	जयपुर ग्रा.	341	125	173	-	-	43
6.	झुंन्झूनू	163	85	63	-	-	15
7.	सीकर	177	82	78	-	-	17
8.	टोंक	338	139	166	1	-	32

376

क्रम	नाम जिला	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. अदम वकू	एफ.आर. अदमवता	एफ.आर. अदम सबूत	पेन्डिंग पुलिस
9.	दौसा	93	29	47	1	-	16
10.	बीकानेर	159	55	81	-	-	23
11.	चुरु	153	61	82	-	-	10
12.	श्रीगंगानगर	331	143	173	-	-	15
13.	हनुमानगढ़	218	83	124	2	-	9
14.	भरतपुर	229	85	127	2	1	14
15.	अलवर	213	76	121	-	-	16
16.	सवाईमाधोपुर	245	67	163	1	-	14
17.	धौलपुर	283	121	145	2	-	15
18.	जोधपुर	259	118	133	2	-	6
19.	जालौर	150	56	80	-	2	12
20.	जैसलमेर	49	22	25	-	-	2
21.	बाड़मेर	141	75	64	-	-	2
22.	पाली	267	137	117	-	-	13
23.	सिरोही	109	56	52	1	-	-
24.	कोटा शहर	93	41	47	-	-	5
25.	कोटा ग्रा.	177	81	93	1	-	2
26.	झालावाड़	241	103	131	1	1	5
27.	बूंदी	144	74	68	-	-	2
28.	बारां	164	92	64	1	-	7
29.	उदयपुर	178	67	97	-	3	11
30.	बांसवाड़ा	155	70	83	1	-	1
31.	चित्तौड़गढ़	226	122	101	-	-	3
32.	डूंगरपुर	57	32	18	1	-	6
33.	राजसमन्द	111	62	47	-	2	-
34.	जीआरपी	14	6	7	1	-	-
	योग	6343	2680	3245	21	9	388

377

परिशिष्ट "क"

अनु.जाति/जनजाति वर्गों पर अत्याचारों से सम्बन्धित अपराधों का विवरण
1 जनवरी, 96 से जून, 1996 तक

क्रम	नाम जिला	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. अदम वकू	एफ.आर. अदमवता	एफ.आर. अदम सबूत	पेन्डिंग पुलिस
1.	अजमेर	79	21	30	-	-	28
2.	भीलवाड़ा	130	30	45	-	-	55
3.	नागौर	109	25	39	-	-	45
4.	जयपुर शहर	51	16	18	-	-	17
5.	जयपुर ग्रा.	93	27	37	-	-	29
6.	झुंझुनू	52	19	13	-	-	
7.	सीकर	49	11	22	-	-	16
8.	टोंक	110	32	42	-	-	36
9.	दौसा	17	4	4	-	-	9
10.	बीकानेर	57	15	23	-	-	19
11.	चुरु	82	34	37	-	-	11
12.	श्रीगंगानगर	162	36	80	-	-	46
13.	हनुमानगढ़	99	16	51	-	-	32
14.	भरतपुर	104	18	54	1	-	31
15.	अलवर	86	18	35	-	-	33
16.	सवाईमाधोपुर	118	8	31	-	-	78
17.	धौलपुर	111	36	26	-	-	49
18.	जोधपुर	80	24	24	-	-	32
19.	जालौर	50	18	16	-	-	16
20.	जैसलमेर	16	8	6	-	-	2
21.	बाड़मेर	46	18	15	-	-	13
22.	पाली	85	24	39	-	-	22
23.	सिरोही	44	19	19	-	-	6
24.	कोटा शहर	36	18	7	-	-	11

378

क्रम	नाम जिला	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. अदम वकू	एफ.आर. अदमवता	एफ.आर. अदम सबूत	पेन्डिंग पुलिस
25.	कोटा ग्रा.	76	26	18	-	-	32
26.	बूंदी	68	15	31	-	-	22
27.	झालावाड़	112	21	48	-	1	42
28.	बारां	125	55	24	-	-	46
29.	उदयपुर	51	13	29	-	-	9
30.	बांसवाड़ा	46	15	18	-	-	13
31.	चित्तौड़गढ़	86	27	34	-	-	25
32.	डूंगरपुर	21	7	6	-	-	8
33.	राजसमन्द	46	17	14	1	-	14
34.	जीआरपी	4	1	2	-	-	1
	योग	2501	693	937	2	1	868

राजकीय उपक्रमों में पूंजी निवेश

14. श्री रूपाराम (मकराना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने राजकीय उपक्रम हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन उपक्रमों में सन् 1995-96 तक कितनी धनराशि का निवेश हुआ?

(3) इनमें कौन-कौन से उपक्रम कितने घाटे या लाभ में चल रहे हैं?

(4) घाटे वाले उपक्रमों के बारे में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अन्तर्गत वर्तमान में 41 राजकीय उपक्रम हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 1.4.1995 तक विभिन्न राजकीय उपक्रमों में कुल 1252.56 करोड़ रुपये की अंश पूंजी के रूप में विनियोजन था। विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) हानि व लाभ में चल रहे राजकीय उपक्रमों की सूची परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(4) घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सरकार की नीति है कि उनके पुनर्जीवन की संभावना, घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता एवं श्रमिक

(मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री)

हित जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए, प्रत्येक उपक्रम की परिस्थितियों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झालावाड़ एवं बारां में पुलिया निर्माण

15. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में पुलों की कमी को दूर करने के लिए निजी कम्पनियों से अनुबन्ध करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना के तहत बारां व झालावाड़ जिलों में कितनी पुलिया निजी कम्पनियों के साथ अनुबन्ध कर बनवाई जा रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि निजी कम्पनियां झालावाड़ व बारां जिले के अकलेरा व छबड़ा उपखण्ड में आने वाली रियासत काल की रपटों पर यातायात तुलनात्मक कम होने के कारण तथा नई पुलिया के निर्माण कार्य पर खर्च राशि लाभदायक नहीं होने के कारण पुलिया बनाने में रूचि नहीं रखती है?

(3) क्या सरकार झालावाड़ व बारां जिलों में जहां निजी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस शताब्दी के अन्त तक वह कौन-कौन सी रपटें हैं जहां नई पुलिया का निर्माण करवाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) राज्य में पुलों के निर्माण हेतु निजी कम्पनियों से अनुबन्ध करने की सरकार की योजना विचाराधीन है परन्तु इस योजना के तहत बारां व झालावाड़ जिलों में किसी भी पुलिया का निर्माण कराना अभी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा झालावाड़, बारां जिले में किसी भी पुलिया का प्रस्ताव किसी भी निजी कम्पनी से निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं है। राज्य में पुलों के निर्माण के लिए निजी कम्पनियों द्वारा बी.ओ.टी. के आधार पर उन्हीं पुलों की प्रोजेक्ट्स की निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो यातायात के अनुसार जो धनराशि पुलों पर लगाई जाए टोल द्वारा पुर्नभरण हो सके। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाये जा रहे है और जो भी प्रोजेक्ट उपरोक्तानुसार फिजिबल पाये जाते है उन्हीं की निविदायें आमंत्रित की जाती है।

(3) जिला झालावाड़ में 26 स्थानों पर व बारां जिले के 19 स्थानों पर रपटें है इनकी सूची सलंग्न प्रपत्र "क" में है। इन सभी रपटों पर पुलिया बनाने के लिए मास्टर प्लान बना लिया गया है। इसके अनुसार पुलियाएं निर्माण कराना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अब तक इनमें से बारां जिले में 6 व जिला झालावाड़ में 3 स्थानों पर पुलिया निर्माण करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनकी निर्माण की स्थिति संलग्न प्रपत्र "ख" में दी गयी है।

380

प्रपत्र "क"

जिला बारां, झालावाड़ में जहां छोटी व बड़ी नदियों पर पुराने समय से बने रपटों की सूची

क्र.सं.	स्थान का नाम	नदी/नाले का नाम	कि.मी.
1.	2.	3.	4.
	जिला बारां :		
1.	कोटा बारां शाहबाद शिवपुरी सड़क (रा.रा.मार्ग नं. 17)	बमोरी खाड़ी	48
2.	–"–	गरावली नदी	111
3.	–"–	कुनू नदी	161
4.	बारां खानपुर झालावाड़ सड़क (रा.रा. मार्ग नं.19)	–"–	6
5.	–"–	पर्वन नदी	21
6.	बारां, अटरु, गवघाट कवाई छिपाबड़ोद अकलेरा सड़क (एम.बी.आर. 4)	–"–	4
7.	–"–	–"–	–"–
8.	–"–	घोघरा नाला	36 (35/600)
9.	–"–	भूपसी नदी	55 (54/600)
10.	–"–	ल्हासी	71
11.	–"–	–"–	76
12.	गवघाट बड़ौदा सड़क	पर्वन नदी	1 (0/150)
13.	छिपाबड़ौद हरनावदा सड़क	–"–	7
14.	मांगरोली बमोरी कला सड़क	स्कालपेपीखाल	6
15.	कवाई छबड़ा सड़क	ल्हासी नदी	62
16.	कोटा बारां शाहबाद शिवपुरी सड़क (रा.मार्ग नं. 17)	काली सिंध नदी	41/42
17.	–"–	पार्वती नदी	84
18.	बारां अटरु सालपुरा छिपाबड़ोद अकलेरा (एस.एच.नं.19 ए)	पाथेड़ा नाला	3
19.	–"–	ल्हासीं नदी	65

जिला झालावाड़ :

1. जयपुर जबलपुर सड़क रा.उ.मार्ग नं.12	काली सिंध नदी (तीन धार)	346
2. –"–	धार नदी	376
3. –"–	चन्द्रभागा नदी	337/800
4. बारां खानपुर झालावाड़ भवानीमण्डी डग आगार सड़क (रा.रा. मार्ग 19)	खरण्ड नदी	55/425
5. –"–	उनाड़ नदी	55/2425
6. –"–	सिलगढ़ नदी	151/74
7. –"–	करावन नदी	159/26
8. –"–	धनारियो नदी	166/200
9. बारां खानपुर झालावाड़ भवानीमण्डी डग आगार सड़क (रा.रा. मार्ग 19)	आक्यासरी नदी	168/182
10. –"–	खाल	170/100
11. –"–	क्यासरा नदी	183/04
12. पाटन आगार सड़क	जहूकरया खाल	3/632
13. –"–	पीपलोद खाल	9/528
14. –"–	बीन्दा खाल	10/677
15. –"–	चावली नदी	34/2
16. छबड़ा छिपाबड़ोद अकलेरा मनोहर थाना सड़क	पर्वन नदी	103
17. –"–	ब्रेवज नदी	117
18. –"–	(मनोहर थाना के पास नदी)	114
19. –"–	तुरकड़िया खाल	109
20. चोमेहला सीतामोहु सड़क	छोटी काली सिंध नदी	20/100
21. खानपुर देहीखेडा पनवाड़ सड़क	खरण्ड नदी	9/200
22. –"–	उजाड़ नदी	10
23. रिछवा भालता रतलाई सड़क	–"–	11
24. –"–	वीरगंगा	18

25. झालावाड़ गागरोन सड़क — काली सिंध नदी — 6

26. बारां खानपुर भवानीमण्डी डग आगार रोड़ (रा.रा. मार्ग नं.19) — –"– — 79/542

जिला बारां	19 नदी/नाले
जिला झालावाड़	26 नदी/नाले
योग	45 नदी/नाले

प्रपत्र "ख"

जिला झालावाड़ एवं जिला बारां में जिन स्थानों पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी उनके निर्माण की स्थिति की सूची–

प्रपत्र "ख"

क्र.	जिले का नाम	सड़क का नाम	नदी/नाले का नाम	कि. मी.	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बारां	कोटा बारां शाहबाद, शिवपुरी सड़क (एच.एच.17)	काली सिंध नदी	41/42	पुलिया का काम राज.राज्य पुल नि. निगम द्वारा कराया जा रहा है।
2.	–"–	–"–	पारवती नदी	84	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3.	–"–	–"–	कुनू नदी	161	कार्य आर.एस.बी.सी. द्वारा कराया जा रहा है।
4.	–"–	कोटा, बारां, अटरु, सालपुरा, छिपाबड़ोद, इकलेरा सड़क (एस.एच.19 ए)	पाथेड़ा नाला	3	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	–"–	–"–	ल्हासी नदी	65	कार्य प्रगति पर है एवं 3/97 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(383)

1	2	3	4	5	6
6.	–"–	–"–	ल्हासी नदी	71	कार्य प्रगति पर है। कार्य 9/96 तक पूरा हो जावेगा।
7.	झालावाड़	बारां खानपुर झालावाड़ भवानी मण्डी डग आगर रोड़ (एस.एच. 19)	खरड़ नदी	55/425	कार्य 3/97 तक पूरा होने की सम्भावना है।
8.	–"–	कोटा झालावाड़ इकलेरा मार्ग (एम.एच.12)	काली सिंध नदी	346	निविदाएँ विचाराधीन है।
9.	–"–	–"–	चन्द्रभागा नदी	337/800	कार्य 12/96 तक पूरा होने की सम्भावना है।

विधानसभा क्षेत्र मूण्डवा में चिकित्सा केन्द्र

16. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र मूण्डवा में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितने चिकित्सा सब-सेन्टर खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार लालाप-फिरोजपुरा माइडन में सब-सेन्टर खोलने का विचार रखती है?

(2) विधानसभा क्षेत्र मूण्डवा में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? क्या सरकार खधवाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वार्षिक योजना 1994-95 में उपकेन्द्र खोले जाने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में उपकेन्द्र नहीं खोले गये। वार्षिक योजना 1995-96 में पंचायत समिति मूण्डवा में उपकेन्द्र नहीं खोला गया, क्योंकि पंचायत समिति में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये एवं केवल 3 ही ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां कोई चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं थे।

ग्राम लालाप ग्राम पंचायत डेहरू में स्थित है जहां उपकेन्द्र स्वीकृत है। ग्राम

(384)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

फिरोजपुरा पंचायत गोठड़ा में स्थित है तथा इसके ग्राम भड़ाणा में उपकेन्द्र स्वीकृत है। अतः दोनों ग्रामों में उपकेन्द्र स्थापित किये जाने सम्भव नहीं हैं।

(2) पंचायत समिति मूंडवा में वर्ष 1994-95 में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ। वर्ष 1995-96 में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये।

वार्षिक योजना 1996-97 में राज्य के अन्य ग्रामों के साथ ग्राम खधवाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर उपादेयता के आधार पर विचार किया जायेगा।

उप-तहसील करेड़ा (माण्डल) का क्रमोन्नयन

17. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) नई तहसील घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या इस वर्ष सरकार ने नई तहसीलें खोलने की घोषणा की है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील की लम्बाई एक छोर से दूसरे छोर तक 100 किलोमीटर है और माण्डल कस्बा इस तहसील क्षेत्र के पूर्वी किनारे पर स्थित है जिससे लोगों को तहसील से सम्बधित छोटे से कार्य के लिए भी 100 कि.मी. की दूरी पार करनी पड़ती है?

(4) क्या सरकार माण्डल तहसील की करेड़ा उप-तहसील को नागरिकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माण्डल तहसील की सीमा अजमेर भीलवाड़ा हाइवे न. 4 पर 126वें किलोमीटर से प्रारम्भ होकर दूसरे छोर जिला राजसमंद तहसील भीम की सीमा तक लगभग 93 किलोमीटर है।

(2) यह सही नही है कि ग्रामीणों को छोटे से कार्य के लिये तहसील मुख्यालय जाना होता है, क्योंकि इस तहसील में पूर्व से उप-तहसील करेड़ा कार्यरत है।

इस वर्ष 1996 में राज्य में 5 नई तहसीलें तथा 11 उप-तहसीलों को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा दिया गया है, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नई तहसील स्थापित करने हेतु मजीठिया समिति ने एक तहसील में औसतन 40 पटवार मण्डल, रेगिस्तानी क्षेत्र में 30 पटवार मण्डल तथा आदिवासी क्षेत्र

(385)

(राजस्व मंत्री)

में 20 पटवार मण्डल तथा तदानुसार गिरदावर सर्किल का मापदण्ड निर्धारित किया है।

(4) उक्त मापदण्डों को दृष्टिगत रखते उप-तहसील करेड़ा को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है।

वर्ष 1996 में नई स्थापित तहसीलों की सूची

क्र.सं. नाम जिला	नई स्थापित तहसील का नाम
1. अजमेर	1. मसूदा
	2. पीसांगन
2. बाड़मेर	3.रामसर
3. बीकानेर	4. खाजूवाला
4. टोंक	5. पीपलूं
उप तहसीलों से क्रमोन्नत की गई तहसीलें	
5. नागौर	6. खींवसर
	7. मकराना
6. अजमेर	8. भिनाय
7. अलवर	9. कठूमर
	10. कोटकासिम
8. धौलपुर	11. सेपऊ
9. जोधपुर	12. लूणी
10. बूंदी	13. इन्द्रगढ़
11. बारां	14. अन्ता
12. बीकानेर	15. पूंगल
13. जैसलमेर	16. फतहगढ़

मेवात विकास बोर्ड द्वारा पंचायतों को स्वीकृत राशि

18. श्री अरुणसिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? गठन के पश्चात् कितनी राशि इस बोर्ड के लिए दी गई?

(2) इस योजना के तहत कौनसी पंचायत समितियां आती है और इसकी मीटिंग कब और कहां होती हैं? इस योजना के अन्तर्गत किस-किस पंचायत समिति को कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में दी गई?

(3) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को मेवात विकास बोर्ड की सभाओं में नहीं बुलाया गया तथा इससे सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन 20 फरवरी, 1987 को किया गया। गठन के पश्चात् इस योजनान्तर्गत वर्षवार

(राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन) की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "अ"

(2) इस योजना के अन्तर्गत अलवर जिले की सात पंचायत समितियां (गोविन्दगढ मुख्यालय, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़बास, कठूमर, मुण्डावर व उमरेन) तथा भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियां (नगर, डीग एवं कामां) आती हैं।

मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बैठक बोर्ड अध्यक्ष की सहमति से उनकी सुविधानुसार जयपुर या मेवात क्षेत्र में किसी स्थान पर रखी जाती है। योजना के संचालन हेतु इस विभाग से राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को आवंटित की जाती है। पंचायत समिति को कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है।

(3) मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 5 जनवरी, 1991 को हुई थी, इसके पश्चात् बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

उक्त तिथि के पश्चात बैठक आयोजित नहीं होने के कारण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

मेवात योजनान्तर्गत वर्षवार आबंटन का ब्यौरा

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रू. में)
1987-88	64.69
1988-89	94.24
1989-90	37.58
1990-91	39.67
1991-92	100.00
1992-93	100.00
1993-94	99.98
1994-95	300.00
1995-96	199.86
योग	**1036.02 लाख**

मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बैठक दिनांक 5 जनवरी, 1991 के पश्चात् आयोजित नहीं करने के निम्न कारण रहें-

1. मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक आयोजित् करने हेतु पत्रावली दिनांक 22.9.92 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भिजवायी गयी, बैठक 3 नवम्बर, 1992 को आयोजित करने हेतु सहमति प्रदान हुई, लेकिन तत्पश्चात् मुख्य मंत्री महोदय को व्यस्तता के कारण मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार यह बैठक स्थगित करदी गयी।

2. उप शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के आदेश दिनांक 13.1.93 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित राज्य स्तरीय, सम्भागीय स्तर पर एवं जिला स्तरीय विभिन्न समितियों में मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप मेवात विकास मण्डल का गठन स्वतः ही रद्द हो गया।

(राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

3. 21.3.94 को पत्रावली पुनः बोर्ड की मीटिंग हेतु प्रस्तुत की गयी, लेकिन इसी दौरान पंचायतों के चुनाव घोषित हो जाने के फलस्वरूप बैठक चुनाव के पश्चात् करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि मेवात विकास बोर्ड के जिला प्रमुख भी सदस्य हैं।

4. मुख्य मंत्री महोदय की व्यस्तता को देखते हुए मेवात विकास मण्डल का पुनर्गठन मंत्री, विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया। पुनर्गठन आदेश दिनांक 22.3.95 को जारी किये गये।

5. 17.7.95 को विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले वर्ष 1995-96 के प्रस्तावों को कार्यकारी समिति से अनुमोदित करवा लिया जावे, ताकि बाद में इन प्रस्तावों पर भी मण्डल से सहमति प्राप्त की जा सके, लेकिन कार्यकारी समिति को दिनांक 28.9.95 को हुई बैठक के पश्चात् लोक सभा चुनाव घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी।

इस प्रकार प्रत्येक बार पत्रावली प्रस्तुत करने पर भी अपरिहार्य कारणों से मेवात विकास मण्डल की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को अतिरिक्त कार्यभार

19. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों को अध्यापन के अलावा अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं? यदि हां, तो किसे, कब से किस पद की अन्य जिम्मेदारी सौंपी हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य अतिरिक्त भार के लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता या राशि व अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(3) इस प्रकार अतिरिक्त कार्यभार के आदेश किसके द्वारा प्रसारित किये जाते हैं व इसके क्या नियम हैं?

उत्तर

(1) हां। विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों को अध्यापन के अलावा अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं।

विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) निम्नांकित प्रशासनिक पदों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि दी जाती है : —

(उच्च शिक्षा मंत्री)

1. प्रिंसीपल–रु. 300/- प्रतिमाह

   उप प्राचार्य–रु. 200/- प्रतिमाह

2. चीफ प्रोक्टर–रु. 300/- प्रतिमाह

   एसी. प्रोक्टर–रु. 200/- प्रतिमाह

   वार्डन–रु. 100/-प्रतिमाह (यात्रा भत्ता)

3. वार्डन–चीफ वार्डन रु. 200/- प्रतिमाह

4. गार्डन इंचार्ज–रु. 100/- प्रतिमाह

5. निदेशक, एकेडेमिट स्टाफ कालेज–रु. 500/- प्रतिमाह

6. अधिष्ठता, छात्र कल्याण–रु. 300/- प्रतिमाह

7. सह अधिष्ठता, छात्र कल्याण–रु200/- प्रतिमाह

प्राचार्य, उप प्राचार्य, चीफ वार्डन, चीफ प्रोक्टर, एसी. प्रोक्टर को नियमानुसार आवासीय, टेलीफोन बिल के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

चीफ वार्डन एवं वार्डनों को नियमानुसार आवास सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(3) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय में नियम बने हुये हैं। जिनके आधार पर कुलपति द्वारा विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां की जाती हैं। अन्य पदों पर कुलपति तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षमता व योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय हित में अतिरिक्त कार्यभार के आदेश प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों को अध्यापन के अलावा अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

क्र.सं.	अध्यापक का नाम व विभाग		प्रशासनिक पद	कब से
1	2		3	4
1.	Dr. (Mrs.) R.R. Lali	English	Head of	7.7.93
2.	Dr. Subhash Taneja	Sanskrit	the Deptt.	31.10.94
3.	Dr. M.A. Zaidi	Urdu & persian	-do-	19.6.96
4.	Dr. G.N. Prasad	M.E.L.	-do-	12.6.96
5.	Dr. Surendra Upadhyaya	Hindi	-do-	10.9.94
6.	Dr. (Miss) S. Jethmalani	Philosophy	-do-	16.9.95
7.	(Miss) Maya Tak	Music	-do-	13.7.94

1	2		3	4
8.	Dr. C.S. Mehta	Drawing & Painting	-do-	24.2.95
9.	Dr. Vijay Mathur	Dramatics	-do-	30.5.95
10.	Dr. C.B. Gena	Pol.Science	-do-	5.4.95
11.	Dr. K.L. Chawla	Pub.Admn.	-do-	1.8.95
12.	Dr. C.S. Barla	Economics	-do-	17.12.94
13.	Dr. S.K. Gupta	History	-do-	11.3.96
14.	Prof.(Mrs.) Indu Mathur	Sociology	-do-	15.1.96
15.	Dr. (Mrs.) Manju Mehta	Psychology	-do-	17.6.94
16.	Dr. H.S. Sharma	Geography	-do-	1.3.96
17.	Dr. Ashwani Kumar	Botany	-do-	5.4.95
18.	Prof. A.K. Rai	Chemistry	-do-	15.5.96
19.	Dr. M.K. Pandit	Geology	-do-	18.8.94
20.	Dr. G.N. Purohit	Mathematics	-do-	20.6.94
21.	Prof. B.K. Sharma	Physics	-do-	4.1.96
22.	Dr. M.K. Lohia	Zoology	-do-	3.1.96
23.	Dr. (Mrs.) Beena Mathur	Home Sc.	-do-	17.6.94
24.	Dr. D. Hajela	Statistics	-do-	17.11.95
25.	Prof. Y.S. Sisodia	USIC	-do-	30.6.93
26.	Dr. P.P. Bharagava	Bus.Admn.	-do-	4.5.96
27.	Dr. J.K. Tandon	EAFM	-do-	24.4.94
28.	Dr. G.P. Verma	ABST	-do-	28.5.95
29.	Dr. M.P. Jain	Law	-do-	25.3.96
30.	Dr. (Mrs.) Usha Pawan,	Education (Lib.Science)	-do-	5.4.95
31.	Dr. M. Pareek	Education	-do-	23.7.93
32.	Sh. Anand Kashyap	Anthropology	-do-	11.2.93

390

1	2	3	4
33.	Dr. N.H. Gupta, Principal	Principal, Law College (Day)	8.3.96
34.	Dr. N.L. Gupta, Vice-Principal	-do-	27.7.95
35.	R.R. Gupta, Addl. Principal	-do-	28.7.95
36.	Prof. T. Bhattacharya, Principal	Law College (Evening)	12.7.95
37.	Dr. Satish Shastri, Vice-Principal	-do-	13.7.95
38.	Dr. J.P. Vyas, Vice Principal	-do-	13.7.95
39.	Prof. V.P. Gupta, Principal, Rajasthan College		18.11.95
40.	Dr. S.C. Prasad, Vice-Principal, Raj.College		5.4.96
41.	Sh. Jagdish Prasad, Vice-Principal, Raj. College		6.12.95
42.	Sh. K.L. Sharma, Vice-Principal (Evening) Raj. College		25.11.95
43.	Dr. N.C. Jain, Vice-Principal	-do-	2.1.96
44.	Prof. A.K. Rai, Principal, Maharaja's College		29.12.94
45.	Dr. Ashok Kumar, Vice-Principal, Maharaja's College		16.2.95
46.	Dr. C.K. Ojha, Vice-Principal, Maharaja's College		10.9.94
47.	Prof. (Mrs.) Pawan Surana, Principal, Maharaja's College		2.4.96
48.	Dr. Pradeep Bhatnagar, Vice-Principal, Maharaja's College		1.7.94
49.	Dr. (Mrs.) S. Ali, Vice-Principal, Maharaja's College		8.10.94
50.	Dr. (Mrs.) Kshma Agrawal, Vice-Principal, Maharaja's College		16.6.95
51.	Dr. R.C. Gupta, Principal, Commerce College		27.10.94
52.	Dr. Som Dev, Vice-Principal, Commerce College		13.7.94
53.	Dr. J.P.N. Sharma, Vice-Principal, Commerce College		22.11.94
54.	Dr. Satish Shastri, Dean, D.S.W. UOR		3.8.94
55.	Dr. S.C. Singh, Asso.Dean, D.S.W. UOR		24.8.94
56.	Sh. R.S. Sharma " " "		8.5.95
57.	Sh. K.L. Chawla " " "		27.8.95

1	2	3	4
58.	Dr. V.P. Gupta, Chief Warden, UOR		24.2.95
59.	Dr. Nagendra Bharadwaj, Garden Incharge		9.3.90
60.	Dr. C.B. Gena, Director Services, Pre-Entry Coaching	Centre	1.4.95
61.	Dr. Bhagirath Singh, Bijarnia Chief Proctor		9.1.96
62.	Sh. Awant Veer Singh, "	"	20.9.95
63.	Dr. V.G. Gupta, "	"	15.5.96
64.	Dr. Vipin Tayal "	"	7.1.92
65.	Dr. Basant Jaitly "	"	30.4.96
66.	Dr. N.K. Lohia, Incharge, N.R.S.C., UOR		16.9.95
67.	Dr. B.M. Sharma, Director, APTC		6.12.95
68.	Dr. Parmendra Sharma, Dy. Director, APTC		21.12.95
69.	Dr. Roop Singh Bareth, Co-Ordinator, N.S.S.		16.7.94
70.	Dr. (Mrs.) R. Swami, Co-Ordinator, M.P.E. Course		16.11.95
71.	Dr. P.N. Singh, Warden, Ambedkar Hostel		20.5.94
72.	Dr. Rama Prasad, Warden, Gokhle Hostel		14.10.95
73.	Dr. Ramesh Dashich, H.J. Bhabha (Warden)		1.6.95
74.	Dr. R.L. Godara, Warden J.C. Boss		31.5.95
75.	Dr. M.S. Chandrawat, Warden, M.P.S.		1.6.93
76.	Dr. M.S. Poonia, Warden Vivekanand		1.6.94
77.	Dr. R.D. Gurjar, Warden, W.U.S. Hotel		1.6.94
78.	Dr. Mohar Singh, Warden, Roman Hostel		1.6.95
79.	Dr. (Mrs.) Sushila Jain, Warden, Annebesant Hostel		1.6.93
80.	Dr. (Mrs.) J.D. Sharma, Warden, Kasturba		1.6.96
81.	Dr. (Mrs.) Savita Verma, Warden, Laxmibai Hostel		1.6.96
82.	Dr. (Mrs.) Asha Hinder, Warden, Malviya Hostel		1.6.95
83.	Dr. Vinod Joshi, Warden, D.L.N. Hostel		1.6.96
84.	Prof. M.P. Saxena, Hony.Director, Physical Science		25.1.96
85.	Dr. Surendra Upadhaya, Hony.Director, Humanities		26.10.94

1	2	3	4
86.	Prof. C.S. Barla, Hony. Director, Social Science		25.1.96
87.	Dr. R.C. Gupta, Hony.Director, Commerce		4.2.94
88.	Prof. Ramesh Arora, Hony. Director, S.S.R.C.		1.7.93
89.	Dr. Prakash Shastri, Dy. Director–S.S.R.C.		27.1.96
90.	Prof. Y.S. Sisodia, Hony.Director, USIC		15.5.89
91.	Dr. (Mrs.) Jasbir Jain, Director, Academic Staff College		1.8.93
92.	Dr. Naresh Dadhich, Director, Gandhian Studies		23.5.96
93.	Dr. Prakash Shastri, Dy.Director, ""		10.6.96
94.	Prof. B.K. Sharma, Director, Central Library		12.7.95
95.	Dr. S.S. Ratnawat, "" Rajasthan Studies Centre		4.6.96
96.	Dr. Hari Ram Acharya, Director Centre for Jai Studies		15.5.94
97.	Prof. Y.S. Sisodia, Director, Indira Gandhi Centre for Human Ecology		13.2.96
98.	Dr. H.S. Sharma, Director, Baba Bhim Rao Ambedkar Pre-Coaching Institute		25.4.95
99.	Dr. (Mrs.) Shashi Sanai, Director, Centre for Women Studies		4.4.96

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) की एक्स-रे मशीन

20. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा में एक्स-रे मशीन कब से लगाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में लगी उक्त एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है ? **यदि हां, तो कब से ?**

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा (नागौर) में लगी उक्त एक्स-रे मशीन से पिछले चार वर्षों में कुल कितने एक्स-रे किये गये ?

(4) उक्त बन्द एक्स-रे मशीन को ठीक करवाने हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है।

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती हैं ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा में एक्स-रे मशीन दिनांक 14.11.92 को स्थापित की गई।

(2) जी, हां। उक्त एक्स-रे मशीन दिनांक 8-4-94 से खराब है।

(3) प्राकृतिक विपदा के कारण इस बिन्दु का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त होने पर प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) उक्त बन्द पड़ी एक्स-रे मशीन को ठीक कराने का दायित्व कम्पनी व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का है।

(5) एक्स-रे मशीन की खराबी को सुधारने के लिये पूर्ण प्रयास किया गया है, एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कम्पनी को अनेकों बार लिखा गया है। अतः वर्तमान में अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जिला कोटा में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर व्यय

21. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कोटा जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गत 2 वर्षों में कुल कितने लिंक रोड कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य में 40 प्रतिशत राशि मेटेरियल पर 60 प्रतिशत राशि मजदूरी पर व्यय करने का प्रावधान है?

(3) यदि हां, तो क्या सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत लिंक रोड पर उस गांव या आसपास के कितने लोगों से मस्टररोल से काम करवाया गया? क्या मस्टररोल से उनको भुगतान किया गया है?

(4) यदि हां, तो किस-किस रोड़ पर कुल राशि में से कितनी राशि का काम मस्टररोल से कराया गया? प्रत्येक रोड पर मस्टररोल से कराये गये कार्य व व्यक्ति को किये गये भुगतान की मस्टररोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 94-95 एवं 95-96 में 94 सम्पर्क सड़क के कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी, हां। यह सही है कि सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य में सामग्री एवं श्रम घटकों पर 40 : 60 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है।

(394)

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(3) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत गत 2 वर्षों की अवधि में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों पर मस्टररोल पर लगाये गये श्रमिकों का विवरण सम्बन्धित कार्यकारी विभागों/संस्थाओं से प्राप्त किया जा रहा है। विस्तृत विवरण के प्राप्त होने में, समय लगना सम्भावित है। अतः सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(4) स्वीकृत सम्पर्क सड़कों पर गत 2 वर्षों की अवधि में मस्टरोल पर काम करने वाले श्रमिकों को भुगतान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तथा मस्टररोल की फोटो प्रति विभिन्न कार्यकारी विभागों/संस्थाओं से प्राप्त किये जा रहे हैं। इस वृहद सूचना के संकलन में काफी समय लगने की सम्भावना है, अतः सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

D.R.D.A. - KOTA

LIST OF ROADS SANCTION IN 95-96 UNDER E.A.S.

S.NO. WORK NAME	SANCTION AMOUNT
BLOCK NAME : LADPURA	
1. A/R Grawel Doliya 3.0 Km.	5.000
2. A/R Grawel Dharmpura 3.0 Km.	5.000
Subtotal	**10.000**
BLOCK NAME : SANGOD	
3. A/R of VRB at Samariya 2 Km.	4.520
4. Const.of A/R (Grewal) & Culvert 4 Km.	9.000
5. Const.of A/R (Grewal) & Culvert 7 Km.	9.740
6. Const.of A/R (Grewal) & Culvert 2 Km.	6.260
7. Const.of A/R (Grewal) & Culvert 2 Km.	6.260
8. Const.of A/R (Grewal) to Doongarpur 3 Km.	5.000
9. Const.of A/R (Grewal), Khushalipura Via Brijliya 4 Km.	5.000
Subtotal	**45.780**
BLOCK NAME : KHAIRABAD	
10. Const.of A/R (Grewal) to Bhatwara 3 Km.	5.000
11. Const.of A/R (Grewal) to Nayagaon 3 Km.	5.000
12. Const.of A/R (Grewal) Nayagaon to Kanwarpura 2 Km.	4.000

S.NO.	WORK NAME	SANCTION AMOUNT
3.	Const.of A/R (Grewal) to Motipura 3 Km.	5.000
14.	Const.of A/R (Grewal) to Shhanpuriya 3 Km.	5.000
15.	Const.of A/R (Grewal) to Dhabadah via Manpura 3 Km.	5.000
16.	Const.of A/R (Grewal) to Taliya Kheri 3 Km.	5.000
17.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Ghatoli 2.5 Km.	5.000
18.	Upgradation of Gravel to W.B.M.. Kherli 2.5 Km.	5.000
19.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Peepa Kheri 1.0 Km.	2.000
20.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Aranya Kalan 1.0 Km.	2.000
21.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Kookara Khurd 3.0 Km.	5.000
22.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Salera Kalan 3.0 Km.	5.000
23.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Askali 1.0 Km.	2.000
24.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Chonsala 2.0 Km.	4.000
25.	A/R to Madanpura W.B.M. remaining part 2.0 Km.	5.000
26.	A/R to Kotari Grawel 2.0 Km.	4.000
27.	Missing Link Khera Rudha to District Border Grwal 2.5 Km.	5.000
	Subtotal	**78.000**
	BLOCK NAME : SULTANPUR	
28.	Upgradation of Gravel to W.B.M. A/R to Toran	4.000
29.	Upgradation of Gravel to W.B.M. A/R to Jhargaon	1.200
30.	Const.of A/R (Grewal) to W.B.M. R/L 1.4 Km.	2.500
31.	Const.of A/R (Grewal) 3.5 Km.	5.000
32.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Madanpura 2.5 Km.	5.000
33.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Banethiya 2.5 Km.	5.000
34.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Jakhrond 3.0 Km.	5.000
35.	Const.of A/R Dhaba to Simliya Gravel 2.0 Km.	4.500
	BLOCK NAME : SANGOD	
1.	Cons. of Road in Mamor	2.500

396

S.NO. WORK NAME	SANCTION AMOUNT
2. Cons. of Road Kuradiya Khurd	4.500
3. Cons. of Road Sangod Jolpa	3.000
4. Cons. of Road Khariya	3.500
5. Cons. of Road Jhalari	4.500
6. Cons. of Grawal Road Borin Kalan	9.000
7. Cons. of Grawal Road Shyampura	9.000
8. Cons. of Grawal Road Kishanpura	7.500
9. Cons. of Grawal Road Mandap to Rajgarh	7.500
10. Cons. of Grawal Road Jalimpura	7.000
11. Cons. of Grawal Road Danta	7.000
12. Cons. of Grawal Road Amarat Kuwan	8.750
13. Cons. of Grawal Road Lodhahera	8.750
14. Cons. of Grawal Road Nahariya	8.750
15. Missing Link Road Awan, Khajurna 3CD	3.000
Subtotal	**94.250**
BLOCK NAME : KHAIRABAD	
16. Cons. of Road Ghatoli to Rawatbhata	5.000
17. Cons. of Road Kookara Khurd	2.250
18. Cons. of Cont. Road Grawal	9.000
19. Cons. of Grawal Road Laxmipura (4 Km.)	6.000
20. Cons. of Grawal Road Araniya Kalan (5 Km.)	7.500
21. Cons. of Grawal Road .50 Km.	1.000
22. Cons. of Grawal Road Beer Mandi 2.00 Km.	3.500
23. Cons. of Grawal Road Chosla	3.500
24. Cons. of Grawal Road Manpura	5.000
25. Cons. of Grawal Road Salerakalan	7.000
26. Cons. of Appr. Road from S.Khurd Vil. to Coffrdem	5.000
Subtotal	**54.750**

S.NO.	WORK NAME	SANCTION AMOUNT
	BLOCK NAME : SULTANPUR	
27.	A/R to Dabar .50 Km.	1.000
28.	Missing Link Road Digod Simliya 3.50 Km.	5.000
29.	Boodadeet to Barod Road 1.5 Km.	2.500
30.	A/R to Kherli Kalya (Gravel) 2.0 Km.	3.500
31.	A/R Grawal from A.Pura Circle to Idgah along Pound	1.780
	Subtotal	**1.780**
	BLOCK NAME : ITAWA	
32.	A/R to Jharer ka Balaji 2.00 Km.	3.500
33.	A/R to Sangrampura (Gravel) 3 Km.	5.000
34.	A/R to to Khedli Peepalda (Gravel) 2.5 Km.	4.500
35.	A/R to Chaktodi (Gravel) 2.5 Km.	4.500
	Subtotal	**17.500**
36.	A/R to Kodsuwan W.B.M. remaining part 1.5 Km.	5.000
37.	A/R to Kalyanpura Grawal 2 Km.	4.000
38.	Missing Link Char Chauma to Balaji ki Thak WBM 2.5 Km.	5.000
39.	Missing Link Balaji ki Thak to Hari pura WBM 2 Km.	4.000
40.	Missing Link Madanpura to Pipalda Samel Grawal 2.5 Km.	5.000
41.	Remaining Length of A/R Khairoola 2.5 Km.	5.000
42.	Remaining Length of Lakh Saneeja & C.D. Works 1 Km.	5.000
43.	Missing Link from REL to Dhaba 2.5 Km.	5.000
44.	Missing Link Bhandahera to Deoli (Port) 2.5 Km.	5.000
	Subtotal	**75.200**
	BLOCK NAME : ITAWA	
45.	A/R to Haripura (Sumerpur) from Kakawata 2 Km.	3.500
46.	Const.of A/R (Grewal) 1.8 Km. (R/L)	3.000
47.	Const.of A/R (Grewal) 2.0 Km.	3.500

(398)

S.NO.	WORK NAME	SANCTION AMOUNT
48.	Const.of A/R (Grewal) 2.0 Km.	3.500
49.	Const.of A/R (Grewal) to WBM 0.4 Km.	5.000
50.	Const.of A/R (Grewal) to Talab 3 Km.	5.000
51.	Const.of A/R (Grewal) to Adagala	5.000
52.	Const.of A/R (Grewal) to Adagala 3 Km.	5.000
53.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Durjanpura 2.5 Km.	5.000
54.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Laxmipura 2.5 Km.	5.000
55.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Shahnawada 2.5 Km.	5.000
56.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Peepalda Khurd 3.0 Km.	5.000
57.	Upgradation of Gravel to W.B.M. Seenota 2.5 Km.	5.000
58.	Missing Link Ayana to Chatrar pura Rd. Grawal 2.5 Km.	5.000
59.	Missing Link Luhawad to Kherli Mataji Road Grawal 2.5 Km.	5.000
	Subtotal	**68.500**
	Total	**277.480**

डूंगरपुर-गुजरात सीमा सड़क का निर्माण

22. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार डूंगरपुर जिले की गैंजी से गन्धवा वाया बलवनिया, चारवाड़ा गुजरात सीमा सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो इसके निर्माण में कितना खर्च आयेगा? क्या सरकार इस सड़क को इसी वर्ष पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

गैंजी से और गंधवा से चारवाड़ा-बलवानिया गुजरात सीमा तक जाने के लिये अलग-अलग निम्नलिखित रास्ते हैं : —

(I) गैंजी से अन्नपुरा चौराहा-चारवाड़ा (पंचायत मुख्यालय 806/1971, 962/1981, 1227/1991). बलवानिया (610/1971, 833/1981, 1084/1991) गुंजरात सीमा तक।इसकी कुल लम्बाई 17.0 कि.मी. है।

(II) गंधवा से अन्नपुरा चौराहा चारवाड़ा-बलवानिया गुजरात सीमा तक इसकी कुल लम्बाई 13.0 कि. मी. है।

ार्वजनिक निर्माण मंत्री)

—परोक्त दोनों मार्गों में अन्नपुरा चौराहा से रवाड़ा-बलवानिय, गुजरात सीमा तक —ॉमन रास्ता है, जिसकी लम्बाई 6.0 कि. ी. है। गेंजी से अन्नपुरा चौराहा तक कुल —म्बाई 11.0 कि.मी.है जिसमें 1.0 कि.मी. ाम्बर पूर्व से ही बनी हुई हैं तथा 10.0 कि.मी. कच्ची सड़क है। 10.0 कि.मी. कच्ची सड़क को डाम्बर सड़क निर्माण हेतु —अनुमानित लागत रु. 120.00 लाख आती है। गंधवा से अन्नपुरा चौराहा चरवाड़ा-बलवानिया गुजरात सीमा बोर्डर तक कुल लम्बाई 13.0 कि.मी. है जिसमें 5.0 कि.मी. मैटल, 4.0 कि.मी. ग्रेवल व 4.0 कि.मी. कच्ची सड़क है। इस सड़क के आरम्भ के 7.0 कि.मी. को डाम्बर सड़क के निर्माण की स्वीकृति है तथा इसी वर्ष 7.0 कि.मी. डाम्बर निर्माण का कार्य पूर्ण करना संभावित है। इस मार्ग पर चारवाड़ा पंचायत मुख्यालय ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। इस सड़क के शेष 6.0 कि.मी. को डाम्बर सड़क निर्माण हेतु अनुमानित लागत रुपये 60.00 लाख आती है।

इस प्रकार (1) गैंजी से अन्नपुरा चौराहा तक सड़क तथा (2) गंधवा से अन्नपुरा चौराहा-चरवाड़ा-बलवानिया गुजरात सीमा बोर्डर तक दोनों की शेष लम्बाई जिसकी वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं हैं को डाम्बर सड़क निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत 180.00 लाख रुपये सम्भावित है। शेष लम्बाई राज्य सरकार की सड़क नीति में नहीं आती है और न ही इसकी स्वीकृति विचाराधीन है। चूंकि इन दोनों मार्ग पर सिर्फ चारवाड़ा जो कि पंचायत मुख्यालय है। अतः वहां तक सड़क निर्माणधीन है। ग्राम बलवानिया, अन्नपुरा आदि सड़क नीति के मापदण्ड में नहीं आते। गुजरात सीमा पर प्रस्तावित सड़क किसी विद्यमान सड़क को नहीं जोड़ती अतः चारवाड़ा से आगे सड़क निर्माण विचाराधीन नहीं है।

जिला जयपुर के थानों में हत्याओं के दर्ज प्रकरण

23. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर जिला एवं जयपुर शहर में दिसम्बर, 1995 से अब तक कितनी हत्याओं के प्रकरण सामने आये हैं?

(2) कितने मुलजिमान के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए उनमें से कितनों को पकड़ा जा चुका है एवं कितने जैरे तफतीश है?

(3) सरकार इन बढ़ती हत्याओं के सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला जयपुर शहर एवं ग्रामीण जिले में दिनांक 1.12.95 से 15.6.96

(गृह मंत्री)

तक क्रमशः 33 एवं 11 कुल 44 अभियोग हत्या के संबन्ध में दर्ज हुए है।

(2) अभियोगवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न हैं।

(3) हत्या के अपराधों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं। इस अवधि की गत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। वर्ष 1994 की तुलना में वर्ष 1995 एवं 1996 में हत्या के अपराधों में कमी हुई है। वर्ष 1995 की इस अवधि में दर्ज प्रकरणों की तुलना में वर्ष 1996 में केवल दो प्रकरण अधिक दर्ज हुये हैं जो वृद्धि नगण्य हैं।

हत्या जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर विरोधात्मक कार्यवाही की जाती हैं। गश्त का माकूल इन्तजाम किया गया है। असामाजिक तत्वों के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

दर्ज अभियोगों का निस्तारण सहित विवरण

निर्णय

शीर्षक	दर्ज अभियोग	चालान	अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता	अदम वकू गलतफैमी	अदमबकू फौतीमुलजिम	अनुसंधानाधीन पुलिस
1	2	3	4	5	6	7
हत्या	44	20	1	1	2	20

उक्त अभियोगों के सम्बन्ध में लिप्त अभियुक्तों का विवरण

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की संख्या	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं थे	गिरफ्तार अभियुक्त करने शेष	नामजद व्यक्तियों के गिरफ्तार ना होने का कारण
1	2	3	4	5
105	93	33	11	रूपोष होने से व सबूत नहीं होने आदि से।

जयपुर शहर/ग्रामीण में दिसम्बर से मई वर्ष 1994, 1995 एवं 1996 में हत्या के दर्ज अभियोगों की तुलनात्मक सारणी

जयपुर शहर/ग्रामीण **अवधि**

शीर्षक हत्या	1 दिसम्बर 93 से 31 मई 94 तक	1 दिसम्बर 94 से 31 मई 95 तक	1 दिसम्बर 95 से 31 मई 96 तक	कमी बेसी 96 से 94	कमी बेसी 96 से 95	प्रतिशत 96 से 94	प्रतिशत 96 से 95
	58	47	49	–9	+2	–15.22%	+4.26%

मोरेल नदी (लालसोट) पर पुल निर्माण

24. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने लालसोट-कोथून सड़क पर मोरेल नदी पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा दिया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार उक्त पुलिया की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृत करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लालसोट सामगढ़ तूंगा बस्सी सड़क पर मोरेल नदी पर 98 लाख रुपये का सबमर्सिबल पुल भारत सरकार ने सी.आर.एफ. के तहत स्वीकृत किया जाकर कार्य पहले ही से प्रगति पर है किन्तु अभी तक व्यय की गई राशि का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा पुल का कार्य राज्य सरकार के खर्चे पर ही चल रहा है।

गंगापुर लालसोट कोथून सड़क पर मोरेल नदी पर दूसरा सबमिर्सिबल पुल बनाने की अनुमानित लागत 213 लाख है जिस पर यातायात की इतनी अधिकता नहीं होने से भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाना प्रस्तावित नहीं हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की फर्जी उत्तर पुस्तिका प्रकरण

25. श्री बनवारी लाल मिण्डा (फतेहपुर) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(५०१)

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित भाभा होस्टल के एक कमरे में विश्वविद्यालय की फर्जी उत्तर पुस्तिका बरामद हुई हैं?

(2) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अभियोग दर्ज हुआ है? यदि हां, तो किस के विरुद्ध? अब तक इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। भाभा होस्टल के एक कमरे से जो उत्तर पुस्तिकाऐं बरामद हुई हैं वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं। यह उत्तर पुस्तिकाऐं एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित हैं।

(2) इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन ने एफ.आई.आर. दर्ज करके मुकदमा नंबर 164/96 कायम किया गया है तथा उनके द्वारा मामले में जांच की जा रही है।

(५८३)

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या-2 की सूची

जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के कार्यालय में जनवरी, 92 से 31 दिसम्बर, 92 में दर्ज विविध मुकदमात् की सूची

क्रम सं.	मु.नं.	अनवान	निर्णय दिनांक
1	2	3	4
1-	1/92	मु. गलकु पत्नी घीसा गूजर देवपुरा बनाम मॉगुजोरा गूजर देवपुरा	15.7.92
2-	2/92	गफूर खां मुसलमान जहाजपुर बनाम प्रतापसिंह वगै. व्यासजी का खेड़ा	4.4.94
3-	3/92	जिला रसद भीलवाड़ा बनाम बी.एल. सुवालंका मेजा वगैराह	28.1.92
4-	4/92	देवीलाल सुथार वगै. रतनपुरा बनाम सरकार	29.1.92
5-	5/92	श्री नन्दलाल गूजर बैंरा बनाम ग्रा.पं. भादु	21.7.92
6-	6/92	श्री बंशीलाल खटीक पोंटला बनाम विकास पंचायत पोटला बगै. हाजी मो.	25.8.93
7-	7/92	नन्दा लुहार गेगाकोखेड़ा वगैराह बनाम बाबू लुहार वगैराह	28.12.93
8-	8/92	मिश्रीलाल पारीक गंगापुर बनाम सरकार	28.4.92
9-	9/92	श्री घीसाकहार बनाम न.पा. शाहपुरा	4.8.93
10-	10/92	श्री खेमाकहार –उपरोक्त–	4.8.93
11-	11/92	श्री ऊंगमा बलाई नि. कोटड़ी बनाम सरकार	28.12.93
12-	12/92	श्री गंगाराम खटीक शाहपुरा बनाम रामनिवास कहार वगैराह	26.5.92
13-	13/92	श्री पंकज कुमार मानसिंहका नि. भीलवाड़ा बनाम सरकार	27.4.92
14-	14/92	श्री मांगीलाल गान्धी बेमाली बनाम ग्राम पं. बेमाली	10.2.92
15-	15/92	श्री लाला बंजारा वगै. बनाम खेता बंजारा वगै.	28.4.93
16-	16/92	श्री गोरधन चमार पिथास बनाम सरकार	17.8.94
17-	17/92	श्रीमति गीता वैष्णव वगै. भीलवाड़ा बनाम यू.आई.टी. भीलवाड़ा	17.3.92
18-	18/92	श्री किशन गूजर वगै. भीलवाड़ा बनाम यू.आई.टी.	17.3.92
19-	19/92	श्री धनराज महाजन माण्डल बनाम सरकार	4.3.92
20-	20/92	श्री पन्नालाल स्वर्णकार फुलियाकलाँ बनाम सरकार	17.3.92
21-	21/92	श्री मांगू कालबेलिया बनाम सरकार	4.3.92
22-	22/92	श्री लालू कालबेलिया बनाम सरकार	4.3.92

1	2	3	4
23-	23/92	–उपरोक्त– नि. पोटला	4.3.92
24-	24/92	श्री भंवरलाल कालबेलिया पोटला बनाम सरकार	4.3.92
25-	25/92	श्री शरबतविलास महादेवममन्दिर शाहपुरा वगै. बनाम आर्यसमाज शाहपुरा	13.5.92
26-	26/92	श्री चतरसिंह राजपूत उमरी बनाम सरकार	21.9.92
27-	27/92	श्री गोविन्दसिंह राजपूत उमरी बनाम सरकार	21.9.92
28-	28/92	श्री जयसिंह राजपूत उमरी बनाम सरकार	21.9.92
29-	29/92	श्री भंवरसिंह राजपूत उमरी बनाम सरकार	21.9.92
30-	30/92	–उपरोक्त–	21.9.92
31-	31/92	श्री शरबत विलास महादेव मन्दिर शाहपुरा बनाम आर्य समाज शाहपुरा	13.5.92
32-	32/92	श्री रामलाल गाडरी वगै. बनाम पेमागाडरी जवासिया भीलवाड़ा	10.6.92
33-	33/92	श्री नेनालालखारोल करेड़ा बनाम सरकार	13.4.92
34-	34/92	सरकार बनाम अगसरअली वगै. भीलवाड़ा	15.9.93
35-	35/92	श्री गोपाललाल वगै. बड़लियास बनाम कैलाशचन्द्र	10.6.92
36-	36/92	श्री नानू जाट वगै. सागांस बनाम नारू जाट सांगास	19.10.92
37-	37/92	श्री प्रतिनिधिगण ग्राम उदलियास सहाड़ा बनाम सोहनलाल उदलियास	31.5.95
38-	38/92	श्री रामकरण कुमावत बड़ला बनाम सरकार	10.6.92
39-	39/92	श्री दयारामगाडरी आटावड़ा बनाम डालूगूजर	24.6.96
40-	40/92	श्री जगु गूजर आटावाड़ा बनाम अम्बालाल जाट आटावड़ा	24.6.92
41-	41/92	श्री केसुगाडरी आटावड़ा बनाम डालु गूजर आटावड़ा	24.6.92
42-	42/92	श्री भगा गूजर आटावड़ा बनाम किसना जाट आटावड़ा	24.6.92
43-	43/92	श्री बालु गूजर आटावड़ा बनाम किसना जाट आटावड़ा	24.6.92
44-	44/92	श्री उदा गूजर आटावड़ा बनाम किसना जाट आटावड़ा	24.6.92
45-	45/92	श्री जोधा खटीक वगै. बनाम बालु गाडरी वगै. खोलपुरा	14.9.92
46-	46/92	सरकार बनाम पुरुषोत्तम जाट	8.7.92
47-	47/92	मु. केसर कँवर राजपूत वगै. बनाम सरकार	पेण्डिग
48-	48/92	सरकार बनाम श्रीमति मोहनबाई जैन गुलाबपुरा	6.3.96
49-	49/92	श्री रामकरण जाट शाहपुरा बनाम पं. प्रसार अधि. माण्डल	21.7.92

1	2	3	4
50-	50/92	श्री सुगनचन्दजी गुलाबपुरा बनाम महन्त महावीर दास गुलाबपुरा	16.11.92
51-	51/92	श्री नन्दा उर्फ नन्दलाल खाती नि. गढ़मालों का खेड़ा बनाम नारायण जाट	10.5.95
52-	52/92	श्री गोपी जाट वगै. गढ़वालों का खेड़ा बनाम देबी भील वगैराह	10.5.95
53-	53/92	मै. नेमीचन्द वगैराह शाहपुरा बनाम सरकार	4.8.92
54-	54/92	मु. प्यारी गूजर वगै. भीलवाड़ा बनाम कालु गूजर वगै.	4.8.92
55-	55/92	श्री छोटूलाल कुमावत बड़ला बनाम लक्ष्मणसिंह वगै.	21.9.92
56-	56/92	मै. डिडवानिया, कोटड़ी बनाम राजेन्द्र कुमार कोटड़ी	पेण्डिग
57-	57/92	मै. डिडवानिया कोटड़ी बनाम राजेन्द्र कुमार कोटड़ी	पेण्डिग
58-	58/92	श्री मोहनलाल सुथार सहाड़ा बनाम भैरु जाट सहाड़ा	4.8.92
59-	59/92	श्रीमती सुगनी देवी शाहपुरा बनाम छोटू कुमावत वगै. बड़ला (शाहपुरा)	7.4.93
60-	60/92	सरकार बनाम मोहनलाल वगैराह	पेण्डिग
61-	61/92	राज. सरकार बनाम केसुराम ब्राह्मण खांखला	पेण्डिग
62-	62/92	श्री लक्ष्मण कुमावत बनाम राज. सरकार	26.8.92
63-	63/92	श्री सोहनलाल नोलखा बनाम अधि.अधि. न.पा. गंगापुर	25.8.92
64-	64/92	श्री आनन्दीलाल लाडपुरा बनाम रूपाबाई वगै. खोखरा	14.9.92
65-	65/92	श्री कालू गूजर भीलवाड़ा बनाम प्यारी गूजर भीलवाड़ा	2.9.92
66-	66/92	श्री उदा गूजर बिलोड़ बनाम सरकार	14.9.92
67-	67/92	श्री कालु जाट महुआखुर्द बनाम पन्नाजाट वगैराह तह. बनेड़ा	4.5.93
68-	68/92	श्री भूरा जाट अखेपुरा कोटड़ी बनाम जगन्नाथ वगै. अखेपुरा	16.11.92
69-	69/92	श्री हरिसिंह मेहरात आंदर्शनगर हुरड़ा बनाम एस.आर. भीलवाड़ा	3.10.92
70-	70/92	श्री भारतसिंह राजपूत भटेडा बनाम सरकार	19.10.92
71-	71/92	श्री राम भंवरसिंह राजपूत बनाम सरकार	19.10.92
72-	72/92	श्री गंगाराम कीर भटेड़ा बनाम सरकार	19.10.92
73-	73/92	श्री नवाब खाँ बनाम सरकार	19.10.92
74-	74/92	भीमगंज गेट निवासियान भीलवाड़ा बनाम उदयलाल समदानी	11.11.92
75-	75/92	श्री देबीलाल ब्राह्मण श्रीनगर बनाम सरकार	11.11.92

1	2	3	4
76-	76/92	श्री ख्यालीलाल अचारज करेड़ा बनाम रामेश्वरलाल अचारज	23.11.92
77-	77/92	श्री ख्यालीलाल बैरवा भीलवाड़ा बनाम डीएसओ	2.12.92
78-	78/92	श्री कालुराम गूजर सातोलाकाखेड़ा बनाम शंकरसिंह	17.2.93
79-	79/92	श्री शान्तीलाल बापना बनाम सरकार	28.12.92
80-	80/92	श्री सरकार बनाम ओमशान्ती महाराज बिजौलिया	6.7.93
81-	81/92	श्री घीसु लुहार खुमानपुरा बनाम सरकार	14.12.92
82-	82/92	श्री शम्भु सुथार कीड़ीमल बनाम सरकार	15.12.92
83-	83/92	श्री गोरधन सुथार कोड़ीमल बनाम सरकार	15.12.96
84-	84/92	श्रीमति मूलीबाई खटीक भीलवाड़ा बनाम स्वरूपचन्द खटीक	30.12.92
85-	85/92	श्री देवाजाटबरसनी बनाम सरकार	16.12.92
86-	86/92	श्री महादेवजीस्थान मेजामाण्डल बनाम चारभुजाजीदेह स्थान	पेण्डिग
87-	87/92	श्री गुलाब रेगर करेड़ा बनाम सरकार	23.12.92
88-	88/92	श्री नवलसिंह रावत बनाम सरकार	23.12.92
89-	89/92	श्री बालु कुमावत बनाम सरकार	23.12.92
90-	90/92	श्री अमरा कुमावत नि. चिलेश्वर बनाम सरकार	23.12.92
91-	91/92	श्री जगन्नाथ कुमावत चिलेश्वर बनाम सरकार	23.12.92
92-	92/92	श्री रामा तेली अमरपुरा बनाम सरकार	23.12.92
93-	93/92	श्री सोहन तेली अमरपुरा बनाम सरकार	23.12.92
94-	94/92	श्री बन्ना गूजर वगै. रतनपुरा बनाम सरकार	26.12.92
95-	95/92	श्री भैरूं कुम्हार गरवाय बनाम सरकार	26.12.92
96-	96/92	श्री मूंगा रेबारी वगै. सुरास तह. आसीन्द बनाम सरकार	29.12.92

<u>वर्षवार गोश्वारा फैशल मुकदमात्</u>

वर्ष

1992	1993	1994	1995	1996	
73	11	2	3	1	= 90

6 प्रकरण शेष रहे जिनमें कार्यवाही जारी है जो निम्न हैं–

47/92	मु.केसर कँवर राजपूत वगै. बनाम सरकार
56/92	मै. डिडवानिया कोटड़ी बनाम राजेन्द्रकुमार
57/92	मै. डिडवानिया कोटड़ी बनाम राजेन्द्रकुमार
60/92	सरकार बनाम मोहनलाल वगैराह
61/92	सरकार बनाम केसुराम ब्राह्मण
86/92	महादेवस्थान मेजा माण्डल बनाम चारभुजाजीदेह स्थान।

ह.
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की प्रति

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ.4 (1) ग्राविप/विधि/96/1209 **जयपुर, दिनांक 5 अप्रेल, 1996**

-: आदेश :-

विषय–ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पादित निर्माण कार्य पर हुए व्यय की सूचना–

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाते हैं। यह आवश्यक है कि इन कार्यों पर हुए व्यय की जानकारी जनसामान्य को सुलभ हो। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि हर पंचायत समिति/पंचायत मुख्यावास पर एक सूचना-पटट लगाया जावे और इस सूचना पटट में पिछले 5 वर्षों में पंचायत समिति/पंचायत क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम, लागत व उस पर हुए व्यय का उल्लेख किया जाये ताकि हर व्यक्ति को यह पता लग सके कि उनके गांव में हुए विकास कार्य पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है व कितनी धनराशि का व्यय हुआ है? जो कार्य सम्पादित हुआ है वहां भी सूचना-पटट पर उस कार्य पर व्यय की राशि का उल्लेख कर दिया जावे।

निर्माण कार्य पर लगाये गये मजदूरों की संख्या मस्टर रोल में उपलब्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति या स्वैच्छिक संस्था इस मस्टर रोल को देखना चाहे तो उनके द्वारा आवेदन पत्र देने तथा 5/-रु. का निरीक्षण शुल्क जमा कराने पर इन्हें निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल तथा वाउचर दिखवा दिए जावें। इमें से यदि कोई विवरण अलग से अपने कागज पर नोट करना चाहे तो उन्हें इसके लिए भी सुविधा दी जावे। निरीक्षण के लिए आवेदन पत्र की सूचना एक रजिस्टर में प्रत्येक पंचायत समिति/पंचायत में रखी जायेगी, जिसमें निरीक्षण की सुविधा चाहने वाले व्यक्ति/संस्था का नाम, आवेदन पत्र का दिनांक व जमा कराई गई राशि का विवरण अंकित किया जावेगा। निरीक्षण के समय निरीक्षण कर्ता अधिकारी इस रजिस्टर की जांच करेगा।

पंचायती राज संस्थाओं से इन आदेशों की अनुपालना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुनिश्चित करवायेंगे तथा जिला कलेक्टर समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे।

सरकार की अपेक्षा है कि इनं आदेशों की अनुपालना के फलस्वरूप निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा इन कार्यों के व्यय के हिसाब में पारदर्शिता आने से ग्रामीण क्षेत्रों को विनियोजन का अधिक लाभ मिलेगा।

हस्ताक्षर
(एम.एल. मेहता)
मुख्य सचिव

408

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

(अनुभाग-3)

क्र. प. 6(30) प्र. स/अनु-3/95   जयपुर, दिनांक 17.6.96

आदेश

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के बारे में विचार कर सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किये जाने के बारे में विधान सभा में मुख्यमंत्रीजी द्वारा एक घोषणा की गई थी। इसके अनुसरण में निर्देशानुसार निम्न प्रकार से एक समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है : —

1.	श्री अरुण कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	श्री एन. के. बैरवा, विकास आयुक्त	सदस्य
3.	श्री बी. एस. व्यास, निदेशक आई. डी. एस.	सदस्य
4.	श्री परमेशचन्द्र, सचिव, वि. यो. संगठन एवं	सदस्य
5.	जिला प्रमुख पाली.	सदस्य
6.	श्री राकेश श्रीवास्तव, निदेशक ग्रा. वि. एवं पंचायती राज	सदस्य सचिव

यह समिति प्रमुख रूप से निम्न मुद्दों पर विचार करेगी : —

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेजों, जैसे मस्टररोल वाउचर आदि के बारें में यदि कोई व्यक्ति वांछित सूचना लेना चाहता है तो उसे किस प्रकार सूचना उपलब्ध कराई जावे। ताकि वह उसके बारे में जांच कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सरकार को उसकी शिकायत कर सके।

2. ठेके पर निर्माण कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के बाद कार्यादेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब किस प्रकार से रोका जाये और भुगतान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुधारा जाये। ताकि कोई सरकारी कर्मचारी इसमें विलम्ब कर अर्थ लाभ ना उठा सके।

3. निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को भुगतान की व्यवस्था किस प्रकार की जाये ताकि भुगतान में विलम्ब करके कोई अनुचित लाभ न ले सके और कार्यों की लागत में भी कमी आये।

यह समिति उक्त मुद्दों पर दो माह में विचार कर अपनी अनुशंषा राज्य सरकार को देगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।

(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का विवरण

बाबत विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक दर्ज अपराधी का वर्षवार विवरण

निर्णय

क्र.सं	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	अदम पता	अ.वकू	अ.सबूत	अ.वकू गलत-फहमी	अनुसंधा-नाधीन वाका	गिर. अभियुक्ति जिनके चालान	गिर. शेष विरुद्ध पेश किया गया	माल मसरूका	माल बरामद	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	लूट	1993-94	1	-	1	-	-	-	-	-		2000	-	-
"		1994-95	1	-	+	1	-	-	-	-		-	-	-
"		1995-96	10	8	1	-	-	1	-	14	5	11715/-	8315/-	3400/-
2.	हत्या	1993-94	5	5	-	-	-	-	-	14				
"		1994-95	7	5	-	1	-	-	1	10		-	-	-
"		1995-96	2	-	1	-	-	1	-	-		-	-	-
3.	आगजनी	1993-94	5	3	2	-	-	-	-	4		-	-	-
"		1994-95	5	1	-	1	3	-	-	2		-	-	-
"		1995-96	11	4	2	3	2	-	-	4		-	-	-
4.	चोरी	1993-94	42	5	26	11	-	-	-	11		149256/-	90560/-	58696
"		1994-95	48	10	27	11	-	-	-	30	2	151365/-	97087/-	54278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"		1995-96	103	22	70	9	-	-	2	59		645030/-	449600/-	195430/-
5.	डकैती	1993-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"		1994-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"		1995-96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	बलात्कार	1993-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"		1994-95	3	2	-	1	-	-	3		-	-	-	
"		1995-96	3	2	-	1	-	-	-	2		-	-	-
7.	अन्य	1993-94	30	9	17	4	-	-	-	11		199100/-	8700/-	190400/-
"		1994-95	39	8	20	10	-	-	1	25		140409/-	23500/-	116909/-
		1995-96	48	4	38	6	-	-	-	9		224080/-	16500/-	207580/-

परिशिष्ट–7

अतरांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची

वर्ष 1995-96 में स्वीकृत

क्र.सं.	स्वीकृत संस्था का नाम		पंचायत समिति
1.	2.		3.
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,	चंदलोई	चाकसू
2.	–यथा–	कालवाड़	झोटवाड़ा
3.	–यथा–	बगवाड़ा	आमेर
4.	–यथा–	राजनोता	कोटपूतली
5.	–यथा–	निवाणा	गोविन्दगढ़
6.	–यथा–	धवली	शाहपुरा
7.	राजकीय चिकित्सालय,	प्रतापनगर हाऊसिंग बोर्ड।	
8.	डिस्पेन्सरी उच्च न्यायालय, जयपुर।		
9.	मातृ शिशु सेवायें,	मौजमाबाद	दूदू
10.	उपकेन्द्र सूरजपुरा उर्फ टूटोली		चाकसू
11.	"	डूंगरसी का बास	सांभरलेक
12.	"	मूंडियागढ़	"
13.	"	रामजीपुरा कलां	"
14.	"	पंचकोडिया	"
15.	"	बबेरवालों की ढाणी	"
16.	"	ढाणी नगान	"
17.	"	भांकरी	विराटनगर
18.	"	बिडारा	शाहपुरा (यह उपकेन्द्र पूर्व से स्वीकृत एवं कार्यरत है (डबल स्वीकृत)
19.	"	खडब	कोटपूतली
20.	"	बोबाड़ी	जमवारामगढ़ –यथा–
21.	"	धूलारावजी	"
22.	"	नांगल सुसावतान	आमेर

(५१२)

1.		2.	3.
23.	"	खोरा बीसल	आमेर
24.	"	भूरथल	"
25.	"	खोरा श्यामदास	"
26.	"	जालसू	"
27.	"	बिचपुड़ी	"
28.	"	जयसिंहपुरा शेखावतान	"
29.	"	पुनाना	"
30.	"	मुण्डोता	"
31.	"	बिलोची	"
32.	"	सिरसिली	"
33.	"	टोडाभाटा	बस्सी
34.	"	बगराना	झोटवाड़ा
35.	"	विजयपुरा	"
36.	"	नीमेड़ा	"
37.	"	खुडियाला	दूदू
38.	"	गहलोता	"
39.	"	बरडोति स्वामियों की ढाणी	"
40.		उपकेन्द्र श्री रामजी की नांगल	सांगानेर
41.	"	सिरानी	"
42.	"	साऊ	जमवारामगढ़
43.	"	हरदरामपुरा	गोविन्दगढ़

वर्ष 1995-96 में पूर्व में स्वीकृत एडपोस्ट/उपकेन्द्र जो कि क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप डबल स्वीकृत हो गये एवं जिन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है उनकी सूची

क्र.सं.	संस्था जो डबल स्वीकृत है	पंचायत समिति	जहां स्थानान्तरित हुई है	पंचायत समिति
1.	बीलवाड़ी	विराटनगर	बागावास	विराटनगर
2.	राजनोता	कोटपूतली	कारौली	कोटपूतली
3.	बोबास	दूदू	छापरी	दूदू
4.	चंदलाई	चाकसू	बडली	चाकसू
5.	बगवाड़ा	आमेर	महेशवास कलां	आमेर

क्रम सं. 4 एवं 5 वर्ष 1995-96 में स्थानान्तरित हुए हैं।

(५१३)

वर्ष 1996-97 में पूर्व में कार्यरत उपकेन्द्र क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये उपकेन्द्र की सूचना।

1. कुशलपुरा बांसा गोविन्दगढ़ विजयसिंहपुरा गोविन्दगढ़

जयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1996-97 में स्वीकृत एवं खोले गए चिकित्सा संस्थानों की सूची।

क्र.सं.	संस्था का नाम	पंचायत समिति
1.	उपकेन्द्र शक्कर खावदा उर्फ जयप्रकाशपुरा	चाकसू
2.	" गोहंदी	फागी
3.	" डूंगरी	सांभरलेक
4.	" केनेड़	विराटनगर
5.	" फतेहपुरा	गोविन्दगढ़
6.	" रूपवास	जमवारामगढ़
7.	" अनोपपुरा	आमेर
8.	" बीलपुर	"
9.	" भैसलाना	कोटपूतली
10.	" भमभोरी	झोटवाड़ा
11.	" बिहारीपुर	दूदू
12.	" भापुरा	सांगानेर।

(५१५)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या-19 की सूची

भरतपुर जिले के विभिन्न अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र में दिनांक 31.5.96 तक के रिक्त पदों का विवरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हेर	
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
3. वाहन चालक	1
4. उ.क्र.के. तालफरा, वार्ड सर्वेन्ट	1
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग	
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1
2. दन्त चिकित्सक	1
3. वाहन चालक	1
उपकेन्द्र मथराली प्रसारिका	1
उपकेन्द्र छपरा प्रसारिका	1
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर	
1. क. विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
2. संगणक	1
3. वाहन चालक	1
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई	
1. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1
2. वाहन चालक	2
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास	
1. वाहन चालक	1
2. प्रा. स्वा. केन्द्र जटमासी–प्रसाविका	1
3. उपकेन्द्र, नयागाँव –यथा–	1
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुसावर	
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
3. वाहन चालक	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1. प्रा. स्वा.केन्द्र, धरसोनी, चश्रे.क.	1
2. –यथा– रणधीरगढ़ –यथा–	1
3. –यथा– अलीपुर –यथा–	1
4. –यथा– निठार –यथा–	1
5. –यथा– मुन्दावली –यथा–	1
उपकेन्द्र	
1. गोधेरा, प्रसाविका	2
2. उमैरण –यथा–	1
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना	
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
2. –यथा– (मेडिसिन)	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1. सलेमपुर–चिकित्सा अधिकारी	1
2. सिंघाड़ा –यथा–	1
3. झीलकावाडा –यथा–	1
4. जीवद –यथा–	1
5. पथैना –यथा–	1
6. बयाना लेब. टैक्नीशियन चश्रे.क.	1
उपकेन्द्र	
1. कपूरामलूका–प्रसाविका	1
2. मारौली –यथा–	1
8. ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1. ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुरहुरा,	

415

2. प्राथमिक स्वा.केन्द्र, सोमका चि.अधि. 1

3. –यथा– बिलोंद –यथा– 1

–यथा– –यथा– वार्डसर्वेन्ट/स्वीपर 3

4. –यथा– पहाड़ी–वार्डसर्वेन्ट 1

उच्चीकृत उपकेन्द्र

1. अकाता. वार्ड सर्वेन्ट 1

2. कैथवाड़ा –यथा– 1

3. सहसन –यथा– 1

4. सबलाना –यथा– 1

उपकेन्द्र

1. भौंरी प्रसारिका 1

2. थवंचना –यथा– 1

9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) 1

2. –यथा– (बाल रोग) 1

3. वाहन चालक 1

10. ब्लॉक प्रा.स्वा.केन्द्र, सेवर, वाहन चालक 1

11. –यथा– सिकसाना–वार्डसर्वेन्ट 1

12. राजकीय चिकित्सालय

1. वैर चि.अधिकारी 1

13. प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हेर

1. नर्सिग अधीक्षक–2 1

2. वाहन चालक 1

14. केन्द्रीय कारागृह सेवर व चि.अधि. 1

15. मा.शि.क. केन्द्र, भरतपुर –यथा– 1

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

गत दो वर्षों 1994-95 एवं 1995-96 में योजनावार स्वीकृत कार्यों की स्थिति

(राशि लाखों में)

क्र.सं	योजना का नाम	दो वर्षों के कुल स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत कार्यों की राशि	कार्यों की स्थिति पूर्ण सं.	अपूर्ण सं.	चालू नहीं सं.	दो वर्षों की कुल व्यय राशि	वर्ष 96-97 का व्यय माह मई 96 तक व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुनिश्चित रोजगार योजना	88	225.875	11	37	40	77.947	7.77
2.	जवाहर रोजगार योजना 20%	74	70.04	45	27	2	58.36	0.89
3.	अपना गांव अपना काम	26	24.634	13	11	2	22.457	-
4.	निर्बन्ध राशि	46	24.18	25	13	8	18.59	-
5.	एम.पी.एल.ए.डी.	28	44.65	4	14	10	19.68	10.125
6.	डॉग योजना	29	46.60	-	15	14	0.60	4.63
7.	इन्दिरा आवास योजना	453	55.719	291	148	14	50.65	2.73
8.	जीवनधारा योजना	2	0.558	2	-	-	0.65	-
	योग	746	492.256	391	265	90	248.934	26.145

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 का विवरण

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों में गत वर्षों में परीक्षाएं प्रारम्भ करने, परीक्षा समाप्त होने एवं परिणाम घोषित होने की तिथियों का विवरण

कला संकाय

क्र.सं परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि	परीक्षा की अंतिम तिथि	परिणाम घोषित होने की तिथि
वर्ष 1990			
1. पी.डी.सी.	16.5.90	28.6.90	3.9.90
2. द्वितीय वर्ष कला	30.5.90	17.7.90	22.9.90
3. तृतीय वर्ष टी.डी.सी. कला	30.5.90	10.7.90	17.9.90
वर्ष 1991			
1. बी.ए. पार्ट-I	21.6.91	17.8.91	9.11.91
2. बी.ए. पार्ट-II	20.6.91	5.8.91	5.10.91
3. तृतीय वर्ष टी.डी.सी. कला	28.6.91	22.8.91	31.10.91
वर्ष 1992			
1. बी.ए. पार्ट-I	15.6.92	3.8.92	9.11.92
2. बी.ए.पार्ट-II	15.6.92	31.7.92	20.10.92
3. बी.ए. पार्ट-III	15.6.92	24.7.92	1.10.92
वर्ष 1993			
1. बी.ए. पार्ट-I	26.4.93	18.6.93	12.9.93
2. बी.ए.पार्ट-II	26.4.93	14.6.93	4.9.93
3. बी.ए. पार्ट-III	26.4.93	14.6.93	21.8.93
वर्ष 1994			
1. बी.ए. पार्ट-I	30.3.94	23.5.94	30.5.94
2.			
बी.ए.पार्ट-II	30.3.94	20.5.94	24.8.94
3. बी.ए. पार्ट-III	30.3.94	21.5.94	18.8.94

418

वर्ष 1995			
1. बी.ए. पार्ट-I	31.3.95	29.5.95	18.7.95
2. बी.ए.पार्ट-II	30.3.95	5.6.95	23.7.95
3. बी.ए. पार्ट-III	6.4.95	5.6.95	22.7.95
वर्ष 1996			
1. बी.ए. पार्ट-I	30.3.96	24.6.96	–
2. बी.ए.पार्ट-II	30.3.96	24.6.96	–
3. बी.ए. पार्ट-III	30.3.96	25.6.96	–
वाणिज्य संकाय			
वर्ष 1990			
1. टी.डी.सी. वाणिज्य	30.5.90	21.6.90	29.8.90
2. द्वितीय वर्ष वाणिज्य	1.6.90	29.6.90	18.9.90
3. अंतिम वर्ष टी.डी.सी.वाणिज्य	25.5.90	27.6.90	13.9.90
वर्ष 1991			
1. बी.कॉम पार्ट-I	28.6.91	24.7.91	29.10.91
2. बी.कॉम पार्ट-II	28.6.91	16.7.91	25.10.91
3. बी.कॉम पार्ट-III	28.6.91	8.8.91	15.10.91
वर्ष 1992			
1. बी.कॉम पार्ट-I	15.6.92	13.7.92	11.10.92
2. बी.कॉम पार्ट-II	15.6.92	3.7.92	9.10.92
3. बी.कॉम पार्ट-III	17.6.92	4.7.92	28.9.92
वर्ष 1993			
1. बी.कॉम पार्ट-I	26.4.93	27.5.93	27.7.93
2. बी.कॉम पार्ट-II	28.4.93	19.5.93	22.7.93
3. बी.कॉम पार्ट-III	27.4.93	22.5.93	26.7.93
वर्ष 1994			
1. बी.कॉम पार्ट-I	31.3.94	25.4.94	31.7.94
2. बी.कॉम पार्ट-II	1.4.94	18.4.94	31.7.94
3. बी.कॉम पार्ट-III	31.3.94	22.4.94	29.7.94

वर्ष 1995			
1. बी.कॉम पार्ट-I	31.3.95	10.6.95	
2. बी.कॉम पार्ट-II	31.3.95	29.5.95	
3. बी.कॉम पार्ट-III	31.3.95	14.6.95	
वर्ष 1996			
1. बी.कॉम पार्ट-I	2.4.96	24.6.96	घोषित नहीं हुआ
2. बी.कॉम पार्ट-II	2.4.96	22.6.96	25.6.96
3. बी.कॉम पार्ट-III	2.4.96	21.5.96	अभी घोषित नहीं
विज्ञान संकाय			
वर्ष 1993			
1. बी.एस.सी. पार्ट-I	26.4.93	18.6.93	11.8.93
2. बी.एस.सी. पार्ट-II	27.4.93	14.6.93	3.8.94
3. बी.एस.सी. पार्ट-III	28.4.93	12.6.93	30.7.93
वर्ष 1994			
1. बी.एस.सी. पार्ट-I	31.3.94	21.5.94	22.7.94
2. बी.एस.सी. पार्ट-II	31.3.94	18.5.94	15.7.94
3. बी.एस.सी. पार्ट-III	2.4.94	19.5.94	12.7.94
वर्ष 1995			
1. बी.एस.सी. पार्ट-I	31.3.95	26.5.95	28.6.95
2. बी.एस.सी. पार्ट-II	31.3.95	24.5.95	25.6.95
3. बी.एस.सी. पार्ट-III	3.4.95	24.5.95	21.6.95
वर्ष 1996			
1. बी.एस.सी. पार्ट-I	2.4.96	24.6.96	–
2. बी.एस.सी. पार्ट-II	2.4.96	22.6.96	–
3. बी.एस.सी. पार्ट-III	4.4.96	19.6.96	–

नोट–वर्ष 1996 में लोक सभा आम चुनावों के कारण 20.4.96 से 12.5.96 के बीच किसी भी संकाय में परीक्षा संचालित नहीं की जा सकी।